

(1)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

न्यायालय : न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी:- मधुसूदन शर्मा (D.J.Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या :- 116/2016 (152/13)
एन. सी. वी. नं. : 129/2016
सी. आर. नम्बर :- 122/2013
(पुलिस थाना, महिला पश्चिम, जोधपुर)

राजस्थान राज्य

बनाम

अभियुक्तगण :-

- (1)- आसाराम उर्फ आसूमल पुत्र थेवरदास उर्फ थेऊमल, जाति सिन्धी, निवासी संत आसाराम बापू आश्रम मोंटेरा साबरमती, जिला अहमदाबाद, गुजरात (हाल केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर)
- (2)- सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी पुत्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, जाति वैश्य, निवासी 35 मोलश्री विहार, वीआईपी रोड, रायपुर, छत्तीगढ।
- (3)- शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र पुत्र जयन्तराव, जाति ब्राह्मण, निवासी- 2-2-1130/22, फ्लैट 102, कुसुम मेन्शन, न्यू नलाकुण्ठा, पी. एस. अमरपेट, हैदराबाद।
- (4)- प्रकाश पुत्र सुरेशप्रसाद द्विवेदी, जाति ब्राह्मण, निवासी विजय नगर, आरे रोड, शान्ता बाबू राठौड़ चौल, गोरे गांव, पूर्व मुम्बई। (हाल केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर)
- (5)- शिवा उर्फ सवारामा हेठवाडिया पुत्र श्री रामा, जाति अहीर, निवासी गांव धाड़वाला, तालुका बचाउ, जिला भुज

(2)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

(गुजरात)

अपराध अन्तर्गत धारा 342, 342/34, 354-ए, 354-ए/34, 370 (4), 376 (2) (एफ), 376 (2) (एफ)/120बी/109, 376-डी, 506, 506/34, 509, 509/34, 120-बी, 120-बी/109 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(एफ)/6, 5(एफ)/6 सपठित धारा 17, 5(जी)/6, 7/8 तथा 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

उपस्थित :-

- 1- श्री पोकरराम विश्‍नोई, विशेष लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
- 2- श्री प्रमोद वर्मा एवं श्री पी. सी. सोलंकी, अधिवक्तागण, परिवादी की ओर से।
- 3- श्री सज्जनराज सुराणा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मय सहायक अधिवक्ता श्री शौकत आलम, श्री डी. डी. खण्डेलवाल, अधिवक्तागण, अभियुक्तगण आसाराम व संचिता उर्फ शिल्पी की ओर से।
- 4- श्री सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता मय सहायक अधिवक्ता श्री भावित शर्मा एवं श्री वेदप्रकाश मंगला, अधिवक्ता, अभियुक्त शरदचन्द्र की ओर से।
- 5- श्री महेश बोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता मय सहयोगी अधिवक्तागण श्री निशान्त बोड़ा, श्रीमती सुषमा धारा व श्री बीरबल सारण, अभियुक्त शिवा की ओर से।
- 6- श्री राजेन्द्र चौधरी व श्री ललित किशोर, अधिवक्तागण, अभियुक्त प्रकाश की ओर से।

—: निर्णय :-

दिनांक : 25-4-2018

(3)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

1— हस्तगत प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 354 तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की विभिन्न धाराओं से सम्बन्धित होने के कारण अभियोक्त्री बालिका के सम्मान की सुरक्षा के कारणों से, इस निर्णय में अभियोक्त्री का नाम वर्णित नहीं किया जाकर उसके स्थान पर अभियोक्त्री को पीड़िता "सु" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2— अभियोजन कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादिया "सु" द्वारा पुलिस थाना, कमला मार्केट, सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली में प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20-08-2013 को रात्रि में 2.45 ए.एम. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 0/2013 अन्तर्गत धारा 342/376/354-ए/506/509/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं 26/26 जे. जे. एक्ट एवं धारा 8 पोक्सो अधिनियम दर्ज हुई।

3— यह तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि परिवादिया "सु" सन्त श्री आसाराम गुरुकुल, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) में क्लास 12th में पढ़ती है। वह अपने परिवार पापा श्री कर्मवीरसिंह, मम्मी श्रीमती सुनीतासिंह, बड़े भाई सोमवीरसिंह व छोटे भाई यशवीरसिंह के साथ रहती है। अचानक एक दिन उसे चक्कर आया तो उसकी होस्टल वार्डन शिल्पी ने बताया कि उसके ऊपर भूत प्रेतों का साया है। वे बापू आसाराम से इस बारे में बात करेंगे। दिनांक 7-8-2013 को शिल्पी ने उसके घर फोन लगा कर कहा कि "सु" की तबियत ठीक नहीं है, उसे किसी बड़े शहर में ले जाकर इलाज करवाओ। दिनांक 8-8-2013 को रात 10 से 11 बजे के बीच उसके मां पापा गुरुकुल में पहुंच गये जिनसे परिवादिया की फोन पर बात हुई थी। दिनांक 9-8-2013 की सुबह मां पापा गर्ल्स होस्टल में लेने आये तब शिल्पी से उनकी बात हुई। शिल्पी ने कहा कि परिवादिया के ऊपर भूत प्रेतों का साया है, जिस बारे में उन्होंने बापू को बता दिया है और उन्होंने "सु" को बुलाया है। शिल्पी ने कहा कि बापू जहां भी हैं, जल्दी उनके पास लेकर जाओ। दिनांक 9-8-2013 को परिवादिया अपने घर शाहजहांपुर पहुंच गई तब पापा ने पता किया कि बापू कहां हैं तो पता चला कि वे दिनांक 12-8-2013 को दिल्ली आयेंगे। दिनांक

(4)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

13-8-2013 को दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि वे जोधपुर (राजस्थान) में हैं। तब बापू की सेवा में रहने वाले शिवा ने कहा कि तुम जल्दी जोधपुर आ जाओ। जोधपुर के आगे मणही गांव के पास जहां बापू आये हुए थे, वहां पहुंचे तो गेट बन्द था और सभी साधक बाहर खड़े थे तब पापा ने फोन से शिवा से बात की, उन्होंने गेट खुलवा दिया, अन्दर गये तो बापू कुर्सी पर बैठ कर सत्संग कर रहे थे, वहां जाकर हम भी बैठ गये। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा कि तुम कहां से आये हो तो परिवादिया ने बताया कि वह गुरुकुल में पढ़ती है तो उन्होंने कहा कि भूत निकालेंगे। फिर आध्यात्म और Future से सम्बन्धित बातें की। फिर बापू ने अपने एक सेवक को भेज कर तीनों को स्वयं के पास बुलाया, फिर अपनी कुटिया दिखाई और प्रसाद देकर आराम करने को भेज दिया। परिवादिया और उसके परिवारजन, उनके द्वारा दिये गये रूम में रुके। अगले दिन दिनांक 15-8-2013 को भी खाना भिजवाया व सत्संग प्रवचन किया। उस रात बापू ने उन्हें कुटिया में बुलाया, गये तो बापू ने पहले तो परिवादिया के पापा मम्मी से बात की, फिर उन्हें गेट के पास बिठा दिया और कहा कि यहां बैठ कर जप करो, ध्यान करो व थोड़ी देर में चले जाना और बापू ने परिवादिया को पीछे चबूतरे पर बिठा दिया। फिर उसे दूध दिया और पीने के बाद बापू ने मां पापा को जाने के लिये कहा और वे गये नहीं। थोड़ी देर में पापा चले गये पर मम्मी वहीं बैठी रही। बापू सामने के दरवाजे से अपने रूम में गये और थोड़ी देर बाद उसने रूम की लाईट बन्द कर दी और पीछे के दरवाजे से परिवादिया को अन्दर बुलाया। अन्दर गई तो अपने पास बिठाया व बातें करने लगे। फिर कहा कि अपने मां बाप को देख कर आओ कि वे क्या कर रहे हैं। जब उसने बताया कि मां बैठी है और पापा चले गये तो उसने रूम लॉक कर दिया और परिवादिया के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। वह चिल्लाने लगी तो कहा कि उसके मां बाप को मरवा देगा और उसे डरा धमका कर मुंह बन्द कर दिया और Kiss किया, गलत स्पर्श किया, पूरे शरीर पर अपने हाथ को फेरा। फिर जबरदस्ती उसे हर जगह Kiss किया और अपना लिंग चूसने को कहा। जबरदस्ती कपड़े उतारने लगा। परिवादिया रोने लगी, चिल्लाने लगी तो उसने मुंह दबा कर बन्द कर दिया। करीब एक से डेढ़ घन्टे तक उसने परिवादिया के

(5)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

साथ छेड़छाड़ की। रूम के बाहर उसके दो या तीन सेवक भी थे। जब परिवादिया बाहर गई तो उसने धमकी दी व कहा कि इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर वह वापस अपनी मां के साथ जिस रूम पर रूके थे, वहां पर आ गई। दिनांक 16-8-2013 को बापू वहां से दिल्ली के लिये निकल गया और वे अपने घर आ गये। जाने से पहले बापू ने उसके पापा से कहा कि इसे अभी अहमदाबाद भेज दो, वहां 7-8 दिन तक यह अनुष्ठान करेगी, फिर इसे मैं छिन्दवाड़ा पहुंचवा दूंगा, पर इस घटना के बाद परिवादिया वहां नहीं गई और घर पहुंच कर अपने मां बाप को पूरी बात बता दी। आसाराम बापू जी, शिल्पी वार्डन तथा शिवा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

4- अभियोजन कहानी के मुताबिक उक्त तहरीरी रिपोर्ट पुष्पलता ए.एस.आई., पुलिस थाना कमला मार्केट, दिल्ली के समक्ष पेश हुई थी, जिसने तहरीरी रिपोर्ट पेश होने के पश्चात परिवादिया "सु" का लोकनायक अस्पताल से मेडिकल मुआयना करवाया। तत्पश्चात् थाने में आकर उक्त तहरीरी रिपोर्ट डियूटी आफिसर के समक्ष पेश की, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-0/2013 दर्ज रजिस्टर की। तत्पश्चात परिवादिया की एनजीओ कार्याकर्ता से काउन्सलिंग करवाई गई एवं उसके बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध करवाये गये। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण जोधपुर (राजस्थान) न्यायक्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण परिवादिया व उसके माता पिता को जाबते के साथ जोधपुर भेजा गया। जहाँ पुलिस थाना महिला (पश्चिम) जोधपुर में दिनांक 21-8-2013 को 6.15 पी. एम. पर प्रकरण संख्या 122 दिनांक 21-8-2013 अन्तर्गत धारा 342, 376, 354-ए, 506, 509/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 23, 26 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम एवं धारा 8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 दर्ज कर अनुसंधान सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम), जोधपुर के हवाले किया गया।

5- बाद अनुसन्धान धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसन्धान जारी रखते हुए अभियुक्तगण आसाराम के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 370 (4), 342, 354-ए, 376 (2) (एफ), 376 (बी), 506, 509/34,

(6)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 23 व 26 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम एवं धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6, 8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, तथा सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी, शरदचन्द्र के विरुद्ध धारा 342, 354-ए, 370 (4), 376 (2) (एफ), 376 (डी), 506, 509/34, 109/120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 23 व 26 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम एवं धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा प्रकाश व शिवा उर्फ सवारामा हेठवाड़िया के विरुद्ध धारा 370 (4), 342, 354-ए, 376 (2) (एफ), 376 (डी), 506, 509/34, 109, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। जहां उक्त धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लियं प्रसंज्ञान लिया गया।

6- दिनांक 14-12-2016 के आदेश से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08-12-2016 के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर सामान्य/टी.आर.सी/37/2016 दिनांक 14-12-2016 की अनुपालना में इस न्यायालय को प्रकरण अन्तरित करके भेजा गया है, जो इस न्यायालय में दिनांक 16-12-2016 को प्राप्त हो कर दर्ज हुआ है।

7- इस प्रकरण के अभिलेख से प्रकट है कि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला द्वारा बहस आरोप सुन कर आदेश दिनांक 7-2-2014 के द्वारा अभियुक्त आसाराम उर्फ आशुमल के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 370 (4), 342, 354-ए, 376 (2) (एफ), 376-डी, 506, 509, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम एवं धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6 तथा 7/8 PocsO Act (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) एवं अभियुक्तगण सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 342/34 354-ए/34 370 (4), 376 (2) (एफ) सपठित धारा 120-बी/109,

(7)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

376-डी, 506/34 509/34 तथा धारा 109/120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम एवं धारा 5(एफ)/6 सपठित धारा 17, 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अभियुक्त प्रकाश एवं शिवा उर्फ सवाराम के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 370 (4), 342/34 354-ए/34 376 (2) (एफ) सपठित धारा 120-बी व 109, 376-डी, 506/34, 509/34, 109/120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) के लिए आरोप विरचित कर सुनाये जाने के आदेश दिये एवं अभियुक्त आशाराम, शिल्पी व शरदचन्द को धारा 26 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से उन्मोचित किया गया।

8- उक्त आदेशानुसार अभियुक्तगण को आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझ कर आरोप अस्वीकार किये तथा अन्वीक्षा चाही।

9- अभियोजन पक्ष की ओर से पी. डब्ल्यू. 1 श्रीमती पुष्पलता, पी. डब्ल्यू. 2 निरपालसिंह, पी. डब्ल्यू. 3 डा. शैलजा, पी. डब्ल्यू. 4 डा. राजेन्द्रसिंह, पी. डब्ल्यू. 5 "सु" (पीड़िता बालिका), पी. डब्ल्यू. 6 रणजीत, पी. डब्ल्यू. 7 किरण झा ठाकुर, पी. डब्ल्यू. 8 डा. शुभकरण, पी. डब्ल्यू. 9 डा. महावीर कुमार छाबड़ा, पी. डब्ल्यू. 10 डा. अरविन्द जैन, पी. डब्ल्यू. 11 कृपालसिंह, पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह, पी. डब्ल्यू. 13 ओमाराम, पी. डब्ल्यू. 14 रमेशचन्द्र, पी. डब्ल्यू. 15 खुशालराम, पी. डब्ल्यू. 16 संदीप कुमार, पी. डब्ल्यू. 17 प्रेमराम, पी. डब्ल्यू. 18 जितेन्द्रसिंह, पी. डब्ल्यू. 19 राहुल के. सचान, पी. डब्ल्यू. 20 अरविन्द वाजपेई, पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह, पी. डब्ल्यू. 22 रामकिशोर उर्फ किशोर, पी. डब्ल्यू. 23 महेन्द्रसिंह, पी. डब्ल्यू. 24 ज्ञानसिंह भदौरिया, पी. डब्ल्यू. 25 पुखदास, पी. डब्ल्यू. 26 महेन्द्रसिंह, पी. डब्ल्यू. 27 सत्यप्रकाश, पी. डब्ल्यू. 28 मोतीराम, पी. डब्ल्यू. 29 पप्पाराम, पी. डब्ल्यू. 30 रामदेव, पी. डब्ल्यू. 31 देवेन्द्र पंवार, पी. डब्ल्यू. 32 नितिन भल्ला, पी. डब्ल्यू. 33 विवेक शर्मा, पी. डब्ल्यू. 34 सुशील, पी.

(8)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

डब्ल्यू. 35 नितिन दवे, पी. डब्ल्यू. 36 नेहा तोतलानी, पी. डब्ल्यू. 37 श्रीराम कश्यप, पी. डब्ल्यू. 38 बाबूसिंह, पी. डब्ल्यू. 39 अजय कुमार, पी. डब्ल्यू. 40 उदय, पी. डब्ल्यू. 41 मुक्ता पारीक, पी. डब्ल्यू. 42 सुधा बेन, पी. डब्ल्यू. 43 श्रीमती चंचल मिश्रा (अनुसन्धान अधिकारी), पी. डब्ल्यू. 44 विनय कुमार शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं।

10— अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये :-

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
1—	Exp-1	लोक नायक चिकित्सालय नई दिल्ली पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट	19.03.14	1
2—	Exp-2	पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट	19.03.14	1
3—	Exp-3	पीडिता की निदान विधि चोट प्रतिवेदन	19.03.14	1
4—	Exp-4	पीडिता द्वारा लिखित रिपोर्ट	19.03.14	3
5—	Exp-5	धारा 164 सीआर.पी.सी. के साक्ष्य लेखबद्ध करने हेतु पत्र	19.03.14	1
6—	Exp-6	धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयान उपलब्ध कराने हेतु पत्र	19.03.14	1
7—	Exp-7	पीडिता के धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयान	19.03.14	4
8—	Exp-8A	मूल थाने की देनंदिनी (आर्टिकल-1 रजि. में संलग्न)	19.03.14	1
9—	Exp-8A	सूचना एवं रवानगी रिपोर्ट (सत्यप्रतिलिपि)	19.03.14	1
10—	Exp-9	पुलिस थाना कमला मार्केट थाने के रजि. सं.-2 की देनंदिनी (फोटो प्रति) मूल आर्टिकल-1 रजिस्टर में अंकित है।	19.03.14	1
11—	Exp-9A	वापसी और सूचना रिपोर्ट (सत्यप्रतिलिपि)	19.03.14	1
12—	Exp-10	पुलिस थाना कमला मार्केट थाने की दैनंदिनी रजिस्टर की फोटो प्रति, मूल आर्टिकल-1 रजिस्टर में अंकित है।	19.03.14	1
13—	Exp-10A	सूचना आमद सूचना पत्र प्र. 1/13 सत्य	19.03.14	1

(9)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
		प्रतिलिपि		
14-	Exp-11	चाक एफ.आई.आर. दि. 20-8-2013 आर्टिकल-2 एफआईआर रजिस्टर में अंकित है।	20.03.14	3
15-	Exp-11A	चाक एफ.आई.आर. 20.08.13	20.03.14	4
16-	Exp-11B	चाक एफ.आई.आर. की प्रति, 20.08.13	24.03.15	4
17-	Exp-12	पीडिता की जांच रिपोर्ट, लोक नायक चिकित्सालय, नई दिल्ली,	04.04.14	1
18-	Exp-13	घटनास्थल का नक्शा मौका व फर्द हालात मौका	15.04.14	5
19-	Exp-14	घटनास्थल का नक्शा मौका	15.04.14	2
20-	Exp-15	पीडिता द्वारा लिखित पत्र, पुलिस आयुक्त, जोधपुर को	15.04.15	1
21-	Exp-16	आशाराम के आश्रम का फोटो	21.04.14	1
22-	Exp-17	आश्रम की कुटिया का रास्ता	21.04.14	1
23-	Exp-18	मार्क 14 घटनास्थल का फोटो	21.04.14	1
24-	Exp-19	मार्क 15, कुटिया के बाहर का फोटो	21.04.14	1
25-	Exp-20	मार्क 15 से 17, आश्रम का फोटो	21.04.14	1
26-	Exp-21	मार्क 16, बाथरूम का गेट का फोटो	21.04.14	1
27-	Exp-22	बाथरूम का फोटो, मार्क "ए"	21.04.14	1
28-	Exp-23	मार्क 'ए' बाथरूम का फोटो	21.04.14	1
29-	Exp-24	आश्रम का फोटो मार्क 17	21.04.14	1
30-	Exp-25	मार्क 19 बेडरूम का फोटो	21.04.14	1
31-	Exp-26	मार्क 17 से 19 फोटो	21.04.14	1
32-	Exp-27	मार्क एफ खड़ाऊ का फोटो	21.04.14	1
33-	Exp-28	मार्क 4 आशाराम का फोटो	21.04.14	1
34-	Exp-29	मार्क एच (मार्क 1) खिडकी का फोटो	21.04.14	1
35-	Exp-30	मार्क 'ई' ए. सी. का फोटो	21.04.14	1
36-	Exp-31	मार्क 17 'बी' गेट के पिछले दरवाजे की कुन्डी का फोटो	21.04.14	1

(10)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
37-	ExP-32	मार्क 21 किचन का फोटो	21.04.14	1
38-	ExP-33	एम.डी.एम. चिकित्सा. के कार्या. आदेश की प्रति, सहा. पुलिस आयु.	07.02.14	1
39-	ExP-33A	एमडीएम चिकित्सा. के कार्या. आदेश की प्रति, डॉ. एम.के. छाबडा	08.07.14	2
40-	ExP-34	अभियुक्त आसाराम के सम्बन्ध में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट	18.07.14	1
41-	ExP-35	फर्द पेशकर्ता मोबाईल, दो सिम द्वारा उदय सांगाणी	26.04.14	1
42-	ExP-36	फर्द पेशकर्ता मोबाईल रिलायन्स, बेटरी व सिम	01.10.14	1
43-	ExP-37	मालखाना रजिस्टर	01.10.14	5
44-	ExP-37/1	मालखाना रजिस्टर (महिला पुलिस थाना पश्चिम, जोधपुर महानगर में संलग्न है) वर्ष 2013 व 2014	25.05.16	1
45-	ExP-37/2	मालखाना रजिस्टर (महिला पुलिस थाना पश्चिम, जोधपुर महानगर में संलग्न है) वर्ष 2013 व 2014	25.05.16	1
46-	ExP-37/3	मालखाना रजिस्टर (महिला पुलिस थाना पश्चिम, जोधपुर महानगर में संलग्न है) वर्ष 2013 व 2014	25.05.16	4
47-	ExP-38	फर्द डाउनलोड अभियुक्त शिवा	01.10.14	1
48-	ExP-39	एफ.एस.एल. प्राप्ति पावती	01.10.14	1
49-	ExP-40	एफ.एस.एल. रिपोर्ट, दिनांक 20.09.2013	01.10.14	2
50-	ExP-41	फर्द निरीक्षण डी.वी.डी.	01.10.14	1
51-	ExP-42	मालखाना प्रेषित करने की पत्र	02.12.14	2
52-	ExP-43	फर्द जब्ती अभियुक्ता सुश्री शिल्पी	02.12.14	1
53-	ExP-44	अभियुक्तगण के मोबाईल नम्बर की लिस्ट व कॉल डिटेल्	04.12.14	214
54-	ExP-45	पीडिता का मूल प्रवेश पत्र (जो सरस्वती शिशु मन्दिर प्रवेश फार्म वर्ष 2002-03 (4074-4217) में संलग्न है।	12.12.14	1
55-	ExP-45A	पीडिता का प्रवेश पत्र फोटो प्रति	06.12.14	1

(11)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
56-	Exp-46	पीडिता के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल, जो सरस्वती शिशु मन्दिर (शिशु पंजीकरण पंजी) वर्ष 2001-02 में संलग्न है।	12.12.14	1
57-	Exp-46B	पीडिता का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति	11.12.14	1
58-	Exp-47	पीडिता के जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र	06.11.14	1
59-	Exp-48	फोटो प्रति एफ.आई.आर., थाना सदर कोतवाली, शाहजहांपुर 220/13	09.12.14	1
60-	Exp-49	फोटो प्रति एफ.आई.आर., थाना स.कोत. शाहजहांपुर 293/13	09.12.14	1
61-	Exp-49	न्यायालय, शाहजहांपुर फोलियो (केवल नकल फीस के लिए)	09.12.14	1
62-	Exp-50	पीडिता की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (फोटो प्रति)	13.01.15	1
63-	Exp-51	पुलिस साक्ष्य श्री ज्ञानसिंह भदोरिया	09.02.15	1
64-	Exp-52	पुलिस साक्ष्य श्री रामकिशोर देवडा माली	13.02.15	3
65-	Exp-52	फर्द गिरफ्तारी/जामा तलाशी अभियुक्त आशाराम	08.12.15	1
66-	Exp-53	फर्द नजरी नक्शा मौका तस्दीक आशाराम	21.02.15	2
67-	Exp-54	फर्द मौका तस्दीक आशाराम	21.02.15	1
68-	Exp-55	फर्द पेशकर्ता दस्तावेज उदय	21.02.15	1
69-	Exp-56	फर्द पेशकर्ता रिकार्ड सुशील भाई	22.02.15	3
70-	Exp-57	फर्द पेशकर्ता रिकार्ड श्रीराम कश्यप	23.02.15	1
71-	Exp-58	फर्द पेशकर्ता पेशकर्ता रिकार्ड विवेक शर्मा	23.02.15	1
72-	Exp-59	फर्द जब्ती मोबाईल मय 10 सिम अभि. शरदचन्द्र	23.02.15	1
73-	Exp-60	फर्द जब्ती मोबाईल मय 10 सिम अभि. शरदचन्द्र	23.02.15	1
74-	Exp-61	फर्द जब्ती पेशकर्ता रिकार्ड सुश्री नेहा तोतलानी	23.02.15	7
75-	Exp-62	मूल मुख्यारनामा खास	23.02.15	3

(12)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
		आशाराम / शरदचन्द्र		
76-	Exp-63	बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आशाराम गुरुकुल द्वारा पारित रिसोल्यूशन	23.02.15	1
77-	Exp-64	बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आशाराम गुरुकुल द्वारा पारित रिसोल्यूशन	23.02.15	5
78-	Exp-65	पीडिता के स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र	23.02.15	1
79-	Exp-66	पीडिता का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	25.02.15	1
80-	Exp-67	अभियुक्ता संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र	25.02.17	1
81-	Exp-68	अभियुक्त शिवा का गिरफ्तारी प्रपत्र	25.02.15	1
82-	Exp-69	फर्ड ट्रान्सक्रिप्शन पीडिता घटनास्थल निरीक्षण सत्यापन	24.02.15	1
83-	Exp-70	पीडिता की निशादेही से घटनास्थल की विडियोग्राफी	24.02.15	5
84-	Exp-71	फर्ड गिरफ्तारी अभियुक्त प्रकाश	24.02.15	2
85-	Exp-72	फर्ड गिरफ्तारी अभियुक्त शरदचन्द्र	24.02.15	2
86-	Exp-73	फर्ड खाना तलाशी रहवासीय स्थान अभि. प्रकाश	26.02.15	1
87-	Exp-74	फर्ड सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. अभियुक्ता संचिता	26.02.15	1
88-	Exp-75	पुलिस बयान देवेन्द्र पंवार	02.03.15	1
89-	Exp-76	पुलिस बयान नितिन भल्ला	04.03.15	1
90-	Exp-77A Articl-15	उप.पंजिका, संत श्री आशाराम गुरुकुल उ.मा.वि. छिन्दवाडा	11.03.15	8
91-	Exp-78A Articl-16	उप. रजि. की प्रमाणित प्रति	11.03.15	8
92-	Exp-79	भव्या शुक्ला का प्रवेश पत्र मूल	11.03.15	1
93-	Exp-80	शैलेश शुक्ला का पालक घोषणा पत्र मूल	11.03.15	1
94-	Exp-81	छात्रावास नियमावली	11.03.15	1
95-	Exp-82	पीडिता का बायोडेटा	11.03.15	1
96-	Exp-83	पीडिता की शैक्षणिक गतिविधियाँ	11.03.15	1
97-	Exp-84	पीडिता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु दिये दस्तावेजात् का अग्रेषण पत्र	11.03.15	1

(13)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
98-	ExP-85	पीड़िता के अवकाश हेतु आवेदन पत्र	19.03.15	1
99-	ExP-86	स्वयं भव्या शुक्ला द्वारा लिखित प्रा.पत्र	19.03.15	1
100-	ExP-87	शैलेश शुक्ला द्वारा अवकाश हेतु आवेदन	19.03.15	1
101-	ExP-88	थाना गांधीनगर द्वारा गुजराती में लिखा पत्र	22.03.15	7
102-	ExP-89	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	3
103-	ExP-90	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	2
104-	ExP-91	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	2
105-	ExP-92	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	2
106-	ExP-93	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	2
107-	ExP-94	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	2
108-	ExP-95	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	1
109-	ExP-96	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	2
110-	ExP-97	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	2
111-	ExP-98	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	1
112-	ExP-99	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	1
113-	ExP-100	अदलाज पुलिस स्टेशन, गांधीनगर द्वारा लिखित रिपोर्ट	27.03.15	2
114-	ExP-101	साबरती पुलिस, अहमदाबाद	22.03.15	2
115-	ExP-102	एफ. आई. आर. पुलिस थाना साबरमती	23.03.15	17
116-	ExP-103	साक्षी अजय कुमार के 164 सीआर.पी.सी के बयान	09.10.13	4

(14)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
117-	ExP-104	बालिका छात्रावास के कर्मचारियों की सूची	13.04.15	1
118-	ExP-105	छात्रावास अधीक्षक द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम, जो. महा. को लिखा पत्र	15.04.15	1
119-	ExP-106	एफ.आई.आर संख्या 122/13, महिला पुलिस थाना, जो. महा.	22.04.15	4
120-	ExP-107	पीडिता का हाई स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा फोटो प्रति	14.05.15	1
121-	ExP-107A	पीडिता का हाई स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा मूल	04.06.15	2
122-	ExP-108	पीडिता की 7वीं कक्षा की अंकतालिका मूल	01.06.15	1
123-	ExP-109	पीडिता की 8वीं कक्षा की मूल अंक सूची	01.06.15	1
124-	ExP-110	पीडिता की 9वीं कक्षा की अंक सूची मूल	01.06.15	1
125-	ExP-111	पीडिता की हाई स्कूल की अंकसूची फोटो प्रति	01.06.15	1
126-	ExP-112	पीडिता की 11 वीं कक्षा की प्रोग्रेस रिपोर्ट	01.06.15	2
127-	ExP-113	पीडिता के बाहरी भ्रमण की जानकारी	01.06.15	1
128-	ExP-114	पीडिता का अगस्त, 2013 में उपस्थिति का विवरण	01.06.15	1
129-	ExP-115	पीडिता की बीमारी से सम्बन्धित विवरण	01.06.15	1
130-	ExP-116	पीडिता की छिन्दवाड़ा की डॉक्टर जांच रिपोर्ट	01.06.15	2
131-	ExP-117	पुलिस बयान सुश्री सुधा बेन	08.07.15	2
132-	ExP-118	जगदीश माली की जमाबन्दी ग्राम मणार्ई, मण्डोर, जोधपुर	08.07.15	1
133-	ExP-119	नक्शा किश्तवार (लट्ठा ट्रेस) ग्राम मणार्ई, तह. जोधपुर	09.07.15	1
134-	ExP-120	जगदीश माली की खसरा गिरदावरी ग्राम मणार्ई	09.07.15	2
135-	ExP-121	फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधि. द्वारा आशाराम	10.07.15	1

(15)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
136-	ExP-122	फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधि. द्वारा शिवा	10.07.15	1
137-	ExP-123	फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधि. द्वारा प्रकाश	13.07.15	1
138-	ExP-124	फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधि. द्वारा शरदचन्द्र	15.07.15	1
139-	ExP-125	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता संचिता उर्फ शिल्पी	16.07.15	2
140-	ExP-126	वेबसाईट से प्राप्त आशाराम के आश्रम का पता	16.07.15	10
141-	ExP-127	रेलवे, जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र	17.02.15	1
142-	ExP-128	रिजर्वेशन चार्ट रेलवे जोधपुर द्वारा प्रेषित	13.07.15	1
143-	ExP-129	रिलायंस कम्पनी द्वारा प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध में सूचना	17.07.15	3
144-	ExP-130/1	अभियुक्त शिल्पी के मोबाईल की कॉल डिटेल	20.07.15	1
145-	ExP-130/2	मोबाईल नम्बर का विवरण	20.07.15	1
146-	ExP-130/3	मोबाईल नम्बर का विवरण	20.07.15	1
147-	ExP-130/4	मोबाईल नम्बर का विवरण	20.07.15	1
148-	ExP-131/1	अभियुक्त शिल्पी के मोबाईल की कॉल डिटेल	20.07.15	1
149-	ExP-131/2	मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल	20.07.15	1
150-	ExP-131/3	मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल	20.07.15	1
151-	ExP-131/4	मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल	20.07.15	1
152-	ExP-132/1	अभियुक्त शरद के मोबाईल की कॉल डिटेल	20.07.15	1
153-	ExP-132/2	मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल	20.07.15	1
154-	ExP-132/3	मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल	20.07.15	1
155-	ExP-132/4	मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल	20.07.15	1
156-	ExP-133/1	अभियुक्त शरद के मोबाईल की कॉल डिटेल	20.07.15	1
157-	ExP-133/2	मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल	20.07.15	1
158-	ExP-134/1	मोबाईल की कॉल डिटेल	21.07.15	1

(16)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
159-	ExP-134/2	मोबाईल की कॉल डिटेल	21.07.15	1
160-	ExP-134/3	मोबाईल की कॉल डिटेल	21.07.15	1
161-	ExP-134/4	मोबाईल की कॉल डिटेल	21.07.15	1
162-	ExP-135/1	कॉल डिटेल	21.07.15	1
163-	ExP-135/2	कॉल डिटेल	21.07.15	1
164-	ExP-135/3	कॉल डिटेल	21.07.15	1
165-	ExP-135/4	कॉल डिटेल	21.07.15	1
166-	ExP-135/5	कॉल डिटेल	21.07.15	1
167-	ExP-136/1	प्रकाश/आशाराम के मध्य हुई कॉल डिटेल	21.07.15	1
168-	ExP-136/2	कॉल डिटेल	21.07.15	1
169-	ExP-136/3	कॉल डिटेल	21.07.15	1
170-	ExP-136/4	कॉल डिटेल	21.07.15	1
171-	ExP-136/5	कॉल डिटेल	21.07.15	1
172-	ExP-136/6	कॉल डिटेल	21.07.15	1
173-	ExP-137/1	प्रकाश/आशाराम के मध्य हुई कॉल डिटेल	21.07.15	1
174-	ExP-137/2	कॉल डिटेल	21.07.15	1
175-	ExP-137/3	कॉल डिटेल	21.07.15	1
176-	ExP-137/4	कॉल डिटेल	21.07.15	1
177-	ExP-137/6	कॉल डिटेल	21.07.15	1
178-	ExP-138/1	अभियुक्त शिवा की कॉल डिटेल	21.07.15	1
179-	ExP-138/2	कॉल डिटेल	21.07.15	1
180-	ExP-138/3	कॉल डिटेल	21.07.15	1
181-	ExP-138/4	कॉल डिटेल	21.07.15	1
182-	ExP-138/5	कॉल डिटेल	21.07.15	1
183-	ExP-138/6	कॉल डिटेल	21.07.15	1
184-	ExP-138/7	कॉल डिटेल	21.07.15	1
185-	ExP-138/8	कॉल डिटेल	21.07.15	1

(17)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
186-	ExP-138/9	कॉल डिटेल	21.07.15	1
187-	ExP-138/10	कॉल डिटेल	21.07.15	1
188-	ExP-138/11	कॉल डिटेल	21.07.15	1
189-	ExP-138/12	कॉल डिटेल	21.07.15	1
190-	ExP-138/12	कॉल डिटेल	21.07.15	1
191-	ExP-138/13	कॉल डिटेल	21.07.15	1
192-	ExP-138/14	कॉल डिटेल	21.07.15	1
193-	ExP-138/15	कॉल डिटेल	21.07.15	1
194-	ExP-138/16	कॉल डिटेल	21.07.15	1
195-	ExP-138/17	कॉल डिटेल	21.07.15	1
196-	ExP-138/18	कॉल डिटेल	21.07.15	1
197-	ExP-139/1	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
198-	ExP-139/2	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
199-	ExP-139/3	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
200-	ExP-139/4	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
201-	ExP-139/5	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
202-	ExP-139/6	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
203-	ExP-139/7	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
204-	ExP-139/8	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
205-	ExP-139/9	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
206-	ExP-139/10	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच	21.07.15	1
207-	ExP-139/11	अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मोबाईल	21.07.15	1

(18)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श (Exp. No.) क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज प्रदर्शित होने की दिनांक	कुल पृष्ठ
		नम्बरों के मध्य बातचीत का स्केच		
208-	Exp-140	रिलायंस कम्पनी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र	01.03.16	1
209-	Exp-141	कॉल डिटेल	03.03.16	1
210-	Exp-142	कॉल डिटेल	04.03.16	5
211-	Exp-143	कॉल डिटेल	04.03.16	5
212-	Exp-144	कॉल डिटेल	04.03.16	26
213-	Exp-145	कॉल डिटेल	04.03.16	55
214-	Exp-146	कॉल डिटेल	04.04.16	185
215-	Exp-147	कॉल डिटेल	04.08.16	6
216-	Exp-148	कॉल डिटेल	04.03.16	21
217-	Exp-149	कॉल डिटेल के सम्बन्ध में ओथराईजेशन प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु	02.08.16	1
218-	Exp-150	पीडिता के स्कॉलर रजिस्टर की फोटो प्रति	23.01.17	1
219-	Exp-151	शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ द्वारा प्रेषित सूचना	23.01.17	2
220-	Exp-152	मेघा शर्मा की हाईस्कूल की अंक सूचि फोटो प्रति	24.01.17	1
221-	Exp-153	मेघा शर्मा का सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, 2014	24.01.17	1
222-	Exp-154	सोमवीरसिंह की प्रोग्रेस रिपोर्ट	08.02.17	6
223-	Exp-155-A	सोमवीरसिंह का एडमिशन फार्म	08.02.17	2
224-	Exp-156	सोमवीरसिंह की प्रोग्रेस रिपोर्ट	08.02.17	6
225-	Exp-157	शुभम सक्सेना का स्कॉलर रजिस्टर एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र फार्म सं. 12	08.02.17	1
226-	Exp-158	कुमारी साना का स्कॉलर रजिस्टर एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र फार्म सं. 12	08.02.17	1
227-	Exp-159	प्रशस्ति की प्रोग्रेस रिपोर्ट	08.02.17	6
228-	Exp-160	प्रशस्ति की प्रोग्रेस रिपोर्ट	08.02.17	6
229-	Exp-161	सोमवीरसिंह द्वारा मतदाता पहचान पत्र में उम्र सही कराने हेतु प्रार्थना पत्र	09.10.17	2

(19)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

11- अभियोजन पक्ष की ओर से भैतिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित आर्टिकल्स साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित करवाये गये हैं :-

क्र. सं.	आर्टिकल क्रमांक	आर्टिकल विवरण
1-	आर्टिकल-1	रजिस्टर संख्या-2-थाने की देनंदिनी, थाना कमला मार्केट, जिला सेन्ट्रल जिसमें प्रदर्श पी-8ए दिनांक 19.03.14, प्रदर्श पी-9 दिनांक 19.03.14 एवं प्रदर्श पी-10 दिनांक 19-03-14 अंकित किए हुए है।
2-	आर्टिकल-2	प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कमला मार्केट, जिला सेन्ट्रल वर्ष 2011-13 जिसमें प्रदर्श पी-11 दिनांक 20-03-2014 अंकित है।
3-	आर्टिकल-3 दिनांक 02-04-14	महिला सहायता डेस्क 2013 पीएस कमला मार्केट जिसमें प्रदर्श डी-1 दिनांक 02-04-2014 अंकित किया हुआ है।
4-	आर्टिकल-4	सैमसंग मोबाईल प्रदर्श पी-35
5-	आर्टिकल-5	रिलायन्स एलजी मोबाईल प्रदर्श पी-35
6-	आर्टिकल-6	मोबाईल कार्बन कम्पनी का सफेद रंग प्रदर्श पी-36
7-	आर्टिकल-7	नोकिया मोबाईल सिम
8-	आर्टिकल-8	मोबाईल ब्लैक कलर वर्जन कम्पनी जिसमें सिम नम्बर 09321-344965
9-	आर्टिकल-9	सी. डी.
10-	आर्टिकल-10 से 14	डी. वी. डी. संख्या 5
11-	आर्टिकल-15	दिनांक 21-08-13 को महिला थाना पश्चिम में पीड़िता के बयानों की विडियोग्राफी की डी.वी.डी.
12-	आर्टिकल-15	उपस्थिति रजिस्टर 12वीं कक्षा आसाराम गुरुकुल
13-	आर्टिकल-16	सीलचेपा सी. डी. बाद ट्रांसक्रिप्शन पीड़िता द्वारा घटनास्थल निरीक्षण से पूर्व बताये विवरण की विडियोग्राफी रिकोर्डिंग।
14-	आर्टिकल-16	उपस्थिति रजिस्टर 11वीं कक्षा आसाराम गुरुकुल
15-	आर्टिकल-17	रजिस्टर, बालिका छात्रावास, छिन्दवाडा (म.प्र.)

(20)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र. सं.	आर्टिकल क्रमांक	आर्टिकल विवरण
16-	आर्टिकल-18	परिचय पुस्तिका, आशाराम गुरुकुल बालक छात्रावास, मुख्य द्वार दिनांक 16-12-12
17-	आर्टिकल-19	बालिका छात्रावास मेडिकल रजि. आशाराम गुरुकुल छिन्दवाडा।
18-	आर्टिकल-20	मोबाईल सैमसंग रिलायन्स, सिम + बैटरी
19-	आर्टिकल-21 से 28	आठ रिलायन्स सिम
20-	आर्टिकल-29	सिम एयरटेल
21-	आर्टिकल-30	सिम डोकोमो

12- अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। समस्त अभियुक्तगण ने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य में आई परिस्थितियों को गलत बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश करनी चाही।

13- दिनांक 04-10-2016 को अभियुक्त आशाराम उर्फ आशुमल ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह कथन किया है कि अभियोजन के सभी गवाहान हितबद्ध है, जो उसके खिलाफ झूठे कथन करते हैं। उसको झूठा फंसाने व स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए पृथक से लिखित बयान प्रस्तुत करना कथन किया है। अभियुक्त आशाराम उर्फ आसूमल ने दिनांक 20-10-2016 को धारा 313 (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिखित बयान प्रस्तुत किया। उक्त लिखित बयान में इस आशय का कथन किया कि उसे इस मामले में एक षडयंत्र के तहत झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध परिवादिया व उसके माता-पिता, विनोद गुप्ता, पंकज दूबे, सतीश वाधवानी, राहुल सचान, देवेन्द्र प्रजापति, अमृत प्रजापति, महेन्द्र चावला, दीपक चौरसिया तथा उनके साथियों ने मिलकर सम्पत्ति हडपने एवं पचास करोड रूपया ब्लेकमेल द्वारा प्राप्त करने के लिए आपराधिक षडयंत्र रचा, झूठी मनगढंत कहानी बनायी एवं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए झूठी शहादत गढी, झूठा मुकदमा पेश कर झूठी निराधार गवाहियों न्यायालय में पेश की है। इस मामले के अन्वेषण अधिकारी के द्वारा फेयर अन्वेषण नहीं किया गया। उसकी निर्दोषिता सिद्ध करने वाले ठोस दस्तावेजी एवं मौखिक शहादत को विलोपित कर उसे जानबूझकर छिपाया एवं

(21)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उसे गम्भीर रूप से प्रभावित करने के लिए निष्पक्ष शहादत को न्यायालय के सामने नहीं आने दिया ताकि उसे सजा हो जाए। उसका व शक्ति ट्रस्ट, छिंदवाडा का संत श्री आसाराम जी गुरुकुल, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, बालक व बालिका छात्रावास छिंदवाडा से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसने कभी भी किसी भी मुलजिमान से मोबाईल पर बात नहीं की है। वह परिवारिया व उसके माता पिता को न ही जानता था और न ही पहचानता था और न ही उसने कभी उनसे बात की है। वह भगवान का भक्त है एवं ईश्वर के भजन में रत रहता है। भूत होते ही नहीं है। यह एक दूषित मानसिक वृत्ति है। उसका इससे कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा है। उसके विरुद्ध भूत का आरोप बदनियति पूर्ण है। उसने किसी भी महिला को माँ बेटे के रूप में देखा है। वह सभी प्राणियों के मंगल की कामना करता है। उसे सजा करवाने के लिए मीडिया द्वारा झूठा, बदनियति पूर्ण दूषित प्रचार किया जा रहा है ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो कर उसे येन केन प्रकारेण सजा हो सके। मीडिया ट्रायल, झूठा प्रचार-प्रसार इस मामले में नहीं हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 14.8.2013, 15.8.2013 एवं 16.8.2013 को मणई गांव, जोधपुर में उसके कमरे में परिवारिया व उसके माता पिता नहीं आये थे। दिनांक 15-8-13 को सत्संग शाम को देर से प्रारम्भ हुआ था, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, गुजरात, सुमेरपुर, पूना आदि स्थानों से लोग आये थे। सत्संग रात्रि को करीब 10.45 बजे तक चला उसके बाद सुमेरपुर व पूना से आये लडकी-लडके का सगाई-रोका का कार्यक्रम चला। बेहराना साहब की झांकी हुई थी जो रात्रि 11 बजे तक चली। रात्रि को करीब 11.30 बजे जो लोग बाहर से आये थे उससे विदा ले कर चले गए। वह रात को लगभग 12 बजे अपने कमरे में चला गया था। उसके कमरे में हमेशा प्रवेश निषेध था और रात्रि को उसके कमरे में कोई नहीं आया था। उसके खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं वह बदनियति पूर्ण है। वह विवाहित है। उसका एक पुत्र व पुत्री है। वह अपने निवास स्थान पर अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके खिलाफ लगाए गये सारे आरोप एक पूर्वरचित षड्यंत्र है। वह असत्य, मनगढंत एवं निराधार है। वह पूर्णतः निर्दोष है। अपने लिखित कथन में अभियुक्त आशाराम उर्फ आसुमल ने अपने बचाव में गवाहान

(22)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

को पेश करने का कथन किया है।

अभियुक्त प्रकाश एवं शरदचन्द ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों के दौरान यह कथन किया है कि 10-8-2013 से 16-8-2013 तक वह जोधपुर में मणई गांव में नहीं था, वह निर्दोष है झूठा केस लगाया है। उसने कोई अपराध नहीं किया, लिखित कथन पृथक से पेश कर दूंगा। हालांकि अभियुक्त प्रकाश व शरदचन्द ने कोई लिखित कथन पृथक से पेश नहीं किया है।

अभियुक्त शिल्पी उर्फ संचिता ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों के दौरान यह विशेष कथन किया है कि उसको झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। उसके द्वारा किसी को भूत का भय नहीं दिखाया गया है। वह स्वयं संत आशाराम, शिवा, प्रकाश को नहीं जानती है, न ही कभी उसकी उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई। लिखित कथन बाद में पेश कर देगी। हालांकि अभियुक्ता शिल्पी ने कोई लिखित कथन पृथक से पेश नहीं किया है।

अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों के दौरान यह कथन किया है कि दिनांक 10-8-2013 से 16-8-2013 तक वह जोधपुर व मणई गांव में नहीं था। वह निर्दोष है, झूठा केस लगाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया व उसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसे दिनांक 30-8-2013 से 02-09-2013 तक गैर कानूनी हिरासत में रखा, उसके साथ मारपीट की गई। उसे दिनांक 20-9-2013 को न्यायालय में प्रस्तुत किया, उसने न्यायालय में इस सम्बन्ध में प्रदर्श-डी-122 से प्रदर्श-डी-124 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की। उसका कोई मेडिकल नहीं करवाया गया। उससे कोई मोबाईल जब्त नहीं किया गया। मारपीट कर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

14- बचाव पक्ष की ओर से गवाह डी. डब्ल्यू. 1 चारूल अरोड़ा, डी. डब्ल्यू. 2 चनणाराम कुमावत, डी. डब्ल्यू. 3 अर्जुन कुमार टेकवानी, डी. डब्ल्यू. 4 सुशीला चेलानी, डी. डब्ल्यू. 5 जया कामत, डी. डब्ल्यू. 6 विशनाराम उर्फ विष्णु, डी. डब्ल्यू. 7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू. 8 कुमारी प्रियासिंह, डी. डब्ल्यू. 9 कुमारी

(23)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रीना, डी. डब्ल्यू. 10 श्रीमती मनीषा, डी. डब्ल्यू. 11 विद्या, डी. डब्ल्यू. 12 संगीता गर्ग उर्फ गुडिया, डी. डब्ल्यू. 13 योगेश भाटी, डी. डब्ल्यू. 14 मदनसिंह, डी. डब्ल्यू. 15 राममेहरसिंह, डी. डब्ल्यू. 16 आंचल कुमावत, डी. डब्ल्यू. 17 संजय, डी. डब्ल्यू. 18 राकेश कुमार सिंह, डी. डब्ल्यू. 19 जिज्ञासा भावसार, डी. डब्ल्यू. 20 शिल्पा अग्रवाल, डी. डब्ल्यू. 21 बृजेन्द्र शर्मा, डी. डब्ल्यू. 22 विक्रान्त शर्मा, डी. डब्ल्यू. 23 पूजा देवी, डी. डब्ल्यू. 24 सुरेश कुमार, डी. डब्ल्यू. 25 रामवचन, डी. डब्ल्यू. 26 उदयसिंह, डी. डब्ल्यू. 27 अंग्रेजसिंह, डी. डब्ल्यू. 28 डा. अमित कुमार, डी. डब्ल्यू. 29 सुरेश शर्मा, डी. डब्ल्यू. 30 विनय प्रकाश एवं डी. डब्ल्यू. 31 दीपक गण्डोतरा के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

15— बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये :-

Document	ExD	Document	ExD
महिला सहायता डेस्क रजिस्टर की प्रविष्टि	ExD-1	पीड़िता "सु" के पुलिस बयान	ExD-2
पीड़िता "सु" सिंह द्वारा लिखित प्रा.पत्र	ExD-3	किरण झा ठाकुर द्वारा लिखित रिपोर्ट	ExD-4
विधानसभा, शाहजहांपुर की वोटर लिस्ट	ExD-5	कु. शुभमदेवी का प्रवेश पत्र, मुमुक्षु आश्रम (फोटो प्रति)	ExD-6
कु. शुभमदेवी का प्रवेश पत्र मूल	ExD-6A	कु. शुभमदेवी का रजिस्ट्रेशन फार्म की फोटो प्रति	ExD-7
कु. शुभमदेवी का रजिस्ट्रेशन फार्म मूल	ExD-7A	कु. शुभमदेवी का अंतरण प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति	ExD-8
पीड़िता का स्कोलर रजि. एवं अंतरण प्रमाण पत्र फार्म	ExD-8A		
कु. शुभमदेवी का अंतरण प्र. पत्र प्रति	ExD-8B	करमवीर सिंह का शपथ पत्र	ExD-9A
करमवीर सिंह का शपथ पत्र प्र.प्रतिलिपि	ExD-9	करमवीर सिंह द्वारा दिया गया शपथ पत्र	ExD-10
करमवीर सिंह का मूल शपथ पत्र	ExD-10A	करमवीर सिंह के शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति	ExD-11
करमवीर सिंह का मूल शपथ पत्र	ExD-11A	करमीवर सिंह का सत्यापन प्रमाणित प्रति	ExD-12
करमवीर सिंह का मूल	ExD-	शपथ पत्र की सत्यापित प्रति	ExD-13

(24)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सत्यापन	12A		
मूल स्टाम्प पेपर करमवीर सिंह का	ExD-13A	तीस हजारी कोर्ट में प्रस्तुत एफ. आई. आर. सं. 121/2013 पी. एस. कमला मार्केट की प्रमाणित प्रतिलिपि	ExD-14
पुलिस बयान श्रीमती पुष्पलता	ExD-15	जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि कर्णवीर	ExD-16
जन्म प्रमाण पत्र कर्णवीर का	ExD-16A	रजि. जन्म (वर्ष 1990) जिला पानीपत, थाना समालखा	ExD-16B
पुलिस बयान श्रीमती सुनीतासिंह	ExD-17		
पीड़िता "सु" का अवकाश आवेदन पत्र	ExD-18	पूजा करने का फोटो	ExD-19
परिवहन अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र	ExD-20	असल दस्तावेज प्रेषित करने हेतू पत्र	ExD-20A
सत्संग करते आशाराम की फोटो	ExD-21	सत्संग करने आशाराम की फोटो	ExD-22
सत्संग करते एवं परिवादिया की फोटो	ExD-23	सत्संग करते हुए का फोटो	ExD-24
परिवादिया और उसकी माता का फोटो	ExD-25	सत्संग करते आशाराम का फोटो	ExD-26
सत्संग करते आशाराम का फोटो	ExD-26A	सुनीता देवी का फार्म	ExD-27
कर्मवीर सिंह का फार्म	ExD-28	सोमवीरसिंह का फार्म	ExD-29
बबीता देवी का फार्म	ExD-30	सुजाता दहिया का फार्म	ExD-31
पुरस्कार प्रदान करते हुए का फोटो	ExD-32	पुरस्कार प्रदान करते हुए का फोटो	ExD-33
पुरस्कार प्रदान करते हुए का फोटो	ExD-34	मकान का फोटो मय कारें	ExD-35
सत्संग करते आशाराम का फोटो	ExD-36	आशाराम के मकान का फोटो	ExD-37
शिशु केन्द्र उपस्थिति रजि. की फोटो	ExD-38	टीकारण रजि. 1998 से 1995	ExD-38A
सर्वे/टीकाकरण रजि. की फोटो प्रति	ExD-39	सर्वे रजिस्टर 2	ExD-39A
राशन कार्ड के लिए आ.पत्र की प्रति	ExD-40	असल दस्तावेज तलब करने का प्रा.पत्र	ExD-40A
मूल राशन कार्ड आ.पत्र रामदिया	ExD-40A	उप.रजि. की फोटो प्रति	ExD-41
पीड़िता "सु" का मूल	ExD-42	सत्संग करते आसाराम का	ExD-43

(25)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

एफआईसी फार्म		फोटोग्राफ	
राशन कार्ड के लिए मूल आ. पत्र की रंगीन प्रति	ExD-44	फर्द तलाशी संचिता फोटो प्रति	ExD-45
साक्षी अरविन्द वाजपेयी की पुलिस साक्ष्य	ExD-46	यशवीर सिंह का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	ExD-47
सरस्वति शिशु मन्दिर, शिशु पंजीकरण एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र 'तृप्ति गुप्ता'	ExD-48	सरस्वति शिशु मन्दिर, शिशु पंजीकरण एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र 'गौरव'	ExD-49
कु. रुचि वान्डेय का प्रवेश पत्र	ExD-50	रुचि पाण्डे का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र	ExD-51
साक्षी कुशलाराम जाट की साक्ष्य	ExD-52	सिविल जज हापुड के निर्णय की प्रमाणित प्रति	ExD-53
कर्मवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र	ExD-54	कर्मवीर सिंह के शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि	ExD-55
कर्मवीर सिंह के शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि	ExD-56	कृष्णकान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र	ExD-57
नगर पालिका, पिलखुवा, हापुड द्वारा अनुसंधान लिस्ट	ExD-57/1	कृष्णकान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र	ExD-58
वार्षिक आयकर गणना की लिस्ट	ExD-58/1	मूल शपथ पत्र कृष्णकान्त द्वारा प्रदत्त	ExD-59
वार्षिक आयकर गणना की सत्यप्रति	ExD-59/1	चौधरी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का फोटो	ExD-60
लक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का फोटो	ExD-61	मूल स्टाम्प मय सम्पत्ति विवरण	ExD-62
जमानत नामा कर्मवीर सिंह फोटो प्रति	ExD-63	फोटो प्रति जमानत नामा कर्मवीरसिंह का	ExD-64
फोटो प्रति जमानत नामा सोमवीरसिंह	ExD-65	फोटो प्रति शपथ पत्र करमवीर सिंह	ExD-66
फोटो प्रति शपथ पत्र सोमवीर सिंह	ExD-67	करमवीर सिंह के शपथ पत्र की फोटो प्रति	ExD-68
सोमवीर के चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप	ExD-69	करमवीर सिंह के वोटर लिस्ट की फोटो प्रति	ExD-70
सेशन जल, गाजियाबाद का आदेश	ExD-71	आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, गाजियाबाद	ExD-72
सत्यप्रतिलिपि आदेश प्रकीर्ण बाद में	ExD-73	वोटर लिस्ट करमवीर सिंह की	ExD-74
सूचना अधिकार के तहत प्रा. पत्र	ExD-75	विकास प्रबोधक चार्टों का रजिस्टर	ExD-75
मतदान सूची की प्रमाणित नकल	ExD-76	मतदान सूची की प्रमाणित नकल करमवीर	ExD-77

(26)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मतदान सूची की प्रमाणित नकल	ExD-78	धर्मवीर सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र	ExD-79
धर्मवीरसिंह मृत्यु के सम्बन्ध में डॉक्टर रिपोर्ट	ExD-80	राशन कार्ड का पूर्ण विवरण	ExD-81
सदस्यों का पूर्ण विवरण	ExD-81/1	पुलिस बयान कर्मवीरसिंह	ExD-82
समिति सदस्य विवरण वेदान्त सेवा	ExD-83	फोटोग्राफ	ExD-84
फोटोग्राफ	ExD-85	फोटोग्राफ	ExD-86
पुलिस बयान महेन्द्रसिंह	ExD-87	परिवाद वेद वेदान्त विरुद्ध महेन्द्र	ExD-88
चीफ न्यायिक मजि. गांधीनगर परिवाद	ExD-88A		ExD-88B
सम्मान समारोह की फोटो	ExD-89	दिस. 12 सोमवार, छिन्दवाडा की फोटो	ExD-90
फल मिठाई उठाते हुए का फोटो	ExD-91	उत्पत्ति एकादशी का फोटो	ExD-92
उत्पत्ति एकादशी का फोटो	ExD-93	पुलिस बयान अजय कुमार	ExD-94
पुलिस बयान राहुल के. सचान	ExD-95	एन.जी.ओ. बाबत् सूचना अन्तर्गत आरटीआई एक्ट	ExD-96/1
पीआईओ द्वारा प्रेषित सूचना सीकिंग	ExD-96/2	एनजीओ की पूर्ण सूचना जिला आरसीआईसीएस	ExD-96/3
शरतचन्द्र का डाईविंग लाईसेंस	ExD-97	एनडीपीएस न्यायालय, सीकर का निर्णय	ExD-98
शैलेश कुमार द्वारा लिखित शपथ पत्र व पत्रों की फोटो प्रति	ExD-99	ऑनलाईन वेदर रिपोर्ट	ExD-100/1
ऑनलाईन वेदर रिपोर्ट दिनांक 12.08.13	ExD-100/2	ऑनलाईन वेदर रिपोर्ट दिनांक 13.08.13	ExD-100/3
ऑनलाईन वेदर रिपोर्ट दिनांक 14.08.13	ExD-100/4	ऑनलाईन वेदर रिपोर्ट दिनांक 15.08.13	ExD-100/5
मथानिया, जोधपुर, राज. का नेट नक्शा	ExD-100/6	मनाई, जोधपुर राज. का नेट नक्शा	ExD-100/7
सूचना प्रेषित करने के सम्बन्ध में	ExD-101	रोजनामचा आम की फोटो प्रति 21.08.13	ExD-102
थाना सूरसागर, जोधपुर का रोजनामचा आम 21.08.13	ExD-102A	रोजनामचा आम की फोटो प्रति	ExD-103
थाना सूरसागर, जो.का रोजनामचा आम	ExD-103A	रोजनामचाप आम की फोटो प्रति 21.08.13	ExD-104
थाना सूरसागर, जो. का रोजनामचा आम दिनांक 21.	ExD-104A	एफआईआर की सूची की प्रति	ExD-105

(27)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

08.12			
रोजनामचा आम मूल प्रति	ExD-105A	मजमून रिपोर्ट की फोटो प्रति	ExD-106
रोजनामचा आम मूल प्रति	ExD-106A		
कॉल डिटेल 15.05.13	ExD-107/1	एसएमएस रिपोर्ट 20.05.13	ExD-107/2
एसएमएस रिपोर्ट 21.05.13	ExD-107/3	कॉल व एसएमएस रिपोर्ट 22.05.13	ExD-107/4
एसएमएस रिपोर्ट 22.05.13	ExD-107/5	कॉल व एसएमएस रिपोर्ट 23.05.13	ExD-107/6
एसएमएस रिपोर्ट प्रति	ExD-107/7	एसएमएस रिपोर्ट प्रति 24.05.13	ExD-107/8
एसएमएस रिपोर्ट प्रति	ExD-107/9	एसएमएस रिपोर्ट प्रति 26.05.13	ExD-107/10
एसएमएस व कॉल रिपोर्ट प्रति	ExD-107/11	एसएमएस व कॉल रिपोर्ट 08.06.13	ExD-107/12
कॉल डिटेल व एसएमएस	ExD-108/1	कॉल डिटेल व एसएमएस सूचना	ExD-108/2
कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/3	कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/4
कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/5	कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/6
कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/7	कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/8
कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/9	कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/10
कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/11	कॉल डिटेल व एसएमएस रिपोर्ट	ExD-108/12
कॉल डिटेल व समयावधि	ExD-109/1	कॉल डिटेल व समयावधि	ExD-109/2
कॉल डिटेल व समयावधि	ExD-109/3	कॉल डिटेल व समयावधि	ExD-109/4
कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/1	कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/2
कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/3	कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/4
कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/5	कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/6
कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/7	कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/8

(28)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/9	कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/10
कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/11	कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/12
कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/13	कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-110/14
कॉल डिटेल, समयावधि व पत्ता	ExD-111/1	डीवीडी की कॉपी	ExD-111/2
डीवीडी की कॉपी प्रति	ExD-111/3	डीवीडी की कॉपी प्रति	ExD-111/4
डीवीडी की कॉपी प्रति	ExD-111/5	न्यायालय की आदेशिका की प्रति	ExD-112/1
आदेशिका प्रति सेशन न्याया. जो.जिला	ExD-112/2	सेशन न्याया. जो. जिला की आदेशिका	ExD-112/3
सीजेएम, जम्मू सत्यप्रतिलिपि	ExD-113	प्रथम सूचना रिपोर्ट, जम्मू सत्यप्रतिलिपि	ExD-114
जांच रिपोर्ट केन्द्रिय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला	ExD-115	उर्दू में लिखित रिपोर्ट	ExD-116
उर्दू से हिन्दी में अनुवाद	ExD-116A	अध्यापक प्रार्थना फार्म पंकज दुबे	ExD-117
पंकज दुबे द्वारा सिम लेने के लिए भरा गया फार्म, रिलायंस	ExD-118	बन्धक/कोर्ट सरण्डर फार्म पंकज दुबे	ExD-119
जम्मू न्यायालय का आदेश	ExD-120	अति.जिला न्यायालय, जम्मू का आदेश 25.05.15	ExD-121
उर्दू से अंग्रेजी में रूपान्तरण पत्र	ExD-122	ट्रांसलेटर का प्रदत्त प्रमाण-पत्र	ExD-123
रिमाण्ड पेपर अभि. शिवा	ExD-124	154 सीआर.पी.सी. का प्रा.पत्र शवाराम	ExD-125
रिमाण्ड पेपर अभि. शिवा	ExD-126	अभि. शवाराम द्वारा पेश प्रा.पत्र मेडिकल	ExD-127
प्रकरण दर्ज करने हेतु तहरीर	ExD-128	मालखाना रजि. की फोटो प्रति	ExD-129
प्रदर्श में एन्ट्रीज नहीं होने का पत्र	ExD-130	एफआईआर नं.147/15, पालम विहार, गुडगांव	ExD-131
इन्टरनेट डाउनलोड कॉपी रिलायंस	ExD-132	पीडिता का फोटो	ExD-133
पीडिता का फोटो	ExD-134	पीडिता का फोटो	ExD-135
पीडिता का फोटो	ExD-136	पीडिता का फोटो	ExD-137
पीडिता का फोटो	ExD-138	पीडिता का फोटो	ExD-139

(29)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पीडिता का फोटो	ExD-140	पीडिता का फोटो	ExD-141
राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित संदेश	ExD-142	राष्ट्रपति के सचिव द्वारा प्रेषित पत्र	ExD-143
राष्ट्रपति के प्रेस सचिव द्वारा प्रेषित पत्र	ExD-144	राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित संदेश, एपीजे अ.कलाम साहब	ExD-145
उप-राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित पत्र	ExD-146	मुख्यमंत्री, राज. का संदेश	ExD-147
मुख्यमंत्री राज. जयपुर का संदेश	ExD-148	मुख्यमंत्री हरियाणा का संदेश	ExD-149
मुख्यमंत्री, म.प्र. का संदेश	ExD-150	राजभवन, देहरादूर का संदेश, सुदर्शन	ExD-151
राजभवन, देहरादून द्वारा प्रेषित पत्र	ExD-152	राजभवन, भोपाल का संदेश	ExD-153
राज्यमंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र	ExD-154	उद्योगमंत्री द्वारा प्रेषित पत्र	ExD-155
संजय कुमार के आधार की फोटो प्रति	ExD-156A	सोनल पटेल के आधार कार्ड की फोटो प्रति	ExD-157A
आशाराम की फोटो अन्य लोगों के साथ	ExD-158	आशाराम की फोटो अन्य लोगों के साथ	ExD-159
आशाराम की फोटो बालिकाओं के साथ	ExD-160	आशाराम की फोटो	ExD-161
आशाराम की फोटो महिला के साथ	ExD-162	आशाराम की फोटो महिला के साथ	ExD-163
न्यूज नेशन द्वारा प्रदत्त सूचना के सम्बन्ध में पत्र	ExD-164	आशाराम के एमएमएस का फोटो	ExD-165
आशाराम की फोटो	ExD-166	आशाराम की फोटो	ExD-167
आशाराम की कोर्ट में पेश सीडी का फोटो	ExD-168	सबूत के तौर पर पेश सीडी का फोटो	ExD-169
आशाराम की नई सीडी का फोटो	ExD-170	आशाराम की फोटो	ExD-171
संजय पटेल के पहचान पत्र की फोटो प्रति	ExD-172A	कुश्ती का फोटो मय आशाराम	ExD-173
आशाराम मय पहलवान की फोटो	ExD-174	आशाराम व अन्य लोगों की फोटो	ExD-175
आशाराम व अन्य लोगों की फोटो	ExD-176	पौधारोपण करते आशाराम की फोटो	ExD-177
पौधारोपण करते आशाराम की फोटो	ExD-178	जल सिंचते आशाराम का फोटो	ExD-179
आशाराम मय बालकों की फोटो	ExD-180	आशाराम की अन्य लोगो के साथ फोटो	ExD-181
आशाराम की फोटो	ExD-182	बच्ची के साथ आशाराम का फोटो	ExD-183

(30)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कार में सवार आशाराम की फोटो	ExD-184	फैक्स मैसेज 8.8.2008	ExD-185
गुजराती में लिखा पत्र	ExD-186	शिल्पा के नागपुर विश्वविद्यालय की अंकसूची	ExD-187A
शिल्पा अग्रवाल की एमए (होम साइंस) डिग्री की फोटो प्रति	ExD-188A	शिल्पा का पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा की फोटो प्रति	ExD-189A
पुणे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शिल्पा का डिप्लोमा प्रमाण-पत्र	ExD-190A	पुणे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शिल्पा का डिप्लोमा प्रमाण-पत्र	ExD-191A
शिल्पा अग्रवाल द्वारा आशाराम को पूछे गए प्रश्न-उत्तर	ExD-192	शिल्पा अग्रवाल द्वारा आशाराम को पूछे गए प्रश्न-उत्तर	ExD-193
शिल्पा अग्रवाल द्वारा आशाराम को पूछे गए प्रश्न-उत्तर	ExD-194	शिल्पा अग्रवाल द्वारा आशाराम को पूछे गए प्रश्न-उत्तर	ExD-195
शिल्पी द्वारा लिखा गया सांराक्ष	ExD-196	ब्रजेन्द्र शर्मा का प्रेस क्लब कार्ड की फोटो प्रति	ExD-197A
ब्रजेन्द्र शर्मा का ईवनिंग प्लस प्रेस कार्ड की फोटो प्रति	ExD-198A	वर्ल्ड सिटी प्रेस क्लब, जयपुर द्वारा प्रकाशित खबरची पुस्तिका	ExD-199
समाचार पत्र कटिंग आयु 122 वर्ष	ExD-200	समाचार पत्र कटिंग अब तो मार रही	ExD-201
समाचार पत्र कटिंग जहां छतों पर	ExD-202	परिवाद पत्र डिप्टी मजि. जम्मू (मूल)	ExD-203
परिवाद पत्र डिप्टी मजि.जम्मू प्रमाणित प्रति	ExD-203A	ब्रजबिहारी व विक्की के मध्य बातचीत की स्क्रिप्ट	ExD-204
ब्रजबिहारी व विक्की के मध्य बातचीत की स्क्रिप्ट की प्रमाणित प्रति	ExD-204A	उर्दू में लिखी लिखावट मूल	ExD-205
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-205A	उर्दू में लिखी लिखावट मूल	ExD-206
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-206A	उर्दू में लिखी लिखावट मूल	ExD-207A
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-207	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-208
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-209	उर्दू में लिखी लिखावट सत्यप्रतिलिपि	ExD-210A
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-210	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-211
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-212A	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-212

(31)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सत्यप्रतिलिपि			
उर्दू में लिखी लिखावट सत्यप्रतिलिपि	ExD-213A	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-213
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-214	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-215
उर्दू में लिखी लिखावट सत्यप्रतिलिपि	ExD-216A	उर्दू में लिखी लिखावट सत्यप्रतिलिपि	ExD-217A
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-217	उर्दू में लिखी लिखावट सत्यप्रतिलिपि	ExD-218A
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-218	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-219
उर्दू में लिखी लिखावट सत्यप्रतिलिपि	ExD-220A	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-220
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-221	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-222
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-223	उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-224
उर्दू में लिखी लिखावट फोटो प्रति	ExD-225		

16— बचाव पक्ष की ओर से अपनी साक्ष्य भौतिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित आर्टिकल्स प्रदर्शित करवाये गये हैं :-

क्र.सं.	आर्टिकल क्रमांक	आर्टिकल विवरण
1. फार्म नं. 3 के साथ	आर्टिकल डी-1	कोम्पेक्ट डिस्क छिन्दवाडा संत्संग सी.डी, दिनांक 25-03-2015
	आर्टिकल डी-2	कोम्पेक्ट डिस्क अहमदाबाद सत्संग सी.डी., दिनांक 25-03-2015
	आर्टिकल डी-3	कोम्पेक्ट डिस्क दिल्ली सत्संग सी.डी., 25-03-2015
2	आर्टिकल डी-1	प्रदर्श डी-161 से डी-163 व डी-165 से डी-171 तक के फोटोग्राफस की डीवीडी
3	आर्टिकल डी-4	कोम्पेक्ट डिस्क आशाराम प्रवचन दिनांक 16.04.15 फॉर्म सं. 3 के साथ
4	आर्टिकल डी-5	साक्षी विक्रान्त शर्मा की ओर से प्रस्तुत असल सी.डी.

(32)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

17- उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अभियुक्त शरदचन्द उर्फ शरतचन्द की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

18- हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रश्न बिन्दु कायम किये जाते हैं :-

(1)- क्या पीड़िता दिनांक 15-8-2013 को 18 वर्ष से कम उम्र की थी ? अतः लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (घ) में परिभाषित बालक की श्रेणी में आती है ?

(2)- क्या अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के लगभग 10 बजे स्थान मणाई आश्रम में स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका का सदोष अवरोध कारित कर निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित किया एवं उसका लैंगिक उत्पीड़न कर उसके मना करने पर डराया धमकाया और माता पिता को मारने की धमकी देकर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसके माता पिता को शारीरिक क्षति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी उसे संत्रास कारित करने के आशय से देते हुए आपराधिक अभित्रास किया एवं उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से अश्लील शब्द बोल कर व छेड़छाड़ कर उसकी एकान्तता का अतिक्रमण किया एवं यौन आशय से अभियोक्त्री बालिका की योनि, मूत्र मार्ग व छाती को अपने हाथों व मुंह से छुआ एवं उत्तेजित भेदन यौन हमला/बलात्संग कारित किया ?

(ए)- यदि हां, क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका पर किया गया भेदन यौन हमला धार्मिक संस्था/ट्रस्ट के प्रबन्धक की हैसियत में होते हुए उस संस्था में किया गया था ?

(बी)- क्या क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त आसाराम के द्वारा अभियोक्त्री के साथ उक्त बलात्कार,

(33)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में होते हुए, उसकी इच्छा के विरुद्ध डरा धमका कर किया गया ?

- (3)– क्या अभियुक्तगण शरदचन्द्र उर्फ शरदचन्द्र, सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी, प्रकाश एवं शिवा उर्फ सवाराम ने दिनांक 15-8-2013 से पूर्व किसी समय अभियुक्त आसाराम के साथ मिल कर एक आपराधिक षड्यन्त्र का गठन किया जिसका उद्देश्य यह था कि अभियुक्त आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका का लैंगिक शोषण किया जा सके व इसके साथ बलात्कार किया जा सके और इस हेतु उक्त अभियुक्तगण द्वारा समूह का गठन किया व उक्त आपराधिक षड्यन्त्र, समूह के सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए उसे सहयोग प्रदान किया एवं अभियोक्त्री बालिका के शोषण के प्रयोजन से उसके साथ कपट, प्रवंचना, उत्प्रेरणा इत्यादि का प्रयोग कर उसका दुर्व्यापार किया, परिणामस्वरूप अभियुक्त आसाराम ने प्रश्न बिन्दु संख्या 2 में वर्णित अपराध अभियोक्त्री/बालिका के साथ कारित किया ?
- (4)– क्या अभियुक्तगण शरदचन्द्र उर्फ शरदचन्द्र, संचिता उर्फ शिल्पी एवं अभियुक्त आसाराम उर्फ आशुमल ने अभियोक्त्री बालिका पर वास्तविक प्रभाव एवं नियन्त्रण रखते हुए उस पर हमला किया तथा उसे अनावश्यक मानसिक व शारीरिक कष्ट पहुंचाया ?
- (5)– यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है ?

19– उपरोक्त प्रश्न बिन्दुओं पर विवेचन किये जाने एवं निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व मैं पत्रावली पर उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संक्षेप में विवरण देना उचित समझता हूँ।

20– पी. डब्ल्यू-1 श्रीमती पुष्पलता Assistant Sub Inspector पुलिस थाना कमला मार्केट, दिल्ली ने इस आशय के कथन किये हैं कि उसकी ड्यूटी दिनांक 19-8-2013 को थाना कमला मार्केट, दिल्ली में 8 पी. एम. से लगातार

(34)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

थी। उस दिन महिला डेस्क इन्चार्ज वह थी। रात्रि को 8 बजे से 12 बजे हेड कान्सटेबल रतिराम ड्यूटी इंचार्ज थे उसके बाद रात्रि 12 बजे से ए.एस.आई. निरपालसिंह ड्यूटी इन्चार्ज थे। दिनांक 19-8-2013 को रात्रि 11.50 बजे एक महिला, एक पुरुष व एक लड़की आये और डी.ओ. से मिल कर लड़की ने बोला कि लेडीज अफसर से मिलना चाहती है व समस्या बताना चाहती है। फिर गवाह ने उन तीनों को बुला कर उनसे बात की तो लड़की ने अपना नाम "सु", माता का नाम सुनीतासिंह व पिता का नाम कर्मवीरसिंह बता कर बहुत बातें बताई तो उससे कहा कि वह जो कहना चाहती है वह लिख कर दे दे। उसने बताया कि आसाराम ने उससे बदतमीजी की है, उसके बारे में बताना चाहती है। फिर उसे कागज, पेन व कार्बन दिये तो उसने रिपोर्ट लिख कर हस्ताक्षर कर गवाह को दी, जिस पर एस.एच.ओ. को जरिये फोन पर बताया एवं उनके कहने पर लिखते हुए की रिकार्डिंग एस.एच.ओ. के रीडर ने मोबाईल फोन से ली। रिपोर्ट लेकर मेडिकल करवाने के लिये पूछा तो उसने हां कर दी। तत्पश्चात् गवाह पीड़िता, उसके माता पिता को साथ लेकर लोकनायक अस्पताल मेडिकल हेतु जाना कहती है। सर्वप्रथम डा. राजेन्द्रसिंह द्वारा एम.एल.सी. बना कर महिला चिकित्सक गार्डनिक को रेफर करना, मेडिकल करवाना व दोनों मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करना कहती है व एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1, प्रदर्श-पी-2, प्रदर्श-पी-3 साक्ष्य में प्रदर्शित कर, अस्पताल से सबको लेकर मध्य रात्रि 2.45 के लगभग थाने में आकर पीड़िता "सु" द्वारा दी गई एफ. आई. आर. पर पृष्ठांकन कर केस दर्ज करने हेतु ड्यूटी आफिसर को देना कहती है। रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 गवाह ने साक्ष्य में प्रदर्शित की है। तत्पश्चात् गवाह एन. जी. ओ. किरण झा को फोन करना व उसके द्वारा दिनांक 20-8-2013 को सुबह साढ़े नौ बजे आना व पीड़िता की काउन्सिलिंग कर कागजात दे देना बताती है। गवाह ने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के लिये थाने में कागजात तैयार कर पीड़िता व उसके माता पिता को लेकर तीस हजारी न्यायालय में जाकर प्रार्थना पत्र लोक अभियोजक को देना व मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता के बयान करवाना बताती है। गवाह ने मजिस्ट्रेट को दिये आवेदन पत्र प्रदर्श-पी-5, बयानों की नकल के लिये दिये प्रार्थना पत्र प्रदर्श-पी-6 व बयान

(35)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018 प्रदर्श-पी-7 को प्रदर्शित करते हुए यह कथन किया है कि उसने स्वयं समस्त दस्तावेज एस.एच.ओ. को दे दिये थे। गवाह ने मूल रजिस्टर आर्टिकल-1, उस पर इन्द्राज प्रदर्श-पी-8, डी.डी. नम्बर 12-ए प्रदर्श-पी-9, पीड़िता के थाने में आने की एन्ट्री प्रदर्श-पी-10 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है और एस. एच. ओ. द्वारा सब-इन्सपेक्टर दीपक, हेड-कान्सटेबल बालाराम, महिला कान्सटेबल सरिता व पीड़िता व उसके माता पिता को सभी कागजात लेकर जोधपुर को रवाना करना कहा है।

21- पी. डब्ल्यू-2 निरपालसिंह अपने बयानों में दिनांक 19-8-2013 को पुलिस थाना कमला मार्केट में ए.एस.आई. के पद पर तैनात रहते हुए रात्रि 1.00 ए.एम. से सुबह 9 ए.एम. तक ड्यूटी आफिसर की ड्यूटी बताता है। ड्यूटी पर जब गवाह गया तो उसे यह बताया कि महिला ए.एस.आई. पुष्पलता वहां पर नहीं थी, एक लड़की का मेडिकल करवाने के लिये उसके माता पिता के साथ अस्पताल गई थी जो रात को पौने तीन बजे बजे लड़की का मेडिकल करवा कर वापस थाने आई व तहरीर प्रदर्श-पी-4 देकर हालात बताये जिस पर 0/13 नम्बर की एफ.आई.आर. दर्ज की। मूल चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श-पी-11 है, न्यायालय में भेजने की दिनांक 21-8-2013, 9 ए.एम. है जिसकी पत्रावली में कार्बन प्रति प्रदर्श-पी-11-ए है।

22- पी. डब्ल्यू-3 डा. शैलजा ने दिनांक 20-8-2013 को लोकनायक अस्पताल, दिल्ली में गार्डनिक विभाग में एमरजेन्सी शाखा में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए रात्रि में डेढ से पौने दो बजे मुख्य आपातकालीन शाखा से रेफर होकर पुष्पलता ए.एस.आई. के साथ एक "सु" नामक लड़की का माता के साथ आना कहा है। लड़की द्वारा रनिंग उम्र 17 साल व 12वीं कक्षा में पढ़ना व अविवाहित होना बताया गया। गवाह ने लड़की की पहचान पुष्पलता ए.एस.आई. द्वारा करना व उसकी माता सुनीतासिंह से सहमति लेकर उसका मेडिकल करना कहा व प्रदर्श-पी-1 क्लीनिकल नोट, प्रदर्श-पी-2 मेडिकल प्रमाण पत्र, प्रदर्श-पी-3 तहरीर साक्ष्य में प्रदर्शित की है।

23- पी. डब्ल्यू-4 डा. राजेन्द्रसिंह ने दिनांक 9-2-2012 से लोकनायक अस्पताल, नई दिल्ली में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थापित

(36)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रहते हुए दिनांक 19-8-2013 को रात्रि 9 बजे से 20-8-2013 को सुबह 9 बजे तक ड्यूटी आफिसर होना बताया है। रात्रि के 1.05 पर ए.एस.आई. पुष्पलता कमला मार्केट थाने से "सु" नामक लड़की को उसके माता पिता के साथ मेडिकल मुआयना करवाने के लिये लाना व Request Form देना, फिर लड़की का फिजीकल परीक्षण ए.एस.आई. पुष्पलता व उसकी माता की मौजूदगी में कर क्लीनिकल नोट प्रदर्श-पी-12 बना गार्डनिक एमरजेन्सी में रेफर करना कहा है तथा एम.एल.सी. शीट प्रदर्श-पी-3 बनाना कहा है।

24- पी. डब्ल्यू-5 "सु" पीड़िता ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह मुल्जिमान को जानती है। आसाराम बापू को करीब 6-7 सालों से इसलिये जानती है क्योंकि उसने उनसे मन्त्र दीक्षा ले रखी थी। पूरा परिवार उनकी भगवान की तरह पूजा करता था। शिल्पी दीदी छिन्दवाड़ा स्थित होस्टल की वार्डन थी। शरद् सर होस्टल के डायरेक्टर थे। शिवा हमेशा बापू के साथ रहता था व प्रकाश बापू का रसाईया था जिसने मणाई आश्रम में दूध पिलाया था। उक्त कारणों से वह सभी को जानती थी। अगस्त 2013 में वह छिन्दवाड़ा गुरुकुल में 12वीं क्लास में पढ़ती थी जहां उसका छोटा भाई यशवीर भी आठवीं कक्षा में पढ़ता था तथा बोयज होस्टल (Boys hostel) में रहता था जिसकी दूरी गर्ल्स होस्टल से 3 कि. मी. थी। 2-3 अगस्त 2013 को उसे होस्टल में चक्कर आये। शिल्पी दीदी को बीमारी का पता चला किन्तु डाक्टर को भी नहीं दिखाया। एक-दो दिन बाद किसी आदमी ने आकर कहा कि आपको शरद् सर ने आफिस में बुलाया है तब वहां गई तो वहां शरद् सर, शिल्पी व भव्या थे जो गुरुकुल में ही पढ़ती थी व होस्टल में रहती थी। शरद् सर व शिल्पी ने कहा तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है और अच्छी तरह जप किया करो। फिर भव्या ने भी जोर से चिल्ला कर कहा कि तुम्हारे ऊपर भूत है और सबने भूत कह कर डराया। अगले दिन शिल्पी वार्डन ने कहा कि अपने माता पिता को कहो कि तुम्हारी तबियत खराब है और सीरियस है, किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ, अपने घर पर यह मत कहना कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, डर जायेंगे। दिनांक 7-8-2013 को शिल्पी ने फोन पर माता पिता से बात करवाई जिन्हें शिल्पी दीदी ने कहा वैसा ही बताया। फिर 8 अगस्त को मम्मी पापा

(37)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

छिन्दवाड़ा बॉयज होस्टल में रूके व अगले दिन 9 अगस्त को सुबह मुझसे व शिल्पी दीदी से उनके आफिस में मिले, जहां शिल्पी दीदी ने माता पिता को कहा कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, बापू से बात हो गई है और इसे तुरन्त लेकर उनके पास जाओ, उन्होंने बुलाया है तथा कहा कि और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर गवाह अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल गई तथा उसके पापा शरद सर से मिले तो उन्होंने पापा को कहा कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, बापू से बात हो गई है, उन्होंने बुलाया है तथा और कहीं लेकर मत जाओ। फिर पापा ने शरद सर से पूछा कि बापू कहां हैं तो कहा कि शिवा से बात करो, वह बतायेगा बापू कहां हैं क्योंकि बापू के सत्संग का उसे पता रहता है। फिर 9 अगस्त को छिन्दवाड़ा से रवाना होकर 9 अगस्त व 10 अगस्त की मध्य रात्रि को ढाई – तीन बजे के करीब शाहजहांपुर पहुंच गये क्योंकि वहां हमारा घर था। गवाह ने इस स्टेज पर स्पष्ट किया कि यदि शिल्पी और शरद उसे बापू के पास जाने का और भूत प्रेत का इलाज करवाने का नहीं कहते तो वे बापू के पास नहीं जाते। फिर शाहजहांपुर से उसके माता पिता ने शिवा भाई से फोन पर बात की कि बापू कहां पर हैं तो शिवा ने बताया कि बापू 12-13 अगस्त को दिल्ली आयेंगे। फिर तीनों 11 तारीख की रात को शाहजहांपुर से रवाना होकर 12 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंच गये, जहां पता चला कि बापू दिल्ली नहीं आये हैं। फिर पापा ने शिवा से बात की तो बताया कि बापू जोधपुर हैं, तुरन्त आ जाओ। 12 तारीख को रिजर्वेशन नहीं मिली, 13 अगस्त का रिजर्वेशन करवा कर रात्रि में दिल्ली से रवाना होकर 14 अगस्त की सुबह साढ़े दस ग्यारह बजे करीब मम्मी पापा के साथ जोधपुर पहुंची। फिर पापा के शिवा से बात करने पर उसने पूरा पता समझाया तो ओटो से मणाई आश्रम दोपहर करीब दो ढाई बजे पहुंचे जहां बाहर गेट बन्द था। 10-15 लोग इन्तजार कर रहे थे। फिर शिवा को पापा ने फोन किया तो शिवा ने गेट खुलवाया व अन्दर गये। जहां आगे नीम का पेड़ था व जिसके नीचे बापू बैठे सत्संग कर रहे थे और कुछ लोग पहले से थे। जब वहां जाकर बैठ गये तो बापू ने पूछा कहां से आये हो तो कहा कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आये हैं तो बापू ने कहा कि अच्छा छिन्दवाड़ा गुरुकुल की भूत वाली लड़की हो, आओ

(38)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

तुम्हारा भूत निकालते हैं। फिर बापू ने पानी लेकर कुछ मन्त्र वगैरा बोले, पिलाया व छींटे दिये। फिर वहां कुछ देर सत्संग चला। फिर बापू ने एक साधक को कहा कि इनको आराम के लिये तुम्हारे घर में रुकवाओ, जो आश्रम में ही था। सत्संग से थोड़ी दूरी पर ही था। उस घर में एक रूम दे दिया, जहां पर रुक गये। फिर उसी रात बापू के सेवक ने पास आकर कहा कि बापू ने बुलाया है तो गवाह उसके मम्मी पापा बापू की कुटिया पर गये तो बापू ने आगे आगे चल कर कुटिया घुमाई। बापू ने गवाह से पूछा क्या बनना चाहती हो। कहा कि सी.ए. बनना है, तो बापू ने कहा कि सी.ए. बन कर क्या करोगी बड़े बड़े अफसर तो मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं, बी. एड. कर लो, तुम्हें अपने गुरुकुल में टीचर बना देंगे फिर बाद में प्रिन्सिपल बना देंगे। फिर पापा को कहा कि तुम 11 दिन यहीं रुक कर अनुष्ठान करो, मम्मी को कहा कि तुम घर चली जाना, गवाह को कहा कि तुम्हें अहमदाबाद भेज देंगे, वहां जाकर अनुष्ठान करना। गवाह ने कहा कि अभी तो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई का क्या होगा तो कहा कि अहमदाबाद जाओ, वहां जाकर अनुष्ठान करवाओ और वहीं से तुम्हें किसी के साथ छिन्दवाड़ा पहुंचा देंगे। कुटिया में लाईट नहीं थी इसलिये टॉर्च से कुटिया दिखाई व कहा कि इस कुटिया में किसी को आने की परमीशन नहीं है, प्रसाद देकर आराम करने के लिये कहा।

15 अगस्त 2013 को बापू शाम को देर से नीम के पेड़ के नीचे आये व सत्संग किया व सत्संग के बाद रात को जाते समय कहा कि जाटों आ जाओ। उस समय दस साढ़े दस बजे होंगे। फिर मम्मी पापा व गवाह बापू के पीछे पीछे कुटिया पर गये जहां उन्होंने गार्डन के बीच उन लोगों को रास्ते पर बिठा कर खुद चेयर पर बैठ गये। एक रसोईये प्रकाश को बुला कर कहा कि इनको दूध पिलाओ। थोड़ी देर बातें कर मम्मी पापा को गार्डन के मेन गेट पर बिठा दिया व जप करके चले जाने को कहा। पीड़िता को कुटिया के पीछे एक गैलेरी पर सीढ़ियों के पास बिठा दिया। फिर बापू ने पीछे वाले दरवाजे से इशारा कर बुलाया। पहले वह रूम के पास ही स्थित वाश रूम में गई। फिर रूम में गई। फिर बापू ने कहा कि जाओ देख कर आओ कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। फिर वह गई और देखा कि पापा चले गये व मम्मी

(39)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गार्डन के गेट पर बैठी हुई थी, जो बात बापू को बताई। उस समय बापू ने पहले से ही रूम की लाईट बन्द कर दी थी और बेड पर लेटे हुए थे। फिर उन्होंने बेड पर अपनी साईड में बिठा कर हाथ सहलाने लगे व बातें कर रहे थे। कहा कि पढ़ लिख कर क्या करोगी तुम्हें मैं वक्ता बना देता हूँ, हमारे साथ ही रहना, मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा, फिर उठ कर दरवाजा बन्द किया व बदतमीजी करने लगे। पहले तो अपने कपड़े उतार दिये। वह चिल्लाई कि बापू यह क्या कर रहे हो तो उन्होंने मुंह दबा दिया और धमकी दी कि जरा सी भी आवाज की तो देखना मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे मां बाप को मरवा दूंगा, तुम्हारा खानदान गायब हो जायेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर वे बदतमीजी करने लगे, अपने हाथ से गवाह के पूरे शरीर को छू रहा था, प्राईवेट पार्ट्स को टच कर रहा था और Kiss कर रहा था और सक किया। कपड़ों में हाथ डाल कर बदतमीजी की, फिर जबरदस्ती करने लगा कि मेरे प्राईवेट पार्ट को छुओ और सक करो। फिर गवाह के प्राईवेट पार्ट पर, मुंह पर व सब जगह Kiss किया। वह रो रही थी व कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, हम तो आपको भगवान मानते हैं, आप यह क्या कर रहे हो। फिर वह बदतमीजी करता रहा और एक सवा घन्टे बाद छोड़ा व छोड़ते टाईम कहा कि किसी को बताया तो देख लेना, अपने बाल व कपड़े ठीक कर लो, फिर जाना और किसी से कुछ मत बताना। फिर वह पीछे वाले दरवाजे से ही बाहर आई जहां से अन्दर गई थी। बाहर कमरे के सामने वाले गेट पर बरामदा था, जहां पर प्रकाश बैठा था। गवाह का कहना है कि वह इस घटना से Shocked रह गई थी कि जिस आदमी को वह भगवान समझती थी, उसने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की, उसके कपड़े खोलने की कोशिश की, उसकी सलवार खोल दी। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। जब वह कमरे से बाहर आई तो उसकी माता गार्डन के गेट पर बैठी हुई थी। फिर वह अपनी माता के साथ रूम पर आई, जहां उसकी माता ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि अभी तो यहां से चलो, बापू अच्छा इन्सान नहीं है। रूम पर आये तो पापा सो रहे थे। फिर उसकी माता भी सो गई किन्तु उसे (पीड़िता को) नींद नहीं आई। अगले दिन 16 अगस्त को बापू जब नीम के पेड़ के नीचे आये तो वह उनसे मिलने नहीं गई क्योंकि वह उन्हें देखना नहीं चाहती थी।

(40)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बापू ने उनके माता पिता से उसके बारे में पूछा कि वह क्यों नहीं आई तो उन्होंने कहा कि वह नहा रही है। फिर उस दिन बापू दिल्ली के लिये निकल गये। उन लोगों ने भी नाश्ता किया लेकिन पीड़िता ने नाश्ता नहीं किया। फिर उस दिन शाहजहांपुर के लिये निकल गये। 17 तारीख को देर रात अपने घर शाहजहांपुर पहुंच गये। जहां घटना के बारे में सोच सोच कर पीड़िता की तबियत खराब हो गई, डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। 19 तारीख को उससे मम्मी ने पूछा कि दो दिन हो गये तुम कुछ बोल नहीं रही हो, कुछ खा नहीं रही हो, क्या हुआ है तो उसने हिम्मत कर मम्मी को सारी घटना के बारे में बता दिया। मम्मी ने बहुत गुस्से में आकर पापा को सारी बात बताई तो पापा ने गुस्सा होकर कहा कि अब तो उससे मिलना होगा। फिर पता किया कि बापू कहां पर हैं तो पता चला कि दिल्ली में है तो पापा ने कहा कि दिल्ली जाकर मिलना पड़ेगा और पूछता हूं कि ऐसा क्यों किया। फिर 19 तारीख को ही दिल्ली के लिये निकल गये। वे रात को दिल्ली पहुंच गये। रामलीला मैदान में सत्संग होने का मालूम पड़ने पर वहां गये तो पण्डाल लगा था किन्तु सत्संग नहीं चल रहा था। फिर पापा ने पास ही पुलिस के आफिस में जाकर बात की। कमला मार्केट थाने पर गये। जहां थाने पर एक अधिकारी से मिल कर बताया कि उसके साथ घटना हुई है, किसी महिला अधिकारी को बताना चाहते हैं तो उन्होंने महिला अधिकारी के पास भेज दिया जिसको सारी बात बताई तो उसने पेन और पेपर देकर कहा कि अपनी बात लिख कर दो तो उसने सारी बात लिख कर दी तो मेडिकल करवाने का पूछने पर उसने हां भरी और अस्पताल में ही जेन्ट्स डाक्टर के पास ले गये जिन्होंने नाम, पता, बी.पी., पल्स, पहचान चिन्ह वगैरा पूछे कि आपके साथ क्या हुआ है तो मैंने छेड़खनी के बारे में बताया। फिर उन्होंने लेडीज डाक्टर के पास भेज दिया तो उन्हें सारी बात बताई। जेन्ट्स डाक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श-पी-3 व प्रदर्श-पी-12 पर अंगूठा करवाया था, लेडीज डाक्टर ने उसकी माता से विवाहित अविवाहित के बारे में पूछा और पूछा कि मेडिकल करवाना है क्या ? तो मम्मी के हस्ताक्षर करवा कर मेडिकल करवाया। फिर थाने आ गये। थाने में रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 दी थी। अगले दिन 20 अगस्त को किसी संस्था से लेडीज आई थी जिनको

(41)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

घटना के बारे में बताया था। फिर उसी दिन 20 अगस्त को महिला पुलिस अधिकारी तीस हजारी कोर्ट लेकर गई जहां पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए जो प्रदर्श-पी-7 हैं। फिर पुलिस स्टेशन गये जहां से शाम को जोधपुर के लिये रवाना कर दिया। साथ में माता पिता, दिल्ली पुलिस के दो जेन्ट्स लोग व एक महिला पुलिस थी। 21 अगस्त को दोपहर बाद जोधपुर पहुंचे जहां महिला थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई। वहां पूछताछ कर बयान लिये गये। फिर नक्शा मौका प्रदर्श-पी-13, पी-14 बनाया था। जन्मतिथि 4-7-1997 है। भाई की चिन्ता थी इसलिये 22 अगस्त को दरखास्त लिख कर पुलिस कमिश्नर को दी थी जो प्रदर्श-पी-15 है। शिल्पी, शरद, प्रकाश, शिवा और आसाराम बापू ने मिल कर एक राय होकर एक षड्यन्त्र रचा और गवाह को भूत का डर दिखा कर जोधपुर बुलाया और यह घटना की। पुलिस ने घटनास्थल का मौका बता कर वीडियोग्राफी तैयार की थी। मौके के फोटोग्राफ प्रदर्श-पी-16 लगायत प्रदर्श-पी-32 हैं।

25- पी. डब्ल्यू-6 रणजीत ने इस आशय के बयान दिये हैं कि वह 50 साल मणाई गांव में रहता है। उसके तीन बच्चे जिनके नाम किशोर, विष्णु व सत्यनारायण हैं। किशोर पूजा पाठ करता है व बापू के साथ रहता है। उसकी मणाई गांव में 40 बीघा जमीन है। फार्म हाउस में ही मकान बना रखा है और परिवार सहित वहीं रहता है। जहां बापू जी की कुटिया भी बनी हुई है जो उसने व उसके भाई रामदयाल ने शामिल होकर 5 साल पहले दो बीघा जमीन में बनाई थी जो मकान से 200-250 फुट दूर है। विष्णु खेती बाड़ी व सत्यनारायण पढ़ाई करता है। कुटिया बापू जी के कहने से बनाई थी। रोड पर से साधु वगैरा रामदेवरा जाते हैं इसलिये बनाई थी। गवाह ने स्वयं व पूरे परिवार द्वारा बापू जी से दीक्षा ले रखना कहा है। बापू जी का साल में एक आध बार कुटिया में व अब तक 2-3 बार आना कहा है। आखिरी बार पिछले अगस्त में 11 तारीख को बापू का आकर 5 दिन रुकना कहा है। जितने दिन रुके, सुबह दर्शन देते थे और शाम को नीम की छाया में डेढ़ दो बजे सत्संग करते थे। साथ में एक रसोईया व एक-दो आदमी आये थे। सत्संग में करीब 100-150 आदमी जोधपुर व बाहर से भी आते थे। सत्संग के दौरान जो

(42)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लोग जोधपुर से, बाहर से आये थे, उनमें से कई लोग मकान के गैरेज व हॉल में रूके थे। यू. पी. से 2-3 जने आये थे जिनमें एक आदमी, एक औरत व एक बच्ची थी, जिनके लिये बापू ने कहा कि इनकी व्यवस्था करो तब मकान के ऊपर कमरे में उनको रूकवाया था जो 2 दिन रूके थे। 14 अगस्त को आये थे व 16 अगस्त को वापस गये थे। जब ये लोग आये तब गवाह सत्संग में था और वे भी सत्संग में बैठे थे। यू. पी. से आये आदमी ने बापू को कहा था कि भूत प्रेत उसका गला दबा रहे हैं तो बापू ने कहा था कि अहमदाबाद जाकर अनुष्ठान करो। यू. पी. से एक औरत आई थी, उसने कहा था कि उसे 3-4 सालों से औरतें दिखती हैं। जो बच्ची आई थी, उससे कोई बात हुई हो तो पता नहीं। इन 5 दिनों में किशोर भी बापू जी के साथ आया था व घर ही रूका था। बापू जी कुटिया में ही रहे थे। किशोर 13-14 साल से बापू जी को समर्पित है। बापू 16 तारीख को मणाई से सुबह करीब 10 बजे गये थे। यू. पी. से जो लोग आये थे, वे 16 अगस्त को सुबह 7 बजे वापस गये जिन्हें भाई का लड़का रामकिशोर ने कार से रेल्वे स्टेशन छोड़ने गया था। फार्म हाउस खसरा नम्बर शायद 254 है। जो कुटिया बनाई है, वह सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट, अजमेर जरिये ट्रस्टी ओमप्रकाश पुत्र गागनदास को जरिये बख्शीशनामा दी हुई है।

26— पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह सन् 2004 से कल्पना सामाजिक संस्था का संचालन कर रही है जो Under Privilege लोगों के लिये काम कर रही है। गवाह ने कमला मार्केट थाने से दिनांक 19-8-2013 को आधी रात के लगभग फोन आने पर दिनांक 20-8-2013 को सुबह 10 बजे के आसपास थाने पर पहुंचने पर एक बच्ची, जिसने अपना नाम "सु" बताया, से पूछा, उसके साथ हुई घटना की रिपोर्ट प्रदर्श-डी-4 लिखना कहा है।

27— पी. डब्ल्यू-8 डा. शुभकरण ने दिनांक 1-9-2013 को सह आचार्य न्यूरोलोजी, महात्मा गांधी अस्पताल में पदस्थापित रहते हुए डा. दिलीप कच्छवाह अधीक्षक एम.डी.एम. अस्पताल के द्वारा गठित किये गये मेडिकल बोर्ड में डा. अरविन्द जैन, डा. एम. के. छाबड़ा के साथ सदस्य होना कहा है।

(43)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जिसका आदेश प्रदर्श-पी-33 साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 1-9-2013 को आसाराम का मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदर्श-पी-34 देना व पुलिस को सुपुर्द करना कहा है।

28— पी. डब्ल्यू 9 डा. महावीर कुमार छाबड़ा ने भी पी. डब्ल्यू 8 डा. शुभकरण के कथनों का समर्थन करते हुए डा. दिलीप कच्छवाहा द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन करने व उक्त मेडिकल बोर्ड में डा. शुभकरण व डा. अरविन्द जैन के साथ सदस्य रहते हुए अभियुक्त आसाराम का दिनांक 1-9-2013 को आर. ए. सी. गेस्ट हाउस में दोपहर बाद मेडिकल परीक्षण करने व रिपोर्ट प्रदर्श-पी-34 देने की पुष्टि की है।

29— पी. डब्ल्यू-10 डा. अरविन्द जैन ने दिनांक 1-9-2013 को प्रोफेसर मेडिसिन के पद पर एम.डी.एम. अस्पताल में कार्यरत रहते हुए अधीक्षक कार्यालय से फोन आने पर आर.सी.ए. गेस्ट हाउस में जाकर परीक्षण करने के निर्देश मिलना कहा है। साथ में बोर्ड के सदस्य एम. के. छाबड़ा व डा. शुभकरण का होना कहा है व बोर्ड गठन करने के कार्यालय आदेश प्रदर्श-पी-33 को साक्ष्य में प्रदर्शित करना, आर.सी.ए. गेस्ट हाउस में जाकर आसाराम का मेडिकल परीक्षण करना, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्रदर्श-पी-34 देना कहा है व उक्त रिपोर्ट पुलिस के अधिकारी को देकर प्रति अस्पताल अधीक्षक को देना कहा है।

30— पी. डब्ल्यू-11 कृपालसिंह ने अपने बयानों में स्वयं को एल.आई. सी. एजेन्ट व खेतीबाड़ी का कार्य करना बताया है तथा कर्मवीरसिंह को सन् 2006 से जानना व वर्ष 2006 में आसाराम बापू से अहमदाबाद में दीक्षा लेना व कर्मवीरसिंह द्वारा भी आसाराम बापू से दीक्षा लेना बताया है। शाहजहांपुर में बापू जी के आश्रम का सन् 2000 में बन जाना, जिसमें कर्मवीरसिंह का मुख्य रूप से सहयोग होना बताते हुए गवाह बापू जी का उक्त आश्रम में 26 मार्च 2011 को आना व 27 मार्च 2011 को कार्यक्रम होना भी बताता है। आश्रम बनने से पहले सत्संग कार्यक्रम कर्मवीरसिंह के यहां होना कहते हुए गवाह कार्यक्रम की व्यवस्था मुख्य रूप से कर्मवीर जी द्वारा करना व स्वयं व अन्य का सहयोग होना कहता है। गवाह कर्मवीर की लड़की व छोटे लड़के का बापू जी

(44)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

के गुरुकुल में पढ़ना व बड़े का शाहजहांपुर में पढ़ना कहता है। दिनांक 11-8-2013 को बरेली में बाल संस्कार कार्यक्रम में कर्मवीर जी व अन्य का जाना बताता है, इस दौरान कर्मवीर का परेशान रहना तथा उसके द्वारा गवाह को यह बताना कि उसके पास छिन्दवाड़ा गुरुकुल से वार्डन शिल्पी का फोन आया था व कहा कि उसकी बेटी की तबियत खराब है, गवाह ने कहा है। गवाह ने यह भी बताया कि कर्मवीर ने उसे बताया कि वह वहाँ गया तो "सु" की तबियत ज्यादा खराब नहीं लग रही थी तथा वहाँ पर शिल्पी व वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि भूत प्रेत का कोई चक्कर है। कर्मवीर ने यह भी बताया था कि शिल्पी ने उन्हें कहा कि बापू जी से बात हो चुकी है, वहाँ जाने से ठीक हो जायेगी, बापू का पता नहीं है, दो तीन दिन बाद बतायेंगे तब चले जाना, बिटिया ठीक हो जायेगी। एक दो दिन बाद ही कर्मवीर का फोन आया कि शिल्पी का फोन आया है इसलिये जा रहा हूँ।

31- पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह पीड़िता की माता है जिसने इस आशय के कथन किये हैं कि उसका पति लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उनके तीन बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं। बड़े बेटे का नाम सोमवीरसिंह है, उससे छोटी बेटी का नाम "सु" है और सबसे छोटे बेटे का नाम यशवीरसिंह है। बड़े बेटे ने बी.एससी. सैकेण्ड ईयर की परीक्षा पास की है, थर्ड ईयर शाहजहांपुर में कर रहा है। लड़की सातवीं कक्षा से 12 कक्षा तक छिन्दवाड़ा में पढ़ी थी। उसकी 12वीं कक्षा पूरी नहीं हुई थी। अब घर पर ही पढ़ रही है। छिन्दवाड़ा में आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ती थी। छोटा लड़का भी छिन्दवाड़ा में पढ़ता था। अब वह नवीं कक्षा में शाहजहांपुर में पढ़ रहा है। आसाराम बापू को जानती है क्योंकि सन् 2002 में अहमदाबाद में उनसे दीक्षा ली थी तब से जानती है। फिर 3-4 साल तक हर साल पूर्णमासी पर उनके दर्शन करने जाते थे। पूरा परिवार पति, स्वयं और तीनों बच्चों ने आसाराम बापू से दीक्षा ले रखी है। बापू का शाहजहांपुर में भी आश्रम है जो उसके पति वगैरा ने सन् 2009 में बनवाया था। आश्रम बनवाने में काफी लोगों ने सहयोग किया था किन्तु उसके पति ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया था। आसाराम बापू के प्रवचन अहमदाबाद, सूरत, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, रोहतक में सुने हैं।

(45)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बेटी व छोटा बेटे को छिन्दवाड़ा गुरुकुल में इसलिये दिलाया था कि अच्छे संस्कार पड़ सकें। बापू ने भी ऐसा कहा था कि गुरुकुल में पढ़ने से अच्छे संस्कार आते हैं। ऐसा सत्संग में बोला था। बेटी का जन्म दिनांक 4-7-1997 को घर पर ही शाहजहांपुर में हुआ था। वह (बेटी) पिछले साल 2013 में अगस्त में 12 कक्षा में गुरुकुल में पढ़ती थी। बेटी गर्ल्स होस्टल में तथा बेटा बॉयज होस्टल में रहते थे। गर्ल्स होस्टल की अगस्त 2013 में वार्डन शिल्पी थी। दिनांक 6 व 7 अगस्त 2013 को शिल्पी वार्डन से बात हुई थी। दिनांक 6-8-2013 को उसने लगभग साढ़े दस ग्यारह बजे बेटे सोमवीरसिंह को फोन, जिसके नम्बर 9415035839 हैं, पर मिस कॉल की थी। वापस दिन में 2-3 बजे बात करने के लिये फोन किया लेकिन बात नहीं हो पाई। फिर रात को जब वार्डन का मिस कॉल वापस आया तो उससे बात की। फोन पर शिल्पी वार्डन ने कहा था कि परिवार में जितने लोग हैं, महामृत्युंजय जप का पाठ करो। दिनांक 7-8-2013 को शिल्पी का फिर फोन आया, कहा था कि आपकी बेटी की तबियत बहुत खराब है इसलिये जल्दी छिन्दवाड़ा आ जाओ। बात स्वयं व पति दोनों से हुई थी। बेटी से भी बात हुई थी जो शिल्पी ने करवाई थी। बेटी ने भी यही कहा था कि तबियत बहुत खराब है, अच्छे से डाक्टर को दिखाना है, जल्दी आ जाओ। फिर दोनों 8 अगस्त को सुबह चार साढ़े चार बजे छिन्दवाड़ा के लिये रवाना हो गये जहां रात को 8-9 बजे पहुंचे। छिन्दवाड़ा में सीधे बॉयज होस्टल गये जहां रात में रुके। उसी दिन बच्ची से स्वयं व पति की रात को लगभग दस साढ़े दस बजे बात हुई, जिसने तबियत के बारे में कहा कि अब वह ठीक है। फिर 9 अगस्त को सुबह गर्ल्स होस्टल गये व सबसे पहले शिल्पी से मिले व पूछा कि बेटी की तबियत कैसी है। बात भी करवा देते हैं, बैठो। फिर शिल्पी ने कहा कि आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है। उस समय बेटी भी वहां पर आ गई थी। शिल्पी को कहा कि आपको कैसे पता कि मेरी बेटी पर भूत प्रेत का साया है तो उसने कहा कि एक भव्या नाम की लड़की है जिस पर भूत आता है, उसी ने कहा है कि आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है। शिल्पी ने यह भी कहा कि हमारी बापू से बातचीत हुई है, उन्होंने बोला है कि बापू जहां कहीं भी हो "सु" को वहां लेकर आ जाओ और कहीं भी

(46)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

नहीं ले जाना है, बापू के पास ही ले जाना है। छिन्दवाड़ा में गुरुकुल के डायरेक्टर शरदचन्द्र थे। पति, शरदचन्द्र से मिले थे तब स्वयं व मेरी बेटी रूम के बाहर थे। मुलाकात दिनांक 9-8-2013 को हुई थी। 9 अगस्त को ही उनसे मिलने के बाद सुबह नौ साढ़े नौ दस बजे के लगभग पति व बेटी के साथ छिन्दवाड़ा से शाहजहांपुर के लिये रवाना हुई। पति ने बताया कि शरदचन्द्र ने बताया था कि बापू 12 या 13 अगस्त को दिल्ली में है, आप उनसे जाकर मिल लेना, हमारी बात उनसे हो गई है। आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है। छिन्दवाड़ा से शाहजहांपुर इसलिये गये थे कि दिल्ली जाने की तैयारी करनी थी, कपड़े वगैरा व पैसे लेने थे। शाहजहांपुर में गवाह के सामने उसके पति की शिवा से बात हुई थी। उसने बताया कि बापू 12 - 13 तारीख को दिल्ली आयेंगे। यह बात 11 अगस्त को हुई थी। शाहजहांपुर से दिल्ली के लिये 11 अगस्त को रात के लगभग साढ़े दस ग्यारह बजे रवाना हुए व 12 अगस्त को सुबह दिल्ली पहुंचे। उस दिन बापू का पता लगाया कि किस आश्रम में हैं। लेकिन पता नहीं पड़ा। फिर शिवा से बात हुई तो उसने बताया कि बापू जोधपुर में है, जल्दी आ जाओ। 12 अगस्त को रिजर्वेशन नहीं मिली तो बहन के यहां रुके। फिर 13 अगस्त की रात को दिल्ली से जोधपुर के लिये रवाना हुए। 14 अगस्त को सुबह लगभग साढ़े दस ग्यारह बजे जोधपुर पहुंचे। वेटिंग रूम पर गये, स्नान वगैरा किया। फिर पति ने शिवा से बात की तो शिवा ने बताया कि बापू मणाई नाम के गांव में है, वहां आ जाओ। फिर ओटो से मणाई गांव स्वयं, उसकी बेटी व पति तीनों गये। वहां पहुंचे तो फार्म का मेन गेट बन्द था। फिर पति ने वहां गेट खोलने की कोशिश की, कोई नहीं मिला तो पति ने शिवा से बात की। गेट खुलने के बाद सब अन्दर चले गये। अन्दर एक मकान बना हुआ था। उसके पास ही नीम का पेड़ था जिसके नीचे आसाराम बापू बैठे थे और सत्संग कर रहे थे। लगभग 40-50 लोग और थे और 10-15 लोग साथ में बाहर से अन्दर आये थे। जहां बाकी लोग बैठे थे, वहां हम जाकर बैठ गये। वहां पर आसाराम ने बेटी से पूछा कि कहां से आये हो तो बेटी ने कहा कि वह छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आई है तब बापू ने कहा कि अच्छा वह भूत वाली हो और कहा कि आगे आ जाओ तुम्हारा भूत उतारते हैं। फिर बापू

(47)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ने एक गिलास में पानी लेकर मन्त्र पढ़ा व पानी बेटी, पति व स्वयं को पिलाया व ऊपर छीटे भी डाले। फिर प्रसाद खाने को दिया। फिर उन्होंने जिसका मकान था, उसको किसी को बुलाया और कहा कि यह हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें एक कमरे में ठहरा दो। वह कमरा मकान के ऊपर था। फिर रात को एक भाई आया जिसने कहा कि बापू ने आपको कुटिया पर बुलाया है। फिर साढ़े आठ नौ बजे तीनों कुटिया पर गये। बापू वहां पर पार्क सा बना हुआ था, उस पर टहल रहे थे। फिर बापू ने तीनों से बात की। बेटी से पूछा कि क्या करना चाहती हो तो बेटी ने कहा कि पढ़ना है। बापू ने कहा कि पढ़ लिख कर क्या करोगी तो बेटी ने कहा कि पढ़ लिख कर सी. ए. बनना चाहती हूं। बापू ने कहा कि सी. ए. बन कर क्या करोगी, मेरे स्कूल की टीचर बन जाना और यह भी कहा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे मेरे चरणों में पड़े रहते हैं। फिर बापू की उसके पति से बात हुई और यह कहा कि 11 दिन अनुष्ठान करो। फिर हमें प्रसाद दिया और फिर वापस भेज दिया। फिर आकर उसी रूम में रूके। 15 अगस्त को बापू शाम को सत्संग करने आये जो रात को करीब 9 – 10 बजे तक हुआ। फिर जब बापू कुटिया में जाने लगे तो हमें जाटों कह कर बुलाया व कहा कि आ जाओ। फिर बापू के पीछे पीछे कुटिया पर पहुंचे तब लाईट नहीं थी और वे टार्च से बाहर से कुटिया दिखा रहे थे। बापू ने पति को कहा कि अपनी बेटी को अनुष्ठान के लिये अहमदाबाद भेज दो। फिर गार्डन के बीच में कंकरीला रास्ता था, वहां हमें बिठा दिया और अपने रसोईये को बुला कर हमें दूध पिलाया। फिर बापू ने बेटी को कुटिया के पीछे जो छोटा बरामदा बना हुआ था, वहां सीढ़ियों पर बिठा दिया। फिर गवाह व उसके पति को कुटिया की बाउण्ड्री के गेट के पास बिठा दिया व वहां बैठ कर जप करने के लिये कहा। फिर बापू गार्डन में थे, टहल कर कुटिया में चले गये और जाते ही कुटिया की लाईट ऑफ कर दी। फिर मैं अपनी बेटी को देखने के लिये गई कि वह वहां पर बैठी है। फिर मैं वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद बेटी मुझे देखने आई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि मैं देखने आई हूं आप यहां हो या नहीं क्योंकि बापू ने पुछवाया है। उस समय पति वापस रूम पर चले गये थे। जिस समय पति वहां पर बैठ थे, उस समय

(48)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रसोईये ने हम दोनों को कहा कि आप जाकर सो सकते हो तो हमने कहा कि हम बैठे हैं, अपनी बेटी को लेकर जायेंगे। फिर बाद में पति वहां से चले गये। गवाह करीब घन्टे भर बैठी रही। फिर बेटी वहां आई, उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि जल्दी से यहां से चलो, बापू अच्छे इन्सान नहीं हैं आप ऐसे ही उनको पूजते हैं। बेटी से पूछती रही कि क्या हुआ, उसने कुछ नहीं बताया और कहा कि अभी यहां से चलो। उस समय बेटी एकदम डरी हुई थी। वापस रूम पर आ गये। जब कमरे पर पहुंचे तो पति सो चुके थे। फिर 16 तारीख को सुबह बापू नीम के नीचे आये हमने कहा कि बापू आ गये दर्शन कर लो तब बेटी ने कहा कि दर्शन बिल्कुल नहीं करूंगी, ऐसे इन्सान के दर्शन बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर गवाह व उसका पति दर्शन करने गये तो बापू ने कहा कि आपकी लड़की क्यों नहीं आई तो उनसे झूठ कहा कि वह नहा रही है। फिर बापू की और पति की बात हुई तो बापू ने पति को कहा कि अपनी बेटी को अहमदाबाद भेज दो वरना यह आवारा हो जायेगी और भाग जायेगी। फिर जिस मकान पर हम रुके थे, उन घर वालों ने नाश्ता करवाया किन्तु बेटी ने नाश्ता नहीं किया। फिर उनके दो छोटे छोटे बच्चों को 100-100 रुपये दिये व शाहजहांपुर के लिये रवाना हो गये। जिस घर में ठहरे थे, उसी के छोटे लड़के ने अपनी गाड़ी से हमें स्टेशन छोड़ा। 17 अगस्त की देर रात को शाहजहांपुर पहुंचे। 18 अगस्त को काम में लग गये। सुबह बेटी जगी नहीं थी, सो रही थी, उसकी तबियत खराब थी। दिन में जगी तो खाने पीने के लिये और दूध पीने के लिये बोला किन्तु उसने न तो दूध पिया, न कुछ खाया। फिर उससे पूछा कि खा पी क्यों नहीं रही है और बोल क्यों नहीं रही है तो उसने कहा कि तबियत ठीक नहीं है, वापस सो गई। अगले दिन 19 अगस्त को बेटी से पूछा कि सच सच बता कि क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है, खा पी क्यों नहीं रही है ? फिर उसने बताया कि बापू ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है, नंगे हो गये थे और उसके पूरे शरीर को छू रहे थे, Kiss भी कर रहे थे और मैन पार्ट को भी मुंह से छुआ, Kiss किया, बेटी के मुंह में अपना लिंग डालने की खूब कोशिश की। आगे गवाह कहती है कि मैन पार्ट क्या होता है, सब समझते हैं मैं कैसे बताऊं। फिर बेटी को कहा कि अपने बाल व कपड़े ठीक

(49)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

करके मम्मी पापा के पास जाना। फिर यह धमकी दी थी कि अगर वहां जाकर किसी को बताया तो तुम्हारे मां बाप को मरवा दूंगा। बेटी ने बताया कि उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की लेकिन बापू ने मुंह बन्द कर दिया। यह बात अपने पति को बताई तो बहुत गुस्सा हुए और आसाराम बापू का फोटो उठा कर फैंक दिया व गवाह को कहा कि जल्दी चलो जहां बापू हैं, वहां जाकर उनसे पूछेंगे कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। फिर 19 तारीख को अपनी गाड़ी से गवाह, उसका पति व बेटी तीनों रवाना हुए। रात को साढे नौ दस बजे दिल्ली में उस जगह गये जहां बापू का सत्संग था लेकिन उस समय सत्संग खत्म हो गया था। वहां पर बापू नहीं मिले थे। वहां पर थोड़ी दूरी पर पुलिस थाना था जहां पहुंचे। वहां पति ने बात की व पूछा कि पास में कौन सा थाना लगता है तो उन्होंने कहा कि पास में कमला मार्केट थाना लगता है, वहां चले जाओ व थाने का रास्ता बताया। फिर पति ने उनसे कहा कि कोई साथ चल कर रास्ता बता दो तो ठीक रहेगा। फिर कमला मार्केट थाने पहुंचे। वहां पर एक सिपाही खड़ा था। बेटी ने उससे कहा कि किसी लेडीज पुलिस अफसर को अपनी समस्या बताना चाहती है। उस सिपाही ने पुष्पलता मैडम को बुलाया जो बेटी को अलग से ले गई और कुछ बातें पूछी, फिर कहा कि आपकी जो समस्या है, वह कागज पर लिख कर दे दो व कागज, पेन व कार्बन दिया। बेटी ने उसके साथ जो बीती वह कागज पर लिख कर दी। हम थोड़ी देर बैठे थे फिर पुष्पलता मैडम ने मेरे बेटी से पूछा कि क्या आप मेडिकल करवाना चाहते हो तो बेटी ने कहा कि करवाना चाहती हूं। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 है, फिर पुष्पलता मैडम बेटी को मेरे व मेरे पति के साथ अस्पताल लेकर गई, जहां जेन्ट्स डाक्टर के पास लेकर गई जिन्होंने बेटी को लेडीज डाक्टर के पास भेज दिया। डाक्टर ने बेटी का नाम, पता व उम्र पूछी फिर जो लेडीज डाक्टर का काम होता है, वह काम किया व नब्जे देखी। लेडीज डाक्टर द्वारा मेडिकल करवाने की सहमति दी थी व हस्ताक्षर प्रदर्श-पी-1 पर किये थे, रिपोर्ट प्रदर्श-पी-2 पर हस्ताक्षर हैं। मेडिकल होने के बाद वापस थाने पर आये। फिर दूसरे दिन एक लेडीज ने आकर उसकी बेटी से बातें की। फिर मजिस्ट्रेट के पास गये, जहां पुष्पलता लेकर गई थी। वहां से थाने पर आ गये और जोधपुर

(50)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

के लिये रवाना हो गये। साथ में एक हवलदार, एक लेडीज व एक सिपाही था। जोधपुर 20 की रात को रवाना होकर 21 को पहुंचे जहां एक अधिकारी के पास लेकर गये, फिर महिला थाने लेकर गये। फिर महिला थाने से वे 22 तारीख को मौके पर लेकर गये, वहां पति भी साथ में थे। पुलिस ने हमारे सामने लिखापट्टी की थी, नक्शा मौका प्रदर्श-पी-13 व प्रदर्श-पी-14 पर हस्ताक्षर हैं।

जिरह में इस गवाह को प्रदर्श-डी-16, प्रदर्श-डी-5, प्रदर्श-डी-6, प्रदर्श-डी-7, प्रदर्श-डी-9 लगायत प्रदर्श-डी-13, प्रदर्श-डी-17, प्रदर्श-डी-8, प्रदर्श-डी-3, प्रदर्श-डी-18, प्रदर्श-डी-19, प्रदर्श-डी-20, प्रदर्श-डी-21 लगायत प्रदर्श-डी-25, प्रदर्श-डी-38 लगायत प्रदर्श-डी-41, प्रदर्श-डी-42, प्रदर्श-डी-43 व प्रदर्श-डी-44 दिखा कर जिरह की गई है।

32- पी. डब्ल्यू-13 ओमाराम, उदय छंगाणी द्वारा ए.सी.पी. चंचल मिश्रा अनुसन्धान अधिकारी के समक्ष दिनांक 23-9-2013 को दो मोबाईल पेश करने व उसकी फर्द प्रदर्श-पी-35 बनाने का मौतबिर है। गवाह ने सैमसंग मोबाईल आर्टिकल-4 व रिलायन्स मोबाईल आर्टिकल-5 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है।

33- पी. डब्ल्यू-14 रमेशचन्द्र दिनांक 27-9-2013 को उदय द्वारा रामदेव थानेदार के समक्ष कार्बन कम्पनी का मोबाईल पेश करने की फर्द प्रदर्श-पी-36 का मौतबिर है। गवाह ने मोबाईल आर्टिकल-6 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है।

34- पी. डब्ल्यू-15 कुशालराम ने दिनांक 2-9-2013 को पुलिस थाना महिला थाना पश्चिम में मालखाना इन्चार्ज के पद पर पदस्थापित रहते हुए ए.सी.पी. चंचल मिश्रा द्वारा अभियुक्त शिल्पी की जामा तलाशी में लिये गये दो मोबाईल एक वर्जन कम्पनी का दूसरा नोकिया कम्पनी का जमा करवाने व उक्त दोनों मोबाईलों को जमा मालखाना करने की साक्ष्य देता है व असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श-पी-37 पर उक्त दोनों मोबाईलों को क्रम संख्या 3 पर जमा मालखाना करना कहता है। दिनांक 6-9-2013 को ए.सी.पी. चंचल मिश्रा द्वारा वर्जन कम्पनी का मोबाईल वापस मालखाना पर उसे सुपुर्द करना व उक्त मोबाईल को चंचल मिश्रा द्वारा अभियुक्त शिवा को देना व शिवा द्वारा उसे

(51)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

चालू करके उसके अन्दर के कुछ क्लिप दिखाना कहा है। गवाह ने स्वयं भी क्लिप देखना कहा है व उक्त क्लिप्स में आसाराम द्वारा लड़कियों के झाड़फूंक करने के दृश्य व लड़कियों पर हाथ फेरने के दृश्य होना कहा है। गवाह ने कम्प्यूटर आपरेटर नरसिंहराम को बुलाकर कम्प्यूटर पर उन क्लिप्स को डाउनलोड करके सी.डी. बनाना, उन सी.डी.ज व मोबाईल को कपड़े की थैली में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने की सीलों से सीलमोहर कर फर्द प्रदर्श-पी-36 बनाना कहा है तथा सीलचेपायुक्त सी.डी.ज व मोबाईल को स्वयं को देने पर मालखाना रजिस्टर प्रदर्श-पी-37 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना करना कहा है। फिर दिनांक 9-9-2013 को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु उक्त माल सिपाही संदीप कुमार के साथ सीलबन्द हालत में भेजना व मालखाना रजिस्टर प्रदर्श-पी-37 पर माल देने का इन्द्राज करना तथा संदीप कुमार द्वारा माल एफ.एस.एल. जयपुर में जमा करवा कर प्राप्ति रसीद प्रदर्श-पी-39 लाकर देना कहा है जिसे ए.सी.पी. चंचल मिश्रा को देना गवाह बताता है। दिनांक 3-10-2013 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से सीलशुदा पैकेट और एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त सीलशुदा पैकेट को मालखाना रजिस्टर के प्रदर्श-पी-37 पर जमा करना एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श-पी-40 चंचल मिश्रा को देना बताता है। दिनांक 5-11-2013 ए.सी.पी. चंचल मिश्रा द्वारा उक्त पैकेट पेश करने का कहने पर पेश किये जिसका इन्द्राज प्रदर्श-पी-37 में अंकित है। फिर चंचल मिश्रा ने गवाह व एस. आई. श्री रामदेव के समक्ष एफ.एस.एल. से प्राप्त सी.डी.ज को चला कर देखा जिसमें आसाराम द्वारा लड़कियों की झाड़फूंक करने व लड़कियों पर हाथ फेरने के दृश्य थे। फिर उन सी.डी.ज को वापस थैली में बन्द कर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने की सील से सीलचेपा कर वापस मालखाना में जमा किया, जिसकी फर्द प्रदर्श-पी-41 बनाई। गवाह ने आर्टिकल-7 मोबाईल नोकिया, आर्टिकल-8 वर्जन कम्पनी का मोबाईल व 1 सी.डी. व 5 डी.वी.डी. जिस लिफाफे से निकली वह आर्टिकल-9 व डी.वी.डी. पर आर्टिकल-10 से आर्टिकल-14 साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं।

35- पी. डब्ल्यू.-16 संदीप कुमार ने दिनांक 22-2-2013 से पुलिस थाना महिला पश्चिम में कान्सटेबल के पद पर तैनात रहते हुए दिनांक

(52)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

9-9-2013 को इस प्रकरण में जब्तशुदा मोबाईल मय मेमोरी कार्ड का सीलशुदा पैकेट जिस पर मार्क भी लिखा हुआ था, का अग्रेषण पत्र तैयार करवाना व विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने के लिये मालखाना इन्चार्ज कुशालराम द्वारा सुपुर्द करना, जिन्हें डी.सी.पी. कार्यालय पहुंच कर काईम ब्रांच के इन्चार्ज प्रेमराम को सुपुर्द करना, प्रेमराम द्वारा तैयार अग्रेषण पत्र के साथ सीलशुदा पैकेट एफ.एस.एल. जयपुर में सुपुर्द कर रसीद प्रदर्श-पी-39 कुशालराम को लाकर देना कहा है। स्वयं के पास पैकेट सीलबन्द हालत में रहना व सीलबन्द हालत में देना बताया है व अग्रेषण पत्र प्रदर्श-पी-42 साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। गवाह ने दिनांक 24-10-2013 को स्वयं व रमेश कुमार की मौजूदगी में ब्लैकबेरी फोन मय सिम मुल्जिमा शिल्पी व संचिता की जामा तलाशी में जब्त कर फर्द प्रदर्श-पी-43 तैयार करना कहा है।

36- पी. डब्ल्यू.-17 प्रेमराम कान्सटेबल संदीप कुमार द्वारा इस मुकदमे से सम्बन्धित सीलशुदा पैकेट मय कागजात उसे सुपुर्द करने पर अग्रेषण पत्र प्रदर्श-पी-42 तैयार करना व उक्त पैकेट, कागजात एफ.एस.एल. जयपुर में जमा करवाने हेतु संदीप कुमार को पुनः सुपुर्द करना व संदीप कुमार द्वारा एफ.एस.एल. जयपुर की प्राप्ति रसीद प्रदर्श-पी-39 स्वयं के समक्ष पेश करने पर संदीप कुमार के साथ ही थाने पर भेजना कहता है।

37- पी. डब्ल्यू.-18 जितेन्द्रसिंह इस प्रकरण में ए.सी.पी. पश्चिम के द्वारा चाहने पर उनके द्वारा चाहे गये मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल सम्बन्धित कम्पनी से मंगवा कर उपलब्ध करवाना कहता है। गवाह ने निम्नलिखित मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल कम्प्यूटर द्वारा निकलवाना कहा है :-

8765502251
7398489885
9415035839
9321344965
7804907062
9329836250
9303752153
9354719340
9303805181
9329993499
9321933400

इस गवाह ने अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष की कॉल डिटेल् प्रदर्श-पी-44 साक्ष्य में प्रदर्शित की है।

38- पी. डब्ल्यू.-19 राहुल के. सचान गवाह ने कथन किया है कि वह मेडिसन का व्यापार करता है। सन् 1994 में उसके एक मित्र ने उसे आसाराम जी की कुछ किताबें दी थी, जिनको उसने पढ़ा था। फिर उस साल 14 जनवरी को दोस्त के साथ अहमदाबाद जाकर शिविर में व अनुष्ठान में भाग लिया। मार्च 1994 में वापस अपने घर आ गया। उनकी किताबें पढ़ता रहता था और जो सत्संग दिल्ली में होते थे, उन्हें अटेण्ड करता था। मार्च 1995 में अहमदाबाद जाकर बापू जी के समर्पित हुआ और सेवा में लग गया। वर्ष 1999 आसाराम के नजदीक चला गया व उनकी कुटिया में सेवा कार्य में लग गया व कुटिया में कभी भी आ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। 2003 सितम्बर में एक मुंहबोली बहन जिसे गुड़िया कहते थे, ने फोन पर बताया कि बापू जी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। फिर इस तरह की घटनायें और भी सुनने में आईं तो इन्क्वायरी करने लगा। सितम्बर 2003 में कुटिया में बरामदे में एक छोटी सी लड़की लगभग 16 साल की, को अपनी बाहों में लेकर बुरी तरह से चूम चाट रहे थे जैसे कामुक पुरुष चूमता चाटता है। इस तरह की घटनायें पुष्कर, भिवानी, हरियाणा में भी देखी थी। अहमदाबाद में देखा कि बापू जी टार्च डालते थे और बापू जी के साथ 3 लड़कियां रहती थी जिनके नाम ढेल उर्फ निर्मला, बंगलो उर्फ मीरा व डसा उर्फ कृष्णा थे, जो टार्च डालने पर लड़कियों को बापू जी के पास ले जाती थी। आसाराम सत्संग एवं आश्रम में घूमते थे। उसके साथ यह तीन लड़कियां रहती थी, जिन लड़कियों पर इशारा करता था, उन्हें समझा बुझा कर कुटिया भेजती थी। एक बार शाम के समय लड़कियों के कुटिया में जाने के बाद दीवार के ऊपर झांक कर देखा कि आसाराम एक लड़की का स्तन दबा रहा था और उसके बाद उसे बाहों में लेकर चूमा चाटी कर रहा था। कुछ दिन बाद मैंने आसाराम को एक पत्र लिखा कि इन लड़कियों के साथ क्या कृत्य कर रहे हो, मैंने कई बार देखा है। उक्त पत्र आसाराम के रसोईये को दिया व कहा कि आसाराम के हाथ में दे दो। इसके

(54)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बाद भी कोई जवाब नहीं आया और रसोईये ने बताया कि उन्होंने पत्र पढ़ लिया। फिर दूसरा पत्र लिखा कि वर्षों तक आपकी सेवा की है, शिष्य को अपने गुरु से प्रश्न पूछने का अधिकार है, अगर शिष्य अपने गुरु से प्रश्न नहीं पूछेगा और गुरु जवाब नहीं देगा तो शिष्य साधना में पिछड़ जायेगा। उक्त पत्र का भी आसाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं जबरदस्ती कुटिया में घुस गया। आसाराम अपनी कुटिया से बाहर कुर्सी पर धूप सेक रहे थे, उसे कहा कि पत्र का जवाब दीजिये तो जवाब दिया कि ब्रह्मज्ञानी को यह सब करने से पाप नहीं लगता है तो उनसे यह पूछा कि ब्रह्मज्ञानी को यह सब करने की इच्छा कैसे होती है तो आसाराम अपनी कुटिया में चला गया, जवाब नहीं दिया। अन्दर जाकर अपने लोगों व गार्ड को आवाज लगाई कि इसको कुटिया से उठा कर फैंक दो। वह मायूस होकर वहां से आश्रम चला गया। चार-पांच दिन बाद अपने घर पर चला गया। आसाराम अपना सेक्स पावर बढ़ाने के लिये कुछ दवाईयों का सेवन करता था – कामिनी विद्रायन रस, काम चूड़ामणि रस, कामिनी मर्दन रस, पुष्प धनावारस, मकरध्वज इन दवाईयों का सेवन करता था और अफीम व गांजा का भी सेवन करता था। गवाह ने स्वयं द्वारा सत्संग वगैरा मैनेज करने, लोगों से मिलाने का काम करने व कुटिया में विशेष सामान लाने का काम करना भी बताया है व देशी अण्डा, मुर्गा, प्याज, लहसुन आदि सामान लाना कहता है। रोहित रसोईया हमेशा बापू के पास ही रहता था, बाहर नहीं जाता था। रोहित उससे ही (गवाह से ही) विशेष सामान मंगाता था। बापू की लड़की भारती समर्पित होने वाली लड़कियों को बहला फुसला कर कुटिया में भेजा करती थी। आसाराम बापू का एक पुत्र नारायण है जिसने पूना में एक सत्संग रखा था जिसका पूरा मैनेजमेन्ट गवाह करना बताता है। सत्संग के बाद नारायण सत्संग से वापस जहां रुका था, वहां पर आया हुआ था, वह एक लड़की से दुष्कर्म कर रहा था। आसाराम प्याज को कस्तूरी, लहसुन को केसर बोला करता था और अफीम को पंचेड़ बूटी कहा करता था। आसाराम का आश्रम छोड़ा उसके बाद उक्त दुष्कर्म की बातें मैंने किसी को नहीं बताई। अप्रैल 2004 में मेरे ऊपर एक हमला हुआ था, जिसकी पुलिस में शिकायत की थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस केस में भी न्यायालय में बयान देने के

(55)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बाद मेरे पर हमला हुआ था। आसाराम व उसका पूरा परिवार केसर से स्नान किया करता था। आसाराम के दुष्कर्म से जो लड़कियां आश्रम में प्रेगनेन्ट हो जाती थीं उनको ढेल, बंगलो और डसा नाम की लड़कियां दवाईयां देकर गर्भ गिरा देती थीं। आसाराम की चिकनी चुपड़ी बातों से हम हमेशा बहुत प्रभावित रहते थे। जैसा वे कहते थे कि समाज के अन्दर व्यवहार की बातें, सगाई, शादी, व्यापार आदि शुभ कार्य श्रावण मास में नहीं करने चाहिये, यह करने से बच्चे विकलांग पैदा होंगे, व्यापार नष्ट हो जायेगा, शादी और सगाई टूट जायेगी, पूजा के स्थान पर सोते हो तो धन नष्ट हो जायेगा, बच्चे बर्बाद हो जायेंगे, बच्चे विकलांग पैदा होंगे, घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसके कारण हम उनसे बहुत प्रभावित रहते थे और बहुत सम्मान देते थे। गवाह को जिरह में उसके पुलिस बयान प्रदर्श-डी-95 से Confront करवाया गया।

39- पी. डब्ल्यू-20 अरविन्द वाजपेई ने स्वयं को सरस्वती शिशु मन्दिर में दिनांक 1-7-2006 से प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित होना बताया है। "सु" का प्रवेश इस स्कूल में प्रवेश परीक्षा के आधार पर कक्षा दो में दिनांक 9-7-2002 को हुआ जिसका प्रवेश पत्र प्रदर्श-पी-45 है जिसका पंजीकरण क्रमांक 004152 है जिस पर तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री परसराम तिवारी के हस्ताक्षर हैं। प्रवेश पत्र के साथ "सु" की जन्म दिनांक 4-7-1997 है। "सु" का शिशु पंजीकरण व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-46 है जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श-पी-46-ए है। "सु" कक्षा द्वितीय से पांचवी तक नियमित छात्रा रही थी जिसका इन्द्राज प्रदर्श-पी-46 में है। पुलिस द्वारा मांगने पर "सु" का आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-47 दिया था जिसके आधार पर "सु" की जन्मतिथि 4-7-1997 है। इस छात्रा की जन्मतिथि रिकार्ड की प्रतिलिपि मांगने के लिये कई लोग आये, मना करने पर जान से मारने की धमकी दी, आफिस तक चले आये थे। उसके बाद एफ.आई.आर. प्रदर्श-पी-48 कोतवाली में दर्ज करवाई थी। दूसरी घटना दिनांक 31-10-2013 को हुई थी। उस दिन सुबह जब घर से बाहर परिसर में आया तो एक बण्डल मिला था जिसमें दो दैनिक अखबार थे, दोनों में एक-एक लिफाफा था जिनमें धमकी भरे पत्र थे। एक लिफाफे में 315 बोर का एक जिन्दा कारतूस था जिसकी रिपोर्ट

(56)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रदर्श-पी-49 कोतवाली में दर्ज करवाई थी। जिरह में गवाह को उसके पुलिस बयान प्रदर्श-डी-46 से Confront करवाया गया तथा प्रदर्श-डी-47, प्रदर्श-डी-48 व प्रदर्श-डी-49 दस्तावेजात् दिखा कर जिरह की गई।

40- पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह पीड़िता का पिता है, जिसने इस आशय के कथन किये हैं कि उसका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, पत्नी का नाम सुनीतासिंह है, दो लड़के व एक लड़की है। बड़ा बेटा सोमवीरसिंह बी. एससी. फाईनल ईयर में है, ट्रांसपोर्ट का काम भी देखता है, उससे छोटी बेटी "सु" है जो पिछले वर्ष गुरुकुल में 12 वीं कक्षा में पढ़ती थी, उससे छोटा बेटा यशवीरसिंह है जो अब 9वीं कक्षा में है, आठवीं में छिन्दवाड़ा में गुरुकुल में पढ़ता था जो आसाराम का है जिन्हें 2001 से जानता हूं। 2001 में बरेली में उनका सत्संग सुना था, उसके बाद उनसे प्रभावित हुआ व वर्ष 2002 में अहमदाबाद मन्त्र दीक्षा लेने के बाद हरिद्वार में उनका सत्संग सुना था जिसमें आसाराम ने कहा था कि जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। फिर छोटे बेटे यशवीर व बेटी "सु" का एडमीशन छिन्दवाड़ा गुरुकुल में करवाया था। बेटी का एडमीशन वहां 8वीं कक्षा में करवाने गये थे किन्तु सीट फुल हो जाने के कारण 7वीं कक्षा में एडमीशन किया था। बेटे का एडमीशन तीसरी कक्षा में करवाया था। गुरुकुल में एडमीशन के बाद बेटा बॉयज होस्टल में, बेटी गर्ल्स होस्टल में रहते थे। गर्ल्स होस्टल में वार्डन शिल्पी थी। शिल्पी का फोन बेटे सोमवीर के फोन नम्बर 9415035839 पर 6 अगस्त 2013 को आया था। शिल्पी ने कहा था कि सब काम छोड़ कर महामृत्युंजय का जाप करो। एक घन्टे तक लगातार मन्त्र का जाप किया। शिल्पी से जब मन्त्र का जाप करवाने का कारण पूछा तो उसने टालमटोल कर दी। अगले दिन वापस शिल्पी का फोन बेटे के फोन पर आया व बताया कि आपकी बेटी "सु" की हालत गम्भीर है, आप इसे लेने के लिये आ जाओ। फिर अगले दिन 8 अगस्त 2013 को गवाह अपनी पत्नी के साथ कार से शाहजहांपुर से छिन्दवाड़ा के लिये रवाना होकर शाम को 9 बजे करीब छिन्दवाड़ा पहुंचा जहां गुरुकुल के गेट पर जाकर बेटी के बारे में पूछा तो लगभग 10 बजे अपनी बेटी से बात करवाई तो बेटी ने बताया कि चक्कर आ गये थे व गिर गई थी, अब ठीक है। फिर उसे कहा कि सुबह

(57)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आयेंगे, अभी मिलने नहीं देंगे। फिर वहां पर बॉयज होस्टल में रुके थे। अगले दिन सुबह हम गर्ल्स होस्टल में गये, जहां शिल्पी मिली जिसने बताया कि आपकी बेटी को चक्कर आ गये थे, वह गिर गई थी, अभी ठीक है, उसे बुला देती हूं। फिर बेटी वहां आ गई थी। शिल्पी ने कहा कि होस्टल पर प्रेतों का साया है और वही साया "सु" पर आ गया है इसलिये वह बाथरूम में चक्कर खाकर गिर गई। पत्नी ने शिल्पी से पूछा कि आपको क्या पता कि इस पर भूत का साया है तो शिल्पी ने बताया कि भव्या नाम की एक लड़की है, उस पर भी भूत आता है और उसी लड़की ने बताया है कि "सु" पर भूत प्रेत का साया है, बापू से बात हो गई है, बापू ने एक मन्त्र बताया है और उस मन्त्र के प्रभाव से ही अब यह ठीक है। बापू ने कहा है कि "सु" को मेरे पास भेज दो और कहीं ले जाने व दिखाने की जरूरत नहीं है, बापू से बात हो गई है। जब पूछा कि बापू कहां मिलेंगे तो कहा कि शरद सर बता देंगे। फिर गुरुकुल में आकर शरद सर से मिले जो गुरुकुल का डायरेक्टर है। शरद ने बताया कि आपकी बेटी पर प्रेत का साया है और बापू ने आपको परिवार सहित बुलाया है। शरद से पूछा कि बापू कहां मिलेंगे तो कहा कि 12 या 13 तारीख को दिल्ली आयेंगे, बाकी आपको शिवा बता देगा। फिर छिन्दवाड़ा से चल कर अपने घर शाहजहांपुर आ गये। घर आकर शिवा से बात की तो शिवा ने बताया कि दिनांक 12 अगस्त 2013 को दिल्ली के रजोत्री आश्रम आयेंगे और वहां पहुंचने के लिये कहा। फिर शिवा से दिनांक 11-8-2013 को कन्फर्म करने के लिये फिर बात हुई तो शिवा ने कहा दिल्ली आ जाओ। 11 अगस्त की रात को गवाह स्वयं, अपनी पत्नी व बेटी के साथ रवाना होकर 12 अगस्त को दिल्ली पहुंचा, वहां पहुंच कर शिवा से बात की तो उसने बताया कि बापू अभी जोधपुर में हैं, आप जोधपुर आ जाओ। पूछा कैसे आयेंगे तो शिवा ने कहा कि मण्डोर एक्सप्रेस, जैसलमेर एक्सप्रेस से आ जाओ। 12 तारीख का रिजर्वेशन नहीं मिला तो 13 अगस्त का टिकट करवाया और 14 अगस्त को जोधपुर रेल्वे स्टेशन पर पहुंचे तो शिवा का फोन आया व पूछा कि कहां हो तो हमने कहा कि जोधपुर रेल्वे स्टेशन पहुंचे हैं। फिर वहां फ्रेश होकर तैयार होकर मणार्ई का रास्ता पूछा तो कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर शिवा से मणार्ई का रास्ता

(58)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पूछ कर ओटो वाले से बात करवाई। जब शिवा ने ओटो वाले को रास्ता समझा दिया तो ओटो से मणार्ई गये। वहां आश्रम बड़े फार्म में था, वहां बड़ा सा लोहे का गेट था जो बन्द था, शिवा से बात की तो शिवा ने गेट खुलवाया। अन्दर गये तो एक नीम के पेड़ के नीचे आसाराम बैठे सत्संग कर रहे थे, 40-50 लोग और भी बैठे हुए थे, वहीं जाकर बैठ गये। आसाराम ने बेटी से पूछा कि कहां से आये हो। गवाह ने खड़े होकर अपनी बेटी की प्रोब्लम बताई व बेटी ने बताया कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आई है तो बापू ने कहा कि भूत वाली लड़की हो, आओ अभी भूत उतारते हूं। बापू ने आगे बुला लिया, फिर पवित्र जल हाथ में लेकर मन्त्र बोला, फिर वह जल हमारी बेटी को पिलाया, उसके ऊपर छिड़का, हमें भी पिलाया और हम पर भी छिड़का। फिर हमारी सेवा की तारीफ की व कहा कि इन्होंने शाहजहांपुर में भी बड़ा आश्रम बनवाया है, प्रोग्राम करते हैं। फिर प्रसाद दिया व अपने सेवादार किशोर को कहा कि तुम्हारे घर के ऊपर जो कमरा है, उसमें ठहरा दो। फिर प्रसाद देकर कमरे पर भेज दिया, अनुष्ठान करने का आदेश भी दिया। शाम को सत्संग के बाद किशोर ने कहा कि बापू बुला रहे हैं। फिर गवाह स्वयं, पत्नी व बेटी के साथ बापू जी से मिलने कुटिया पर जाना कहता है। आसाराम वहां कुटिया के गार्डन में घूम रहा था। गवाह को कहा कि तुम यहां 11 दिन अनुष्ठान करो और बेटी को अहमदाबाद भेज दो। बेटी ने पढ़ने की इच्छा जताई तो कहा कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, बड़े बड़े अफसर तो मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं। तुम बी. एड. का लो, तुम्हें शिक्षिका बना देंगे, तुम्हें वक्ता बना देंगे। फिर बेटी ने पढ़ने की इच्छा व्यक्त की तो बापू ने प्रसाद देकर कमरे पर भेज दिया, जहां आकर सो गये। अगले दिन 15 अगस्त को दिन में बापू नहीं आये, शाम को सत्संग किया। सत्संग के बाद बाकी लोग बाहर जाने लगे, हम भी जाने लगे तो कहा कि जाटों इधर आ जाओ। फिर बापू के पीछे पीछे बातें करते हुए कुटिया तक आ गये। गेट पर आने के बाद कुटिया से पहले कंकरीट का रास्ता था। तीनों को कंकरीट के रास्ते पर बिठा दिया, बापू भी वहीं पूजा स्थल के पास कुर्सी लगा कर बैठ गये। फिर थोड़ी देर बातें कर रसोईये प्रकाश से दूध मंगवा कर तीनों को दूध पिलाया। बेटी ने पूरा नहीं पिया, फिर बचा हुआ दूध लेकर कमरे के पीछे भेज

(59)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

दिया व कुटिया के पीछे की तरफ बेटी को बिठा दिया। गवाह व उसकी पत्नी को मेन गेट के पास बिठा दिया व बापू कुटिया के अन्दर चले गये व लाईट बन्द कर दी। थोड़ी देर जप करते रहे। फिर पत्नी बेटी को देखने गई तो बेटी पीछे बैठी हुई जप कर रही थी। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने बताया कि बेटी जप कर रही है। फिर प्रकाश ने कहा कि अंकल जी आंटी जी सब सो गये, आप भी जाकर सो जाओ तो पत्नी ने कहा कि हम बेटी को लेकर जायेंगे। मैं तो वहां से अपने कमरे पर आकर सो गया। पत्नी वहीं बैठी रही। अगले दिन सुबह मैं उठा तो मेरी बेटी जग रही थी। उससे पूछा कि बापू ने क्या किया तो उसने कुछ बताया नहीं। फिर उसके सिर पर हाथ रखा तो उसके आंसू आ गये। सोचा कि अनुष्ठान करवाया होगा और उसकी तबियत भी खराब है इसलिये ऐसा कर रही है। बेटी ने कहा मैं बापू से नहीं मिलूंगी और बापू अच्छे इन्सान नहीं हैं। सोचा कि अनुष्ठान करवाया होगा इसलिये डर गई है, घबरा गई है इसलिये ऐसा कह रही है। फिर बापू से जाने की परमीशन लेने बापू के पास पत्नी के साथ गया, बेटी को भी चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। बापू ने पूछा कि "सु" नहीं आई तो पत्नी ने कहा कि वह नहा रही है। फिर बापू ने कहा कि उसे अनुष्ठान करने अहमदाबाद भेज देना, नहीं तो वह आवारा हो जायेगी, भाग जायेगी। बहुत बुरा लगा, फिर सोचा सन्त है कोई भले के लिये पाप काटने के लिये कह रहा होगा। किशोर के मकान पर सुबह नाश्ता किया तो बेटी ने कुछ खाया पिया नहीं। पत्नी ने वहां खेल रहे दो बालकों को पैसे दिये, फिर फार्म हाउस वाला लड़का कार से रेल्वे स्टेशन छोड़ने आया। वहां पर जयपुर की ट्रेन मिली, जयपुर आये। वहां से दिल्ली की ट्रेन पकड़ कर दिल्ली आये, दिल्ली से शाहजहांपुर देर रात पहुंचे व काम में लग गये। पत्नी ने बेटी से पूछा कि क्या बात है क्यों गुमसुम हो। पूजा के कमरे से पूजा करके निकला तो पत्नी ने बेटी द्वारा बताई गई सारी बात बताई। बेटी ने पत्नी को यह बताया था कि 15 तारीख की रात को बापू ने कुटिया में बिल्कुल नंगे होकर और बेटी की सलवार तक उतार दी और उसके साथ गलत हरकतें करते रहे, मना करने पर डरा दिया कि तुम्हारे मां बाप को मरवा देंगे, अपना लिंग बेटी के हाथ में दिया और कहा कि चूसो, उसके पूरे शरीर को चूमा चाटा,

(60)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्राइवेट पार्ट को भी चाटा। जब यह मालूम पड़ा तो बहुत गुस्सा आया, जिसे भगवान माना और 11-12 साल से तन, मन, धन से जिसकी सेवा की, उसने ऐसा किया, अपनी आय का कम से कम दसवां हिस्सा तो उन्हें देता ही था, कभी ज्यादा भी देता था। फिर सोचा कि जिस आदमी ने बच्ची के साथ इतनी धिनौनी हरकत की है, उसे सजा दिलानी चाहिये और पत्नी से कहा कि चलो उससे मिल कर बात करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। बापू का पता किया तो पता चला कि दिल्ली में हैं तो 19 अगस्त को दिल्ली पहुंचे, रात हो गई थी। फिर मालूम पड़ा कि रामलीला मैदान में सत्संग चल रहा है, पण्डाल लगा हुआ है, वहां पहुंचे लेकिन बापू नहीं मिले। फिर शिवा से पता करने के लिये फोन लगाया कि बापू कहां रुके हुए हैं तो शिवा ने फोन नहीं उठाया। जब बापू नहीं मिले तो हमने रिपोर्ट लिखवाने की सोची। रामलीला मैदान से थोड़ा आगे पुलिस का एक आफिस दिखाई दिया। उस आफिस में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने हमें कमला मार्केट थाने चले जाने को कहा और रास्ता बताया, फिर कहा कि हमारा एक आदमी अभी ड्यूटी खत्म करके जायेगा, वह आपको छोड़ देगा। थोड़ी देर बाद उनके एक आदमी ने कहा कि मैं आपको थाने छोड़ देता हूं। फिर वह आदमी मोटरसाइकल पर आगे आगे चला और पीछे पीछे हम कार से गये। थाना आ गया तो उसने इशारा करके बताया कि थाना है। अन्दर गये तो एक पुलिस वाला खड़ा था जिसे बेटी ने कहा कि मैं अपनी बात किसी लेडीज पुलिस को बताना चाहती हूं। उस पुलिस वाले ने बेटी को एक लेडीज पुलिस अधिकारी से मिलवा दिया, जिसने मेरी बेटी को एकान्त में बातचीत कर पूछा कि क्या करना चाहती है तो बेटी ने कहा कि रिपोर्ट करना चाहती हूं तो पुलिस अधिकारी ने कागज और पेन देकर कहा कि जो भी घटना घटी है, लिख कर दे दीजिये। बेटी ने रिपोर्ट लिख कर पुलिस को दे दी। फिर कहा कि वह अपना मेडिकल करवाना चाहती है। मेडिकल के लिये तीनों और पुलिस अधिकारी सरकारी अस्पताल गये। वहां पहले एक जेन्ट्स डाक्टर ने बेटी को चैक किया, फिर लेडीज डाक्टर के पास भेज दिया, जिसने चैक किया और बाहर भेज दिया था। मेडिकल के बाद वापस थाने आ गये, जहां लेडीज पुलिस अधिकारी ने कागज लिखापढ़ी कर ड्यूटी

(61)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अधिकारी को दिये और हमें कहा कि देर रात हो गई है इसलिये यहीं रुक जाओ। फिर अगले दिन सुबह 10-11 बजे एक लेडीज आई जिसने अलग कमरे में ले जाकर बेटी से बातचीत की। फिर 12-1 बजे बेटी के बयान करवाने के लिये मजिस्ट्रेट साहब के यहां ले गये। बयान होने के बाद करीब 5 बजे वापस थाने पर आ गये। थाने पर कुछ लिखापढ़ी करके पुलिस वालों के साथ जोधपुर भेज दिया, जहां दिनांक 21-8-2013 को पहुंचे व बड़े अधिकारियों से मिले। फिर उन्होंने महिला थाना पश्चिम पर भेज दिया। जहां बयान हुए, लिखापढ़ी करी, दिल्ली से जो कागज लेकर गये थे, वे उन्हें दिखाये, फिर अगले दिन सुबह मौका मुआयना के लिये गये थे। रणजीतसिंह के फार्म हाउस, जहां कुटिया बापू जी की बनी हुई है, वहां मणार्ई गांव गये, पुलिस ने बेटी व हमारे बताये अनुसार नक्शा मौका की लिखापढ़ी करके दस्तखत करवाये। नक्शा मौका प्रदर्श-पी-13 व प्रदर्श-पी-14 है। फिर वापस आने पर बेटी के, स्वयं के व पत्नी के बयान लिये। मुल्जिमान ने एक राय होकर षड्यन्त्र रच कर बेटी के साथ यह सब किया। छोटा बेटा भी गुरुकुल में था इसलिये पुलिस कमिश्नर को यह दरखास्त दी थी कि उसे सुरक्षित लौटाया जाये। बेटी की जन्मतिथि 4-7-1997 है।

41- गवाह पी. डब्ल्यू.-22 रामकिशोर उर्फ किशोर ने इस आशय के कथन किये है कि वे तीन भाई और दो बहनें है। बडी बहन का नाम गीता देवी उससे छीटी जशोदा देवी उसके बाद वह है उसके बाद विष्णु है तथा विष्णु से छोंटा भाई सत्यनारायण है, जो गीता के यहाँ रह कर पढाई करता है। दोनों बहने शादी शुदा है। आशाराम जी को सन 2001 से जानता है। इनके सत्संग में आता जाता रहता था और परिवार ने बापूजी से दीक्षा ले रखी थी। गवाह सन् 2001 में स्कूल छोड देना व बापूजी का साधक बनना कहता है। तब से अब तक बापूजी की सेवा करता है और घर पर भी काम करता है। हरिओम कृषि फार्म उसके पिताजी के नाम से है जहाँ मकान के अलावा बापूजी की कुटिया बनी हुई है। आश्रम की सवा बीघा जमीन है, जो ट्रस्ट के नाम की है, जो आज से छह साल पहले बापूजी के ट्रस्ट को दी थी बापूजी आते जाते रहते हैं। 11 अगस्त, 2013 को इस आश्रम में आये थे उनके साथ भूषण ड्राईवर, एक

(62)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सिक्वोरिटी में रणवीर, एक रसाईया व गवाह स्वयं था व एक अन्य व्यक्ति था। रसाईया प्रकाश था। बापू वहाँ 11 तारीख से 16 अगस्त की सुबह तक रुके। यू.पी. से साधक कर्मवीर, उनकी पत्नी व बेटी जिसका नाम "सु" था 14 अगस्त को आये थे, जो गवाह के परिचित थे। सुबह के सत्संग के दौरान ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे आये थे। सत्संग के बाद करमवीर ने बापू से अपनी पारिवारिक समस्याएं बताई थीं। सत्संग घर के आगे नीम के पेड़ के आगे करते थे। करमवीर के परिचित होने के कारण इन्हें घर के ऊपर वाले कमरे में रूकवाया था। करमवीर, उसकी पत्नी व बेटी 16 को सुबह वापस गए थे। 15-08-20103 को शाम को घर के आगे सत्संग हुआ वहाँ पर करमवीरसिंह उनकी पत्नी व बेटी आये थे। सत्संग करीब दो ढाई घंटे चला। सत्संग के बाद जब लोग जाने लगे तो बापू ने करमवीरसिंह को आओ जाटो कह कर बुलाया फिर बापूजी आश्रम में चले गए। करमवीरसिंह व उनके परिवार को घर के आगे बापूजी के पीछे जाते देखा था उसके आगे नहीं देखा फिर बाद में ये ऊपर वाले कमरे में आ कर रुके थे। 16-08-2013 को चाचाजी का लडका करमवीरसिंह व उनके परिवार को रेल्वे स्टेशन पर मरूधर एक्सप्रेस छोड़ने गए थे। बापूजी 16 तारीख को दस साढ़े दस बजे आश्रम से चले गए। गवाह भी उनके साथ जोधपुर पाल आश्रम आ गया। वह अभी भी बापू का साधक है। प्रकाश रसाईया हाजिर अदालत है।

42— गवाह पी. डब्ल्यू-23 महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरीलाल ने आसाराम बापू को जानना व सन् 1996 में स्वयं, बड़े भाई तिलकराज, भाभी ममता रानी द्वारा नाम दीक्षा लेना कहा है। गवाह सन् 1997 के आखिर में स्वामी नरसिंहानन्द द्वारा आश्रम में समर्पित होने को प्रेरित करने पर आश्रम में रहने के लिये जाना व 10-15 दिन रहने के बाद हेड आफिस मोन्टेरा आश्रम अहमदाबाद में उसे भेज देना कहता है। निर्देशानुसार भाणा भाई से मिलने के बाद जनरल सेवा में लगाना कहता है। गवाह ने करीब 1 साल तक प्रचार गाड़ी में काम करना, फिर उसे संचालक बना कर कोटा के एक आश्रम भेज देना बताया है। गवाह का कहना है कि जो संचालक होता है, वह बापू और नारायण साई से सीधे सम्पर्क में रहता है। जब वह संचालक था तो बापू का रसाईया अखिल

(63)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गुप्ता था। बापू का मोबाईल वही अपने पास रखता था, वह ही बात कराता था। तत्पश्चात् गवाह नारायण साई का मुख्य संचालक का कार्य सम्भालना कहता है। गवाह ने मुख्य परीक्षण में नारायण साई की कुटिया में लड़कियों को आते जाते देखना व नारायण साई को एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखना भी बताया है। हरिद्वार में वह पहले आश्रम छोड़ गये लोगों से सम्पर्क में आना तथा उनके द्वारा बापू के बारे में सब कुछ बताना कहा है। उक्त लोगों ने गवाह को यह बताया कि बापू आश्रम में रहने वाली लगभग हर लड़की से शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश करता है। इसे डेल और बंगलो, जिनके नाम निर्मला व मीरा भी हैं, लड़कियां सप्लाई करने का काम करती हैं। जो लड़की पसन्द आ जाती है, उसको प्रसाद मारते या रात को उस पर टार्च का डिपर मारते, फिर डेल व बंगलो उनका ब्रेन वश कर कुटिया में भेजती थी। कुछ लड़कियां तो भक्ति भाव से भोलेपन से समर्पण कर देती, कुछ विरोध करके भाग जाती। कई बार जब लड़की अपने माता पिता के साथ होती तो उसे सुन्दर देख कर अपने पास बुलाता और उससे पूछता कि क्या कर रही हो, कैरियर के बारे में पूछता, फिर कहता पढ़ाई करके क्या करोगी, मेरा सानिध्य-लाभ मिलेगा तो मैं पूजनीय बना दूंगा, लोग तुम्हारे चरणों में माथा टेक देंगे। फिर कहता कि मैंने केवल 3 तक पढ़ाई किया है, बड़े बड़े जज, आई. पी.एस., नेता सब मेरे चरणों में झुकते हैं। पढ़ाई करके दुनिया की गुलामी करनी पड़ेगी, मेरी शिष्या बन कर श्रेष्ठ हो जाओगी। इन सब बातों का पता चलने पर अगस्त 2005 में गवाह आश्रम छोड़ देना कहता है। गवाह ने आश्रम छोड़ने से पहले विरार, महाराष्ट्र में नारायण साई द्वारा बनाई ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में हस्ताक्षर करवाना व फिर ट्रस्टियों की संख्या बढ़ा कर नई ट्रस्ट डीड में हस्ताक्षर नहीं करवाना कहा है। हस्ताक्षर नहीं करवाने पर विरोध करने पर नारायण साई द्वारा पिटाई करवाना, जान से मारने की धमकी देना और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाना कहा है। 2008 में अहमदाबाद आश्रम में दो बच्चों की तन्त्र विद्या करके बलि चढ़ाने व स्वयं के पास नारायण साई के तन्त्र विद्या के कागज हाथ से लिखे होने पर उन बच्चों के माता पिता से सम्पर्क कर वे कागज उनको सम्भला देना बताता है। नारायण साई ने रतलाम आश्रम से

(64)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

फोन करके तन्त्र विद्या के कागज लौटाने को कहा तो उनसे कहा कि पांच कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, वे वापस दे दो। इस सिलसिले में डी. के. द्विवेदी आयोग में भी गवाही देना गवाह बताता है। स्वयं से धोखाधड़ी व मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना भी गवाह बताता है।

43- गवाह पी. डब्ल्यू.-24 ज्ञानसिंह भदौरिया ने इस आशय के कथन किये हैं कि सन् 1996 से बापू को जानता है। उसने 1996 में फूलबाग ग्वालियर में उनसे मन्त्र दीक्षा ली थी। 1996 से 1998 तक स्वयं के घर में रहा, 1998 से बापू जी की सेवा में आने जाने लगा। 2001 तक ग्वालियर, मेरठ, आगरा, दिल्ली आदि जगहों पर आश्रम में सेवा की। उसके बाद 2008 तक साहित्य के प्रचार में अलग अलग शहरों में रहा। 2008 में उसके पास एक मोबाईल था, जब चण्डीगढ़ आश्रम में रहता था, उसके नम्बर 9356239985 थे। 2009 में एक दूसरा मोबाईल लिया था, मोबाईल नम्बर 9321933400 गवाह ने स्वयं के पास ही रहना बताया है और किसी के पास नहीं रहना बताया है। इस स्टेज पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा गवाह का पक्षद्रोही करवा कर गवाह से जिरह की गई। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि वह आज भी आसाराम बापू में आस्था रखता है, ये उसके गुरुजी हैं और उनसे दीक्षा ली हुई है। बापू जहां जाते हैं, उनके साथ रसोईया रहता है। गवाह इस तथ्य को गलत बताता है कि उसने रिलायन्स मोबाईल 9321933400 वर्ष 2009 में आसाराम बापू के कहने से खरीद कर उन्हें दिया हो। वह यह तथ्य भी गलत बताता है कि दिनांक 27-8-2013 को प्रकाश ने उसे यह कहा हो कि पुलिस केस हो गया है इसलिये सिम बदलवा दो। गवाह इस कारण से सिम बदलवा कर फोन नम्बर 9368123444 प्रकाश को देना से इनकार करता है वरन् यह बताता है कि उसे वी.आई.पी. नम्बर मिल रहा है इसलिये बदल दिया। गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श-डी-51 से मुकर गया।

44- गवाह पी. डब्ल्यू.-25 पुखदास है, यह गवाह एस.एच.ओ. महिला थाना द्वारा पीड़िता "सु" के प्रथम प्रवेश सम्बन्धी दस्तावेज लाने हेतु तहरीर लेकर दिनांक 22-10-2013 को शाहजहांपुर पहुंच कर सरस्वती शिशु मन्दिर के

(65)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रधानाचार्य श्री अरविन्द वाजपेयी से मिल कर दस्तावेज मांगना व अरविन्द वाजपेयी द्वारा "सु" के प्रवेश पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श-पी-45 व शिशु पंजीकरण व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-पी-46-ए व आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-47 स्वयं को सुपुर्द करने पर एस.एच.ओ. को लाकर दे देना कहता है तथा अरविन्द वाजपेई के बयान भी लेखबद्ध करना कहता है।

45- पी. डब्ल्यू.-26 महेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह गवाह ने दिनांक 21-8-2013 को ए.सी.पी. चंचल मिश्रा के निर्देश पर पीड़िता "सु" के बयानों की वीडियोग्राफी करना कहा है। तत्पश्चात् वह दिनांक 22-8-2013 को अनुसन्धान अधिकारी चंचल मिश्रा द्वारा पुनः तलब करने पर मणार्ई गांव में हरिओम कृषि फार्म हाउस पर पहुंच कर घटनास्थल की सम्पूर्ण वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी उनके बताये अनुसार करना कहता है। गवाह ने स्वयं द्वारा की गई फोटोग्राफी प्रदर्श-पी-16 लगायत प्रदर्श-पी-32, घटनास्थल की वीडियोग्राफी की कम्प्यूटर पर डी.वी.डी. बनाना कहा है। गवाह ने पीड़िता के बयानों की डी.वी.डी. प्रदर्श-पी-15 व घटनास्थल के निरीक्षण की वीडियोग्राफी की डी.वी.डी. प्रदर्श-पी-16 साक्ष्य में प्रदर्शित की है।

46- गवाह पी. डब्ल्यू.-27 सत्यप्रकाश स्वयं की मौतबिरी में इस प्रकरण में अभियुक्त आसाराम को गिरफ्तार करना, चंचल मिश्रा द्वारा फर्ड गिरफ्तारी प्रदर्श-पी-52 बनाना कहता है। गवाह, चंचल मिश्रा द्वारा आसाराम के आश्रम गांव मणार्ई का मौका देख कर नक्शा मौका प्रदर्श-पी-53 व फर्ड मौका तस्दीक प्रदर्श-पी-54 बनाना कहता है।

गवाह उदय सांगाणी द्वारा दस्तावेज पेश करने पर अनुसन्धान अधिकारी चंचल मिश्रा द्वारा फर्ड पेशकर्त्ता दस्तावेज प्रदर्श-पी-55 बनाना कहता है।

47- पी. डब्ल्यू.-28 मोतीराम ने इस आशय के कथन किये हैं कि दिनांक 24-9-2013 को इस प्रकरण की तफ्तीश के दौरान एस.आई. मुक्ता पारीक के साथ संत आसाराम आश्रम छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश गया था। उस दिन सुशील भाई वार्डन ने छात्रावास के गेट पर रखे जाने वाले आगन्तुक रजिस्टर

(66)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

की फोटो प्रति पेश की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श-पी-56 बनाई थी। तफ्तीश के दौरान श्रीराम कश्यप ने एक मुख्तारनामा खास, संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र, शक्ति ट्रस्ट के बैंक एकाउन्ट्स व शरदचन्द्र द्वारा एकाउन्ट आपरेट करने के सम्बन्ध में चरित्र प्रमाण पत्र पेश किया था, जिन्हें जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श-पी-57 तैयार की थी। तफ्तीश के दौरान विवेक शर्मा प्रिन्सिपल गुरुकुल छिन्दवाड़ा ने पीड़िता "सु" की सन्त आसाराम गुरुकुल में प्रवेश के समय पेश की गई टी. सी., भव्या शुक्ला का मूल प्रवेश पत्र, भव्या शुक्ला के पिता द्वारा हस्ताक्षरित पालक घोषणा पत्र नियमावली, पीड़िता "सु" के ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कार्बन प्रति, कक्षा 12 हिन्दी माध्यम की उपस्थिति पंजिका, कक्षा 11 हिन्दी माध्यम की उपस्थिति पंजिका पेश की थी, जिन्हें जरिये प्रदर्श-पी-58 कब्जे में लिया था। तफ्तीश के दौरान शरदचन्द्र से एक मोबाईल मय सिम व इसके अलावा 10 सिम पुलिस कब्जे में लिये थे। उनकी फर्द प्रदर्श-पी-59 तैयार की थी। जिस स्थान से शरदचन्द्र के मोबाईल व सिम लिये थे, वहां का नजरी नक्शा प्रदर्श-पी-60 तैयार किया गया। तफ्तीश के दौरान नेहा तोतलानी जो सन्त श्री आसाराम गुरुकुल आश्रम का बालिका छात्रावास की वार्डन थी, से छात्रावास के गेट रखे जाने वाले रजिस्टर जिसमें दिनांक 8-8-2013 को श्री कर्मवीरसिंह के आने का इन्द्राज था, पुलिस कब्जे में लिया था। सन्त श्री आसाराम आश्रम का मेडिकल रजिस्टर, "सु" व भव्या के अवकाश हेतु आवेदन पत्र पुलिस कब्जे में लिये थे, जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श-पी-61 तैयार की गई। खास मुख्तारनामा असल प्रदर्श-पी-62 है। शरदचन्द्र बैंक आपरेट करने का ओथोराईजेशन लैटर प्रदर्श-पी-63 व प्रदर्श-पी-64 है। "सु" की सोनीपत की टी.सी. प्रदर्श-पी-65, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कार्बन प्रति प्रदर्श-पी-66, संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र असल प्रदर्श-पी-67 है।

48- पी. डब्ल्यू-29 पप्पाराम अभियुक्त शिवा की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श-पी-68 का मौतबिर गवाह है। इसके अतिरिक्त गवाह मणाई फार्म हाउस से सम्बन्धित वीडियोग्राफी के दौरान तैयार सी.डी. को आई.ओ. द्वारा लैपटॉप पर चला कर पीड़िता द्वारा बताये गये हालात को कम्प्यूटर टाईप कर प्रिन्ट आउट निकालने व सी.डी. को सीलचेपा करने का गवाह है। वह फर्द ट्रांसक्रिप्शन

(67)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रदर्श-पी-69 व प्रिन्ट आउट प्रदर्श-पी-70 का मौतबिर है। गवाह स्वयं के समक्ष ए.सी.पी. चंचल मिश्रा द्वारा अभियुक्त प्रकाश द्विवेदी को जरिये फर्द प्रदर्श-पी-71, मुल्जिम शरदचन्द्र को जरिये फर्द प्रदर्श-पी-72 गिरफ्तार करना भी कहता है।

49— गवाह पी. डब्ल्यू-30 रामदेव ने स्वयं को दिनांक 1-9-2013 को थाना कुड़ी में थानाधिकारी के पद पर तैनात रहना व उस दौरान मुकदमा संख्या 122/2013 पी.एस. महिला थाना पश्चिम में ए.सी.पी. चंचल मिश्रा के साथ तफ्तीश हेतु स्वयं की ड्यूटी लगाना कहा है तथा उस रोज अभियुक्त आसाराम की इत्तिला अनुसार अनुसन्धान अधिकारी के साथ मय मुल्जिम व पुलिस जाब्ता सरहद मणाई में घटनास्थल की मौका तस्दीक के वक्त जाना व उसे व सत्यप्रकाश एस.आई. को मौतबिर रख कर अनुसन्धान अधिकारी द्वारा अभियुक्त की निशांदाही से मौका तस्दीक करना, उसकी फर्द प्रदर्श-पी-53 व प्रदर्श-पी-54 बनाना कहा है। गवाह दिनांक 2-9-2013 को अभियुक्त शिवा को जरिये फर्द प्रदर्श-पी-68 स्वयं के समक्ष गिरफ्तार करना व वक्त गिरफ्तारी अभियुक्त की जामा तलाशी में एक मोबाईल दो सिम का कब्जा पुलिस में लेना कहता है।

उक्त गवाह ने दिनांक 6-9-2013 को अनुसन्धान अधिकारी द्वारा महिला थाने में मौका मुआयना की बनाई गई सी.डी. का ट्रांसक्रिप्शन लेपटॉप व कम्प्यूटर के जरिये करना, जिसकी फर्द प्रदर्श-पी-69 बनाना व ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श-पी-70 होना कहा है। दिनांक 6-9-2013 को ही अभियुक्त शिवा के पास मिले मोबाईल जिसका नम्बर 9321344965 की सिम में गैलेरी में मिले वीडियो क्लिप्स की लैपटॉप की सहायता से सी.डी. बना कर सी.डी. को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु सीलचेपा कर चेपा व फर्द पर स्वयं के हस्ताक्षर करवाना कहा है व उक्त की फर्द प्रदर्श-पी-38 बनाना बताया है। दिनांक 22-9-2013 को अभियुक्त प्रकाश की इत्तिला पर उसे साथ लेकर दिनांक 23-9-2013 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम में प्रकाश के रहवासीय स्थान की खानातलाशी लेकर फर्द प्रदर्श-पी-73 बनाना कहा है। गवाह दिनांक 28-9-2013 को अभियुक्त संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी द्वारा महिला थाने में

(68)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

इत्तिला देने पर छिन्दवाड़ा गुरुकुल में उसे भेजना तथा उसे डायरेक्टर शरदचन्द्र द्वारा छात्रावास की संचालिका नियुक्त करने का नियुक्ति पत्र व "सु" के माता पिता के आने का इन्द्राज रजिस्टर व प्रिन्सिपल द्वारा काटी गई टी.सी. वगैरा तथा रिकार्ड छिन्दवाड़ा में नेहा तोतलानी के पास है वगैरा, इत्तिला की फर्द प्रदर्श-पी-74 मुर्तीब करना कहता है। गवाह योगेश भाटी व निशांत के बयान लेखबद्ध करना व दिनांक 5-11-2013 को शिवा के मोबाईल के सिम व परीक्षण होकर एफ.एस.एल. से आया मोबाईल, 6 डी.वी.डी. व एक सी.डी. का आई.ओ. द्वारा निरीक्षण लैपटॉप के जरिये करना फर्द प्रदर्श-पी-41 बनाना व सी.डी. व डी.वी.डी. उसके सामने पुनः सीलचेपा करना कहता है। गवाह ने दिनांक 27-9-2013 को महिला थाना पश्चिम पर श्री उदय पुत्र नवीनचन्द्र शामलानी द्वारा एक मोबाईल रिलायन्स कम्पनी का मय बैटरी व सिम जो शरदचन्द्र का होना बताया था, उसको रूबरू मौतबिरान कब्जा पुलिस में लिया जाकर उसकी फर्द प्रदर्श-पी-36 बनाना कहा है।

50- गवाह पी. डब्ल्यू-31 देवेन्द्र पंवार ने इस आशय के बयान दिये हैं कि उसने सन् 1998 में बापू आसाराम से दीक्षा ली थी। मोबाईल नम्बर 9303752153 करीब तीन साढ़े तीन साल पहले लिया था, 6 महीने प्रयोग कर गुरुकुल आश्रम छिन्दवाड़ा में किसी को आश्रम के काम के लिये दे दिया। गवाह को विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवा कर जिरह की गई है। दौराने जिरह गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श-पी-75 के उन हिस्सों से मुकर गया है जिसमें उक्त मोबाईल शिल्पी द्वारा काम में लेना बताया गया है। वह इस बात को गलत होना बताता है कि आशाराम बापू का भक्त होने के कारण झूठे बयान दे रहा हो।

51- पी. डब्ल्यू-32 नितिन भल्ला ने अपना बड़ा भाई विवेक व बहन ज्योति भल्ला होना, आशाराम बापू का जानना उनके सत्संग में जाना व भाई विवेक का भी सत्संग में आना कहा है। गवाह ने यह कथन किया है कि उसे आशाराम बापू ने कोई सिम या मोबाईल देने को नहीं कहा था। इस गवाह को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवा कर जिरह की गई है। जिरह में इस गवाह ने यह तो स्वीकार किया है कि उसका मोबाईल नम्बर 9354719340

(69)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

है। उक्त मोबाईल रिलायन्स कम्पनी का था जो वर्ष 2010-2011 में लिया था किन्तु वह इस तथ्य को गलत बताता है कि उसने उपरोक्त मोबाईल अपने भाई विवेक के कहने से खरीदा हो, फिर अपने भाई विवेक को दिया हो और विवेक ने बापू के कहने पर आसाराम गुरुकुल छिन्दवाड़ा के डायरेक्टर शरदचन्द्र को दिया हो। गवाह उक्त मोबाईल सुशील को दिल्ली सत्संग के दौरान मिलने पर देना कहता है। गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श-पी-76 से भी मुकर गया है।

52- पी. डब्ल्यू.-33 विवेक शर्मा ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह श्री आसाराम गुरुकुल छिन्दवाड़ा में प्रिन्सिपल के पद पर पदस्थापित है। उसने "सु" पुत्री कर्मवीरसिंह की एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो प्रतापसिंह मेमोरियल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खारखोड़ा सोनीपत द्वारा जारी की गई थी, जो प्रदर्श-पी-65 है, पुलिस वालों के मांगने पर दी थी। इसके साथ गुरुकुल सन्त श्री आसाराम सीनियर सैकेण्डरी स्कूल छिन्दवाड़ा के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित व कार्बन प्रति प्रदर्श-पी-66 भी पुलिस वालों के मांगने पर दी थी। "सु" उनके गुरुकुल में अगस्त 2013 में कक्षा 12 में पढ़ती थी जिसके दैनिक उपस्थिति पंजिका की फोटो प्रति, भव्या शुक्ला का मूल प्रवेश पत्र व उसके पिता द्वारा पालक घोषणा पत्र व उसके साथ 11वीं क्लास की अंग्रेजी माध्यम की उपस्थिति पंजिला की पृष्ठ 1 से 3 की छाया प्रति भी पुलिस वालों के मांगने पर पेश करना बताता है। गवाह ने गुरुकुल की 12वीं क्लास वर्ष 2013 का उपस्थिति रजिस्टर आर्टिकल-15 साक्ष्य में प्रदर्शित किया है जिसमें भरे हुए पेज संख्या 1 लगायत 8 को प्रदर्श-पी-77 व उसकी प्रति प्रदर्श-पी-77-ए को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है एवं गुरुकुल का 11वीं क्लास अंग्रेजी माध्यम का वर्ष 2013 का उपस्थिति रजिस्टर आर्टिकल-16 व उसके अन्दर भरे हुए पेज प्रदर्श-पी-78 जिनकी प्रति प्रदर्श-पी-78-ए साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। भव्या शुक्ला का एडमिशन फार्म प्रदर्श-पी-79 व उसके पिता का पालक घोषणा पत्र प्रदर्श-पी-80, छात्रावास की नियमावली प्रदर्श-पी-81, पीड़िता कुमारी "सु" का बायो-डाटा प्रदर्श-पी-82, शैक्षणिक गतिविधियां प्रदर्श-पी-83, उसकी अगस्त 2013 की उपस्थिति की जानकारी का अग्रेषण पत्र प्रदर्श-पी-84 साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं।

(70)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

यह उल्लेखनीय है कि इस गवाह को पुनः तलब करवा कर उसके पुनः बयान लेखबद्ध किये गये हैं। उक्त बयानों में गवाह ने प्रदर्श-पी-107 व उसकी प्रति प्रदर्श-पी-107-ए माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, प्रदर्श-पी-108 लगायत प्रदर्श-पी-116 दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं।

53- पी. डब्ल्यू-34 सुशील ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह सन्त श्री आसाराम गुरुकुल बॉयज होस्टल छिन्दवाड़ा में वार्डन है। आगन्तुक रजिस्टर गुरुकुल के मैन गेट पर रहता है, वहीं सारी एन्ट्री होती है। दिनांक 24-9-2013 को महिला थाना पश्चिम, जोधपुर के पुलिस अधिकारी आये थे जिनके मांगने पर आर्टिकल-17 आगन्तुक रजिस्टर दिया था जिसके क्रम संख्या 24 पर कर्मवीरसिंह की एन्ट्री है। मुख्य द्वार परिचय पुस्तिका आर्टिकल-18 जोधपुर पुलिस को पेश किया था जिसके पेज संख्या 132 पर दिनांक 8-8-2013 की कर्मवीरसिंह के बारे में एन्ट्री है। फर्द पेशकर्त्ता प्रदर्श-पी-56 है।

54- पी. डब्ल्यू-35 नितिन दवे ने इस आशय के कथन किये हैं कि दिनांक 23-8-2013 को वह थानाधिकारी एक्सीडेन्ट (ईस्ट) के पद पर तैनात था। उस दिन डी.सी.पी. (वेस्ट) द्वारा उसे बुला कर आदेशित किया गया कि आसाराम के प्रकरण के आई.ओ. श्रीमती चंचल मिश्रा के साथ जाकर अनुसन्धान में सहायता करें। उसी दिन डीवाई.एस.पी. चंचल मिश्रा द्वारा शाहजहांपुर जाकर कर्मवीरसिंह के आचरण व पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के आदेश दिये गये। इस पर उसी रोज रवाना होकर दिनांक 25-8-2013 को शाहजहांपुर पहुंचा, थाना कोतवाली में आमद करवा कर एस.एच.ओ. से श्री कर्मवीरसिंह व उसके परिजनों के आपराधिक रिकार्ड के बारे में जानकारी की तो कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं पाया गया। तत्पश्चात् वहां से लोकल पुलिस इमदाद लेकर शाहजहांपुर में आसाराम के आश्रम पहुंचे तो कई भक्त व लोकल व्यक्ति खड़े थे, जिनसे कर्मवीरसिंह व उसके परिवार के बारे में जानकारी की गई, उपस्थित कृपालसिंह के बयान लिये गये व उपस्थित अन्य लोगों से पूछताछ व अनुसन्धान किया गया। तत्पश्चात् कर्मवीरसिंह के घर के आसपास पहुंच उसकी

(71)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आम शोहरत के बारे में पूछताछ की तो घर के आसपास उसकी आम शोहरत अच्छी बताई गई व आसाराम का अनुयायी होना बताया गया। घर के पास ही वीरेन्द्र कुमार सोनी नाम के व्यक्ति के बयान लिये गये। तत्पश्चात् रवाना होकर उक्त बयान व केस डायरी आई.ओ. चंचल मिश्रा को पेश की। उसके पश्चात् दिनांक 7-9-2013 को पुनः आई.ओ. चंचल मिश्रा के कहने पर उसके निर्देशानुसार दिल्ली रवाना होकर कमला मार्केट थाने में पहुंच कर ए.एस.आई. पुष्पलता के बयान प्रदर्श-पी-15 लेखबद्ध किये व निरपालसिंह व श्रीमती किरण झा ठाकुर के बयान भी लेखबद्ध किये। अस्पताल पहुंच कर एम.एल.सी. करने वाले डाक्टरों के नाम पते लेकर दिनांक 11-9-2013 को लौट कर आई.ओ. को उक्त बयान पेश किये।

यह उल्लेखनीय है कि इस गवाह को भी पुनः धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा तलब किया गया है व पुनः मुख्य परीक्षण करवाया गया है। उक्त मुख्य परीक्षण में गवाह ने इस आशय के कथन किये हैं कि दिनांक 23-8-2013 को अनुसन्धान अधिकारी के निर्देशानुसार रवाना होकर दिनांक 25-8-2013 को शाहजहांपुर पहुंचा था। दिनांक 25-8-2013 पीड़िता के घर भी गया था जहां उसे "सु" व उसकी माता उपस्थित मिली, "सु" ने हाई स्कूल प्रमाण पत्र का मूल व उसके साथ फोटो प्रति पेश की। मूल प्रमाण पत्र लेना चाहा तब "सु" ने कहा कि उसे आगे एडमीशन व पढ़ाई में आवश्यकता रहेगी और जब भी न्यायालय को आवश्यकता होगी तब वह मूल उपलब्ध करवा देगी, यह कह कर फोटो प्रति पेश की, जिसका मिलान कर दस्तावेज आई.ओ. को पेश किया था जो प्रदर्श-पी-107 है। प्रदर्श-पी-107 में पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 4-7-1997 अंकित थी। जिस मूल दस्तावेज से मिलान किया था, वह मूल दस्तावेज प्रदर्श-पी-107-ए है।

55- पी. डब्ल्यू-36 नेहा तोतलानी ने इस आशय के कथन किये हैं कि उसने आर्टिकल-17 बालिका छात्रावास सुरक्षा सेवा रजिस्टर व पालक/जन सम्पर्क पंजीकरण रजिस्टर जोधपुर पुलिस को दिनांक 24-9-2013 को दिया था। पीड़िता "सु" बालिका छात्रावास में रहती थी, उक्त

(72)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रजिस्टर आर्टिकल-17 में दिनांक 8-8-2013 को "सु" के पिता कर्मवीरसिंह के आने की एन्ट्री है। दिनांक 24-9-2013 को ही बालिका छात्रावास मेडिकल रजिस्टर आर्टिकल-19 जोधपुर पुलिस को पेश किया था। दिनांक 30-7-2013 को "सु" को आंखों की जांच के लिये ज्योति आईज होस्पिटल (Jyoti Eyes Hospital) भेजा था जिसका इन्द्राज आर्टिकल-19 में है। उसी दिन पुलिस के मांगने पर कर्मवीरसिंह द्वारा छात्रा से मिलने/अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श-पी-85 व प्रदर्श-पी-86 पुलिस को दिये थे व उसी दिन भव्या शुक्ला के पिता शैलेश शुक्ला का दिया गया अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श-पी-87 पुलिस को दिया था। पुलिस ने उक्त दस्तावेज लेकर प्रदर्श-पी-61 बनाई थी।

56- पी. डब्ल्यू-37 श्रीराम कश्यप ने दिनांक 24-9-2013 को जोधपुर के पुलिस अधिकारी को मुख्यारनामा प्रदर्श-पी-62, अधिकृत पत्र प्रदर्श-पी-63 व प्रदर्श-पी-64, संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-पी-67 पेश करना कहा है जिस पर पुलिस द्वारा फर्द प्रदर्श-पी-57 बनाना कहा है।

57- पी. डब्ल्यू-38 बाबूसिंह ने दिनांक 25-8-2013 को डी.सी.पी. कार्यालय जोधपुर (ईस्ट) में रीडर के पद पर पदस्थापित रहते हुए आसाराम, शिवा, शरद, प्रकाश व शिल्पी के सम्मन प्राप्त कर संत आसाराम आश्रम अहमदाबाद जाकर आश्रम में प्रवक्ता निशांत व हरीश भाई को लिखित में सम्मन देकर रसीद प्राप्त करना कहा है। दिनांक 27-8-2013 को रीजनल पासपोर्ट कार्यालय पहुंच कर आसाराम के पासपोर्ट की प्रति व नम्बर प्राप्त कर जोधपुर पहुंच कर समस्त कागजात, डायरी के साथ ए.सी.पी. कार्यालय वेस्ट में प्रस्तुत करना कहा है। दूसरी बार दिनांक 15-9-2013 को एस.एच.ओ. कुड़ी भगतासनी के पद पर तैनात रहते हुए आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 16-9-2013 को पी.एस. चांदखेड़ा पहुंच कर आसाराम आश्रम से सम्बन्धित तफ्तीश के सम्बन्ध में नोटिस पेश करना व उसी दिन गवाह अमृत भाई प्रजापत व सुधा के बयान लेना व दिनांक 17-9-2013 को आयकर भवन व सोसायटी रजिस्ट्रेशन विभाग में पहुंच कर वहां से रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी व आयकर सम्बन्धी रिकार्ड प्राप्त करने हेतु लिखित में पत्र देकर आयकर नम्बर लेना व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी रिकार्ड दिनांक 18-9-2013 को रजिस्ट्रेशन

(73)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कार्यालय से प्राप्त करना कहता है, जिन्हें दिनांक 20-9-2013 को जोधपुर पहुंच कर डायरी के साथ ए.सी.पी. वेस्ट कार्यालय में आई.ओ. को सुपुर्द करना कहता है। गवाह ने प्रथम बार जाने में अडालस पुलिस स्टेशन से आसाराम आश्रम के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर आई.ओ. को सुपुर्द करना कहा है। गवाह अभियुक्त प्रकाश व शरदचन्द्र की फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श-पी-71 व प्रदर्श-पी-72 का भी मौतबिर है। गवाह ने साक्ष्य में आपत्ति के अधीन पी.एस. अडालस साबरमती से प्रमाणित प्रतिलिपियां लेकर प्रदर्श-पी-88 से प्रदर्श-पी-102 साक्ष्य में प्रदर्शित की हैं।

58— गवाह पी. डब्ल्यू-39 अजय कुमार ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह वह दसवीं तक पढ़ा है। सन् 1993 में अहमदाबाद आश्रम में समर्पित हुआ था जहां उसकी सेवा अश्विन भाई पटेल के साथ कैसेट रिकार्डिंग में लगाई थी। उसका काम कैसेट पैकिंग कर बक्से में डाल कर डिसपैच आफिस तक भेजने की थी। डिसपैच के बाद वह कैसेटें बिकने के लिये जहां सत्संग होता था, वहां चली जाती थी। उस दौरान गवाह को पता चला कि गुलशन कुमार ने कैसेट की बिक्री को लेकर मुनाफे की बात को लेकर आपत्ति उठाई थी। सामान को ट्रेन के द्वारा अवैध तरीके से बगैर किसी किराया या बिल्टी दिये विभिन्न आश्रमों में ले जाया जाता था। पुरुष सेवादार नरेश सीआईडी की एक दिन शाम को रसोई में नारायण से कहासुनी हो गई जिस पर जीतू बवाल ने नरेश सीआईडी को पीटा व जान से मारने की धमकी दी। करीब 20-25 दिन के बाद आश्रम में अफवाह उड़ी कि नरेश सीआईडी ऋषिकेश में डूब कर मर गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नरेश सीआईडी को मार दिया गया है। उस घटना के बाद उसे कभी भी आश्रम में नहीं देखा था। ठीक उसी तरह आश्रम का सेवादार रेवा भाई एक दिन आसाराम के कहने पर किसी काम के लिये बाहर गया और कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसका शरीर न तो आश्रम में आया, न ही कोई एफ.आई.आर. कटी। सन् 1995 की गुरु पूर्णिमा की रात को गवाह अहमदाबाद आश्रम शान्ति कुटिया के साथ के गैरेज में सो रहा था। करीब रात को एक डेढ बजे शान्ति कुटिया का दरवाजा खुला। शान्ति कुटिया से दो तीन लड़कियां, जिनमें से 2

(74)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लड़कियां निर्मला व मीरा थी व उनके साथ एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 15-16 वर्ष रही होगी और गैरेज में खड़ी गाड़ी में बैठने जा रही थी, थोड़ी ही देर में नारायण साईं शान्ति कुटिया से आया, गैरेज का शटर खोला, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी को तेजी से चला कर ले गया। उस दिन के बाद छानबीन करना शुरू किया और पाया कि मोरिस की कुटिया के साथ वाले दरवाजे से लड़कियां अन्दर जाती हैं और देर रात को जीतू बवाल या नारायण उन लड़कियों को बाहर छोड़ कर आता है। छानबीन का नारायण व जीतू बवाल को पता चल गया तो उन्होंने नारायण के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की तो उसने अपनी जान बचा कर गुजरात स्टेडियम के रास्ते एक ट्रक में लिफ्ट लेकर उदयपुर पहुंच कर दो महीने मन्दिर, धर्मशाला, बस स्टेण्ड या स्टेशन पर समय बिताया। जब घर पहुंचा तो सारी घटना अपने माता पिता को बताई, उसे अहमदाबाद मोटेरा आश्रम में साबरमती के नीचे के कमरों में पंखे से लटका कर बुरी तरह से पीटा था लेकिन उसके पिता ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कुछ रिश्तेदारों के साथ दिल्ली आश्रम में गये, जहां आसाराम का सत्संग का कार्यक्रम था। इसी दौरान भाणा भाई व शेखर ने गवाह को पकड़ कर किताबों के गोदाम में लेकर गये व वहां पर फिर से मारपीट की लेकिन यह कहने पर छोड़ दिया कि गवाह के माता पिता साथ आये हैं, तब वापस आया। उसके माता पिता को अहमदाबाद के साधकों ने आसाराम से मिलने नहीं दिया, फिर वे घर आ गये। आसाराम, मीरा व निर्मला को कई बार बहुत ही बुरी तरह से डांटता था कि जो लड़कियां उसने भिजवाई हैं, वह उनसे सन्तुष्ट नहीं है और बुरी तरह से गालियां भी देता था। आसाराम को जो लड़की पसन्द आती थी, उसका सन्देशा रमेश उर्फ टेटिया व मीरा एवं निर्मला को दे दिया जाता था। उन लड़कियों को अनुष्ठान के बहाने आश्रम में भेजा जाता था। वे ही लड़कियां रात को सन्त कुटिया में भी जाती थी। मीरा और निर्मला को ढेल और बंगलो के नाम से भी जानते थे। पुलिस वालों ने जज साहब के सामने बयान प्रदर्श-पी-103 करवाये थे।

59- गवाह पी. डब्ल्यू-40 उदय सांगाणी, सन्त श्री आसाराम आश्रम साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात में सेवादार है। इस गवाह ने दिनांक

(75)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

21-9-2013 को ए.सी.पी. चंचल मिश्रा को अग्रेषण पत्र, सुरक्षा सेवा रजिस्टर, छात्रावास नियमावली, बालिका छात्रावास कर्मचारियों की सूची, संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र, "सु" को अस्पताल में दिखाने की Prescription की छाया प्रति देना कहा है एवं उक्त दस्तावेज को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर फर्द पेशकर्त्ता प्रदर्श-पी-55 तैयार करना कहा है। गवाह ने बालिका छात्रावास के कर्मचारियों की सूची प्रदर्श-पी-104, संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-पी-67, छात्रावास की नियमावली प्रदर्श-पी-81 साक्ष्य में प्रदर्शित की है व आर्टिकल-19 व 17 की छाया प्रतियां पुलिस को देना कहा है व दिनांक 23-9-2013 को पुलिस को मोबाईल एक सैमसंग व एक रिलायन्स का देना कहता है। सैमसंग का मोबाईल आर्टिकल-4, रिलायन्स का आर्टिकल-5 व फर्द पेशकर्त्ता प्रदर्श-पी-35 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये हैं तथा दिनांक 27-9-2013 को रिलायन्स का एक मोबाईल व बैटरी व सिम आर्टिकल-6 पुलिस को पेश करना कहता है जिसकी फर्द पुलिस द्वारा प्रदर्श-पी-36 बनाना कहता है। प्रदर्श-पी-105 अग्रेषण गवाह ने साक्ष्य में प्रदर्शित किया है।

60- पी. डब्ल्यू-41 मुक्ता पारीक ने इस आशय के कथन किये हैं कि दिनांक 21-8-2013 को वह महिला थाना पश्चिम, जोधपुर महानगर में थानाधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन श्रीमान् डी.सी.पी. साहब पश्चिम के आदेशानुसार परिवादिया "सु" की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 122/2013 अन्तर्गत धारा 342, 376, 354-ए, 506, 509/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 23 व 26 किशोर न्याय अधिनियम व धारा 8 PocsO Act में दर्ज किया था व रिपोर्ट में संलग्न दस्तावेज एफ.आई.आर. में संलग्न किये। तत्पश्चात् अग्रिम अनुसन्धान हेतु उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार पत्रावली सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम के हवाले की थी। पीड़िता "सु" के द्वारा Zero नम्बरी रिपोर्ट पेश हुई थी जो प्रदर्श-पी-4 है जिस पर कायमी मुकदमा का पृष्ठांकन किया गया। एफ.आई.आर. पर्चा चाक की गई जो प्रदर्श-पी-106 है। दिनांक 25-8-2013 को अनुसन्धान हेतु छिन्दवाड़ा में थी। उस दिन सन्त श्री आसाराम गुरुकुल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल छिन्दवाड़ा के प्रिन्सिपल विवेक शर्मा ने अग्रेषण पत्र प्रदर्श-पी-84 पेश किया जो प्राप्त कर प्राप्ति रसीद कार्यालय में दी

(76)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

थी। उक्त अग्रेषण पत्र के जरिये विवेक शर्मा द्वारा दिये गये दस्तावेज "सु" का बायो-डाटा प्रदर्श-पी-82, शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित रिकार्ड प्रदर्श-पी-83 है जिसके अनुसार विद्यालय में "सु" की प्रवेश तिथि 1-7-2008 है। प्रदर्श-पी-108 "सु" की अंकतालिका सातवीं क्लास का प्रमाण पत्र है, प्रदर्श-पी-109 आठवीं क्लास का अंक सूची प्रमाण पत्र है, प्रदर्श-पी-110 9वीं क्लास का प्रगति पत्र है, प्रदर्श-पी-111 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा छात्रा "सु" को जारी दसवीं की मार्क शीट, 2012 की अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि है, प्रदर्श-पी-112 कक्षा कक्षा 11वीं का प्रगति पत्र है। उक्त समस्त दस्तावेजों पर प्रिन्सिपल श्री विवेक शर्मा के हस्ताक्षर हैं जो गवाह के समक्ष अंकित किये गये थे। उक्त सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में छात्रा "सु" की जन्म तिथि 4-7-1997 अंकित है। गवाह ने अभियुक्त आसाराम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श-पी-52 को बतौर मौतबिर प्रदर्शित किया है व छात्रा "सु" का भ्रमण सम्बन्धी वर्ष 2012-2013 का दस्तावेज प्रदर्श-पी-113, उपस्थिति सम्बन्धी विवरण प्रदर्श-पी-114, बीमारी सम्बन्धी विवरण प्रदर्श-पी-115, अस्पताल में दिखाये जाने सम्बन्धी इलाज की फोटो प्रति प्रदर्श-पी-116 साक्ष्य में प्रदर्शित करते हुए प्रदर्श-पी-113 से प्रदर्श-पी-116 तक दस्तावेज जरिये अग्रेषण पत्र प्रदर्श-पी-84 श्री आसाराम गुरुकुल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल छिन्दवाड़ा के प्रिन्सिपल श्री विवेक शर्मा द्वारा जारी करके देने की ताईद की है।

गवाह दिनांक 24-9-2013 को अनुसन्धान अधिकारी के निर्देशानुसार अनुसन्धान हेतु छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश में होना व उस दिन सुशील भाई द्वारा उक्त गुरुकुल के बालक छात्रावास का प्रवेश द्वार पर रखा जाने वाला आगन्तुक रजिस्टर पेश करना व उक्त रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 132 पर कर्मवीरसिंह शाहजहांपुर का उक्त छात्रावास में आने का इन्द्राज होना व उक्त रजिस्टर को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श-पी-56 जब्त करना कहती है तथा आगन्तुक रजिस्टर आर्टिकल-18 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है।

गवाह उसी दिन श्रीराम कश्यप द्वारा स्वयं के समक्ष संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-पी-67, मूल मुख्तारनामा प्रदर्श-पी-62, बैंक एकाउन्ट का अधिकार पत्र प्रदर्श-पी-63 व प्रदर्श-पी-64 पेश करना कहती है जिन्हें

(77)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018 फर्द प्रदर्श-पी-57 द्वारा कब्जे में लेना बताती है। गवाह ने दिनांक 24-9-2013 अनुसन्धान के दौरान नेहा तोतलानी द्वारा आगन्तुक रजिस्टर आर्टिकल-17 व मेडिकल रजिस्टर आर्टिकल-19 पीड़िता "सु" का अवकाश हेतु मूल आवेदन पत्र प्रदर्श-पी-85 व भव्या शुक्ला का मूल अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श-पी-85 व प्रदर्श-पी-86 पेश करना कहती है, जिनकी फर्द प्रदर्श-पी-61 बनाना गवाह ने बताया है।

गवाह ने दिनांक 24-9-2013 को अभियुक्त शरदचन्द्र द्वारा उसके द्वारा दी गई इत्तिला अनुसार एक मोबाईल मय बैटरी व सिम तथा 10 अन्य सिम पेश करना, जिन्हें जरिये फर्द प्रदर्श-पी-59 जब्त करना बताती है व बरामदगीस्थल का नक्शा प्रदर्श-पी-60 बनाना कहती है। मोबाईल पर आर्टिकल-20, अलग सिम आर्टिकल-21 लगायत आर्टिकल-28 व एयरटेल की सिम आर्टिकल-29 व डोकोमो की सिम पर आर्टिकल-30 डालना कहती है।

गवाह ने दौराने अनुसन्धान उसी दिन सन्त श्री आसाराम गुरुकुल के प्रिन्सिपल श्री विवेक शर्मा द्वारा मौतबिरान के समक्ष "सु" पीड़िता की विद्यालय के प्रवेश के समय पेश की हुई टी.सी. प्रदर्श-पी-65, भव्या शुक्ला का मूल एडमीशन फार्म प्रदर्श-पी-79, पालक घोषणा प्रदर्श-पी-80, छात्रावास की नियमावली प्रदर्श-पी-81, पीड़िता "सु" की टी.सी. की कार्बन प्रति प्रदर्श-पी-66, उपस्थिति पंजिका आर्टिकल-15, उपस्थिति पंजिका आर्टिकल-16, प्रिन्सिपल विवेक शर्मा द्वारा प्रमाणीकरण प्रदर्श-पी-78 साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं तथा उक्त दस्तावेज विवेक शर्मा द्वारा पेश करना व उसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श-पी-58 बनाना कहा है।

गवाह ने दौराने अनुसन्धान जब्त किये समस्त आर्टिकल जोधपुर पहुंच कर अनुसन्धान अधिकारी श्रीमती चंचल मिश्रा के समक्ष पेश कर महिला थाना पश्चिम के मालखाना में जमा करवाना कहा है।

दिनांक 2-9-2013 को अनुसन्धान अधिकारी द्वारा उसे मुल्जिम शिवा की जामा तलाशी में बरामद दो मोबाईल देने पर महिला थाना पश्चिम, जोधपुर पहुंच कर जमा मालखाना करवाना एवं मालखाना रजिस्टर अनुसार प्रमाणित कर मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श-पी-37-ए

(78)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अनुसन्धान अधिकारी को पेश करना व उसकी मूल प्रदर्श-पी-37 होना कहा है।

गवाह ने अनुसन्धान अधिकारी ए.सी.पी. चंचल मिश्रा द्वारा बाद अनुसन्धान आरोप पत्र हेतु पत्रावली उसे सुपुर्द करना, अनुसन्धान अधिकारी के साथ बैठ कर पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर संकलित साक्ष्य को अनुसन्धान अधिकारी के साथ समझने व बाद में विचार विमर्श बाद पत्रावली पर आये तथ्यों को बिन्दुवार अंकित करना कहा है। गवाह ने इस आशय के तथ्य सामने आना बताया है कि पीड़िता "सु" सन्त श्री आसाराम गुरुकुल छिन्दवाड़ा में अध्ययनरत थी जो शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा द्वारा संचालित था जिसके ट्रस्टी श्री आसाराम थे। अभियुक्त शरद उक्त गुरुकुल में डायरेक्टर के पद पर था जिसमें संचिता उर्फ शिल्पी को बालिका छात्रावास की की संचालिका नियुक्त किया था। अभियुक्त शरद व शिल्पी ने षड्यन्त्रपूर्वक सामान्य आशय की पूर्ति हेतु कपटपूर्ण तरीके से पीड़िता "सु" पर भूत का साया होने का भय दिखा कर यौन उद्देश्य की पूर्ति हेतु पीड़िता "सु" को उसका नाबालिग होना जानते हुए दुष्प्रेरण द्वारा उसके माता पिता के साथ गुरुकुल छिन्दवाड़ा से स्थानान्तरित किया था। मुल्जिम शिवा आसाराम का विश्वस्त सेवादार था तथा मुल्जिम प्रकाश आसाराम का रसोईया है। छिन्दवाड़ा से स्थानान्तरित यौन आशय की पूर्ति हेतु मुल्जिम आसाराम ने पीड़िता "सु" को सेवादार शिवा व प्रकाश की मदद से षड्यन्त्रपूर्वक हरिओम कृषि फार्म मणार्ई में प्राप्त किया था। आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को मणार्ई स्थित स्वयं की कुटिया में पीड़िता से रात्रि के समय अकेल होने की परिस्थितियां पैदा की। कुटिया में स्वयं के कमरे में आसाराम द्वारा पीड़िता को एक से डेढ़ घन्टे तक बन्द किया गया व उसे किसी भी दिशा में जाने से निवारित किया गया। आसाराम ने पीड़िता को Sexual favour के लिये बाध्य किया, उसके चिल्लाने पर उसका मुंह बन्द कर दिया व उसके माता पिता को व स्वयं पीड़िता को क्षति कारित करने का भय दिखाते हुए धमकी दी, स्वयं के समस्त वस्त्र उतार कर पीड़िता के सामने नंगा हो गया, स्वयं का लिंग उसके हाथों पकड़वा दिया और पीड़िता को लिंग चूसने के लिये बाध्य किया, पीड़िता को समस्त शरीर पर छुआ, Kiss किया, पीड़िता की सलवार को खोल कर उसके जननांगों को छेड़छाड़ की। पत्रावली पर आये

(79)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

समस्त दस्तावेजों के आधार पर तथा पीड़िता के दसवीं के प्रमाण पत्र के आधार पर उसका नाबालिग होना अनुसन्धान से प्रमाणित था। उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गवाह द्वारा अनुसन्धान अधिकारी द्वारा पेश अनुसन्धान से मुल्जिम आसाराम के विरुद्ध जुर्म धारा 370 (4), 342, 354-ए, 376 (2) (एफ), 376 (डी), 506, 509/34, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 23 व 26 किशोर न्याय अधिनियम एवं धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6, 8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, एवं सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरदचन्द्र के विरुद्ध धारा 342, 354-ए, 370 (4), 376 (2) (एफ), 376 (डी), 506, 509/34, 109/120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 23 व 26 किशोर न्याय अधिनियम एवं धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा अभियुक्त प्रकाश एवं शिवा के विरुद्ध धारा 370 (4), 342, 354-ए, 376 (2) (एफ), 376 (डी), 506, 509/34, 109, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में जुर्म प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अनुसन्धान जारी रखते हुए उपरोक्त मुल्जिमान के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया।

61- पी. डब्ल्यू-42 सुश्री सुधा बेन ने इस आशय के कथन किये हैं कि उसके पिता का इस साल 29 जनवरी को देहान्त हो गया है। उसके अलावा दो भाई और तीन बहनें और हैं। वह अविवाहित है व आसाराम बापू के सम्पर्क में सन् 1985 में आई थी। फिर वह अपनी मर्ची से आसाराम बापू के आश्रम में आ गई, जहां खेती का काम करती थी। उसने वहां 10 साल काम किया। वहां उसके साथ व्यवहार अच्छा था। उसने किसी भी अनुयायी या महिला के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं देखा। इस गवाह से विशेष लोक अभियोजक द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित करवा कर जिरह की गई। दौराने जिरह गवाह ने पुलिस द्वारा बयान लेने से इन्कार कर दिया तथा अपने पुलिस बयान प्रदर्श-पी-117 से आंशिक रूप से मुकर गई।

62- पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा इस प्रकरण की अनुसन्धान अधिकारी

(80)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

है। उसने इस आशय के कथन किये हैं कि दिनांक 21-8-2013 को वह ए.सी. पी. वेस्ट के पद पर जोधपुर कमिश्नरेट में कार्यरत थी। उस दिन एफ.आई.आर. संख्या 122/2013 पी.एस. महिला थाना पश्चिम में दर्ज होकर श्रीमान् डी.सी.पी. वेस्ट के आदेशानुसार उसे अनुसन्धान हेतु प्राप्त हुई। एफ.आई.आर. के साथ संलग्न दस्तावेज प्राप्त किये जिसमें डी.सी.पी. सेन्ट्रल दिल्ली का लैटर, पीड़िता की दो मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जो क्रमशः मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 लगायत प्रदर्श-पी-3 व प्रदर्श-पी-12 हैं। इसके अतिरिक्त एफ.आई.आर. के साथ पीड़िता की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4, Zero नम्बरी एफ.आई.आर. प्रदर्श-पी-11-ए व प्रदर्श-पी-11 भी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा एफ.आई.आर. के साथ कमला मार्केट थाने से पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान करवाने बाबत् तहरीर प्रदर्श-पी-5 व धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान की कापी उपलब्ध करवाने की तहरीरी प्रदर्श-पी-6 व पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों की प्रति प्राप्त हुई थी। मूल धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श-पी-7 हैं। तत्पश्चात् मेरे द्वारा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये जिनकी वीडियोग्राफी करवाई गई थी। बयान प्रदर्श-डी-2 हैं। तत्पश्चात् पीड़िता की माता सुनीतासिंह के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये जो प्रदर्श-डी-17 हैं। इसके बाद पीड़िता के पिता कर्मवीरसिंह के बयान उसके अनुसार लेखबद्ध किये गये जो प्रदर्श-डी-82 हैं। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण किया गया। फर्द नक्शा मौका व फर्द हालात मौका पीड़िता की निशांदेही पर मुर्तीब की गई जो प्रदर्श-पी-13 व प्रदर्श-पी-14 है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाई गई जो फोटोग्राफ प्रदर्श-पी-16 से प्रदर्श-पी-32 हैं। घटनास्थल की वीडियोग्राफी की गई जिसके बाद ट्रांसक्रिप्शन सी.डी. तैयार की गई जो आर्टिकल-16 है। पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी करवा कर डी.वी.डी. तैयार की गई जो आर्टिकल-15 है। दौराने अनुसन्धान रणजीतसिंह देवड़ा, विष्णु देवड़ा, रामदयाल देवड़ा, सत्यनारायण देवड़ा के बयान लिये गये। इसके अलावा गवाह रामकिशोर के बयान प्रदर्श-पी-52 लेखबद्ध किये गये। दौराने अनुसन्धान गवाह रामसुख व

(81)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018 फोटोग्राफर महेन्द्रसिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। बाद में घटनास्थल देवड़ा कृषि फार्म का रेवेन्यू रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी, तहसीलदार जोधपुर से हलका पटवारी के माध्यम से प्राप्त की गई जिसके अनुसार जमाबन्दी प्रदर्श-पी-118 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श-पी-119 है व गिरदावरी की सही प्रति प्रदर्श-पी-120 है जिसके अनुसार रणजीतसिंह द्वारा खसरा नम्बर 228/2003 का रकबा 1.05 एवं 0.39 सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर, अजमेर जरिये ट्रस्टी ओमप्रकाश बख्शीश किया गया। इसके उपरान्त मेरे द्वारा पीड़िता जहां अध्ययन करती थी एवं पीड़िता की सकूनत शाहजहांपुर अनुसन्धान हेतु टीम भेजी गई। छिन्दवाड़ा से पीड़िता का बायो-डाटा मय पीड़िता का शैक्षणिक बायो-डाटा एवं गतिविधियां रिकार्ड वहां के प्रिन्सिपल द्वारा थानाधिकारी महिला थाना पश्चिम को जारी अग्रेषण पत्र के माध्यम से प्राप्त किये गये थे, जो अग्रेषण पत्र प्रदर्श-पी-84 है। उसके साथ संलग्न दस्तावेजों जिसमें "सु" का बायो-डाटा प्रदर्श-पी-82 है, के अनुसार पीड़िता की विद्यालय में प्रवेश तिथि 1-7-2008 एवं जन्म तिथि 4-7-1997 है। पीड़िता की शैक्षणिक गतिविधियां प्रदर्श-पी-83 हैं जिसके साथ संलग्न पीड़िता की कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 एवं कक्षा 11 की अंक तालिकाओं की प्रति क्रमशः प्रदर्श-पी-108 लगायत प्रदर्श-पी-112 हैं, जिनके मुताबिक पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 हैं, पीड़िता के 5 साल के बाहर भ्रमण की जानकारी प्रदर्श-पी-113, पीड़िता का माह अगस्त 2013 में उपस्थिति का विवरण प्रदर्श-पी-114, पीड़िता का बीमारी सम्बन्धी विवरण प्रदर्श-पी-115 व प्रदर्श-पी-116 है, जो प्राप्त किये थे।

गवाह ने आगे कथन किया है कि उक्त समस्त दस्तावेज उसके निर्देशन में छिन्दवाड़ा भेजी गई टीम द्वारा उसके समक्ष पेश किये गये थे जिसकी प्रभारी अधिकारी श्रीमती मुक्ता पारीक थानाधिकारी महिला थाना पश्चिम थी। पीड़िता की सकूनत शाहजहांपुर में पीड़िता के परिवार की पृष्ठभूमि और आम शोहरत बाबत अनुसन्धान करने हेतु पृथक से एक टीम नितिन के नेतृत्व में भेजी गई। छिन्दवाड़ा में श्री वीरेन्द्र कुमार एवं श्री कृपालसिंह ठाकुर के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये थे एवं पीड़िता की उम्र निर्धारित करने बाबत विधि द्वारा मान्य पीड़िता का Self Attested

(82)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मेट्रीकुलेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जो प्रदर्श-पी-107 है। तत्पश्चात् आरोपियान वास्ते अनुसन्धान उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये जो विशेष टीम भेज कर तामील करवाये गये किन्तु आरोपियान वास्ते अनुसन्धान उपस्थित नहीं हुए। फलस्वरूप गवाह दिनांक 30-8-2013 की रात्रि में आरोपी आसाराम से अनुसन्धान करने के लिये टीम के साथ इन्दौर के लिये रवाना हुई। आरोपी आसाराम उर्फ आशुमल से अनुसन्धान किया गया एवं बाद अनुसन्धान जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श-पी-52 आरोपी आसाराम को गिरफ्तार किया गया व उसे जोधपुर लाया गया। उसका सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुरुषत्व सम्बन्धी परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया गया जिसके गठन के आदेश प्रदर्श-पी-33 व प्रति प्रदर्श-पी-33-ए हैं। उक्त मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्रदर्श-पी-34 है। दौराने अनुसन्धान अभियुक्त आसाराम द्वारा दी गई सूचना अन्तर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श-पी-31 मुर्तीब की गई, जिसके मुताबिक मुल्जिम ने स्वयं आगे चल कर वह स्थान बताया जहां नाबालिग को अनुष्ठान के बहाने कमरे में बुला कर बलात्कार व छेड़छाड़ की गई, जिसकी फर्द नजरी नक्शा व मौका आरोपी की निशांदाही से मुर्तीब किया गया जो प्रदर्श-पी-53 है व घटनास्थल की फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श-पी-54 है। बाद तफ्तीश आरोपी को जे. सी. करवाया गया।

गवाह ने आगे कथन किया है कि दिनांक 2-9-2013 को तलबीदार आरोपी शिवा शवाराम से अनुसन्धान किया गया। बाद अनुसन्धान जरिये फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श-पी-68 उसे गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी में उससे दो मोबाईल फोन, एक काले रंग का वर्जन व एक नोकिया मोबाईल मय सिम जब्त किया गया। दौराने अनुसन्धान अभियुक्त शिवा उर्फ शवाराम ने स्वेच्छा से गवाह को बताया कि उसके द्वारा मोबाईल में आसाराम द्वारा औरतों पर झाड़ फूंक करने व महिलाओं पर हाथ फेरने सम्बन्धी विलपिंग है जिन्हें वह मोबाईल खोल कर बता सकता है। इस पर फर्द इत्तिला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श-पी-122 मुर्तीब की गई। आरोपी शिवा द्वारा अनुसन्धान अधिकारी स्वयं को मोबाईल खोल कर औरतों को झाड़ फूंक करने व हाथ फेरने सम्बन्धी विलपिंग दिखाई गई जिन्हें

(83)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सी.डी. में डाउनलोड किया गया एवं फर्द डाउनलोड प्रदर्श-पी-38 मुर्तीब की गई। तत्पश्चात् अनुसन्धान अधिकारी द्वारा मोबाईल वर्जन कम्पनी का एवं सिम व मेमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु अग्रेषण पत्र प्रदर्श-पी-42 अग्रेषित किया गया। एफ.एस.एल. की जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श-पी-39 है। एफ.एस.एल. से रिपोर्ट प्राप्त की जो प्रदर्श-पी-40 है। उसके साथ 6 डी. वी. डी. एवं सी.डी. एफ.एस.एल. से प्राप्त हुई जो आर्टिकल 9 से आर्टिकल-14 है। उक्त डी.वी.डी. व सी.डी. का निरीक्षण किया व फर्द निरीक्षण प्रदर्श-पी-41 तैयार की गई। आर्टिकल-10 से 14 डी.वी.डी. है, आर्टिकल-9 सी.डी. है। तत्पश्चात् पीड़िता की निशांदाही पर घटनास्थल निरीक्षण की वीडियोग्राफी की फर्द ट्रांसक्रिप्शन तैयार की गई एवं पीड़िता द्वारा बताये गये विवरण को टाईप करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श-पी-69 है। पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ प्राप्त दस्तावेजात् में कल्पना एन.जी.ओ. की कार्यकर्ता श्रीमती किरण झा ठाकुर की रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 थी जिनसे अनुसन्धान एवं अन्य अनुसन्धान हेतु सब-इन्सपेक्टर नितिन को दिल्ली रवाना किया। वहां पहुंच कर ए.एस.आई. नितिन द्वारा कल्पना एन.जी.ओ. की कार्यकर्ता किरण झा ठाकुर के बयान लिये गये व कमला मार्केट थाने पहुंच कर दिनांक 19-8-2013 को पीड़िता की तहरीरी रिपोर्ट दर्ज Zero नम्बरी एफ.आई.आर. पर आमद रवानगी रोजनामचा रपट की प्रतियां प्रदर्श-पी-8-ए, प्रदर्श-पी-9-ए व प्रदर्श-पी-10-ए प्राप्त की गई। ए.एस.आई. पुष्पलता, ए.एस.आई. निरपालसिंह के बयान नितिन द्वारा लेकर गवाह के समक्ष प्रस्तुत किये गये। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के उपरान्त दिनांक 20-9-2013 को सह आरोपी प्रकाश द्विवेदी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ जिसे जरिये फर्द प्रदर्श-पी-71 गिरफ्तार किया जिसने दौरान अनुसन्धान स्वेच्छा से गवाह को बताया कि अभियुक्त आसाराम का मोबाईल जिसके नम्बर 9321933400 है, जो मणार्ड में उसके पास था व अहमदाबाद आश्रम में उसके कक्ष में रखा हुआ है, जिसे चल कर बरामद करवा सकता हूं, जिस पर फर्द इत्तिला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श-पी-123 मुर्तीब की गई एवं इत्तिला अनुसार बरामदगी के लिये एस. आई. रामदेव को मय टीम मय मुलजिम

(84)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अहमदाबाद रवाना किया गया जहां एस.आई. रामदेव द्वारा अभियुक्त प्रकाश के आवासीय स्थल की तलाशी ली गई परन्तु मुलजिम द्वारा बताये गये स्थान पर मोबाईल नहीं मिला। फर्द खाना तलाशी प्रदर्श-पी-73 है। अहमदाबाद में एस. आई. रामदेव द्वारा गवाह योगेश भाटी व निशान्त जगवानी के बयान लिये गये जो गवाह के समक्ष रामदेव ने प्रस्तुत किये। अनुसन्धान से यह तथ्य सामने आया कि मोबाईल नम्बर 9321933400 अभियुक्त आसाराम का था जो प्रकाश के पास रहता था जिसके नम्बर बाद में बदले गये थे जिसमें आखिर में 3 Digit 444 थे। तत्पश्चात् उदय सांगाणी द्वारा एक मोबाईल पेश किया गया जिसकी फर्द पेशकर्ता प्रदर्श-पी-35 मुर्तीब की गई। उदय सांगाणी द्वारा दो मोबाईल आर्टिकल-4 व आर्टिकल-5 पेश किये गये थे। मुलजिम शिवा से जब्त मोबाईल आर्टिकल-7 है। फर्द प्रदर्श-पी-38 में मार्क 'ए' से अंकित सी.डी. आर्टिकल-31 है। अभियुक्त शरदचन्द्र को जरिये फर्द प्रदर्श-पी-72 गिरफ्तार किया था व उसका पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर अनुसन्धान किया था। दौराने अनुसन्धान अभियुक्त ने स्वेच्छा से अनुसन्धान अधिकारी को बताया कि उसके द्वारा दो मोबाईल नम्बर 9329993499 और 9354719340 गुरुकुल छिन्दवाड़ा में बालक छात्रावास के स्वयं के कमरे की दराज में रखे हैं जो चल कर बरामद करवा सकता है जिसकी फर्द इत्तिला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श-पी-124 तैयार की गई व उक्त इत्तिला पर बरामदगी हेतु व अन्य अनुसन्धान हेतु थानाधिकारी महिला थाना पश्चिम सब-इन्सपेक्टर मुक्ता पारीक को मय मुलजिम छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश रवाना किया गया। सब-इन्सपेक्टर मुक्ता पारीक द्वारा सन्त श्री आसाराम गुरुकुल बालक छात्रावास से मुलजिम के कथनानुसार एक मोबाईल सैमसंग रिलायन्स, 8 सिम रिलायन्स की व एक सिम एयरटेल की व एक सिम डोकोमो की जब्त की गई। फर्द जब्ती प्रदर्श-पी-59, बरामदगी स्थल व नक्शा प्रदर्श-पी-60 है। मुक्ता पारीक द्वारा छिन्दवाड़ा गुरुकुल में सुशील भाई द्वारा प्रस्तुत आगन्तुक रजिस्टर की फर्द पेशकर्ता प्रदर्श-पी-56 है। गुरुकुल छिन्दवाड़ा के सेवादार श्रीराम कश्यप द्वारा दस्तावेजात् सब-इन्सपेक्टर मुक्ता पारीक को पेश किये गये जो फर्द पेशकर्ता प्रदर्श-पी-57 है। संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-पी-67 है, अभियुक्त

(85)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आसाराम द्वारा मुलजिम शरदचन्द के हक में किया गया मुख्यारनामा प्रदर्श-पी-62 है। शक्ति ट्रस्ट के दो बैंक एकाउन्ट को शरदचन्द द्वारा आपरेट करने का अधिकार पत्र प्रदर्श-पी-63 व प्रदर्श-पी-64 है, गुरुकुल छिन्दवाड़ा में प्रिन्सिपल विवेक शर्मा द्वारा मुक्ता पारीक को पेश दस्तावेजात् की फर्द पेशकर्त्ता प्रदर्श-पी-58 है। भव्या शुक्ला का मूल प्रवेश पत्र प्रदर्श-पी-79 है, उसके पिता शैलेश शुक्ला द्वारा हस्ताक्षरित पालक घोषणा पत्र प्रदर्श-पी-80 है। पीड़िता की टी.सी. की कार्बन प्रति प्रदर्श-पी-66, कक्षा 12 हिन्दी माध्यम व कक्षा 11 अंग्रेजी माध्यम की उपस्थिति पंजिकाओ की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न हैं। सन्त श्री आसाराम गुरुकुल सीनियर सैकेण्डरी बालिका छात्रावास की छात्रावास अधीक्षिका सुश्री नेहा तोतलानी द्वारा मुक्ता पारीक को पेश दस्तावेजात् की फर्द पेशकर्त्ता प्रदर्श-पी-61 है। पीड़िता "सु" एवं भव्या के अवकाश पर जाने के लिये दिये गये आवेदन पत्र प्रदर्श-पी-85 व प्रदर्श-पी-86 हैं। भव्या के पिता शैलेश शुक्ला द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्रदर्श-पी-87 है। उक्त समस्त दस्तावेज श्रीमती मुक्ता पारीक द्वारा स्वयं के समक्ष पेश करना गवाह ने बताया है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन व अनुसन्धान से ज्ञात हुआ कि सन्त श्री आसाराम गुरुकुल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश, श्री शक्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित है जिसमें अभियुक्त आसाराम प्रबन्ध ट्रस्टी है, प्रबन्ध ट्रस्टी की हैसियत से आसाराम ने मुख्यारनामा अभियुक्त शरदचन्द्र के हक में निष्पादित किया जिसमें अभियुक्त शरदचन्द्र को आसाराम गुरुकुल छिन्दवाड़ा की समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु अधिकृत किया गया। इसी क्रम में उक्त गुरुकुल के दो बैंक एकाउन्ट को आपरेट करने केलिये अभियुक्त शरदचन्द्र को अधिकृत किया गया जिसने डायरेक्टर के पद पर रहते हुए दिनांक 15-3-2013 को संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी को छात्रावास अधीक्षिका के पद पर नियुक्त करने का नियुक्ति पत्र जारी किया। पीड़िता ने उक्त विद्यालय में दिनांक 1-7-2008 को प्रवेश लिया और बालिका छात्रावास में निवास कर रही थी। इससे पूर्व पीड़िता प्रतापसिंह मेमोरियल स्कूल, खारखोदा, सोनीपत, हरियाणा में पढ़ती थी जहां से उसे दिनांक 28-3-2008 को टी.सी. जारी की गई जिसमें उसकी जन्म तिथि 4-7-1997 अंकित है। घटना के वक्ता पीड़िता सन्त श्री आसाराम

(86)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गुरुकुल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की कक्षा 12 हिन्दी माध्यम की छात्रा थी जिसकी उपस्थिति पंजिका में दिनांक 6-8-2013 तक उपस्थिति दर्ज है। पीड़िता को 30 जुलाई 2013 को कौमन आई चैक अप (Common Eye Check up) के लिये भेजा था। उसकी बीमारी विशेष से सम्बन्धित कोई उपचार नहीं किया। पीड़िता की बीमारी की वजह से पीड़िता के माता पिता दिनांक 8-8-2013 को सन्त श्री आसाराम गुरुकुल पहुंचे परन्तु उस दिन बीमार होने के बावजूद पीड़िता को उसके परिजनों से नहीं मिलने दिया गया। पीड़िता से उसके परिजन दिनांक 9-8-2013 को मिले। भव्या शुक्ला भी उक्त स्कूल की कक्षा 11 अंग्रेजी माध्यम की छात्रा थी, वह भी उस समय अनुपस्थित चल रही थी। उक्त भव्या शुक्ला से अनुसन्धान करने हेतु दिनांक 27-9-2013 को गवाह एस.एच.ओ. महिला थाना पश्चिम के साथ मेरठ रवाना हुई थी जहां पहुंच कर भव्या शुक्ला का पता लगाने की कोशिश की गई। भव्या व उसका परिवार गुरुकुल द्वारा उपलब्ध करवाये गये पते पर मौजूद नहीं मिला। आस-पड़ौसी शशिभूषण, कुलरतन, राधेकिशन व श्रीमती संजय के बयान लिये गये। पता चला कि प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त से ही मुल्जिम आसाराम के सेवादारों का उनके घर पर आना जाना था तथा वह लगातार मुल्जिम के सम्पर्क में थे। जैसे ही राजस्थान पुलिस के आने का ज्ञात हुआ, बिना कुछ बताये वहां से चले गये। उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के उपरान्त दिनांक 25-9-2013 को मुल्जिम शिल्पी न्यायालय हाजा में उपस्थित हुई, उसे जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श-पी-125 गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमा की जामा तलाशी में एक मोबाईल रंग काला ब्लैकबेरी कम्पनी का मय सिम नम्बर 7804907062 जब्त किया गया जिसका इन्द्राज प्रदर्श-पी-125 में है। दौराने अनुसन्धान हेड कान्सटेबल पुखदास को शाहजहांपुर भेज कर पीड़िता के प्रथम स्कूल सरस्वती शिशु मन्दिर, शाहजहांपुर से रिकार्ड प्राप्त किया, प्रदर्श-पी-45-ए प्रवेश आवेदन पत्र, प्रदर्श-पी-46-ए शिशु पंजीकरण स्थानान्तरण प्रमाण पत्र है, प्रदर्श-पी-46-बी उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है, प्रदर्श-पी-47 प्रधानाचार्य द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र है।

गवाह ने दौराने अनुसन्धान आसाराम की अधिकृत वेबसाईट से

(87)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आसाराम के आश्रमों के नाम पते आदि के प्रिन्ट आउट निकाल कर शामिल पत्रावली करना कहा है जो प्रदर्श-पी-126 है। दौराने अनुसन्धान महेन्द्रसिंह चावला, अजय कुमार, राहुल सचान के बयान लिये गये। अजय कुमार के बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध करवाये गये। सब-इन्सपेक्टर बाबूसिंह को अहमदाबाद भेजा गया। उसके द्वारा अमृत भाई प्रजापति, सुधा बेन के बयान लिये गये। सुधा बेन के बयान प्रदर्श-पी-117 हैं। शिल्पी की जामा तलाशी में मिला मोबाईल आर्टिकल-32 है जिसे वजह सबूत होने पर जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श-पी-43 जब्त किया था। अभियुक्त शरदचन्द्र ने उदय सांगाणी द्वारा एक मोबाईल रिलायन्स कार्बन सब-इन्सपेक्टर रामदेव को महिला थाना में सुपुर्द किया था जिसकी फर्द पेशकर्ता प्रदर्श-पी-36 है, जब्त मोबाईल आर्टिकल-6 है जो गवाह को एस.आई. रामदेव ने सुपुर्द किया। दौराने अनुसन्धान कान्सटेबल प्रेमराम, संदीप, हेड कान्सटेबल कुशलाराम के बयान लेखबद्ध किये गये, फोटोग्राफर सिपाही महेन्द्रसिंह, कम्प्यूटर आपरेटर सिपाही जितेन्द्रसिंह के बयान लिये गये। पीड़िता व उसके परिजनों का मण्डोर एक्सप्रेस से दिनांक 14-8-2013 को जोधपुर पहुंचने का आरक्षण रिकार्ड रेल्वे से प्राप्त किया। मुख्य टिकट निरीक्षक का कवरिंग लैटर प्रदर्श-पी-127 है एवं आरक्षण चार्ट की प्रति प्रदर्श-पी-128 है। छिन्दवाड़ा में मुक्ता पारीक को मोबाईल के साथ रिलायन्स की जो सिमें मिली थी, जिनकी डिटेल के बारे में पता करने हेतु रिलायन्स कम्पनी के नोडल आफिसर को लिखा गया जिन्होंने आर.एस.एन. नम्बरों की बाबत् रिपोर्ट प्रदर्श-पी-129 प्रेषित की।

दौराने अनुसन्धान आसाराम व उसके आश्रमवासियों से सम्बन्धित आपराधिक रिकार्ड पुलिस थाना साबरमती, चांदखेड़ा, अडालस पुलिस थानों से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श-पी-88 से प्रदर्श-पी-102 है। अनुसन्धान करते हुए सम्बन्धित मोबाईल का कॉल डिटेल प्राप्त की थी। मोबाईल नम्बर 9321933400 मुल्जिम आसाराम के रसोईये प्रकाश के पास होता था जिसे आसाराम उपयोग करता था। उक्त नम्बर की सिम श्री ज्ञानसिंह भदौरिया के नाम की थी जिसके बयान लेखबद्ध किये। मोबाईल नम्बर 9354719340, और 9303805181, 9329993499 अभियुक्त शरद उपयोग में लेता

(88)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018 था। सिम धारक नितिन एवं लल्लू वंशी के बयान लेखबद्ध किये गये। मोबाईल नम्बर 7804907062, 9329836250 और 9303752153 अभियुक्ता शिल्पी उर्फ संचिता उपयोग में लेती थी जिसके सिम धारक देवेन्द्र पंवार से अनुसन्धान कर उसके बयान लेखबद्ध किये। मोबाईल नं. 7804907062 की सिम अभियुक्ता शिल्पी की गिरफ्तारी के समय उसकी जामा तलाशी में प्राप्त ब्लेकबेरी मोबाईल से प्राप्त हुई थी जिसे बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। मोबाईल नम्बर 9321344965 अभियुक्त शिवा उपयोग करता था जो सिम महादेव अहीर के नाम थी जिसका अनुसन्धान अन्तर्गत धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता पेण्डिंग रखा गया था, 8765502251 पीड़िता के पिता कर्मवीरसिंह के नम्बर थे, मोबाईल नम्बर 9415035839 पीड़िता के भाई सोमवीर के नम्बर थे, मोबाईल नम्बर 7398489885 पीड़िता की माता सुनीतासिंह के नम्बर थे। उक्त मोबाईल नम्बरों की लिस्ट मय आई.डी. प्रदर्श-पी-44 है। उक्त मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल प्राप्त की गई जिन्हें फिल्टर किया गया। फिल्टर का मतलब किसी नम्बर की निर्धारित अवधि की प्राप्त कॉल डिटेल को Without altering क्रमवार किया गया। उक्त Relevant conversation का एक चार्ट पृथक से तैयार किया गया, जो प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 3 से 9 तक है। प्रदर्श-पी-44 में पेज नम्बर 10 से 14 तक 7398489885 की 1 जुलाई से 18 अगस्त की कॉल डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज संख्या 15 व 16 पीड़िता के पिता कर्मवीरसिंह की अभियुक्त शिवा से की गई प्रकरण में Relevant conversation की कॉल डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 17 से 29 मोबाईल नम्बर 9415035839 की दिनांक 1-8-2013 से 22-8-2013 तक की कॉल डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 30 में अभियुक्ता शिल्पी के मोबाईल नम्बर 9303752153 पर Relevant नम्बरों से की गई दिनांक 1 अगस्त से 31 अगस्त 2013 की Incoming calls की लिस्ट है। पृष्ठ संख्या 31 पर मोबाईल नम्बर 9303752153 पर दिनांक 2 अगस्त से 21 अगस्त तक आई कॉल डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पृष्ठ संख्या 32 से 51 मोबाईल नम्बर 9303752153 जिसे वार्डन शिल्पी उपयोग में लिया करती थी, की दिनांक 1-8-2013 से 26-8-2013 की मूल कॉल डिटेल है जिसके आधार पर उक्त मोबाईल का पाई बोर्ड चार्ट तैयार किया गया

(89)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जिसमें उक्त नम्बर से Incoming व Outgoing Calls की संख्या है, जो प्रदर्श-पी-130 है। प्रदर्श-पी-44 के पेज संख्या 52 से 100 पर शिल्पी के मोबाईल नं. 7804907062 की मूल कॉल डिटेल है जिसके आधार पर शिल्पी के मोबाईल नम्बर उक्त का पाई बोर्ड चार्ट तैयार किया जिसमें शिल्पी के Incoming व Outgoing Calls की संख्या है जो प्रदर्श-पी-131 है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 101 से 119 पर शरद के उपयोग में लिये गये मोबाईल नम्बर 9329993499 की दिनांक 1-8-2013 से 23-8-2013 तक की मूल कॉल डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 120 से 123 पर शरद के मोबाईल नम्बर 9354719340 की कॉल डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 124 से 127 तक शरद के मोबाईल नम्बर 9329993499 से Relevant नम्बरों पर की गई Outgoing Calls की दिनांक 1-8-2013 से 22-8-2013 के Relevant Conversation की डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 128 से 130 पर शिल्पी के नम्बर 7804907062 पर आई हुई Relevant नम्बरों की Conversation की डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 131 पर वार्डन शिल्पी के मोबाईल नम्बर 7804907062 से अभियुक्त आसाराम, शरद व शिवा के नम्बरों पर दिनांक 1-8-2013 से 22-8-2013 तक की Outgoing Calls की डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 132 पर माह अगस्त में अभियुक्त शरद के मोबाईल नम्बर 9329993499 और अभियुक्त आसाराम के मोबाईल नम्बर 9321933400 के मध्य आपसी Conversation की Relevant कॉल डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 133 पर शिल्पी के मोबाईल नम्बर 7804907062 और मुल्जिम आसाराम के मोबाईल नम्बर 9321933400 के मध्य माह अगस्त में आपसी Relevant Conversation की डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 101 से 119 पर शरद के मोबाईल नम्बर 9329993499 की दिनांक 1-8-2013 से 23-8-2013 की कॉल डिटेल है जिसके आधार पर शरद के उक्त मोबाईल नम्बर का पाई बोर्ड चार्ट तैयार किया गया जो प्रदर्श-पी-132 है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 120 से 123 पर शरद के मोबाईल नम्बर 9354719340 की दिनांक 1-8-2013 से 26-8-2013 तक की कॉल डिटेल है जिसके आधार पर उक्त नम्बर पर पाई बोर्ड चार्ट तैयार किया गया जो

(90)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018 प्रदर्श-पी-133 है। दौराने अनुसन्धान आसाराम के मोबाईल नम्बर 9321933400 की जून से 22-8-2013 तक की कॉल डिटेल् प्राप्त की गई जिसमें Relevant Period दिनांक 1-8-2013 से 22-8-2013 की कॉल डिटेल् शामिल पत्रावली की गई, जो प्रदर्श-पी-44 पर पेज नम्बर 137 से 175 है। 1 अगस्त से 22-8-2013 के बीच अभियुक्त आसाराम के फोन नम्बर 9321933400 से सह-अभियुक्त शिवा, शिल्पी और शरद के मोबाईल नम्बरों पर जो Outgoing Calls हुई थी उनकी डिटेल् प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 134 से 135 और उक्त नम्बर पर सह-अभियुक्तगण शिवा, शिल्पी व शरद के नम्बरों से जो Incoming Calls हुई थी, उनकी डिटेल् प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 136 पर है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 137 से 173 में मुल्जिम आसाराम की मोबाईल नम्बर 9321933400 की जो कॉल डिटेल् है, उसके आधार पर उक्त नम्बरों का पाई बोर्ड चार्ट तैयार किया गया, जो प्रदर्श-पी-134 है। दौराने अनुसन्धान अभियुक्त आसाराम के मोबाईल नम्बर 9321933400 की कॉल डिटेल् प्राप्त की गई जिसका पाई बोर्ड चार्ट तैयार किया गया जो प्रदर्श-पी-135 है। आसाराम के मोबाईल नम्बर से अगस्त में किये गये कॉल डिटेल् का भी पाई बोर्ड चार्ट तैयार किया गया जो प्रदर्श-पी-136 है। आसाराम के मोबाईल नम्बर पर माह जून का पाई बोर्ड चार्ट तैयार किया गया जो प्रदर्श-पी-137 है। मोबाईल नम्बर 9321344965 अभियुक्त शिवा उपयोग में लेता था जिसकी कॉल डिटेल् दिनांक 9-8-2013 से दिनांक 16-8-2013 तक प्राप्त की गई जो प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 176 से 210 में है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 211 में दिनांक 1-8-2013 से 21-8-2013 तक शिवा के नम्बर 9321344965 पर अभियुक्त आसाराम के नम्बर 9321933400 से की गई Incoming Calls की लिस्ट है। प्रदर्श-पी-44 का पेज नम्बर 212 आसाराम के मोबाईल नम्बर से अभियुक्त शिवा के मोबाईल नम्बर पर किये गये दिनांक 1-8-2013 से दिनांक 8-8-2013 तक की Calls की लिस्ट है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 213 पर दिनांक 1-8-2013 से 21-8-2013 तक शिवा के मोबाईल नम्बर 9321344965 पर अभियुक्त आसाराम के मोबाईल नम्बर 9321933400 और पीड़िता के पिता कर्मवीरसिंह के मोबाईल नम्बर 8765502251 से किये गये Incoming Calls की

(91)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लिस्ट है। इसी प्रकार पेज नम्बर 214 पर शिवा के नम्बरों पर दिनांक 1-8-2013 से दिनांक 14-8-2013 तक अभियुक्त आसाराम व पीड़िता के पिता कर्मवीरसिंह के मोबाईल नम्बर पर किये गये Outgoing Calls की लिस्ट है।

मुल्जिम शिवा की अगस्त की कॉल डिटेल के आधार पर तैयार पाई बोर्ड चार्ट प्रदर्श-पी-138 है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 3 से 9 पर पांचों मुल्जिमान व पीड़िता के परिजनों के आपसी वार्तालाप की कॉल डिटेल है। प्रदर्श-पी-44 के पेज नम्बर 10 से 14 पर पीड़िता की माता की कॉल डिटेल है, पेज नम्बर 15 व 16 पर कर्मवीरसिंह की कॉल डिटेल है, पेज नम्बर 17 से 29 सोमवीरसिंह की कॉल डिटेल है, पेज नम्बर 30 से 31 मुल्जिमा शिल्पी की कॉल डिटेल है, पेज संख्या 52 से 100 शिल्पी के मोबाईल नं. 7804907062 की कॉल डिटेल है, पेज नम्बर 101 से 119 शरद के मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल है, पेज नम्बर 120 से 123 भी शरद के मोबाईल नम्बर 9354719340 की कॉल डिटेल है, पेज नम्बर 124 से 131 शिल्पी व शरद के मोबाईल नम्बर से अन्य सह-अभियुक्तगण के मोबाईल नम्बरों पर की गई वार्तालाप की डिटेल है, पेज नम्बर 132 से 133 शिल्पी व शरद के मोबाईल नम्बरों से मुल्जिम आसाराम को मोबाईल नम्बर पर माह अगस्त 2013 में की गई बातचीत की डिटेल है, पेज नम्बर 137 से 175 मुल्जिम आसाराम की कॉल डिटेल है, पेज नम्बर 176 से 214 मुल्जिम शिवा के मोबाईल नम्बर 9321344965 की कॉल डिटेल है। उक्त कॉल डिटेल के आधार पर दिनांक 6-8-2013 से दिनांक 16-8-2013 तक पीड़िता के परिजनों, मुख्य अभियुक्त आसाराम व सह-अभियुक्तगण शिल्पी, शरद व शिवा के मोबाईल नम्बरों पर आपसी बातचीत द्वारा रचे गये षड्यन्त्र का पुष्टिकारक रेखाचित्र तैयार किया गया था जो प्रदर्श-पी-139 है। उक्त प्रकरण में समस्त अनुसन्धान स्वयं व अपने निर्देशन में गठित टीमों, जिसमें सब-इन्सपेक्टर नितिन, सब-इन्सपेक्टर रामदेव, सब-इन्सपेक्टर मुक्ता पारीक, सब-इन्सपेक्टर सत्यप्रकाश, सब-इन्सपेक्टर बाबूसिंह, सब-इन्सपेक्टर राजूराम, सब-इन्सपेक्टर भंवरसिंह, हेड-कान्सटेबल पुखदास आदि के द्वारा किया जाना बताया है। गवाह ने उक्त

(92)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सभी टीमों के सदस्यों द्वारा अनुसन्धान किये गये दस्तावेज प्राप्त व आर्टिकल जब्त किये व स्वयं के समक्ष लाकर प्रस्तुत करना व उक्त सभी को जमा मालखाना महिला थाना पश्चिम, जोधपुर में जमा करवाना, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-पी-37 होना बताया है। गवाह ने अनुसन्धान से यह निष्कर्ष सामने आना बताया है कि पीड़िता "सु" सन्त श्री आसाराम सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की कक्षा 12 की कॉमर्स हिन्दी माध्यम की छात्रा थी। उक्त विद्यालय में पीड़िता ने दिनांक 1-7-2008 को प्रवेश लिया था, पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 थी और वक्त घटना वह नाबालिग थी। उक्त विद्यालय श्री शक्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित था, अभियुक्त आसाराम जिसका प्रबन्ध ट्रस्टी था, शरदचन्द्र उस विद्यालय का डायरेक्टर था और शिल्पी उर्फ संचिता उक्त छात्रावास की वार्डन थी जिसमें बालिका निवास करती थी। पीड़िता को सह-अभियुक्तगण शरदचन्द्र व सह-अभियुक्ता शिल्पी ने अभियुक्त आसाराम से मिल कर सामान्य आशय की पूर्ति के लिये समूह बना कर भूत प्रेत का भय दिखा कर गुरुकुल छिन्दवाड़ा से स्थानान्तरित किया। अभियुक्त आसाराम ने अभियुक्त प्रकाश व शिवा के सहयोग से इसी आशय की पूर्ति के षड्यन्त्रपूर्वक पीड़िता को घटनास्थल हरिओम कृषि फार्म मणाई, जोधपुर में प्राप्त किया। उक्त घटनास्थल का स्वामित्व भी अभियुक्त आसाराम के अधीन आश्रमों में था। दिनांक 15-8-2013 की रात्रि में अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को अकेले रखने की स्थितियां पैदा की। अभियुक्त आसाराम ने पीड़िता को देर रात अपने कक्ष में बुला कर कक्ष का दरवाजा बन्द कर दिया और पीड़िता के माता पिता को मुल्लिम प्रकाश की सहायता से भेज दिया। इस प्रकार पीड़िता के अकेले रहने की स्थिति पैदा करते हुए उसको किसी अन्य दिशा में जाने से निवारित किया, बन्द कमरे में अभियुक्त आसाराम ने पीड़िता के शरीर पर अनैतिक स्पर्श करते हुए Sexual Favour की मांग की, पीड़िता के शरीर के प्रत्येक स्थान पर टच किया, Kiss किया, स्वयं निर्वस्त्र होकर अपनी नग्नता का प्रदर्शन किया, पीड़िता द्वारा विरोध किये जाने पर पहले तो उसे अलोयर करने की कोशिश की गई और उसके द्वारा चिल्लाने की कोशिश करने पर उसका मुंह बन्द कर दिया, उसको और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। तदोपरान्त

(93)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पीड़िता के कपड़े उतार कर उसके गुप्तांगों में हाथ डाला, छेड़छाड़ की, स्वयं निर्वस्त्र होकर स्वयं के प्राइवेट पार्ट को निकाल कर पीड़िता से टच करवाया और Suck करने को बाध्य किया। एक डेढ़ घन्टे तक मुल्जिम आसाराम ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। पीड़िता और पीड़िता का पूरा परिवार आसाराम से दीक्षित था, उन्हें अपना धर्म गुरु मानता था। पीड़िता जब 6 साल की थी, वह अपने घर में मुल्जिम आसाराम को भगवान की तरह पूजती थी और पूजते हुए देखती थी। इस प्रकार अभियुक्त आसाराम ने पीड़िता के लिये Person in the position of trust रहते हुए पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में परिभाषित है, का अपराध कारित किया, जिसके आधार पर आसाराम के विरुद्ध धारा 370 (4), 342, 354, 376 (2) (एफ), 376-डी, 506, 509/34, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(फ)/6, धारा 5(जी)/6 एवं धारा 8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध प्रमाणित पाया गया।

अभियुक्त शरद ने पीड़िता के स्कूल के डायरेक्टर रहते हुए और श्री शक्ति ट्रस्ट जो कि उस स्कूल को संचालित करती थी, के मुख्तार खास की हैसियत से पीड़िता "सु" को उसकी तबियत खराब होने पर उसका किसी बीमारी बाबत इलाज न करवा कर भूत प्रेत का भय दिखा कर, भव्या नामक लड़की को अपने कक्ष में बुला कर उसके भय की पुष्टि कर, उसे अभियुक्त आसाराम के पास स्थानान्तरित किया, इस सामान्य आशय के साथ यौनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये अन्य अभियुक्तगण के साथ षड्यन्त्र करके पीड़िता को अभियुक्त आसाराम के दुष्कर्म का भागी बनाया। अभियुक्त शरद के इस कृत्य से शरद के खिलाफ धारा 370 (4), 376-डी, 342, 354, 376 (2) (एफ), 506, 509/34 सपटित धारा 109/120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5/6, 7/8 सपटित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध प्रमाणित पाया गया।

अभियुक्ता शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता ने पीड़िता की छात्रावास की वार्डन होते हुए पीड़िता के बीमार होने पर भी उसका किसी विशेष चिकित्सक से इलाज नहीं करवाया, उसे भूत प्रेत का भय दिखाया और पीड़िता के माता

(94)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पिता को बुला कर उसे छिन्दवाड़ा स्कूल से मुख्य अभियुक्त आसाराम के पास स्थानान्तरित किया। इस प्रकार शिल्पी ने षड्यन्त्रपूर्वक अन्य अभियुक्तगण के साथ गैंग बना कर अभियुक्त आसाराम द्वारा पीड़िता से बलात्कार के कृत्य को सरल बनाया जिसके आधार पर शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 370 (4), 376-डी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5(जी)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा 342, 354, 376 (2) (एफ), 506, 509/34 सपठित धारा 109/120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध प्रमाणित पाया गया।

पीड़िता जिस स्कूल में पढ़ती थी, वह श्री शक्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित था, जिसमें अभियुक्त आसाराम प्रबन्ध ट्रस्टी था जिसने अभियुक्त शरद को मुख्त्यार खास नियुक्त किया था, शरद ने शिल्पी को बालिका छात्रावास की अधीक्षिका नियुक्त किया। इस प्रकार पीड़िता सम्पूर्ण घटनाक्रम के दौरान मुल्जिम आसाराम, शरद व शिल्पी के वास्तविक प्रभाव व नियन्त्रण में थी। शिल्पी ने पीड़िता के बीमार होने पर उसको पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवा कर उसकी उपेक्षा की और उसे बाधित अवस्था में रखा। इस प्रकार अभियुक्त आसाराम, शरदचन्द्र व शिल्पी के विरुद्ध धारा 23 व 26 किशोर न्याय अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया।

शिवा, आसाराम का मुख्य सेवादार था, जिसने उक्त गैंग का सदस्य रहते हुए षड्यन्त्रपूर्वक सामान्य आशय से पीड़िता को शाहजहांपुर से दिल्ली बुलाया और फिर दिल्ली से मणार्ई, जोधपुर स्थानान्तरित किया। पीड़िता के मणार्ई पहुंचने पर अभियुक्त आसाराम से पीड़िता के मिलने की व्यवस्था की जिसके आधार पर अभियुक्त शिवा के विरुद्ध धारा 370 (4), 376-डी, 342, 354-ए, 376 (2) (एफ), 506, 509/34 सपठित धारा 109/120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध प्रमाणित पाया गया।

अभियुक्त प्रकाश जो कि अभियुक्त आसाराम का व्यक्तिगत सेवक व रसोईया था और अभियुक्त आसाराम का मोबाईल नम्बर 9321933400 रखता

(95)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

था, उसने आसाराम, शिल्पी, शरद के षड्यन्त्र में सहभागी रहते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाई, बरवक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित था, पीड़िता के माता पिता को घटनास्थल से भेज कर पीड़िता के अकेले रहने की स्थिति पैदा की और गैंग का सदस्य रह कर सामान्य आशय की पूर्ति में अपनी भूमिका निभाई। अतः अभियुक्त के खिलाफ धारा 370 (4), 376-डी, 342, 354, 376 (2) (एफ), 506, 509/34 सपठित धारा 109/120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(जी)/6, 7/8 सपठित धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध प्रमाणित पाया गया।

उक्त सभी धाराओं में उक्त सभी मुल्जिमान के विरुद्ध श्रीमान् डी. सी.पी. साहब वेस्ट से चालानी आदेश प्राप्त किया गया और पत्रावली चार्ज न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये एस. एच. ओ. महिला थाना पश्चिम को सुपुर्द की।

63- पी. डब्ल्यू.-44 श्री विनय कुमार शर्मा ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड में जून 2010 से अक्टूबर 2015 तक अल्टरनेट नोडल आफिसर के पद पर जयपुर स्थित कार्यालय में पदस्थापित था। उसका कार्य Law Enforcement Agencies को C.D.R. और D.O.T. Guidelines के द्वारा चाही गई सूचनायें उपलब्ध करवाने का था। पत्र प्रदर्श-पी-149 में लिखे गये मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल्स चाही गई। उक्त पत्र के आधार पर उसमें अंकित मोबाईलों की उसमें अंकित अवधि की चाही गई कॉल डिटेल्स प्रदर्श-पी-140 प्रमाण पत्र के साथ जारी कर उपलब्ध करवाई गई थी। गवाह ने अपने द्वारा जारी कॉल डिटेल्स प्रदर्श-पी-141 से प्रदर्श-पी-148 देख कर बताया कि जो मोबाईल नम्बर प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-140 में, मोबाईल नं. 9321933400 की दिनांक 1-05-13 से 30-8-2013 तक की एवं 9303752153, 9329836250, 9354719340, 9303805181, 9329993499, 932154965, 7804907062 अवधि दिनांक 1-8-2013 से 30-8-2013 तक की कॉल डिटेल्स प्रदर्श-पी-141 लगायत प्रदर्श-पी-148 उसके द्वारा जारी की गई है। उक्त अवधि में कम्प्यूटर सुचारू रूप से कार्यरत रहा है और पूर्णतः गवाह द्वारा संचालित Password Protected रहा है व उसके कब्जे में रहा है।

(96)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

64— बचाव पक्ष की ओर से जिन साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं, उनकी साक्ष्य का विवरण संक्षेप में इस प्रकार से है:—

65— डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोड़ा ने वर्ष 2012-2013 में सन्त श्री आसाराम गुरुकुल, छिन्दवाड़ा में 11वीं कक्षा में कौमर्स विद्यार्थी हिन्दी माध्यम में प्रवेश लेना व 12वीं कक्षा में भी नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करना कहा है। वह संत आशाराम बालिका छात्रावास छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश में ही रहना कहती है। गवाह ने हाजिरी रजिस्टर फोटो प्रति आर्टिकल-15/प्रदर्श-पी-77-ए में स्वयं की प्रविष्टि बताते हुए स्वयं व पीड़िता "सु" का घनिष्ठ मित्र होना व होस्टल में स्वयं व मेघा शर्मा के बीच में "सु" का सोना बताया है। 12वीं क्लास में होस्टल में कमरे की वार्डन विद्या बाबूराव खेरनार बताती है। गवाह का आगे कथन है कि वह तथा पीड़िता 24 घन्टे दिन-रात साथ ही रहते थे व मन की बातें शेयर किया करते थे, सभी सहपाठियों का स्कूल में जन्म-दिन मनाते थे। "सु" ने बताया था कि उसका जन्म दिनांक 6-8-1995 को हुआ था इसलिये 6-8-2012 व 6-8-2013 को "सु" का जन्म दिन स्कूल व होस्टल में सभी के साथ मनाया। "सु" ने बताया था कि उसका जन्म दिनांक 6-8-1995 को हुआ था, उसके दादा जी रामदिया ने उसका नाम शुभम देवी रखा था। उसने नर्सरी से प्रथम क्लास तक की पढ़ाई श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ मुमुक्षु आश्रम शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में की थी। उसके पिताजी ने उसका प्रवेश फार्म भरा था तो उसमें "सु" का नाम शुभम देवी भर कर जन्म तिथि 6-8-1995 भर कर हस्ताक्षर किये थे। प्रवेश होने के बाद नाम शुभम देवी से "सु" करवाने के लिये रिकार्ड भी चेन्ज करवाया था जिसके लिये शपथ पत्र भी पेश किया था। "सु" ने उसे श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ का प्रवेश फार्म दिखाया था। भव्या शुक्ला 11वीं अंग्रेजी माध्यम में जुलाई 2013 में आई थी, सामान्य लड़की थी, उस पर कोई भूत प्रेत नहीं था। होस्टल में Third class से 12वीं कक्षा की कालेज की Students भी रहती थी, जिनकी उम्र 7-8 साल से 20-21 साल की थी। होस्टल में कोई भूत का साया नहीं था। "सु" को कोई भी भूत का साया नहीं था। "सु" का जुलाई 2013 में विचित्र व्यवहार हो गया था, वह सभी दुर्व्यवहार करने लगी। उसका

(97)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पढ़ाई में दिल नहीं लगता था क्योंकि पंकज दुबे सर को 10-7-2013 को उस स्कूल से निकाल दिया गया था व होस्टल में आने पर रोक लगा दी गई थी। पंकज दुबे व "सु" के बीच अफेयर चल रहा था। वह स्कूल व होस्टल से छुप छुप कर मिलने जाती थी व होटल रेस्टोरेन्ट में मूवी देखने कई बार गई थी। गवाह दिनांक 21-8-2013 को स्वयं की "सु" से बात होना बताती है व "सु" का उसे कहना बताती है कि वह बापू आसाराम की कुटिया में नहीं गई थी और उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया। "सु" ने उसे बताया था कि उसने मम्मी पापा, पंकज दुबे, महेन्द्र चावला, दीपक चौरसिया, सतीश भदवानी व अन्य लोगों के साथ मिल कर 50 करोड़ रूपयों के लिये व बापू आसाराम के चरित्र हनन के लिये झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उससे कुछ नहीं हुआ, कोई छेड़ खानी नहीं हुई। वह तथा "सु" रोज फेसबुक व वाट्सएप व फोन पर बात किया करते थे। जनवरी 2015 तक "सु" से बात हुई थी। प्रदर्श-डी-133 लगायात प्रदर्श-डी-141 फोटोग्राफ वाट्सएप व फेसबुक पर "सु" ने अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 के बीच भेजे थे।

66- डी. डब्ल्यू-2 चनणाराम कुमावत ने मदन जी चौमू के रेफ्रेंस से भेजे गए 3 चौकीदारों को दिनांक 7-8-2013 को सुबह नौ-दस बजे रेल्वे स्टेशन से कार में लेकर आसाराम बापू आश्रम उत्तरलाई रोड में छोड़ देना कहा है। गवाह दिनांक 15-8-2013 को अन्य व्यक्तियों के साथ हरिओम कृषि फार्म मणाई में जाकर विष्णु जी देवड़ा के मकान के आगे नीम के पेड़ के नीचे आसाराम बापू के सत्संग में शामिल होना कहता है। सत्संग रात को 9 बजे चालू हुआ, अर्जुन टेकवानी व बलराम जी के परिवार वालों द्वारा आसाराम बापू को यह कहना कि हमारे लड़के लड़की का रोक हुआ है, उन्हें आशीर्वाद दो। तत्पश्चात् इस खुशी में झूलेलाल की झांकी निकालना, तब तक ग्यारह, सवा ग्यारह बज जाना, फिर आसाराम जी से गौशाला के बारे में साढे ग्यारह बजे तक बातचीत करना कहा है। इस दौरान हुई फोटोग्राफी को गवाह प्रदर्श-डी-21, प्रदर्श-डी-24, प्रदर्श-डी-36 प्रदर्शित करवाता है, रात को साढे ग्यारह बजे आसाराम जी का उठ कर जाना, पीछे किसी का नहीं जाना, केवल गनमैन का ही जाना कहता है।

(98)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

67- डी. डब्ल्यू.-3 अर्जुन कुमार टेकवानी दिनांक 4-8-2013 को चनणाराम का स्वयं की दुकान पर कपड़ा लेने के लिये आना व स्वयं की पुत्री के रिश्ते की बातचीत बलराम मीरपुरी के लड़के हरीश मीरपुरी से होना व बलराम द्वारा मणाई गांव में हरिओम कृषि फार्म पर गवाह को बुलाना कहा है। गवाह दिनांक 15-8-2013 को शाम पौने आठ बजे मणाई पहुंच कर बलराम जी व उनके परिवार से बातचीत होना बताता है। तत्पश्चात् रात के 9 बजे अभियुक्त आसाराम का सत्संग होना, जो पौने ग्यारह बजे तक चलना, तत्पश्चात् स्वयं द्वारा लड़के लड़की का रोका होने पर झूलेलाल की झांकी निकालना, बापू जी का नीम के पेड़ के नीचे रात को 9 बजे से 12 बजे तक बैठना कहता है। प्रदर्श-डी-26 व प्रदर्श-डी-26-ए फोटोग्राफ साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं।

68- डी. डब्ल्यू.-4 सुशीला चेलानी पत्नी श्री ईश्वरलाल चेलानी ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह अपनी सहेली गीतू के पति अर्जुन कुमार टेकवानी को जानती है। दिनांक 15-8-2013 को गीतू के फोन करने पर शाम को हरिओम कृषि फार्म मणाई, जोधपुर पहुंची जहां अर्जुन टेकवानी व उसकी बेटी व बलराम जी का परिवार मिले। बातचीत की, जहां शाहजहांपुर के कर्मवीरसिंह, उनकी पत्नी सुनीता व पुत्री भी आये हुए थे। बाड़मेर से भी कुछ लोग आये हुए थे। रात्रि करीब 9 बजे आसाराम जी अपने मकान से बाहर आये, नीम के पेड़ के नीचे टेबल कुर्सी पर बैठ गये, करीब 50-60 लोग प्लास्टिक की दरी पर सामने बैठे थे। 15-20 मिनट तक हरिओम का गुंजन करते रहे, करीब पौने ग्यारह, ग्यारह बजे तक सत्संग चला फिर बलराम जी, इनकी पत्नी, बच्चे, बेटा, अर्जुन जी, मोहन, गीतू, सोनिया ने खड़े होकर आसाराम से प्रार्थना की कि उनके बेटे हरीश व सोनिया का रोका किया है, आशीर्वाद दीजिये। फिर प्रार्थना की कि हम एक छोटी सी झांकी झूलेलाल की, जिसे सिन्धी में बहराणा साहब बोलते हैं, निकालना चाहते हैं। झूलेलाल की झांकी निकाली, जो करीब सवा ग्यारह बजे तक चली, बापू जी उस दिन 9 बजे से पौने बारह बजे तक नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहे। बाड़मेर वाले गौशाला के विषय में कुछ बात करने आये थे जिनके नाम चैनाराम व जैताराम थे। गवाह करीब पौने बारह,

(99)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बारह बजे वहां से रवाना हो जाना कहती है। गवाह प्रदर्श-डी-21 फोटोग्राफ में स्वयं का बैठा होना बताती है।

69— डी. डब्ल्यू.-5 श्रीमती जया कामत ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, शाहजहांपुर की प्रिन्सिपल है। उसने इस विद्यालय में 23-6-2000 को प्रिन्सिपल के पद कार्यभार ग्रहण किया था। विद्यालय 1985 से स्थापित है, जो इंगलिश मीडियम है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। राधेलाल गुप्ता उक्त विद्यालय में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट व दाउदयाल गुप्ता डायरेक्टर थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। विद्यालय में कक्षा नर्सरी में प्रवेश की प्रक्रिया रही है, सर्वप्रथम अभिभावक आफिस की जानकारी लेते हैं, अगर फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन विद्यालय में करवाते हैं, जिसके लिये उनको सौ रुपये का एक रजिस्ट्रेशन फार्म लेना होता है। उसके पश्चात् अभिभावकों को एक इन्टरव्यू डेट दी जाती है, बच्चे का Entrance test लिया जाता है व अभिभावकों का इन्टरव्यू लिया जाता है। कक्षा नर्सरी में प्रवेश लेने के लिये बच्चे की उम्र 3 वर्ष होना अनिवार्य है। जब बालक Entrance test पास कर लेता है तब अभिभावकों को एडमिशन फार्म देते हैं जो भर कर आफिस में जमा करवाते हैं व फीस भी जमा करवाते हैं। प्रदर्श-डी-6-ए से प्रदर्श-डी-13-ए तक पत्रावली पर उपलब्ध इनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श-डी-6 लगायत प्रदर्श-डी-13 स्कूल के हैं। उक्त दस्तावेजों को रेगूलरली मैन्टेन किया जाता है। प्रदर्श-डी-7-ए रजिस्ट्रेशन फार्म है जिसके कालम संख्या 3 में बालिका शुभम की जन्म तिथि 6-8-1995 अंकित है। प्रदर्श-डी-6-ए बालिका शुभम का स्कूल में एडमिशन फार्म है, जिसमें बालिका की जन्म तिथि 6-8-1995 अंकित है। दिनांक 27-7-2000 को बालिका शुभम देवी के माता पिता सुनीतासिंह व कर्मवीरसिंह एक शपथ पत्र लेकर आये कि उनकी पुत्री का नाम शुभम देवी से "सु" देवी कर दिया गया है जो 5 पृष्ठों में है जो प्रदर्श-डी-9-ए से प्रदर्श-डी-13-ए है। उक्त शपथ पत्र लेने के बाद ओ.ए., आर. एल. गुप्ता को आफिस में बुलाया और उससे बच्ची के रजिस्ट्रेशन व एडमिशन सम्बन्धी फार्म मंगवाये, बच्ची के माता पिता ने रजिस्ट्रेशन फार्म व एडमिशन फार्म में लिखी

(100)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अन्य सभी बातों व जन्म तिथि को सही होना बताया। शपथ पत्र प्राप्त होने के बाद डी. डी. गुप्ता स्कूल के डायरेक्टर से फोन पर Appointment लेकर Discuss किया। बालिका के अभिभावकों ने उक्त फार्म में भरी सभी प्रविष्टियों को सही होना स्वीकार किया। प्रदर्श-डी-8-ए मूल एस.आर. रजिस्टर विद्यालय का है जिसमें बालिका शुभम देवी का नाम बदल "सु" लिख दिया गया। बालिका ने स्कूल से नर्सरी कक्षा वर्ष 2000 में, के.जी. कक्षा 2001 में व प्रथम कक्षा 2002 में पास की थी, जिसकी प्रविष्टियां एस. आर. रजिस्टर में नियमित रूप से की गईं। नर्सरी और के. जी. क्लास का टाईमिंग आठ से साढ़े ग्यारह बजे तक का होता है। इस दरम्यान बच्चे स्कूल के गेट से बाहर नहीं जा सकते थे। नर्सरी, के. जी. व प्रथम कक्षा में अध्ययनरत बच्चा खेलकूद करके घर नहीं आ सकता था। स्कूल समय में बच्चे क्लास में रहते थे। प्रथम कक्षा के बच्चों समय आठ से डेढ़ बजे का होता था, रेगूलरली 6 विषयों में कक्षा होती थी।

70- गवाह डी. डब्ल्यू. 6 विशनाराम उर्फ विष्णु देवडा हैं। यह उल्लेखनीय है कि यह गवाह पी. डब्ल्यू. 6 श्री रणजीतसिंह का पुत्र है जिसने इस आशय के कथन किये हैं कि वह आसाराम को जानता है जो उसके यहां हरिओम कृषि फार्म मणाई पर आया था जो 40 बीघा में है। वहीं पर पास में घर बना हुआ है जिसके पास में एक कुटिया बनी हुई है। दिनांक 11-8-2013 को दिन में 3 बजे आसाराम कृषि फार्म हाउस पर आया था व कुटिया में रहा था जो साधु सन्तों के रहने के लिये बनाई थी। उस कुटिया में सिर्फ साधु सन्तों को ही प्रवेश करने दिया जाता है, बाहर के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। कृषि फार्म के आगे से से रामदेवरा जाने का रास्ता गुजरता है। साधु कुटिया में ठहरते हैं, जैसे रामरतन जी, बालेसर वाले शरण महाराज व बाकी अन्य सन्त भी आते हैं। एकान्तवास में ध्यान, भजन व साधना होती है। सत्संग शाम के समय घर के आगे नीम व पीपल के पेड़ के नीचे होता है। दिनांक 14-8-2013 को शाहजहांपुर से कर्मवीर का परिवार जिसमें उसकी धर्मपत्नी सुनीता व पुत्री "सु" व पुणे से बलराम जी का परिवार जिसमें उनकी पत्नी गीता व बेटा हरीश आये थे। सभी घर में ही ठहरे थे। पुणे वाला परिवार व कर्मवीर जी उसके घर

(101)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

में नीचे के कमरे में ठहरे थे। गवाह ने स्वयं की धर्मपत्नी मनीषा, बहनें गीता व जसोदा, दो बच्चे कृष्णा व हरी, कर्मवीर की पत्नी सुनीता व उसकी पुत्री "सु" के साथ ऊपर के कमरे में ठहरे थे। ये लोग जब रात में ऊपर सोने के लिये चले जाते थे तो हम घर का दरवाजा अन्दर से बन्द कर देते थे व सीढ़ियों के दरवाजे की कुण्डी रूटीन के हिसाब से बन्द कर देते हैं। दिनांक 15-8-2013 गवाह ने रूटीन के हिसाब से दोनों दरवाजे रात को बारह पौने बारह बजे बन्द करना कहा है। दिनांक 15-8-2013 को सुबह के समय आसाराम बापू टहलते हुए घर के आगे आये व दर्शन दिये। फिर दिन में कोई सत्संग नहीं हुआ। सत्संग रात को 9 बजे हुआ जो साढे दस बजे तक चला जिसमें 15-20 मिनट ओंकार का गुंजन, गाय की सेवा की बातें, धार्मिक प्रसंग, माता पिता की सेवा आदि सत्संग किया था। सत्संग में करीब 60-70 लोग मौजूद थे। सत्संग के बाद पुणे से बलराम का परिवार व शिवगंज से अर्जुन भाई का परिवार हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ कि बापू जी हमारे बेटे व बेटी का रोका तय हुआ है जिसको आशीर्वाद आप दीजिये तो बापू ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर इन लोगों ने सिन्धी परिवार होने के कारण एक छोटी झूलेलाल की झांकी निकालने का आग्रह किया तो बापू जी ने झांकी निकालने की हामी भरी। झांकी का सामान थाली, परात, आटा व लाल कपड़ा आदि थे। झांकी इन 12-15 लोगों ने कीर्तन करते हुए आयो लाल झूलेलाल करते हुए घर के आगे से निकाली जो करीब सवा ग्यारह बजे तक चली। फिर बापू जी ने प्रसाद जिसमें फल फ्रूट थे, सभी में बांटने को बोला। बाड़मेर से चनणाराम वगैरा शाम को करीब 7-8 बजे आ गये थे। गवाह ने सत्संग का रात को 9 बजे चालू होना, झांकी ग्यारह सवा ग्यारह बजे खत्म होना, झांकी के बाद गवाह के परिवार वालों से बापू की बातचीत करना, उक्त बातचीत के बाद बाड़मेर वाले चैनाराम द्वारा बापू से बातचीत करना, फिर बापू द्वारा समय पूछना, फिर पौने बारह बजना बताना, फिर पौने बारह बजे कुटिया की तरफ बापू का चले जाना, साथ में गनमैन रणवीर का जाना, गनमैन के सिवाय बापू के पीछे किसी का नहीं जाना, सामान समेट कर आसपास में जोधपुर से व बाहर से आने वाले लोग अपने अपने घर चले जाना गवाह ने बताया है।

(102)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रात्रि नौ बजे से साढ़े दस बजे तक सत्संग चला तब तक कर्मवीर के परिवार वाले सुनीता व "सु" गवाह की माता व धर्मपत्नी मनीषा के पास बैठे थे। इसके बाद 12 बजे ये लोग घर में आ गये। कर्मवीर और हम सब परिवार के पुरुष लोग घर में भूतल वाले कमरे में सो गये और धर्मपत्नी मनीषा व दो बहनें कर्मवीर की धर्मपत्नी सुनीता व "सु" घर के ऊपर के कमरे में सोने के लिये चले गये। इसके बाद डेली रूटीन के हिसाब से सीढ़ियों के दरवाजे की कुण्डी अन्दर से बन्द कर दी। कुटिया के चारों तरफ बाउण्ड्री वाल बनी हुई है। कुटिया के दो गेट हैं, एक बड़ा व एक छोटा, जिन पर चौकीदार लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कुल 3 चौकीदार जयपुर से आये थे। अगर कोई व्यक्ति कुटिया में जाने की कोशिश करता तो चौकीदार उन्हें रोक देता। कुटिया के अन्दर साधु के अलावा कोई Allow नहीं था। दिनांक 16-8-2013 को सुबह करीब 5 बजे धर्मपत्नी मनीषा ने सीढ़ियों का दरवाजा बजाया तब दरवाजा खोला और पत्नी काम में लग गई। करीब 7 बजे कर्मवीर, उसकी धर्मपत्नी व "सु" के लिये नाश्ता और खाना तैयार किया। नाश्ता बना रहे थे तो "सु" मेरे बच्चों के साथ हंसी खुशी खेल रही थी और उसकी मां सुनीता नाश्ता खाना बनाने के लिये हाथ बंटा रही थी। इसके बाद कर्मवीर के परिवार वालों ने करीब सात सवा सात बजे घर के आंगन में नाश्ता किया और धर्मपत्नी ने उनके साथ खाना पैक कर दिया और उन्होंने राजीखुशी खाना लिया। उसके बाद "सु" गवाह के बच्चों कृष्णा व हरी को सौ सौ रुपये देने लगी तो गवाह स्वयं द्वारा मना करना कहता है। कर्मवीर जी के परिवार वालों को रामसुख रेल्वे स्टेशन छोड़ने गया व उनको शाहजहांपुर का टिकट दिलवाया। गवाह प्रदर्श-डी-21, प्रदर्श-डी-22, प्रदर्श-डी-23 प्रदर्श-डी-24 व प्रदर्श-डी-26 दिनांक 15-8-2013 को रात्रि साढ़े दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे के बीच के होना जाहिर करते हुए उनमें दर्शित हो रहे व्यक्तियों को पीड़िता, उसके पिता कर्मवीरसिंह, सुनीता आदि पहचानना बताता है। दिनांक 11-8-2013 से 16-8-2013 के बीच बापू की कुटिया में बापू के अलावा किसी अन्य ने प्रवेश नहीं किया। पुलिस वाले दिनांक 21-8-2013 को आये थे। इसके बाद शाम के समय डी.सी.पी. अजय लाम्बा जी जाबते के साथ व भारी मात्रा में मीडियाकर्मी

(103)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कैमरों के साथ आये थे। दिनांक 22-8-2013 को भी चंचल मिश्रा व उनके साथ पुलिस जाब्ला व शाहजहांपुर के कर्मवीर जी का परिवार भी आया था। जैसे हमारे घर में सब लोग आये तो कर्मवीर जी व उनकी पत्नी को कहा कि आपने बापू जी पर झूठा आरोप क्यों लगाया, जबकि उस दिन आप मेरे साथ व आपकी पत्नी व पुत्री मेरी पत्नी के साथ सोये थे तब चंचल मिश्रा ने टोक कर रवाना कर दिया।

71- डी. डब्ल्यू. 7 मेघा शर्मा ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह "सु" को सन् 2008 से जानती है जो उसकी बहुत अच्छी सहेली रह चुकी है। "सु" और उसने सन् 2008 जुलाई माह में सन्त श्री आसाराम गुरुकुल छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश में एक साथ प्रवेश लिया था। उस समय गवाह की छोटी बहन हर्षिता व छोटे भाई हरीश शर्मा ने भी प्रवेश लिया था। उस समय वह शाहजहांपुर से आई आई "सु" व उसके छोटे भाई यशवीर से मिली। "सु" ने वहां 8वीं क्लास में प्रवेश के लिये Entrance Exam दिया किन्तु Marks कम होने के कारण उसे 7वीं क्लास में प्रवेश मिला। "सु" ने उसे बताया था कि बचपन में उसका दादा जी ने उसका नाम शुभम देवी रखा था जब वह गांव गढ़ी छाजू में रहते थे लेकिन उसके पिता जी ने एक Affidavit देकर उसका नाम शुभम देवी से "सु" करवाया था। फिर "सु" सिंह नाम लिखवाया। उसके बाद उसका नाम गुरुकुल में "सु" लिखा जाता है। "सु" को अपने हस्ताक्षर बदल बदल कर करना पसन्द था। प्रदर्श-पी-85 व प्रदर्श-पी-4 व "सु" के पी. डब्ल्यू. 5 के रूप में न्यायालय में हुए बयानों के प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रदर्श-डी-3 पर "सु" के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श-डी-3 माफी सम्बन्धी पत्र होस्टल वार्डन नेहा तोतलानी के कहने पर 1600/- रुपये "सु" के पास मिलने व पढ़ाई में ठीक से ध्यान देने के सन्दर्भ में लिखा था। 1600/- रुपये उसे पंकज दुबे जो इंगलिश व इकोनोमिक्स के अध्यापक थे, द्वारा देना बताया। गवाह पीड़िता से शुरू से ही बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होना, Hobbies भी Same होना, दोनों का बैडमिन्टन व म्यूजिक में इन्तरेस्ट होना व सारी Personal बातें Share करना बताती है। "सु" व स्वयं का कमरा गर्ल्स होस्टल में एक होना व "सु" का स्वयं के बांयी तरफ सोना तथा उस वक्त रूम वार्डन प्रियासिंह सिसोदिया होना बताती है। 2013

(104)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

में कक्ष का नाम सीता कक्ष व उसका नम्बर 202 बताते हुए कथन किये हैं कि उस समय अलग से गद्दे दिये जाते थे, पलंग नहीं मिलते थे तथा जमीन पर गद्दे बिछा कर सोते थे। इस तरह रूम में बांयी तरफ "सु" व उसके बाद चारूल अरोड़ा सोती थी। सीता कक्ष की वार्डन विद्या बाबू राव थी जो उसी कक्ष में गद्दा लगा कर साथ में सोती थी। प्रिया दीदी अंग्रेजी की अध्यापिका थी जो स्कूल व होस्टल में इंगलिश विषय पढ़ाती थी। 2008 से 2011 तक रूम वार्डन वही थी। अप्रैल 2013 में सीता कक्ष की वार्डन नेहा तोतलानी थी तथा जून 2013 में वार्डन विद्या बाबूराव बनी थी, स्कूल में बोटनी Subject पढ़ाती थी। 2008 में उक्त गुरुकुल में प्रवेश लेते वक्त होस्टल वार्डन सरिता आहूजा थी। मार्च 2013 में होस्टल वार्डन नेहा तोतलानी थी। वर्ष 2013 में सीता कक्ष में गवाह के साथ "सु" सिंह, चारूल अरोड़ा व मंजू वर्मा, वर्षा रस्तोगी, कंचन चौरसिया, वैशाली परमार आदि थे। स्कूल में घनिष्ठ मित्र वर्ष 2008 में "सु" थी, मंजू व वर्षा भी मित्र थी। वर्ष 2008 में चारूल अरोड़ा, कंचन चौरसिया भी घनिष्ठ मित्र बन गई। अप्रैल 2013 में इंगलिश के अध्यापक पंकज दुबे गर्ल्स होस्टल में पढ़ाने आते थे जो "सु" के द्वारा होस्टल वार्डन नेहा तोतलानी के विशेष आग्रह करने पर आते थे। "सु" व पंकज के बीच अफेयर चल रहा था। "सु" उन्हें लैटर पास करती थी, जब भी समय मिलता था घन्टों बातें करते थे और हंसी मजाक करते थे। उक्त बात नेहा तोतलानी को बताने पर पंकज दुबे का होस्टल में आना बन्द करवा दिया। 15 जून 2013 से स्कूल पुनः खुल गये थे। "सु" दिनांक 17-6-2013 को होस्टल में पहुंची व बताया कि वह एक कीपैड मोबाईल लेकर आई है, उस मोबाईल पर पंकज दुबे से चैटिंग में बातें करती रहती थी, दिनांक 23-6-2013 को होस्टल से छुप कर पंकज दुबे के साथ घूमने गई थी। वापस आकर उसने बताया कि वह मूवी देख कर आई है और रेस्टोरेन्ट में भी गई थी और पंकज दुबे द्वारा उसे सैमसंग का मोबाईल दिया था जिसके नम्बर 7828323937 थे। दिनांक 28-6-2013 को स्कूल में इंगलिश की एक्सट्रा क्लास लगी थी जो पंकज दुबे ले रहे थे। उसके बाद पंकज दुबे व "सु" को आपस में अभद्रपूर्ण तरीके से बैठे हुए देखा व वे आपस में बातें कर रहे थे। वे आसाराम बापू पर ब्लैकमेलिंग करके उन पर

(105)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

दुष्कर्म का आरोप लगाने की बातें कर रहे थे जिसमें उनके साथ राहुल सचान, महेन्द्र चावला, देवेन्द्र प्रजापति, और भी अन्य लोग शामिल थे। पंकज दुबे ने बोला कि कुछ दिन में छिन्दवाड़ा से बाहर जाने वाले आसाराम बापू पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिये लड़कियां करने जाना है, तब "सु" ने कहा कि उसे भी पापा जल्दी ही ले जायेंगे, अगर समर वेकेशन में हरिद्वार वाला काम हो गया होता तो वापस गुरुकुल आना ही नहीं पड़ता। उसके बाद "सु" बोली कि आपस में एस.एम.एस. के Through contact में थे तब पंकज दुबे ने कहा कि यहां हरिद्वार वाला काम भी नहीं हुआ और उधर जम्मू में भोलानन्द ने कंकाल गाढ़ने व लड़कियां तैयार करने का काम पूरा नहीं किया। इसी विषय में कुछ दिन बाद मीटिंग होने वाली है जहां तुम्हारे पापा कर्मवीर, महेन्द्र चावला, राहुल सचान, देवेन्द्र प्रजापति और भी अन्य लोग आने वाले हैं जहां अगला स्थान तय किया जाने वाला है। उसके बाद पंकज दुबे बोल रहा था कि इस मीटिंग के बाद भोलानन्द को कंकाल गाढ़ने व लड़कियां तैयार करने के काम में मदद करेंगे जिससे यह साबित हो जायेगा कि आसाराम के आश्रम में तांत्रिक होता है और उसके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जायेगी। उनकी यह सारी बातें सुन कर होस्टल जाने के लिए बस में बैठ गई फिर "सु" भी बस में आ गई। फिर क्लास पूरी होने के बाद उससे पूछा कि कहां गई थी, क्या कर रही थी तो "सु" ने जवाब दिया कि तुझे क्या करना है, अपना काम कर। तब होस्टल वार्डन नेहा तोतलानी व प्रिया सिसोदिया को सारी बातें बताई तो नेहा ने बताया कि हम सम्भाल लेंगे। इसके बाद पंकज दुबे व "सु" पर नजर रखना शुरू किया। फिर दिनांक 9-7-2013 को होस्टल में आलमारी की चैकिंग रूम वार्डन विद्या दीदी ने की तब "सु" की आलमारी में से 1600/- रुपये पकड़े गये, जो उसने बताया कि पंकज दुबे ने दिये हैं। उसके बाद दिनांक 10-7-2013 को "सु" से माफीनामा लिखवाया गया व पंकज दुबे को स्कूल से निकाल दिया गया।

"सु" ने उसे बताया था कि उसकी असल जन्म दिनांक 6-8-1995 है एवं इस सन्दर्भ में उसने श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ के एडमिशन फार्म व रजिस्ट्रेशन फार्म की फोटो प्रति भी दिखाई थी। यह बात इसलिये बताई

(106)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

थी कि वर्ष 2008 में उसके पीरियड्स शुरू हो गये थे तब उससे कहा था कि अभी तुम इतनी छोटी हो तो भी तुम्हारे पीरियड्स कैसे हो गये तो उसने कहा कि मैं 13 वर्ष की हूँ और उक्त दस्तावेज दिखाये। दिनांक 1-8-2013 को बारिश हो रही थी, भारी वर्षा होने के कारण बीच का नाला उफान पर होने के कारण 2 व 3-8-2013 को स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। दिनांक 4-8-2013 को सन्डे था इसलिये तीन दिन की लगातार छुट्टी थी। संचिता बनर्जी का दिनांक 3-8-2013 को जन्म दिन बनाया था। दिनांक 6-8-2013 को "सु" का 18वां जन्म दिन था। उस समय सुबह के समय वह चॉकलेट बांट रही थी तो पेरेन्ट्स कर्मवीर व सुनीता का विश करने के लिये फोन आया था तब चारूल "सु" के साथ रिसेप्शन पर गई थी, टेलीफोन पर बात भी की थी, सबसे पहले "सु" ने बात की। जब गवाह ने "सु" की मम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि वे 2-3 दिन में उसे लेने के लिये जाने वाले हैं। उसके बाद "सु" चॉकलेट बांटती हुई विद्या दीदी के पास गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बर्थडे तो 4 जुलाई को आता है तब "सु" भड़क गई व कहा कि आप नये आये हो, मैं हर साल अपना जन्म दिन 6 अगस्त को ही मनाती थी तब "सु" अपनी फाईल लेकर आई जिसमें शंकर मुमुक्षु के दस्तावेज लगे थे, उसने उक्त दस्तावेज विद्या को भी दिखाये।

हर्षिता व भव्या शुक्ला दोनों 11वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम से साथ में पढ़ती थी। हर्षिता व भव्या हमारे साथ में रहती थी, साथ में खेलते, पढ़ाई करते व खाना खाते थे। भव्या मानसिक व शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थी और Intelligent लड़की थी। उस पर कभी भूत का साया नहीं था। दिनांक 1-8-2013 से 9-8-2013 तक "सु" बिल्कुल स्वस्थ थी। दिन रात साथ में रहते थे, खेलते थे, म्यूजिक की प्रेक्टिस करते थे, उक्त अवधि में कभी बीमार नहीं पड़ी, न बाथरूम में चक्कर आने से गिरी। स्कूल व होस्टल में भूत प्रेत का साया नहीं था, होस्टल में थर्ड क्लास से लेकर 12वीं कक्षा व कॉलेज के Student रहते थे। थर्ड क्लास के बच्चों की उम्र करीब 7-8 वर्ष होती थी। दिनांक 7 व 8-8-2013 को "सु" की मानसिक स्थिति एकदम सही थी, उस पर कोई भूत का साया नहीं था, वरन् वह खुश थी क्योंकि दिनांक 6-8-2013

(107)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

को उसके अठारहवें जन्म दिन पर उसके पेरेन्ट्स का फोन आया था और वे उसे 1-2 दिन में लेने के लिये आने वाले थे इसलिये वह अपनी पैकिंग में व्यस्त थी। भव्या जुलाई 2013 के बीच में होस्टल में आई थी व 15-20 दिन रुकी थी। भव्या ने बताया था कि उसके पापा स्कूल में मूल टी.सी. जमा नहीं करवा पाये हैं इसलिये उसे जाना पड़ेगा। "सु" ने अपनी आंखों की जांच डा. राहुल कोठारी से जुलाई 2013 के अन्त में करवाई थी। होस्टल में मेडिकल केयर टेकर रीना दीदी थी। अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी होती थी तो रीना दीदी उसे देखती थी, डाक्टरों को दिखाती थी और रजिस्टर में भी प्रविष्टि करती थी। डाक्टर के पास ले जाने के लिये वैन थी। "सु" जुलाई 2013 से 8-8-2013 तक बीमार नहीं पड़ी, उसका स्कूल में महामृत्युंजय का पाठ नहीं हुआ। गवाह ने शरद, शिल्पी, आसाराम जी, शिवा, प्रकाश नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानना कहा है।

दिनांक 24 व 25-8-2013 को जोधपुर पुलिस के मुक्ता पारीक व सत्यप्रकाश बयान लेने के लिये आये थे। 2013 में दीपावली के अवकाश के आसपास जम्मू पुलिस वाले घर पर आये थे, उन्हें भी सारी बात बताई थी। जम्मू पुलिस के सामने व जम्मू में लेडी मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे।

72- पी. डब्ल्यू. 8 कुमारी प्रियासिंह गवाह ने बापू आसाराम, प्रकाश, शरद, शिवा व शिल्पी को नहीं जानना कहा है। वह वर्ष 2008 में सन्त श्री आसाराम गुरुकुल बालिका छात्रावास में कक्षा 7वीं से 9वीं की छात्राओं की रूम वार्डन होना व रूम का नाम आनन्द धाम होना कहती है, लखनऊ की रहने वाली है और "सु" को वर्ष 2008 से जानना कहती है, जब इसने कक्षा 7वीं में प्रवेश लिया था तब से 9वीं कक्षा तक "सु" की रूम इन्चार्ज रही जो शाहजहांपुर की रहने वाली थी। दोनों ही अवध क्षेत्र की होने से एक-दूसरे के नजदीक थी। "सु" कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिये आई थी लेकिन Entrance Exam में पास नहीं होने के कारण उसे 7वीं कक्षा में प्रवेश दिया गया। उसके छोटे भाई यशवीर ने कक्षा 3 में प्रवेश लिया। "सु" के पिता का नाम कर्मवीरसिंह व माता का नाम सुनीतासिंह, बड़े भाई का नाम सोमवीरसिंह था, जो "सु" से उम्र में 6 वर्ष बड़ा था। "सु" जब 2008 में गुरुकुल में आई थी तब

(108)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उसकी उम्र 13 वर्ष पूरी हो चुकी थी व 14वां वर्ष लग चुका था। उसकी जन्म तिथि 6-8-1995 थी। "सु" उसके पिता, भाई व माता का घर में आना जाना होता था। "सु" के पिता ने बताया कि सोमवीर पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, उसने कक्षा नर्सरी श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, शाहजहांपुर से दो वर्ष की थी। सोमवीर का शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, शाहजहांपुर का नर्सरी का प्रवेश फार्म भी दिखाया जिसमें उसकी जन्म तिथि 20-12-1989 लिखी थी। एक अन्य पेपर में देखा कि कक्षा 4 में सोमवीर को प्रमोट किया गया और पांचवी में वह एक बार फेल हुआ और दुबारा उसने पांचवीं कक्षा की पढ़ाई उस स्कूल से की थी। "सु" की नजदीकी फ्रेंड्स कुमारी चारूल अरोड़ा, मेघा शर्मा, मन्जू वर्मा, वर्षा रस्तोगी, वैशाली परमार, सुनीता सुथार आदि थी। जुलाई 2008 में "सु" को पहली बार पीरियड्स आये थे। दिनांक 6-8-2008 को उसका 13वां जन्म दिन बहुत धूमधाम से मनाया था। एक "सु" ने अपनी फोल्डर फाईल दिखाई थी जिसमें उसके पेरेन्ट्स के फोटोग्राफ्स, ग्रीटिंग कार्ड्स लगे हुए थे, साथ ही श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ शाहजहांपुर की कक्षा नर्सरी के एडमिशन फार्म की फोटोकापी लगी थी, उसमें देखा कि उसका नाम कुमारी शुभम देवी, जन्म दिनांक 6-8-1995, उम्र लगभग साढ़े तीन वर्ष लिखी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा हुआ था व साईन भी किये हुए थे। फोल्डर फाईल में स्कॉलर रजिस्टर की फोटो कापी भी लगी थी, जिसमें उसके दो नाम ऊपर कुमारी शुभम देवी व नीचे "सु" देवी, जन्म तिथि 6-8-1995 थी। इस फार्म में 3 वर्षों की प्रविष्टियां थी, सन् 1999 में नर्सरी, सन् 2000 में के. जी., 2001 में कक्षा पहली, 2002 में विद्यालय छोड़ दिया था। दो नामों के सन्दर्भ में जानकारी दी कि उसका शुभम देवी नाम उसके दादा जी ने रखाथा। फिर उसके पिता ने शपथ पत्र देकर नाम परिवर्तित करवाया था और "सु" देवी लिखवाया। जब वह नर्सरी में उस स्कूल में पढ़ रही थी तो उसका बड़ा भाई सोमवीर उसी स्कूल में कक्षा 4 में था। "सु" होस्टल में इंगलिश की ट्यूशन लेती थी। स्कूल में कक्षा 9वीं व 10वीं में "सु" को इंगलिश पढ़ाया है और 11वीं व 12वीं में भी कुछ समय के लिये इंगलिश की ट्यूशन लिया करती थी। पढ़ाई में लापरवाही करती थी, इसलिये कक्षा 10वीं के बाद उसने Science नहीं लेकर Commerce लिया

(109)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्योंकि वह Science व Maths से घबराती थी। उसका व्यवहार Rude था, जिद्दी स्वभाव की थी, बड़ों से बहस करना, झूठ बोलना, बात बात में बहाने बनाना उसके स्वभाव में था। पेरेन्ट्स को बताते थे तो चुप करा देते थे कि आप तो उसकी बड़ी दीदी हो, उसे समझाया करो, सीरियसली नहीं लेते थे। कक्षा तीसरी की छात्राएं लगभग 7-8 वर्ष की होती थी। होस्टल में विद्यार्थियों के साथ उनकी रूम वार्डन भी रहती थी।

अप्रैल 2013 में "सु" कक्षा 12वीं हिन्दी मीडियम में थी, उसके अंग्रेजी व इकोनोमिक्स के टीचर 9 - 10 जुलाई 2013 तक पंकज दुबे थे। अप्रैल 2013 में पंकज दुबे, "सु" के बहुत Insist करने पर, होस्टल वार्डन नेहा तोतलानी द्वारा Recommend करने पर इंग्लिश व इकोनोमिक्स ट्यूशन के लिये गर्ल्स होस्टल आने लगे। गवाह स्वयं व नेहा द्वारा नोट करना बताती थी कि "सु" व पंकज का व्यवहार एक शिक्षक व विद्यार्थी की मर्यादा से बाहर का था, आपत्तिजनक लगा। क्लास में पंकज दुबे "सु" को लैपटॉप पर कुछ दिखाते हुए दिखा। गवाह के पहुंचने पर लैपटॉप बन्द करने लगा, पूछने पर पंकज दुबे ने बताया कि फिल्म के Song सुना रहा था और कुछ वीडियो दिखा रहा था। यह बात होस्टल वार्डन नेहा तोतलानी को बताने पर पंकज दुबे का होस्टल आना बन्द करवा दिया। विद्या बाबूराव 2013 में कक्षा 12वीं की रूम वार्डन थी जिसका नाम मां सीता कक्ष है। "सु" और चारूल अपने-अपने घर अप्रैल लास्ट में एक साथ एक ही ट्रेन से गए। 15 जून 2013 से सेशन शुरू हो गया और यह बच्चे 17 जून 2013 को वापस आ गये तब "सु" पढ़ाई से बिल्कुल Cut off हो चुकी थी। वह बोर्ड क्लास के हिसाब से बिल्कुल Opposite direction में जा रही थी क्योंकि उसका Attraction पंकज दुबे के साथ बढ़ चुका था और वह उसके साथ छुप छुप कर थियेटर मूवी देखने जाना, शौपिंग जोन में शौपिंग करना और सत्कार होटल में जाकर घन्टों बैठे रहती थी।

दिनांक 28-6-2013 को गवाह व नेहा बैठ कर होस्टल की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, इतने में मेघा शर्मा आई और बताया कि उसने पंकज दुबे व "सु" को बापू आसाराम से 50 करोड़ रुपये प्राप्त करने, उन पर दुश्चरित्र का झूठा आरोप लगाने के लिये ब्लैकमेलिंग की कुछ बातें

(110)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

करते सुना है तो उसे आश्वस्त किया कि हम देख लेंगे, तू पढ़ाई कर लेकिन यह विषय प्रिन्सिपल के आगे रखा तो यह आदेश दिया कि "सु" और पंकज दुबे दोनों पर कड़क निगाह रखे। उसके बाद जब "सु" वापस आई तो उससे बात करने पर उसका चेहरा उतर गया। उसके पेरेन्ट्स को बात बताई तो कहा कि समझाओ, हम तो रहते नहीं हैं। इस तरह बात टालने की कोशिश की। प्रिन्सिपल को बात बताई तो विद्या बाबूराव को "सु" पर कड़क निगरानी रखने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत विद्या ने दिनांक 9-7-2013 को "सु" की आलमारी की चैकिंग की जिसमें 1600/- रुपये की नकद राशि उसकी आलमारी से मिली। "सु" से बात करने पर उसने स्वीकार किया कि उसे पंकज दुबे ने 2000/- रुपये दिये थे जिसमें से 400/- रुपये उसने खाने पीने का सामान मंगवा कर खर्च कर दिये। फिर उसने लिख कर दिया कि आगे से ऐसा नहीं करेगी, पढ़ाई में Sincere रहेगी, माफीनामा लिख कर दिया। दिनांक 10-7-2013 को नेहा तोतलानी, विद्या व गवाह प्रिन्सिपल आफिस में गये। उन्हें दिनांक 9-7-2013 की पूरी घटना बताई तो पंकज दुबे को बुलाया गया, सारी बातों का जिक्र किया गया तो उसने डर कर त्याग पत्र की Application दी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया।

पंकज दुबे को निकालने के बाद "सु" Repulsing nature की हो गई, गुरुकुल को बर्बाद करने का बोलती थी। यह Attitude देखने पर उसे समझाने की कोशिश की, उसके पेरेन्ट्स से बात की तब भी उसके पेरेन्ट्स ने सीरियसली नहीं लिया। दिनांक 6-8-2013 को "सु" का 18वां जन्म दिन होस्टल व स्कूल में मनाया गया। रात भर "सु" ने सैमसंग के एन्ड्रायड मोबाईल से पंकज दुबे, रोहित मेहरा, दीपेन्द्र व अन्य Boy friends के साथ चैटिंग की, मैसेज किये। सुबह 7-8-2013 को देर से उठी, रूम वार्डन विद्या के बुलाने पर चिढ़ गई। दिनांक 7-8-2013 को दोपहर में विद्या ने "सु" को पंकज दुबे से फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो वह एकदम हाथापाई पर उतर आई। फिर भी उसने मोबाईल अपने पास रख लिया। शाम को होस्टल पहुंचने पर मोबाईल चैक किया तो उसके मम्मी, पापा, दोस्तों, बबीता मासी, अदिति सबसे कौन्टेक्ट हो रखा था और लगभग 250-300 मैसेज पंकज दुबे के साथ

(111)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पड़े हुए थे। साथ ही कम से कम 70 – 80 अश्लील वीडियो थे। उसके पेरेन्ट्स से बात की तो कहा कि हम निकल चुके हैं, कल ही आ रहे हैं, आप मोबाईल अपने पास रखो। दिनांक 8-8-2013 को रात्रि में “सु” के पेरेन्ट्स गुरुकुल आ चुके थे। “सु” खुश थी, सबको बता रही थी कि वह कल जा रही है, सारे रूम-मेट्स व स्टाफ ने समझाया कि जल्दी आना, 12वीं क्लास है तो बोली कि मैं तो अब आने वाली हूँ नहीं, मुझे यहां पढ़ना नहीं है। बच्चे बोले कि तेरा एक साल बर्बाद हो जायेगा तो वह बोली कि मैं इस साल ड्रॉप लेने वाली हूँ। भव्या शुक्ला 11वीं इंगलिश मीडियम की छात्रा थी और हर्षिता की Best friend थी इसलिये मेघा भी उसे छोटी बहन मानती थी। “सु” 12वीं में मेघा शर्मा, कंचन चौरसिया, चारूल अरोड़ा, हर्षिता शर्मा, भव्या शुक्ला साथ साथ ही खेलती थी, खाना खाती थी। “सु” व मेघा अपने फ्री समय में म्यूजिक की प्रैक्टिस किया करती थी, मेघा तबला और ढोलक बजाती थी, “सु” मंजीरा बजाती थी। “सु” शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ लड़की थी। उसको न कभी कोई चक्कर आये, न कोई भूत प्रेत का साया था। भव्या शुक्ला 11वीं अंग्रेजी माध्यम की छात्रा थी, जिसने जुलाई 2013 के बीच में प्रवेश लिया था, Carrier oriented well behaved private student थी, शारीरिक रूप से फिट थी, उसे इंगलिश की Tution होस्टल में पढ़ाया करती थी, अंग्रेजी में भव्या की बहुत अच्छी पकड़ थी लेकिन वह केवल 2 – 3 हफ्ते ही स्कूल व होस्टल में रही क्योंकि उसकी ओरिजनल टी.सी. स्कूल में जमा नहीं हो पा रही थी। उस पर भूत प्रेत का कोई साया नहीं था। दिनांक 6-8-2013 की शाम को “सु” के 18वें जन्म दिन के दिन सुबह बच्चों ने भव्या को See off किया और दिनांक 7-8-2013 को सुबह उसके पिता जी उसे मेरठ वापस लेकर चले गये। दिनांक 6-8-2013 से 2 – 3 दिन पहले हमने दिनांक 3-8-2013 को संचिता बनर्जी नाम की बच्ची का Birth day मनाया था। उस समय होस्टल व स्कूल में किसी को भूत प्रेत का साया नहीं था। होस्टल व स्कूल में कक्षा नर्सरी के के साढ़े तीन वर्ष की उम्र के भी बच्चे पढ़ते हैं, इसलिये अगर वहां भूत प्रेत का साया होता तो बच्चे कैसे पढ़ते, स्कूल बन्द हो जाता और वहां क्यों रहते। “सु” चश्मा लगाती थी इसलिये 3 – 4 बच्चों को जुलाई 2013 के अन्त में डाक्टर कोठारी

(112)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

के पास ले गये थे। "सु" इससे पहले गम्भीर रूप से बीमार नहीं रही। वह दिन में 4 - 5 बार खाना खा लेती व स्वस्थ थी। मेडिकल केयर टेकर रीना शर्मा है जो बच्चों को डाक्टर के पास ले जाती है और मेडिकल रजिस्टर में भी एन्ट्री करती है। अगर "सु" को बीमारी का ऐसा कुछ होता तो अपने रजिस्टर में एन्ट्री करती। स्कूल व होस्टल में कभी भी महामृत्युंजय या अन्य कोई मन्त्र पाठ नहीं होता है। यहां बच्चे पढ़ने के लिये आते हैं।

73— डी. डब्ल्यू-9 कुमारी रीना ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह सन्त श्री आसाराम गुरुकुल, छिन्दवाड़ा में दिनांक 1-4-2013 से कार्यरत है। अप्रैल, 2013 में वह 9वीं कक्षा की रूम वार्डन थी तथा उसके साथ साथ बीमार छात्राओं की देखभाल करने का कार्य भी उसे सौंपा गया था। उस समय बालिका छात्रावास की मेडिकल केयर वार्डन में थी। प्रदर्श-पी-104 के क्रम संख्या 107 में उसका नाम, पिता का नाम, पता व पद अंकित है जिस पर नेहा तोतलानी के हस्ताक्षर हैं। बालिका छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं की मेडिकल केयर सम्बन्धी कार्य करती थी। हर रोज सुबह साढ़े आठ बजे, शाम को आठ साढ़े आठ बजे हर कमरे में जाकर छात्राओं से स्वास्थ्य की जानकारी लेती थी। यदि कोई छात्रा बीमार होती तो उसकी एन्ट्री मेडिकल रजिस्टर में करती और सम्बन्धित डाक्टर से सम्पर्क कर डाक्टर के पास ले जाती थी। आर्टिकल-19 रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 7 से 13 में अंकित सभी प्रविष्टियां उसकी हस्तलिपि में हैं। पृष्ठ संख्या 13 में छात्रावास अधीक्षक नेहा तोतलानी के हस्ताक्षर हैं। छात्रावास में बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिये डाक्टर्स की लिस्ट बनी हुई थी। इसके अलावा सिविल अस्पताल में छात्राओं को मेडिकल चैक-अप के लिये ले जाया जाता था। जब कोई छात्रा बीमार हो जाती है तो उसको डाक्टर को दिखाने के लिये वैन से ले जाते हैं और उसके साथ गवाह व उसकी असिस्टेन्ट शकुन्तला भी जाती है। डाक्टर बीमार छात्रा की जांच करके उसकी बीमारी व दवाईयों के सम्बन्ध में Prescription बनाता है। गवाह ने उक्त दवाई स्वयं देना अथवा रूम वार्डन द्वारा देना कहा है। "सु" को जानती है जिसके पिता का नाम कर्मवीरसिंह है। वह छात्रावास में कभी बीमार नहीं पड़ी। उसके चश्मा लगा था जिसका नम्बर चैक करवाने के लिये 9 अन्य

(113)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

छात्राओं के साथ डा. राहुल कोठारी के पास गये थे, जिस दिन "सु" के चश्मे का नम्बर चेन्ज हुआ था। लक्ष्मी ऑप्टिकल की दुकान पर चश्मा बनवाने का आर्डर देकर आये थे जो अगले दिन बन कर आये थे। इसके अलावा "सु" ने कोई तकलीफ नहीं बताई। "सु" पूर्ण रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ थी। अप्रैल 2013 से लेकर अगस्त 2013 तक "सु" को कभी बीमार नहीं देखा। भव्या 11वीं कक्षा में इंग्लिश मीडियम की साईन्स की विद्यार्थी थी जो होस्टल में करीब 15 दिन ही रही क्योंकि उसका प्रोवीजनल एडमिशन हुआ था। फिर कुछ दिन बाद मूल टी. सी. जमा नहीं होने के कारण वह चली गई। भव्या शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। उसके ज्यादा नजदीक रहने वाली लड़कियों में हर्षिता शर्मा थी। हर्षिता की बहन मेघा, चारूल, "सु" व वर्षा रस्तोगी, कंचन चौरसिया इन लोगों के साथ भी भव्या बहुत रहती थी। "सु" को 1 अगस्त 2013 से 9 अगस्त 2013 तक चक्कर नहीं आये थे, बाथरूम में भी कभी गिरी नहीं थी। 2 - 3 अगस्त 2013 से बारिश के कारण होस्टल से स्कूल के बीच का रास्ता, नाले का पानी बढ़ जाने के कारण बन्द हो गया था इसलिये स्कूल की छुट्टियां कर दी गई थी और सभी छात्राओं ने गाने बजाने की प्रेक्टिस करते हुए Indore Games भी खेले थे। "सु" को मंजीरा बजाने का शौक था और मेघा तबला बजाती थी। दोनों ने Indore Games में टेबल टेनिस भी खेला। दिनांक 3-8-2013 की शाम को सभी ने संचिता बनर्जी का जन्मदिन खूब धूमधाम से बनाया था। "सु" का स्वास्थ्य बढ़ गया था और उसने जन्म दिन की पार्टी में डांस भी किया। दिनांक 4-8-2013 को सन्डे व फ्रेण्डशिप डे था। उस दिन मौसम भी खुल गया था तब "सु" ने 12वीं कक्षा की छात्राओं के साथ फ्रेण्डशिप डे भी मनाया और जिसमें "सु" ने मंजीरा बजाया, मेघा ने ढोलक बजाया। दिनांक 5-8-2013 को सभी लोग स्कूल गये। दिनांक 6-8-2013 को "सु" का जन्मदिन था। सुबह राउण्ड पर जाने पर देखा कि "सु" अपनी रूम वार्डन कुमारी विद्या बाबूराव से जन्म दिनांक को लेकर बहस कर रही थी, अपना शंकर मुमुक्षु का एडमिशन फार्म दिखा कर बोल रही थी कि उसका 18वां जन्म दिन है और इसमें सही जन्म-तिथि 6-8-1995 अंकित है। दोपहर में सभी बच्चे स्कूल गये तथा शाम को कौमन हॉल में "सु" का जन्म

(114)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

दिन मनाया गया जिसमें रूम की छात्राएं एवं वार्डन शामिल थे। "सु" ने बताया कि उसके पेरेन्ट्स 1 – 2 दिन में उसे लेने के लिये आने वाले हैं तथा वह घर जाने वाली है। उसी दिन जन्म दिन में भव्या भी आई थी जो शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ थी तथा "सु" का जन्म दिन बड़ी धूमधाम से मनाया था। होस्टल में भव्या पर कभी कोई भूत प्रेत का साया नहीं था, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रही। बालिका छात्रावास में तीसरी कक्षा से कालेज तक की छात्राएं रहती हैं। तीसरी व चौथी कक्षा की छात्राओं की उम्र लगभग 7 – 8 वर्ष होती है। इतने छोटे बच्चे जोर से या ऊंची आवाज में बात करने पर डर जाते हैं। अगर भव्या पर कोई भूत का साया होता तो छोटे बच्चे डर जाते और घर चले जाते। होस्टल में कभी भी भूत जैसी कोई बात नहीं हुई। पढ़ाई का आनन्दमय वातावरण था। छात्राएं बिल्कुल खुश रहती थी। दिनांक 7-8-2013 को "सु" स्कूल नहीं गई थी और दोपहर के समय उसकी रूम वार्डन विद्या ने उसको अपने रूम में एक मोबाईल से फोन पर बात करते हुए देखा क्योंकि होस्टल में छात्राओं को मोबाईल फोन रखना Allow नहीं है। अतः उन्होंने "सु" से मोबाईल फोन ले लिया और जानकारी "सु" के माता पिता को दी तो उसके पेरेन्ट्स ने कहा कि फोन अपने पास रख लीजिये, काल आ रहे हैं, उसे घर लेकर जायेंगे। मोबाईल के विषय में आमने सामने बैठ कर बात करी। "सु" के पेरेन्ट्स जब आये थे तब P.R.O. में वह भी मौजूद थी। उसके सामने ही "सु" की रूम वार्डन ने उसके पेरेन्ट्स से बातचीत की थी। गवाह ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण शरद, शिल्पी, शिवा, आसाराम व प्रकाश को देख कर कहा कि वह इनमें से किसी व्यक्ति को नहीं पहचानती है।

74- डी. डब्ल्यू.-10 मनीषा देवड़ा ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण प्रकाश, शरद, शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता व शिवा को नहीं पहचानना कहा है। वह अभियुक्त आसाराम को जानना कहती है। दस वर्ष पहले अपनी शादी दिनांक 2-11-2006 को होना व शादी के बाद से हरिओम कृषि फार्म मणाई, जोधपुर में निवास करना बताती है तथा आसाराम बापू को पिछले 7 वर्ष से जानना कहती है। गवाह आसाराम का वर्ष 2009, 2011 व 2013 में आना कहती है तथा वर्ष 2013 में आसाराम का दिनांक 11-8-2013 को आना, 5 दिन

(115)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ठहरना व दिनांक 16-8-2013 को सुबह 10 बजे चले जाना बताती है। दिनांक 14-8-2013 को सुबह 7 बजे वह गांयों को चारा वगैरा डाल रही थी तो बापू जी आये, गांयों को चारा वगैरा डाला, उसके बाद गवाह ने गांयों का दूध निकाला तथा बापू जी को एक लोटे में दूध डाल कर दिया जिसे उन्होंने पी लिया, फिर कुटिया में चले गये, जिसकी बाउण्डी बनी हुई है व दो गेट हैं, जिनके बाहर चौकीदार खड़े रहते हैं, अन्दर जाने की किसी को आज्ञा नहीं है। दिनांक 14-8-2013 को दोपहर के समय शाहजहांपुर से कर्मवीरसिंह, उसकी पत्नी सुनीता, पुत्री "सु" आये थे। शाम को पूना से बलराम, उनकी पत्नी गीता व पुत्र हरीश आये थे। ये सभी जेठ जी किशोर जी के पहचान वाले थे इसलिये इनको घर में ही ठहराया था। कमरा घर के ऊपर बना हुआ है जिसमें "सु", सुनीता, ननद गीता, यशोदा, दो बच्चे कृष्णा व हरी रूके थे। दिनांक 14-8-2013 को घर में ही खाने की व्यवस्था थी। 7-8 बजे खाना खाया था। पूना वाले बलराम जी का परिवार घर में बैठक वाले कमरे में ठहरे थे, पति विष्णु, कर्मवीर, जेठ किशोर, ससुर रणजीतसिंह और भी परिवार वाले नीचे बरामदे में सोये। दिनांक 14-8-2013 को रात को 9 बजे सत्संग हुआ एवं साढे दस पौने ग्यारह बजे सोने के लिये अन्दर गये तो "सु" ने कहा कि भाभी आपके पास पैड है क्या, मासिक धर्म शुरू हो गया है, तब हामी भरी और "सु" को पैड दिये व शतावरी पाउडर दिया। "सु" ने कमरे के पास स्थित बाथरूम में पैड का उपयोग किया, "सु" को बाथरूम में रखे दूसरे पैड में रखना कहा कि उसको बाथरूम में रहने देना, सुबह देखेंगे। दिनांक 15-8-2013 को सुबह उठी, नहा धो कर नीचे आकर गांयों की सेवा की। साथ में "सु" नीचे पैड लेकर आई व पूछा कि कहां फैंकना है तो उसे कहा कि खेत में लैट्रिन बाथरूम बने हैं, उनके पीछे डस्टबिन में पैड को डलवा दिये। फिर वह रूम में आ गई और "सु", सुनीता व कर्मवीर जी, पूना वाले बलराम, गीता व हरीश को नाश्ता करवाया। शाम को 7-8 बजे सभी ने खाना खा लिया। फिर सत्संग हुआ। खाना खाने में परिवार के अलावा 20-25 बाहर के लोग थे। दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के 9 बजे सत्संग शुरू हुआ जिसमें "सु", सुनीता, ननदें व गवाह साथ साथ गये व बैठे, जो लगभग साढे दस बजे खत्म हुआ। उसके

(116)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बाद पूना से आये बलराम व शिवगंज से आये अर्जुन व उनकी पुत्री सोनिया, पत्नी गीतू, अर्जुन जी के छोटे भाई थे, बाड़मेर से चैनाराम जी आये थे। साढे दस बजे बलराम जी के परिवार व अर्जुन जी के परिवार वालों ने खड़े होकर कहा कि हमारे बेटे बेटी के बीच रोका हुआ है, उन्हें आशीर्वाद दो। फिर झूलेलाल की झांकी निकालने का आग्रह किया। फिर बापू जी ने दूध पिया। फिर पूना व शिवगंज से आये लोग झूलेलाल की झांकी निकालने की तैयारी करने लगे व उनको आटा, परात आदि सामान दिया तब "सु" ने अन्दर आकर कहा कि उसे पैड चेन्ज करने हैं तो रूम में ले जाकर लैट्रिन बाथरूम में चेन्ज करवाये। फिर निचे आकर देखा कि झूलेलाल की झांकी में लोग झूम रहे थे, जो नीच के पेड़ के नीचे हो रही थी, बापू जी भी वहीं थे। झांकी करीब सवा ग्यारह बजे तक चली। झांकी के बाद बापू जी परिवार वालों से मिले, 15-20 मिनट तक बातचीत हुई, पौने बारह बजे तक बापू जी बाड़मेर वालों से बात कर रहे थे तो बाड़मेर वालों की गाड़ी का ड्राईवर बोला कि आप आओ चैनाराम जी, नहीं तो मैं जा रहा हूं तो बापू जी ने टाईम पूछा तो पौने बारह बजे बताया, तो बापू जी ने कहा कि आप भी आराम करो, मैं भी जा रहा हूं। बापू जी कुर्सी से खड़े होकर कुटिया की तरफ चले गये। एक बन्दूक वाला पीछे गया और कोई पीछे नहीं गया। उसके बाद गवाह स्वयं, "सु", सुनीता, दो ननदें, बच्चे व पूना से आये परिवार वाले घर के अन्दर रूम में जाना कहती है तथा स्वयं के रूम में "सु", सुनीता, दो ननदें यशोदा, गीता व दो बच्चों का सोने के लिये जाना व पति द्वारा सीढियों में कुण्डी लगा देना कहती है।

गवाह का आगे कथन है कि उसके कमरे में उसके पास "सु" सो रही थी, उसके बाद सुनीता सो रही थी। "सु" अपने फोन से मैसेज कर रही थी। "सु" व सुनीता दोनों मां बेटी आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे। "सु" के फोन में मैसेज आ रहे थे और जा रहे थे। फिर "सु" फोन देखती और मां बेटी दोनों खुसुर पुसुर करने लग जाती। मैंने बोला "सु" अब तो सो जा, साढे बारह बज रहे हैं। "सु" ने बात नहीं सुनी तो कहा कि अब सो जा, सुबह जल्दी मुझे भी उठना है और तुमको भी जल्दी जाना है। उसको दो तीन बार कहने पर सोई। दिनांक 16-8-2013 को सुबह 5 बजे उठी व नहा धो कर

(117)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

नीचे आई, साढ़े पांच बजे पति को आवाज दी तब सीढ़ियों की कुण्डी खोली व गायों को चारा देते समय बापू जी 7 बजे आये व गायों को चारा दिया व दूध पिया। फिर आशीर्वाद देकर वापस कुटिया में चले गये जिसके गेट पर चौकीदार खड़ा था, अन्दर कोई नहीं जाता था। कुल तीन चौकीदार थे, एक बन्दूक वाला अलग था। दिनांक 16-8-2013 को सुबह नाश्ते में सीरा व खीर बनाई व "सु", सुनीता व कर्मवीर जी व पूना से आये बलराम जी के परिवार वालों को नाश्ता करवाया। "सु" से बातचीत हुई, उसने आराम से नाश्ता किया और कह रही थी कि भाभी आपने अच्छा नाश्ता बनाया है, आपके हाथ का नाश्ता बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ हंसी व खेली। फिर उनके सथ में डालने के लिये टिफिन तैयार किया, जाते समय बच्चों को 100-100 रुपये देने लगी, मना कर, वापस रुपये देने लगी तो उसकी मां ने कहा कि आप वापस क्यों कर रही हो तो गवाह ने कहा कि मैं तो इसकी भाभी हूँ, दूंगी ही, तो "सु" की मम्मी ने कहा कि इसकी शादी होगी तब आपको बुलाऊंगी तब देना। वे लोग राजीखुशी हंस मिल कर घर से रवाना हुए। देवर रामसुख जी रेल्वे स्टेशन पर गाड़ी से छोड़ने गये। दिनांक 14-8-2013 व 15-8-2013 को घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे सत्संग हुआ था। दिनांक 11-8-2013 से 16-8-2013 तक बापू जी की कुटिया की बाउण्ड्री पर चौकीदार खड़े थे, कोई अन्य व्यक्ति कुटिया के अन्दर नहीं जा सकता था।

75- डी. डब्ल्यू-11 विद्या ने इस आशय के कथन किये है कि वह संत श्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा बालिका छात्रावास में 01.04.2013 से मार्च, 2014 तक कार्यरत थी एवं 2013 में 12 वीं कक्षा की रूम वार्डन थी। प्रदर्श-पी-104 के क्रम संख्या-04 पर उसका नाम, पिता का नाम, पता, फोन नम्बर व पद अंकित है। अप्रैल, 2013 में उक्त बालिका छात्रावास में कक्षा 12 वीं की रूम वार्डन थी। छमूसल चवपदजमक होने के कारण नेहा तोतलानी के साथ काम सीख रही थी। गवाह ने सभी अभियुक्तगण को पहचानने से इनकार किया है। कक्षा 12 वीं हिन्दी मिडियम की छात्राओं के कक्ष का नाम सीता कक्ष था। जून, 2013 में वह सीता कक्षा की केयर टेकर बनी थी वहीं रहती थी और रात्रि में छात्राओं के साथ ही उसी रूम में सोती थी। "सु" सीता कक्षा में 12 वीं

(118)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

वाणिज्य की छात्रा थी, उसके पिता का नाम करमवीर सिंह व माता का नाम सुनिता देवी था, जो शाहजहांपुर यू.पी. के रहने वाले थे। जून, 2013 में "सु" के अलावा चारूल अरोड़ा, मेघा शर्मा, कंचन चौरसिया, मंजू वर्मा, वर्षा रस्तोगी, सुनिता सुथार, वैशाली परमार, गायत्री पानसे, हर्षिता रूसिया, अनिशा देवड़े, दिव्या पाल, संचिता बेनर्जी, नेहा शर्मा छात्राएं सीता कक्ष में रहती थी। सीता कक्ष में हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम की छात्राएं रहती थी। छात्रावास में तीसरी कक्षा से लेकर कॉलेज तक की छात्राएं, 12 वीं कक्षा तक की छात्राएं रहती थी। "सु" जिद्दी व चंचल स्वभाव की थी। झूठ बोलना, बहाने बनाना, बड़ों से उदंडता करना उसका स्वभाव था। साथ ही "सु" खत्म होने के बाद भी हॉस्टल के लड़कों के साथ बातें करती थी। स्कूल व हॉस्टल के नियम तोड़ा करती थी। डे-स्कॉलर विद्यार्थियों से बाहर की बाजारू चीजें मंगवाती थी और अक्सर अपने पास नियमों के विरुद्ध पैसे, मोबाईल, कॉस्मेटिक्स रखती थी। प्रिया सिसोदिया लखनउ (यू.पी.) की रहने वाली है, जो स्कूल में अंग्रेजी विषय की अध्यापिका थी तथा हॉस्टल में कक्षा 11 वीं में "सु" की वार्डन भी रह चुकी है। "सु" व प्रिया सिंह सिसोदिया अवधि क्षेत्र के रहने के कारण उनमें घनिष्ठ संबंध थे। "सु" को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। 17 जून, 2013 को "सु" अवकाश के पश्चात् वापस आ गई थी। जुलाई, 2013 में "सु" आंखों की जांच के लिए डॉ. राहुल कोठारी के दवाखाने गई थी, जिसे हमारी मेडिकल केयर टेकर रीना लेकर गई थी। "सु" की आंखों का नम्बर बढ़ गया था, इसलिए उसके चश्मे के ग्लास चेंज करवाये थे। इसके अलावा "सु" को कोई बीमारी नहीं थी। मेडिकल के लिए रीना शर्मा सुबह व शाम दो राउण्ड लगाती थी। मेडिकल का रजिस्टर होता था, उसमें बीमार बच्चों की एंट्री होती थी। अप्रैल, 2013 में जब "सु" ने उसे व नेहा तोतलानी को कहा कि उसे अंग्रेजी व अर्थशास्त्र विषय में दिक्कत हो रही है, तो पंकज दूबे सर, जो अंग्रेजी व अर्थशास्त्र विषय पढ़ाते थे, की एक्स्ट्रा क्लास रखी जाये। तब नेहा तोतलानी ने "सु" के कहने पर प्रिंसिपल सर से बात करके अप्रैल के दुसरे सप्ताह में हॉस्टल में ट्यूशन शुरू करवाने का कहा। पंकज दूबे रोज शाम को सात से आठ ट्यूशन पढ़ाने आते थे। "सु" व पंकज दूबे का व्यवहार एक टीचर व

(119)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

स्टूडेंट के दायरे से बाहर हो रहा था तथा अमर्यादित था। उन दोनों को क्लास खत्म होने के बाद भी घंटो बातें करते हुए देखा। "सु" को पंकज दूबे लेपटॉप पर भी कुछ-कुछ दिखाते रहते थे। यह बातें नेहा तोतलानी, प्रिया सिंह सिसोदिया को बताई तो नेहा तोतलानी ने प्रिसिंपल सर से कहकर पंकज दूबे की हॉस्टल की ट्यूशन बंद करवा दी थी व उनका हॉस्टल में आना रोक दिया था। 28 जून, 2013 को स्कूल खत्म होने के बाद मेघा शर्मा 12 वीं कक्षा अंग्रेजी मिडियम की छात्रा उसके, नेहा तोतलानी, प्रिया सिंह सिसोदिया के पास शाम को स्कूल छूटने के बाद छः-साढ़े छः बजे आई। तब मेघा डरी हुई थी, तब हमने मेघा से पुछा कि तू डरी हुई क्यों है, तो उसने कहा कि वह जब स्कूल छूटने के बाद स्कूल बस में हॉस्टल जाने के लिए बैठी, तब "सु" बस में नहीं थी तो वो "सु" को ढुंढने गई। क्लासरूम में भी मेघा नहीं थी। उसने पंकज दूबे और "सु" सिंह को स्कूल के एक छोटे से रूम में अभद्र तरीके से बैठा हुआ देखा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पंकज दूबे व "सु" आपस में आशाराम जी से पचास करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए ब्लैकमेलिंग की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। पंकज दूबे ने कहा कि वह छिंदवाड़ा से कुछ दिनों में बाहर जा रहा है, तो "सु" ने कहा कि हरिद्वार का काम हो जाता तो मैं भी गुरुकुल वापस नहीं आती। उक्त सारी बातें मेघा ने उसे बताई। "सु" उस रोज साढ़े छह बजे हॉस्टल में पहुंची, तब हमने "सु" को बुलाया, उस समय गवाह, नेहा तोतलानी, प्रियासिंह सिसोदिया और दो-तीन अन्य लोग व मेघा थी। "सु" से पुछे जाने पर उसका चेहरा उतर गया, फिर उसने स्वीकार कर लिया और कहा कि आगे से वह ऐसा नहीं करेगी तथा पंकज दूबे के साथ रिश्ता नहीं रखेगी। यह सारी बातें हमने प्रिसिंपल को बताई, तो उन्होंने "सु" पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। उसने 09.07.2013 को रात को आठ बजे 12 वीं कक्षा सीता कक्ष की छात्राओं की अलमारी की चैकिंग की तो उसे "सु" की अलमारी में से 1600/- रुपये मिले। इन पैसों के बारे में पूछने पर वह उससे झगड़ने लगी, तो वह "सु" को लेकर उसकी घनिष्ठ मित्र चारूल अरोड़ा, मेघा शर्मा, मंजू वर्मा, वर्षा रस्तोगी को नेहा तोतलानी के रूम में लेकर गई और प्रिया सिंह सिसोदिया को भी बुलाया गया। नेहा तोतलानी ने पैसे के बारे में पुछा, तो "सु"

(120)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ने यह कहा कि यह पैसे 1600/- रुपये उसे पंकज दूबे सर ने दिये है तथा पंकज दूबे सर ने पन्द्रह दिन पहले 2000/- रुपये दिये थे, उन पैसों में से चार सौ रुपये उसने बाहर की चीजें खाने में खर्च कर दिये। इन पैसों के बारे में अधिक जानकारी "सु" के घनिष्ठ मित्र चारूल अरोड़ा, मेघा शर्मा, मंजू वर्मा से की, तो मेघा शर्मा, मंजू वर्मा ने बताया कि वो पंकज दूबे के साथ जून महीने में घूमने भी गई है और मूवी देखने भी गई है। होटल भी गई है, जो वह हॉस्टल से छुप कर गई थी। 09.07.2013 को ये बातें प्रिंसिपल सर को बताई गई। दिनांक 10-7-2013 को सुबह दस बजे "सु" को नेहा तोतलानी ने अपने रूम में बुला कर "सु" को warning दी थी तो "सु" ने अपने हाथों से प्रदर्श-डी-3 माफीनामा लिखकर दिया था कि वह आगे से ऐसा नहीं करेंगी। 10.07.2013 को गुरुकुल के ऑफिस में प्रिंसिपल द्वारा मीटिंग बुलवाई गई। उस मीटिंग में पंकज दूबे को प्रिंसिपल सर ने कहा कि अब हम आपके विरुद्ध strict action लेंगे, तब वह डर गया। उसने अपने हाथ से त्याग पत्र लिखकर दिया और फिर पंकज दूबे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद में जुलाई में "सु" का व्यवहार विचित्र हो गया था। वह हमेशा उससे नाराज रहती थी व ठीक से बात भी नहीं करती थी और कहती थी कि उसे यहां नहीं रहना है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसके बाद 01.08.2013 को भारी बारीश हुई थी। भारी बारीश के कारण हॉस्टल व स्कूल के बीच में जो नाला पड़ता था, वह overflow हो गया था। इस कारण स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। दिनांक 1-8-2013 से लेकर 4-8-2013 के बीच में "सु" बीमार नहीं पड़ी, न ही उसे कोई चक्कर आया। 2 व 3-8-2013 को छुट्टी होने के कारण छात्राओं ने हॉस्टल में enjoy किया था। दो तारीख को मेघा व "सु" ने म्युजिक की प्रेक्टिस की थी। मेघा ढोलक व तबला बजाती थी तथा "सु" मंजीरा बजाती थी। "सु" व मेघा ने दो तारीख को इनडोर गेम टेबल टेनिस खेला था। मेघा की बहन का नाम हर्षिता शर्मा थी। हर्षिता शर्मा हमारे गुरुकुल एवं हॉस्टल में 11 वीं साईंस अंग्रेजी माध्यम की छात्रा थी। भव्या शर्मा फिर कहा भव्या शुक्ला 11 वीं अंग्रेजी माध्यम की छात्रा थी। भव्या शुक्ला मेरे रूम में हर्षिता शर्मा के साथ आती थी। हर्षिता मेघा की बहन थी। भव्या शुक्ला हमारे रूम में अक्सर

(121)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आया करती थी। हॉस्टल में 03.08.2013 को संचिता बेनर्जी का जन्मदिन मनाया गया था, जिसकी पार्टी में मेघा शर्मा, "सु" सिंह, चारूल अरोड़ा, मंजू वर्मा और उसके रूम की सारी लड़कियां थी। इनके साथ भव्या शुक्ला भी थी। भूत-प्रेत तो होते ही नहीं है। भव्या शुक्ला पर कोई भूत-प्रेत का साया नहीं था। वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ थी और इंटेलीजेंट गर्ल थी। भव्या साईंस की स्टूडेंट थी। भव्या हमेशा उसके रूम में बॉटेनी विषय पढ़ने के लिए आती थी। दिनांक 6-8-2013 को "सु" सुबह साढ़े आठ बजे उसके पास चॉकलेट लेकर आई और कहा कि आज उसका जन्मदिन है। तब उसने "सु" से पुछा कि तेरा जन्मदिन तो तूने चार जुलाई बताया था, तो वह उससे झगड़ा करने लगी और बोलने लगी कि आप अभी नये-नये आये हो, आपको कुछ पता नहीं है। वह हर साल अपना जन्मदिन छः अगस्त को ही मनाती है। फिर "सु" ने इस बारे में उसे अपने दस्तावेज दिखाए। "सु" ने उसे शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, शाहजहांपुर विद्यालय का प्रवेश फॉर्म की फोटोप्रति दिखाई, जिसमें उसकी वास्तविक जन्मतिथि 6-8-1995 थी और उस पर शुभम देवी नाम लिखा हुआ था। उसने "सु" से बोला कि यह शुभम देवी कौन है, तो "सु" ने इस नाम के बारे में ओर एक पेपर दिखाया, जो शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ के स्कॉलर रजिस्टर की फोटो कॉपी थी, तब "सु" ने कहा कि शुभम देवी उसका ही नाम है, यह नाम उसके दादाजी ने रखा था। शुभम देवी नाम लड़को जैसा लगता था, इसलिए "सु" के पिताजी करमवीरसिंह ने शपथ पत्र देकर शुभम देवी से "सु" देवी नाम परिवर्तन करवाया था। उस फार्म में भी उपर शुभम देवी नाम अंकित था एवं उसके नीचे "सु" देवी नाम अंकित था और उसमें चार ओर प्रविष्टियां थी। वर्ष 1999 से लेकर 2002 तक की प्रविष्टियां थी। 1999 में "सु" ने नर्सरी कक्षा में प्रवेश लिया था, 2000 में के.जी., 2001 में प्रथम व 2002 के आगे कुछ नहीं था। उसके बाद "सु" स्कूल चली गई। "सु" के पैरेंट्स का भी सुबह उसे विश करने के लिए फोन आया था। "सु" ने बात की थी तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि वो उसे एक-दो दिन में लेने आने वाले है, यह बात "सु" ने उसे बताई थी। फिर "सु" बहुत खुश हो गई थी। "सु" उसके बाद स्कूल चली गई। शाम को स्कूल से लौटने के बाद लगभग सात-साढ़े सात बजे "सु" का

(122)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बर्थडे कॉमन हॉल में मनाया गया, जिसमें चारूल अरोड़ा, मंजू वर्मा, मेघा शर्मा, वर्षा रस्तोगी, हर्षिता शर्मा व भव्या शुक्ला भी थी। साथ में हॉस्टल की अन्य छात्राएं भी थी और स्टाफ में स्वयं गवाह, नेहा तोतलानी, प्रियासिंह सिसोदिया, रीना शर्मा आदि वार्डन थी। उसने हॉस्टल की तरफ से "सु" को केक भी गिफ्ट किया था, क्योंकि वो "सु" का अठारवां जन्मदिन था, इसलिए केक पर 18 नम्बर की कैंडल जलाई थी और "सु" को गिफ्ट भी दिया था और उसके साथ 6-8-2013 को भव्या शुक्ला को सी-ऑफ भी किया था, क्योंकि वह 7-8-2013 को स्कूल व हॉस्टल छोड़कर गई थी। भव्या शुक्ला की मूल टी.सी. जमा नहीं हुई थी। भव्या के पिताजी उसे लेने आये थे। भव्या शुक्ला के उपर भूत-प्रेत का साया नहीं था। भूत-प्रेत तो होते ही नहीं है। 6 व 7-8-2013 को भव्या शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ थी, उसने किसी को भी नहीं डराया था। दिनांक 6-8-2013 को रात को साढ़े आठ बजे "सु" के पैरेंट्स का रिसेप्शन पर फोन आया था। उसने भी बात की थी तब उन्होंने उसे बोला कि हम "सु" एक-दो दिन में लेने आने वाले है। साथ में चारूल और मेघा ने भी "सु" के पैरेंट्स से बात की थी। उसके बाद "सु" ने उसे कहा कि वह छत पर घुमकर आए तो "सु" अपने घनिष्ठ मित्र के साथ गई थी। उसने वहां दोस्तों को पार्टी भी दी थी। फिर उसके बाद वो नीचे रूम में आये और रात्रि करीब दस बजे सो गये थे। दिनांक 7-8-2013 को "सु" को जब वह सुबह उठाने गई, तो "सु" उठी नहीं, उसने उसके साथ झगड़ा किया। "सु" ने कहा कि उसे नहीं उठना, उसे स्कूल भी नहीं जाना। उसके पापा ने बताया कि वो उसे लेने आने वाले है। वह स्कूल न ही गई और सो गई। उसके बाद "सु" सुबह दस बजे उठी और उसने चारूल को भी स्कूल नहीं जाने दिया था। जब चार बजे चारूल उसे स्टाफ रूम में बुलाने आई और कहा कि वो मान नहीं रही है, उसने सारा सामान पैक कर लिया है और finally घर ही जाने की बात कर रही है, आप उसे समझाईए। तब वह चारूल के साथ सीता कक्ष में आई, तो देखा कि "सु" के हाथ में फोन है और वह फोन पर बातें कर रही थी। वह इस बात से हैरान हो गई। उसने तुरन्त "सु" के हाथ से फोन छीना, तो "सु" ने उससे फोन लेने के लिए उससे हाथापाई की, परन्तु उसने उसे फोन नहीं दिया

(123)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

और वह फोन लेकर तुरन्त वहां से चली गई। उसने फोन कॉल चैक किया था। वो पंकज दूबे का कॉल था। वह फोन लेकर नेहा तोतलानी के रूम में गई। वहां प्रियासिंह सिसोदिया को भी बुला लिया। वो फोन सैमसंग का था, एंड्रॉइड था। हम तीनों ने मिलकर फोन का कंटेंट चैक किया तो उसमें "सु" के घर के पैरेंट्स के कॉन्टेक्ट नम्बर थे, "सु" की कज़न सिस्टर आदिति का भी नम्बर था। साथ ही "सु" के फोन में लगभग 250-300 अश्लील गंदे मेसेज थे, जो पंकज दूबे ने उसे भेजे थे और 70-80 गंदी अश्लील विडियो भी थे। फिर हमने यह बात तुरन्त प्रिंसिपल को बताई। उसके बाद "सु" के पैरेंट्स को भी फोन करके यह बात बताई तब उसके पिताजी ने कहा कि हम निकल ही चुके हैं। हम आकर बात करेंगे। फिर वो मोबाईल नेहा तोतलानी ने अपने पास रखा। दिनांक 8-8-2013 को करमवीर का फोन रात्रि साढ़े दस बजे हॉस्टल रिसेप्शन पर आया था। उन्होंने कहा कि हम गुरुकुल आ चुके हैं व कल सुबह हम "सु" को लेने आयेंगे। दिनांक 9-8-2013 को सुबह आठ बजे करीब करमवीरसिंह व उसकी पत्नी सुनिता बालिका छात्रावास में पहुंच गये। पी.आर.ओ. रूम में वे लोग स्वयं गवाह, नेहा तोतलानी, प्रिया सिंह सिसोदिया, रीना शर्मा से मिले थे। गवाह ने "सु" के पिताजी करमवीर को कहा कि आपकी बेटी के पास से कभी पैसे मिलते हैं, अभी मोबाईल मिला है, आपकी बेटी गलत रास्ते जा रही है, इससे उसका भविष्य खराब हो जायेगा। हमने "सु" का मोबाईल भी पकड़ा था। उन्होंने कहा कि यह सिरियस बात है। हम इस पर एक्शन लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यह हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है, ऐसा मत करना, हम इसको लेकर ही जा रहे हैं। हम उसको यहां नहीं रखना चाहते। फिर उन्होंने मोबाईल व पैसे मांगे, तो नेहा तोतलानी ने उनके मांगने पर पैसे व मोबाईल उन्हें सुपुर्द कर दिये। हमारे हॉस्टल व स्कूल में कभी महामृत्युंजय का पाठ नहीं हुआ। हमारे हॉस्टल में 2013 में तीसरी कक्षा से लेकर, सात-आठ साल से लेकर 20-21 वर्ष की उम्र की छात्राएं रहती हैं। अगर भूत-प्रेत का साया होता तो छोटे बच्चे किसी छोटी चीज से डर जातें। अंधेरे से भी डरते हैं। छोटे बच्चों से तो ज्यादा जोर से बात करो तो भी वे डर जाते हैं। अगर भूत-प्रेत का साया होता तो हॉस्टल में कोई भी नहीं रहता। सारे विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर भाग

(124)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जाते, वह भी हॉस्टल में नहीं रुकती। ऐसा हमारे हॉस्टल में नहीं था तथा हमारा स्कूल व हॉस्टल अभी भी चल रहा है। दिनांक 24-8-2013 को जोधपुर पुलिस में मुक्ता पारीक व सत्यप्रकाश जी स्थानीय पुलिस वाले हॉस्टल में आये थे। वहां उन्होंने हमारे बयान लिये थे। दिनांक 25-8-2013 को भी जोधपुर पुलिस में मुक्ता पारीक व सत्यप्रकाश जी छिंदवाड़ा आये थे, तब भी उन्होंने उसके बयान छिंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में लिये थे। उसके साथ तब प्रियासिंह सिसोदिया, नेहा तोतलानी, रीना शर्मा और उसके रूम की 12 कक्षा की छात्राएं चारूल, मंजू, मेघा व वर्षा भी थी।

76- डी. डब्ल्यू-12 संगीता गर्ग उर्फ गुडिया ने इस आशय के कथन किये है कि वह नेचरोपैथी विशेषज्ञ हूँ और क्रोमो थैरेपी में specialization है। उसने वर्ष 2008 में अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, राजघाट, नई दिल्ली से Diploma in Naturopathy & Yogic Sciences किया था। वर्ष 2001 से उसने नेचरोपैथी का प्रशिक्षण डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉ. वन्दना साहु, डॉ. कनक नारखेड़े के सहयोगी के रूप में रहकर लिया था, जो धन्वतरी आरोग्य केन्द्र, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद में एक प्राकृतिक चिकित्सक और आर्युवेदाचार्य के पद पर कार्यरत है। वह सभी रोगों का ईलाज करती है। क्रोमोथैरेपी जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें पांच तरह से रोगों का ईलाज किया जाता है। वह पहली बार अहमदाबाद अप्रैल, 2001 में आई। बचपन से ही उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। 12 वीं कक्षा पास करने के बाद वह कुछ काम सिखना चाहती थी। गवाह ने अप्रैल, 2001 में अहमदाबाद में जा कर डॉक्टर विनोद शर्मा से परिचय करना बताया। तत्पश्चात आशाराम बापू द्वारा गुजरात के कच्छभुज ईलाके में आये भूकम्प में भूकम्प पीड़ितों की गई सेवाओं का वर्णन किया है। इसके पश्चात मध्यप्रदेश के जिला अलीराजपुर, झाबुआ, लालमाटी, भड़वानी आदि ईलाकों में अपनी मेडिकल टीम के साथ जाना तथा वहां आशाराम बापू का वहां पर आ कर सामाजिक कार्य करना बताती है। आशाराम बापू जी वहाँ बताया कि भूत-प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता तथा तंत्र-मंत्र जादू-टोना ये सब अन्ध विश्वास है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात गवाह ने गुजरात में आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में

(125)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बापू द्वारा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का वर्णन किया है। तत्पश्चात वह आशाराम बापू के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताती है। उसके अनुसार बापू जी अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी और अपने परिवार के साथ पलाश बिल्डिंग के सामने सधि माता मंदिर के पास, न्यू मोटेरा, साबरमती अहमदाबाद में रहते हैं। बापू जी के अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी से दो संतानें हैं। उनका पुत्र नारायण साईं और बेटी भारती देवी हैं, जिनका विवाह 22-5-1997 में एक ही दिन पंचेड़ (मध्यप्रदेश) में हुआ था। शादी के बाद नारायण साईं अपनी पत्नी के साथ झाबुआ, मध्यप्रदेश में रहने लगे थे। भारती देवी विवाह के बाद अपने ससुराल चली गई थी। बापू जी का जन्म 10-2-1936 को बेराणी गांव, जिला नवाबशाह, सिंध प्रांत, जो अभी पाकिस्तान में है, हुआ था। बापू जी 1947 में देश विभाजन के बाद बापू जी मणी नगर, अहमदाबाद में आकर रहने लगे। गवाह ने बापू जी के घर पर आती-जाती रहना बताया व उनके खानपान, जीवन व एकान्तवास आदि के बारे में कथन किया है। वह 1999-2000 में आश्रम में 10-12 कमरे बने हुये होना, जिनमें तीन कमरों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व प्राकृतिक चिकित्सा सेवाएं चलना बताती है। आश्रम में दो समय सत्संग होना, एक सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक एवं दूसरा शाम को 5 से 7 बजे तक तथा मौसम के अनुसार सत्संग का समय बदलते रहना बताया। गवाह ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आश्रम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित बताया। गवाह ने सत्संग के विषय में बताया व बापू जी को मिले प्रशस्ति पत्रों के बारे में भी गवाह ने कथन किया है। गवाह महेन्द्रसिंह चावला को बहुत अच्छी तरह जानना कहती है। महेन्द्रसिंह चावला गांव सनोली खुर्द, जिला पानीपत, हरियाणा का रहने वाला है। उसकी मौसीजी श्रीमती कांता जिंदल, महेन्द्र चावला की मां गोपाली देवी की पुरानी सहेली हैं। गवाह ने अपनी मौसीजी के साथ महेन्द्र चावला के घर जाना व महेन्द्र चावला का अपनी माता से दुर्व्यवहार करना व महेन्द्र चावला के चरित्र के बारे में उसकी माता द्वारा बताना कथन किया है। गवाह ने धनवन्तरी आरोग्य केन्द्र में ट्रेनर के रूप में रहने के दौरान राहुल कुमार सचान का शराब पीकर आना, पहले मीठी-मीठी, लुभावनी बातें करना, तरह-तरह के प्रलोभन देना, बहुत गंदी नजर से उसे

(126)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

देखना, जिसके बारे में डॉक्टर विनोद शर्मा जी से शिकायत करना कहा है। गवाह ने शराब पीकर राहुल द्वारा उसका हाथ पकड़ कर बद्तमीजी करना कहा है। तत्पश्चात उसको पकड़ कर समिति के ऑफिस में ले जाना व उसका आश्रम में प्रवेश करने का निषेध लगा देना बताया। गवाह ने राहुल कुमार सचान व महेन्द्र सिंह चावला दोनों दोस्त होना व आश्रम के पास एक मकान लेकर रहना बताया और आश्रम से निकाले गये राजू चाण्डक, देवेन्द्र प्रजापति व अजय कुमार के साथ मिलकर बापू जी को ब्लेकमेल करने के लिए षड्यंत्र करना तथा गावों की सेवा के नाम पर, गरीब लोगों को वस्तुएं बांटने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना कहती है।

77— डी. डब्ल्यू-13 योगेश भाटी ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह 11-3-2015 को न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जोधपुर, जिला जोधपुर में बयान देने के लिए आया था। गवाह सन 1997 से 2012 तक आशाराम के साथ आदिवासी क्षेत्र में जाना कहता है। वह 24-7-2013 को बापू के निवाई, राजस्थान की गौशाला में चर्तुमास में जाना व 31-7-2013 तक उनके साथ रूकना कहता है तथा गौशाला के बारे में कहता है। गवाह आशाराम व उनके परिवार के बारे में बताते हुए एकान्त साधना, ध्यान, योग व आदिवासी स्थानों में सत्संगों के बारे में व गावों में समितियों बनाने के बारे में कथन करता है। आदिवासी क्षेत्रों में अंधविश्वास व व्यसन छोड़ने के लिए आशाराम द्वारा किये गये कार्यों को बताया। आशाराम का छोटी छोटी बच्चियों, महिलाओं व माताओं का बहुद आदर करना बताया है। 2001 के गुजरात के भूकम्प में आशाराम द्वारा मेडिकल सहायता पहुँचाना व गावों में टेम्परेरी टेंट लगवाना बताया है। गवाह ने अभियुक्त आशाराम के सद्चरित्र का वर्णन देते हुए जन्म के सम्बन्ध में बताते हुए सामाजिक कार्यों का वर्णन किया है तथा सन 1998-99 में संत श्री आशाराम जी आश्रम, मोटेरा में धनवन्तरी आरोग्य केन्द्र होना बताया, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व प्राकृतिक चिकित्सा एक्युप्रेसर आदि की सुविधा होना तथा अन्य डाक्टरों के साथ डॉ. संगीता गर्ग उर्फ गुड़िया आदि का होना एवं डॉ. संगीता का वर्ष 2001 में डॉ. विनोद शर्मा से ट्रेनिंग ले रही होना बताया। गवाह ने शाम के समय महिलाओं का आश्रम में जाना वर्जित

(127)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

होना बताया व सत्संग के बाद महिलाओं का घर जाना कहता है। गवाह ने आशाराम को मिले प्रशस्ती पत्र प्रदर्श-डी-144 से प्रदर्श-डी-155 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है तथा गुजराज, राजस्थान आदि में चल रही कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए अभियुक्त आशाराम द्वारा किये गये कार्यों के बारे में बताया। गवाह ने राहुल सचान को जानना व उसके साथ कई व्यक्तियों द्वारा मारपीट करना तथा स्वयं के द्वारा उसे छुड़ाना व मारपीट करने वाले लोग स्वयं के मित्र प्रवीणसिंह के मिलने वाले होने से समझाकर रवाना करना कहता है। वह राहुल सचान के दुष्चरित्र के बारे में व उसके द्वारा 2001 में संगीता गर्ग उर्फ गुड़िया के साथ बदसलुकी करने के बारे में कथन करता है एवं उसका आगे से आश्रम में आने का प्रतिबन्धित कर देना बताता है। गवाह राहुल सचान व महेन्द्र चावला का साथ खड़े हो कर शराब पीना, महेन्द्र चावला के बारे में राममेहर द्वारा बताना व दोनों के आचरण के बारे में बताना कहा है। गवाह ने 8-8-2008 को एक फ़ैक्स अहमदाबाद आश्रम में आना, जिसमें अमृत प्रजापति, महेन्द्र चावला, राजू चाण्डक और उनके पचास लोगों का ग्रुप है, ऐसा कहकर बापू जी को यह धमकी देना कि एक हफ़्ते के अन्दर पचास करोड़ रुपये दो, नहीं तो आपको बदनाम करने के लिए हमारे पास बनावटी मुद्दे व झूठी कहानियां तैयार है बताया। उक्त फ़ैक्स की सचिदानन्द दुबे द्वारा चांदखेड़ा पुलिस थाने में शिकायत करना बताया। गवाह का यह भी कथन है कि जब वह 11-3-2015 का सम्मन मिलने पर जोधपुर कोर्ट आया था, तब पुलिस वालों ने उसे कोई पी.पी. साहब मीणा जी से मिलाया था और उन्होंने उसे बताया था कि आप बताईये कि आश्रम में लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार होता है, आप सरकारी गवाह हो। तब गवाह ने मना कर दिया तो उसके बयान नहीं करवाये व आने जाने का खर्चा 720/- रुपये मिलना भी गवाह बताता है।

78- डी. डब्ल्यू-14 मदनसिंह ने दिनांक 11-8-2013 से दिनांक 16-8-2013 तक राजेन्द्र कुमार जाट व अरूणसिंह शेखावत के साथ गांव मणाई हरि ओम कृषि फार्म में कुटिया के परिसर की बाउण्ड्री के गेट पर चौकीदारी करना कहा है तथा उक्त अवधि में उक्त कुटिया के अन्दर आशाराम

(128)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जी के अलावा किसी का नहीं जाना व आशाराम का भी अपने साथ उक्त कुटिया में किसी को भी लेकर नहीं जाना कहा है।

79— डी. डब्ल्यू-15 राममेहरसिंह ने इस आशय के कथन किये हैं कि पानीपत में सनौली रोड़, गांव जलालपुर, जो कि सनौली गांव से मिला हुआ है, वहां उसका व उसके भाई का आठ एकड़ का फार्म हाउस है। सनौली रोड़ उग्राखेड़ी गांव में मैन रोड़ पर ही रतन मिल्क प्लांट के नाम से उसका दुग्ध का प्लांट है। वह कर्मवीरसिंह को 1975 से जानता है। उसका रामदिया के परिवार से मिलना-जुलना होता था। रामदिया जी का उनके यहां 1975 से आना-जाना है। वह व करमवीर हमउम्र के हैं, हम दोनों का जन्म वर्ष 1962 का है। करमवीर की शादी वर्ष 1987 में हुई थी। उसकी पत्नी का नाम सुनिता देवी है। करमवीर के बच्चे का नाम कर्णवीर था, जिसे बाद में सोमवीर रख दिया था। कर्णवीर उर्फ सोमवीर दिसम्बर, 1989 में गांव गढ़ीछाजु में हुआ था। इसके बाद में करमवीर के लड़की हुई थी, जिसका नाम शुभम देवी है, जिसकी जन्म तारीख 6-8-1995 थी। बाद में उन्होंने "सु" नाम रख लिया था। करमवीर ने शादी के बाद वर्ष 1990 से 1992 तक पानीपत में ट्रांसपोर्ट का कार्य किया तथा इसी दौरान पिलखुवा (यू.पी.) में लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट व चौधरी ट्रांसपोर्ट में कमीशन का कार्य किया था। वह गांव सनौली में वर्ष 2007 में आ गया था। पिलखुवा से करमवीर शाहजहांपुर (यू.पी.) चला गया, वहां पर इसने लक्ष्मी व चौधरी ट्रांसपोर्ट नाम से ट्रांसपोर्ट कम्पनी खोल ली। गवाह ने महेन्द्र चावला को जानना कहा है, जिसके बड़े भाई का नाम तिलक चावला बताया है, जो गांव सनौली खुर्द का ही रहने वाला है। महेन्द्र चावला व करमवीर आपस में एक दुसरे को 2008 से जानते थे। तिलक चावला की जुतों की दुकान सनौली खुर्द गांव में थी और कपड़े सिलने की दुकान थी। तत्पश्चात गवाह ने महेन्द्र चावला के दुश्चरित्र व परिवार के साथ सम्बन्धों का विवरण किया है व महेन्द्र चावला द्वारा षडयंत्र रचकर तिलक चावला व भाभी को जेल भिजवा देना कहता है एवं महेन्द्र चावला की माँ द्वारा अपने बेटे की गलत आदतों के बारे में कहता है। गवाह अप्रैल, 2013 को शाम के समय महेन्द्र चावला, करमवीर, राहुल सचान, अजय कुमार व विनोद गुप्ता और दो अन्य लोगों का कार में बैठ कर स्वयं के खेत के

(129)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सामने से जमना ढाबा की तरफ जाना तथा स्वयं का भी वहाँ जाना एवं उक्त लोगों का वहाँ बैठे खाना खाना, दारू पीना और मीट खाना बताया। करमवीर द्वारा उसे कहना कि खाना खा ले, तब गवाह ने कहा कि वह नॉनवेज नहीं खाता और गवाह ने वेज थाली का ऑर्डर दे दिया, फिर गवाह साथ वाली टेबल पर खाना खाने लग गया। वो लोग वहाँ बैठकर बापू आशाराम के खिलाफ किसी षड़यंत्र की बात कर रहे थे कि वो वही लड़कियां तैयार करो, उन पर दुष्कर्म का आरोप लगायेंगे और बच्चों के कंकाल भी कहीं से तैयार करवाओ, जो उनके आश्रम में दबवायेंगे। फिर उनको जेल भिजवायेंगे और उसके बाद उसकी लोकल समिति वालों से और दुसरो शहरों की समिति वालों से पचास करोड़ रुपये इकट्ठा करेंगे। फिर उनके परिवार को बापू आशाराम के परिवार को फंसाने की बात करना कहा। तत्पश्चात सितम्बर, 2013 में करमवीर का मिलना व करमवीर का कहना कि आशाराम बापू को फिट कर दिया है। गवाह करमवीर की बेटी का शुरू का नाम शुभम देवी होना बताते हुए उसकी जन्मपत्री बनाने के लिए स्वयं गवाह, रामदिया व करमवीर पंडित राम कुमार, ज्योतिष आचार्य के पास गांव ढाडोला में जाना कहता है। करमवीर के घर में उसके भाई के उन दिनों में एक लड़की ओर पैदा हुई थी, जिसका नाम उन्होंने आदिती रखा था। आदिती का जन्म 24-6-1995 को हुआ था और शुभम देवी का जन्म 6-8-1995 को हुआ था। शुभम देवी के दो ओर नाम "सु" देवी व "सु" है। गवाह राम कुमार पंडित के पास जा कर पंचांग में शुभम देवी, आदिती का नाम नोट करवा कर आना व 17 अगस्त को गवाह स्वयं, रामदिया व करमवीर जन्मपत्री लेने के लिए जाना व पंडित को 51-51 रूपये जन्मपत्री बनाने बाबत दक्षिणा देना कहता है। 1995 के बाद करमवीर का शाहजहांपुर चले जाना, शुभम देवी गढ़ी छाजु गांव में पैदा होना, सोमवीर का जन्म 20 दिसम्बर, 1989 को होना बताता है। गवाह ने वर्ष 2013 की गर्मियों में करमवीर का स्वयं के साथ "सु" की जन्मपत्री दिखाने के लिए पंडित रामकुमार के पास जाना कहा है। पंडित जी की पत्नी ने कहा कि वे तो चार-पांच साल पहले भगवान को प्यारे हो गये। गवाह करमवीर की माताजी व पिताजी की मृत्यु के समय शोक व्यक्त करने के लिए गांव गढ़ीछाजु जाना भी कहता है।

(130)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

80- डी. डब्ल्यू-16 आंचल कुमावत स्वयं को रिसर्च स्कॉलर बताती है। वह अपने प्रोफेसर्स की गार्ड लाईन में सब्जेक्ट की साइकॉलोजिकल प्रोफाइल बनाकर उनकी स्टडी करना कहता है। गवाह ने अभियुक्त आशाराम की साइकॉलोजिकल रिसर्च में प्रोफाइल बनाकर उनका साइको एनालिसिस करना बताया। गवाह ने दिनांक 6-9-12 को श्री कृष्ण गौशाला, डबोक उदयपुर में एवं दिनांक 25-7-2013 एवं 26-7-2013 को श्री कृष्ण गौशाला, निवाई, जिला टोंक में अभियुक्त आशाराम का साइको एनालिसिस का इंटरव्यू लेना कहा है। गवाह ने यह निष्कर्ष निकाला कि बापूजी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी थी। गवाह अभियुक्त आशाराम की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी व अन्य महिलाओं का भी इंटरव्यू लेना भी कहती है। श्रीमती लक्ष्मी द्वारा यह बताया कि वह और बापू जी पिछले करीब 40 से भी अधिक वर्षों से ब्रह्मचर्यव्रत का पालन कर रहे हैं। सत्संग में नारी शक्ति का प्रवचन देते हैं तथा प्रेरणा देकर यह शिविर चालू करवाये और कई गौशालाओं का निर्माण करवाया। गवाह ने निवाई गोशाला में बापू का अलग कमरा होना, जिसके बारह चौकीदार होना व कमरे में किसी का भी प्रवेश नहीं होना बताया।

81- गवाह डी. डब्ल्यू. 17 संजय कुमार ने अपने आधार कार्ड व पत्नी का मूल मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श-डी-156 व प्रदर्श-डी-157 साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। गवाह ने दिनांक 2-7-2013 को स्वयं के नये मकान जी-1/104, फेज-1, न्यू पालम विहार, गुड़गांव में अभियुक्त आसाराम को पगफेरे के लिये बुलाना कहा है व फोटो प्रदर्श-डी-159, प्रदर्श-डी-160 में स्वयं, अपनी पत्नी सोनल पटेल, साले की बेटी महिमा पटेल व साले की पत्नी चारूल पटेल को पहचाना है। उसका कथन है कि उक्त फोटोग्राफ में बापू जी बहुत पवित्र व वात्सल्य दृष्टि से आशीर्वाद दे रहे हैं। न्यायालय द्वारा मिलान करने पर उक्त फोटोग्राफ प्रदर्श-डी-158 से प्रदर्श-डी-160, आर्टिकल-13 डी. वी.डी. के वीडियो 0028 की एक फ्रेम फ्रीज होना पाया गया। गवाह ने दिनांक 12-12-2013 को न्यूज पर उसकी मोबाईल क्लिप को अश्लील तरीके से उसकी पत्नी को शिल्पी बना कर दिखाना कहा है एवं उसके द्वारा सासू मां से

(131)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बात करना बताया है। उक्त क्लिप को देख कर पूरे परिवार का सदमे में आ जाना व पुलिस स्टेशन पालम विहार, गुड़गांव पर शिकायत दर्ज करवाने के लिये जाना, उनके द्वारा कार्यवाही न करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफ.आई.आर. प्रदर्श-डी-131, नम्बर 131 दिनांक 19-3-2015 दर्ज करना कहता है। गवाह गुजराती व हिन्दी अच्छी जानना बताता है। गवाह बापू के सत्संग में 5-6 बार जाना व बापू जी द्वारा लोक कल्याण के लिये प्रेरित करना कहता है। बापू जी के एकान्तवास में दूसरों को जाने की अनुमति नहीं होती है। प्रदर्श-डी-158 से प्रदर्श-डी-160 फोटो उसके घर पर खींचे गये थे जिन्हें मीडिया Blur करके प्रदर्श-डी-161, प्रदर्श-डी-163 व प्रदर्श-डी-165 में उसकी धर्मपत्नी सोनल को शिल्पी बता कर दिखाया गया। फोटोग्राफ प्रदर्श-डी-166 से प्रदर्श-डी-171 में मीडिया ने उसके घर के फोटोग्राफ्स को तोड़मरोड़ कर विकृत कर दुष्प्रचार किया। प्रदर्श-डी-161 से प्रदर्श-डी-163 व प्रदर्श-डी-165 से प्रदर्श-डी-171 के फोटोग्राफ की डी.वी.डी. आर्टिकल-डी-1 है। प्रदर्श-डी-164 Transcription में पूरब पटेल द्वारा कही गई बात गलत है, टी. वी. पर बिल्कुल गलत प्रचार किया गया। बापू ने बच्ची महिमा के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। गवाह ने जिरह में अपना मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श-डी-172 प्रदर्शित करवाया है।

82— गवाह डी. डब्ल्यू. 18 राकेश कुमार सिंह ने स्वयं को पहलवान बताया है, कई स्थानों से सम्मानित होना कहता है। गोरखपुर में स्थित पक्की बाग अखाड़ा है तथा कालिन्दी पब्लिक स्कूल, गोरखपुर का रहने वाला है। गवाह स्वयं द्वारा 1975 से पहलवानी करना कहता है। सन् 1996 में बापू का सत्संग सुनने गोरखपुर में जाना व तत्पश्चात् बापू द्वारा उसके अखाड़े में आना व सबको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना तथा 1974 से स्वयं द्वारा भी ब्रह्मचर्य का पालना करना कहता है। तत्पश्चात् गवाह भी स्वयं द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कहता है। वर्ष 1996 में बापू के साथ नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र में जाकर गरीबों का इलाज करवाना, बच्चों के लिये स्कूल खुलवाना, खाने के सामान आदि की व्यवस्था करवाना कहता है। गवाह ने बापू की मानसिक स्थिति में महिलाओं के प्रति सम्मान व लड़कियों को अपनी बेटी व पोती के

(132)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

समान आदर देना कहा है। सन् 2000 से मातृ पितृ पूजन व्यवस्था प्रारम्भ करवाना, जिसके लिये देश के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा पत्र अभियुक्त आसाराम को मिलना कहा है। गवाह ने कुम्भ के मेले में बापू के साथ रहना तथा दिनांक 9-2-2013 को कुश्ती दंगल का आयोजन करवाना व बापू द्वारा सभी को पहलवानों से प्रेरणा दिलवाना बताते हुए प्रदर्श-डी-173 व प्रदर्श-डी-174 साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। दिनांक 21-3-2013 को बापू का गोरखपुर आना व दिनांक 22-3-2013 को गवाह के विद्यालय पर आकर विद्यालय का उद्घाटन करना बताते हुए उद्घाटन के फोटोग्राफ्स प्रदर्श-डी-175 से प्रदर्श-डी-184 साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। गवाह ने बापू जी के एकान्तवास के बारे में बताया है व इलेक्ट्रानिक मीडिया के मालिकों का विदेशी होना कहते हुए बापू का चित्रण गलत प्रस्तुत करना कहा है।

83— गवाह पी. डब्ल्यू. 19 जिज्ञासा भावसार ने इस आशय के कथन किये हैं कि उसका पूरा नाम भावसार जिज्ञासा जयेन्द्र भाई है। जयेन्द्र भाई उसके पिताजी का नाम है। उसके पिताजी गुजरात ट्रेक्टर प्रा. लि. कम्पनी, विश्वामित्री, बड़ोदरा में एकाउन्ट्स आफिसर के पद पर काम करते थे। सन् 1994 में उसके पिताजी को सुगर की बीमारी हो गई, इस कारण 1995 में उन्हें गैंगरीन हो गया और उनकी दोनों किडनियां गम्भीर रूप से प्रभावित हो गई। उसके पिताजी ने अपनी बीमारियों का इलाज वैद्य अमृत प्रजापति से करवाया था। इनका क्लीनिक गवाह के घर के पास ही 5-6 मकान छोड़ कर था। गवाह ने कहा है कि उसका घर पंचोलीवाड़ छिंपवाड़ा मौहल्ला में आया हुआ है। अमृत प्रजापति को वह बचपन से जानती है। उसके पिताजी का नाम गुलाब जी हीरा भाई प्रजापति था और माता का नाम नर्मदा बेन गुलाब जी प्रजापति था। उसके पिताजी चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे इसलिये उक्त वैद्य अमृत प्रजापति उन्हें घरपर आकर देखते थे। पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें 2001 में नौकरी से निकाल दिया गया था। सन् 1995 में पिताजी की बीमारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। उस समय गवाह, उसके छोटे भाई बहन व मां, पिताजी पर ही आर्थिक रूप से निर्भर थे। सन् 2001 में पिताजी की बीमारी के कारण नौकरी चली गई। उस वक्त वैद्य

(133)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अमृत प्रजापति ने अपने क्लीनिक पर गवाह को काम के लिये रख लिया। वह इनके क्लीनिक पर सुबह शाम जाती थी। अमृत प्रजापति उसे छोटी बहन की तरह मानता था और उस पर बहुत विश्वास करता था।

गवाह ने कहा है कि उसका एक्सीडेंट दिनांक 17-3-1999 को बस से हो गया जिसके कारण उसके पैर का अंगूठा काट कर अलग हो गया। वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं रही थी। अमृत प्रजापति के यहां राजू चाण्डक, सतीश वाधवानी, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, देवेन्द्र प्रजापति, अजय कुमार, कर्मवीर और कौशिक पटेल का आना जाना था। वे लोग घन्टो मीटिंग करते। वह उनके लिये चाय नाश्ता बनाती थी। अमृत प्रजापति ने सब को कह रखा था कि यह छोटी बहन जैसी है, इसके सामने कोई भी बात बेफिक्री के साथ कर सकते हो। गवाह ने दिनांक 8-8-2008 को वैद्य अमृत प्रजापति के घर उपरोक्त व्यक्तियों की मीटिंग होना व उनका एक मत होकर बापू आसाराम व उसके परिवार से 50 करोड़ रुपये वसूल करने के लिये धमकी भरा दस्तावेज बनाना व उक्त दस्तावेज को रात को आठ सवा आठ बजे वैद्य अमृत प्रजापति के साथ जाकर घर के पास गणेश STD PCO से सन्त आसाराम आश्रम, अहमदाबाद में फैक्स करवाना कहा है एवं उक्त मैसेज की एक कापी प्रदर्श-डी-185 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है।

गवाह बड़ोदरा के अलावा अगली मीटिंग मई 2013 के पहले सप्ताह में सागर एवेन्यू अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल के फ्लैट में होना कहती है। उक्त मीटिंग में अमृत प्रजापति के साथ जाना तथा वहां कर्मवीर, पंकज दुबे, भोलानन्द, दीपक चौरसिया, सतीश वाधवानी, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, देवेन्द्र प्रजापति, उषा, सुमन, भावना का होना बताया है। मीटिंग में कर्मवीर, पंकज दुबे, भोलानन्द, दीपक चौरसिया के काम तय किये गये। सतीश वाधवानी ने भोलानन्द को कहा कि जम्मू तुम्हारा अपना इलाका है, वहां बापू आसाराम के ऊपर दुष्कर्म का झूठा आरोप लग सके, ऐसी लड़कियों की खोज करनी है और जम्मू के कब्रिस्तान से कंकाल निकाल कर आश्रम में गाढ़ने हैं। जम्मू में सफलता मिलने के बाद आसाराम के आश्रम में कब्रिस्तान से कंकाल निकाल कर गाढ़ेंगे जिससे हर जगह हिन्दू मुस्लिम दंगे हो जायेंगे और आश्रम बन्द हो

(134)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जायेंगे। सतीश वाधवानी ने यह भी कहा कि बापू के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिये जगह जगह से लड़कियां तैयार करके खड़ी करेंगे। पंकज दुबे से पूछा कि तुम्हारी क्या तैयारी है तो उसने कहा कि उसने व कर्मवीर ने मिल कर उसकी बेटी "सु" को बापू आसाराम के ऊपर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिये तैयार किया है और उसे ट्रेण्ड किया है। इसके बाद सतीश वाधवानी ने दीपक चौरसिया से कहा कि तुम्हे यह सारी बात मीडिया में फैलानी है। एक बार आसाराम बापू के ऊपर ये दोनों आरोप साबित करने में सफल हो गये तो बापू आसाराम को उम्र भर की जेल हो गई समझो। फिर बनावटी मुद्दे इस ढंग से तैयार करेंगे कि बापू का पूरा परिवार व समिति के मुख्य लोगों को जेल भेजा जा सके।

गवाह ने तत्पश्चात् दिनांक 24-6-2013 को दिल्ली के बदरपुर में तेजपुर इलाके में रॉयल अपार्टमेंट में मीटिंग होना, जिसमें अमृत प्रजापति द्वारा स्वयं को साथ लेकर जाना कहा है। दिनांक 28-7-2013 को अमृत प्रजापति के घर पर पंकज दुबे, सतीश वाधवानी, राजू चाण्डक का आना व पंकज दुबे का यह कहना कि उसने कर्मवीर की बेटी "सु" को बापू के ऊपर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिये अच्छी तरह समझा देना व अगस्त की 15 तारीख को उनके द्वारा इस काम को अंजाम दे देना, तत्पश्चात् एफ.आई. आर. दर्ज करवा देना बताया है, दिनांक 21-8-2013 को टी.वी. में न्यूज में देखना कि शाहजहांपुर की एक लड़की "सु" ने बापू के ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया है जिसे जोधपुर ट्रांसफर कर दिया है तब समझ जाना कि अमृत प्रजापति व अन्य द्वारा की गई प्लानिंग में वे कामयाब हो गये। तब गवाह दिनांक 29-8-2013 को जोधपुर के महिला पश्चिम थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों को सारी बात बताना कहती है तो उनके द्वारा उसे गिरफ्तार कर बन्द कर देना, ढाई दिन पुलिस कस्टडी में खूब प्रताड़ित करना, फिर 22 दिन तक जेल में बन्द रहना व लोगों का उसे Criminal की नजर से देखना कहती है। उक्त मुकदमे में 20-1-2015 को बरी कर देना बताती है। गवाह ने आगे इस आशय के कथन किये हैं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस दीवाली 2013 के आसपास उसके पास आई थी। उन्होंने इसी षड्यन्त्र के तहत

(135)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सारी पूछताछ की थी तब उसने सारी हकीकत बताई। दिनांक 10-1-2016 को उसने अपने भाई के साथ जम्मू में नवाबाद पुलिस थाने में गई, दिनांक 11-1-2016 को नवाबाद थाने से उसे कोर्ट ले गये जहां उसके बयान हुए, एक लेडी मजिस्ट्रेट उर्दू में लिखे, फिर दस्तखत करवा कर पुलिस उसे नवाबाद थाने ले गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने अपने पिता के इलाज की पर्ची प्रदर्श-डी-186 पेश की है।

84— गवाह डी. डब्ल्यू. 20 शिल्पा अग्रवाल ने अपने बयानों में स्वयं को Psychologist बताया है और अपनी शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित दस्तावेज प्रदर्श-डी-187, प्रदर्श-डी-188, प्रदर्श-डी-189, प्रदर्श-डी-190 व प्रदर्श-डी-191 साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। गवाह अभियुक्त बापू आसाराम का Psychological analysis करना कहती है। दिनांक 28-6-2012 को आसाराम बापू से प्रश्न पूछ कर उत्तर प्राप्त करना बताती है व उक्त प्रश्नावली प्रदर्श-डी-192 साक्ष्य में प्रदर्शित करती है। दिनांक 29-6-2012 को आसाराम बापू का इन्टरव्यू लेकर उत्तर लिखना कहती है, जो प्रदर्श-डी-193 है। दिनांक 2-8-2013 को गोनेर रोड, जयपुर में आसाराम बापू का पुनः इन्टरव्यू लेकर जवाब प्रदर्श-डी-194 लेखबद्ध करना कहती है। दिनांक 3-8-2013 पुनः इन्टरव्यू लेकर प्रदर्श-डी-195 लेखबद्ध करना कहती है। गवाह ने आसाराम बापू की मानसिक दशा व स्तर के बारे में अपनी राय कायम करना कहा है। वह अभियुक्त आसाराम बापू का Mind, Body व Spirit पूरी तरह एकाग्र होना, उसे मानसिक स्तर स्थाई Resilient, Unwavering, Constantly determined पाना, भगवान में गहरी आस्था और मानवता के हित के लिये कार्य करने की इच्छा शक्ति से अपने मन के ऐसे स्तर पर पहुंच जाना जहां पर अपने मस्तिष्क की अधिकतम क्षमताओं को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें कोई भी सांसारिक वस्तुओं की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। गवाह ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श-डी-196 साक्ष्य में प्रदर्शित की है तथा उसका कथन है कि आसाराम दुष्कर्म के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।

85— डी. डब्ल्यू-21 बृजेन्द्र शर्मा ने स्वयं को पत्रकार बताते हुए एवं

(136)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अनुभव का ब्यौरा देते हुए स्वयं का World City Press Club का आई.डी. कार्ड मूल प्रदर्श-डी-197 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श-डी-197 ए है एवं Evening Plus का आई.डी. कार्ड मूल प्रदर्श-डी-198 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श-डी-198-ए को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है एवं World City Press Club के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की निकाली गई सूची से संबंधित मेगजीन में पदाधिकारियों की फोटो है, जो प्रदर्श-डी-199 एवं जिनके News Article की कटिंग प्रदर्श-डी-200 से प्रदर्श-डी-202 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया। अब वह खाली पत्रकारिता करना कहता है। गवाह ने दीपक साधवानी, सुरेन्द्रसिंह, करमवीर सिंह, भोलानन्द व अमृत प्रजापति को जानना बताया है। दिनांक 24-12-2012 को वह, करमवीर, अमृत प्रजापति, भोलानन्द सभी दीपक साधवानी के साथ निरोज रेस्टोरेंट, एम.आई. रोड़, जयपुर जो नटराज रेस्टोरेंट के पास में है, वहां खाना खाने जाना कहता है। उसके बाद वर्ष 2013 में मकर संक्रांति के दिन भी उनसे मिलना कहता है तथा टोंक रोड़ स्थित चौखी ढाणी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना कहता है। गवाह ने दिनांक 16-8-2013 को करमवीर का करीब चार बजे आना व उसे चार पहिया वाहन लेकर स्टेशन आना कहा। तत्पश्चात गवाह ने इस आशय का कथन किया कि वह स्टेशन गया, वहां पर खुद करमवीर, उनकी पत्नी सुनिता, एक बेटी 19-20 साल की "सु" थी, उनको लेकर वह कोर्ट आ गया, उन्होंने रास्ते में उसे कहा कि कोई भरोसेमंद वकील है तो बताओ। वह उन्हें सैशन कोर्ट, बनी पार्क, जयपुर के गेट नम्बर 01 पर लेकर आ गया। वहां कई जानकार वकील थे, जो निकल चुके थे। एक सुरेश कुमार वकील थे, वहां वह उनको ले गया और उनसे उसने परिचय करवाया। उसने कहा कि ये उसके अच्छे परिचित है और आपको जो भी मुकदमा करना है, आप इनसे बात कर सकते है। उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक मुकदमा करना है, बृजेन्द्र जी ने आपका रेफरेंस दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे आशाराम बापू के खिलाफ लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराना है। लड़की का नाम "सु" बता रहे थे। वहां करमवीर, उनकी पत्नी सुनिता व बेटी "सु" थी, वे सब ठीक लग रहे थे और हंस के बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आशाराम बापू के खिलाफ ऐसा

(137)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मामला बनाना है, जिससे वे जेल में फिट हो जाए। लगभग 25-30 मिनट तक बातचीत चली थी। वकील साहब नोट कर रहे थे। जब वकील साहब को पता चला कि ये आशाराम बापू के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, जिससे उन्हें जेल हो जाए व स्टोरी बनाने का कह रहे हैं, तो वकील साहब ने उन्हें कहा कि आप उसे सही-सही बात बतायें, इस पर उन्होंने कहा कि आपको इसकी मुंह-मांगी फीस देंगे और यदि गवाह की जरूरत पड़ेगी तो भरोसेमंद व्यक्ति उपलब्ध करवा देंगे, जिनमें अमृत प्रजापति व भोलानन्द का नाम लिया था व गवाह का नाम भी लिया था और कहा कि ये उसके परिचित है। उस समय वह उनकी बात सुन रहा था, वह कुछ बोला नहीं, इससे पहले वकील साहब ही नाराज हो गये थे और उन्होंने कहा कि आप रहना शाहजहांपुर का बता रहे हैं, मामला जोधपुर का बता रहे हैं और लड़की की स्कूल कहीं ओर बता रहे हैं, आप उससे जबरदस्ती झुठा मुकदमा करवाना चाहते हैं, वह ऐसा नहीं करेगा। गवाह ने मना कर दिया और वकील साहब ने भी मना कर दिया था। गवाह ने कहा था कि वह झूठी गवाही नहीं देगा। वकील साहब ने नाराज होकर गवाह से कहा कि आप कैसे-कैसे लोगों से सम्पर्क रखते हैं। फिर गवाह सॉरी feel करके उन्हें वहीं छोड़कर चला गया था। गवाह ने उनको कहा कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं और वकील साहब ने भी उन्हें बेइज्जत करते हुये वहां से चले जाने को कहा। दिनांक 21-22 अगस्त आशाराम बापू पर बलात्कार का आरोप लगने के संबंध में खबरें आने लग गई थी। गवाह को इस बात का एहसास हुआ कि जो काम करने करमवीर, सुनिता व "सु" जयपुर आये थे, वह उन्होंने कहीं ओर से कर लिया है। इसके बाद गवाह ने करमवीर से कोई सम्पर्क नहीं रखा। अमृत प्रजापति व भोलानन्द से भी उसके संबंध टूट गये थे।

86- डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त शर्मा ने स्वयं का परिचय देते हुए दिनांक 14-4-2005 से बृज बिहारी गुप्ता उर्फ भोलानन्द उर्फ विनोद गुप्ता को जानना कहा है, जिसे अपने घर के सामने स्थित संत आशाराम आश्रम में वर्ष 2005 में मैनेजर होना कहता है। आश्रम घर के नजदीक होने के कारण उसका हमेशा बृज बिहारी गुप्ता उर्फ भोलानन्द उर्फ विनोद गुप्ता से मिलना होता था, उसके मोबाईल नम्बर 7506137501, 8080598279 व 9920137719 है। वह बृज बिहारी

(138)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गुप्ता उर्फ भोलानन्द उर्फ विनोद गुप्ता का डिवोटी था। वो जो भी खाने-पीने का सामान, शराब की बोतल, डोसा आदि मंगवाता था, वह लेकर आता था। शाम को हम दोनों जिप्सी लेकर घूमने जाते थे। वह जिप्सी चलाता था। कभी उसे नॉनवेज खाना होता था, तो वह उसे ढाबे पर लेकर जाता था। भोलानन्द उर्फ बृज बिहारी गुप्ता के पास जम्मू के सुशील, शिव, अंकित, पूजा देवी, संतोष आनन्द, बड़ौदा का अमृत प्रजापति, शाहजहांपुर का करमवीर, छिंदवाड़ा का पंकज दूबे, गाटमपूर यू.पी. का राहुल सचान, सनौली खुर्द का रहने वाला महेन्द्र चावला, दिल्ली का देवेन्द्र प्रजापति आते थे। वह अमृत प्रजापति को 2007 से जानता है, जो बड़ोदरा गुजरात का रहने वाला था, वो वैद्य था। वह महात्मा गांधी रोड़, नजरबाग के पीछे उसका घर व वैद्यखाना था। 2007 से 2013 तक अमृत प्रजापति हर वर्ष जम्मू आता था। उसकी शाहजहांपुर के करमवीर के साथ पक्की दोस्ती थी। करमवीर पुत्र रामदिया सिंह शाहजहांपुर जी.टी. रोड़, अजीजगंज का रहने वाला था। उसका जम्मू आना-जाना है, उसका ट्रांसपोर्ट का काम भी है। वह पंकज दूबे को 2009 से जानता हूँ, जब वो पहली बार जम्मू में भोलानन्द से मिलने आया था, वह उसका हम उम्र था और छिंदवाड़ा का रहने वाला था। पंकज दूबे उसका दोस्त था। उसकी टेलीफोन व Whats app से पंकज दूबे से बात होती रहती थी। पंकज दूबे के नम्बर 9303848555, 8657157050 है। 2013 में उसकी पंकज दूबे के साथ Whats app पर मैसेज से बात होती रहती थी, उसके वाट्सएप नम्बर 8657157050 है, जो नम्बर अगस्त, 2013 में शुरू हुआ था। 2012 में वह छिंदवाड़ा में एक स्कूल में टीचर था, वह Economics पढ़ाता था। करमवीर की बेटी का नाम "सु" सिंह था। पंकज दूबे व करमवीर की बेटी "सु" का आपस में affair था। पंकज दूबे ने उसे "सु" का मोबाईल नम्बर 7398489885 भी दिया था। पंकज दूबे ने उसे अपने व "सु" के बीच हुये गंदे मैसेज, एम.एम.एस वगैरा दिखाये थे। जुलाई, 2013 में "सु" के साथ affair होने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद पंकज दूबे की शादी जासजिया खान नामक लड़की से हुई थी। उसके बावजूद भी उसके कई लड़कियों के साथ गलत संबंध थे। मई, 2011 में पंकज दूबे, करमवीर, बृजमोहन गुप्ता, अमृत प्रजापति, सतीश वाधवानी, महेन्द्र चावला सभी

(139)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जम्मू घुमने आये थे। वहां से हम पटनीटोप गये थे, वह व पंकज दूबे ज्यादा बातचीत करते थे तब हम दो दिन के लिए वहां रुके थे। उस समय ये लोग आशाराम बापू के बारे में बात करते थे और कहते थे कि आशाराम बापू की संस्था के पास बहुत पैसा है, इनसे कैसे पैसे निकलवाने हैं, की प्लानिंग चलती रहती थी। इनकी टीम का लीडर अमृत प्रजापति था, वह ज्यादा बोलता था, सभी उसकी बातें सुनते थे। दिनांक 29-12-2012 को अमृत प्रजापति, करमवीर, पंकज दूबे, सतीश वाधवानी, महेन्द्र चावला सभी जम्मू में बर्फ देखने के लिए आये थे, तब उसे भोलानन्द ने कहा था कि हम जम्मू आ रहे हैं और ये दो गाड़ियां लेकर सीधा गवाह के घर आ गये थे। उसके बाद गवाह ने इनको चाय-पानी पिलाई व फिर हम पटनीटोप गये। रास्ते में हमने मंथन जगह पर लंच किया, नॉनवेज खाया व पैग लिये, फिर वहां से पटनीटोप गये। 31-12-2012 को हमने पटनीटोप में सेलेब्रेट किया था। इन लोगों का मकसद यही था कि वो आशाराम की जम्मू की समिति से पैसा हड़पना चाहते थे और इसकी योजना बनाते रहते थे। पंकज दूबे अपने साथ HCL कम्पनी का लेपटोप लेकर आया था, इसमें करीब 100-150 अश्लील एम.एम.एस. थे, अश्लील फिल्में थी, जो वो देखता रहता था और हमें भी दिखाता रहता था। पंकज दूबे का नया नम्बर 8657157050 दिनांक 02.08.2013 को भोलानन्द ने उसको जम्मू में उसके घर के सामने स्थित शिव मंदिर की धर्मशाला में दिये थे। उस दिन हमारी शिव मंदिर की धर्मशाला में मीटिंग हुई थी, जिसमें गवाह को भोलानन्द ने बुलाया था और उसी दिन भोलानन्द ने पूजा देवी को भी बुलाया था। भोलानन्द उर्फ बृज बिहारी गुप्ता ने पूजा देवी से आश्रम में आने वाली कुछ लेडिज के बारे में जानकारी ली और उसके अगले दिन वो चले गये। पंकज दूबे के नये नम्बर से वह "सु" से बात व एस.एम.एस. से करता रहता था। पंकज दूबे "सु" व उसके बीच में जो भी मैसेज होते थे, वह गवाह को forward करता रहता था। गवाह की पंकज दूबे से वाट्सएप पर बात चलती रहती थी। दिनांक 16-8-2013 को जब वह सुबह नो बजे उठा तब पंकज दूबे के मैसेज उसके वाट्सएप पर आये हुये थे, जिसमें लिखा हुआ था कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा, उसका क्या हुआ। "सु" का जो जवाब आया

(140)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

था उसमें लिखा था कि योजना सफल, उसके आगे पंकज दूबे ने लिखा था कि वेल डन, मिलते हैं। जब उसने ये मैसेज पढ़े, तो उसने पंकज दूबे को वापस मैसेज किया कि भाई यार तूने ये क्या मैसेज किये, उसे समझ नहीं आ रहा, तब पंकज दूबे ने बोला कि हमने अपना एक काम कर दिया है। अगला काम जम्मू में तुम्हें करना है, तब उसने पंकज दूबे को बोला कि कौनसा काम हो गया है व कैसा काम करना है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो। उसने इसको इग्नोर कर दिया। उसके चार-पांच-छः दिन के बाद टी. वी. पर न्यूज आने लगी कि शाहजहांपुर की एक लड़की, जो कि छिंदवाड़ा में रहती है, उसने आशाराम बापू के उपर गलत काम करने का आरोप लगाया है। तब उसे समझ आया कि पंकज दूबे ने जो उसे एक काम हो गया है व योजना सफल का मैसेज किया था, वो उक्त योजना का था। दिनांक 14-9-2013 को भोलानन्द उर्फ बृज बिहारी गुप्ता का फोन गवाह के दोस्त शिव को आया। शिव से उसने बात की और शिव से उसने कहा कि मेरी विक्की से बात करवा देना या विक्की का नम्बर उसे दे देना। उसके बाद उसकी बात 15-9-2013 को बृज बिहारी गुप्ता उर्फ भोलानन्द से हुई थी, तब भोलानन्द ने उसे कहा कि हमने अपनी पहली योजना में सफलता प्राप्त कर ली है, तुम हमारा साथ दो विक्की, अगली योजना हमारी जम्मू की है, यहां पर हमने आशाराम के खिलाफ लड़कियों को इस्तेमाल करना है और आशाराम के आश्रम में कंकाल दबाने है, ये काम विक्की सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम बहुत से लोगों को जानते हो व तूमहारी जान-पहचान है। तुमहारी लड़कियों से भी अच्छी जान पहचान है, तुम्हें खाली लड़कियों को बोलना है कि बापू ने उनके साथ दुष्कर्म किया है और विक्की हम बहुत पैसा कमायेंगे और मेरे साथ पंकज दूबे, महेन्द्र चावला, करमवीर, सतीश वाधवानी, अमृत प्रजापति, राहुल सचान और मीडिया के लोग दीपक चौरसिया भी है, मीडिया भी हमारा साथ ही देगा। भोलानन्द के साथ ये बातचीत हुई, तो गवाह ने अपने करीबी निरेन्द्र सिंह से बात की तो निरेन्द्र ने उसे कहा कि अगर तुम कंकाल दबाने वाला या लड़कियां तैयार करने वाला काम करोगे तो तुम खुद ही गुनेहगार बन जाओगे। उसके बाद उसने भोलानन्द का कॉल रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। भोलानन्द के टेलीफोन नम्बर

(141)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

7506137501, 8080598279 व 9920137719 थे। दिनांक 01.10.2013 को भोलानन्द का फोन उसके पास आया था, उसने गवाह को आश्रम में कंकाल वगैरा गाड़ने, जो कि कब्रिस्तान से लाने के बारे में बोला और उसने गवाह का Account Number लिया और अमृत प्रजापति के नये नम्बर के बारे में भी पुछा। उसके बाद 5-10-2013 को उसकी भोलानन्द से बात होती थी, उसने टी.वी. पर बोल सकने लायक लडकी को तैयार करने को कहा तो उसने कहा कि एक लडकी तैयार कर रही है, जो मीडिया में बोल देगी। बृज बिहारी ने उसे कहा कि तुम इसे दिल्ली लेकर आ जाओ, यहां मैं तुम्हारा लाईव टेलीकास्ट करवाउंगा। तब उसने भोलानन्द को कहा कि लडकी का नाम और लडकी का एड्रेस व शक्ल वगैरा नहीं दिखनी चाहिए, मैंने उससे शादी करनी है, तब बृज बिहारी गुप्ता ने मुझसे बोला कि मीडिया वाले लडकी का चेहरा नहीं दिखाते और हमें लडकी का गलत नाम देना है और एड्रेस भी गलत देना है। उसके बाद उन दिनों में पूरे दिन उसकी बातचीत होती रहती थी। 15-10-2013 को जब उसकी भोलानन्द के साथ बात हुई, तब उसने कहा कि वो मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में आया है और एक लडकी है, जो कि बापू के खिलाफ बोलेगी, बड़ी गेम खेलनी है, यह गेम आशाराम के 30-40 आश्रमों में खेलनी है। दिनांक 16-10-2013 को उसके ICICI बैंक के खाते में बीस हजार रूपये भोलानन्द उर्फ बृज बिहारी गुप्ता ने मुंबई से डाले थे। भोलानन्द 4-10-2013 के बाद मीडिया में बोलने लगा था। वह India News, ABVP News, Sahara समय इन सभी चैनलों पर सुबह शाम आश्रम में कंकाल गड़े होने की बात करने लगा। जब उसने यह सब देखा और सुना, तब वह परेशान हो गया, उसने सोचा कि उसने तो कुछ किया नहीं, आश्रम में बच्चों के कंकाल नहीं दबाये, भोलानन्द तो उसे फंसा देगा। यह सारा षड़यंत्र तो भोलानन्द, अमृत प्रजापति, करमवीर, महेन्द्र चावला, पंकज दूबे, सतीश वाधवानी ने किया है। उसके बाद वह अपने दोस्त के भाई पी.एस. परमार, जो कि वकील है, के पास गया और उनको सारी रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाई और एक सीडी बनाकर दी, तब उन्होंने एक प्रार्थना पत्र बनाया और कोर्ट में दे दे दिया। परिवाद की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी-203 है, जिसे न्यायालय द्वारा 156 (3) सीआरपीसी में

(142)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पुलिस स्टेशन नवाबाद में तफ्तीश हेतु भिजवाया गया था। उक्त परिवाद पर पुलिस स्टेशन नवाबाद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-डी-114 दर्ज की गई। इसकी चाकशुदा एफ.आई.आर. की सत्यप्रतिलिपि उसने अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त की थी। भोलानन्द व गवाह के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की Script एवं सीडी बनाकर पुलिस को दी थी तथा कम्प्यूटर की हार्डडिस्क, जिसमें उसने उक्त रिकॉर्डिंग को डालकर उससे सीडी/डीवीडी बनाई थी, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया था। Script की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-204 है। प्रदर्शडी-111/1 से प्रदर्श डी 111/5 कम्प्यूटर की Screen का Screenshot है। प्रदर्श-डी-111/5 वॉईस रिकॉर्डिंग से संबंधित डीवीडी में मौजूद Items के कम्प्यूटर के पेज का Screenshot है। पुलिस ने गवाह से उसका सेमसंग कम्पनी का फोन, कम्प्यूटर की हार्डडिस्क, मेमोरी कार्ड, सिम, सीडी, जो उसने बनाकर दी व सीडीआर पेश किये थे, को जब्त किया गया था, फर्द जब्ती की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-116 है जिसमें अंकित नम्बर बृज बिहारी गुप्ता उर्फ भोलानन्द व पंकज दूबे के है। प्रदर्श-डी-116 ए.एस.आई. अंग्रेजसिंह ने दिनांक 20-5-2015 को तैयार किया था। प्रदर्श-डी-205 फर्द सुपुर्दगीनामा अंगूठी की सत्यप्रतिलिपि है। गवाह ने प्रदर्श-डी-107 से प्रदर्श-डी-112 में पंकज दूबे व "सु" के नंबर अंकित होना बताया है। इसी प्रकार प्रदर्श-डी-108/1 से लगायत प्रदर्श-डी-108/12 में पंकज दूबे व "सु" के नम्बर अंकित होना बताता है। प्रदर्श-डी-110/4 में पंकज दूबे व "सु" के नम्बर 15-8-13 के बताता है। प्रदर्श-डी-110/5 के क्रम संख्या 1701, 1702, 1703, 1705 में "सु" व पंकज के नंबर होना कहता है। प्रदर्श-डी-110/6 में क्रम संख्या-709, 710, 711, 712 पर पंकज दूबे व "सु" के नंबर बताए है। प्रदर्श-डी-110/9 में भी पंकज व "सु" के नम्बर बताये है। प्रदर्श-डी-203 से 205 का प्रदर्श-डी-213 चार्जशीट का भाग होना कहा है। तत्पश्चात गवाह इस आशय का कथन करता है कि न्यायालय में परिवाद पेश करने के पश्चात जम्मू पुलिस ने उसके बयान लिए थे। कागजात् जब्त किये। उसके व बृजबिहारी गुप्ता के बीच में हुये फोन conversation की सी.डी. उसने अनुसंधान के दौरान पुलिस को दी, जिसकी फर्द जब्ती की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-206 है। प्रदर्श-डी-206,

(143)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रदर्श-डी-113 चार्जशीट का भाग है। जम्मू के शिव शर्मा पुत्र सुखदेव शर्मा, सुशील कुमार पुत्र भोजराज, अंकित विशाल पुत्र अनिल कुमार, वासु खजुरिया पुत्र कुलदीप खजुरिया के बयान पुलिस ने लिये थे। दिनांक 13-9-2013 को जम्मू पुलिस ने भोलानन्द उर्फ बृज बिहारी गुप्ता को गिरफ्तार किया था। तब पुलिस ने उसे व भोलानन्द को आमने-सामने करवाकर बातचीत करवाई थी और उसने घटना की सारी बात पुलिस को बता दी थी। दिनांक 20-1-2014 को भोलानन्द उर्फ बृज बिहारी गुप्ता को जेल से जमानत मिल गई थी। दिनांक 20-1-2014 के बाद भोलानन्द उर्फ बृज बिहारी गुप्ता जेल से जमानत पर छूटने के बाद उससे दस-पन्द्रह दिन के बाद मिला व उसे बोला था कि विक्की तुम मेरे पक्ष में बयान दो। आशाराम बापू को जेल में डालने के षड्यंत्र में ओर भी लोग हैं, वह अकेला नहीं है। पंकज दूबे, करमवीर सिंह, सतीश वाधवानी, रोहित सचान, राहुल सचान, महेन्द्र चावला ये सारे शामिल थे। तब भोलानन्द ने उसे तीन-चार सीडीया दी थी, वो सीडीयां पंकज दूबे व भोलानन्द की थी। उसने वो सीडीयां पुलिस को दी थी। उन सीडीयों पर भी पुलिस ने अनुसंधान किया था। तत्पश्चात् पुलिस ने अनुसंधान कर नंदूरबार, महाराष्ट्र से पंकज दूबे को मई महीने में गिरफ्तार किया था। तब पुलिस ने गवाह व पंकज दूबे को आमने-सामने किया था। तब उसने पुलिस को 15-8-2013 की SMS की घटना भी बताई थी, तब पंकज दूबे ने उक्त घटना को स्वीकार किया था। उसके बाद पुलिस ने सतीश वाधवानी को पकड़ा था और पुलिस वाले करमवीर को पकड़ने भी गये थे। करमवीर ने अग्रिम जमानत करवा ली थी। उसकी बृजबिहारी गुप्ता उर्फ भोलानन्द से 25-30 बार बात हुई है, लेकिन रिकॉर्डिंग 17-18 बार की ही की थी। उसने पुलिस को सारी रिकॉर्डिंग दे दी थी, लेकिन पुलिस ने मुख्य सात रिकॉर्डिंग ही एफएसएल के लिए भेजी थी। पुलिस ने उनकी ही ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई थी। पुलिस ने एफएसएल हेतु चण्डीगढ़ सीएफएसएल में भेजी थी। गवाह सुनिता पत्नी करमवीर सिंह को जानना कहता है तथा उसकी बेटी "सु" पंकज की दोस्त होना बताया है। "सु के मोबाईल नंबर 7398489885 सुनिता सिंह के नाम से रजिस्टर्ड होना कहता है। गवाह ने प्रदर्श-डी-108/1-ए से लगायत प्रदर्श-डी-108/12-ए में "सु" व पंकज दूबे

(144)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018 का नाम अंकित होना बताया है। इसी प्रकार प्रदर्श-डी-110/4, 110/5-ए, प्रदर्श-डी-110/6-ए तथा प्रदर्श-डी-110/9-ए में "सु" व पंकज दूबे के नंबर अंकित होना बताया है। मूल परिवाद प्रदर्श-डी-203-ए व परिवाद की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी-203 है। उक्त इस्तगासे के आधार पर एफ.आई.आर. प्रदर्श-डी-114 दर्ज होना कहता है। भोलानन्द व गवाह के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की Script एवं सीडी बनाकर पुलिस को देना तथा कम्प्यूटर की हार्डडिस्क उक्त रिकॉर्डिंग को डालकर उससे सीडी/डीवीडी बनाना, जिन्हें पुलिस द्वारा जब्त करना बताया है। Script की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-204 है। असल Script प्रदर्श-डी-204-ए है। प्रदर्श-डी-205-ए फर्द सुपुर्दगीनामा अंगुठी है, जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-205-ए है। उसके व बृजबिहारी गुप्ता के बीच में हुये फोन conversation की सी.डी. अनुसंधान के दौरान पुलिस को देना बताया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श-डी-206-ए है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-206 है। पुलिस वालों ने उक्त सीडी की transcript तैयार की थी। प्रदर्श-डी-206 को जिस सील से सील मोहर किया गया था, उस सील को जरिये फर्द प्रदर्श-डी-207 पुनः सीलचेपा किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-207 ए है। भोलानन्द 2008 व 2009 में पीर बाबा कब्रिस्तान में उसे साथ गया था। वहां हमने माथा टेका। उसके बाद हम कब्रिस्तान देखने के लिए चले गये। कब्रिस्तान एक-डेढ़ कि.मी. में फैला हुआ है। तब भोलानन्द ने उसे कब्रों के बारे में बताया। हमने दिनांक 17-10-2013 मोज़रबेयर की सीडी, जिसमें गवाह व भोलानन्द की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, को पुलिस वालों को जब्त करवाई थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श-डी-208 है। सीडी की प्रति आर्टिकल-डी-5 है। दिनांक 09-11-2013 को भोलानन्द के प्रवचन की सीडी पुलिस में दी थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श-डी-209 है, जिसे पुलिस वालों ने एफएसएल हेतु भेजा था। दिनांक 30-4-2015 को पुलिस ने गवाह का मोबाईल फोन माईक्रोमेक्स X455, जिसमें 9797418663 नम्बर की सिम डाली हुई थी, जिससे गवाह की भोलानन्द से बात होती थी, जरिये फर्द प्रदर्श-डी-210 पुलिस ने जब्त किया। दिनांक 20-5-2015 को पुलिस ने सेमसंग की हार्डडिस्क और कॉल डिटेल् रिकॉर्ड जब्त किया था, जिसकी फर्द

(145)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जब्ती प्रदर्श-डी-211 है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्रदर्श-डी-212 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-212 ए है। उक्त के संबंध में भोलानन्द ने एक चार्ट बनाकर पेश किया था, जिसे पुलिस ने जब्त किया था, जो चार्ट प्रदर्श-डी-213 है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-213 ए है। प्रदर्श-डी-111/1 से प्रदर्श-डी-111/5 प्रमाणित प्रतिलिपि Computer Screen का Screen Shot है, जिनके मूल प्रदर्श-डी-111/1 ए से प्रदर्श-डी-111/5 ए है। प्रदर्श-डी-214 फर्द गिरफ्तारी पंकज दूबे की है, जिस पर पंकज दूबे का फोटो है। पुलिस वालों ने भोलानन्द को 13.11.2013 को गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श-डी-215 है, जिस पर भोलानन्द का फोटो लगा हुआ है। पुलिस ने गवाह के द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में पंकज दूबे, भोलानन्द, करमवीर, अमृत प्रजापति, सतीश वाधवानी, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, दीपक चौरसिया को मुलजिम माना। जब भोलानन्द व पंकज दूबे को गिरफ्तार किया, तब पुलिस ने गवाह व उनका आमना-सामना करवाया था। भोलानन्द जब जमानत पर छुटा, उसके बाद वह कोर्ट में आया नहीं, उसकी बेल जम्प हो गई और अभी वह भागा हुआ है।

87- गवाह डी. डब्ल्यू. 23 पूजा देवी निवासी जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह बृज बिहारी गुप्ता उर्फ भोलानन्द उर्फ विनोद गुप्ता को सन् 2005 से जानती है। यह सन्त आसाराम के आश्रम में रहता था और गवाह का घर उक्त आश्रम के सामने है। भोलानन्द का गवाह के घर भी आना जाना था और वह गवाह को अपनी छोटी बहन मानता था। गवाह ने कहा है कि भोलानन्द आश्रम में 2005 से 2009 तक रहा। गवाह ने कहा है कि वह आश्रम में गायों की सेवा करती थी। राधाकृष्ण मन्दिर में साफ सफाई हम औरतें ही करती थी। सुबह सूर्योदय होने के बाद आश्रम जाते थे और सूर्यास्त के बाद आश्रम में औरतें नहीं जाती थी। गवाह के अलावा आश्रम में साफ सफाई करने अन्य औरतें भी जाती थी।

इस गवाह ने यह भी कहा है कि वह विक्रान्त शर्मा उर्फ विक्की को अच्छी तरह से जानती है। इसका घर गवाह के घर के पास ही है जो गवाह के पुत्र अनिल वर्मा का मित्र है। विक्की भोलानन्द का डिवोटी था।

(146)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

भोलानन्द विक्की को सामान लाने के लिये बोलता था, वह सामान लेकर आता था। आश्रम समिति वाले चलाते थे। भोलानन्द आश्रम का मैनेजर था, जो काम समिति वाले बोलते थे, वह काम भोलानन्द करता था। भोलानन्द के पास विक्रान्त शर्मा उर्फ विक्की, वासु, अंकित, सुशील, सन्तोष, निवासीगण जम्मू, कर्मवीर निवासी शाहजहांपुर, पंकज दुबे निवासी छिंदवाड़ा, अमृत प्रजापति निवासी बड़ोदरा, सतीश वाधवानी निवासी इन्दौर, राहुल सचान निवासी कानपुर व महेन्द्र चावला मिलने आते थे। कर्मवीर भोलानन्द के साथ 1-2 बार गवाह के घर आया था, उसका लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट नाम से व्यवसाय है। कर्मवीर खाने पीने का बहुत शौकीन था तथा गवाह को नंदडू, क्यूर, कड़म आदि की सब्जी बनाने के लिये कहता था। गवाह ने कहा है कि वह पंकज दुबे को वर्ष 2009 से जानती है वह भोलानन्द से मिलने आया था व विक्की का दोस्त था।

गवाह का कथन है कि मई 2011 में भोलानन्द जम्मू में विक्की के घर आया था, उसके साथ कर्मवीरसिंह, अमृत प्रजापति, सतीश वाधवानी, महेन्द्र चावला, राहुल सचान थे। ये सब लोग विक्की के साथ पटनीटोप घूमने गये। दिनांक 29-12-2011 को भोलानन्द, कर्मवीरसिंह, पंकज दुबे, अमृत प्रजापति, सतीश वाधवानी, महेन्द्र चावला सर्दियों की बर्फ देखने के लिये विक्की के घर आये थे। नाश्ता पानी करके पटनीटोप चले गये। दिनांक 2-8-2013 को भोलानन्द जम्मू आया था तब अमृत प्रजापति, सतीश वाधवानी, राहुल सचान ये सब लोग वहां आये थे। इन लोगों ने विक्की को कहा कि पूजा से मिलना है। फिर गवाह विक्की से मिलने भोलानन्द के पास गई। भोलानन्द ने कहा कि आश्रम में कौन कौन लड़कियां तुम्हारे साथ आती हैं और तुम किस किस के सम्पर्क में हो और कौन कौन सी जरूरतमन्द है, आपकी भरोसेमन्द कौन कौन सी है। गवाह ने उसको बोला कि कोई काम है, तब उसने बोला कि आपको 2-4 भरोसेमन्द लड़कियों को अपने सम्पर्क में रखना है, मैं उन्हें काम बताऊंगा, तब उनको मेरे कहे अनुसार बोलना होगा तो मुंह मांगा पैसा मिलेगा। भोलानन्द ने कहा कि तेरे से बाद में सम्पर्क करूंगा।

गवाह ने कहा है कि दिनांक 28-8-2013 को भोलानन्द उसके घर आया, उस रोज जन्माष्टमी का दिन था। भोलानन्द ने उसे कहा कि मैं

(147)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

तुम्हें ऐसा काम दिलाऊंगा जिसे करने से थोड़ी सी मेहनत से तुम्हें लाखों का फायदा होगा। तब गवाह ने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जिससे लाखों का फायदा होगा और इतने पैसे कहां से आयेंगे, तो उसने बोला कि पैसा तो जम्मू की समिति से ही आयेगा। भोलानन्द ने कहा कि आपको दो लड़कियां तैयार करनी हैं मीडिया में बोलने के लिये कि बापू जी पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाना है। गवाह ने उसे कहा कि तुम इतने साल आश्रम में रहे हो, तुमको इतनी झूठी बात आसाराम बापू के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिये और मुझे भी गन्दा काम बता रहे हो, मैं ऐसा काम करूंगी तो बदनामी होगी। तब उसने कहा कि बदनामी तो आसाराम बापू की होगी, तुम्हारा नाम सामने नहीं आयेगा और उसने कहा कि उसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं वह सब सम्भाल लेंगे। उसने बताया कि इण्डिया न्यूज का दीपक चौरसिया और कर्मवीरसिंह, पंकज दुबे, महेन्द्र चावला, अमृत प्रजापति, सतीश वाधवानी, राहुल सचान, देवेन्द्र प्रजापति ये सब लोग मेरे साथ हैं। भोलानन्द ने कहा कि दीपक चौरसिया ने उसको बम्बई में एक बंगला दिया है। तुम मेरे कहे अनुसार करोगी तो मैं तुम्हें भी एक नया घर दिलाऊंगा। उसने कहा कि तुम हर रोज देखने जाना कि बापू के खिलाफ हर रोज एक लड़की दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाते हुए मीडिया में दिखेगी और उसने कहा कि कर्मवीरसिंह की बेटी जिस लड़की ने बापू जी पर जोधपुर में आरोप लगाया है, "सु" उसका नाम है, वह लड़की कर्मवीरसिंह की लड़की है जो तुम्हारे घर पर आता था और उसका दोस्त पंकज दुबे हमारे साथ है। भोलानन्द ने कहा कि दो दिन के लिये बच्चों के कंकाल अपने घर पर रखने हैं तब मैंने (गवाह ने) कहा कि ऐसा करके क्या सिद्ध करना चाहते हो तब उसने कहा कि साथ में ही मुसलमानों का कब्रिस्तान है, वहां से मैं कंकाल ले आऊंगा और मौका मिलने पर आश्रम में गाढ़ दूंगा। दूसरे दिन मैं मीडिया को बोल कर उनको दिखाऊंगा कि बापू बच्चों को मरवाता है और आश्रम में गाढ़ देता है। यह सब टी.वी. पर लाईव दिखाया जायेगा, तुम मुझे भी टी.वी. पर देखोगी और तुम यह भी देखोगी कि बच्चों के कंकाल जम्मू आश्रम से मिल गये हैं।

गवाह ने कहा है कि इस सम्बन्ध में पुलिस उसे 3-4 बार पूछने

(148)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आई थी, 2-3 पुलिस वाले व 2-3 महिला पुलिस वाली थी जो जम्मू के नवाबाद थाने से आये थे। गवाह ने कहा है कि उसने उक्त सारी बातें जम्मू पुलिस वालों को बताई थी। उसके जम्मू कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे तथा उक्त बातें उसने मजिस्ट्रेट साहब को भी बताई थी। बयान उर्दू में लिखे थे, एक जज साहब थे और एक लेडीज थी। फिर उन्होंने गवाह को पढ़ कर सुनाया, गवाह ने हस्ताक्षर किये। पुलिस वालों ने गवाह व भोलानन्द को आमने सामने भी करवाया, जब वह भोलानन्द से मिलने गई तो उसने भोलानन्द को सारी बातें याद दिलाई कि तूने मुझे लड़कियां तैयार करने के लिये बोला था और कंकाल गाढ़ने के लिये बोला था, यह सच है या झूठ, सच सच बोल। पहले तो उसने मना किया, बाद में कहा कि मुझसे गलती हो गई, आप कैसे भी करके मुझे बचाओ, मैंने कर्मवीर व अमृत प्रजापति के कहने से ऐसा किया। तुम मुझे बचा सकती हो।

88— डी. डब्ल्यू. 24 सुरेश कुमार ने इस आशय के कथन किये हैं कि उसका बार कौन्सिल में दिनांक 24-9-2001 का एनरोलमेन्ट है। उसने सीनियर अधिवक्ता श्री भंवर बागड़ी के साथ वकालत शुरू की। वह स्वतन्त्र वकालत करता है। बृजेन्द्र शर्मा पत्रकार को वर्ष 2007 से जानता है। गवाह ने कहा है कि दिनांक 16-8-2013 को साढ़े चार पांच बजे पत्रकार बृजेन्द्र शर्मा उसकी सीट पर आया और अपने साथ एक आदमी, एक औरत और लड़की को लेकर आया था। बृजेन्द्र शर्मा ने गवाह से कहा कि वकील साहब ये मेरे परिचित हैं और इनको कोई दुष्कर्म का मामला बनवाना है। जो साथ में लोग बाग आये थे, कर्मवीरसिंह पुत्र रामदिया, निवासी शाहजहांपुर, उसकी पत्नी सुनीतासिंह व लड़की को “सु” कह कर बताया कि ये इनका मामला है, आप समझ लीजिये, पूछ लीजिये। गवाह ने कर्मवीरसिंह से पूछताछ करने के लिये मामले के शॉर्ट में ब्रीफ नोट करने लगा। कर्मवीरसिंह, “सु” व सुनीतासिंह प्रसन्न मुद्रा में थे, हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कर्मवीरसिंह ने उसे बताया कि बापू आसाराम के विरुद्ध उसकी पुत्री जो साथ में आई है, उसकी उम्र 19-20 वर्ष बता रहा था, के साथ ग्राम मणार्ई, जोधपुर में दुष्कर्म का मामला करने का आरोप लगाते हुए बनाना है। गवाहने कहा कि वह एकदम से चौंका, उसने

(149)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

तीनों के चेहरे की तरफ देखा, उसे एहसास हुआ कि ये झूठा और गैरकानूनी काम करवाना चाहते हैं। उसने "सु" से पूछा कि तुम बताओ कि सही सही बात क्या है। "सु" ने गवाह को बताया कि वकील साहब मेरे साथ किसी भी प्रकार का बापू आसाराम ने दुष्कर्म नहीं किया। गवाह ने कहा है कि उसने बृजेन्द्र शर्मा को कहा कि आप कैसे लोगों से सम्पर्क रखते हो जो झूठा और गैरकानूनी काम करवाना चाहते हैं। बृजेन्द्र शर्मा शर्म महसूस कर रहा था और सौरी बोल रहा था। इस पर कर्मवीरसिंह नाराज हुआ कि वकील साहब इसमें नाराज होने की क्या बात है, हम आपको मोटा माल देंगे। "सु" ने बीच में ही कहा कि वकील साहब मेरे साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ है, मेरे पापा कहे जैसा मामला बना दीजिये। गवाह ने कहा कि उसे विश्वास हो गया कि कर्मवीरसिंह, सुनीतासिंह व "सु" झूठा गैरकानूनी मामला बनवाना चाहते हैं। गवाह ने उनसे कहा कि आप उठिये और यहां से जाईये।

89— गवाह डी. डब्ल्यू. 25 रामवचन ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह पब्लिक सर्वेन्ट (लोक सेवक) है। पत्र प्रदर्श-डी-20-ए आर. पी. सिंह सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने न्यायालय को भिजवाया था। प्रदर्श-डी-20-ए न्यायालय को भिजवाया उसके साथ ड्राईविंग लाईसेन्स के रजिस्टर की फोटो कापी प्रदर्श-डी-20-ए भिजवाई थी जिसकी असल प्रदर्श-डी-20-बी है जिसमें ए से बी भाग में श्री सोमवीर पुत्र श्री कर्मवीरसिंह, R/o. अजीजगंज, P.S. कोतवाली, जिला शा. अंकित है। गवाह ने जिल्दशुदा लाईनदार पन्नों वाला रजिस्टर पेश किया जिसमें प्रदर्श-डी-20-ए का मूल होना जहिर किया। प्रदर्श-डी-20-ए व रजिस्टर में मौजूद उसकी मूल का मिलान किया गया, मूल पर नम्बर 3733115 पेन से अंकित है जो प्रदर्श-डी-20-ए में अंकित नहीं है, अन्य विवरण समान पाये गये। गवाह ने जाहिर किया कि उक्त रजिस्टर की अन्तर्वस्तु कम्प्यूटर पर अपलोड कर दी गई है, उक्त नम्बर अपलोड करने के बाद सन्दर्भ हेतु डाले गये हैं। अतः मूल पर प्रदर्श-डी-20-बी लगाने की अनुमति दी गई। प्रदर्श-डी-20-ए व प्रदर्श-डी-20-बी पर एक्स स्थान पर लाईसेन्स धारक का फोटो लगा हुआ है। मोटरसाईकल व कार चलाने के लिये लाईसेन्स दिया गया है। लाईसेन्स धारक की जन्म तिथि 1-1-1990 रिकार्ड के

(150)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आधार पर थी। लाईसेन्स की वैधता 7-3-2030 तक है। यह रजिस्टर रेगूलरली संधारित है। धारक को जो प्रारूप 6 में जारी किया गया है, वह प्रदर्श-डी-69 है। जो व्यक्ति लाईसेन्स के लिये आवेदन करता है, वह उस आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि व अन्य विवरण भरता है तथा उक्त विवरणों के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करता है तथा उसके सन्दर्भ में डिक्लेरेशन करता है।

90- गवाह डी. डब्ल्यू. 26 उदयसिंह ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह पब्लिक सर्वेन्ट है तथा उनके यहां राशन कार्ड से सम्बन्धित पब्लिक रिकार्ड रेगूलरली मैन्टेन होता है। राशन कार्ड के आवेदन फार्म डी-1 की असल कापी न्यायालय ने मंगवाई थी जिस असल फार्म को उनके द्वारा दस्ती निरीक्षक संदीप कुमार द्वारा न्यायालय में दिनांक 28-3-2016 को जमा करवा दिया गया था, जिसका दस्ती पत्र प्रदर्श-डी-40-ए है और राशन कार्ड का असल फार्म डी-1 जो प्रदर्श-डी-40-ए है, इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-40-ए की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-40 है। जो भी आवेदक डी-1 फार्म में सूचना भरता है जैसे गांव का नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, उम्र, रिश्ता आदि। इस इस फार्म में गलत सूचना भरने के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होता है, अपना डी-1 फार्म गांव के सरपंच या मौजिज व्यक्ति (नम्बरदार) आदि से सत्यापित करवाता है। प्रदर्श-डी-40-ए पर एक्स स्थान पर आवेदक के परिवार का फोटो है, ए से बी व सी से डी आवेदक द्वारा फार्म में भरी गई सूचना है। प्रदर्श-डी-40-ए फार्म के भाग ई से एफ में आवेदक स्वयं का नाम व उसकी उम्र अंकित है, जी से एच जीवनी आवेदक की पत्नी का नाम व उसकी उम्र 31 वर्ष अंकित है, आई से जे आवेदक के पुत्र का नाम कर्मवीर व उसकी उम्र अंकित है, के से एल भाग में आवेदक की पुत्रवधू सुनीता व उसकी उम्र 34 वर्ष अंकित है, एम से एन भाग में सोमवीर लड़का उम्र 13 वर्ष अंकित है, ओ से पी भाग में शुभम उम्र 10 वर्ष, लड़की, पौत्री अंकित है, क्यू से आर भाग में यशवीर उम्र 6 वर्ष, लड़का पौत्र अंकित है जिस पर लाईन खींची हुई है, कटा हुआ है। प्रदर्श-डी-40-ए पर एस से टी भाग में दो स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर के ऊपर रामदीया लिखा हुआ है। प्रदर्श-डी-40-ए फार्म में यू से वी भाग में

(151)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

दिनांक 9-1-2005 दिनांक अंकित है, एक्स से वाई स्थान पर कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत गढ़ी छाजू की सील लगी हुई है और आर.टी.आई. ओमपति का लगा हुआ है। उक्त फार्म प्रदर्श-डी-40-ए कार्यालय में जमा होता है जिसमें भरी हुई सूचना के आधार पर उनके विभाग द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाता है। उक्त फार्म प्रदर्श-डी-40-ए के आधार पर राशन कार्ड संख्या 475566 मकान नं. 106 यूनिट 6 का विभाग द्वारा जारी किया गया। उक्त फार्म की प्रविष्टि कार्यालय के रजिस्टर में की जाती है जिसकी प्रविष्टि रजिस्टर में क्रम संख्या 106 में की हुई है। उक्त रजिस्टर रेगूलरली मैन्टेन किया जाता है।

गवाह उदयसिंह उपनिरीक्षक ने न्यायालय के समक्ष एक डी-4 रजिस्टर पेश किया जिसकी सम्बन्धित प्रविष्टि वाले पेज नम्बर 38 को खोला गया। उक्त प्रविष्टि कालम की संख्या अधिक होने से दो पन्नों में अनवरत आ रही है। गवाह ने उक्त प्रविष्टि वाले दो पन्नों की फोटो प्रति मय फर्द पेश की, फोटो प्रति का मूल से मिलान किया गया, फोटो प्रति मूल के समान पाई गई।

गवाह ने कहा है कि मूल रजिस्टर के पेज संख्या 38 जिस पर सम्बन्धित प्रविष्टि की गई है, वह पृष्ठ प्रदर्श-डी-216 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श-डी-216-ए है। प्रदर्श-डी-216 व डी-216-ए के ए से बी भाग में प्रदर्श-डी-40-ए फार्म के आधार पर राशन कार्ड जारी करने की प्रविष्टि है जिसका राशन कार्ड संख्या 475566 प्रदर्श-डी-216-ए में अंकित है। प्रदर्श-डी-216 के ए से बी भाग में रामदिया S/o केहरी व अन्य प्रविष्टियां अंकित हैं।

91- डी. डब्ल्यू-27 अंग्रेजसिंह जम्मू कश्मीर पुलिस का एएसआई है, जिसने इस आशय के कथन किये हैं कि वह फौजदारी प्रकरण में करीब 15-20 वर्षों से अनुसंधान कर रहा है। विक्रान्त शर्मा की complaint पर मुकदमा संख्या 168/2013 तिथि 17.10.2013 को अंतर्गत धारा 120-बी, 194, 211, 295, 295-ए, 153-ए, 383, 195 RPC (Ranbir Penal Code) दर्ज हुआ था, जिसकी एफ.आई.आर. प्रदर्श-डी-114 है। इस प्रकरण की पत्रावली अनुसंधान हेतु स्वयं को मार्च, 2015 में प्राप्त होना व उसके पहले तीन अफसरों द्वारा तफ्तीश करना कहा है। दौराने तफ्तीश गवाहों के बयान लेखबद्ध करना, एक

(152)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मोबाईल फोन माईक्रोमेक्स जिसका सिम नम्बर 9797418663 जब्त करना, परिवादी विक्कांत शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेस की सीडी पेश करना, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श-डी-210 एवं जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-210 ए होना कहा है। दौराने तफ्तीश हार्ड डिस्क सैमसंग एवं Call Detail Record सिम नम्बर 9920137719 व मोबाईल फोन नम्बर 8657157050, 9303848555 की Call detail Record बिटुकुमार ने उसे दी। हार्डडिस्क को वहीं मौके पर रि-सील किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श-डी-211 है, जिसके जरिये जो Call Detail Record जब्त किया गया था, वह प्रदर्श-डी-212, प्रदर्श-डी-213 व प्रदर्श-डी-217 है। फर्द जब्ती प्रदर्श-डी-211 के द्वारा पंकज दूबे के मोबाईल नम्बर 8657157050 व 9303848555 की Call Detail Record प्रदर्श-डी-107/1 से प्रदर्श-डी-107/12 एवं प्रदर्श-डी-108/1 से प्रदर्श-डी-108/12 व प्रदर्श-डी-110/1 से प्रदर्श-डी 110/13 को भी जब्त किया गया था। प्रदर्श-डी-107/1 से प्रदर्श-डी-107/12 एवं प्रदर्श-डी-108/1 से प्रदर्श-डी-108/12 व प्रदर्श-डी-110/1 से प्रदर्श-डी-110/13 की प्रमाणित प्रतिलिपियां, प्रदर्श-डी-107/1 ए से प्रदर्श-डी-107/12 ए एवं प्रदर्श-डी-108/1 ए से प्रदर्श-डी-108/12 ए व प्रदर्श-डी-110/1 ए से प्रदर्श-डी-110/13 ए है। दिनांक 17.10.2013 को उक्त प्रकरण दर्ज हुआ और परिवादी ने जो रिकॉर्डिंग की थी, उसकी सीडी पूर्व के आई.ओ. द्वारा सीज की गई थी एवं उन्हें रि-सील किया गया था। उसके बाद अभियुक्त विनोद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम विनोद गुप्ता व जब्तशुदा सीडी को सीएफएसएल, चण्डीगढ़ ले जाया एवं अभियुक्त विनोद गुप्ता की आवाज का सैम्पल सीएफएसएल, चण्डीगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा लिया गया। सीएफएसएल के द्वारा परिवादी द्वारा की गई रिकॉर्डिंग एवं विनोद गुप्ता के वॉयस सैम्पल का मिलान कर रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी को भेजी गई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-115 है, जिसकी मूल प्रदर्श-डी-115-ए है। दौराने तफ्तीश मुलजिम पंकज दूबे के किराये वाले कमरे से तीन मोबाईल फोन व एक लेपटॉप जब्त किया था, जिसकी मूल फर्द जब्ती प्रदर्श-डी-218 है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-218-ए है। दौराने तफ्तीश दिनांक 10-5-2015 को

(153)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मुलजिम पंकज दूबे को जरिये फर्द प्रदर्श-डी-214 गिरफ्तार किया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-119 है। प्रदर्श-डी-211 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-116 है। प्रदर्श-डी-211 के द्वारा जो आर्टिकल जब्त किये गये थे, उसको प्रदर्श-डी-219 के द्वारा सील मोहर किया गया। प्रदर्श-डी-219 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-219-ए है। मुलजिम पंकज दूबे को गिरफ्तार करने के बाद उसके finger prints लिये गये थे, जिसकी मूल फर्द प्रदर्श-डी-220 व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-220 ए है। दौराने तफ्तीश डीआईजी साहब के आदेश से डी.एम. साहब से दो दिन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट को थाना में हाजिर करके रूबरू कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने, एस.एच.ओ. साहब के सामने व फरियादी की मौजूदगी में थाना में सीडी खोलकर एस.एच.ओ. साहब ने जरिये कम्प्यूटर स्क्रीन शॉट लेकर प्रिंट निकाला, जिनमें फॉल्डर थे। Screenshot की मूल प्रति प्रदर्श-डी-111/1 ए से लगायत प्रदर्श-डी-111/5-ए है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-111/1 से प्रदर्श-डी-111/5 है। उक्त सीडी में मौजूद ऑडियो की अनुलिपी मूल प्रदर्श-डी-204-ए है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-204-ए है। उक्त सीडियों को पुनः सील कर दिया गया था। पुनः सील करने की मूल फर्द प्रदर्श-डी-206-ए है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-206 है। इस नमूना सील को उसी रोज फरियादी को सुपुर्दगीनामा पर दिया गया, जिसकी असल फर्द प्रदर्श-डी-207 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-207 है। तफ्तीश के दौरान गवाहों के बयान लिये तथा अभियुक्त सतीश वाधवानी, महेन्द्र चावला, करमवीर, देवेन्द्र प्रजापति, अमृत वैद्य प्रजापति, राहुल सचान, दीपक चौरसिया की तलाश के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, यू.पी. स्टेट गये थे। अहमदाबाद में दो गवाह गोकुल भाई और विकास पुत्र कैलाशचन्द्र ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये थे, जिसमें उन्होंने तहरीर बनवाया था कि जिन लोगों की तलाश के लिए हम निकले थे, इन्होंने संत आशाराम को पचास करोड़ रूपये देने की डिमांड की थी एवं पचास करोड़ रूपये नहीं देंगे तो इनके पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में बंद जेल करवायेंगे। दिनांक 17-2-2016 को मुलजिमों की तलाश के लिए वह जम्मू से अहमदाबाद पहुंचा

(154)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

था। वहां उसे गोकुल भाई व विकास पुत्र कैलाशचन्द्र नाम के दो व्यक्ति मिले थे। करमवीर, महेन्द्र चावला, सतीश वाधवानी, राहुल सचान, देवेन्द्र प्रजापति के बारे में मालुम हुआ था कि इनको कोर्ट से सिक्योरिटी मिली है, जिस बारे में अधिकारियों को आगाह किया था और न्यायालय से भी निवेदन किया गया था कि इनकी सिक्योरिटी को खत्म किया जाये ताकि इन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा सके। दौराने तफ्तीश गवाह फरियादी, नरेन्द्रसिंह नाम के व्यक्ति, महावीर, जय भाई, अंकित विशाल, जसविन्द्र सिंह उर्फ राजन, भास्कर खजोरिया, सुशील पंवार, राजनारायण ठाकुर, भूषण चौरसिया, नेहा तोतलानी, ओमप्रकाश प्रजापति, कांस्टेबल पिंटु कुमार नम्बर 2826 के बयान लिये गये थे। पंकज दूबे का लेपटॉप चैक करने पर उसके लेपटॉप में अश्लील फोटोग्राफ व वीडियो पाये गये। पंकज दूबे के मोबाईल फोन की Call Detail Record चैक करने पर पाया गया कि पंकज दूबे अक्सर लड़कियों के साथ काफी बातचीत करता है। पंकज दूबे नाम का लड़का छिंदवाड़ा आश्रम स्कूल में टीचर रहा है, जिसकी "सु" नाम की लड़की के साथ काफी जान पहचान हो गई थी। पंकज दूबे के मोबाईल फोन की Call Detail Record निकलवाई थी, जो प्रदर्श-डी-221 है, जिसके संबंध में 65-B Evidence Act का प्रमाण पत्र भी संबंधित कम्पनी से प्राप्त किया था, जो प्रदर्श-डी-222 है। डी.एम. साहब से परमिशन लेकर चार्जशीट अभियुक्त विनोद गुप्ता और पंकज दूबे के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 120 बी, 153 ए, 194, 195 ए, 211, 383, 295 ए, 295 आर.पी.सी. में पेश की थी। चार्जशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-डी-113 है, जिसकी मूल प्रदर्श-डी-113-ए है। मुलजिम सतीश वाधवानी, महेन्द्र चावला, करमवीर, देवेन्द्र प्रजापति, राहुल सचान, दीपक चौरसिया के खिलाफ अनुसंधान पेडिंग रखा था। गवाहान के बयानात से और मोबाईल कॉल रिकॉर्ड से, सीएफएसएल, चण्डीगढ की रिपोर्ट से मुलजिमान् के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध हुई थी और संत आशाराम की प्रोपर्टी हड़प करने व इनको ब्लैकमेल करने के लिए झूठी साजिश मुलजिमान् तैयार कर रहे थे कि इनको ऐसे कैसेज में फंसाया जाये कि बाहर नहीं निकले। फरियादी को इन लोगों ने बोला था कि कब्रिस्तान से बच्चों के कंकाल निकालकर आश्रम में दबाओ और ऐसी लड़कियों को तैयार

(155)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

करो जो मीडिया के सामने यह बोले की संत आशाराम ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, ताकि जम्मू में भी संत आशाराम के खिलाफ मुकदमें दर्ज हो और उनका परिवार जेल में जाये। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण विनोद गुप्ता एवं पंकज दूबे के खिलाफ प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया। प्रदर्श-डी-212 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-212 ए है। प्रदर्श-डी-213 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-213 ए है। प्रदर्श-डी-217 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-डी-217-ए है।

92- डी. डब्ल्यू-28 डा. अमित कुमार चिकित्सा अधिकारी है तथा स्वयं के पास अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु विभाग, कार्यालय सिविल सर्जन, पानीपत (हरियाणा) का भी प्रभार होना व स्वयं द्वारा Public Record maintain करना कहता। यदि कोई पब्लिक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति मांगता है तो हम उसे नियमानुसार प्रमाणित प्रति देते हैं। गवाह ने जीवित जन्म सूचक मूल रजिस्टर के पेज संख्या 60 पर प्रदर्श-डी-16/बी को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है तथा उक्त रजिस्टर के क्रम संख्या 65 पर दिनांक 22-12-1990, जन्मतिथि 6-12-1990, लड़का कर्णवीर, ग्राम गढ़ीछाजू, पिता का नाम कर्मवीर, माता-पिता का स्थाई पता ग्राम गढ़ीछाजू, पिता की शिक्षा 10th, व्यवसाय नौकरी, राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिन्दू, माता का नाम सुनिता देवी, माता की शिक्षा अनपढ़, माता का व्यवसाय घरेलु, माता की राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिन्दू, प्रसूति के समय माता की आयु पूरे वर्षों में 23 वर्ष, जन्म का क्रम अर्थात् जन्म रजिस्टर सहित जन्मजात संख्या 1, प्रसव समय परिचर्या विधि सोना देवी, सूचना देने वाले का नाम लाल सिंह दर्ज है। उक्त रजिस्टर Public Document है, जो Regularly maintain है, इसके आधार पर प्रदर्श-डी-16 व प्रदर्श-डी-16/ए दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

93- डी. डब्ल्यू-29 सुरेश शर्मा ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह दिनांक 23-12-2015 को एस.आई. के पद पर थाना पुलिस नवाबाद में तैनात था। दिनांक 23.12.2015 को Addl. Session Judge, Jamamu के आदेश से एफ.आई.आर. नम्बर 168/2013, पुलिस थाना नवाबाद सरकार/पंकज दूबे एवं अन्य के मामले में further investigation के लिए पुलिस अधीक्षक शिव

(156)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कुमार चौहान द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें आठ मैम्बर थे। अंग्रेज सिंह, ए.एस.आई. उसके अधीनस्थ था। इस मामले में पूर्व आई.ओ. द्वारा जो तफ्तीश की गई थी, जिसका उसने अवलोकन किया था और सतीश वाधवानी, देवेन्द्र प्रजापति, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, करमवीर सिंह, अमृत प्रजापति वगैरा के खिलाफ धारा 120 बी, 295, 295-ए, 193, 194, 383 आर.पी. सी. (रणवीर पैनल कोड) में दोषी पाया, इनके खिलाफ उपयुक्त कॉल डिटेल, गवाह के बयानात अंतर्गत धारा 161 व 164, सीएफएसएल रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। उसी स्पेशल टीम के अन्तर्गत उसके साथ ए.एस.आई. अंग्रेजसिंह, कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल सुनिल वगैरा तफ्तीश व मुलजिमान् की गिरफ्तारी के लिए अहमदाबाद, इन्दौर वगैरा के लिए गये थे। अहमदाबाद जाकर हम लोगों ने गोकुल भाई और विकास के बयान उनके कथनानुसार रिकॉर्ड किये और उनके द्वारा दिया गया एक फैंक्स मैसेज भी मुकदमा में जब्त किया। बयान और फैंक्स मैसेज के मुताबिक यह मालूम हुआ कि मुलजिमान् सतीश वाधवानी, देवेन्द्र प्रजापति, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, करमवीरसिंह, अमृत प्रजापति वगैरा ने बापू आशाराम से पचास करोड़ की extortion amount की मांग की थी और उसमें कहा गया था कि अगर रकम ना मुहैया कराई गई तो बापू आशाराम व उसके आश्रम व उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसा देंगे, जिससे वो कभी बाहर ना आ पायेंगे। मुलजिम पंकज दूबे व "सु" नाम की एक लड़की के आपस में बातचीत होती थी व मैसेज आदि एक्सचेंज होते थे, जो कॉल डिटेल में भी पाया गया। इससे जम्मू वाले आशाराम के आश्रम में नर कंकाल गाड़ने व झूठी लड़कियां, जो कि संत आशाराम पर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाने वाली लड़कियाँ किसी साजिश के तहत तैयार की गई थी।

94— डी. डब्ल्यू-30 विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने स्वयं को वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के पद पर कार्यरत होना एवं पदेन रूप से 135 विधानसभा शाहजहांपुर का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित होना बताया है। गवाह प्रदर्श-डी-5 व प्रदर्श-डी-74 दस्तावेज की प्रमाणित प्रति स्वयं के कार्यालय से जारी होना कहता है। प्रदर्श-डी-5 में क्रम संख्या 140 पर नाम

(157)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सोमवीर सिंह, पिता का नाम कर्मवीर सिंह, मकान नम्बर 22 य, उम्र 24 वर्ष, लिंग पुरुष तथा एक्स स्थान पर सोमवीर सिंह का फोटो होना कहता है। प्रदर्श-डी-74 में क्रम संख्या 1645 में भी नाम सोमवीर सिंह, पिता का नाम कर्मवीर सिंह, मकान नम्बर 22 य, उम्र 22 वर्ष, लिंग पुरुष तथा एक्स स्थान पर सोमवीर सिंह का फोटो बताता है।

95- डी. डब्ल्यू-31 दीपक गण्डोतरा ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड जम्मू एण्ड कश्मीर में जम्मू एवं कश्मीर के लिए नोडल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है एवं कार्यालय जम्मू में है। पुलिस अधीक्षक, जम्मू द्वारा जरिये पत्र मोबाईल नम्बर 9313576150, 9303848555, 9303040008, 8657157050 की सीडीआर मंगवाई गई थी, जो उसने प्रदर्श-डी-223 पत्र के साथ संलग्न करके पुलिस अधीक्षक, जम्मू को भेजी थी। पत्र के साथ भेजी गई सीडीआर प्रदर्श-डी-221 है। प्रदर्श-डी-224 सीडीआर भी पत्र प्रदर्श-डी-223 के साथ भिजवाई गई थी। प्रदर्श-डी-225 मोबाईल नम्बर 9303848555 के CAF की प्रति है, जो पंकज दूबे के नाम से है। 65-बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श-डी-222 है, जिसमें उपरोक्त चारों मोबाईल नम्बर का उल्लेख है। पुलिस ऑथोरिटी के द्वारा दिनांक 1-5-2013 से लेकर दिनांक 31-12-2013 तक की अवधि की कॉल डिटेल्स मांगी गई थी।

96- बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियुक्त शरद चन्द की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

97- यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान उभय पक्षों की साक्ष्य अभिलेखन के समय प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों पर विरोधी पक्ष द्वारा आपत्ति उठाई गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के अग्र उद्धरित सम्माननीय विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात आपत्ति के अध्यक्षीन प्रदर्शित कराने की अनुमति दी गई थी और यह आदेश दिया गया था कि निर्णय के समय उक्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

Bipin Shantilal Panchal vs State Of Gujarat And Anr

(2001) 3 SCC 1

As pointed out earlier, on different occasions the trial judge has chosen to decide questions of admissibility of documents or other items of evidence, as and when objections thereto were raised and then detailed orders were passed either upholding or overruling such objections. The worse part is that after passing the orders the trial court waited for days and weeks for the concerned parties to go before the higher courts for the purpose of challenging such interlocutory orders.

It is an archaic practice that during the evidence collecting stage, whenever any objection is raised regarding admissibility of any material in evidence the court does not proceed further without passing order on such objection. But the fall out of the above practice is this: Suppose the trial court, in a case, upholds a particular objection and excludes the material from being admitted in evidence and then proceeds with the trial and disposes of the case finally. If the appellate or revisional court, when the same question is re-canvassed, could take a different view on the admissibility of that material in such cases the appellate court would be deprived of the benefit of that evidence, because that was not put on record by the trial court. In such a situation the higher court may have to send the case back to the trial court for recording that evidence and then to dispose of the case afresh. Why should the trial prolong like that unnecessarily on account of practices created by ourselves. Such practices, when realised through the course of long period to be hindrances which impede steady and swift progress of

trial proceedings, must be recast or re-moulded to give way for better substitutes which would help acceleration of trial proceedings.

When so recast, the practice which can be a better substitute is this: Whenever an objection is raised during evidence taking stage regarding the admissibility of any material or item of oral evidence the trial court can make a note of such objection and mark the objected document tentatively as an exhibit in the case (or record the objected part of the oral evidence) subject to such objections to be decided at the last stage in the final judgment. If the court finds at the final stage that the objection so raised is sustainable the judge or magistrate can keep such evidence excluded from consideration. In our view there is no illegality in adopting such a course. (However, we make it clear that if the objection relates to deficiency of stamp duty of a document the court has to decide the objection before proceeding further. For all other objections the procedure suggested above can be followed.) The above procedure, if followed, will have two advantages. First is that the time in the trial court, during evidence taking stage, would not be wasted on account of raising such objections and the court can continue to examine the witnesses. The witnesses need not wait for long hours, if not days. Second is that the superior court, when the same objection is re-canvassed and reconsidered in appeal or revision against the final judgment of the trial court, can determine the correctness of the view taken by the trial court regarding that objection, without bothering to remit the case to the trial court again for fresh disposal. We may also point out that this measure would not cause any prejudice to

(160)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

the parties to the litigation and would not add to their misery or expenses.

We, therefore, make the above as a procedure to be followed by the trial courts whenever an objection is raised regarding the admissibility of any material or any item of oral evidence.

98— उभय पक्षों द्वारा आपत्ति के अध्यक्षीन प्रदर्शित दस्तावेजों का विवरण निम्नलिखित पृथक पृथक तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है:-

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज पर बचाव पक्ष की ओर से की गई आपत्तियों की तालिका :-

क्र. सं.	प्रदर्श क्रमोंक	दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण	प्रदर्शित होने की प्रथम दिनांक	प्रदर्शित करने वाले साक्षी का नाम व क्रमोंक	आपत्ति का विवरण
1	प्रदर्श-पी-44	कॉल डिटेल	04.12.2014	पी. डब्ल्यू 18 जितेन्द्रसिंह	1. फोटो कॉपी 2. सर्विस प्रोवाइडर के हस्ताक्षर नहीं अतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं
2	प्रदर्श-पी-48	प्रथम सूचना रिपोर्ट	09.12.2014	पी. डब्ल्यू 20 अरविन्द बाजपेयी	फोटो कॉपी।
3	प्रदर्श-पी-70	घटना स्थल की विडियो ग्राफी की ट्रांसक्रिप्ट	24.02.2015	पी. डब्ल्यू 29 पप्पाराम	आपत्ति स्पष्ट नहीं
4	प्रदर्श-पी-82	पीडिता का बायोडेटा	22.04.2015	पी. डब्ल्यू 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	पीडिता से संबंधित दस्तावेज होने के कारण गवाह प्रदर्शित नहीं कर सकता
5	प्रदर्श-पी-83	पीडिता की	22.04.2015	पी. डब्ल्यू	पीडिता से संबंधित

(161)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र. सं.	प्रदर्श क्रमोंक	दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण	प्रदर्शित होने की प्रथम दिनोंक	प्रदर्शित करने वाले साक्षी का नाम व क्रमोंक	आपत्ति का विवरण
		शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित रिकॉर्ड		41 श्रीमती मुक्ता पारीक	दस्तावेज होने के कारण गवाह प्रदर्शित नहीं कर सकता
6	प्रदर्श-पी-88 से लगातार प्रदर्श-पी-102	पीएस अडालस साबरमति से प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियाँ	04.06.2015	पी. डब्ल्यू. 38 बाबूसिंह	दस्तावेज गुजराती में
7	प्रदर्श-पी-107	पीडिता के हाईस्कूल सर्टिफिकेट की प्रति	14.05.2015	पी. डब्ल्यू. 35 नितिन दवे	साक्ष्य में ग्राह्य नहीं
8	प्रदर्शपी-107ए	पीडिता का हाईस्कूल सर्टिफिकेट मूल	04.06.2015	पी. डब्ल्यू. 35 नितिन दवे	गवाह द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं
9	प्रदर्श-पी-108	पीडिता की सातवी कक्षा की अंकतालिका	01.06.2015	पी. डब्ल्यू. 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	पीडिता से संबंधित दस्तावेज होने के कारण गवाह प्रदर्शित नहीं कर सकता
10	प्रदर्श-पी-109	पीडिता की आठवी कक्षा की अंकतालिका	01.06.2015	पी. डब्ल्यू. 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	पीडिता से संबंधित दस्तावेज होने के कारण गवाह प्रदर्शित नहीं कर सकता
11	प्रदर्श-पी-110	पीडिता की नवमी कक्षा का प्रगति पत्र	01.06.2015	पी. डब्ल्यू. 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	पीडिता से संबंधित दस्तावेज होने के कारण गवाह प्रदर्शित नहीं कर सकता
12	प्रदर्श-पी-111	पीडिता की हाई स्कूल प्रमाण पत्र की अंकसूची की प्रमाणित प्रति	01.06.2015	पी. डब्ल्यू. 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	पीडिता से संबंधित दस्तावेज होने के कारण गवाह प्रदर्शित नहीं कर सकता

(162)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

क्र. सं.	प्रदर्श क्रमोंक	दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण	प्रदर्शित होने की प्रथम दिनोंक	प्रदर्शित करने वाले साक्षी का नाम व क्रमोंक	आपत्ति का विवरण
13	प्रदर्श-पी-112	पीडिता की ग्यारहवीं कक्षा का प्रगति पत्र	01.06.2015	पी. डब्ल्यू 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	पीडिता से संबंधित दस्तावेज होने के कारण गवाह प्रदर्शित नहीं कर सकता
14	प्रदर्श-पी-113	पीडिता का का भ्रमण सम्बन्धी वर्ष 2012-2013 का दस्तावेज	01.06.2015	पी. डब्ल्यू 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	फोटो प्रतियाँ असल नहीं
15	प्रदर्शपी-114	पीडिता की अगस्त, 2013 का उपस्थिति विवरण	01.06.2015	पी. डब्ल्यू-41 श्रीमती मुक्ता पारिक	फोटो प्रति होने से
16	प्रदर्शपी-115	पीडिता का बीमारी सम्बन्धी विवरण	1-6-2015	पी. डब्ल्यू 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	फोटो प्रति होने से
17	प्रदर्श-पी-116	पीडिता को अस्पताल में दिखाये जाने सम्बन्धी इलाज की इलाज की फोटो प्रति	1-6-2015	पी. डब्ल्यू 41 श्रीमती मुक्ता पारीक	फोटो प्रति होने से
18	प्रदर्श-पी-129	रिलायंस कम्पनी के नोडल आफिसर को लिखा पत्र	17-7-2015	पी. डब्ल्यू 43 श्रीमती चंचल मिश्रा	कम्प्यूटर प्रति होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं
19	प्रदर्श-पी-130 से पी-133	पाई बोर्ड चार्ट	20-7-2015	पी. डब्ल्यू 43 श्रीमती चंचल मिश्रा	फोटो प्रति होने से
20	प्रदर्श-पी-134 से पी-138	पाई बोर्ड चार्ट	21-7-2015	पी. डब्ल्यू 43 श्रीमती चंचल मिश्रा	फोटो प्रति होने से

(163)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

99- गवाह पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा द्वारा पी. डब्ल्यू-41 मुक्ता पारीक द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित समस्त दस्तावेजात को पुनः प्रदर्शित किया है। उक्त दस्तावेजात पर गवाह द्वारा दस्तावेज प्राप्ति बाबत एण्डोर्समेंट नहीं किये जाने पर गवाह के उक्त दस्तावेजों के सम्बन्ध में किये गये कथनों को साक्ष्य में नहीं पढे जाने की आपत्ति भी बचाव पक्ष के द्वारा की गई है।

100- अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों पर बचाव पक्ष द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

(1)- **प्रदर्श-पी-44 कॉल डिटेल रिकार्ड** -

दिनांक 04-02-2014 को पी. डब्ल्यू-18 जितेन्द्रसिंह के मुख्य परीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज को अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त गवाह से प्रदर्शित करवाते समय बचाव पक्ष द्वारा यह आपत्ति की गई कि उक्त दस्तावेज फोटो कॉपी है। इस पर सर्विस प्रोवाइडर के हस्ताक्षर नहीं है। अतः इसे साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष का यह कथन रहा है कि उक्त असल कॉल डिटेल है। अतः साक्ष्य में प्रदर्शित की जा सकती है। मेरे विनम्र मत में स्वयं गवाह ने स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज पूर्णतया सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी गई कॉल डिटेल नहीं है। वरन फिल्टर कॉपी है। असल इसके पीछे लगी है। अतः धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित किये जाने योग्य नहीं है। अतः बचाव पक्ष की आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(2)- **प्रदर्श-पी-48 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति** :-

उक्त दस्तावेज दिनांक 9-12-2014 को पी. डब्ल्यू-20 श्री अरविन्द बाजपेयी द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा यह आपत्ति की गई कि उक्त दस्तावेज फोटो कॉपी है। अतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियोजन पक्ष का कथन रहा है कि यह पुलिस थाने द्वारा मुस्तगिस को दी गई प्रति है तथा इस पर मुस्तगिस के हस्ताक्षर भी है। अतः साक्ष्य में प्रदर्शित किये जाने योग्य है। मैंने

(164)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

दस्तावेज का अवलोकन किया। उक्त दस्तावेज पर थाना कोतवाली शाहजहाँपुर की सील लगी है तथा हस्ताक्षर भी है। अतः इसे मात्र फोटो कॉपी नहीं कहा जा सकता। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(3)- **प्रदर्श-पी-70 घटना स्थल की वीडियोग्राफी की ट्रान्सक्रिप्ट :-**

उक्त दस्तावेज दिनांक 24-02-2015 को पी. डब्ल्यू-29 पप्पाराम के बयान के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया। अभियुक्त पक्ष ने उक्त प्रिंट आउट को प्रदर्शित करवाने पर आपत्ति की। यह उल्लेखनीय है कि गवाह फर्द ट्रान्सक्रिप्ट प्रदर्शपी-69 का मौतबिर गवाह है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के पूर्व पीड़िता का कुटिया का विवरण पूछा गया व वीडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त वीडियोग्राफी की सीडी को लेपटॉप पर चला कर पीड़िता के द्वारा बताये गये घटनास्थल के हालात के विवरण को कम्प्यूटर पर टाईप करवाया जा कर प्रिन्ट आउट निकाला गया व इसकी फर्द प्रदर्शपी-69 बनाई गई। उक्त प्रिन्ट आउट भी फर्द ट्रान्सक्रिप्शन का ही भाग है। अतः प्रदर्शपी-69 का मौतबिर होने के नाते पी. डब्ल्यू-29 पप्पाराम को इस प्रिन्ट आउट को साक्ष्य में प्रदर्शित करने का अधिकार है। अतः इस सम्बन्ध में आपत्ति निराधार होने से अस्वीकार की जाती है।

(4)- **प्रदर्श-पी-82 पीड़िता का बायोडाटा, एवं प्रदर्श-पी-83 पीड़िता की शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित रिकार्ड :-**

दिनांक 22-4-2015 को पी. डब्ल्यू-41 मुक्ता पारीक की साक्ष्य के दौरान श्रीमती मुक्ता पारीक द्वारा उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाने पर बचाव पक्ष की ओर से यह आपत्ति उठाई गई थी कि पीड़िता से सम्बन्धित दस्तावेज होने के कारण गवाह इन्हें प्रदर्शित नहीं करवा सकती है।

मेरे विनम्र मत में उक्त दोनों दस्तावेज प्रदर्श-पी-84 के साथ विवेक शर्मा द्वारा दौराने अनुसन्धान पी. डब्ल्यू-41 श्रीमती मुक्ता पारीक

(165)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

को सहायक अनुसन्धान अधिकारी के रूप में अनुसन्धान अधिकारी के निर्देशों के तहत काम करते हुए दिये गये थे। पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा ने भी यही कथन किया है। उक्त दस्तावेज दिनांक 11-3-2015 को पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में पी. डब्ल्यू-41 श्रीमती मुक्ता द्वारा इन्हें पुनः प्रदर्शित किये जाने पर उठाई गई आपत्ति सारहीन है। अतः बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(5)- प्रदर्श-पी-88 से लगातार प्रदर्श-पी-102 पीएस अडालस साबरमति से प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियाँ -

दिनांक 27-03-2015 को पी. डब्ल्यू-38 बाबूसिंह की साक्ष्य के दौरान उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाते समय बचाव पक्ष की ओर से यह आपत्ति की गई है कि उक्त दस्तावेजात गुजराती में है। अतः बिना अनुवाद के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। चूँकि उक्त दिवस तक दस्तावेजात के अनुवाद पेश नहीं किये गये थे। अतः उक्त आपत्ति स्वीकार की जाती है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेजों का अनुवाद दिनांक 21-7-2015 को मय शपथ पत्र न्यायालय में पेश कर दिये गये थे एवं उक्त दस्तावेजात को दिनांक 17-7-2015 को पी. डब्ल्यू-43 अनुसंधान अधिकारी श्रीमती चंचल मिश्रा द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित कर दिया गया है।

(6)- प्रदर्श-पी-107-ए पीडिता का हाई स्कूल सर्टिफिकेट मूल व प्रदर्श-पी-107 पीडिता के हाई स्कूल सर्टिफिकेट की प्रति :-

उक्त दोनों दस्तावेज क्रमशः दिनांक 4-6-2015 व 14-5-2015 को पी. डब्ल्यू-35 नितिन दवे द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित किये गये थे जिन पर यह आपत्ति उठाई गई थी कि उक्त दस्तावेज गवाह से सम्बन्धित नहीं हैं, अतः उक्त दस्तावेज उक्त गवाह द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किये जा सकते हैं।

मेरे विनम्र मत में उक्त दस्तावेज मध्य प्रदेश बोर्ड आफ सैकेण्डरी

(166)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

एजुकेशन भोपाल द्वारा जारी किये गये दस्तावेज हैं जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। अतः उक्त राजकीय संस्था द्वारा जारी उक्त दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों दस्तावेजात् पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा ने दिनांक 14-7-2015 को साक्ष्य में उपस्थित होकर प्रदर्शित करवा दिये हैं। अतः बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

(7)- **प्रदर्श-पी-108 लगायत प्रदर्श-पी-111** -

पीड़िता की शिक्षा से सम्बन्धित मार्क शीट आदि, सन्त श्री आसाराम गुरुकुल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल छिन्दवाड़ा के दस्तावेज हैं, जिन्हें पी. डब्ल्यू-41 मुक्ता पारीक ने दिनांक 1-6-2015 को साक्ष्य में प्रदर्शित किये है। बचाव पक्ष की यह आपत्ति रही है कि उक्त दस्तावेज के Contents इस गवाह द्वारा साबित नहीं किये जा सकते हैं। चूंकि उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित करने पर आपत्ति नहीं है, उनके Contents साबित करने या नहीं करने पर आपत्ति है तो उक्त आपत्ति का निस्तारण आगामी विवेचन के दौरान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेज दिनांक 14-7-2015 को पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्रदर्शित कर दिये गये हैं एवं उक्त दस्तावेजात् पर जिरह भी की गई है।

(8)- **प्रदर्श-पी-113 लगायत प्रदर्श-पी-116** :-

उक्त दस्तावेज पीड़िता के स्कूल से सम्बन्धित दस्तावेज हैं। उक्त दस्तावेजात् को भी पी. डब्ल्यू-41 श्रीमती मुक्ता पारीक द्वारा दिनांक 1-6-2015 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा यह आपत्ति की गई है कि उक्त दस्तावेज फोटो प्रतियां/कम्प्यूटर प्रिन्ट हैं, असल नहीं हैं, अतः प्रदर्शित नहीं किये जा सकते हैं। इस पर अभियोजन पक्ष का यह कथन है कि प्रदर्श-पी-113 से प्रदर्श-पी-115 तक कम्प्यूटर द्वारा निकाले गये दस्तावेज हैं जिन पर गुरुकुल के प्रिन्सिपल के असल हस्ताक्षर व मोहर हैं तथा प्रदर्श-पी-116 फोटो प्रति

(167)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

है जिस पर भी प्रिन्सिपल के असल हस्ताक्षर व मोहर है।

मेरे विनम्र मत में बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है क्योंकि गवाह के बयानों के मुताबिक उक्त दस्तावेज उसे प्रिन्सिपल श्री विवेक शर्मा द्वारा जारी कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त विवेक शर्मा पी. डब्ल्यू-33 ने स्वयं साक्ष्य में उपस्थित होकर दिनांक 14-7-2015 को उक्त दस्तावेजात् को प्रदर्शित किया है। अतः बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

(9)- **प्रदर्श-पी-129 रिलायंस कम्पनी के नोडल ऑफिसर को लिखा पत्र :-**

पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा द्वारा दिनांक 17-7-2015 को मुख्य परीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाते समय बचाव पक्ष द्वारा यह आपत्ति ली गई कि यह दस्तावेज असल नहीं है। कम्प्यूटर प्रति है। अतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि दस्तावेज कम्प्यूटर से लिया गया है, प्रिन्ट आउट है। अतः साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य है। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। उक्त दस्तावेज को श्रीमती चंचल मिश्रा अनुसंधान अधिकारी ने हस्ताक्षरित कर शामिल पत्रावली किया है। अतः उक्त दस्तावेज वह साक्ष्य में प्रदर्शित कर सकती है। जहाँ तक साबित करने का प्रश्न है, यह आगे विश्लेषण में तय किया जाएगा। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(10)- **प्रदर्श-पी-130 से 138 पाई बोर्ड चार्ट :-**

पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा की साक्ष्य के दौरान दिनांक 20-7-2015 व 21-7-2015 को उक्त दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाते समय बचाव पक्ष के द्वारा यह आपत्ति ली गई कि उक्त दस्तावेजात् असल नहीं है, फोटो प्रतियाँ हैं एवं प्रदर्शपी-44 के आधार पर तैयार किये गये हैं, जो स्वयं आपत्ति के अध्यक्षीन है। अभियोजन पक्ष का यह कथन है कि उक्त कम्प्यूटर प्रिन्ट के आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्वयं तैयार किये गये हैं। अतः साक्ष्य में ग्राह्य है।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। गवाह ने अपने

(168)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बयान में मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल्स प्राप्त कर अनुसंधान को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य के लिए रिलेवेंट कन्वर्शेशन को विदाउट आल्टरिंग कॉल डिटेल्स को कम वार कर एक चार्ट पृथक से तैयार करना कहा है, जो उक्त पाई बोर्ड चार्ट है। चूंकि उक्त दस्तावेज स्वयं गवाह द्वारा तैयार करवाये गये हैं एवं उसके द्वारा हस्ताक्षरित कर शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन किया गया है। अतः वह इन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित कर सकती है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

101— बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से की गई आपत्तियों की तालिका:—

क्र. सं.	प्रदर्श क्रमोंक	दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण	प्रदर्शित होने की प्रथम दिनांक	प्रदर्शित करने वाले साक्षी का नाम व क्रमोंक	आपत्ति का विवरण
1	प्रदडी-4	एनजीओ रिपोर्ट	22.5.2014	पी. डब्ल्यू-5 "सु"	पूर्ववर्ती कथन की श्रेणी में न आने के कारण गवाह से कन्फ्रन्ट नहीं करवा सकते
2	प्रदडी-6	प्रवेश फार्म श्रीशंकर मुमुक्षु विद्यापीठ	13.6.2014	पी. डब्ल्यू-5 "सु"	असल दस्तावेज नहीं होने से
3	प्रदर्शडी-7	रजिस्ट्रेशन फार्म श्रीशंकर मुमुक्षु विद्यापीठ	13.6.2014	पी. डब्ल्यू-5 "सु"	असल दस्तावेज नहीं होने से

(169)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

4	प्रदर्शनी-8	स्कॉलर रजिस्टर श्रीशकरं मुमुक्षु विद्यापीठ	13.6.2014	पी. डब्ल्यू-5 "सु"	असल दस्तावेज नहीं होने से
5	प्रदर्शनी-9 लगायत प्रदर्शनी-13	शपथ पत्र करमवीरसिंह	13.6.2014	पी. डब्ल्यू-5 "सु"	असल दस्तावेज नहीं होने से
6	प्रदर्शनी-16	जन्म प्रमाण पत्र	08.10.2014	पी. डब्ल्यू- 12 सुनितासिंह	गवाह के द्व ारा तैयार नहीं किये जाने के कारण
7	प्रदर्शनी-20	उप संभागीय परिवहन अधिकारी का फोर्वाडिंग पत्र	15.11.2014	पी. डब्ल्यू- 12 सुनितासिंह	इस दस्तावेज पर आपत्तियों के अध्यक्षीन दस्तावेज प्रदर्शित किये जाना अंकित है, किन्तु पी. डब्ल्यू-12 सुनिता सिंह के बयानों के दौरान उक्त दस्तावेज के प्रदर्शित किये जाने बाबत अभियोजन पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई व उक्त

(170)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

					दस्तावेज पर गवाह ने अपने पुत्र गवाह ने अपने पुत्र सोमवीर की फोटो लगी होना पहचान की है।
8	प्रदर्शनी-38	टीका रजिस्टर में प्रविष्टियाँ	21.11.2014	पी. डब्ल्यू. -12 सुनितासिंह	आपत्ति स्पष्ट नहीं की
9	प्रदर्शनी-39	सर्वे रजिस्टर की प्रति	21.11.2014	पी. डब्ल्यू. -12 सुनितासिंह	आपत्ति स्पष्ट नहीं की
10	प्रदर्शनी-40	राशन कार्ड आवेदन पत्र	21.11.2014	पी. डब्ल्यू. -12 सुनितासिंह	आपत्ति स्पष्ट नहीं की
11	प्रदर्शनी-41	पोषाहार रजिस्टर की प्रति	21.11.2014	पी. डब्ल्यू. -12 सुनितासिंह	आपत्ति स्पष्ट नहीं की
12	प्रदर्शनी-44	प्रदर्शनी-40 की रंगीन प्रति	25.11.2014	पी. डब्ल्यू. -12 सुनितासिंह	आरटीआई से जारी नहीं गवाह के हस्ताक्षर नहीं
13	प्रदर्शनी-45	जामा तलाशी सामान संचिता व शिल्पी	पी. डब्ल्यू. -16 संदीप कुमार	2.12.2014	फोटो प्रति असल नहीं
14	प्रदर्शनी-47	शिशु पंजिकरण एवं स्थानान्तरण	12.12.2014	पी. डब्ल्यू. -20 अरविन्द	फोटो प्रति साक्ष्य में

(171)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

		की फोटो प्रति		बाजपेयी	ग्राह्य नहीं
15	प्रदर्शनी-60	फोटोग्राफ	06.01.2015	पी. डब्ल्यू. -21 करमवीरसिंह	न्यायालय के किसी कर्मचारी, अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं
16	प्रदर्शनी-61	फोटोग्राफ	06.01.2015	पी. डब्ल्यू. -21 करमवीरसिंह	न्यायालय के किसी कर्मचारी, अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं
17	प्रदर्शनी-75	पोषाहार केन्द्र के रजिस्टर की प्रति	08.01.2015	पी. डब्ल्यू. -21 करमवीरसिंह	आपत्ति स्पष्ट नहीं
18	प्रदर्शनी-81 व 81-ए	राशन कार्ड का विवरण	13.1.2015	पी. डब्ल्यू. -21 करमवीरसिंह	नेट से निकाली गई कॉपी
19	प्रदर्शनी-99	शपथ पत्र शैलेस कुमार	18.9.2015	पी. डब्ल्यू.- चंचलमिश्रा	फोटा प्रति होने से
20	प्रदर्शनी-10 0/1 लगायत प्रदर्शनी-10 0/7	वेसाईट से निकाली वेदर रिपोर्ट	21.09.2015	पी. डब्ल्यू. -43 चंचल मिश्रा	फोटो प्रति
21	प्रदर्शनी-10 1 लगायत प्रदर्शनी-10 6	सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज की फोटो प्रतियाँ	22.09.2015	पी. डब्ल्यू. -43 चंचल मिश्रा	पब्लिक दस्तावेज नहीं होने के कारण साक्ष्य में

(172)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

					ग्राह्य नहीं।
22	प्रदर्शनी-10 7 लगायत प्रदर्शनी-11 1	कॉल डिटेल	22.09.2015	पी. डब्ल्यू. -43 चंचल मिश्रा	65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं।
23	प्रदर्शनी-11 7	टीचर एप्लीकेशन फार्म पंकज दूबे का	26.9.2015	पी. डब्ल्यू. -43 चंचल मिश्रा	लिखावट व फोटो ज्ञात नहीं है।
24	प्रदर्शनी-11 8	कस्टमर एप्लीकेशन फार्म	26.9.2015	पी. डब्ल्यू. -43 चंचल मिश्रा	फोटो प्रति
25	प्रदर्शनी-12 2	उर्दु दस्तावेज प्रदर्शनी-113 का अंगेजी अनुवाद	26.9.2015	पी. डब्ल्यू. -43 चंचल मिश्रा	प्रमाण पत्र देने वाला व्यक्ति अधिकृत है या नहीं
26	प्रदर्शनी-12 3	प्रमाण पत्र	26.9.2015	पी. डब्ल्यू. -43 चंचल मिश्रा	प्रमाण पत्र देने वाला व्यक्ति अधिकृत है या नहीं
27	प्रदर्शनी-12 9	मालखाना रजिस्टर की फोटो प्रति	28.10.2015	पी. डब्ल्यू. -43 चंचल मिश्रा	फोटो प्रति होने व मूल दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित हो जाने के कारण
28	प्रदर्शनी-13 2	नोडल ऑफिसर की सूचि	05.08.2016	पी. डब्ल्यू. -44 विनय कुमार शर्मा	सूचि सत्यापित व हस्ताक्षरित न होने के

(173)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

					कारण
29	प्रदर्श-डी-1 33 से डी-141	फोटोग्राफ्स पीड़िता	22-11-20 16	डी. डब्ल्यू. 1 चारूल अरोड़ा	साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण

102- अब अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव पक्ष के दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियों पर प्रदर्शवार विचार किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष की आपत्तियों का निस्तारण निम्नप्रकार किया जाता है। इन आपत्तियों पर भी उभय पक्षों को अन्तिम बहस के दौरान सुना गया है।

(1)- **प्रदर्श-डी-4 एनजीओ रिपोर्ट :-**

उक्त दस्तावेज को पीडब्ल्यू-5 "सु" की साक्ष्य के समय जिरह के दौरान दिनांक 22-5-2014 को बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस दस्तावेज के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की यह आपत्ति रही है कि उक्त दस्तावेज पूर्ववर्ती कथन की श्रेणी में न आने के कारण गवाह से कन्फ्रन्ट नहीं करवा सकते। बचाव पक्ष का यह कथन है कि चूँकि गवाह के बताये अनुसार उक्त रिपोर्ट अंकित की गई है। अतः यह रिपोर्ट धारा 145 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व कथन की श्रेणी में आती है।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया। उक्त दस्तावेज थानाधिकारी, कमला मार्केट थाना, नई दिल्ली को पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर को प्रेषित रिपोर्ट है, न कि पीड़िता का स्टेटमेंट। पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर ने न्यायालय के समक्ष हुए कथनों में स्पष्ट किया है कि पीड़िता जो बातें बताती गई उनमें से जो रीलेवेंट लगा उसमें से उसने अपने हिसाब से तय किया एवं अपनी भाषा में लिखा। वह संक्षिप्त रिपोर्ट देना कहती है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट प्रदर्शडी-4 को पीड़िता का पूर्ववर्ती स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इसमें न तो

(174)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

वो सारे तथ्य हैं, जो उसके द्वारा किरण झा ठाकुर को बताये गये एवं न ही उसकी स्वयं की भाषा है। अतः आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(2)- **प्रदर्श-डी-6, प्रदर्श-डी-7 व प्रदर्श-डी-8 :-**

उक्त तीनों दस्तावेजों को पी. डब्ल्यू-5 "सु" की साक्ष्य के समय जिरह के दौरान उसे दिखा कर बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इन दस्तावेजों के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की यह आपत्ति रही है कि उक्त दस्तावेज असल दस्तावेज नहीं हैं, अतः इन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

चूंकि उक्त दस्तावेजात् पर कर्मवीरसिंह के हस्ताक्षर पहचानने से पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने इन्कार कर दिया है, अतः इन्हें प्रदर्शित कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः अभियोजन पक्ष की उक्त आपत्तियां स्वीकार की जाती हैं, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि उक्त तीनों दस्तावेजों के असल डी. डब्ल्यू-5 जया कामत ने साक्ष्य में प्रदर्शित करवा दिये हैं, अतः उक्त दस्तावेज रिकार्ड पर रखे जाने योग्य हैं।

(3)- **प्रदर्श-डी-9 लगायत प्रदर्श-डी-13 शपथ पत्र कर्मवीरसिंह :-**

चूंकि उक्त दस्तावेजों पर भी पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने कर्मवीरसिंह के हस्ताक्षर नहीं पहचाने थे, अतः इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा की गई आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य थी किन्तु तत्पश्चात् पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह ने जिरह के दौरान उक्त दस्तावेजों पर अपने पति के हस्ताक्षर पहचाने हैं एवं पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह ने भी उक्त दस्तावेजात् पर अपने हस्ताक्षर पहचाने हैं और डी. डब्ल्यू-5 जया कामत ने साक्ष्य में उपस्थित होकर उक्त दस्तावेज स्वयं की उपस्थिति में कर्मवीरसिंह द्वारा दिया जाना बताया है एवं विद्यालय रिकार्ड से आना बताया है। अतः उक्त दस्तावेज जो कि एक ही दस्तावेज के पांच पन्ने हैं, प्रदर्शित हो चुके हैं।

(4)- **प्रदर्श-डी-16 जन्म प्रमाण पत्र कर्णवीर तथा प्रदर्श-डी-20 सोमवीरसिंह**

(175)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

के लाईसेन्स के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी का अग्रेषण पत्र**मय सूचना :-**

पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह को दिनांक 8-10-2014 को जिरह के दौरान प्रदर्श-डी-16 दिखा कर प्रश्न पूछे गये थे। गवाह ने उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की। अतः उक्त गवाह से यह दस्तावेज प्रदर्शित करवाने बाबत आपत्ति स्वीकार की जाती है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज डी. डब्ल्यू.-28 डा. अमित कुमार ने साक्ष्य में उपस्थित होकर प्रदर्शित करवा दिया है।

प्रदर्श-डी-20 दस्तावेज दिनांक 15-11-2014 को पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह को जिरह में दिखा कर प्रश्न पूछे गये थे। उसने इस दस्तावेज से अनभिज्ञता जाहिर की। हालाँकि उस पर लगी अपने पुत्र की फोटो पहचानी थी। अतः अभियोजन पक्ष की आपत्ति इस सम्बन्ध में स्वीकार की जाती है किन्तु उक्त दस्तावेज पी. डब्ल्यू.-25 रामवचन सम्भागीय निरीक्षक, ए.आर.टी.ओ. आफिस शाहजहांपुर ने साक्ष्य में उपस्थित होकर दस्तावेज की असल प्रदर्श-डी-20-बी पेश कर प्रदर्शित प्रदर्शित करवा दिया है, जो रिकार्ड पर है।

(5)- प्रदर्श-डी-38 टीकाकरण रजिस्टर में प्रविष्टियां :-

उक्त दस्तावेज पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह को दिनांक 21-11-2014 को प्रदर्शित किया गया है। अभियोजन पक्ष को उक्त दस्तावेज पर क्या आपत्ति थी, यह दौराने बहस अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया है। उक्त दस्तावेज राजकीय अधिकारी के असल हस्ताक्षर व सील सहित जारी दस्तावेज है। अतः अभियोजन पक्ष की इस दस्तावेज के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(6)- प्रदर्श-डी-39 सर्वे रजिस्टर की प्रति :-

उक्त दस्तावेज पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह को दिनांक 21-11-2014 को प्रदर्शित किया गया है। अभियोजन पक्ष को उक्त दस्तावेज पर क्या आपत्ति थी, यह दौराने बहस अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया है।

(176)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उक्त दस्तावेज राजकीय अधिकारी के असल हस्ताक्षर व सील सहित जारी दस्तावेज है। अतः अभियोजन पक्ष की इस दस्तावेज के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(7)- प्रदर्श-डी-40 व प्रदर्श-डी-44 राशन कार्ड आवेदन पत्र :-

चूंकि डी. डब्ल्यू-26 उदयसिंह ने साक्ष्य में उपस्थित होकर उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है तथा इस सम्बन्ध में उसके कार्यालय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मूल रजिस्टर पर सम्बन्धित प्रविष्टि प्रदर्श-डी-216 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है, अतः अभियोजन पक्ष की उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाने से सम्बन्धित आपत्ति सारहीन है जो अस्वीकार की जाती है।

(8)- प्रदर्श-डी-41 पोषाहार रजिस्टर की प्रतिलिपिकार

उक्त दस्तावेज पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह को दिनांक 21-11-2014 को प्रदर्शित किया गया है। अभियोजन पक्ष को उक्त दस्तावेज पर क्या आपत्ति थी, यह दौराने बहस अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया है। उक्त दस्तावेज राजकीय अधिकारी के असल हस्ताक्षर व सील सहित जारी दस्तावेज है। अतः अभियोजन पक्ष की इस दस्तावेज के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(9)- प्रदर्श-डी-45 जामा तलाशी सामान संचिता व शिल्पी:-

उक्त दस्तावेज पी. डब्ल्यू-16 संजीव कुमार की साक्ष्य के दौरान दिनांक 02-12-2015 को बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्शित करवाया गया है, जिस पर अभियोजन पक्ष की यह आपत्ति रही है कि उक्त दस्तावेज फोटो प्रति है, असल नहीं है। बचाव पक्ष का कथन रहा है कि यह वह प्रति है, जो चालान के साथ उन्हें प्राप्त हुई है। अतः प्रदर्श अंकित किया जाए। उक्त दस्तावेज फोटो कॉपी है। अतः उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(10)- प्रदर्श-डी-47 शिशु पंजीकरण एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति :-

उक्त दस्तावेज पी. डब्ल्यू-20 अरविन्द वाजपेई को दिनांक

(177)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

12-12-2014 को जिरह के दौरान दिखाया गया। अभियोजन पक्ष की आपत्ति थी कि फोटो प्रति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, किन्तु पी. डब्ल्यू.-20 अरविन्द वाजपेई ने उक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। लिहाजा अभियोजन पक्ष की इस दस्तावेज के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति निरस्त की जाती है।

(11)- प्रदर्श-डी-60 व प्रदर्श-डी-61 फोटोग्राफ की प्रमाणित प्रतिलिपियां :-

दिनांक 6-1-2015 को पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह की जिरह के दौरान उक्त दोनों दस्तावेज कर्मवीरसिंह को दिखा कर जिरह किये जाने के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि उक्त दोनों प्रमाणित प्रतिलिपियों पर न्यायालय के किसी कर्मचारी, अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। चूंकि उक्त दस्तावेजात् पर हेड कॉपिस्ट (मुख्य प्रतिलिपिकार) के हस्ताक्षर होना दृष्टिगोचर हो रहा है, अतः उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि होने से अभियोजन पक्ष की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(12)- प्रदर्श-डी-75 पोषाहार केन्द्र के रजिस्टर की प्रति :-

उक्त दस्तावेज दिनांक 8-1-2015 को पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया था। चूंकि उक्त दस्तावेज महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी समालखा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मय अग्रेषण पत्र प्रेषित किया गया है, अतः इसके सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(13)- प्रदर्श-डी-81 व 81-ए राशन कार्ड का विवरण :-

उक्त दस्तावेजात् दिनांक 13-01-2015 को पी. डब्ल्यू.-21 करमवीर सिंह को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि उक्त दस्तावेज नेट से निकाली गई कॉपी है। हमने दस्तावेज का अवलोकन किया एवं पी. डब्ल्यू.-21 करमवीर सिंह के इस सम्बन्ध में हुए कथनों का भी अवलोकन किया। हालांकि उक्त दस्तावेज पर अपर आयुक्त शाहजहाँपुर

(178)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

की सील लगी हुई है, किन्तु गवाह ने उक्त दस्तावेज को स्वयं का होने से इनकार किया है। अतः उक्त गवाह से यह दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया जा सकता। आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(14)- **प्रदर्श-डी-99 शपथ पत्र शैलेश कुमार :-**

उक्त दस्तावेजात दिनांक 18-09-2015 को पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि यह फोटो प्रति है। चूँकि गवाह ने उक्त फोटो प्रति का मूल स्वयं को प्राप्त होने से इनकार नहीं किया है। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(15)- **प्रदर्श-डी-100/1 लगायत प्रदर्श-डी-100/7 वेवसाईट से निकाली गई वेदर रिपोर्ट :-**

उक्त दस्तावेजों को दिनांक 21-09-2015 को पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि ये फोटो प्रति है। हमने उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया। उक्त दस्तावेज वेव साईट से निकाली गई वेदर रिपोर्ट है। किन्तु इसके साथ धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित किये जाने योग्य नहीं होने से आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(16)- **प्रदर्श-डी-101 लगायत प्रदर्श-डी-106 सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज की फोटो प्रतियाँ :-**

उक्त दस्तावेजों को दिनांक 22-09-2015 को पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि ये पब्लिक दस्तावेज नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। चूँकि उक्त दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत राजकीय कार्यालय से प्राप्त किये गये हैं। अतः साक्ष्य में ग्राह्य है। आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(179)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

(17)- प्रदर्श-डी-107 लगायत प्रदर्श-डी-111 कॉल डिटेल :-

उक्त दस्तावेजों को दिनांक 22-09-2015 को पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं है। उक्त दस्तावेज अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जम्मू के न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपियाँ हैं, जो साक्ष्य में प्रदर्शित किये जाने योग्य उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(18)- प्रदर्श-डी-117 टीचर एप्लीकेशन फार्म पंकज दूबे का :-

उक्त दस्तावेज को दिनांक 26-09-2015 को पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि इसकी लिखावट व फोटो ज्ञात नहीं है। हमने दस्तावेज व इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा के कथनों का अवलोकन किया। उक्त दस्तावेज न तो अनुसंधान अधिकारी से सम्बन्धि है। न ही उसने उस पर हुए हस्ताक्षर ही पहचाने हैं। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह से यह दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया जा सकता है। आपत्ति स्वीकार की जाती हैं।

(19)- प्रदर्श-डी-118 कस्टमर एप्लीकेशन फार्म :-

उक्त दस्तावेज को दिनांक 26-09-2015 को पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि ये फोटो प्रति है। आपत्ति उचित है स्वीकार की जाती है।

(20)- प्रदर्श-डी-122 उर्दू दस्तावेज प्रदर्श-डी-113 का अंग्रेजी अनुवाद एवं प्रदर्श-डी-123 प्रमाण पत्र :-

उक्त दस्तावेजों को दिनांक 26-09-2015 को पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि प्रमाण पत्र

(180)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

देने वाला व्यक्ति अधिकृत है या नहीं। किन्तु वे यह नहीं बता पाए हैं कि प्रमाण पत्र देने वाला व्यक्ति किन कारणों से अधिकृत नहीं है। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(21)- **प्रदर्श-डी-129 मालखाना रजिस्टर की प्रति :-**

उक्त दस्तावेजों को दिनांक 28-10-2015 को पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन पक्ष की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि फोटो प्रति है व मूल दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित हो चुका है। चूँकि उक्त दस्तावेज मात्र फोटो प्रति है। इस पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापन नहीं है। अतः आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(22)- **प्रदर्श-डी-132 नोडल ऑफिसर की सूची :-**

उक्त दस्तावेज को दिनांक 05-08-2016 को पी. डब्ल्यू-44 विनय कुमार शर्मा को साक्ष्य के दौरान जिरह में दिखाया गया। उक्त दस्तावेज पर अभियोजन की यह आपत्ति रही है कि सूची सत्यापित व हस्ताक्षरित नहीं है। उक्त दस्तावेज इन्टरनेट डाउनलोड कॉपी सूची नोडल आफिसर के अनुवान से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। चूँकि इसे इन्टरनेट से डाउनलोड बताया गया है एवं धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से उक्त आपत्ति स्वीकार की जाती है।

(23)- **प्रदर्श-डी-133 लगायत प्रदर्श-डी-141 फोटोग्राफ्स पीड़िता :-**

उक्त समस्त फोटोग्राफ्स को डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोडा ने मुख्य परीक्षण के दौरान दिनांक 22-11-2016 को साक्ष्य में प्रदर्शित करना चाहा, जिस पर परिवादी को आपत्ति थी, गवाह ने उक्त फोटोग्राफ्स पीड़िता द्वारा उसे वाट्सअप व फेस बुक पर भेजना कहा है। चूँकि उक्त फोटोग्राफ्स के साथ धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः आपत्ति स्वीकार की जाती है।

103- उपरोक्त विवेचनानुसार साक्ष्य के दौरान दस्तावेजों को प्रदर्शित

(181)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

किये जाने के सम्बन्ध में उभयपक्षों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष के जिन दस्तावेजों के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ स्वीकार की गई हैं, उनका विवरण निम्नलिखित है:-

- 1- प्रदर्शपी-44 कॉल डिटेल्
- 2- प्रदर्शपी-88 से लगायत प्रदर्शपी-102 पीएस अडालस साबरमति से प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियाँ

104- बचाव पक्ष के जिन दस्तावेजों के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ स्वीकार की गई हैं उनका विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- प्रदर्श-डी-4 एनजीओ रिपोर्ट
- 2- प्रदर्श-डी-6 प्रवेश फार्म श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ
- 3- प्रदर्श-डी-7 रजिस्ट्रेशन फार्म श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ
- 4- प्रदर्श-डी-8 स्कॉलर रजिस्टर श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ
- 5- प्रदर्श-डी-9 लगायत प्रदर्श-डी-13 शपथ पत्र करमवीर सिंह
- 6- प्रदर्श-डी-16 जन्म प्रमाण पत्र
- 7- प्रदर्श-डी-20 उप संभागीय परिवहन अधिकारी का फोर्वर्डिंग पत्र
- 8- प्रदर्श-डी-45 जामा तलाशी सामान संचिता व शिल्पी
- 9- प्रदर्श-डी-81 व प्रदर्श-डी-81-ए राशन कार्ड का विवरण
- 10- प्रदर्श-डी-100/1 लगायत प्रदर्श-डी-100/7 वेवसाईट से निकाली गई वेदर रिपोर्ट
- 11- प्रदर्श-डी-117 टीचर एप्लीकेशन फार्म पंकज दूबे का
- 12- प्रदर्श-डी-118 कस्टमर एप्लीकेशन फार्म
- 13- प्रदर्श-डी-129 मालखाना रजिस्टर की फोटो प्रतिलिपि
- 14- प्रदर्श-डी-132 नोडल ऑफिसर की सूचि
- 15- प्रदर्श-डी-133 लगायत प्रदर्श-डी-141 फोटोग्राफ्स पीडिता

105- यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि दस्तावेज पर प्रदर्श डालने के सम्बन्ध में आपत्ति का निस्तारण आपत्ति की दिनांक के अनुसार ही किया गया है। जिन दस्तावेजों पर आपत्ति स्वीकार की गई है, वे दस्तावेज तथा तत्समय उनके विषय में आई साक्ष्य चाहे मुख्य परीक्षण में अथवा प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य में नहीं पढी जायेगी। यदि कोई दस्तावेज तत्पश्चात किसी अन्य गवाह द्वारा उचित रीति से साक्ष्य में प्रदर्शित हो गया है तो उस दस्तावेज पर एवं उससे सम्बन्धी उचित रीति से प्रदर्शित होने की पश्चात की साक्ष्य पर न्यायालय विचार करेगा।

(182)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

106- उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर आई साक्ष्य पर मनन कर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन कर, उन सिद्धान्तों का अवलम्बन लेते हुए बिन्दुवार मेरे निष्कर्ष निम्नप्रकार हैं :-

प्रश्न बिन्दु संख्या 1 :-

(1)- क्या पीड़िता दिनांक 15-8-2013 को 18 वर्ष से कम उम्र की थी ? अतः लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (घ) में परिभाषित बालक की श्रेणी में आती है ?

107- अभियोक्त्री की उम्र के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष ने नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 में बालक की उम्र निर्धारित करने के लिये बनाये गये सिद्धान्तों को आधार बनाते हुए यह तर्क दिया है कि चूंकि बालिका के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श-पी-107-ए में उसकी जन्म दिनांक 4-7-1997 अंकित है तो उक्त जन्म दिनांक बालिका की आयु निर्धारित करने के लिये निश्चायक सबूत है और उसे Rebut किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय विनिश्चय "जरनैलसिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 3 SCC (Criminal) 302" में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलम्ब लिया है। उनका यह भी तर्क है कि बचाव पक्ष की ओर से धारा 34 PocsO Act (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे दिनांक 8-5-2014 के आदेश के द्वारा न्यायालय ने खारिज किया एवं उसमें यह प्रतिपादित किया कि बालिका की उम्र के लिये उसका मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र निश्चायक साक्ष्य है तथा उसे Rebut करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को सही मानते हुए रिविजन याचिका खारिज की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15-5-2014 को

(183)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कभी भी चुनौती नहीं दी गई। अतः उक्त आदेश अन्तिम हो गया एवं अब इस स्टेज पर बालिका की उम्र के बारे में कोई भी साक्ष्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श-पी-107-ए को खण्डित किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

108- अभियोजन पक्ष का यह भी तर्क है कि बालिका पी. डब्ल्यू-5 ने अपने बयानों में अपनी जन्म तिथि 4-7-1997 बताई है एवं स्वयं को दिये गये इस सुझाव से बार बार इन्कार किया है कि उसकी जन्म तिथि 4-7-1997 न होकर 6-8-1995 हो। बालिका की माता पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह जो कि बालिका की जन्म दिनांक बताने के लिये सर्वोत्तम साक्षी है, ने भी बालिका की जन्म दिनांक यही बताई है। बालिका के पिता कर्मवीरसिंह पी. डब्ल्यू-21 ने भी बालिका की जन्म दिनांक यही बताई है। अभियोजन पक्ष ने न सिर्फ मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-107-ए पेश कर साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है वरन् उसके Contents को भी साबित करवाया है। इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेज के पूर्ववर्ती दस्तावेज सरस्वती शिशु मन्दिर का प्रवेश पत्र प्रदर्श-पी-45, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-46, आयु प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-47, उक्त विद्यालय के प्राचार्य पी. डब्ल्यू-20 अरविन्द वाजपेई ने साक्ष्य में उपस्थित होकर प्रदर्शित किये हैं व साबित किये हैं। पीड़िता का सर्वप्रथम एडमीशन उसी स्कूल में करवाया गया। अतः यह सिद्ध है कि जब सर्वप्रथम बालिका का एडमीशन करवाया गया, उस समय भी उसकी जन्म दिनांक 4-7-1997 अंकित की गई थी। उक्त दस्तावेज शाहजहांपुर जाकर सरस्वती शिशु मन्दिर से लाना पी. डब्ल्यू-25 पुखदास ने साबित किया है। पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा आसाराम गुरुकुल छिन्दवाड़ा का प्रिन्सिपल है, जिसमें बालिका घटना के वक्त पढ़ती थी। उक्त गवाह ने प्रदर्श-पी-65 सर प्रताप मेमोरियल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खारखोड़ा, सोनीपत का School Leaving Certificate, प्रदर्श-पी-66 संत श्री आसाराम गुरुकुल छिन्दवाड़ा का ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदर्शित किये हैं। उक्त समस्त दस्तावेजात् में बालिका की जन्म तिथि 4-7-1997 अंकित है। अतः पत्रावली पर आई साक्ष्य से पूर्ण रूप से सिद्ध है कि दिनांक 4-7-1997 पीड़िता की जन्म तिथि है तथा

(184)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

घटना की दिनांक 15-8-2013 को वह 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका थी। उक्त साक्ष्य के खण्डन में बचाव पक्ष की ओर से जो भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह पढ़े जाने योग्य नहीं है। यह सही है कि इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कुछ दस्तावेज न्यायालय द्वारा तलब किये गये हैं लेकिन मात्र कुछ दस्तावेजात् के तलब करने से ही यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त दस्तावेजात् के माध्यम से विधि की अखण्डनीय उपधारणा का खण्डन किया जा सके।

109— बचाव पक्ष की ओर से सभी पांचों अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा बालिका की उम्र के सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य पर बहस की गई है, कमोबेश सभी के तर्क इस सम्बन्ध में एक समान हैं। अतः तर्कों के दोहराव से बचने के लिये एक ही साथ उक्त तर्कों को उद्धरित किया जा रहा है।

110— बचाव पक्ष के अधिवक्तागण ने सर्वप्रथम यह तर्क दिया है कि धारा 27 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि बालक की चिकित्सीय परीक्षा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164-क के तहत की जायेगी। धारा 164-क (2) (ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी उक्त महिला की आयु के सम्बन्ध में परीक्षण कर परीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन पी. डब्ल्यू-3 डा. शैलजा, जिसके द्वारा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कर प्रदर्शपी-1 व प्रदर्शपी-2 रिपोर्ट तैयार की गई तथा डा. राजेन्द्रसिंह पी. डब्ल्यू-4 जिसके द्वारा क्लिनिकल नोट प्रदर्शपी-12 व 3 तैयार करना बताया गया, ने पीड़िता का आयु सम्बन्धी मेडिकल परीक्षण नहीं किया है। उक्त आयु सम्बन्धी मेडिकल परीक्षण नहीं करवाने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह आवश्यक था कि पीड़िता की सर्वप्रथम आयु बाबत मेडिकल जांच की जाती जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो जाती कि पीड़िता घटना की दिनांक को बालिग थी। उक्त आयु सम्बन्धी जांच के अभाव में पीड़िता नाबालिग नहीं मानी जा सकती है। अतः इसी आधार पर अभियुक्तगण को Pocsso Act व किशोर न्याय अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाये।

(185)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

111- बचाव पक्ष के अधिवक्तागण ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में, Criminal Appeal No. 2337/2014 आसाराम उर्फ आशुमल बनाम भारत सरकार, में पारित निर्णय दिनांक 15-10-2014 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया है कि उक्त आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय जिला एवं सेशन जज, जोधपुर जिला (राज.) द्वारा इस प्रकरण में दिये गये आदेश दिनांक 29-3-2014 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29-3-2014 के विरुद्ध की गई S.B. Criminal Misc. Petition No. 796/2014 में पारित आदेश दिनांक 9-4-2014 को अपास्त करते हुए एडमीशन फार्म, रजिस्ट्रेशन फार्म, कर्मवीरसिंह का शपथ पत्र व एल.आई.सी. पॉलिसी का Proposal Form विचारण न्यायालय द्वारा तलब करने के आदेश दिये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मात्र को बालिका की उम्र का निश्चायक प्रमाण (Conclusive Proof) नहीं माना है तथा खण्डन योग्य माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने "पराग भाटी (किशोर) जरिये Legal guardian mother श्रीमती रजनी भाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, ए आई आर 2016 सु. को. 2418" के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि जहां जन्म तिथि के सम्बन्ध में कोई सन्देह या विरोधाभास हो वहां उम्र निर्धारित करने हेतु जांच किया जाना अनुज्ञेय है। हस्तगत प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों के अनुसार पी. डब्ल्यू.-5 अभियोक्त्री का मूल नाम शुभम देवी था जब उसने पहली बार श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ शाहजहांपुर में दिनांक 6-4-1999 को दाखिला लिया। तत्पश्चात् पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह ने एक शपथ पत्र देकर उसका नाम शुभम देवी से "सु" देवी परिवर्तित करवा दिया। डी. डब्ल्यू.-5 जया कामत ने साक्ष्य में उपस्थित होकर प्रदर्श-डी-6-ए लगायत प्रदर्श-डी-13-ए स्वयं के स्कूल के होना साबित किया है।

112- पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह स्वीकार करता है कि प्रदर्श-डी-6-ए, प्रदर्श-डी-7-ए व प्रदर्श-डी-9-ए लगायत प्रदर्श-डी-13-ए पर उसके हस्ताक्षर हैं। हालांकि वह प्रदर्श-डी-6-ए व प्रदर्श-डी-7-ए खाली फार्म पर हस्ताक्षर कर अपने पुत्र को देना कहता है किन्तु प्रदर्श-डी-9-ए लगायत

(186)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रदर्श-डी-13-ए स्वयं द्वारा टाईप करवा कर स्कूल में देना बताता है। यह काम वह गुप्ता जी द्वारा कहने पर करना बताता है। उक्त साक्ष्य से यह सिद्ध है कि पीड़िता का मूल नाम शुभम देवी था एवं इसी नाम से प्रदर्श-डी-6-ए व प्रदर्श-डी-7-ए फार्म भर कर श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, शाहजहांपुर में दाखिला करवाया गया जिसमें उसकी जन्म दिनांक 6-8-1995 दर्ज करवाई गई। कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से व्यावसायिक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने हस्ताक्षर किये लेकिन अन्तर्वस्तु को नहीं पढ़ा क्योंकि ऐसी उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने "Grasim India Ltd. vs. Agarwal Steel, 2009 (2) WLC 743" के सम्माननीय विनिश्चय में प्रतिपादित किया है। पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह व पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह का बार बार इस तथ्य से इन्कार करना कि उनकी पुत्री का नाम शुरु में शुभम देवी नहीं था, यह दर्शाता है कि वे जानबूझ कर अपनी पुत्री का नाम छुपाना चाहते हैं ताकि इस तथ्य को छुपा सकें कि पीड़िता का जन्म दिनांक 6-8-1995 को हुआ था तथा आक्षेपित घटना के दिन वह बालिग हो चुकी थी। डी. डब्ल्यू. 5 जया कामत श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ की प्रिन्सिपल है जिसने भी अपने बयानों में स्पष्ट किया है कि पीड़िता का पहले नाम शुभम था तथा उसने उसके विद्यालय में दिनांक 6-4-1999 को नर्सरी कक्षा में प्रवेश लिया था। वह बताती है कि कर्मवीरसिंह ने कहा कि बालिका के दादा ने उसका गांव में नाम शुभम रख दिया था किन्तु शाहजहांपुर में शहर होने से नाम शुभम लड़के का होता है, अतः वे नाम बदल कर शुभम से "सु" देवी करना चाहते हैं। मां बाप के निवेदन पर शुभम देवी का नाम एस. आर. रजिस्टर में "सु" परिवर्तित कर दिया था। पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री शंकर मुमुक्षु स्कूल में खेलने जाती थी, वह 1999 से 2002 के बीच खेलने गई। इसी तथ्य की ताईद पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह भी करता है। इस सम्बन्ध में प्रदर्श-डी-40-ए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श-डी-40 व रंगीन प्रति प्रदर्श-डी-44 है। उक्त दस्तावेज सन् 2005 में पीड़िता के दादा व परिवादी कर्मवीर के पिता रामदिया द्वारा राशन कार्ड के लिये दिया गया आवेदन पत्र है जिसमें रामदियासिंह, उसकी पत्नी जीवनी, कर्मवीर, सुनीता,

(187)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सोमवीर, शुभम का परिवार के सदस्यों के रूप में विवरण दिया गया है। पी. डब्ल्यू. 12 सुनीता ने उक्त दस्तावेज में अपने सास व ससुर को पहचानना कहा है तथा पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह ने प्रदर्श-डी-44 में लगे फोटोग्राफ में स्वयं, माता जी, पिताजी, पुत्र व पुत्री को पहचाना है तथा पुत्री का नाम "सु" बताया है जबकि उक्त दस्तावेज में पुत्री का नाम शुभम लिखा गया है। उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में उपस्थित होकर डी. डब्ल्यू. 26 उदयसिंह उपनिरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समालखा ने साबित किया है। साथ में गवाह ने प्रदर्श-डी-4 रजिस्टर के पृष्ठ प्रदर्श-डी-216 में रामदिया S/o. केहरी की प्रविष्टियां अंकित होना बताया है। उक्त राशन कार्ड जो वर्ष 2005 में बनाया गया है, में शुभम की उम्र 10 वर्ष दर्शाई गई है जिससे प्रकट है कि उसका जन्म वर्ष 1995 का है, न कि वर्ष 1997 का। सन् 2005 के उक्त दस्तावेज में भी कर्मवीर की पुत्री अर्थात् रामदिया की पौत्री का नाम शुभम अंकित है। इससे डी. डब्ल्यू. 5 जया कामत के कथनों की पुष्टि होती है कि पीड़िता का शुभम नाम गांव में उसके दादा जी ने रख दिया था जिसे शहर में आकर शपथ पत्र देकर पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह ने परिवर्तित करवाया, न कि स्कूल वालों ने अपनी मर्जी से पीड़िता का नाम शुभम रख दिया हो। डी. डब्ल्यू. 15 राममेहर जो पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह को 1975 से जानता है, ने भी इस तथ्य की ताईद की है कि कर्मवीरसिंह की लड़की का नाम शुभम था जो दिनांक 6-8-1995 को जन्मी थी। वह न सिर्फ उसके जन्म की वरन् उसकी जन्म पत्री बनवाने के लिये भी साथ जाना कहता है। पी. डब्ल्यू. 12 सुनीता देवी ने प्रदर्श-डी-42 एल.आई.सी. पॉलिसी पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त पॉलिसी पीड़िता की है, जिसमें उसकी जन्म दिनांक 1-7-1994 दर्शाई गई है। एल.आई.सी. अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उक्त कथन सुनीतासिंह पर बाध्यकारी है, अब वह धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत उक्त कथन का खण्डन करने से विबन्धित है। फार्म प्रदर्श-डी-6-ए में यह अंकित है कि कुमारी शुभम देवी जिसकी जन्म दिनांक 6-8-1995 है, प्रथम अप्रैल को उम्र 3 साल 7 माह है, उसका भाई सोमबीरसिंह चौथी कक्षा में पढ़ता है।

113- शुभम देवी का भाई सोमवीरसिंह उसी स्कूल में कक्षा 4 में

(188)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अध्ययनरत है, उक्त तथ्य को सुनीतासिंह ने अपने बयानों में स्वीकार किया है, किन्तु कर्मवीरसिंह इस बात को गलत बताता है कि सन् 1999 में उसका पुत्र श्री शंकर मुमुक्षु स्कूल में चौथी कक्षा में अध्ययनरत हो बल्कि वह उसका दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ना बताता है। "सु" ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि उसके व उसके भाई के मध्य लगभग 4 वर्ष का अन्तर है। प्रदर्श-पी-155-ए सोमवीरसिंह का श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ में एडमीशन फार्म है जिसके अनुसार उसकी जन्म तिथि दिनांक 20-12-1989 है। अभियोजन पक्ष की ओर से डी. डब्ल्यू. 5 जया कामत को श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ शाहजहांपुर की मूल प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रदर्श-पी-156 दिखाई गई जिसमें सोमवीर की जन्म तिथि दिनांक 2-8-1993 अंकित है जिसे गवाह ने फर्जी बताया है। प्रदर्श-डी-44 जिसे उदयसिंह डी. डब्ल्यू. 26 ने साबित किया है, जिसमें सोमवीरसिंह की उम्र 2005 में 13 वर्ष अंकित है, इस लिहाज से सोमवीर की जन्म तिथि 1993 नहीं हो सकती है। आंगनवाड़ी सेन्टर के रजिस्टर प्रदर्श-डी-39 में सोमवीर की जन्म तिथि 8-12-1990 लिखाई गई है। Inoculation Register गढ़ी छाजू प्रदर्श-डी-38 में भी सोमवीर की जन्म दिनांक 8-12-1990 दर्शाई गई है। बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता के भाई सोमवीर का ड्राईविंग लाईसेन्स प्रदर्श-डी-69 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह ने सर्वप्रथम तो इस तथ्य से इन्कार किया कि उसके बेटे सोमवीर का लाईसेन्स बना हुआ हो। तत्पश्चात् उसने अनभिज्ञता जताई कि ऐसा कोई ड्राईविंग लाईसेन्स बना हुआ हो तो उसे पता नहीं, किन्तु वह प्रदर्श-डी-20 पर अपने बेटे का फोटो होना स्वीकार करती है। पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह ने जिरह में लाईसेन्स में गलत तिथि अंकित होना बताया है जबकि डी. डब्ल्यू. 25 रामवचन सम्भागीय निरीक्षक, परिवहन ए.आर.टी.ओ. विभाग ने साक्ष्य में उपस्थित होकर ड्राईविंग लाईसेन्स के रजिस्टर की फोटो कापी प्रदर्श-डी-20-ए न्यायालय को भिजवाना बताते हुए उसकी असल प्रदर्श-डी-20-बी को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है एवं उसके आधार पर प्रदर्श-डी-69 लाईसेन्स जारी करना बताया है।

114- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि

(189)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रदर्श-डी-5 विधानसभा क्षेत्र 135 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की भाग संख्या 255 की वोटर लिस्ट है। प्रदर्श-डी-5 सन् 2014 में 140 नम्बर पर सोमवीरसिंह पुत्र कर्मवीरसिंह का नाम अंकित है जिस पर लगी फोटो को पीड़िता ने अपने भाई की होना बताया है। उक्त वोटरलिस्ट में सोमवीरसिंह की आयु 24 वर्ष अंकित है। प्रदर्श-डी-74 विधान सभा क्षेत्र 135 शाहजहांपुर भाग संख्या 1 सन् 2012 की वोटर लिस्ट है जिसमें नम्बर 1635 पर सोमवीरसिंह पुत्र कर्मवीरसिंह का नाम अंकित है जिसमें उसकी आयु 22 वर्ष दर्शाई गई है। उक्त दोनों दस्तावेजों को श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट पदेन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण 135 विधानसभा शाहजहांपुर ने साक्ष्य में उपस्थित होकर साबित किया है। उसका यह कथन है कि प्रदर्श-डी-5 व प्रदर्श-डी-74 दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उनके कार्यालय से जारी हुई है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर दिनांक 15-8-2013 को सोमवीरसिंह की उम्र 23 वर्ष थी।

115- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह ने अपने तीन ही बच्चे होना बताया है, सोमवीर, यशवीर व "सु"। उसे प्रदर्श-डी-16 जन्म प्रमाण पत्र दिखा कर पूछा गया कि उसके दिनांक 6-12-1990 को एक लड़के का जन्म हुआ तो गवाह ने इस बात को गलत बताया कि उसके द्वारा दिनांक 22-12-1990 को रजिस्ट्रेशन करवाया गया हो और बच्चे का नाम कर्णवीर रखा हो। डी. डब्ल्यू. 28 डा. अमित कुमार चिकित्सा अधिकारी, पानीपत स्वयं के पास अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु विभाग, कार्यालय सिविल सर्जन पानीपत का अतिरिक्त प्रभार होना भी बताता है। उसने साक्ष्य में मूल रजिस्टर अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु कार्यालय साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है जिसका नाम जीवित जन्मसूचक रजिस्टर बताता है। उक्त रजिस्टर में पेज संख्या 60 पर प्रदर्श-डी-16-बी डाला गया है, जिसमें क्रम संख्या 65 पर दिनांक 22-12-1990 को जन्म तिथि 6-12-1990 लड़का कर्णवीर, ग्राम गढ़ी छाजू, पिता का नाम कर्मवीर, स्थाई पता गढ़ी छाजू, शिक्षा 10वीं, माता का नाम सुनीता देवी अंकित है। अतः स्पष्ट है कि कर्णवीर का जन्म दिनांक 6-12-1990 को हुआ जिसका नाम बाद में बदल कर सोमवीर रख दिया। पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसके भाई

(190)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सोमवीरसिंह व उसके मध्य 4 वर्ष का अन्तर है। अतः घटना के दिवस पीड़िता बालिग थी। समस्त दस्तावेजात् से पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक की प्रकट होती है। पी. डब्ल्यू. 5 पीड़िता स्वीकार करती है कि उसके एक ताऊ जी का नाम राज कंवर है जिनके एक बेटा व बेटी है। बेटी को दिति नाम से बुलाते हैं। दिति लगभग उसकी उम्र की है, कुछ महीनों का फर्क है जबकि इसके विपरीत पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह राजकमल के दो बच्चे, एक का नाम राजू व दूसरी लड़की का नाम अदिति जिसे घर में दिति कहते हैं, होना कहती है तथा अदिति को पीड़िता "सु" से दो ढाई साल बड़ी होना कहती है। इससे स्पष्ट है कि पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह पीड़िता की उम्र कम दिखाने के लिये उसे ("सु" को) जानबूझ कर अदिति से दो ढाई वर्ष छोटा बता रही है। यदि पीड़िता के कथनों पर विश्वास किया जाये तो अदिति की उम्र के लिहाज से "सु" का जन्म 1995 का है। डी. डब्ल्यू. 5 राममेहर ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अदिति दिनांक 24-6-1995 को जन्मी थी, जबकि पी. डब्ल्यू. 5 "सु" दिनांक 6-8-1995 को जन्मी थी। अतः समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से यह सिद्ध है कि पीड़िता की जन्म तिथि 6-8-1995 है। अनुसन्धान अधिकारी पी. डब्ल्यू. 43 चंचल मिश्रा ने स्वीकार किया है कि उसने न तो श्री शंकर मुमुक्षु स्कूल से कोई रिकार्ड तलब किया, न ही उसने पीड़िता के भाई सोमवीर की जन्म तिथि व उसकी आयु के बारे में पता किया। यदि चंचल मिश्रा द्वारा उचित रूप से अनुसन्धान किया जाता तो निश्चित रूप से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि पीड़िता की जन्म दिनांक 6-8-1995 थी, न कि 4-7-1997, अर्थात् घटना की दिनांक को वह पूर्ण रूप से बालिग थी। अतः यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत मामला दर्ज नहीं हो सकता था।

116— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने यह भी तर्क दिया है कि पीड़िता "सु" के गुरुकुल के मित्र "सु" द्वारा उन्हें यह बताना कहते हैं कि उसका जन्म दिनांक 6-8-1995 है। डी. डब्ल्यू. 1 चारूल अरोड़ा, डी. डब्ल्यू. 7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू. 8 प्रियासिंह, डी. डब्ल्यू. 9 रीना, डी. डब्ल्यू. 11 विद्या सभी ने अपने बयानों में बताया है कि दिनांक 6-8-2013 को "सु" का 18वां

(191)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जन्म दिन था तथा उसने उस दिन पार्टी भी की थी। “सु” ने उन्हें यह बताया था कि उसकी वास्तविक जन्म दिनांक 6-8-1995 है तथा सर्विस के फायदे उठाने के लिये उसके माता पिता ने उसकी जन्म दिनांक 4-7-1997 गलत दर्ज की है। डी. डब्ल्यू. 1 चारूल अरोड़ा ने सशपथ कथन किया है कि “सु” ने उसे बताया था कि उसका जन्म 6-8-1995 को हुआ था। उसके दादा जी रामदिया ने उसका नाम शुभम देवी रखा था। “सु” ने नर्सरी से प्रथम क्लास की पढाई शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से की थी। उसके पिता कर्मवीरसिंह ने उसका प्रवेश फार्म भरा था व उसमें उसका नाम शुभम देवी भरा था व जन्म तिथि 6-8-1995 भर कर अपने हस्ताक्षर किये थे। प्रवेश होने के बाद एक शपथ पत्र पेश कर “सु” का नाम शुभम देवी से “सु” करवाया था। उक्त गवाह “सु” द्वारा उसे शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ का प्रवेश फार्म दिखाना कहती है जिसको उसके पिताजी ने भरा था और जिसमें ये सब लिखा था। डी. डब्ल्यू. 7 मेघा शर्मा ने भी स्वयं को “सु” द्वारा प्रथम विद्यालय श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ के एडमिशन फार्म व रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रति दिखाना कहा है। वह उक्त दस्तावेज विद्या दीदी को भी “सु” द्वारा दिखाना कहती है। डी. डब्ल्यू. 11 विद्या ने स्पष्ट कथन किया है कि पीड़िता “सु” ने उसे शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, शाहजहांपुर के प्रवेश फार्म की फोटो प्रति दिखाई जिसमें “सु” की वास्तविक जन्म तिथि 6-8-1995 थी और उसमें शुभम देवी नाम लिखा था। “सु” से पूछा कि यह शुभम देवी कौन है तो उसने इस नाम के बारे में एक और पेपर दिखाया जो शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ के स्कॉलर रजिस्टर की फोटो प्रति थी तब “सु” ने कहा कि शुभम देवी मेरा ही नाम है। फार्म में भी ऊपर शुभम देवी नाम अंकित था, उसके नीचे “सु” नाम अंकित था, उसमें चार प्रविष्टियां थी, वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2002 तक की प्रविष्टियां थी। अतः यह स्पष्ट है कि स्वयं पीड़िता द्वारा अपने गुरुकुल की सहपाठी छात्राओं व अध्यापिकाओं को न सिर्फ अपनी जन्म तिथि 6-8-1995 बताई गई है वरन् पूर्व नाम शुभम देवी होना व स्वयं के पिता द्वारा शपथ पत्र देकर उक्त उक्त नाम को “सु” में परिवर्तित करवाने की बात कही गई है। साथ ही शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ का शुभम देवी के नाम का स्वयं का प्रवेश फार्म एवं स्कॉलर रजिस्टर की प्रति भी दिखाई गई है।

(192)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

इससे स्पष्ट है कि पीड़िता का वास्तविक नाम शुभम देवी था एवं उसने शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ, शाहजहांपुर में सर्वप्रथम प्रवेश लिया था, जहां उसकी जन्म तिथि श्री कर्मवीरसिंह द्वारा दिनांक 6-8-1995 दर्ज करवाई गई थी।

117- बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि उपरोक्त गवाह पीड़िता के सहपाठी व होस्टल स्टाफ है, उनके कथनों पर मात्र इस कारण से अविश्वास नहीं किया जाना चाहिये कि वे बचाव पक्ष के गवाह हैं। बचाव पक्ष के गवाह भी अभियोजन पक्ष के गवाहों की ही तरह समान सम्मान के अधिकारी हैं, उनकी साक्ष्य का भी वही महत्व है जो अभियोजन साक्षीगण का होता है एवं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

118- पी. डब्ल्यू. 12 सुनीता ने जिरह में सोमवीर व "सु" के सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र देखना कहा है, स्वयं के पास होना कहा है किन्तु उक्त दस्तावेज साक्ष्य में पेश नहीं किये हैं। अतः बचाव पक्ष सन्देह से परे यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि पीड़िता की सही जन्म दिनांक 4-7-1997 न होकर दिनांक 6-8-1995 है।

119- विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि पीड़िता की शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से कोई भी दस्तावेज साबित कर पाने में अभियोजन पक्ष नितान्त असफल रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पी. डब्ल्यू. 20 अरविन्द वाजपेई ने सरस्वती शिशु मन्दिर, शाहजहांपुर के सम्बन्धित दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। सर्वप्रथम दस्तावेज प्रदर्श-पी-45 प्रवेश पत्र है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज साबित करने के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पीड़िता के पिता पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह एवं माता पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह थे किन्तु उक्त दोनों गवाहों ने उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित नहीं किया है। पी. डब्ल्यू. 20 अरविन्द वाजपेई स्वीकार करता है कि उक्त दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। वह अपने बयानों में प्रदर्श-पी-45 पर तत्कालीन प्रधानाचार्य परशुराम तिवारी के हस्ताक्षर होना कहता है तथा प्रवेश पत्र के नीचे कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर होना बताता है। जिरह में स्वीकार करता है कि

(193)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

परशुराम तिवारी रिटायर हो गया है किन्तु अभी तक जिन्दा है। प्रदर्श-पी-45 की पुस्त पर अहिबरन, श्रीमती रजनी टीचर के हस्ताक्षर हैं। वे दोनों भी अभी जिन्दा हैं। राजेश तिवारी भी जिन्दा है। गवाह के पुलिस बयान प्रदर्श-डी-46 में यह नहीं लिखा होना कि प्रवेश पत्र पर प्रधानाचार्य परशुराम शर्मा के हस्ताक्षर हैं जिनको वह पहचानता है, नहीं अंकित होना स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में परशुराम तिवारी, राजेश तिवारी, रजनी व अहिबरन उक्त प्रवेश पत्र प्रदर्श-पी-45 को साबित करने के लिये सर्वश्रेष्ठ गवाह थे। किन्तु उक्त गवाहों को अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में पेश कर प्रदर्श-पी-45 को साबित नहीं करवाया है। पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह जिसके इस फार्म पर हस्ताक्षर गवाह ने बताये हैं, भी उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित कर सकता था किन्तु उपरोक्त में से किसी ने भी इस दस्तावेज प्रदर्श-पी-45 को साक्ष्य में साबित नहीं किया है। अतः पी. डब्ल्यू. 20 अरविन्द वाजपेई द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित करने मात्र से उक्त दस्तावेज साबित नहीं होता है। पी. डब्ल्यू. 20 अरविन्द वाजपेई ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श-पी-45 पर अंकित जन्म तिथि बाबत् कोई दस्तावेज उसके साथ नहीं लगाया। अभियोजन की ओर से पीड़िता के प्रतापसिंह मेमोरियल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पानीपत का ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदर्श-पी-65 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है जिस पर पीड़िता की जन्म दिनांक 4-7-1997 अंकित है किन्तु पूर्ववर्ती स्कूल में आयु सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज पीड़िता के अभिभावकों ने प्रस्तुत नहीं किया। अतः प्रदर्श-पी-65 ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर अंकित जन्म तिथि आधारहीन है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श-पी-65 तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित है जिनमें से किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त दस्तावेज भी साबित नहीं माना जा सकता है। पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह ने स्वीकार किया है कि उसने सोमवीर व "सु" का जन्म तिथि बाबत् किसी सरकारी दफ्तर द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्कूल में नहीं दिया था। पी. डब्ल्यू. 33 विवेक शर्मा प्रिन्सिपल, सन्त श्री आसाराम गुरुकुल, छिन्दवाड़ा ने स्वीकार किया है कि उसके स्कूल में "सु" की जन्म तिथि प्रदर्श-पी-65 के आधार पर अंकित की गई है, यदि प्रदर्श-पी-65 में जन्म तिथि गलत हो तो वह उनके स्कूल में

(194)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

भी गलत दर्ज हो जायेगी। प्रदर्श-पी-46 सरस्वती शिशु मन्दिर शाहजहांपुर का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तथा प्रदर्श-पी-47 अभियोक्त्री "सु" का पी. डब्ल्यू. 20 अरविन्द वाजपेई द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र है। प्रदर्श-पी-47, प्रदर्श-पी-46 के आधार पर दिया गया है, प्रदर्श-पी-46 दिनांक 22-10-2013 को तैयार किया गया है, अर्थात् घटना के पश्चात् तैयार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह एवं पी. डब्ल्यू. 20 अरविन्द वाजपेई की मिलीभगत से तैयार किया गया है। एक तो घटना के पश्चात् का दस्तावेज होने के कारण इसका कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है, दूसरी ओर यह दस्तावेज प्रदर्श-पी-45 के आधार पर तैयार है। जब प्रदर्श-पी-45 दस्तावेज ही साबित नहीं है तो इस दस्तावेज को भी साबित नहीं माना जा सकता है। इस गवाह पी. डब्ल्यू. 20 अरविन्द वाजपेई की साक्ष्य इस कारण भी विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि यह सरस्वती शिशु मन्दिर, शाहजहांपुर में अपनी नियुक्ति तिथि के बारे में भ्रमित है। वह पुलिस बयान में दिनांक 1-7-2007 से उक्त स्कूल का प्रधानाचार्य होना लिखाता है जबकि मुख्य परीक्षा में अपनी नियुक्ति दिनांक 1-7-2006 होना कहता है। जिरह में पुनः स्वीकार करता है कि वह उक्त स्कूल में दिनांक 1-7-2007 से प्रधानाचार्य है। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके स्कूल में प्रति वर्ष 100 - 150 बच्चे प्रवेश ले लेते हैं। उसे प्रदर्श-डी-47 यशवीर का रजिस्ट्रेशन नम्बर दिखाया गया तो उसने स्वीकार किया कि पीड़िता के पंजीकरण क्रमांक व यशवीर के पंजीकरण क्रमांक में मात्र 82 का अन्तर है जबकि पीड़िता ने सन् 2002 में स्कूल में प्रवेश लिया था और यशवीर ने सन् 2005 में स्कूल में प्रवेश लिया था। अतः यह स्पष्ट है कि इस गवाह द्वारा जो भी दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित किये गये हैं, वे फर्जी हैं, घटना के पश्चात् मिलीभगत कर तैयार किये गये हैं तथा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं।

120— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि पी. डब्ल्यू. 33 विवेक शर्मा ने प्रदर्श-पी-107 से प्रदर्श-पी-116 दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। प्रदर्श-पी-107 व प्रदर्श-पी-111 मैट्रीकुलेशन सर्टिफिकेट एवं दसवीं क्लास की अभियोक्त्री की मार्कशीट है। उक्त दस्तावेजात् को गवाह ने

(195)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

तैयार नहीं किया है। यह दस्तावेज बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशन, भोपाल से जारी होना बताया जाता है, जहां का कोई भी गवाह साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ है जो उक्त दस्तावेज की सत्यता के बारे में कथन करता हो। अतः प्रदर्श-पी-107 व प्रदर्श-पी-111 दस्तावेज भी साबित नहीं हो पाये हैं। प्रदर्श-पी-108 कक्षा सातवीं, प्रदर्श-पी-109 कक्षा आठवीं व प्रदर्श-पी-110 कक्षा 9वीं की अंक तालिकायें हैं जिनका मूल नहीं होना पी. डब्ल्यू. 33 विवेक शर्मा स्वीकार करता है तथा उन्हें द्वितीय कापी बताता है। उक्त अंकतालिकाओं का मूल तथा प्रदर्श-पी-111 व प्रदर्श-पी-107 का मूल अभियोक्त्री "सु" को दिया गया है, जैसा कि पी. डब्ल्यू. 33 विवेक शर्मा का कथन है कि प्रथम कापी सम्बन्धित विद्यार्थी के पास रहती है। चूंकि विवेक शर्मा ने सन् 2012 तक विद्या भारती स्कूल में होना बताया है, अर्थात् वह सन् 2012 में ही गुरुकुल में बतौर प्रिन्सिपल आया है। अतः उक्त सन् से पहले के दस्तावेज उसकी निजी जानकारी के नहीं हो सकते, उसने मात्र रिकार्ड के आधार पर काउन्टर साईन किये हैं। अतः उक्त दस्तावेज उसके द्वारा साबित नहीं माने जा सकते हैं। उक्त दस्तावेजात् को साबित करने के लिये सर्वश्रेष्ठ साक्षी स्वयं पीड़िता "सु" थी जिसने अपने बयानों में उक्त दस्तावेज साबित नहीं किये हैं। अतः अभियोजन पक्ष न तो प्रदर्श-पी-45, प्रदर्श-पी-46, प्रदर्श-पी-47, प्रदर्श-पी-65, प्रदर्श-पी-107 लगायत प्रदर्श-पी-111 को साबित कर पाया है, न ही उनके Contents को ही साबित कर पाया है। स्वयं अभियोजन पक्ष ने धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र बहस अन्तिम के दौरान पेश कर स्वीकार किया है कि वे पीड़िता के शैक्षणिक दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु साबित नहीं कर पाये हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष पीड़िता "सु" की जन्म दिनांक 4-7-1997 हो, यह साबित करने में पूर्ण रूपेण विफल रहा है। विधिक सिद्धान्त यह है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़े रह कर अभियोजन कहानी को साबित करना होता है। चूंकि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि घटना के दिन पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 हो, अर्थात् वह नाबालिग हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पर PocsO Act के अन्तर्गत लगाये गये आरोप एवं किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप स्वतः ही आधारहीन हो

(196)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जाते हैं।

121— अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने जिन सम्माननीय विनिश्चयों का अवलम्बन लिया, उनसे विवेचन के दौरान मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

122— हमने सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में इस प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया।

123— सर्वप्रथम हम इस बिन्दु पर विचार करते हैं कि बालिका की उम्र के सम्बन्ध में क्या इस न्यायालय का आदेश दिनांक 8-5-2014 जिसकी पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15-5-2014 से की गई है, अन्तिम हो गया है अथवा क्या इस स्टेज पर हमें बालिका की उम्र पुनः निर्धारित करनी आवश्यक है कि क्या वह घटना की दिनांक 15-8-2013 को 18 वर्ष से कम उम्र की थी अथवा उसने 18 वर्ष पूरे कर लिये थे ?

124— इस सम्बन्ध में हमने सर्वप्रथम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8-5-2014 का सादर अवलोकन किया। प्रार्थी-अभियुक्त आसाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 द्वारा पीड़िता के नाम व आयु के सम्बन्ध में जांच करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया था। इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 8-5-2014 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को यह मानते हुए खारिज किया कि पत्रावली पर पीड़िता की जन्म तिथि के सम्बन्ध में निश्चायक साक्ष्य का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध है, अतः अन्य किसी साक्ष्य पर इस सम्बन्ध में विचार किया जाना विधि-सम्मत नहीं है। उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस. बी. क्रिमिनल रिविजन पिटीशन संख्या 514/2014 निर्णय दिनांक 15-5-2014 के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 8-5-2014 को सही माना एवं रिविजन पिटीशन खारिज की। उक्त आदेश के विरुद्ध अभियुक्तगण में से किसी के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई तथ्य हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है।

(197)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

125- अब हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में किमिनल अपील नम्बर 2337/2014 आसाराम उर्फ आशुमल बनाम भारत सरकार में दिनांक 15-10-2014 को पारित आदेश का सादर अवलोकन करते हैं। इसके अवलोकन से प्रकट होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी के धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज करने की एवं उक्त खारिजी की पुष्टि करने के आदेशों को अपास्त कर कुल 4 दस्तावेज तलब करने हेतु आदेश दिये। उक्त आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पेज संख्या 5 व 6 पर यह उद्धृत किया है कि :-

"It is true that the trial court has already take cognizance of the offences and the trial has commenced but the question whether she was a child as on the date of occurrence remains to be finally determined on a proper appreciation of the evidence adduced at the trial. In the circumstances the appellants prayer for summoning the documents in which the date of birth of victim is given differently from what is alleged by the prosecution was absolutely legitimate and legally permissible."

126- माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि पीड़िता के 18 वर्ष से कम की आयु का होने का प्रश्न समाप्त नहीं हो गया है वरन् इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय में निर्धारित किया जाना है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त आदेश में यह भी आदेश दिया है कि :-

"We accordingly allow this appeal, set aside the order passed by the trial Court and the High Court and direct that the documents mentioned in the body of this order namely (1) the admission form (2) Registration form (3) the affidavit allegedly sworn by Karm Vir Singh, father of the victim (4) proposal form in connection with the

(198)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

LIC Policy No. 222629997 issued by the LIC, Shahjahanpur Mandal, Bareilly, U.P. be summoned by the trial Court for such use as may be legally permissible on behalf of the defence. We make it clear that we have expressed no opinion about the genuinness or otherwise of the documents which question is left to be determined by the trial Court.

127— अतः हमें यह भी देखना है कि क्या बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज Legally permissible हैं अथवा कानून उन्हें प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं देता है।

128— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि पीड़िता के शरीर की जांच धारा 164-क (2) (II) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार नहीं की गई है। उनका तर्क था कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण उसकी आयु के सम्बन्ध में किया जाना आवश्यक था।

129— धारा 27 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 निम्नलिखित है :-

"27. (1) The medical examination of a child in respect of whom any offence has been committed under this Act, shall, notwithstanding that a First Information Report or complaint has not been registered for the offences under this Act, be conducted in accordance with section 164A of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(2) In case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor.

(3) The medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence.

(4) Where, in case the parent of the child or other person referred to in sub-section (3) cannot be present, for any

(199)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

reason, during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution."

130— उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पीड़िता के शरीर की चिकित्सीय जांच दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164-क की अनुपालना में की जानी थी।

131— धारा 164-क दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1972 निम्नप्रकार है :-

"Sec 164-A Cr. P. C.-- Where, during the stage when an offence of committing rape or attempt to commit rape is under investigation, it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted, examined by a medical expert, such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or a local authority and in the absence of such a practitioner, by any other registered medical practitioner, with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on her behalf and such woman shall be sent to such registered medical practitioner within twenty-four hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offence.

1. The registered medical practitioner, to whom such woman is sent shall, without delay, examine her person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely-

1. the name and address of the woman and of the person by whom she was brought;
2. the age of the woman;
3. the description of material taken from the person

(200)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

- of the woman for DNA profiling;
4. marks of injury, if any, on the person of the woman;
 5. general mental condition of the woman; and
 6. other material particulars in reasonable detail,
2. The report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at.
 3. The report shall specifically record that the consent of the woman or of the person competent, to give such consent on her behalf to such examination had been obtained.
 4. The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report.
 5. The registered medical practitioner shall, without delay forward the report to the investigating officer who shall forward it to the Magistrate referred to in section 173 as part of the documents referred to in clause (a) of Sub-Section (5) of that section.
 6. Nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or of any person competent to give such consent on her behalf.

Explanation – For the purposes of this section, “examination” and “registered medical practitioner” shall have the same meanings as in section 53."

132— धारा 164-ए (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को परीक्षा रिपोर्ट में मात्र स्त्री की आयु का ब्यौरा देना है, उसकी आयु की जांच नहीं करनी है। धारा 164-ए बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच के सम्बन्ध में है, न कि केवल बालक की मेडिकल जांच के सम्बन्ध में है। यदि उक्त प्रावधान का अभिप्राय यह लिया जाये कि

(201)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रत्येक बलात्कार पीड़िता की आयु बाबत मेडिकल जांच की जायेगी तो बलात्कार पीड़िता किसी भी उम्र की हो सकती है। इसके अतिरिक्त धारा 164-ए (1) (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता में The name and address of the woman and of the person by whom she was brought; भी अंकित है। इसका अर्थ यह हुआ कि चिकित्सक को महिला के नाम, पते व वह व्यक्ति जो उसे लाये, के बारे में भी जांच करनी है। जबकि ऐसा सम्भव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि धारा 164-ए (1) में वर्णित सभी विशिष्टियों के बारे में रिपोर्ट में ब्यौरा देना है।

133- माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में उम्र के निर्धारण के सम्बन्ध में मेडिकल साक्ष्य को निश्चायक नहीं माना है :-

Mukarrab etc. vs. State of U.P.

Criminal Appeal Nos. 1119-1120 of 2016

22. It is well settled that it is neither feasible nor desirable to lay down an abstract formula to determine the age of a person. The date of birth is to be determined on the basis of material on record and on appreciation of evidence adduced by the parties. The medical evidence as to the age of a person, though a very useful guiding factor, is not conclusive and has to be considered along with other cogent evidence.

134- अतः हम विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की ओर से उठाई गई इस आपत्ति से सहमत नहीं है कि पी. डब्ल्यू.-3 डा. शैलजा, पी. डब्ल्यू.-4 डा. राजेन्द्रसिंह को पीड़िता "सु" की मेडिकल परीक्षा करते समय उसकी आयु के बारे में भी मेडिकल परीक्षा करनी थी।

135- हमारे समक्ष अब यह बिन्दु है कि क्या न्यायालय को पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में विचार करते समय मात्र मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को ही ध्यान में रखना है जो प्रदर्श-पी-107-ए व प्रदर्श-पी-107 के रूप में प्रदर्शित हुए हैं अथवा बचाव पक्ष को उसके खण्डन की अनुमति दी जा सकती है।

(202)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

136— माननीय उच्चतम न्यायालय ने "रविन्द्रसिंह गोरखी बनाम स्टेट आफ यू. पी., (2006) 5 एस. सी. सी. 584" के सम्माननीय विनिश्चय में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

"38. We are, therefore, of the opinion that that until the age of a **person is required to be determined in a manner laid down under a statute**, different standard of proof should not be adopted. It is no doubt true that the court must strike a balance. In case of a dispute, the court may appreciate the evidence having regard to the facts and circumstance of the case."

137— अतः यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि जब तक कि किसी व्यक्ति की आयु विधि द्वारा प्रतिपादित ढंग से तय नहीं की जानी हो तब तक सबूत के भिन्न मानक स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। अर्थात् यदि विधायिका द्वारा किसी व्यक्ति की आयु अर्थात् जन्म तिथि निर्धारित करने का कोई तरीका निश्चित किया है तो न्यायालय को उस व्यक्ति की उम्र उसी विधि से तय करनी है।

138— अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पीड़िता की उम्र के निर्धारण हेतु विधि द्वारा कोई तरीका प्रतिपादित किया गया है। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि इस अधिनियम में बालक की उम्र निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं दर्शाया गया है कि उसकी उम्र निर्धारित करने के लिये किन दस्तावेजों का सहारा लिया जायेगा।

139— माननीय उच्चतम न्यायालय ने "जरनैलसिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा, 2013 (3) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 302" के सम्माननीय विनिश्चय में इस सम्बन्ध में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 में उम्र निर्धारित करने की प्रक्रिया को अपराध के पीड़ित बालक की उम्र निर्धारित करने का आधार माना है।

(203)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

Even though Rule 12 is strictly applicable only to determine the age of a child in conflict with law, we are of the view that the aforesaid statutory provision should be the basis for determining age, even for a child who is a victim of crime. For, in our view, there is hardly any difference in so far as the issue of minority is concerned, between a child in conflict with law, and a child who is a victim of crime. Therefore, in our considered opinion, it would be just and appropriate to apply Rule 12 of the 2007 Rules, to determine the age of the prosecutrix VW-PW6. The manner of determining age conclusively, has been expressed in Sub-rule (3) of Rule 12 extracted above. Under the aforesaid provision, the age of a child is ascertained, by adopting the first available basis, out of a number of options postulated in Rule 12(3). If, in the scheme of options under Rule 12(3), an option is expressed in a preceding clause, it has overriding effect over an option expressed in a subsequent clause. The highest rated option available, would conclusively determine the age of a minor. In the scheme of Rule 12(3), matriculation (or equivalent) certificate of the concerned child, is the highest rated option. In case, the said certificate is available, no other evidence can be relied upon. Only in the absence of the said certificate, Rule 12(3), envisages consideration of the date of birth entered, in the school first attended by the child. In case such an entry of date of birth is available, the date of birth depicted therein is liable to be treated as final and conclusive, and no other material is to be relied upon. Only in the absence of such entry, Rule 12(3) postulates reliance on a birth certificate issued by a corporation or

(204)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

a municipal authority or a panchayat. Yet again, if such a certificate is available, then no other material whatsoever is to be taken into consideration, for determining the age of the child concerned, as the said certificate would conclusively determine the age of the child. It is only in the absence of any of the aforesaid, that Rule 12(3) postulates the determination of age of the concerned child, on the basis of medical opinion."

140— माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सम्माननीय विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यदि अभियोजन पक्ष पीड़िता का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित कर देता है तो किसी अन्य साक्ष्य को उम्र निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

141— यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने "महादेव बनाम स्टेट आफ राजस्थान, (2013) 14 एस सी सी 637" के सम्माननीय विनिश्चय में पुनः यह मत प्रतिपादित किया है कि नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 बलात्कार की पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिये लागू होंगे। यही मत पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय ने "मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूपसिंह, क्रिमिनल अपील नं. 442/2010 निर्णय दिनांक 3-7-2015" में प्रकट किया है।

142— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी "विशाल गुण्ड उर्फ अमन बनाम स्टेट आफ राजस्थान, (2014) 1 क्रिमिनल ला रिपोर्टर 398" के सम्माननीय विनिश्चय में यही मत प्रतिपादित किया है कि :-

"19. Thus, in order to prove the age of the victim, first priority is to be given to the matriculation certificate issued by the Board. If the matriculation certificate is unavailable then, the age is to be determined by the method provided in Section 35 of the Evidence Act. For this purpose, the original school record i.e. admission form of the student and the entry made in the Scholar Admission Register of the school first attended has to be

(205)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

proved by evidence of the person who got the child admitted in the school as well as the principal/authorised person of the school."

143— यह उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 द्वारा प्राप्त शक्ति से बनाया गया है। अब बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम पुनः अधिनियमित होकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के नाम से लागू किया गया है, जिसकी धारा 94 (2) में वे आधार बताये गये हैं जिनके आधार पर बालकों की आयु निर्धारित किया जाना है लेकिन चूंकि हस्तगत मामला दिनांक 20-8-2013 को दायर हुआ है तथा घटना दिनांक 15-8-2013 की बताई गई है, अतः हमें उक्त अवधि में प्रवृत्त विधि के अनुसार बालक की आयु की अवधारणा करनी होगी। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान अधिनियम 2015 (किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015) में विद्यालय से जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा मेट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को समकक्ष रखा गया है, एवं किसी भी प्रमाण पत्र को निश्चायक सबूत की संज्ञा नहीं दी है, जबकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 में प्रथम बार दाखिला लेने वाले विद्यालय में अंकित जन्मतिथि पर मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र को अधिमान्यता दी गई है तथा मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अन्य किसी जन्म तिथि प्रमाण पर विचार नहीं किया जा सकता था। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12 निम्नलिखित है :-

"12. Procedure to be followed in determination of Age.--

- (1) In every case concerning a child or a juvenile in conflict with law, the court or the Board or as the case may be the Committee referred to in Rule 19 of these rules shall determine the age of such juvenile or child or a juvenile in conflict with law within a period of

(206)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

thirty days from the date of making of the application for that purpose.

- (2) The court or the Board or as the case may be the Committee shall decide the juvenility or otherwise of the juvenile or the child or as the case may be the juvenile in conflict with law, prima facie on the basis of physical appearance or documents, if available, and send him to the observation home or in jail.
- (3) In every case concerning a child or juvenile in conflict with law, the age determination inquiry shall be conducted by the court or the Board or, as the case may be, the Committee by seeking evidence by obtaining-
- (a) (I) the matriculation or equivalent certificates, if available; and in the absence whereof;
- (ii) the date of birth certificate from the school (other than a play school) first attended; and in the absence whereof;
- (iii) the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat;
- (b) and only in the absence of either (i), (ii) or (iii) of Clause (a) above, the medical opinion will be sought from a duly constituted Medical Board, which will declare the age of the juvenile or child. In case exact assessment of the age cannot be done, the Court or the Board or, as the case may be, the Committee, for the reasons to be recorded by them, may, if considered necessary, give benefit to the child or juvenile by considering his/her age on lower side within the margin of one year. and, while passing orders in such case shall, after taking into consideration such evidence as may be available, or the medical opinion, as the case may

(207)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

be, record a finding in respect of his age and either of the evidence specified in any of the Clauses (a) (i), (ii), (iii) or in the absence whereof, Clause (b) shall be the conclusive proof of the age as regards such child or the juvenile in conflict with law.

- (4) If the age of a juvenile or child or the juvenile in conflict with law is found to be below 18 years on the date of offence, on the basis of any of the conclusive proof specified in Sub-rule (3), the court or the Board or as the case may be the Committee shall in writing pass an order stating the age and declaring the status of juvenility or otherwise, for the purpose of the Act and these rules and a copy of the order shall be given to such juvenile or the person concerned.
- (5) Save and except where, further inquiry or otherwise is required, inter alia, in terms of Section 7A, Section 64 of the Act and these rules, no further inquiry shall be conducted by the court or the Board after examining and obtaining the certificate or any other documentary proof referred to in Sub-rule (3) of this rule.
- (6) The provisions contained in this rule shall also apply to those disposed off cases, where the status of juvenility has not been determined in accordance with the provisions contained in Sub-rule (3) and the Act, requiring dispensation of the sentence under the Act for passing appropriate order in the interest of the juvenile in conflict with law."

144- उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उसे प्राप्त कर न्यायालय या बोर्ड या कमेटी बालक की उम्र निर्धारित करेगी एवं उपरोक्त

(208)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रमाण पत्र ऐसे बालक या विधि से संघर्षरत किशोर की उम्र के सम्बन्ध में निश्चायक प्रमाण होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में निश्चायक प्रमाण की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :-

"“Conclusive proof”.—When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it."

145— उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जहां एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक प्रमाण माना गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य को साबित मानेगा। अर्थात् हस्तगत प्रकरण में यदि पीड़िता का मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र साबित कर दिया जाता है तो मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में वर्णित उसकी जन्म दिनांक को स्वतः साबित माना जायेगा एवं उक्त आयु को नासाबित करने के लिये साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने “सोढी ट्रांसपोर्ट कम्पनी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य, 1986 (2) एस सी सी 486” में “निश्चायक प्रमाण” शब्द को निम्नप्रकार स्पष्ट किया है :-

In the Indian Evidence Act, 1872 there are three cases where conclusive presumption may be drawn. They are sections 41, 112 and [section 113](#). These are cases where law regards any amount of other evidence will not alter the conclusion to be reached when the basic facts are admitted or proved. In Woodroffe & Amir Ali's Law of Evidence (Vol. I) 14th Edition at page 299 it is stated thus :

"Conclusive presumptions of law are : 'rules determining the quantity of evidence requisite for the support of any particular averment, which is not permitted to be overcome by any proof that the fact is otherwise. They consist chiefly of those cases in which the long

(209)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

experienced connection, just alluded to has been found so general and uniform as to render it expedient for the common good that this connection should be taken to be inseparable and universal. They have been adopted by common consent, from motives of public policy, for the sake of greater certainty, and the promotion of peace and quiet in the community; and therefore, it is that all corroborating evidence is dispensed with, and all opposing evidence is forbidden (Taylor, Ev., s.71 : Best, Ev., p. 317, s.304').

146— अतः यह स्पष्ट है कि उक्त उपधारणा खण्डनीय नहीं है, अखण्डनीय है। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की ओर से हमारे समक्ष निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये हैं :-

- (1)- Sajniv Kumar vs State of Pujab
(2009 16 SCC 487
- (2)- M. S. Narayana Menon @ Mani vs. State of Kerala & Anr.
2006 (3) Criminal Court Court Cases 665 (S.C.)
- (3)- John K. John vs. T. Varghese & Anr.
2007 (4) Criminal Court Court Cases 974 (S.C.)
- (4)- Krishna Janardhan Bhat vs. Dattatraya G. Hegde
(2008 (4) SCC 54
- (5)- Naresh Kumar alias Nitu vs. State of Himachal Pradesh
2017 (3) R. Cr. D. 222 (S.C.)

147— उपरोक्त सभी सम्माननीय विनिश्चयों में विधि की खण्डनीय उपधारणाओं के सम्बन्ध में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, विधि की अखण्डनीय उपधारणाओं के सम्बन्ध में नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चयों में विधि की अखण्डनीय उपधारणाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत व्यक्त व्यक्त किये हैं :-

Cheeranthoodika Ahmmedkutty vs Parambur
Mariakutty Umma on 8 February, 2000
Appeal (civil) 3067

(210)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

When the enactment enjoined that any evidence would be treated as conclusive proof of certain factual position or legal hypothesis the law would forbid other evidence to be adduced for the purpose of contradicting or varying the aforesaid conclusiveness. This is the principle embodied in Section 4 of the Evidence Act, when it defined "conclusive proof."

"Conclusive proof. - When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of that one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it,"

Of course, the interdict that the court shall not allow evidence to be adduced for the purpose of disproving the conclusiveness, will not prevent a party who alleges fraud or collusion from establishing that the document is vitiated by such factors. Except regarding the said limited sphere the conclusiveness of the document would remain beyond the reach of controvertibility.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में भी यही मत प्रतिपादित किया है :-

Smt. Kamti Devi & Anr vs Poshi Ram Respondent on 11 May, 2001

Case No.: Appeal (civil) 3860 of 2001

When the legislature chose to employ the expression that a certain fact shall be conclusive proof of another fact, normally the parties are disabled from disrupting such proof. This can be discerned from the definition of the expression conclusive presumption in

(211)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

Section 4 of the Act. Conclusive proof. -When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it.

148— यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने "पराग भाटी (किशोर) जरिये विधिक संरक्षक माता श्रीमती रजनी भाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, ए आई आर 2016 सु. को. 2418" के सम्माननीय विनिश्चय में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

"It is settled position of law that if the matriculation or equivalent certificates are available and there is no other material to prove the correctness of the date of birth, the date of birth mentioned in the matriculation certificate has to be treated as conclusive proof of the date of birth of the accused. However, if there is any doubt or a contradictory stand is being taken by the accused which raises a doubt on the correctness of the date of birth then as laid down by this Court in abuzar Hossain, an enquiry for determination of the age of the accused is permissible which has been done in the present case.

149— उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में कोई सन्देह होने की स्थिति में अभियुक्त की उम्र के निर्धारण हेतु जांच किया जाना Permissible माना है लेकिन यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त पर हत्या का आरोप था एवं उसने आर्यन्स एकेडमी में पूर्व की पढ़ाई के आधार पर किसान वैदिक जूनियर हाई स्कूल में एडमीशन लिया था जबकि आर्यन्स एकेडमी की प्रिन्सिपल ने आकर कहा कि पराग भाटी उनके स्कूल में कभी नहीं पढ़ा। उसे सेन्ट जोसेफ स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ना बताया था जबकि सेन्ट जोसेफ स्कूल की

(212)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रिन्सिपल ने उसका मात्र एक वर्ष ही वहां पढ़ना बताया। उसके शैक्षणिक रिकार्ड से आये उक्त तथ्यों को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया :-

“26. It is no doubt true that if there is a clear and unambiguous case in favour of the juvenile accused that he was a minor below the age of 18 years on the date of the incident and the documentary evidence at least prima facie proves the same, he would be entitled to the special protection under the JJ Act. But when an accused commits a grave and heinous offence and thereafter attempts to take statutory shelter under the guise of being a minor, a casual or cavalier approach while recording as to whether an accused is a juvenile or not cannot be permitted as the courts are enjoined upon to perform their duties with the object of protecting the confidence of common man in the institution entrusted with the administration of justice.

The benefit of the principle of benevolent legislation attached to the JJ Act would thus apply to only such cases wherein the accused is held to be a juvenile on the basis of at least prima facie evidence regarding his minority as the benefit of the possibilities of two views in regard to the age of the alleged accused who is involved in grave and serious offence which he committed and gave effect to it in a well-planned manner reflecting his maturity of mind rather than innocence indicating that his plea of juvenility is more in the nature of a shield to dodge or dupe the arms of law, cannot be allowed to come to his rescue.”

150— अतः स्पष्ट है कि उक्त सम्माननीय विनिश्चय में अन्तर्ग्रस्त विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि से संघर्षरत किशोर की जन्म तिथि के बारे में जांच आवश्यक मानी है। जबकि हस्तगत प्रकरण में हमारे समक्ष किसी गम्भीर अपराध में लिप्त विधि से संघर्षरत किशोर

(213)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

की उम्र निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है। हमें इस प्रकरण की पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में विचार करना है जिसने अपराध नहीं किया है बल्कि उसके साथ अपराध होना बताया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने “अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2013) 1 एस सी सी (क्रिमिनल) 594” के सम्माननीय विनिश्चय में यह मत प्रतिपादित किया है कि अन्य विधियों जैसे नौकरी में प्रवेश, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि के लिये जांच से जे. जे. एक्ट एवं नियमों में दर्शाई गई आयु निर्धारण जांच का सम्बन्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, प्रथम बार के स्कूल के जन्म तिथि प्रमाण पत्र एवं नगर पालिका या निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की एन्ट्री गलत हो, किन्तु न्यायालय, जे. जे. बोर्ड या जे. जे. एक्ट के अन्तर्गत कार्यरत समिति से ऐसी जांच करवाई जाने एवं उक्त दस्तावेज जो कि व्यवहार के सामान्य अनुक्रम में रखे जाते हैं, की शुद्धता के पीछे जाने की आशा नहीं रखी जाती है जब तक कि न्यायालय उक्त दस्तावेज या प्रमाण पत्र को कूटरचित या छेड़छाड़ किया हुआ न माने।

माननीय न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि यह तार्किक प्रक्रिया, कि अभिभावकों ने प्रवेश रजिस्टर में गलत जन्म तिथि डलवाई होगी इसलिये वह सही जन्म तिथि नहीं है, यह सोचने के बराबर है कि अभिभावकों से यह ऐसा सोच कर किया कि बालक भविष्य में अपराध करेगा और उक्त परिस्थिति में वे सफलतापूर्वक उसकी किशोरवयता क्लेम कर सकेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त मत को इस प्रकरण के सन्दर्भ में देखा जाये तो अभियुक्तगण न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभियोक्त्री के पिता ने जानबूझ कर अपनी पुत्री की उम्र बरसों पूर्व कम लिखवाई ताकि कभी भविष्य में उसके साथ दुष्कर्म हो तो वह यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत अभियोक्त्री को बालक घोषित करवा कर अपराधी को सजा दिलवा सके।

151— “अभिषेक उर्फ बच्चा बनाम कौशल्या देवी, 2017 (2) डब्ल्यू एल सी (राज.) 495” के सम्माननीय विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

(214)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ने यह मानते हुए कि यदि सैकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट पर विश्वास किया जाये तो अभियुक्त ने पहली कक्षा में ही एडमीशन ले लिया था जो विश्वास योग्य नहीं है। अतः अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 2, सीकर द्वारा प्रकरण को पुनः किशोर बोर्ड को आयु की जांच के लिये रिमाण्ड करना उचित माना।

152— “अजय लेथा बनाम स्टेट आफ राजस्थान” के सम्माननीय विनिश्चय में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की आयु की जांच के लिये की गई Inquiry में मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दर्ज आयु को सही नहीं मानते हुए प्रथम बार के स्कूल में अंकित जन्म तिथि को सही माना जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने उचित माना है। चूंकि उक्त प्रकरण में जांच धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत की गई थी जिसमें मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को निश्चायक प्रमाण नहीं माना गया है, अतः उक्त प्रकरण के तथ्यों का प्रभाव इस प्रकरण पर नहीं पड़ता है।

153— अब हम इस बिन्दु पर विचार करते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष पीड़िता का मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-107-ए साबित करने में सफल रहा है।

154— यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रमाण पत्र को न तो पीड़िता व न ही उसके माता पिता द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र को पी. डब्ल्यू.-33 विवेक शर्मा ने साक्ष्य में प्रदर्शित किया है एवं उस पर अपने हस्ताक्षर व मोहर होना बताया है। जिरह में उसने स्पष्ट किया है कि प्रदर्श-पी-107, प्रदर्श-पी-107-ए व प्रदर्श-पी-111 बोर्ड द्वारा जारी होते हैं, उसने जारी नहीं किये हैं। तब यह सवाल पूछा गया कि प्रदर्श-पी-107-ए पर एक्स स्थान पर सचिव के जो हस्ताक्षर हैं, वह असल हैं या नहीं, अजखुद कहा कि सभी प्रमाण पत्रों पर ऐसे ही हस्ताक्षर होकर आते हैं। फिर उसने एक्स स्थान पर सील बताई है। पी. डब्ल्यू.-41 मुक्ता पारीक ने प्रदर्श-पी-111 दसवीं की अंकतालिका प्रमाण पत्र को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। उक्त दस्तावेज में पीड़िता “सु” की जन्मतिथि 4-7-1997 अंकित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने “बिरदमल सिंघवी बनाम आनन्द पुरोहित, ए आई आर 1988 सु. को. 1796” के प्रकरण में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

(215)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

“स्कॉलर रजिस्टर एवं सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा में जन्म तिथि सम्बन्धी प्रविष्टियां तब तक कोई साक्षिक मूल्य नहीं रखती हैं जब तक वह व्यक्ति जिसकी सूचना पर स्कूल रिकार्ड में जन्म तिथि दर्शाई गई हो, परीक्षित न हो जाये।”

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में अन्तर्ग्रस्त तथ्यों के अनुसार जिन व्यक्तियों हुक्मीचन्द एवं सूरजप्रकाश जोशी की जन्म तिथि को साबित करना था, न तो वे दोनों साक्ष्य में परीक्षित हुए, न ही उनके अभिभावकगण। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके शैक्षणिक दस्तावेजात् में वर्णित जन्म तिथि को साबित नहीं माना।

"The date of birth mentioned in the scholars' register has no evidentiary value unless the person who made the entry or who gave the date of birth is examined

.....

Merely because the documents Exs. 8, 9, 10, 11, and 12 were proved, it does not mean that the contents of documents were also proved. Mere proof of the documents Exs. 8, 9, 10, 11 and 12 would not tantamount to proof of all the contents or the correctness of date of birth stated in the documents. Since the truth of the fact, namely, the date of birth of Hukmi Chand and Suraj Prakash Joshi was in issue, mere proof of the documents as produced by the aforesaid two witnesses does not furnish evidence of the truth of the facts or contents of the documents. The truth or otherwise of the facts in issue, namely, the date of birth of the two candidates as mentioned in the documents could be proved by admissible evidence i.e. by the evidence of those persons who could vouchsafe for the truth of the facts in issue. No evidence of any such kind was produced by the respondent to prove the truth of the facts, namely, the date

(216)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

of birth of Hukmi Chand and of Suraj Prakash Joshi. In the circumstances the dates of birth as mentioned in the aforesaid documents 1988 (Supp) SCC 604 have no probative value and the dates of birth as mentioned therein could not be accepted." The same proposition of law is reiterated by this Court in the case of *Narbada Devi Gupta Vs. Birendra Kumar Jaiswal*², where this Court observed as follows:-

"The legal position is not in dispute that mere production and marking of a document as exhibit by the court cannot be held to be a due proof of its contents. Its execution has to be proved by admissible evidence, that is, by the "evidence of those persons who can vouchsafe for the truth of the facts in issue".

माननीय उच्चतम न्यायालय ने "Alamelu and Anr. vs. State AIR 2011 S.C. 715" सम्माननीय विनिश्चय में यह मत प्रतिपादित किया है कि :-

38. We will first take up the issue with regard to the age of the girl. The High Court has based its conclusion on the transfer certificate, Ex.P16 and the certificate issued by PW8 Dr. Gunasekaran, Radiologist, Ex.P4 and Ex.P5. Undoubtedly, the transfer certificate, Ex.P16 indicates that the girl's date of birth was 15th June, 1977. Therefore, even according to the aforesaid certificate, she would be above 16 years of age (16 years 1 month and 16 days) on the date of the alleged incident, i.e., 31st July, 1993. The transfer certificate has been issued by a Government School and has been duly signed by the Headmaster. Therefore, it would be admissible in evidence under Section 35 of the Indian Evidence Act. However, the admissibility of such a document would be of not much evidentiary value to prove

(217)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

the age of the girl in the absence of the material on the basis of which the age was recorded. The date of birth mentioned in the transfer certificate would have no evidentiary value unless the person, who made the entry or who gave the date of birth is examined. We may notice here that PW1 was examined in the Court on 9th August, 1999. In his evidence, he made no reference to the transfer certificate (Ex.P16). He did not mention her age or date of birth. PW2 was also examined on 9th August, 1999. She had also made no reference either to her age or to the transfer certificate. It appears from the record that a petition was filed by the complainant under Section 311 Cr.P.C. seeking permission to produce the transfer certificate and to recall PW2. This petition was allowed. She was actually recalled and her examination was continued on 26th April, 2000. The transfer certificate was marked as Ex.P16 at that stage, i.e., 26th April, 2000. The judgment was delivered on 28th April, 2000. In her cross-examination, she had merely stated that she had signed on the transfer certificate, Ex.P16 issued by the School and accordingly her date of birth noticed as 15th June, 1977. She also stated that the certificate has been signed by the father as well as the Headmaster. But the Headmaster has not been examined. Therefore, in our opinion, there was no reliable evidence to vouchsafe for the truth of the facts stated in the transfer certificate.

155— सम्माननीय विनिश्चय "Dileep Verma vs State Of U.P.,(2016) 5 RCR (Cri) 861" में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि :-

26. Section 35 of the Indian Evidence Act deals with the evidential value or relevancy of a document. The

(218)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

evidential value of the school leaving certificate can only be looked into in certain circumstances. There should be sufficient material on the record to prove that the date of birth was also recorded in the register maintained by the school in terms of the requirement of law as contained in Section 35 of Indian Evidence Act. It has to come in the evidence as to who went to the school to get the date of birth of the victim recorded. The parents who mentioned the date of birth of the victim, who have come-forth before the court, but in the particular case although the mother of the victim has appeared before the court, but she has not stated a word about the date of the birth of the victim. She has only stated that her daughter was minor on the date of the incident. What was the reason for the prosecution in not producing the person who got the date of birth recorded in the school has not been explained by the prosecution. Thus, by no stretch of imagination could the marksheet be relied upon. Thus, the photocopy of the marksheet on record is nothing, but a wasted paper.

156— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सम्माननीय विनिश्चय "Khema And Ors. vs The Board Of Revenue For Rajasthan, 1980 RLW (Raj.) 270 (DB)" में यह प्रतिपादित किया है कि :-

7. We have gone through the judgments of the trial court, the Revenue Appellate Authority and the Board. Neither the Revenue Appellate Authority, nor the

(219)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

Board have referred, much less discussed, the evidence produced by the parties on the question of the age of the plaintiff. It appears to us that the Revenue Appellate Authority, as well as the Board, have proceeded on the assumption that the age entered in the High school Certificate by itself is sufficient for holding that the plaintiff was born on July 6, 1947 We, however, wish to point out that an entry regarding the age of the plaintiff contained in the High school Certificate is only a piece of evidence, which may be considered, but that is not the final word in the matter. It may be pointed out that the plaintiff examined as many as five witnesses, namely, Pushpendra Singh (plaintiff), Karan Singh, Jeewan Singh Radha Kishan and Vijay Singh in support of his case. He also produced his High school Certificate. On the other hand, the petitioner defendants examined in their evidence DWs. Nathulal, Ambalal Deep Chand, Ramlal, Ganga Ram and Heeralal. They also relied upon the statement of the plaintiff made by him before the Registrar, wherein he had mentioned that he was 21 years old. Even the trial court has not discussed the evidence of the witnesses produced by the parties. Thus, none of the three courts has discussed the evidence led by the parties on the question of the age of the plaintiff at the time of execution of the sale-deeds and all three courts seem to have proceeded on the assumption that the age mentioned in the High School Certificate is conclusive proof. In our opinion,

(220)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

as observed earlier, it is not so.

157— माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्माननीय विनिश्चय "Lalta Prasad vs State Of M.P., AIR 1979 SC 1276" में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

10. The prosecution also relied upon the copy of the school certificate produced by Bansi Lal, P.W. 21, in which it is stated that at the time of her admission in the school on 1st January, 1962, Shakuntala's father had given her date of birth as 1-1-1956. On that basis, she will be less than even 14 years of age at the time of the occurrence. Another application form was produced by Bansi Lal in re-examination which shows that the girl was again admitted in the same school in class VI. This application form is said to have been filled in by Jagdish, giving her date of birth as 1.1.1956, The statement in this application form could not be proved from the evidence of Bansi Lal in re-examination. Jagdish, the alleged maker of that statement was not asked about it. The copy of the school certificate which was proved by Bansi Lal was of a private school and not of a Government school. The date of birth mentioned in that copy could not be an evidence of the statement of the deceased father of the girl that he had mentioned her date of birth as 1-1-1956 in the application form when the girl was admitted in January, 1962, That application form was not produced nor was it proved. In our opinion, therefore, the evidence of Bansi Lal does not help the

(221)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

prosecution case and cannot he said to have proved the age of the girl as being below 16 years of age.

158— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सम्माननीय विनिश्चय "State of Rajasthan vs. Ram Singh, 2017 (1) CJ (Cri.) (Raj.) 431" में यह मत प्रतिपादित किया है कि :-

The trial Judge, while deciding the case vide the impugned judgment, came to a conclusion that the school certificate on the basis whereof, the prosecution projected the victim to be minor was not reliable. The evidence given by the prosecution witnesses regarding admission of the victim in the school was vacillating. The Principal who proved the school certificate namely Hari Singh Meena, admitted that the victim was not admitted in the school in his presence. The admission form of the victim was not proved by the prosecution. A significant contradiction was noticed by the trial court inasmuch as, the victim as well as her sister were admitted in the school on the same day i.e. on 06.08.2005. A difference of one year was shown in the age of the two sisters in the school record whereas, as per the statements of the parents of the victim, there actually was a difference of three years in the age of the two girls. In this background, the trial court held that the school certificate of the victim wherein her date of birth was recorded as 25.05.1999 was not reliable. Opinion was given in the medical certificate (Ex.D/3) issued by the Medical Jurist of

(222)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

Mahatma Gandhi Hospital, Bhilwara on 26.01.2014 that the victim was between 18 to 20 years of age on the date of her examination. The prosecution could not lead any other convincing evidence at the trial court so as to satisfy the court that the victim was minor on the date of incident. The victim herself was examined as PW-4 at the trial. In her cross examination, she was confronted with her two previous statements (Ex.D/1 and Ex.D/2) recorded by the investigating officer during investigation. In these statements, she clearly exonerated the accused and rather stated about her consensual relations with Ram Singh. In these statements, she also admitted that she had married with Ram Singh of her own free will. The change in version of the victim came around almost after one month of the incident when she was examined under Section 164 Cr.P.C. on 19.02.2014. In cross-examination, she admitted that

her parents raised a protest before the Superintendent of Police, Bhilwara for changing the version recorded in her previous statements (Ex.D/1 and Ex.D/2). She gave the fresh statements as per the advice of her lawyer. It is for the first time i.e. after one month i.e. on 19.02.2014 that the allegation of kidnapping and rape was levelled by the victim against the accused persons in her statement recorded under Section 164 Cr.P.C. before the Judicial Magistrate, Bijoliya which apparently was created under tutoring and legal advice."

30. The prosecution also failed to produce any Admission Form of the school which would have been

(223)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

primary evidence regarding the age of the prosecutrix."

159— माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्माननीय विनिश्चय "Sunil vs State Of Haryana, 2009(2010) 1 SCC 742" में निम्नलिखित विश्लेषण किया है कि :-

"31. The School Leaving Certificate produced by the prosecution was also procured on 12.9.1996, six days after the incident and three days after the arrest of the appellant. As per that certificate also, she joined the school in the middle of the session and left the school in the middle of the session. The attendance in the school of 100 days is also not reliable.

32. The prosecutrix was admitted in the school by Ashok Kumar, her brother. The said Ashok Kumar was not examined. The alleged School Leaving Certificate on the basis of which the age was entered in the school was not produced.

33. Bishan, PW8, the father of the prosecutrix has also not been able to give correct date of birth of the prosecutrix. In his statement he clearly stated that he is giving an approximate date without any basis or record. In a criminal case, the conviction of the appellant cannot be based on an approximate date which is not supported by any record. It would be quite unsafe to base conviction on an approximate date."

160— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सम्माननीय विनिश्चय "Sushila Devi (Smt.) vs Smt. Bhagoti Devi And Ors., RLW 2005 (2) Raj.

(224)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

1194" में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

"11. No doubt true that the date of birth of appellant as mentioned in the scholars' register 'has no evidentiary value, unless the person who made the entry or who gave the date of birth is examined to prove the same. But when once it is proved on record that the admission form, Ex.13 was submitted by Omkarmal Saini, uncle of the appellant, mentioning the date of birth of appellant as 1.1.1986 and that Omkar Mal Saini being the near relative of the appellant had special knowledge about it, in that event the onus to prove the correct date of birth of the appellant shifts on appellant herself. In my considered view, the parents and near relations having special knowledge are the best persons to depose about the actual date of birth of a person. The appellant failed to examine in evidence her parents and uncle to prove her alleged correct date of birth."

161— माननीय उच्चतम न्यायालय ने "Alamelu and Anr. vs. State" (उक्त वर्णित) के सम्माननीय विनिश्चय में हेड मास्टर द्वारा जारी स्कूल सर्टिफिकेट को इस आधार पर नहीं माना कि उसमें अंकित जन्म तिथि का तब तक साक्ष्यिक मूल्य नहीं था जब तक वह व्यक्ति जिसने एन्ट्री की हो अथवा जिसने जन्म दिनांक दी हो, परीक्षित नहीं हो जाये।

162— "एल. आई. सी. आफ इण्डिया बनाम रामपालसिंह बिसन" "2010 ए. आई. आर. (एस. सी. डब्ल्यू.) 1900" के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि मात्र प्रदर्शित करवा देने से उसकी अन्तर्वस्तु साबित नहीं हो जाती है। "सुभाष मारुति अवसारे बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र, (2006) 10 एस सी सी 631" "नर्बदा देवी गुप्ता बनाम वीरेन्द्र कुमार

(225)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जायसवाल, (2003) 8 एस सी सी 745” “सेट तराजी खीमचन्द बनाम येलभारती सत्यम, ए आई आर 1971 सु. को. 1865” के प्रकरणों में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

163— “धर्मरंजन बनाम वल्लीमल, (2008) 2 एस सी सी 741” के सम्माननीय विनिश्चय में तहसीलदार द्वारा जारी सर्टिफिकेट को इस आधार पर साबित नहीं माना गया क्योंकि तहसीलदार साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ था।

164— “मदनमोहन सिंह बनाम रजनीकान्त, (2010) 9 एस सी सी 209” के सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि :-

18. Therefore, a document may be admissible, but as to whether the entry contained therein has any probative value may still be required to be examined in the facts and circumstances of a particular case. The aforesaid legal proposition stands fortified by the judgments of this Court in Ram Prasad Sharma Vs. State of Bihar AIR 1970 SC 326; Ram Murti Vs. State of Haryana AIR 1970 SC 1029; Dayaram & Ors. Vs. Dawalatshah & Anr. AIR 1971 SC 681; Harpal Singh & Anr. Vs. State of Himachal Pradesh AIR 1981 SC 361; Ravinder Singh Gorkhi Vs. State of U.P. (2006) 5 SCC 584; Babloo Pasi Vs. State of Jharkhand & Anr. (2008) 13 SCC 133; Desh Raj Vs. Bodh Raj AIR 2008 SC 632; and Ram Suresh Singh Vs. Prabhat Singh @Chhotu Singh & Anr. (2009) 6 SCC 681. In these cases, it has been held that even if the entry was made in an official record by the concerned official in the discharge of his official duty, it may have weight but still may require corroboration by the person on whose information the entry has been made and as to whether the entry so made has been exhibited and proved. The standard of proof required herein is the same as in other civil and criminal cases.

19. Such entries may be in any public document, i.e. school register, voter list or family register prepared under the Rules and Regulations etc. in force, and may be admissible under [Section 35](#) of the Evidence Act as held in Mohd. Ikram Hussain Vs. The State of U.P. & Ors. AIR 1964 SC 1625; and Santenu Mitra Vs. State of West Bengal AIR 1999 SC 1587.

20. So far as the entries made in the official record by an official or person authorised in performance of official duties are concerned, they may be admissible under [Section 35](#) of the Evidence Act but the court has a right to examine their probative value. The authenticity of the entries would depend on whose information such entries stood recorded and what was his source of information. The entry in School Register/School Leaving Certificate require to be proved in accordance with law and the standard of proof required in such cases remained the same as in any other civil or criminal cases.

21. For determining the age of a person, the best evidence is of his/her parents, if it is supported by unimpeachable documents. In case the date of birth depicted in the school register/certificate stands belied by the unimpeachable evidence of reliable persons and contemporaneous documents like the date of birth register of the Municipal Corporation, Government Hospital/Nursing Home etc, the entry in the school register is to be discarded. (Vide: Brij Mohan Singh Vs. Priya Brat Narain Sinha & Ors. AIR 1965 SC 282; Birad Mal Singhvi Vs. Anand Purohit AIR 1988 SC 1796; Vishnu Vs. State of Maharashtra (2006) 1 SCC 283; and Satpal Singh Vs. State of Haryana JT 2010 (7) SC 500).

22. If a person wants to rely on a particular date of birth

(227)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

and wants to press a document in service, he has to prove its authenticity in terms of [Section 32\(5\)](#) or [Sections 50, 51, 59, 60 & 61](#) etc. of the [Evidence Act](#) by examining the person having special means of knowledge, authenticity of date, time etc. mentioned therein. (Vide: [Updesh Kumar & Ors. Vs. Prithvi Singh & Ors.](#), (2001) 2 SCC 524; and [State of Punjab Vs. Mohinder Singh](#), AIR 2005 SC 1868).

165— हमने उक्त सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य में प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श-पी-107-ए, प्रदर्श-पी-107 व प्रदर्श-पी-111 के सम्बन्ध में मनन किया कि क्या उक्त दस्तावेज साबित हो चुके हैं। यह उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेजों में पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 अंकित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने “बिरदमल सिंघवी बनाम आनन्द पुरोहित” (उक्त वर्णित) के सम्माननीय विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया है कि किसी भी दस्तावेज का प्रदर्शित होकर साबित हो जाना उसकी अन्तर्वस्तु को साबित नहीं कर सकता है। उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि एडमीशन फार्म, स्कॉलर रजिस्टर रजिस्टर की प्रविष्टि अभिभावक या वह व्यक्ति जिसे सम्बन्धित व्यक्ति की जन्म तिथि के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान है, के आधार पर की गई हो, तब ही साबित मानी जायेगी। हस्तगत प्रकरण में पीड़िता की माता पी. डब्ल्यू. -12 सुनीतासिंह ने पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 बताई है। पीड़िता के पिता पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह ने भी अपने मुख्य परीक्षण में पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 बताई है। उक्त दोनों व्यक्तियों ने जिरह में इस बात से इन्कार किया है कि पीड़िता की जन्म तिथि 6-8-1995 हो। स्वयं पीड़िता पी. डब्ल्यू.-5 “सु” ने अपनी जन्म तिथि 4-7-1997 होना बताई है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ हो जिन्हें पीड़िता की जन्म तिथि का विशेष ज्ञान रहा हो। अतः उपरोक्त सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर पीड़िता, उसकी माता व उसके पिता द्वारा साक्ष्य में उपस्थित होकर पीड़िता की जन्म तिथि

(228)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बताने के कारण प्रदर्श-पी-107-ए, प्रदर्श-पी-107 व प्रदर्श-पी-111 की अन्तर्वस्तु की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श-पी-107-ए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज (Public Document) है। लोक दस्तावेज को साक्ष्य में कोई भी प्रदर्शित करवा सकता है, जैसा कि सम्माननीय विनिश्चय "कोमाग्नी लैया बनाम कोमाग्नी भिक्षपति, 2014 (3) सी.सी.सी. 858 (ए. पी.)" में माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है।

166— अतः यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की जन्म तिथि के बारे में मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को प्रमाणित करने में सफल रहा है। यह सही है कि दौराने बहस अन्तिम अभियोजन पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया था जिसमें पीड़िता के शैक्षणिक दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु को साबित करने के लिये साक्षी तलब करने का निवेदन किया गया था, किन्तु मेरे विनम्र मत में कोई दस्तावेज साबित हुआ है या नहीं, यह तय करना न्यायालय का कार्य है। मात्र अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने देने से यह नहीं माना जा सकता है कि दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु साबित नहीं हुई हो। पीड़िता की जन्म दिनांक से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज प्रदर्श-पी-108 लगायत प्रदर्श-पी-111 सिद्ध नहीं भी होते हैं तो भी उससे मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के साक्ष्यिक मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के साक्ष्यिक मूल्य को समाप्त करने के लिये बचाव पक्ष को उसे झूठा या कूटरचित ठहराना आवश्यक था।

167— अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बचाव पक्ष उक्त मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र को False ठहराने में सफल रहा है ? इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है :-

168— सर्वप्रथम पीड़िता के श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ के दस्तावेज उसके प्रवेश फार्म के सम्बन्ध में आई मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में मनन करते हैं। यह सही है कि बचाव पक्ष के साक्षीगण की साक्ष्य को भी अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य के समान ही सम्मान देना होगा जैसा कि निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है :-

(229)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

- (1)- आदम भाई सुलेमान भाई अजमेरी बनाम गुजरात राज्य
(2014) 7 एस सी सी 716 :-

CrI.A.Nos.2295-2296 of 2010 -

It has been held by this Court in a catena of cases that while examining the witnesses on record, equal weightage shall be given to the defence witnesses as that of the prosecution witnesses. In the case of Munshi Prasad & Ors. v. State of Bihar, this Court held as under:

“3.....Before drawing the curtain on this score however, we wish to clarify that the evidence tendered by the defence witnesses cannot always be termed to be a tainted one by reason of the factum of the witnesses being examined by the defence. The defence witnesses are entitled to equal respect and treatment as that of the prosecution. The issue of credibility and the trustworthiness ought also to be attributed to the defence witnesses on a par with that of the prosecution - a lapse on the part of the defence witness cannot be differentiated and be treated differently than that of the prosecutors' witnesses.”

Further, it has been held in the case of State of Haryana v. Ram Singh as under:

“19.Incidentally, be it noted that the evidence tendered by defence witnesses cannot always be termed to be a tainted one — the defence witnesses are entitled to equal treatment and equal respect as that of the prosecution. The issue of credibility and the trustworthiness ought also to be attributed to the defence witnesses on a par with that of the prosecution. Rejection of the defence case on the basis of the evidence tendered by the defence witness has been effected rather casually by the High Court. Suggestion was there to the prosecution witnesses, in particular PW 10 Dholu Ram that his father

(230)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

Manphool was missing for about 2/3 days prior to the day of the occurrence itself — what more is expected of the defence case: a doubt or a certainty — jurisprudentially a doubt would be enough: when such a suggestion has been made the prosecution has to bring on record the availability of the deceased during those 2/3 days with some independent evidence. Rejection of the defence case only by reason thereof is far too strict and rigid a requirement for the defence to meet — it is the prosecutor's duty to prove beyond all reasonable doubts and not the defence to prove its innocence — this itself is a circumstance, which cannot but be termed to be suspicious in nature.”

(2)- Anand Kumar vs. State of U. P. & Ors.

2013 (4) Criminal Court Cases 512 (Allahabad)

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

It is trite law that witnesses of the defence should not and can not be looked with a prejudicial eye and they have to be treated on the same footing as witnesses of the prosecution. Their testimony has to be adjudged impartially and due weight has to be accorded to them if their testimonies qualify the known and accepted norms of credibility.

(3)- State of Haryana vs. Ram Singh

(2002) 2 SCC 426

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त सम्माननीय विनिश्चय में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

Incidentally be it noted that the evidence tendered by defence witnesses cannot always be termed to be a tainted one – the defence witnesses are entitled to equal treatment and equal

(231)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

respect as that of the prosecution. The issue of credibility and the trustworthiness ought also to be attributed to the defence witnesses at par with that of the prosecution. Rejection of the defence case on the basis of the evidence tendered by defence witness has been effected rather casually by the High Court.

(4)- Bholal Pal vs. State

2016 (1) Criminal Court Cases 142 (Allahabad) (DB)

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

19. Law is settled on the point that evidence of defence witness has to be considered in the same manner as the evidence of a prosecution witness and the evidence of a defence witness cannot be brushed aside without assigning any reason.

169— हमने उक्त सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बचाव साक्षी का भी वही महत्व है जो अभियोजन साक्षी का है एवं बिना किसी उचित कारण के बचाव साक्षी की साक्ष्य को नकारा नहीं जाना चाहिये, किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि उसकी साक्ष्य को भी उतनी ही सूक्ष्मता से परखना चाहिये जितनी सूक्ष्मता से अभियोजन साक्षी की साक्ष्य परखी जाती है। माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय ने बचाव साक्षी की साक्ष्य के साक्ष्यिक मूल्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

(1)- Amal Dewan And Ors vs The State Of Assam, on 5 June, 2012 CRIMINAL APPEAL No. 225 of 2004 (Gauhati High Court)

The convict appellant for the first time took this defence in their statement u/s 313 Cr.P.C. On perusal of records it is found that the convict appellant never disclosed it to the I.O. or any police officer connected with the investigation of the case. In my considered view they have taken this plea of defence as a measure of afterthought. If it was correct that the

(232)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

blow given by Amanur and Hannan accidentally fell on the head of their deceased father the accused persons should have told the I.O. at the initial stage itself. On scrutiny it is found that the accused persons never made any statement in that regard before the I.O. u/s 161 [Cr.P.C.](#) In my considered view the defence plea as taken for the first time after the closure of recording of prosecution witness is not acceptable and it should be dismissed as untenable in law. As regards the evidence of DW-1 it can easily be said that he was projected by the accused persons to substantiate their plea of defence. This D.W.1 is a co-villager claiming himself to be an eye witness. It was his moral and legal duty to disclose the truth at the very beginning of the investigation of the case before the police official, more particularly the I.O. Interestingly, D.W.1 did not even tell any co-villager about the real incident witnessed by him that the deceased sustained head injuries due to lathi blow of his sons. A rustic witness and a cultivator by occupation like DW-1 is normally expected to disclose such truth before the villagers or at least before the village headman to save his co-villager accused person. His evidence is not corroborated by any other co-villager. The status of DW-1 is nothing but one of a hired witness gained by the accused persons for their defence. Such a witness cannot be regarded as trustworthy and reliable. The evidence of such defence witness attaches no evidentiary value capable of destroying the evidence of the prosecution.

170— पीड़िता की जन्म तिथि के बारे में बचाव पक्ष द्वारा डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोड़ा, डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू-8 प्रियासिंह, डी. डब्ल्यू-9 रीना, डी. डब्ल्यू-11 विद्या एवं डी. डब्ल्यू. 15 राममेहरसिंह के बयान करवाये गये हैं। डी. डब्ल्यू. 15 राममेहरसिंह के अतिरिक्त उक्त सभी गवाहान ने दिनांक

(233)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

6-8-2013 को पीड़िता द्वारा अपना जन्म दिन मनाना बताया है। गवाह डी. डब्ल्यू. 1 चारूल अरोड़ा, डी. डब्ल्यू. 7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू. 11 विद्या व डी. डब्ल्यू. 8 प्रियासिंह ने पीड़िता द्वारा उन्हें शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ का प्रवेश फार्म दिखाना बताया है। यह नितान्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई बालिका ऐसे स्कूल के प्रवेश फार्म एवं स्कॉलर रजिस्टर की प्रति साथ लेकर घूमेगी जिसमें उसे पढ़ना याद भी नहीं है और उक्त स्कूल के शैक्षणिक फार्म का कोई शैक्षणिक महत्व भी नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श-डी-150 साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है, यह फोटो प्रति है जो स्वयं बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ लगा कर पेश की गई थी। हमने उक्त फोटो प्रति का मिलान मूल फार्म प्रदर्श-डी-8-ए एवं उसकी प्रति प्रदर्श-डी-8-बी से किया। चूंकि प्रदर्श-डी-150 बचाव पक्ष की ओर से ही प्रस्तुत किया गया है, अतः बचाव पक्ष उक्त दस्तावेज से इन्कार नहीं कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज में मात्र नर्सरी की ही प्रविष्टि है एवं K. G. की मात्र दिनांक लिख कर आगे खाली छोड़ा हुआ है जबकि प्रदर्श-डी-8-ए व प्रदर्श-डी-8-बी में K.G. व कक्षा First की सम्पूर्ण प्रविष्टियां हैं व Second कक्षा के लिये दिनांक 26-3-2002 लिख कर आगे खाली छोड़ा हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज में K.G., First व Second की एन्ट्री, प्रदर्श-पी-150 की फोटो कापी करने के पश्चात् की गई है। उक्त दस्तावेज पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रिन्सिपल के स्थान पर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में डी. डब्ल्यू.-11 विद्या का यह बयान कि "सु" ने शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ के स्कॉलर रजिस्टर की प्रति दिखाई जिसमें वर्ष 1999 से लेकर 2002 की प्रविष्टियां थी, वर्ष 1999 में "सु" ने नर्सरी कक्षा में प्रवेश लिया था, 2000 में K.G., 2001 में प्रथम व 2002 में कुछ नहीं था, बताता है कि यह गवाह विश्वसनीय नहीं है। मेरे विनम्र मत में ऐसी मौखिक साक्ष्य कतई विश्वास योग्य नहीं है।

171- जहां तक डी. डब्ल्यू.-7 मेघा शर्मा का प्रश्न है, वह स्वयं को पीड़िता की बेहद करीबी बताती है। डी. डब्ल्यू.-1 चारूल हरोड़ा ने यह कथन किया है कि "सु" के एक तरफ वह तथा दूसरी तरफ मेघा शर्मा सोती थी

(234)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लेकिन यह गवाह सन्त श्री आसाराम गुरुकुल की छात्रा रही हो, ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुआ है। साथ ही पी. डब्ल्यू-5 "सु" को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि मेघा शर्मा उसकी निकटतम सहेली हो और डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोड़ा उसकी निकटतम सहेली हो। मात्र होस्टल में साथ रहने के सुझाव दिये गये हैं। उक्त सभी द्वारा दिनांक 6-8-2013 को उसका जन्म दिन मनाया गया हो और 18 साल की कैण्डिल जलाई गई हो, ऐसा कोई सुझाव पीड़िता को नहीं दिया गया है। इसके विपरीत उसे यह सुझाव दिया गया है कि छात्रावास में जो बच्चे अपना बर्थ-डे मनाना चाहते हैं, उनका बर्थ-डे मनाया जाता है और जितने साल के वे होते हैं, उतने दिये जलाये जाते हैं। अतः मेरे विनम्र मत में बचाव पक्ष के उक्त सभी गवाहान की मौखिक साक्ष्य इस सम्बन्ध में विश्वसनीय नहीं है कि दिनांक 6-8-2013 को पीड़िता का जन्म दिन मनाया गया हो जिसमें 18 वर्ष की कैण्डिल जलाई गई हो एवं उसने अपने शैक्षणिक दस्तावेज गवाहान को कभी दिखाये हों।

172- जहां तक डी. डब्ल्यू 15 राममेहरसिंह का प्रश्न है, इस गवाह ने परिवादी कर्मवीरसिंह के पिता रामदिया का स्वयं के यहां 1975 से आना जाना कहा है व कर्मवीरसिंह को 1975 से जानना कहता है। वह कर्मवीरसिंह के शुभम देवी नामक लड़की 6-8-1995 को होना कहता है एवं जन्म पत्री बनवाने के लिये रामदिया व कर्मवीरसिंह के साथ पण्डित राम कुमार ज्योतिषाचार्य के पास गांव धाडोला जाना बताता है। यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू 21 कर्मवीरसिंह को बचाव पक्ष की ओर से जिरह में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि वह राममेहरसिंह को जानता हो एवं राममेहरसिंह के साथ अपनी बच्ची की जन्म पत्री बनवाने किसी पण्डित के यहां गया हो। अतः इस गवाह के बयान पश्चात्त्वर्ती सोच का परिणाम प्रकट होते हैं, जिन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है।

173- पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में अन्य साक्ष्य यह दी गई है कि पीड़िता का नाम शुभम देवी था। हमने सर्वप्रथम प्रदर्श-डी-9 से प्रदर्श-डी-13 का अवलोकन किया। पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह ने यह स्वीकार किया है कि शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ में शपथ पत्र प्रदर्श-डी-9-ए से प्रदर्श-डी-13 दिया था

(235)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लेकिन उक्त शपथ पत्र में यह कथन नहीं है कि उसकी पुत्री का नाम शुभम देवी हो जिसे वह परिवर्तित करवा कर "सु" देवी करवाना चाहता हो। शपथ पत्र प्रदर्श-डी-10-ए में यह अंकित है कि शपथकर्त्ता की पुत्री का नाम शुभम देवी लिख गया है जो कि शपथकर्त्ता की पुत्री का सही नाम "सु" देवी है इल्म जाती है। शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 3 प्रदर्श-डी-11-ए पर यह अंकित है कि शपथकर्त्ता की पुत्री का सही नाम "सु" देवी शपथकर्त्ता के न्यायहित में है। अतः यह स्पष्ट है कि कर्मवीरसिंह ने अपने शपथ पत्र में यह स्वीकार नहीं किया है कि उसकी पुत्री का नाम शुभम देवी हो।

174- निश्चित रूप से बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-डी-40 व प्रदर्श-डी-44 जिसका मूल प्रदर्श-डी-40-ए है, पर पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह ने अपने माता पिता को व परिवार को पहचाना है। डी. डब्ल्यू.-26 उदयसिंह ने प्रदर्श-डी-4 रजिस्टर के पृष्ठ प्रदर्श-डी-216 में परिवादी के पिता रामदिया की प्रविष्टियां अंकित होना बताया है एवं उक्त दस्तावेज में शुभम नाम अंकित है जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई गई है, किन्तु यह दस्तावेज परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज में अंकित तथ्यों के लिये परिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त फार्म रामदिया द्वारा भरना बताया गया है, मात्र उस फार्म के आधार पर पीड़िता की जन्म तिथि का निर्धारण नहीं हो सकता है।

175- माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्माननीय विनिश्चय "M/S. Grasim Industries Ltd. vs M/S. Agarwal Steel, 2009 (2) WLC 743" में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

"In our opinion, when a person signs a document, there is a presumption, unless there is proof of force or fraud, that he has read the document properly and understood it and only then he has affixed his signatures thereon, otherwise no signature on a document can ever be accepted. In particular, businessmen, being careful people (since their money is involved) would have ordinarily read and understood a document before

(236)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

signing it. Hence the presumption would be even stronger in their case. There is no allegation of force or fraud in this case. Hence it is difficult to accept the contention of the respondent while admitting that the document Ex.D-8 bears his signatures that it was signed under some mistake. We cannot agree with the view of the High Court on this question. On this ground alone, we allow this appeal, set aside the impugned judgment of the High Court and remand the matter to the High Court for expeditious disposal in accordance with law."

176— पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह ने एल. आई. सी. के फार्म प्रदर्श-डी-42 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त फार्म में पीड़िता की जन्म तिथि 1-7-1994 अंकित है। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह ने चूंकि उक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, अतः वह दस्तावेज की अन्तर्वस्तु से मुकर नहीं सकती है तथा वह धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत पूर्ववर्ती कथनों से बाध्य है। मेरे विनम्र मत में एल. आई. सी. के फार्म में अंकित जन्म तिथि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत पीड़िता की जन्म तिथि निर्धारण के लिये उपयोग में नहीं ली जा सकती है। हमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार धारा 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 में वर्णित प्रावधानों का ही उपयोग लेना होगा। अतः उक्त दस्तावेज में अंकित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है।

177— यह सही है कि पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह ने प्रदर्श-डी-6 व प्रदर्श-डी-7 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। यदि प्रदर्श-डी-6-ए व प्रदर्श-डी-7-ए के आधार पर यह यह मान भी लिया जाये कि पीड़िता का एडमिशन श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ में उसके भाई के साथ हुआ था तो भी प्रदर्श-पी-150 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह मात्र नर्सरी कक्षा में उस स्कूल में गई थी जो Play Group के बराबर माना जाता है। नियम 12 (3) (ए) (II) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 में Play

(237)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

School के Date of Birth Certificate को मान्यता नहीं दी गई है। पी. डब्ल्यू-12 सुनीता ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पीड़िता वहां पढ़ने जाती हो वरन् उसने यह कथन किया है कि पीड़िता वहां खेलने कूदने जाती थी। नर्सरी में बच्चा सामान्य तौर पर खेलने कूदने जाता है। जहां तक फार्म प्रदर्श-डी-6 व प्रदर्श-डी-7 में पीड़िता की जन्म तिथि 6-8-1995 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श-पी-156 दस्तावेज पेश किया गया है जो कर्मवीरसिंह के पुत्र सोमवीरसिंह का कक्षा II का परीक्षाफल है जिसमें उसकी जन्म तिथि 2-8-1993 दर्शाई गई है। यह परीक्षाफल भी शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ से ही जारी हुआ है। प्रदर्श-पी-159 प्रशस्ति नामक छात्रा का वर्ष 1993-94 का शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ का परीक्षाफल विवरणिका है। उक्त विवरणिका में उसकी जन्म तिथि 15-6-1988 अंकित है जबकि इसी छात्रा की वर्ष 1995-96 की विवरणिका में जन्म तिथि 19-7-1991 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ में अंकित बच्चों की जन्म तिथि में संशोधन होता रहा है।

178- सोमवीर की जन्म तिथि प्रदर्श-पी-154 में 1-3-1989 है जो वर्ष 1994-1995 की शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ की प्रोग्रेस रिपोर्ट है जबकि प्रदर्श-पी-156 में सोमवीर की जन्म तिथि 2-8-1993 अंकित है। जहां प्रदर्श-पी-154 में नाम सोमवीरसिंह अंकित है, पिता का नाम कर्मवीरसिंह, लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, अजीत गंज शाहजहांपुर अंकित है तो वहीं प्रदर्श-पी-150 में नाम सोमवीरसिंह पिता का नाम कर्मवीरसिंह, लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट शाहजहांपुर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ में बालकों की जन्म तिथि व नाम में परिवर्तन किया जाता रहा है। मूल आवेदन पत्र प्रदर्श-डी-155 में सोमवीर की जन्म तिथि 20-12-1989 अंकित है।

179- डी. डब्ल्यू-5 जया कामत प्रिन्सिपल शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ को जिरह में उक्त दोनों दस्तावेज प्रदर्श-पी-159 व प्रदर्श-पी-160 दिखाये गये तो वह जन्म तिथि में अन्तर बाबत कोई जवाब नहीं दे पाई है। इस गवाह को जब प्रदर्श-पी-155 व प्रदर्श-पी-154 मूल प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई गईं तो कि उनके स्कूल शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ शाहजहांपुर की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी तो

(238)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गवाह ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि यह उनके स्कूल की नहीं है। डी. डब्ल्यू.-5 श्रीमती जया कामत जिरह में स्वीकार करती है कि दिनांक 6-4-1999 को वह उक्त विद्यालय में कार्यरत नहीं थी। वह प्रदर्श-डी-7-ए व प्रदर्श-डी-6-ए दस्तावेज जुलाई 2000 में पेश होना कहती है। जबकि प्रदर्श-डी-6-ए दिनांक 6-4-1999 को एडमिशन होना अंकित है। इस गवाह से विस्तृत जिरह की गई है और जिरह में यह गवाह स्थिर नहीं रह पाई है। मूल स्कॉलर रजिस्टर में दर्शाई गई विभिन्न कमियों के बारे में वह कोई जवाब नहीं दे पाई है। गवाह ने स्वयं को प्रिन्सिपल मुमुक्षु विद्यापीठ शाहजहांपुर बताया है जबकि जिरह में वह अप्रैल 2005 में स्कूल छोड़ देना कहती है। प्रदर्श-पी-151 शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ द्वारा सूचना के अधिकार के तहत कर्मवीरसिंह को जारी पत्र है। उक्त पत्र में श्री जया कामत का कार्यकाल दिनांक 23-6-2000 से 6-11-2004 बताया गया है। उक्त पत्र पर प्रधानाचार्य के रूप में किये गये हस्ताक्षरों में एवं श्रीमती जया कामत के हस्ताक्षरों में पूर्ण अन्तर है। इसके बावजूद यह गवाह बयानों में स्वयं को शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ की प्रिन्सिपल बताती है। इस गवाह की साक्ष्य कतई विश्वसनीय नहीं है।

180- उपरोक्त विवेचन अनुसार शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ से सम्बन्धित दस्तावेज प्रदर्श-डी-6-ए, प्रदर्श-डी-7-ए व प्रदर्श-डी-8-ए विश्वास नहीं जगाते हैं और मात्र उनके आधार पर पीड़िता के हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर अविश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

181- यह सही है कि पीड़िता पी. डब्ल्यू.-5 "सु" ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसके ताऊ जी की बेटी बहन दिति लगभग उसकी उम्र की है, कुछ महीनों का फर्क है। पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह ने अदिति को "सु" से दो ढाई साल बड़ा बताया है। पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह को यह सुझाव दिया गया कि अदिति की जन्म तिथि स्कूल रिकार्ड के अनुसार 24-6-1995 है। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि चूंकि पीड़िता ने यह स्वीकार कर लिया है कि अदिति उसकी हमउम्र है तथा पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह अदिति को दो ढाई साल बड़ा बताती है, अतः यह स्पष्ट है कि पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह अदिति की उम्र जानबूझ कर दो ढाई वर्ष बड़ी बताती

(239)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

है। क्योंकि अदिति की जन्म तिथि 24-6-1995 है, इस लिहाज से पीड़िता की उम्र 6-8-1995 सही बैठती है। मेरे विनम्र मत में अदिति की जन्म तिथि बाबत कोई भी दस्तावेज हमारे समक्ष साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मात्र उक्त दोनों गवाहों के अन्दाजे से कहे अनुसार कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पीड़िता की जन्म तिथि 6-8-1995 हो।

182- सोमवीरसिंह पीड़िता का बड़ा भाई है। बचाव पक्ष की ओर से सोमवीरसिंह की उम्र के सम्बन्ध में कई दस्तावेज पेश कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सोमवीरसिंह की जन्म तिथि 6-12-1990 है। पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसके व सोमवीर के मध्य 4 वर्षों का अन्तर है। अतः इस लिहाज से उसकी जन्म तिथि 6-8-1995 बिल्कुल सही बैठती है। अगर इस तर्क पर विश्वास कर भी लिया जाये तो भी दोनों के बीच का अन्तर लगभग 5 वर्ष हो जाता है। बचाव पक्ष की ओर विभिन्न दस्तावेज पेश कर यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि सोमवीर 1989 या 1990 का जन्मा है। सर्वप्रथम प्रदर्श-डी-16 जिसकी प्रति प्रदर्श-डी-16-ए है, के सम्बन्ध में विचार करते हैं। यह जन्म प्रमाण पत्र है जिसे पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह को दिखाया गया तो उसने इससे इन्कार किया। डी. डब्ल्यू-28 डा. अमित कुमार चिकित्सा अधिकारी ने साक्ष्य में उपस्थित होकर उक्त दस्तावेज को साबित किया है। उक्त दस्तावेज से यह तो साबित होता है कि दिनांक 6-12-1990 को गढ़ी छाजू के कर्मवीर व सुनीता के एक लड़का उत्पन्न हुआ था जिसका नाम कर्णवीर रखा गया था किन्तु वह लड़का सोमवीर हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। डी. डब्ल्यू-30 श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव सिटी मजिस्ट्रेट, विधान सभा शाहजहांपुर ने प्रदर्श-डी-5 व प्रदर्श-डी-74 वोटर लिस्ट को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 15-8-2013 को सोमवीर की आयु 23 वर्ष थी लेकिन यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने "सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार, (2003) 8 एस सी सी 673" के उक्त वर्णित सम्माननीय विनिश्चय में पैरा संख्या 51 में Election Commission of India द्वारा जारी वोटर लिस्ट व Election Identity Card को निर्णायक रूप से उम्र साबित करने वाला नहीं माना है। बचाव पक्ष

(240)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

की ओर से डी. डब्ल्यू-25 रामवचन ने साक्ष्य में उपस्थित होकर प्रदर्श-डी-20-ए व प्रदर्श-डी-20-बी ड्राईविंग लाईसेन्स रजिस्टर की फोटो कापी साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित की है। गवाह के कथनों के अनुसार लाईसेन्स धारक की जन्म तिथि 1-1-1990 रिकार्ड के आधार पर थी। लाईसेन्स की वैधता 7-3-2030 तक बताई गई है। लाईसेन्स प्रदर्श-डी-69 साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श-डी-69 में जन्म तिथि 1-7-1990 अंकित है जबकि प्रदर्श-डी-20 में जन्म तिथि 1-1-1990 अंकित है। इसी प्रकार बचाव पक्ष की ओर से आंगनवाड़ी सेन्टर का रजिस्टर प्रदर्श-पी-39 की प्रति साक्ष्य में प्रदर्शित करवाई गई है जिसमें सोमवीर की जन्म तिथि 8-12-1990 लिखाई गई है। Inoculation Register गढ़ी छाजू प्रदर्श-डी-38 में भी सोमवीर की जन्म तिथि 8-12-1990 दर्शाई गई है। इस प्रकार हमारे समक्ष विभिन्न दस्तावेजात् में सोमवीर की जन्म दिनांक : 8-12-1990; 1-7-1990; 1-1-1990; 6-8-1990; 20-12-1989; एवं प्रदर्श-डी-156 में 2-8-1993 तथा प्रदर्श-डी-154 में 1-3-1989 जन्म दिनांक आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने "मदनमोहन सिंह बनाम रजनीकान्त" (उक्त वर्णित) के सम्माननीय विनिश्चय में पैरा संख्या 18 से 21 में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

In these cases, it has been held that even if the entry was made in an official record by the concerned official in the discharge of his official duty, it may have weight but still may require corroboration by the person on whose information the entry has been made and as to whether the entry so made has been exhibited and proved. The standard of proof required herein is the same as in other civil and criminal cases.

19. Such entries may be in any public document, i.e. school register, voter list or family register prepared under the Rules and Regulations etc. in force, and may be admissible under [Section 35](#) of the Evidence Act as held in Mohd. Ikram Hussain Vs. The State of U.P. &

(241)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

Ors. AIR 1964 SC 1625; and Santenu Mitra Vs. State of West Bengal AIR 1999 SC 1587.

20. So far as the entries made in the official record by an official or person authorised in performance of official duties are concerned, they may be admissible under [Section 35](#) of the Evidence Act but the court has a right to examine their probative value. The authenticity of the entries would depend on whose information such entries stood recorded and what was his source of information. The entry in School Register/School Leaving Certificate require to be proved in accordance with law and the standard of proof required in such cases remained the same as in any other civil or criminal cases.

183— मेरे विनम्र मत में सोमवीर की उक्त समस्त भिन्न भिन्न जन्म दिनांक के आधार पर पीड़िता की उम्र निश्चित करना कतई सुरक्षित नहीं है क्योंकि उक्त जन्म दिनांक में लगभग 4 वर्षों का Variation आ रहा है। ऐसी स्थिति में स्वयं शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ की मार्कशीट प्रदर्श-पी-156 पर विश्वास क्यों न किया जाये जिसमें सोमवीर की जन्म दिनांक 2-8-1993 बताई गई एवं उससे 4 साल का अन्तर रखा जाये तो पीड़िता की जन्म दिनांक 4-7-1997 होना प्रकट होता है।

184— इसके विपरीत सोमवीर की जन्म तिथि के दस्तावेजों के विपरीत यदि प्रदर्श-डी-6, प्रदर्श-डी-7 एवं प्रदर्श-डी-8 दस्तावेजात् श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ शाहजहांपुर को छोड़ कर, जिसकी साख स्वयं उस स्कूल के अन्य दस्तावेजों प्रदर्श-पी-154 लगायत प्रदर्श-पी-160 से समाप्त हो रही है, पीड़िता की जन्म तिथि सम्बन्धी अन्य दस्तावेजात् के बारे में भी विचार करना हम उचित समझते हैं।

185— पी. डब्ल्यू-20 अरविन्द वाजपेई ने स्वयं को सरस्वती शिशु मन्दिर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित होना बताया है। गवाह ने "सु" का

(242)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रवेश पत्र प्रदर्श-पी-45 साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। गवाह ने "सु" का शिशु पंजीकरण व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-46 व पुलिस द्वारा मांगने पर "सु" का आयु प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-47 भी साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। इस गवाह की विश्वसनीयता दो तरीके से Impeach करने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम तो वह मुख्य परीक्षण व जिरह में स्कूल में स्वयं के पदस्थापन की तारीख में गलती कर रहा है। वह पहले अपना पदस्थापन दिनांक 1-7-2006 बता रहा है, फिर 1-7-2007 बता रहा है। इस गवाह के बयान दिनांक 6-12-2014 को हुए हैं तथा 8 सालों के पश्चात् किसी से भी सन् सम्बन्धी भूल होना स्वाभाविक है। अन्य आक्षेप यह लगाया गया है कि इसने प्रदर्श-पी-46 घटना कारित होने के पश्चात् तैयार करके दिया है, अतः प्रदर्श-पी-46 फर्जी दस्तावेज है। मेरे विनम्र मत में उक्त आक्षेप भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त स्कूल से घटना से पूर्व पीड़िता की टी. सी. जारी ही नहीं हुई। घटना के बाद जब आवश्यकता पड़ी तो पी. डब्ल्यू-25 पुखदास के द्वारा पीड़िता के प्रथम बार दाखिला लेने वाले स्कूल के आधार पर टी. सी. व जन्म तिथि प्रमाण पत्र मांगने पर उसके द्वारा हस्ताक्षर कर टी. सी. जारी की गई जो प्रदर्श-पी-46 है। उक्त दस्तावेज को Forged तब माना जायेगा जब गवाह किसी पूर्व तिथि में टी. सी. जारी करता अथवा प्रवेश फार्म में अंकित जन्म दिनांक व टी. सी. में अंकित जन्म दिनांक में अन्तर होता। उक्त टी. सी. में वर्णित जन्म तिथि व प्रदर्श-पी-45 में वर्णित जन्म तिथि में कोई अन्तर नहीं है। दोनों में जन्म तिथि 4-7-1997 अंकित है। जहां तक प्रदर्श-पी-45 के साबित होने का प्रश्न है, पूर्व उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय विनिश्चय "बिरदमल सिंघवी बनाम आनन्द पुरोहित" के अनुसार यदि मात्र उक्त दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में श्री अरविन्द वाजपेई ही परीक्षित होता एवं पीड़िता उसके माता पिता में से कोई जन्म तिथि की पुष्टि नहीं करता, तो दस्तावेज की अन्तर्वस्तु साबित नहीं मानी जाती, लेकिन न सिर्फ पीड़िता पी. डब्ल्यू-5 ने अपनी जन्म तिथि 4-7-1997 होना बताई है, वरन् उसकी माता पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह एवं उसके पिता पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह, जो कि पीड़िता की

(243)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जन्म तिथि के बारे में सर्वोत्तम ज्ञान रखते हैं, ने पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 होना साबित किया है। अतः प्रदर्श-पी-45 की अन्तर्वस्तु पीड़िता की जन्म दिनांक साबित नहीं हुई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

186- पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा ने साक्ष्य में उपस्थित होकर प्रदर्श-पी-107-ए माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश भोपाल का हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रदर्शित करवाया है। इस प्रमाण पत्र पर गवाह ने अपने काउन्टर हस्ताक्षर होना कहा है। प्रदर्श-पी-108 से लेकर प्रदर्श-पी-116 पर अपने हस्ताक्षर व मोहर होना गवाह ने बताया है। गवाह ने जिरह में स्पष्ट किया है कि प्रदर्श-पी-108, प्रदर्श-पी-109, प्रदर्श-पी-111, प्रदर्श-पी-111 दस्तावेजों के असल नहीं है बल्कि द्वितीय प्रति है जो उसने रिकार्ड के अनुसार दी थी। चूंकि गवाह सन्त श्री आसाराम सीनियर सैकेण्डरी गुरुकुल का प्रिन्सिपल है, ऐसी स्थिति में उक्त समस्त दस्तावेजों का रिकार्ड उसके पास है और रिकार्ड के आधार पर वह दस्तावेज जारी करना कहता है। अतः उक्त दस्तावेजों की सत्यता पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है। प्रदर्श-पी-108 पीड़िता की सातवीं की मार्कशीट है, प्रदर्श-पी-109 आठवीं कक्षा की मार्कशीट है, प्रदर्श-पी-110 नवीं कक्षा की मार्कशीट है, प्रदर्श-पी-111 दसवीं कक्षा की मार्कशीट है, प्रदर्श-पी-111 ग्यारहवीं कक्षा की मार्कशीट है। उक्त समस्त दस्तावेज पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित हैं। उक्त समस्त दस्तावेजात् में पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 अंकित है। पीड़िता की श्री प्रतापसिंह मेमारियल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खारखोड़ा की टी.सी. ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदर्श-पी-65 है। उक्त दस्तावेज में पीड़िता की जन्म तिथि 4-7-1997 अंकित है। सन्त श्री आसाराम गुरुकुल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदर्श-पी-66 है जिसे पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा ने प्रदर्शित कर साबित किया है।

187- अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सरस्वती शिशु मन्दिर शाहजहांपुर की कक्षा 2 से लेकर सन्त श्री आसाराम गुरुकुल की कक्षा 12 तक पीड़िता की जन्म दिनांक 4-7-1997 ही अंकित है। ऐसी स्थिति में पीड़िता के मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श-पी-107 को आक्षेपित कर झूठा साबित करने में

(244)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बचाव पक्ष असफल रहा है एवं उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़िता की जन्म दिनांक 4-7-1997 प्रमाणित होती है एवं घटना की दिनांक 15-8-2013 को उसकी उम्र 18 वर्ष से कम ठहरती है, अतः वह धारा 2 (डी) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बालक की परिभाषा में आती है। अतः यह प्रश्न बिन्दु अभियोजन पक्ष उपरोक्तानुसार साबित करने में सफल रहा है।

प्रश्न बिन्दु संख्या-2 :-

(2)- क्या अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के लगभग 10 बजे स्थान मणाई आश्रम में स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका का सदोष अवरोध कारित कर निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित किया एवं उसका लैंगिक उत्पीड़न कर उसके मना करने पर डराया धमकाया और माता पिता को मारने की धमकी देकर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसके माता पिता को शारीरिक क्षति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी उसे संत्रास कारित करने के आशय से देते हुए आपराधिक अभित्रास किया एवं उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से अश्लील शब्द बोल कर व छेड़छाड़ कर उसकी एकान्तता का अतिक्रमण किया एवं यौन आशय से अभियोक्त्री बालिका की योनि, मूत्र मार्ग व छाती को अपने हाथों व मुंह से छुआ एवं उत्तेजित भेदन यौन हमला/बलात्संग कारित किया ?

(ए)- यदि हां, क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका पर किया गया भेदन यौन हमला धार्मिक संस्था/ट्रस्ट के प्रबन्धक की हैसियत में होते हुए उस संस्था में किया गया था ?

(बी)- क्या क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त आसाराम के द्वारा अभियोक्त्री के साथ उक्त बलात्कार, उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में होते हुए, उसकी इच्छा के विरुद्ध डरा धमका कर किया गया ?

(245)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

188— इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष व परिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण का प्रारंभ अभियुक्त आशाराम की प्रबल काम वासना एवं कम उम्र की लड़कियों के प्रति उसके यौन आकर्षण से हुआ है। अभियुक्त आशाराम का पूर्व आचरण गवाह महेन्द्र चावला, राहुल के. सचान एवं अजयसिंह के कथनों से सिद्ध है। न सिर्फ आशाराम वरन् उसका पूरा परिवार अपने आध्यात्मिक साम्राज्य का उपयोग नाबालिग व नौजवान स्त्रियों को फंसाकर अपने यौन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लेता था, जिसमें उनकी कुछ खास साधिकाएं मदद करती थीं। यह कोई प्रथम प्रकरण नहीं है, वरन् इससे पूर्व भी आशाराम व उसके परिवार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, जिसकी ताईद प्रदर्शपी-88 से प्रदर्शपी-101 दस्तावेजों से होती है। पी. डब्ल्यू-19 राहुल सचान, पी. डब्ल्यू-23 महेन्द्रसिंह व पी. डब्ल्यू-39 अजयसिंह के बयानों से इसकी पुष्टि होती है। अभियुक्त आशाराम ने सम्पूर्ण भारत में फैले अपने गुरुकुलों में अपनी ऐसी साधिकाओं की नियुक्ति कर रखी थी, जिनका कार्य गुरुकुल में पढ रही भोली भाली छात्राओं को फंसाना एवं उन्हें फुसला कर प्रवंचित कर आशाराम के पास भेजना था ताकि वो अभियुक्त आशाराम की यौन पिपासा को शान्त कर सके। उन बालिकाओं की यह क्षमता नहीं थी कि वे अभियुक्त आशाराम का विरोध कर पाती। उनके द्वारा विरोध करने की स्थिति में उन्हें परिवार सहित समाप्त कर दिये जाने का डर दिखाया जाता था एवं उस डर से वशीभूत वे विरोध नहीं कर पाती तथा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की किसी को शिकायत भी नहीं कर पाती। हस्तगत प्रकरण में आशाराम का यह दुर्भाग्य रहा कि पीड़िता ने हिम्मत कर अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। परिवार ने भी सर्वप्रथम आशाराम से मिलकर स्पष्टीकरण लेने का प्रयास किया, किन्तु सफलता नहीं मिलने पर अंततः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई।

189— अभियोजन पक्ष का यह भी कथन है कि साक्ष्य से यह सिद्ध है कि पीड़िता संत आशाराम गुरुकुल छिंदवाडा में कक्षा बारहवीं हिन्दी माध्यम की छात्रा थी तथा गुरुकुल के होस्टल में ही उसका निवास था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस तबियत खराब होने से वह होस्टल में चक्कर खा कर गिरी, जिसका

(246)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लाभ उक्त हॉस्टल की वार्डन अभियुक्ता शिल्पी व गुरुकुल के डायरेक्टर अभियुक्त शरद ने उठाते हुए गुरुकुल में ही निवास करने वाली एक छात्रा भव्या, जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि उस पर भूत प्रेत आते हैं, को साधन बना कर अन्य अभियुक्तगण से मिल कर पीड़िता को अभियुक्त आशाराम के पास दुष्कर्म हेतु भिजवाने का आपराधिक षडयंत्र रचा। उक्त षडयंत्र के अनुसरण में पीड़िता व उसके परिवार को डराया गया एवं उसके माता पिता को गुरुकुल बुलवाया गया। तत्पश्चात उन्हें यह बताया गया कि उनकी पुत्री पर भूत का साया है, जिसका ईलाज करने के लिए उन्हें आशाराम बापू ने बुलाया है। उन्हें अभियुक्त शिवा से सम्पर्क कर आशाराम की लोकेशन जानने व वहीं पहुंच कर मिलने को कहा गया। गवाह कृपालसिंह पी. डब्ल्यू-11 के बयानों से यह साबित है कि छिंदवाडा से शाहजहाँपुर पहुंचने के बाद करमवीर सिंह सत्संग हेतु बरेली गया था। तब काफी परेशान लग रहा था। उक्त गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि करमवीर सिंह ने उसे बताया कि छिंदवाडा गुरुकुल से वार्डन शिल्पी का फोन आने पर तथा उसके द्वारा उसकी बेटी "सु" की तबियत खराब बताने पर वहाँ गया। वहाँ शिल्पी व कुछ अधिकारियों ने बताया कि भूत प्रेत का कोई चक्कर है, बापू के पास चले जाना, बिटिया ठीक हो जाएगी।

190— अभियुक्त शिवा द्वारा परिवादी को अभियुक्त आशाराम की लोकेशन दिल्ली बताने पर परिवादी दिल्ली गया। दिल्ली में शिवा से फोन पर बात करने पर आशाराम का जोधपुर में होना बताया गया। तो परिवादी करमवीर सिंह अपनी पत्नी सुनीतासिंह व पुत्री पीड़िता "सु" के साथ ट्रेन से दिल्ली से जोधपुर पहुँचा, जो रेल्वे रिजर्वेशन चार्ट प्रदर्श-पी-128 से सिद्ध हैं। जोधपुर रेल्वे स्टेशन पर उतरने के पश्चात अभियुक्त शिवा से बात करने पर उसने अभियुक्त आशाराम का वर्तमान में जोधपुर के पास स्थित मणई गांव के फार्म हाउस पर उपस्थित होना बताया, जिस पर परिवादी, उसकी पत्नी व पीड़िता "सु" ओटो रिक्शा कर मणई गांव स्थित हरिओम फार्म हाउस पहुंचे। जहाँ गेट बन्द होने पर शिवा को पुनः फोन कर गेट खुलवा कर फार्म हाउस में प्रवेश कर सीधे अभियुक्त आशाराम के पास पहुंचे जो उस वक्त नीम के पेड के नीचे सत्संग कर रहा था। जब पीड़िता ने उसे बताया कि वह गुरुकुल छिंदवाडा से

(247)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आई है तब अभियुक्त आशाराम ने कहा अच्छा वही भूत वाली लडकी हो। अभियुक्त आशाराम के उक्त कथनों की ताईद न सिर्फ पीड़िता पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने की है वरन उसके माता पिता पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह व पी. डब्ल्यू-21 करवीर सिंह के बयानों से भी होती है। हरिओम फार्म हाउस के स्वामी पी. डब्ल्यू-6 रणजीत ने स्वयं एवं अपने परिवार सहित अभियुक्त आशाराम से दीक्षा ले रखी है, अतः उससे अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध कथन किये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, किन्तु वह भी परिवादी, उसकी पत्नी व बच्ची के सत्संग के दौरान उसके फार्म हाउस पर आने व उनके साथ अभियुक्त आशाराम की आते ही भूत प्रेत के सम्बन्ध में बात होने की ताईद करता है तथा अभियुक्त आशाराम द्वारा अहमदाबाद जा कर अनुष्ठान करने हेतु कहना बताता है। परिवादी, उसकी पत्नी व पीड़िता ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि दस साढे दस बजे सत्संग के बाद अभियुक्त आशाराम द्वारा उन्हें अपने पीछे पीछे कुटिया की ओर बुला लेना कहा है, जिसकी ताईद पी. डब्ल्यू-22 रामकिशोर, जो कि अभियुक्त आशाराम का साधक है तथा वर्तमान में भी सेवा करता है, ने की है। पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह, पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह व पी. डब्ल्यू-5 पीड़िता "सु" ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त आशाराम के पीछे पीछे कुटिया तक जाना तत्पश्चात अभियुक्त आशाराम का उन्हें सह अभियुक्त प्रकाश के माध्यम से दूध पिलवाना, करमवीर सिंह व सुनीता सिंह को कुटिया के सामने बिठाकर पीड़िता "सु" को कुटिया के पीछे बैठकर जप करने को कहना बताया है। तत्पश्चात पीड़िता "सु" के बयानों से स्पष्ट है कि उसे अभियुक्त आशाराम द्वारा पिछले दरवाजे से कुटिया में बुला लिया एवं उसे बहलाते फुसलाते हुए उसके शरीर के अंगों पर हाथ फेरा, प्राईवेट पार्ट समेत शरीर के सभी अंगों पर किस किया एवं अपना लिंग चुसवाने का प्रयास किया, विरोध करने पर मुँह दबा दिया व उसके परिवार को खत्म करवाने की धमकी दी। उक्त कथनों का पीड़िता से हुई लम्बी जिरह में कोई खण्डन नहीं हुआ है।

191- जहाँ तक देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रश्न है, पीड़िता द्वारा इस डर के मारे कि उसके परिवार को आशाराम द्वारा खत्म करवा दिया जायेगा, अपने माता पिता को घटना के बारे में नहीं बताया गया। अपने

(248)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

घर शाहजहाँ पुर पहुंच कर जब उसने सुरक्षित महसूस किया तथा उसकी माता ने उसकी उदासी का कारण पूछा तब शक्ति पाते हुए उसने घटना के बारे में अपनी माता को बताया था, जिसने अपने पति को घटना की जानकारी दी । चूँकि उस दिनांक 19-8-2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अभियुक्त आशाराम का सत्संग था। अतः कमरवीर सिंह अपनी पत्नी व पुत्री को साथ ले कर दिल्ली पहुंचा जहाँ आशाराम से मुलाकात न हो पाने के कारण अन्ततः उसने निकटवर्ती पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की। उक्त तीनों गवाहान को उनके पुलिस बयानों से कन्फ्रन्ट करवाया गया है। उनके पुलिस बयानों में कोई तात्त्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है। अतः अभियोजन कहानी पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। पीड़िता “सु” ने अनुसंधान अधिकारी को कुटिया के अन्दर की वस्तु स्थिति का पूर्ण विवरण दिया है, जो उसके बयानों की व नक्शा मौका दर्शाने की वीडियोग्राफी आर्टिकल-16 स्क्रिप्ट प्रदर्श-पी-70 से स्पष्ट है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहा है।

192— अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं अधिवक्तागण द्वारा विस्तृत बहस की गई है। अभियुक्त शरदचन्द्र की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई है। चूँकि बचाव पक्ष के समस्त अधिवक्तागण के तर्क लगभग समान रहे हैं। अतः उनके तर्कों का सार समग्रित रूप से निम्नलिखित है:—

193— अभियुक्त आशाराम न सिर्फ भारत वरन विश्व में प्रख्यात संत है, जिनके सेवा कार्यों से सभी वाकिफ है। अभियुक्त आशाराम द्वारा विभिन्न स्थानों पर सेवा प्रकल्प चलाये जा रहे है। विभिन्न गौशालाएं खुलवाई गई है। सन 2001 में कच्छ के भूकम्प के दौरान अपने सहयोगियों के साथ जा कर भूकम्प पीड़ितों के लिए कपडे कम्बल रजाई आदि का वितरण करवाया, घायल व्यक्तियों के लिए कई मेडिकल कैम्स लगवाए गए, मध्यप्रदेश व गुजरात के आदिवासी ईलाकों में जा कर उनके ईलाज की व्यवस्था, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास आदि कार्य किये गये। जैसा कि डी. डब्ल्यू-12 संगीता गर्ग ने अपने कथनों बताया है। पी. डब्ल्यू-18 राकेश कुमार ने भी अभियुक्त आशाराम द्वारा

(249)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र में जा कर वहाँ के दलित व पिछड़े गरीबों के स्वच्छ जल की व्यवस्था, स्कूल खुलवाना, चिकित्सा करवाना एवं धर्मान्तरण को रूकवाना कहा है।

194— डी. डब्ल्यू-13 योगेश भाटी ने भी अभियुक्त आशाराम द्वारा 1997 से लेकर 2012 तक आदिवासी अभावग्रस्त क्षेत्रों में जाने व सेवाकार्य करने तथा स्वयं का उनके साथ होने की तार्ईद की है। गवाह ने अभियुक्त आशाराम को राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्य मंत्रियों आदि से मिले प्रशस्ति पत्र प्रदर्शनी-142 से प्रदर्शनी-155 प्रदर्शित किये हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि आशाराम की ख्याति विश्वव्यापी थीं तथा उन्हें अपने सेवा कार्यो के लिए सम्मानित किया जाता रहा था।

195— अभियुक्त आशाराम को उक्त प्रयासों में सफलता मिलते देख विदेशी मिशनरियों ने न्यूज चैनलों, जिनके मालिक विदेशी है, के साथ मिलकर कर आशाराम के आश्रमों को बन्द करवाने का षडयंत्र किया। अभियुक्त आशाराम से पचास करोड रूपये की फिरौती प्राप्त करने के लिए अमृत प्रजापति, राहुल सचान पी. डब्ल्यू-19 महेन्द्र चावला पी. डब्ल्यू-23 पंकज दूबे एवं करमवीर सिंह पी. डब्ल्यू-21, सतीश वाधवानी व अन्य ने षडयंत्र रचा एवं जब अभियुक्त आशाराम फिरौती देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अभियोक्त्री ने उसे दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसा दिया। उक्त आपराधिक षडयंत्र की पुष्टि डी. डब्ल्यू-19 जिज्ञासा भावसार के कथनों से होती है, जिसने अमृत प्रजापति को बचपन से जानना, 2001 से उसकी क्लीनिक पर काम करना कहा है। उक्त गवाह उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों का अन्य व्यक्तियों के साथ अमृत प्रजापति के यहाँ आना जाना बताती है। दिनांक 08-08-2008 को अमृत प्रजापति के घर क्लीनिक में बापू आशाराम व उसके परिवार से पचास करोड रूपये वसूल करने के लिए धमकी भरा दस्तावेज बना कर संत आशाराम आश्रम अहमदाबाद में फैंक्स किया गया, जो प्रदर्शनी-185 है। जिज्ञासा भावसार के कथनों की पुष्टि पी. डब्ल्यू-40 उदय सांगाणी की जिरह से भी होती है, जिसमें उसने कथन किया है कि 2008 में एक फेक्स आश्रम में आया था, जो बापूजी के नाम का था यह कहा गया था कि एक सप्ताह में हमें पचास करोड

(250)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

दीजिए वरना जमीनों, पैसों के व लडकियों के मुद्दे तैयार हैं। डी. डब्ल्यू-13 योगेश भाटी भी इसकी पुष्टि करता है। डी. डब्ल्यू-29 सुरेश शर्मा एसआई नवाबाद पुलिस स्टेशन जम्मू ने अपने बयानों में कहा है कि बयान व फैंक्स मेसेज के मुताबिक यह मालूम हुआ कि मुलजिम सतीश वाधवानी, देवेन्द्र प्रजापति, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, करमवीरसिंह, अमृत प्रजापति वगैरा ने बापू आशाराम से पचास करोड रूपयों की माँग की थी और रकम मुहया न कराने पर झूठे मुकदमों में फसाने की धमकी दी थी। डी. डब्ल्यू-19 जिज्ञासा भावसार ने इसके पश्चात मई, 2013 में भोपाल में अमृत प्रजापति के साथ मीटिंग में जाना कहा है, जिसमें करमवीर, पंकज दूबे, भोलानन्द, दीपक चौरसिया, राहुल सचान, महेन्द्र चावला आदि उपस्थित थे, जहाँ भोलानन्द को बापू आशाराम के उपर झूठा आरोप दुष्कर्म का लगा सकने वाली लडकी की खोज करना व जम्मू के कब्रिस्तान से कंकाल निकाल कर आशाराम के आश्रम में गाडना ये दो काम सौंपे गए। वहीं पंकज दूबे ने कहा कि उसने व करमवीर ने मिल कर उसकी बेटी "सु" को बापू आशाराम के उपर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिए तैयार कर लिया। इस गवाह ने दिनांक 24-6-2013 को व 28-07-2013 को पुनः इस तरह की मीटिंग की पुष्टि की है।

196- जम्मू के संत आशाराम के आश्रम में कब्रिस्तान से कंकाल निकाल कर गाडने के षडयंत्र की पुष्टि डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त शर्मा के बयानों से होती है, जिसने अपने विस्तृत बयानों में भोलानन्द एवं अमृत प्रजापति करमवीर, पंकज दुबे, राहुल सचान, महेन्द्र चावला आदि के साथ स्वयं के सम्बन्धों के बारे में बताया है। उसने पंकज दूबे व करमवीर की बेटी "सु" के आपस में अफेयर होने व मोबाईल पर बात होने व एसएमएस का आदान प्रदान होने के बारे में भी कहा है। इस गवाह ने स्वयं को भोलानन्द द्वारा कंकाल दबाने व लडकियों तैयार करने के लिए कहना कहा है। तथा उक्त बातचीत की रिकॉर्डिंग कर इसके बारे में परिवाद प्रदर्शडी-203 पेश करना व उक्त परिवाद पर पुलिस स्टेशन नवादा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शडी-114 दर्ज होना बताया है। उक्त परिवाद के आधार पर दर्ज मुकदमे में पंकज दूबे व भोलानन्द को जरिए फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्शडी-144 व प्रदर्शडी-115 गिरफ्तार किया गया।

(251)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

डी. डब्ल्यू-23 पूजा देवी ने भी करमवीर, पंकज दूबे, भोलानन्द द्वारा किये षडयंत्र की ताईद की है तथा स्वयं को भी भोलानन्द द्वारा मीडिया में बोलने के लिए व अभियुक्त आशाराम पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगवाने के लिए दो लडकियाँ तैयार करने के लिए कहना कहा है। डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त शर्मा द्वारा दर्ज करवाये मुकदमे में अभियुक्त विनोद गुप्ता व पंकज दूबे के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 120-बी, 153-ए, 194, 195-ए, 211, 383, 295-ए व 295 रणबीर पीनल कोड के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत होने एवं सतीस वाधवानी, महेन्द्र चावला, करमवीर, देवेन्द्र प्रजापति, राहुल सचान व दीपक चौरसिया के खिलाफ अनुसंधान पेण्डिंग रखने की ताईद उक्त प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी डी. डब्ल्यू-27 अंग्रेजसिंह एसआई जम्मू पुलिस व डी. डब्ल्यू-29 सुरेश शर्मा, सब इन्सपेक्टर, जम्मू पुलिस ने की है।

197- पी. डब्ल्यू-5 पीड़िता "सु" ने चारूल अरोडा का अपनी क्लासमेट होना व होस्टल में स्वयं के साथ कमरे में रहना बताया है। वह स्वीकार करती है कि वर्ष 2013 में विद्या दीदी उसकी रूम इंचार्ज थी, रीना दीदी भी रूम इंचार्ज थी व कोई बच्चा बीमार होता तो उसको दवाईयाँ देने का भी उसका काम था।

198- डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोडा ने स्वयं को पीड़िता "सु" का घनिष्ठ मित्र होना बताया है। उसने पंकज दूबे का पीड़िता "सु" के साथ अफेयर चलने एवं उससे छुप छुप कर मिलने जाने की बात कही है। वह घटना के बाद "सु" से 21-08-2013 को फोन पर बात होना तथा उसके द्वारा बताना कि उसने अपनी मम्मी पापा एवं महेन्द्र चावला आदि से मिलकर आशाराम से पचास करोड रूपयों की माँग करने व आशाराम के चरित्र हनन के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा भी इस बात की ताईद करती है कि पीड़िता "सु" उसकी क्लासमेट थी तथा वे एक ही कमरे में रहते थे। "सु" व पंकज दूबे के बीच अफेयर चलता था। वह "सु" द्वारा एक की-पेड मोबाईल फोन लाने व उस पर पंकज दूबे से बात करना बताती है। दिनांक 23-06-2013 को "सु" का पंकज दूबे के साथ होस्टल छोडकर जाना व आकर गवाह को बताना कि वह मूवी व रेस्टोरेंट गई थी एवं पंकज दूबे द्वारा

(252)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उसे मोबाईल फोन भी दिया था, डी. डब्ल्यू. 7 मेघा शर्मा कहती है। गवाह ने 28-6-2013 को पंकज दूबे व "सु" का आपस में बात करते देखना व उनका आशाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाने का कहना, सुनना भी कहा है। गवाह ने उक्त बातें नेहा तोतलानी को भी बताना कहा है।

199- डी. डब्ल्यू.-7 मेघा शर्मा होस्टल में "सु" की अलमारी डी. डब्ल्यू.-11 विद्या द्वारा चैक करने की ताईद करती है, जिसमें 1600/- रुपये मिलना, "सु" से माफीनामा लिखवाना व पंकज को होस्टल से निकालना बताया है।

200- डी. डब्ल्यू.-8 प्रियासिंह ने पंकज दूबे द्वारा "सु" लेपटॉप पर कुछ दिखाना कहा है व दिनांक 28-6-13 को मेघा का आ कर यह बताना कहा है कि उसने आशाराम पर पचास करोड रुपये का आरोप लगा कर दुष्कर्म का ब्लेकमेल करने का आरोप लगाना कहती है। तब प्रिंसिपल के साथ उक्त बात करना कहा है। तब "सु" का उक्त समस्त बात स्वीकार कर लेना बताती है। दिनांक 9-7-13 को विद्या द्वारा "सु" की अलमारी चैक करने पर 1600/- रुपये मिलना बताती है जो पंकज दूबे द्वारा देना स्वीकार किया है। तब पंकज को निकालने के पश्चात "सु" कहती थी कि वह गुरुकुल को बर्बाद कर देगी। दिनांक 7-8-13 को विद्या ने "सु" को पंकज से बात करते पकडा। फिर विद्या ने उसके हाथ से मोबाईल छीन कर ले लिया।

201- डी. डब्ल्यू.-11 विद्या खेरनार ने भी अपने बयानों में "सु" व पंकज के मध्य अफेयर होने व कक्षा के बाद बात करने के बारे में बताया है तथा मेघा द्वारा आ कर उसे व नेहा तोतलानी को पंकज दूबे व "सु" के आपस में आशाराम से पचास करोड रुपये के लिए ब्लेकमेलिंग करना कहा है। गवाह ने "सु" की अलमारी से 1600/- रुपये मिलना व नेहा तोतलानी द्वारा पूछने पर "सु" द्वारा पंकज दूबे द्वारा दिये जाने की ताईद की है। गवाह ने प्रदर्शनी-3 माफीनामा "सु" द्वारा स्वयं व नेहा के सामने देना बताया है। पी. डब्ल्यू.-5 पीड़िता "सु" अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करती है कि उसने प्रदर्शनी-3 माफीनामा लिखकर दिया था। डी. डब्ल्यू.-9 रीना भी दिनांक 7-8-13 को "सु" को मोबाईल पर पंकज से बात करने की ताईद करती है एवं विद्या द्वारा एक मोबाईल फोन "सु" से लेना बताया है।

(253)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

202- पी. डब्ल्यू-36 नेहा तोतलानी अभियोजन की गवाह है। इसे पक्षद्रोही भी घोषित नहीं किया गया है। इसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि होस्टल में नगद पैसे रखना मना था और "सु" से 1600/- रुपये व मोबाईल फोन मिला था, जो ले लिए थे। "सु" होस्टल के नियम तोडती थी, उसे नियम पसन्द नहीं थे और कई बार बापूजी के लिए अपशब्द भी कहती थी।

203- पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श-डी-3 पत्र लिखा था। उक्त पत्र में उसकी अलमारी से 1600/- रुपये मिलने व उसके द्वारा होस्टल के नियम तोडने की स्वीकारोक्ति है।

204- उक्त कथनों से इस तथ्य की ताईद होती है कि पंकज दूबे पीड़िता "सु" व उसके परिवार के सतत सम्पर्क में था तथा उसका पीड़िता "सु" के साथ अफेयर था तथा उसने ही पीड़िता "सु" को आशाराम पर आरोप लगाने के लिए तैयार किया। जब इस बारे में स्टाफ मैम्बर को पता चला तो उसको निकाल दिया उसके बावजूद भी उसके व पीड़िता "सु" के मध्य बातचीत होती रहती थी।

205- पी. डब्ल्यू-5 पीड़िता "सु" ने जिरह में स्वीकार किया है कि 7398489885 उसकी मम्मी का फोन नंबर है जब उसे किसी फ्रेंड व रिश्तेदार से फोन पर बात करनी होती है तो मम्मी पापा के फोन को काम में ले लेती है। पंकज दूबे का फोन नंबर 9303848555 व 8657157050 की कॉल डिटेल् रिकार्ड फर्द जब्ती प्रदर्शडी-211 द्वारा साबित है। घटना दिनांक 15-8-13 को रात दस साढे दस बजे की बताई गई है। उक्त रात्रि पंकज दूबे के मोबाईल व सुनीता सिंह के मोबाईल के मध्य 6 एसएमएस का आदान प्रदान हुआ, जिसका कोई स्पष्टीकरण पीड़िता "सु" व उसकी माता ने नहीं दिया है, बल्कि इस तथ्य से इनकार किया है कि मोबाईल से कोई एसएमएस भेजे हो। 15-8-2013 से 16-8-2013 को पंकज द्वारा अपने फोन नंबर 8657157050 से 15 एसएमएस सुनीता सिंह के मोबाईल पर भेजे गए। इसका भी कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं आया है। दिनांक 19-5-13 से 17-6-13 के दौरान पीड़िता "सु" अपने निवास स्थान शाहजहाँपुर थी, जहाँ उसकी माता

(254)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सुनीतासिंह भी थी। उक्त अवधि के दौरान मोबाईल फोन नंबर 7398489885 (सुनीतासिंह) से मोबाईल नंबर 9303848555 (पंकज दूबे) के मध्य 17 इनकमिंग कॉल व 9 आउट गोईंग कॉल का आदान प्रदान हुआ, जो प्रदर्शडी-100/1 से प्रदर्शडी-100/7 तथा प्रदर्शडी-221 से साबित है। इसके अतिरिक्त उन दोनों के मध्य 455 एसएमएस व 400 इन एसएमएस का आदान प्रदान हुआ। पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह ने इस बात को गलत बताया कि उसने इस अवधि में अपने मोबाईल से पंकज दूबे को 400 एसएमएस किये हों। वह 14 व 15 अगस्त के बीच की रात्रि को पंकज दूबे के फोन से अपने फोन पर दो मेसेज जाना व तीन मेसेज आना गलत बताती है व पंकज दूबे से फोन पर दो बार बात होना भी गलत बताती है। ऐसी स्थिति में यह साबित है कि उक्त एसएमएस व काल्स का आदान प्रदान पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह के मोबाईल फोन से पीड़िता "सु" द्वारा पंकज दूबे से किया गया, जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता "सु" ने पंकज को अपनी योजना सफल होने के बारे में बताया। उक्त तथ्य डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त की साक्ष्य से साबित होता है, जिसने इस आशय के कथन किये है कि दिनांक 16.08.2013 को जब वह सुबह नो बजे उठा तब पंकज दूबे के मैसेज उसके वाट्सएप पर आये हुये थे, जिसमें लिखा हुआ था कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा, उसका क्या हुआ। "सु" का जो जवाब आया था उसमें लिखा था कि योजना सफल, उसके आगे पंकज दूबे ने लिखा था कि वेल डन, मिलते है। जब उसने ये मैसेज पढ़े, तो उसने पंकज दूबे को वापस मैसेज किया कि भाई यार तूने ये क्या मैसेज किये, उसे समझ नहीं आ रहा, तब पंकज दूबे ने बोला कि हमने अपना एक काम कर दिया है। अगला काम जम्मू में तूम्हें करना है। जम्मू में मिलते है।

206- डी. डब्ल्यू-10 मनीषा ने दिनांक 15-8-2013 की रात्रि को उसी कमरे में सोना कहा है जहाँ पी. डब्ल्यू-5 "सु" व पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह सो रहे थे उसका कहना है कि दोनो माँ बेटी सो नहीं रहे थे बार बार खुसर फुसर कर रहे थे उसने पी. डब्ल्यू-5 "सु" को मोबाईल पर संदेश भेजते व पढते हुए देखा फिर तब उसे कहा कि सो जाओ सुबह जल्दी उठना है। इस गवाह के कथनों से भी पुष्टि होती है कि षडयंत्र पूरा होने पर पंकज दूबे व पी. डब्ल्यू-5

(255)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

“सु” के मध्य एसएमएस का आदान प्रदान हो रहा था।

207— पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने जम्मू में हुई एफआईआर के सम्बन्ध में पूर्णतया अनभिज्ञता जाहिर की है। उसके समक्ष उक्त एफआईआर से सम्बन्धित कोई बात सामने नहीं आई। अतः उसने अभियुक्तगण को षडयंत्र के तहत फंसाये जाने के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं किया।

208— परिवादी पक्ष को जोधपुर से शाहजहाँपुर जाना था। जहाँ के लिए जोधपुर से सीधी ट्रेन मरूधर एक्सप्रेस उपलब्ध है, किन्तु वे सीधे शाहजहाँपुर न जा कर पहले जयपुर गए तत्पश्चात रात को ट्रेन से दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ से 18-8-13 को शाहजहाँपुर पहुँचते हैं। इस अवधि के दौरान वे कहाँ गए व क्या किया, इसका कोई जबाब अभियोजन पक्ष के पास नहीं है, किन्तु बचाव पक्ष के गवाहों से यह साबित होता है कि परिवादी पक्ष द्वारा सबसे पहले जयपुर में षडयंत्र पूर्ण करने का प्रयास किया गया जहाँ पर सफलता नहीं मिलने पर वे दिल्ली गए।

209— डी. डब्ल्यू-21 बृजेन्द्र शर्मा पत्रकार हैं, जिसने अगस्त 2011 में करमवीर से दीपक साधवानी के यहाँ जान पहचान होना कहा है। करमवीर सिंह का शाहजहाँपुर का निवासी होना, जिसका लक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट के नाम से व्यवसाय होना बताया। गवाह ने दीपक साधवानी, सुरेन्द्रसिंह, करमवीर सिंह, भोलानन्द व अमृत प्रजापति को जानना बताया है। दिनांक 24.12.2012 व 14-1-13 को करमवीर व उक्त अन्य लोगों के साथ खाना खाने जाना बताता है तथा गवाह के करमवीर सिंह के साथ अच्छे सम्बन्ध हो जाना भी बताया है। करमवीर सिंह ने दिनांक 16-8-13 को गवाह को बुलाया तथा वह उन्हें सुरेश कुमार वकील के पास ले गया जहाँ करमवीरसिंह, उसकी पत्नी सुनीता सिंह व बेटी “सु” ने बताया कि आशाराम बापू के खिलाफ ऐसा मामला बनाना है, जिससे वे जेल में फिट हो जाए उसे मुँह मॉगी फीस देंगे व और यदि गवाह की जरूरत पड़ेगी तो भरोसेमंद व्यक्ति उपलब्ध करवा देंगे, जिनमें अमृत प्रजापति व भोलानन्द का नाम लिया था व गवाह का नाम भी लिया था और कहा कि ये उसके परिचित हैं। तो वकील साहब ने नाराज होकर गवाह से कहा कि आप कैसे-कैसे लोगों से सम्पर्क रखते हैं। फिर वकील साहब ने उन्हें बेइज्जत करते हुये वहाँ से चले

(256)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जाने को कहा।

210— उक्त गवाह के कथनों की ताईद डी. डब्ल्यू.-23 सुरेश के कथनों से होती है, जो न्यायालय बनीपार्क परिसर, जयपुर में स्वतंत्र वकालत करता है तथा बृजेन्द्र का करमवीर सिंह, सुनीता सिंह व "सु" को दिनांक 16-8-13 को ले कर आना बताता है व करमवीर सिंह का बापू आशाराम के विरुद्ध मामला बनाना कहता है। "सु" से पूछने पर बताया कि वकील साहब आशाराम ने उसके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं किया तब वकील साहब ने उसे वहाँ से जाने को कहा। चूँकि जयपुर में परिवादी पक्ष की योजना सफल नहीं हो पाई, इसलिए वे दिल्ली गए और वहाँ साथी षडयंत्रकारियों के साथ सम्पूर्ण योजना बनाते हुए शाहजहाँपुर जा कर पुनः लौटे और यही कारण है कि दिनांक 19-8-2013 को सह-षडयंत्रकारियों की मदद से यह मामला रात को पौने बारह बजे पुलिस थाना, कमला मार्केट में लाया गया।

211— अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि चूँकि 18 व 19-8-2013 को आशाराम का सत्संग दिल्ली में था तथा रामलीला मैदान में हो रहा था, जो कमला मार्केट, पुलिस थाना, दिल्ली की सरहद में था। अतः जानबूझकर उसी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, ताकि पुलिस अविलम्ब आशाराम को गिरफ्तार कर सके, जबकि घटना जोधपुर के पास स्थित मणई गाँव की बताई जाती है। परिवादी पक्ष के पास पर्याप्त अवसर था कि वे या तो जोधपुर में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाते या शाहजहाँपुर जहाँ के निवासी हैं, घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाते, किन्तु उक्त स्थानों पर रिपोर्ट दर्ज न करवा नई दिल्ली के उस पुलिस थाने में आ कर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, ताकि राजधानी होने के कारण मामले की पब्लिसिटी हो। चूँकि मीडिया भी परिवादी पक्ष से मिला हुआ व षडयंत्र में शामिल था। अतः पूरे मीडिया द्वारा इस मामले को उछाला गया एवं आशाराम को बदनाम करने का पूर्ण प्रयास किया गया। सह अभियुक्त शिवा के मोबाईल फोन की निर्दोष क्लिपिंग को गलत रूप देते हुए गवाह डी. डब्ल्यू.-17 संजय पटेल को उक्त क्लिपिंग में शिवा के रूप में दर्शाया गया तथा उसकी पत्नी सोनल पटेल को अभियुक्त शिल्पी बताया गया।

(257)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गवाह के साले की बेटी महिमा पटेल जिसे बापू द्वारा आर्शिवाद दिया जा रहा था, को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। डी. डब्ल्यू-17 संजय कुमार ने प्रदर्श-डी-158, प्रदर्श-डी-159, प्रदर्श-डी-160, साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं एवं उनमें स्वयं, अपनी पत्नी सोनल पटेल व साले की पत्नी चारूल पटेल व उसकी बेटी महिमा पटेल को पहचाना है। उक्त तीनों फोटोग्राफ का आर्टिकल-13 डीवीडी को न्यायालय में चला कर स्वयं न्यायालय द्वारा मिलान किया गया। डी. डब्ल्यू-17 संजय कुमार ने मीडिया द्वारा उसके परिवार की क्लिप को आशाराम की गन्दी क्लिप बताकर मीडिया में दिखाये जाने के विरुद्ध एफआईआर प्रदर्श-डी-131 दर्ज कराना कहा है। अतः स्पष्ट है कि घटना स्थल जोधपुर अथवा निवास स्थल शाहजहाँपुर के स्थान पर दिल्ली आ कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना षडयंत्रकारियों के षडयंत्र का अहम हिस्सा था।

212- पी. डब्ल्यू-1 श्रीमती पुष्पलता एसआई ने अभियोक्त्री द्वारा स्वयं को बहुत सी बातें बताना कहा है। उन कथनों की पीड़िता से लिखित में मॉग की गई। फिर अभियोक्त्री को डीओ रूम के कमरे के सामने बैठा कर कागज पैन देना और अभियोक्त्री "सु" द्वारा लिखकर हस्ताक्षर कर रिपोर्ट स्वयं को देना गवाह ने कहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वह थी जो कथन अभियोक्त्री द्वारा मौखिक रूप से पी. डब्ल्यू-1 एसआई पुष्पलता को बताया गया था न कि अभियोक्त्री द्वारा लिखी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 । पी. डब्ल्यू-1 पुष्पलता ने एसएचओ के कहने पर अभियोक्त्री द्वारा लिखे जाने की रिकॉर्डिंग कर लेना कहा है उक्त रिकॉर्डिंग एसएचओ के रीडर द्वारा मोबाईल फोन से करना बताती है किन्तु ऐसी कोई रिकॉर्डिंग अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त रिकॉर्डिंग को जानबूझकर अभियोजन पक्ष द्वारा छुपाया गया है। पुष्पलता ने अभियोक्त्री को मेडिकल हेतु ले जाना कहा है। वह ओटो रिक्शा से पीड़ित परिवार को साथ ले जाना कहती है, जबकि पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह का कथन है कि वे होस्पिटल स्वयं की कार लोगान से गए थे। अभियोक्त्री की लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी-4 दर्ज किये जाने के पूर्व ही उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया। धारा 27 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि बालक की चिकित्सीय परीक्षा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164-क के तहत की

(258)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जायेगी। धारा 164-क (2) (ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पंजिकृत चिकित्सा व्यवसायी उक्त महिला की आयु के सम्बन्ध में परीक्षा कर परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन पी. डब्ल्यू-3 डा. शैलजा, जिसके द्वारा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कर प्रदर्शपी-1 व प्रदर्शपी-2 रिपोर्ट तैयार की गई तथा डा. राजेन्द्रसिंह पी. डब्ल्यू-4 जिसके द्वारा क्लीनिकल नोट प्रदर्शपी-12 व 3 तैयार करना बताया गया, ने पीड़िता का आयु सम्बन्धी मेडीकल नहीं किया है। उक्त आयु सम्बन्धी मेडिकल नहीं करवाने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

213- पी. डब्ल्यू-1 श्रीमती पुष्पलता एसआई ने स्वीकार किया है कि महिला थाना हैल्प डेस्क रजिस्टर आर्टिकल-3 में प्रदर्शपी-1 जहाँ परिवादी पक्ष के आने का हवाला है, में पीड़िता, उसकी माता व पिता के हस्ताक्षर नहीं है। पी. डब्ल्यू-1 पुष्पलता से की गई दिनांक 3-4-14 की जिरह से प्रकट होता है कि उक्त रजिस्टर में जगह जगह खाली स्थान छोड़े गए हैं एवं पृष्ठ संख्या भी संदेहपूर्ण है। थाने के रोजनामचे रजिस्टर की एन्ट्री प्रदर्शपी-8 जिसमें पीड़िता व उसके परिवार की आमद दर्ज है तथा मेडिकल हेतु रवानगी दर्ज है, में गलत काम करने वाले व्यक्ति के रूप में अभियुक्त आशाराम का नाम नहीं है।

214- यह भी तर्क दिया गया है कि पी. डब्ल्यू-1 पुष्पलता एसआई को सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी तत्पश्चात उसे पीड़िता को मेडिकल के लिए ले जाना चाहिए था, किन्तु बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए ले जाया गया। थाने पर वापस लौटने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अभियोजन के गवाह कहते हैं, उक्त अवधि में प्रदर्शपी-4 किस व्यक्ति के कब्जे में व कहाँ पर रही यह अभियोजन स्पष्ट नहीं करता है।

215- पी. डब्ल्यू-2 निरपालसिंह एसआई ने पुष्पलता एसआई द्वारा रात को पौने तीन बजे तहरीर प्रदर्शपी-4 देने पर जीरो नंबर की एफआईआर प्रदर्शपी-11 दर्ज करना कहा है। आर्टिकल-2 में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी-11 मूल है उक्त प्रदर्शपी-11 एफआईआर मूल व प्रदर्शपी-11-ए कार्बन प्रति दोनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर सफेद तरल पदार्थ लगा कर

(259)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मिटाय़ा गया है तथा उसके उपर जीरो अंकित किया गया है। प्रदर्शपी-11-ए कार्बन प्रति एफआईआर को देखने से ही प्रकट होता है कि पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-121 दिनांक 20-8-2013 अंकित था तत्पश्चात उसे सफ़ेद तरल पदार्थ लगा कर जीरो कर दिया गया है। अतः स्पष्टतया प्रथम सूचना रिपोर्ट से छेडछाड की गई है, जिसकी पुष्टि पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर के बयानों से होती है, जिसने प्रदर्शडी-4 रिपोर्ट लेखबद्ध करना कहा है। उसने जिरह में प्रकरण की एफआईआर के नम्बर पूछकर लिखना बताया है, जो 121/20-8-2013 है। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी-11 में घटना कारित होने की दिनांक 14/15-8-2013 बताई गई है। जबकि अभियुक्तगण पर आरोप 15/16-8-2013 की रात्रि का लगाया गया है।

216- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी-11 दिनांक 20-8-2013 को 2.50 एएम पर दर्ज हुई है, किन्तु इसकी प्रति प्रदर्शपी-11 भी सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को दिनांक 21-8-2013 को 9 एएम पर प्रेषित की गई है, जबकि इसे दिनांक 20-8-2013 को ही प्रेषित किया जाना था। उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो कि अभियोजन के लिए घातक है।

217- अभियुक्तगण पर दिनांक 15-8-2013 को रात्रि 10-10.30 बजे घटना कारित करने का आरोप लगाया गया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20-8-2013 की रात्रि 2.50 एएम पर दर्ज हुई है। उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम तो घटना के तत्काल पश्चात जोधपुर में ही प्रकरण दर्ज करवाना चाहिए था तत्पश्चात जयपुर में रूकना पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह ने जिरह में बताया है वह जोधपुर से वापस शाहजहाँपुर दिल्ली हो कर जाना कहता है। दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। शाहजहाँपुर में घटना की जानकारी होना पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह व पी. डब्ल्यू-21 करमवीरसिंह ने बताया है, किन्तु शाहजहाँपुर में भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इसका कारण पीड़िता का शॉक में होना बताया गया है, किन्तु पी. डब्ल्यू-3 डा. शैलजा व पी. डब्ल्यू-4 डा. राजेन्द्रसिंह अपने बयानों में स्वीकार किया है कि वक्त परीक्षण "सु" की पल्सरेट व ब्लडप्रेसर सामान्य था पूर्ण रूप से होश में थी व

(260)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

स्वस्थ थी। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुई देरी का स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। एवं मात्र इसी आधार पर अभियोजन कहानी अविश्वसनीय मानी जा कर अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

218— प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाने के सम्बन्ध में भी सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे मार्गदर्शन विवेचन के दौरान लिया जायेगा।

219— बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि घटना की शुरुआत पीड़िता के होस्टल में चक्कर खा कर गिरने से होती है। प्रदर्शनी-4 एनजीओ पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर की रिपोर्ट में चक्कर आ कर गिरने की दिनांक 7-8-2013 है। आरोप पत्र में दिनांक 2-3.8.2013 बताई गई है। डी. डब्ल्यू-9 कुमारी रीना को यह सुझाव दिया गया है कि पीड़िता को दिनांक 6-8-2013 को चक्कर आ गया था। अतः अभियोजन पक्ष इस बिन्दु पर स्थिर नहीं है कि पीड़िता को चक्कर किस दिनांक को आया था। पीड़िता बाथरूम में चक्कर आना कहती है। बाथरूम की साईज चार फुट लम्बी व चार फुट चौड़ी बताती है। स्वयं की हाईट पांच फिट दो इंच होना कहती है। चक्कर आने पर फर्श पर गिरना बताती है। इसके बावजूद कोई चोट नहीं लगना कहती है। अतः उसके कथन विश्वास योग्य नहीं है। डी. डब्ल्यू-9 कुमारी रीना ने, जिसका छात्राओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखना स्वयं पी. डब्ल्यू-5 ने स्वीकार किया है, इस बात से स्पष्ट इनकार किया है कि पीड़िता को कभी चक्कर आया हो अथवा वह बाथरूम में गिरी हो। डी. डब्ल्यू-1 चारुल अरोडा, डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू-11 विद्या ने भी अपने कथनों में पीड़िता को एकदम स्वस्थ बताया है व उसको चक्कर आ कर गिरने से इनकार किया है।

220— बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि पीड़िता के माता पिता द्वारा पीड़िता को अभियुक्त आशाराम के पास ले जाने का कारण उसके भूत प्रेत का ईलाज अभियुक्त आशाराम के करवाना बताया गया है। पीड़िता पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने न्यायालय में हुए कथनों में यह बताया है कि वह बुलाने पर शरद सर के ऑफिस में गई तो वहाँ शरद सर व शिल्पी पहले से बैठे हुए थे इनके अलावा वहाँ पर भव्या भी थी, तीनों ने उसके उपर भूत प्रेत का साया

(261)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बताया था और भूत का कह कर डराया था। किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी-4 में भव्या व शरद के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। मात्र शिल्पी द्वारा यह बताना कहा गया है कि उसके उपर भूत प्रेतों का साया है। पीड़िता ने धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के बयानो में भव्या व शरद द्वारा यह बताने का जिक्र नहीं किया है कि उसके उपर भूत का साया हो। पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर द्वारा लेखबद्ध रिपोर्ट प्रदर्शडी-4 में भी शरद व भव्या का हवाला नहीं है। शरद व भव्या का हवाला सर्वप्रथम पीड़िता के पुलिस बयान प्रदर्शडी-2 में आता है, जो जोधपुर में लेखबद्ध किये गये है। पीड़िता की कहानी के मुताबिक इस पूरे प्रकरण में भव्या का अहम रोल था, किन्तु पी. डब्ल्यू-43 अनुसंधान अधिकारी द्वारा भव्या शुक्ला के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये। आरोप पत्र में उल्लेखित है कि छिंदवाडा के गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये, किन्तु उन्हें आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किया गया। भव्या के निवास स्थान मेरठ के पडौसियों से पूछताछ करना पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने बताया है, कि उसने भव्या शुक्ला के पडौसी कुलरतन शर्मा, श्रीमती संध्या, श्रीमती शशी और एक और पडौसी के बयान लिए थे, किन्तु उनके बयान आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किये। इससे स्पष्ट है कि उक्त पडौसियों ने भव्या शुक्ला पर भूत का साया होने के सम्बन्ध में नकारात्मक कथन किये गये थे, किन्तु उसे अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर छुपाया गया। भव्या के पिता शैलेश शुक्ला के शपथपत्र प्रदर्शडी-99 से स्पष्ट है कि उसे व उसकी पुत्री को धमकाया गया कि वे अनुसंधान अधिकारी की इच्छा के अनुसार बयान दें अन्यथा उन्हें दुष्परिणाम भुगतने होंगे। उनके ऐसा नहीं करने पर उनके बयान लेखबद्ध नहीं किये गये। पी. डब्ल्यू-43 श्रीमती चंचल मिश्रा ने भव्या के पिताजी को भव्या के बयानों के लिए उपस्थित रहने बाबत नोटिस भेजना कहा है, किन्तु उक्त नोटिस को आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किया है। गवाह प्रदर्शपी-104 में वर्णित कर्मचारियों से भव्या शुक्ला पर भूत के साये के बारे में कोई अनुसंधान नहीं करना कहती है तथा स्वीकार करती है कि पत्रावली पर छिंदवाडा के किसी गवाह के बयान भूत के साये के सम्बन्ध में पुष्टि करने बाबत नहीं है। इसके विपरीत पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध है कि भव्या शुक्ला पर कोई भूत का साया

(262)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

नहीं था। पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा गुरुकुल का प्रिंसीपल है, जिसने भव्या शुक्ला या किसी अन्य पर भूत आने की चर्चा नहीं सुनना कहा है। यही कथन पी. डब्ल्यू-36 नेहा तोतलानी करती है। डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोडा, डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू-8 प्रिया सिसोदिया, डी. डब्ल्यू-9 रीना व डी. डब्ल्यू-11 विद्या खेरनार उक्त सभी गवाहान ने अपने बयानों में इस बात से स्पष्ट इनकार किया है कि होस्टल पर स्कूल पर कोई भूत का साया हो। भव्या का भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बताया है। डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू-8 प्रियासिंह, डी. डब्ल्यू-9 कुमारी रीना व डी. डब्ल्यू-11 विद्या ने भव्या शुक्ला का स्कूल व हॉस्टल छोड़कर जाने का कारण यह बताया है कि उसकी मूल टी.सी. जमा नहीं हुई थी। पी. डब्ल्यू-41 मुक्ता पारीक ने आर्टिकल-डी-16 में इस बाबत प्रविष्टि को जिरह में स्वीकार किया है। अतः जहाँ एक ओर अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में नितान्त असफल रहा है कि भव्या शुक्ला पर कोई भूत का साया हो तथा उसने पीड़िता "सु" को डराया हो। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष यह सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है कि भव्या शुक्ला पूर्ण रूप से स्वस्थ थी उस पर कोई भूत का साया नहीं था तथा वह मूल टी.सी. जमा नहीं होने के कारण स्कूल व होस्टल छोड़कर गई थी।

221- विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर पाने में पूर्ण रूपेण विफल रहा है कि अभियुक्त आशाराम द्वारा अभियुक्त शिल्पी व शरद को कह कर अपने पास पीड़िता "सु" को बुलाया गया हो वरन स्वयं पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह ने शिवा से सम्पर्क कर आशाराम के बारे में पूछताछ की वो वर्तमान में कहाँ पर है एवं स्वयं ही पूछते हुए जोधपुर के निकट मणई के हरिओम फार्म हाउस तक दिनांक 14-8-2013 को दोपहर पहुंचा, अभियुक्तगण शरद व शिल्पी द्वारा उन्हें किसी स्थान विशेष पर जाने का सुझाव नहीं दिया गया है। पहुंचने के तत्काल पश्चात करमवीरसिंह व उसके परिवार की मुलाकात आशाराम से होना बताया जाता है। पी. डब्ल्यू-21 करमवीरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन किया है कि उसे दिनांक 14-8-2013 को ही आशाराम ने कहा कि तुम यहाँ पर 11

(263)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

दिन का अनुष्ठान करो व बेटी को अहमदाबाद भेज दो। यदि करमवीरसिंह व उनका परिवार अभियुक्त आशाराम का भक्त था तो उन्हें उनकी आज्ञा मान उसी दिन अथवा अगले दिन पीड़िता को अहमदाबाद भेज देना था। उनका कार्य पूर्ण हो गया था, लेकिन फिर भी वे दो दिन और इसलिए रुके क्योंकि उन्हें आशाराम पर झूठा अभियोग लगाना था। परिवादी परिवार के मणई स्थित फार्म हाउस में पहुँचते ही आशाराम द्वारा यह पूछना कि क्या तुम वही भूतों वाली लडकी हो, पूर्ण रूप से मिथ्या व गढा हुआ तथ्य है। जहाँ पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह व पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने स्वयं 'सु' से अभियुक्त आशाराम का बातचीत करना बताया है वहीं पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह स्वयं अभियुक्त आशाराम से बातचीत करना कहता है। उक्त विरोधाभास गम्भीर है एवं अभियोजन कहानी को अविश्वसनीय ठहराता है। इसके विपरीत पी. डब्ल्यू-6 रणजीत ने इस बाबत नितान्त भिन्न कथन किये हैं। पी. डब्ल्यू-22 रामकिशोर सत्संग के बाद करमवीर सिंह द्वारा बापू को अपनी पारिवारिक समस्याएं बताना कहता है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है। अतः उनकी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष बाध्य है।

222— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि जिस वक्त की घटना बताई जा रही है उस वक्त अभियुक्त आशाराम अपनी कुटिया में ही नहीं थे। वह अपनी कुटिया में मात्र एकान्तवास के लिए जाते हैं एवं उक्त एकान्तवास के समय किसी अन्य को कुटिया में जाने की अनुमति नहीं होती है। कुटिया के बाहर चौकीदार पहरा देते हैं वे किसी को भी अन्दर नहीं आने देते हैं। घटना के वक्त अभियुक्त आशाराम द्वारा नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सत्संग किया जा रहा था सत्संग के बाद पूना व शिवगंज के आये परिवारों के मध्य लडके लडकी के रोके की रस्म तत्पश्चात बहराना साहब (झूलेलाल) की झांकी निकाली गई। झांकी के पश्चात डी. डब्ल्यू-2 चनणाराम कुमावत से आशाराम ने करीब रात 12 बजे तक बात की तत्पश्चात वे अपनी कुटिया में गये तब तक परिवादी परिवार पी. डब्ल्यू-6 रणजीत के मकान में सोने जा चुका था। अतः समस्त कहानी झूठी बनायी गई है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने

(264)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

हमारा ध्यान अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के निम्नलिखित गवाहों के बयान की ओर आकर्षित किया है।

223— पी. डब्ल्यू-22 रामकिशोर ने जिरह में स्वीकार किया है कि 15-8-2013 की रात को सत्संग के बाद करीब साढ़े दस बजे सुमेरपुर की सोनिया व पुना का हरीश का सगाई का कार्यक्रम हुआ था, जो सवा ग्यारह बजे रात तक चला था उस समय आशाराम मौजूद थे उस कार्यक्रम में करमवीर व उसकी पत्नी व बेटी बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान मेहराना साहब की झांकी निकाली थी। सत्संग के दौरान चैनाराम जी, जगदीश अरोडा, रणवीर सिक्थोरिटी वाला एवं काफी महिलाएं मौजूद थे। सगाई के कार्यक्रम के पश्चात करमवीर का परिवार व पुना का परिवार रणजीत के घर पर आ कर सो गए थे।

224— पी. डब्ल्यू-6 रणजीत ने 15 अगस्त को शाम को सत्संग होने के बाद पुना के लडके व सुमेरपुर की लडकी की सगाई का कार्यक्रम रात को साढ़े दस बजे से शुरू हो कर 11 साढ़े ग्यारह बजे तक चलना व सगाई के बाद मेहराना साहब की झांकी का कार्यक्रम चलना तथा कार्यक्रम के बाद बापू का अपनी कुटिया में चले जाने व यूपी व पुना के परिवार का गवाह के घर में चले जाना कहा है।

225— डी. डब्ल्यू-2 चनणाराम कुमावत ने तीन चौकीदारों को आशाराम बापू आश्रम में छोड़ना कहा है वह 15-8-2013 को हरिओम कृषि हाउस मणई पहुँचने पर आशाराम जिस मकान में ठहरा था वहाँ चौकीदार होना तथा उसके द्वारा उन्हें अन्दर न घुसने देना बताया है। गवाह ने रात को नौ बजे सत्संग चालू हो कर पौने ग्यारह बजे तक चलना फिर अर्जुन टेकवानी व बलराम के परिवार को सगाई की खुशी में आशाराम द्वारा आशिर्वाद देना, ग्यारह सवा ग्यारह बजे झूलेलाल की झांकी समाप्त होने के पश्चात स्वयं द्वारा साढ़े ग्यारह बजे तक आशाराम से बात करना कहा है।

226— डी. डब्ल्यू-3 अर्जुन टेकवानी ने इस तथ्य को साबित किया है कि बापूजी (अभियुक्त आशाराम) नीम के पेड़ के नीचे रात को नौ बजे से पौन बारह बजे तक बैठे थे। डी. डब्ल्यू-4 सुशीला चेलानी ने भी उक्त कथनों की

(265)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पुष्टि की है।

227— डी. डब्ल्यू-14 मदनसिंह ने स्वयं राजेन्द्र कुमार जाट व अरूणसिंह शेखावत द्वारा 11-8-2013 से दिनांक 16-8-2013 तक मणई हरिओम कृषि फार्म में कुटिया के परिसर की बाउण्डरी के गेट पर चौकीदारी करना कहा है। उक्त अवधि में उक्त कुटिया के अन्दर आशाराम के अलावा अन्य कोई नहीं गया था।

228— डी. डब्ल्यू-10 मनीषा देवडा ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि कुटिया के गेट पर चौकीदार रहते थे अन्दर कोई नहीं जाता था। उसने 15-8-2013 को रात्रि नौ बजे सत्संग शुरू होने के बाद बलराम व अर्जुन के बेटा बेटा के बीच रोका होने फिर झूलेलाल की झांकी निकालने तथा पौने बारह बजे आशाराम का कुटिया की तरफ चले जाने तथा पीछे बन्दूक वाले के अतिरिक्त किसी के नहीं जाने के तथ्यों की ताईद की है। डी. डब्ल्यू-6 विशनाराम उर्फ विष्णु के भी यही कथन है।

229— उक्त गवाहान ने अपने बयानों में प्रदर्श-डी-21, प्रदर्श-डी-22, प्रदर्श-डी-23, प्रदर्श-डी-24, प्रदर्श-डी-26, प्रदर्श-डी-36 फोटोग्राफ्स को साबित किया है तथा उक्त फोटोग्राफ्स दिनांक 15-8-2013 की रात्रि सत्संग के बताये हैं तथा उक्त फोटोग्राफ्स में गनमेन भी नजर आ रहा है एवं सगाई का कार्यक्रम होता भी नजर आ रहा है। अतः स्पष्ट है कि जिस समय की घटना पीड़िता द्वारा बताई जा रही है उस वक्त अभियुक्त आशाराम कुटिया में नहीं थे वरन फार्म हाउस के नीम के पेड के नीचे सत्संग कर रहे थे तथा रात को नौ बजे से पौने बारह बजे तक उक्त गवाहान के साथ मौजूद थे। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि उक्त अवधि में पीड़िता व उसके परिवार के कुटिया की ओर अकेले जाने तथा पीड़िता को अभियुक्त आशाराम द्वारा कुटिया में बुलाने की घटना असम्भव है, क्योंकि घटना के वक्त अभियुक्त आशाराम की घटना स्थल से अन्यत्र उपस्थिति (Alibi) बचाव पक्ष साबित करने में सफल रहा है।

230— बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि जोधपुर पुलिस द्वारा दिनांक 21-8-2013 को ही मौके पर जाकर वीडियोग्राफी कर ली

(266)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गई थी। पुलिस थाना सूरसागर की रोजनामचा एन्ट्री प्रदर्श-डी-103 व प्रदर्श-डी-104 से स्पष्ट है कि पहले पुलिस जाबता, तत्पश्चात् एस. एच. ओ. सूरसागर मदन बेनीवाल अभियुक्त आसाराम पर लगे आक्षेप के सम्बन्ध में मौके पर जा चुके थे। उनके द्वारा की गई वीडियोग्राफी पीड़िता को पहले ही बता दी गई थी, अतः नक्शा मौका प्रदर्श-पी-13, वीडियोग्राफी की सी. डी. आर्टिकल-16 एवं ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श-पी-70 का कोई साक्ष्यिक महत्व शेष नहीं रह जाता है।

231- बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि घटना के सम्बन्ध में पीड़िता के एक मात्र कथन पत्रावली पर विद्यमान है। पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह का कहना है कि वह उपर जा कर सो गया था। पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह अपने बयानों में स्वयं का कुटिया के सामने पूरे घटनाक्रम के दौरान बैठी होना बताती है तथा अपनी पुत्री पीड़िता का कुटिया के पीछे छोटे बरामदे में सीढियों पर बैठी होना बताती है। उसका यह भी कथन है कि उसने थोड़ी देर बाद जा कर सम्भाला तो देखा कि वह वहीं बैठी थी। तत्पश्चात् बाद में बेटी का आना कहती है। अर्थात् यह गवाह इस बात की लेशमात्र भी साक्षी नहीं है कि उक्त अवधि के दौरान उसकी पुत्री कुटिया के अन्दर गई हो। अतः घटना के सम्बन्ध में मात्र पीड़िता सु ही कथन करती है। उक्त गवाह के बयान कतई विश्वास योग्य नहीं है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी-4, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन प्रदर्शपी-7, पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर को कहे कथन प्रदर्शपी-4, पुलिस बयान प्रदर्शपी-2 व न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में घटना के बारे में भिन्न भिन्न कथन किये हैं। उसने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसके प्राईवेट पार्ट को टच करना उसे किस व हग करना अपने प्राईवेट पार्ट को टच व सक करने के लिए कहना बताया है। किन्तु उसने यह स्वीकार किया है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 प्रदर्श-पी-2 व प्रदर्श-पी-3 में यह बात नहीं लिखी है, उसकी सलवार उतार देना भी नहीं लिखा है। अपना लिंग चूसने व टच करने के लिए कहा हो ऐसा नहीं लिखवाया है। उसकी सलवार उतार देने की बात पुलिस रिपोर्ट, एनजीओ रिपोर्ट व 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में नहीं लिखी है। गवाह ने यह भी स्वीकार

(267)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

किया है कि पुलिस रिपोर्ट एनजीओ रिपोर्ट 164 के बयानों में व पुलिस बयानों में प्राइवेट पार्ट पर किस करना नहीं लिखाया है कपड़ों में हाथ डालने की बात पुलिस रिपोर्ट में नहीं होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्शनी-2, एनजीओ रिपोर्ट प्रदर्शनी-4, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्शनी-7, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शनी-4 में अंकित कथनों से अलग कथन किये हैं। उक्त समस्त कथनों में परस्पर गम्भीर विरोधाभास व सुधार है। ऐसे में उसकी एक मात्र साक्ष्य को Gospel truth मान कर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

232— उसके अतिरिक्त दिनांक 7-8-2013 को उसके पीरियड शुरू हुए थे यह उसने स्वीकार किया है, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में भी वर्णित है। क्लीनिकल गायनोकोलोजिक मेन्युअल के अनुसार सामान्य मासिक धर्म की अवधि चार से आठ दिवस होती है। डी. डब्ल्यू-10 मनीषा ने पीड़िता द्वारा उससे मासिक धर्म होने के कारण पेड मॉगना कहा है। अगले दिन भी वह रात्रि को पीड़िता द्वारा पेड चेंज करना कहती है। ऐसी स्थिति में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को टच करना सम्भव नहीं था। पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने स्वीकार किया है कि उसने मौके से कोई वस्तु नहीं उठाई, न ही एफएसएल को जांच हेतु भेजी। वह मौके से अंगुली छाप व पदचिह्न भी नहीं उठाना कहती है। उसने घटना स्थल से चादर भी जब्त नहीं करना कहा है। जबकि उसने स्वीकार किया है कि उसे जानकारी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एफएसएल की टीम बुलाई जाती है। बलात्कार के केस में सीमन मिल सकता है, फिंगर प्रिंट मिल सकता है। घटना स्थल पर जाते समय अनुसंधान बॉक्स साथ ले कर जाते हैं। पीड़िता ने घटनाक्रम एक डेढ घंटा बताया है। उक्त अवधि में स्वयं के व पीड़िता के कपड़े अभियुक्त आशाराम द्वारा उतारे रखना पीड़िता कहती है। ऐसी स्थिति में सम्भव नहीं है कि पीड़िता का ब्लड व आशाराम का सीमन मौके पर नहीं गिरा हो। यदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा रेप से सम्बन्धित आलामात उठाये जाते तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होता कि वहाँ पर ऐसे कोई आलामात नहीं थे। अतः अनुसंधान अधिकारी द्वारा जानबूझकर ऐसा अनुसंधान किया गया ताकि अभियुक्त की निर्दोषिता सिद्ध करने वाली

(268)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

साक्ष्य पत्रावली पर न आ सके और अभियुक्त को इस प्रकरण से झूठा आलिप्त किया जा सके। अनुसंधान अधिकारी पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा द्वारा ऐसा प्रथम बार नहीं किया गया है प्रदर्शनी-98 निर्णय जिसमें अनुसंधान अधिकार चंचल मिश्रा के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की है, से साबित होता है कि यह अनुसंधान अधिकारी इस तरह के कृत्य करने की आदी है एवं इस प्रकरण में भी स्वयं के विरुद्ध ऐसी कठोर टिप्पणी प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

233— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि अनुसंधान में रही कमियों के कारण यह मामला पूर्णरूपेण विफल हो चुका है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा है।

234— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन साक्षीगण एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण के साक्ष्यिक मूल्य में कोई भेदभाव नहीं है। दोनों का साक्ष्यिक मूल्य समान है। अतः बचाव पक्ष के साक्षीगण पर बिना किसी ठोस वजह अविश्वास करने का प्रश्न नहीं उठता।

235— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में बेहद गम्भीर विरोधाभास व सुधार सामने आए हैं। अतः अभियोजन कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

236— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का विशेषकर अभियुक्त आशाराम व शिल्पी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जनराज सुराणा का यह तर्क रहा है कि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 29 व 30 में वर्णित उप धारणा मात्र आरोप लगाये जाने तक सीमित है जैसा कि चार्ज बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दिये गये तर्कों से स्पष्ट है। अतः इस स्टेज पर अभियुक्तगण का बचाव सम्भावनाओं की अधिसंभाव्यता के आधार पर देखा जाएगा, न कि उसे संदेह के परे अपना बचाव सिद्ध करना होगा। आरोप साबित करने व बचाव करने की डिग्रीज में फर्क है। जहाँ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे आरोप सिद्ध करने होंगे वहीं बचाव पक्ष को उसकी कहानी संभावित सिद्ध करना ही पर्याप्त है।

(269)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

237- विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने यह तर्क दिया है कि डी. डब्ल्यू.-16 आंचल कुमावत व डी. डब्ल्यू.-20 शिल्पा अग्रवाल के कथनों से साबित है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति बहुत ही उच्च कोटी की है, वह परम ज्ञानी है, सभी महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। वे अपने मस्तिष्क की अधिकतम क्षमताओं को प्राप्त हो चुके हैं इसलिए अब उनके लिए कोई भी सांसारिक वस्तुओं व इच्छाओं का महत्व नहीं है। उन्होंने Self-Transcendence को प्राप्त कर लिया है। अतः वे इन्सान की मूलभूत आवश्यकता से उपर उठ गए हैं। अतः दुष्कर्म के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्यव्रत का पालन 1974 से ही शुरू कर दिया है। अतः उन पर लगाए गए आरोप गलत है।

238- मैंने उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के सम्माननीय विनिश्चयों पर मनन किया।

239- पीड़िता "सु" का घटना के दिन 18 वर्ष से कम आयु का होना साबित हो चुका है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि धारा 29 एवं धारा 30 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान मात्र आरोप लगाये जाने के प्रक्रम तक ही अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध है। इसके पश्चात् अभियोजन को अपना मामला सन्देह से परे सिद्ध करना पड़ेगा। वहीं अभियुक्त को अपना बचाव मात्र सम्भावनाओं की अधिसम्भाव्यता के आधार पर सिद्ध करना है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के बचाव की दुर्बलता का सहारा नहीं ले सकता है। इस सम्बन्ध में हमने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर विचार किया :-

(1)- Sunil Kundu & Anr vs State Of Jharkhand

AIR 2014 (Suppl.) 223

इस सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :-

When the prosecution is not able to prove its case beyond reasonable doubt it cannot take advantage of the fact that

(270)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

the accused have not been able to probablise their defence.

It is well settled that the prosecution must stand or fall on its own feet. It cannot draw support from the weakness of the case of the accused, if it has not proved its case beyond reasonable doubt.

(2)- Dhanapal & Ors vs State By Public Prosecutor,
(2009) 10 SCC 401

इस सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :-

The High Court, in our considered view, could not have shifted the burden of proof on the accused. According to the fundamental principles of the Evidence Act, it is for the prosecution to have proved its own case.

.....
.....
.....

35. In Bhagwan Singh & Others v. State of M.P. (2002) 4 SCC 85, the Court repeated one of the fundamental principles of criminal jurisprudence that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favourable to the accused should be adopted. The Court observed as under:-

"7. ..The golden thread which runs through the web of administration of justice in criminal case is that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favourable to the accused should be adopted. Such is not a jurisdiction limitation on the appellate court but a Judge made guidelines for circumspection. The paramount consideration of the court is to ensure that miscarriage

(271)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

of justice is avoided...."

(3)- Toran Singh vs State Of Madhya Pradesh

2002 (2) UJ 1183 (SC)

इस सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :-

As is evident from the above para, the High Court instead of giving benefit of doubt to the appellant, placed the burden on the defence and found that there was absence of plausible defence and explanation by the appellant. The case of the prosecution should rest on its strength not on the absence of explanation or plausible defence by the accused.

(4)- Jumni & Ors vs State Of Haryana

2014 (2) Cr. Court Cases 490 (SC)

इस सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :-

25. It is no doubt true that when an alibi is set up, the burden is on the accused to lend credence to the defence put up by him or her. However the approach of the court should not be such as to pick holes in the case of the accused person. The defence evidence has to be tested like any other testimony, always keeping in mind that a person is presumed innocent until he or she is found guilty.

26

27. On the standard of proof, it was held in Mohinder Singh v. State[4] that the standard of proof required in regard to a plea of alibi must be the same as the standard applied to the prosecution evidence and in both cases it should be a reasonable standard. Dudh Nath Pandey goes a step further and seeks to bury the ghost of disbelief that

(272)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

shadows alibi witnesses, in the following words:

“Defence witnesses are entitled to equal treatment with those of the prosecution. And, courts ought to overcome their traditional, instinctive disbelief in defence witnesses. Quite often, they tell lies but so do the prosecution witnesses.”

(5)- Daulat Ram vs State Of Punjab

(1997) 10 SCC 236

इस सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :-

The learned Sessions Judge devoted more than half of his judgment in critically examining the defence version as if it required the standard of proof as that of a prosecution case. The High Court however avoided pursuing that course and confined itself to the prosecution case. If holes can be picked in the defence that doesn't lead to the prosecution story being automatically proved. The prosecution has to stand on its own legs and can derive no advantage from the weakness of the defence. Keeping that in view, we proceed further.

(6)- Ashish Batham vs State Of Madhya Pradesh

(2002) 7 SCC 317

इस सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :-

Realities or Truth apart, the fundamental and basic presumption in the administration of criminal law and justice delivery system is the innocence of the alleged accused and till the charges are proved beyond reasonable doubt on the basis of clear, cogent, credible or unimpeachable evidence, the question of indicting or

(273)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

punishing an accused does not arise, merely carried away by heinous nature of the crime or the gruesome manner in which it was found to have been committed. Mere suspicion, however, strong or probable it may be is no effective substitute for the legal proof required to substantiate the charge of commission of a crime and grave the charge is greater should be the standard of proof required. Courts dealing with criminal cases at least should constantly remember that there is a long mental distance between 'may be true' and 'must be true' and this basic and golden rule only helps to maintain the vital distinction between 'conjectures' and 'sure conclusions' to be arrived at on the touch stone of a dispassionate judicial scrutiny based upon a complete and comprehensive appreciation of all features of the case as well as quality and credibility of the evidence brought on record.

(7)- R.V.E. Venkatachala Gounder vs Arulmigu Viswesaraswami & V.P. (2003) 8 SCC 752

28. Whether a civil or a criminal case, the anvil for testing of 'proved', 'disproved' and 'not proved', as defined in [Section 3](#) of the Indian Evidence Act, 1872 is one and the same. A fact is said to be 'proved' when, if considering the matters before it, the Court either believes it to exist, or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists. It is the evaluation of the result drawn by applicability of the rule, which makes the difference.

"The probative effects of evidence in civil and criminal cases are not however always the same and it has been laid

down that a fact may be regarded as proved for purposes of a civil suit, though the evidence may not be considered sufficient for a conviction in a criminal case. BEST says : There is a strong and marked difference as to the effect of evidence in civil and criminal proceedings. In the former a mere preponderance of probability, due regard being had to the burden of proof, is a sufficient basis of decision: but in the latter, especially when the offence charged amounts to treason or felony, a much higher degree of assurance is required. (BEST, [S. 95](#)). While civil cases may be proved by a mere preponderance of evidence, in criminal cases the prosecution must prove the charge beyond reasonable doubt." (See Sarkar on Evidence, 15th Edition, pp.58-59) In the words of Denning LJ (Bater Vs. B, 1950, 2 All ER 458,459)

"It is true that by our law there is a higher standard of proof in criminal cases than in civil cases, but this is subject to the qualification that there is no absolute standard in either case. In criminal cases the charge must be proved beyond reasonable doubt, but there may be degrees of proof within that standard. So also in civil cases there may be degrees of probability."

Agreeing with this statement of law, Hodson, LJ said

"Just as in civil cases the balance of probability may be more readily fitted in one case than in another, so in criminal cases proof beyond reasonable doubt may more readily be attained in some cases than in others." (Hornal V. Neuberger P. Ltd., 1956 3 All ER 970, 977).

240— मैंने उक्त समस्त सम्माननीय विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्तों को हृदयंगम किया। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त सम्माननीय विनिश्चयों में अन्तर्ग्रस्त तथ्यों के अनुसार अभियुक्तगण जिन अपराधों के लिये

(275)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आरोपित थे उनमें, उनके विरुद्ध अपराध कारित करने की उपधारणा सम्मिलित नहीं थी।

241— निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय एन.डी.पी.एस. अधिनियम से सम्बन्धित है, जहां अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा अधिनियम में दी गई है :-

(1)- Noor Aga vs State Of Punjab & Anr.
(2008) 16 SCC 417

BURDEN OF PROOF The provisions of the Act and the punishment prescribed therein being indisputably stringent flowing from elements such as a heightened standard for bail, absence of any provision for remissions, specific provisions for grant of minimum sentence, enabling provisions granting power to the Court to impose fine of more than maximum punishment of Rs.2,00,000/- as also the presumption of guilt emerging from possession of Narcotic Drugs and Psychotropic substances, the extent of burden to prove the foundational facts on the prosecution, i.e., 'proof beyond all reasonable doubt' would be more onerous. A heightened scrutiny test would be necessary to be invoked. It is so because whereas, on the one hand, the court must strive towards giving effect to the parliamentary object and intent in the light of the international conventions, but, on the other, it is also necessary to uphold the individual human rights and dignity as provided for under the UN Declaration of Human Rights by insisting upon scrupulous compliance of the provisions of the Act for the purpose of upholding the democratic values. It is necessary for giving effect to the concept of 'wider civilization'. The courts must always remind itself that it is a well settled principle of criminal jurisprudence that more serious the offence, the stricter is the degree of proof. A

(276)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

higher degree of assurance, thus, would be necessary to convict an accused.

242— यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 व 30 निम्नलिखित प्रावधान करती है :—

29. Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under sections 3, 5, 7 and section 9 of this Act, the Special Court shall presume, that such person has committed the offence, unless the contrary is proved.

30. (1) In any prosecution for any offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the Special Court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

(2) For the purposes of this section, a fact is said to be proved only when the Special Court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability.

Explanation.—In this section, "culpable mental state" includes intention, motive, knowledge of a fact and the belief in, or reason to believe, a fact.

243— हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 5 (एफ)/6 एवं धारा 5 (जी)/6 एवं धारा 7 व 8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये आरोप लगाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 29 व 30 के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त उपधारणा मात्र आरोप लगाये जाने के स्तर तक ही शेष है। मेरे विनम्र मत में उक्त

(277)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उपधारणा निर्णय के स्तर तक लागू होगी।

244— धारा 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में "shall presume" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार

"Shall presume" :- Whenever it is directed by this Act that the Court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved, unless and until it is proved.

245— उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि यह विधि की खण्डनीय उपधारणा है। निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चयों में इस उपधारणा को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है :-

(1)- Sodhi Transport Co. and Ors. vs. State of U.P and Ors.

(1986) 2 SCC 486 :-

A presumption is not in itself evidence but only makes a prima facie case for party in whose favour it exists. It is a rule concerning evidence. It indicates the person on whom the burden of proof lies. When presumption is conclusive, it obviates the production of any other evidence to dislodge the conclusion to be drawn on proof of certain facts. But when it is rebuttable it only points out the party on whom lies the duty of going forward with evidence on the fact presumed, and when that party has produced evidence fairly and reasonably tending to show that the real fact is not as presumed the purpose of presumption is over. Then the evidence will determine the true nature of the fact to be established. The rules of presumption are deduced from enlightened human knowledge and experience and are drawn from the connection, relation and coincidence of facts, and circumstances.

246— सम्माननीय विनिश्चय "Sanjiv Kumar vs State of Punjab, (2009) 16 SCC 487" में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है

(278)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कि धारा 304-बी आई पी सी के मामले में अभियोजन को मात्र यह स्थापित करना होता है कि मृत्यु जलने से या शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न अन्यथा हुई है एवं ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है तथा यह दिखाया गया है कि मृत्यु के तत्काल पूर्व महिला दहेज की मांग के लिये पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा कूरता की शिकार थी। यदि उक्त तथ्य अभियोजन द्वारा स्थापित कर दिये जाते हैं तो धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा उत्पन्न हो ती है और न्यायालय उपधारित करेगा कि उक्त व्यक्ति जिसने महिला से कूरता की है या दहेज की मांग के लिये परेशान किया है, ने दहेज मृत्यु कारित की है। उक्त उपधारणा को अभियुक्त द्वारा खण्डित किया जा सकता है, यदि अभियुक्त Pleading एवं सम्भावित बचाव से उक्त उपधारणा का सफलतापूर्वक खण्डन कर देता है तो धारा 113-बी के अन्तर्गत उपधारणा खण्डित हो जाती है और अभियोजन को अपना मामला उक्त उपधारणा की सहायता के बना साबित करना होगा। इसी सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अवधारित किया है कि जहां अभियोजन को अपना मामला उचित सन्देह के परे साबित करना होगा वहीं अभियुक्त का बचाव मात्र सम्भावना के आधार पर देखा जायेगा। सबूत का भार सभी आपराधिक विचारणों में अभियोजन पर होता है चाहे दी गई परिस्थितियों में Onus अभियुक्त पर Shift हो जाये। अतः साक्ष्य का विवेचन यह ढूँढने के लिये किया जायेगा कि क्या अभियुक्त का बचाव सम्भावित एवं सत्य है।

(1)- K. Prakashan vs. P. K. Surenderan

2007 (4) Criminal Court Cases 371 (SC)

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि इस न्यायालय ने यह विधि निर्धारित की है कि धारा 139 परकाम्य लिखत अधिनियम में भार से मुक्ति पाने के लिये सबूत का स्तर सम्भावनाओं की अधिसम्भाव्यता है। अभियुक्त पर सबूत का भार इतना ऊंचा नहीं है, जितना अभियोजन पक्ष पर।

247- माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम. एस. नारायण मेनन बनाम

(279)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

स्टेट आफ केरल, 2006 (3) क्रिमिनल कोर्ट केसेज 665 (एस. सी) के सम्माननीय विनिश्चय में यह अवधारित किया है कि Expression "shall presume" cannot be held to synonymus with conclusive proof.

248— माननीय उच्चतम न्यायालय जॉन के जॉन बनाम टी. वर्गीस 2007 (4) क्रिमिनल कोर्ट केसेज के सम्माननीय विनिश्चय में परिवादी के कण्डक्ट को सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति के आचरण के रूप में न मानते हुए यह माना कि वह न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अतः किसी प्रकार का अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

249— मैंने उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में आई साक्ष्य पर विचार किया।

250— पत्रावली पर आई साक्ष्य के अनुसार पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह एवं पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह का छिन्दवाड़ा गुरुकुल बॉयज होस्टल में दिनांक 8-8-2013 को रात्रि को पहुंचना एवं बॉयज होस्टल में एन्ट्री फर्द पेशकर्त्ता प्रदर्श-पी-56 के साथ संलग्न आगन्तुक रजिस्टर की प्रविष्टि से साबित है। उनके द्वारा अगले दिवस पीड़िता "सु" को साथ लेकर वहां से रवाना होना, उनके द्वारा दिये गये अवकाश आवेदन पर एवं स्वयं बचाव पक्ष के गवाहान पी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा, पी. डब्ल्यू-8 प्रियासिंह, पी. डब्ल्यू-9 रीना, पी. डब्ल्यू-11 विद्या के कथनों से सिद्ध है। पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह व पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह की मौखिक साक्ष्य से साबित होता है कि अभियुक्त आसाराम की तत्काल स्थिति के बारे में पूछताछ की गई। मण्डोर एक्सप्रेस से 13 तारीख की रात्रि को रिजर्वेशन करवा कर जोधपुर पहुंचना पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह, पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह व पी. डब्ल्यू-5 "सु" की साक्ष्य से एवं प्रदर्श-पी-128 रेल्वे रिजर्वेशन चार्ज की प्रति से सिद्ध होता है। दिनांक 14-8-2013 को पी. डब्ल्यू-5 "सु", पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह व पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह का दोपहर ग्राम मणाई स्थित हरिओम फार्म हाउस में पहुंचना एवं अभियुक्त आसाराम के सत्संग में भाग लेना, न सिर्फ उक्त तीनों गवाहान की साक्ष्य से वरन् पी. डब्ल्यू-6 रणजीत, पी. डब्ल्यू-22 रामकिशोर एवं बचाव पक्ष के साक्षी डी. डब्ल्यू-6 विशनाराम व डी. डब्ल्यू-10

(280)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मनीषा की साक्ष्य से सिद्ध होता है। अर्थात् इस बारे में साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है कि दिनांक 14-8-2013 को दोपहर परिवादी पक्ष मणाई स्थित हरिओम आश्रम पहुंचा तथा 16-8-2013 को प्रातः वहां से रवाना हुआ। घटनाक्रम दिनांक 15-8-2013 की रात्रि 10.20 बजे का बताया जाता है। पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह के कथनों के अनुसार उक्त दिवस से पूर्व की रात्रि में किशोर ने उसे कहा कि बापू आपको बुला रहे हैं, वह अपनी पत्नी व बेटी के साथ बापू से मिलने कुटिया पर गये। फिर वहां बापू ने उन्हें कहा कि तुम यहां 11 दिन अनुष्ठान करो और बेटी को अहमदाबाद भेज दो। बेटी ने पढ़ने की इच्छा जताई तो बापू ने कहा कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, बड़े बड़े अफसर तो उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। तत्पश्चात् उन्हें प्रसाद देकर वापस कमरे पर भेज दिया। उक्त कथनों की ताईद पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह ने अपने बयानों में की है। पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने भी साक्ष्य में यही कथन किये हैं कि कुटिया में बुला कर बापू ने उन्हें कुटिया घुमाई और उससे पूछा कि क्या चाहती हो, जब गवाह ने कहा कि उसे सी. ए. बनना है तो उसे बोले कि सी. ए. बन क्या करोगी, बड़े बड़े अफसर तो उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। बी. एड. कर लो, गुरुकुल में टीचर बना देंगे, बाद में प्रिन्सिपल बना देंगे। गवाह अपने पिता को बापू द्वारा यह कहना बताती है कि तुम 11 दिन तक यहीं रह कर अनुष्ठान करो, मम्मी से कहा कि तुम चली जाना और गवाह को कहा कि तुम्हें अहमदाबाद भेज देंगे, वहां जाकर अनुष्ठान करो, वहां से किसी के साथ तुम्हें छिन्दवाड़ा भेज देंगे। इस कुटिया में आने की किसी को परमीशन नहीं है, तुम्हें दिखा रहा हूं। पीड़िता "सु" ने आगे यह कथन किया है कि नीम के पेड़ के नीचे बापू शाम को देर से आये और सत्संग किया और सत्संग के बाद बापू जाने लगे तो कहा कि जाटों आ जाओ। सत्संग के बाद बाकी लोगों को आश्रम से निकाल देते थे, केवल हम लोग ही वहां रुके थे। जब बुलाया तब दस साढ़े दस बजे होंगे। फिर गवाह स्वयं व मम्मी पापा का पीछे पीछे जाना कहती है। कुटिया पर पहुंच कर गार्डन के बीच वाले रास्ते पर बिठा दिया, खुद चेयर पर बैठ गये। फिर रसोईये प्रकाश को बुला कर कहा कि इनको दूध पिलाओ। फिर मम्मी पापा को गार्डन के मैन गेट पर बिठा कर कहा

(281)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

यहां बैठ कर जप करो। गवाह को एक गैलेरी जैसे में सीढ़ियों के पास बिठा दिया। पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह ने अपने बयानों में उपरोक्त तथ्यों की ताईद की है। गवाह स्वयं व अपनी पत्नी को मैन गेट के पास बिठाना व उसकी बेटी को कुटिया के पीछे बिठाना व बापू का कुटिया के अन्दर चले जाना व कुटिया की लाईट बन्द कर देना कहता है। फिर वे थोड़ी देर तक जप करते रहे। उसकी पत्नी उसकी बेटी को एक बाद देखने गई तो वह पीछे बैठी जप कर रही थी। पत्नी ने उसे बताया कि वह जप कर रही है। फिर प्रकाश ने आकर कहा कि अंकल जी आन्टी जी सब सो गये हैं, 10 बज गये हैं, आप भी जाकर सो जाओ। तब पत्नी ने कहा कि हम बेटी को लेकर जायेंगे। गवाह स्वयं को नींद आने के कारण कमरे में आकर सोना कहता है। तत्पश्चात् गवाह को पता नहीं कि पत्नी व बेटी कब आये। सुबह उठा तो उसकी बेटी जग रही थी।

251- पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह ने पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह के कथनों की पुष्टि करते हुए बताया है कि थोड़ी देर बाद बेटी को वह देखने गई थी और देख कर वापस उसी जगह आकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद बेटी उसे देखने आई तो उसने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि देखने आई हूं कि आप हो कि नहीं, बापू ने पुछवाया है। उस समय उसका पति वापस रूम पर चला गया था। जब पति वहां बैठे थे तो रसोईये ने कहा कि आप जाकर सो सकते हो तब हमने कहा कि हम यहां बैठे हैं बेटी को साथ लेकर जायेंगे। गवाह करीब घन्टा भर बैठे रहना कहती है। फिर बाद में बेटी वहां आई और उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि जल्दी से यहां से चलो, बापू अच्छे इन्सान नहीं है, आप ऐसे ही उनको पूजते हो।

252- पी. डब्ल्यू.-5 "सु" ने अपने बयानों में बताया है कि जब वह सीढ़ियों के पास बैठी हुई थी तो बापू ने पीछे वाले दरवाजे से इशारा करके उसे बुलाया। पहले वह रूम के पास स्थित वाश रूम में गई। फिर रूम में गई तो बापू ने कहा कि जाओ देख कर आओ कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। उसने जाकर देखा तो पापा चले गये थे व मम्मी गार्डन के गेट पर बैठी थी। वापस जाकर बापू को बताया कि मम्मी बैठी है और पापा चले गये हैं। उस समय बापू ने पहले से ही रूम की लाईट बन्द कर दी थी और वे बेड पर

(282)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लेटे हुए थे। फिर उन्होंने गवाह को बेड पर अपनी साईड में बिठा दिया और फिर वे हाथ सहलाने लगे, बातें कर रहे थे। कहा कि पढ़ लिख कर क्या करोगी तुम्हें मैं वक्ता बना देता हूँ, तुम समर्पित हो जाओ, हमारे साथ ही रहना, मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा। फिर वे यह बातें कर रहे थे, फिर उठ कर दरवाजा बन्द कर दिया। फिर वह के साथ बदतमीजी करने लगे। पहले तो उन्होंने कपड़े उतार लिये तो गवाह चिल्लाई कि बापू यह क्या कर रहे हो तो बापू ने मुंह दबा दिया और धमकाया कि जरा सी भी आवाज की तो देखना मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे मां बाप को मरवा दूंगा, तुम्हारा खानदान खतम हो जायेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर वे बदतमीजी करने लगे, अपने हाथ से गवाह के पूरे शरीर को छू रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा था और Kiss हग कर रहा था, उसके कपड़ों में हाथ डाल कर बदतमीजी की, फिर जबरदस्ती करने लगा कि मेरे प्राइवेट पार्ट को छुओ और Suck करो। गवाह ने इस आशय के कथन किये हैं कि उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट पर और मुंह पर और सभी जगह Kiss किया। वह रो रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, हम तो आपको भगवान मानते हैं, आप यह क्या कर रहे हो। फिर वह बदतमीजी करते रहे, करीब एक सवा घन्टे बाद छोड़ा। छोड़ते टाइम उन्होंने कहा कि किसी को बताया तो देख लेना। गवाह को कहा कि अपने बाल व कपड़े ठीक कर लो, फिर जाना और किसी से कुछ मत बताना। फिर वह पीछे वाले दरवाजे से बाहर आई जहां से अन्दर गई थी। बाहर कमरे के सामने वाले गेट पर एक बरामदा था, जहां पर प्रकाश बैठा था। गवाह कहती है कि वह इस घटना से Shocked रह गई थी, जिस आदमी को वह भगवान समझती थी, उसने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की, उसके कपड़े खोलने की कोशिश की, उसकी सलवार उतार दी थी। कुछ सोच नहीं पा रही थी। जब वह कमरे से बाहर आई तो उसकी माता गार्डन के गेट पर बैठी हुई थी। फिर वह अपनी माता के साथ रूम पर आई। उसकी माता ने पूछा भी था कि क्या हुआ तो उसने कहा कि अभी तो यहां से चलो, बापू अच्छा इन्सान नहीं है। गवाह दूसरे दिन बिना नाश्ता किये, बिना बापू से मिले मां बाप के साथ शाहजहांपुर के लिये निकल जाना व 17 तारीख को देर रात शाहजहांपुर पहुंचना कहती है।

(283)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

253— मेरे विनम्र मत में उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध की आधारशिला साबित करने में सफल हुआ है। यह सुस्थापित विधि है कि अभियोक्त्री की एक मात्र साक्ष्य ही अपराधी को दण्डित करने के लिये पर्याप्त है, यदि वह सन्देह से परे एवं विसंगतियों से हीन हो। उक्त साक्ष्य को किसी सम्पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय को इस स्टेज पर उपरोक्त साक्ष्य को देखते हुए यह उपधारणा करनी होगी कि अभियुक्त ने उस पर आरोपित अपराध कारित किया है।

254— अब हमें यह देखना है कि क्या बचाव पक्ष स्वयं पर आई उपधारणा के खण्डन के भार को वहन करने में सफल रहा है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से न सिर्फ अभियोजन कहानी की सत्यता पर जिरह के दौरान एवं दौराने बहस प्रहार किये गये हैं वरन् स्वयं की ओर से साक्ष्य देकर भी अभियोजन कहानी के असत्य होने को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

255— सर्वप्रथम हम बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन कहानी की कमियों के सम्बन्ध में उठाये गये तर्कों पर विचार करते हैं।

256— **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी** :— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि घटना दिनांक 15-8-2013 की रात्रि की बताई गई है किन्तु घटना की रिपोर्ट दिनांक 20-8-2013 को रात्रि 2.50 ए. एम. की है। अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में 5 दिवस की देरी है। उक्त देरी को अभियोजन पक्ष ने कतई स्पष्ट नहीं किया है। दिनांक 16-8-2013 को प्रातः परिवादी पक्ष ग्राम मणार्ई से जोधपुर आ चुका था। उस समय पीड़िता के पास पर्याप्त अवसर था कि वह अपने माता पिता को घटना बताती एवं जोधपुर में ही मुकदमा दर्ज होता। पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह एवं पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह ने स्वीकार किया है कि वे जोधपुर से जयपुर गये थे और जयपुर चार साढे चार बजे पहुंच गये थे। जयपुर से ट्रेन पकड़ कर वे दिल्ली पहुंचे एवं दिल्ली से शाहजहांपुर पहुंचे। जयपुर में भी, दिल्ली में भी और शाहजहांपुर में भी उनके पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिये पर्याप्त समय था। उनके द्वारा शाहजहांपुर में भी दिनांक 17 या 18 को रिपोर्ट नहीं करवाई गई वरन् वे 19 तारीख को दिल्ली आये एवं अभियोजन कहानी के

(284)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मुताबिक दिल्ली में कमला मार्केट थाने में लगभग पौने बारह बजे पहुंचे जहां पीड़िता द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश की गई जिसे रात 2.50 ए. एम. पर दर्ज किया गया। घटना के इतने समय बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना और वह भी दिल्ली में दर्ज होना सन्देह जगाता है। सोच समझ कर, पूर्ण विचार कर अभियुक्त को झूठे आरोप में फंसाने के लिये यह रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क रहा है कि देरी का कारण पीड़िता का Shock में होना बताया गया है। पी. डब्ल्यू-3 डा. शैलजा व पी. डब्ल्यू-4 राजेन्द्रसिंह ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि वक्त परीक्षण "सु" की पल्स रेट व ब्लड प्रेशर सामान्य था, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। अतः देरी का कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। लिहाजा सम्पूर्ण अभियोजन कहानी सन्देहास्पद हो जाती है एवं उक्त सन्देह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय पेश किये हैं :-

(1)- Thulia Kali vs The State Of Tamil Nadu

1973 AIR 501

First information report in a criminal case is an extremely vital and valuable piece of evidence for the purpose of corroborating the oral evidence adduced at the trial. The importance of the above report can hardly be overestimated from the standpoint of the accused: The object of insisting upon prompt lodging of the report to the police in respect of commission of an offence is to obtain early information regarding the circumstances in which the crime was committed, the names of the actual culprits and the part played by them as well as names of eye witnesses present at the scene of occurrence. Delay in lodging the first information report quite often results in embellishment which is a creature of afterthought. On account of delay, the report not only gets bereft of the advantage of

(285)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

spontaneity, danger creeps in of the introduction of coloured version, exaggerated account or concocted story As a result of deliberation and consultation. It is, therefore, essential that the delay in the lodging of the first information report should be satisfactorily explained.

यह उल्लेखनीय है कि उक्त सम्माननीय विनिश्चय हत्या के अपराध से सम्बन्धित है।

(1)- K. A. Kotarappa Reddy vs. Rayra Manjunatha Reddy,

2016 (1) Criminal Court Cases 001 (SC) :-

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि 12.30 पी. एम. पर घटना कारित हुई, 2.30 पी. एम. पर मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट मेलाबेनूर थाने पर 6.30 पी. एम. पर दर्ज हुई, जबकि देवांगरी एवं हरीहर थाने नजदीक थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियोजन पक्ष का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी का स्पष्ट न कर पाना व हरीहर एवं देवांगरी थानों के स्थान पर मेलाबेनूर थाने में एफ आई आर दर्ज करवाने का कोई उचित कारण नहीं होना अभियोजन के लिये घातक माना।

(2)- कृष्णा उर्फ रामास्वामी बनाम तमिलनाडू राज्य,

ए आई आर 2014 सु. को. 2548 :-

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हत्या के मामले में 6 दिन पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में 6 दिन का स्पष्टीकरण दिये बिना देरी को अभियोजन पक्ष के लिये घातक माना।

(3)- बलराम बनाम राजस्थान राज्य

1996 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (राज.) 323

(286)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उक्त सम्माननीय विनिश्चय बलात्कार से सम्बन्धित है जिसमें पुत्रवधू ने अपने ससुर व वास के विरुद्ध बलात्संग का आरोप लगाया। उसके द्वारा रिपोर्ट पीहर पहुंचने के भी कई दिन बाद की गई। उक्त देरी को असाधारण मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि व सजा के आदेश के आदेश को अपास्त किया।

(4)- A.Shankar vs State Of Karnataka
(2011) supreme court cases 279

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

15. There was delay in lodging the FIR. In the present case, the alleged occurrence took place at 2.00 p.m. and the police station was hardly at a distance of 1 K.M. from the place of the occurrence and Shankara (PW.8) had never deposed that he had become unconscious, the delay has not been explained.

(5)- Peddireddy Subbareddi And Others vs State Of Andhra Pradesh, AIR 1991 SC 1356

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

In the present case as we have come to the conclusion that the evidence of the P.W. 1 is clouded with strong suspicion and as the first information report was lodged by a delay of 15 hours, the false implication of appellants in the present case cannot be completely ruled out.

(6)- रामगोपाल बनाम राजस्थान राज्य
क्रिमिनल ला रिपोर्टर (राज.) 1982 पेज 609

(287)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में चक्षुदर्शी साक्षीगण का घटना के 4 दिन पश्चात् घटना के बारे में बताना, अभियोजन पर सन्देह की श्रेणी में माना है।

(7)- स्टेट आफ कर्नाटक बनाम मपिला पीपीसोपी
2003 (8) एस सी सी 202

यह प्रकरण बलात्कार के मामले से ही सम्बन्धित है। इस विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य तथ्यों के अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी को भी अभियोजन मामले को सन्देह में लाने योग्य माना है।

(8)- Meharaj Singh (L/Nk.) vs State Of U.P.
(1994) 5 SCC 188

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

12. FIR in a criminal case and particularly in a murder case is a vital and valuable piece of evidence for the purpose of appreciating the evidence led at the trial. The object of insisting upon prompt lodging of the FIR is to obtain the earliest information regarding the circumstance in which the crime was committed, including the names of the actual culprits and the parts played by them, the weapons, if any, used, as also the names of the eye witnesses, if any. Delay in lodging the FIR often results in embellishment, which is a creature of an after thought. On account of delay, the FIR not only gets bereft of the advantage of spontaneity, danger also creeps in of the introduction of a coloured version or exaggerated story. With a view to determine whether the FIR, was lodged at the time it is alleged to have been recorded, the courts generally look for certain external checks. One of the checks is the receipt of the copy of the FIR, called a special report in a murder

(288)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

case, by the local Magistrate. If this report is received by the Magistrate late it can give rise to an inference that the FIR was not lodged at the time it is alleged to have been recorded, unless, of course the prosecution can offer a satisfactory explanation for the delay in despatching or receipt of the copy of the FIR by the local Magistrate."

(9)- Moti Lal vs State of Rajasthan

1990 (1) WLN 610

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

Five respectable persons of the village were assembled. Despite all that, First Information Report was lodged after four days. There can be no cogent explanation for this undue delay in lodging of the First Information Report and, more so when assistance of Chhitar Mal and Anandi Lal and also five respectable persons of the village was available to her. The delay in lodging of the First Information Report speaks a lot by itself and it irresistibly shows that she was a consenting party to the sexual intercourse, but when the things leaked out and her mother-in-law and especially her house neighbours felt offended, the First Information Report was lodged."

257- अभियोजन पक्ष व परिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि बलात्कार एवं यौन शोषण के केसेज में पीड़िता सामान्य तौर पर डरी हुई होती है। हस्तगत प्रकरण में उसने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त ने उसके परिवार को

(289)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

खतम करने की धमकी दी थी। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा डर कर चुप रह जाना अस्वाभाविक नहीं है। 19 तारीख को शाहजहांपुर में उसने माता को तब बताया जब उसकी माता ने उसे उदास देख कर उससे उदासी का कारण पूछा। पीड़िता के बताने पर उसकी माता ने उसके पिता को इस बारे में सूचना दी। चूंकि पिता व पूरा परिवार अभियुक्त का साधक रहा है, अतः कोई भी विधिक कार्यवाही करने से पूर्व पिता ने अभियुक्त से स्पष्टीकरण मांगना उचित समझा और यह पता पड़ने पर कि अभियुक्त इस समय दिल्ली में है तो वे दिल्ली आये और जब अभियुक्त नहीं मिला तो निराश होकर उन्होंने दिल्ली के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अतः देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किये :-

(1)- Apren Joseph Alias Current vs The State Of Kerala
1973 AIR 1

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

In our opinion, no duration of time in the abstract can be fixed as reasonably for giving information of a crime to the police, the question of reasonable time being a matter for determination by the court in each case. Mere delay in lodging the first information report with the police is, therefore, not necessarily, as a matter of law, fatal to the prosecution. The effect of delay in doing so in the light of the plausibility of the explanation for the coming for such delay accordingly must fall for consideration on all the facts and circumstances of a given case.

(2)- State Of Himachal Pradesh vs Shree Kant Shekari on 13
September, 2004, CASE NO.: Appeal (crl.) 589 of 1999
(Supreme Court of India)

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय

ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

The unusual circumstances satisfactorily explained the delay in lodging of the first information report. In any event, delay per se is not a mitigating circumstance for the accused when accusations of rape are involved. Delay in lodging first information report cannot be used as a ritualistic formula for discarding prosecution case and doubting its authenticity. It only puts the court on guard to search for and consider if any explanation has been offered for the delay. Once it is offered, the Court is to only see whether it is satisfactory or not. In a case if the prosecution fails to satisfactory explain the delay and there is possibility of embellishment or exaggeration in the prosecution version on account of such delay, it is a relevant factor. On the other hand satisfactory explanation of the delay is weighty enough to reject the plea of false implication or vulnerability of prosecution case. As the factual scenario shows, the victim was totally unaware of the catastrophe which had befallen to her. That being so, the mere delay in lodging of first information report does not in any way render prosecution version brittle. These aspects were highlighted in *Tulshidas Kanolkar v. State of Goa* (2003 (8) SCC 590).

(3)- Deepak vs State Of Haryana on 10 March, 2015 Criminal Appeal No. 65 OF 2012 (SUPREME COURT OF INDIA)

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

16. The Courts cannot overlook the fact that in sexual offences and, in particular, the offence of rape and that too on a young illiterate girl, the delay in lodging the FIR can

(291)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

occur due to various reasons. One of the reasons is the reluctance of the prosecutrix or her family members to go to the police station and to make a complaint about the incident, which concerns the reputation of the prosecutrix and the honour of the entire family. In such cases, after giving very cool thought and considering all pros and cons arising out of an unfortunate incident, a complaint of sexual offence is generally lodged either by victim or by any member of her family. Indeed, this has been the consistent view of this Court as has been held in State of Punjab vs. Gurmit Singh & Ors. (1996) 2 SCC 384).

(4)- Harpal Singh And Anr. vs State Of Himachal Pradesh
1980 AIR 1981 SC 361

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

The complainant had given reasonable explanation for lodging it after ten days of the occurrence. She stated that as honour of the family was involved, its members had to decide whether to take the matter to the court or not. It is not uncommon that such considerations delay action on the part of the near relations of a young girl who is raped.

(5)- State of Himachal Pradesh vs. Gian Chand,
Appeal (crl.) 649 of 1996

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

Delay in lodging the FIR cannot be used as a ritualistic formula for doubting the prosecution case and discarding the same solely on the ground of delay in lodging the first

information report. Delay has the effect of putting the Court in its guard to search if any explanation has been offered for the delay, and if offered, whether it is satisfactory or not. If the prosecution fails to satisfactorily explain the delay and there is possibility of embellishment in prosecution version on account of such delay, the delay would be fatal to the prosecution. However, if the delay is explained to the satisfaction of the court, the delay cannot by itself be a ground for disbelieving and discarding the entire prosecution case.

258— मैंने उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली में आई साक्ष्य से प्रकट तथ्यात्मक स्थिति पर मनन किया।

259— इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अभियुक्त एक धर्मगुरु है। डी. डब्ल्यू-13 योगेश भाटी ने साक्ष्य में राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री व विभिन्न मुख्य मन्त्रियों से अभियुक्त को मिले प्रशस्ति पत्र प्रदर्शित किये हैं। उक्त प्रशस्ति पत्रों से अभियुक्त का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पूरे हिन्दुस्तान में उसके आश्रम बताये जाते हैं। परिवादी के कथनानुसार परिवादी का परिवार सन् 2002 से अभियुक्त आसाराम का साधक रहा है। उसके द्वारा अपने दो बच्चों को अपने शहर शाहजहांपुर से बहुत दूर स्थित गुरुकुल छिन्दवाड़ा में पढ़ने के लिये भेजा गया। उक्त गुरुकुल, छात्रों में अधिक लोकप्रिय भी नहीं है, जैसा कि पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा की जिरह से जाहिर होता है कि सन् 2008 में कक्षा आठवीं में मात्र 20 छात्रों का दाखिला हुआ था जबकि 40 छात्र दाखिल हो सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में यदि घटना को सत्य माना जाये तो पीड़िता का डर कर खामोश रह जाना स्वाभाविक था। वह एक ऐसे माहौल में थी, जहां उसके माता पिता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था। ऐसी स्थिति में उसको यह डर होना स्वाभाविक था कि यदि उसने घटना की बात अपने माता पिता को बताई तो शायद अभियुक्त अपनी धमकी पर खरा उतरेगा व उसके परिवार को मरवा देगा। एक कम उम्र की लड़की से इससे अधिक सोच विचार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। परिस्थितियों से प्रकट होता है कि वह अपने

(293)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

परिवार को इस घटना के बारे में बताना ही नहीं चाहती थी किन्तु जब उसकी माता ने जोर देकर पूछा तो उसे सारी बात बतानी पड़ी। दिनांक 19-8-2013 को उसने घटना के बारे में अपनी माता पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह को बताया जिसने अविलम्ब यह बात अपने पति पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह को बताई। चूंकि कर्मवीरसिंह सन् 2002 से साधक था तो निश्चित रूप से उसका सर्वप्रथम अपने गुरु से घटना का स्पष्टीकरण पूछने के लिये जाना वाजिब था। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार परिवार कार लेकर दिल्ली आया जहां अभियुक्त आसाराम का सत्संग चल रहा था। पहले सत्संग के स्थान पर गये, जब वहां अभियुक्त नहीं मिला तो तत्पश्चात् निकटवर्ती पुलिस स्टेशन का पता पूछ कर वहां पहुंचे। अतः मेरे विनम्र मत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा दिया जा चुका है।

260— माननीय उच्चतम न्यायालय ने “दीपक बनाम स्टेट आफ हरियाणा, क्रिमिनल अपील नं. 65/2012” के सम्माननीय विनिश्चय में यह मत प्रकट किया है कि यौन अपराधों में एफ आई आर दर्ज करवाने में हुई देरी विभिन्न कारणों से होती है। उस प्रकरण में घटना के दो हफ्ते बाद अभियुक्त्री ने अपनी माता को घटना के बारे में बताया जिसने तुरन्त पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त प्रकरण में पीड़िता के फोटोग्राफ अभियुक्त ने ले लिये थे तथा उसकी बातें भी मोबाईल पर रिकार्ड कर ली थी एवं वह उसको उक्त साक्ष्य से डरा रहा था। हस्तगत प्रकरण में भी स्थिति भिन्न नहीं है। पीड़िता अभियुक्त के विशाल कद व शक्तियों से घबराई हुई प्रतीत होती है एवं जिस व्यक्ति को वह भगवान मान कर पूजती है, उसके द्वारा ऐसा घिनौना कृत्य करने से निश्चित रूप से उसकी विचार प्रक्रिया सुन्न हो जायेगी। मेरे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करवाने में 5 दिन की देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया गया है। अतः बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यहां विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि यदि पीड़िता अभियुक्त आसाराम से इतनी ही डरी हुई थी तो वह दिल्ली में हो रहे सत्संग में आसाराम से मिलने अपने पिता के साथ क्यों आई। मेरे विनम्र

(294)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मत में जब तक बालिका ने अपने परिवार को घटना के बारे में जानकारी नहीं दी थी तब तक वह विश्वस्त नहीं थी कि आसाराम के सम्मोहन में डूबे उसके परिवारजन उस पर भरोसा करेंगे या नहीं। लेकिन जब एक बार उसने अपने माता पिता को घटना की जानकारी माता के दबाव डालने पर दे ही दी और माता पिता ने उसका अविश्वास न करते हुए अभियुक्त आसाराम से इस बाबत मिल कर पूछने का संकल्प किया तो बालिका में यह हिम्मत आई कि चूंकि उसके माता पिता उसके साथ हैं तो उनके साथ जाकर आसाराम से यह पूछे कि उसने यह घटना क्यों कारित की। निश्चित रूप से यदि बालिका का साथ कोई भी घटना कारित होने पर उसके माता पिता देते हैं तो उसमें यह हिम्मत पैदा हो जाती है कि अपराधी व समाज का सामना कर सके। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

261— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वह थी जो पीड़िता ने सर्वप्रथम पी. डब्ल्यू-1 पुष्पलता को घटना के बारे में बताई, न कि वह जो उसने प्रदर्श-पी-4 के रूप में लिख कर दी। पुष्पलता को पीड़िता द्वारा बताये गये कथन लिखने चाहिये थे। उक्त कथनों को नहीं लिखना अभियोजन कहानी को सन्देह के घेरे में डालता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किये :-

(1)- बलराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, 1996 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (राज.) 323 :- उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पीड़िता ने थाने में जाकर थाना प्रभारी को सारी घटना बताई तो उसने कहा कि वह जाये और लिखित रिपोर्ट लेकर आये। फिर वह मार्केट में रिपोर्ट लिखवाने गई। उक्त परिस्थिति में अभियोक्त्री रोशनी द्वारा दी गई मौखिक सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट थी।

मेरे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में स्थिति भिन्न है। पी. डब्ल्यू-1 पुष्पलता ए. एस. आई. ने यह कथन किया है कि उसने मेरे को बहुत बातें बताई थी तो मैंने कहा कि आप जो कहना चाहती हो वह आप Written में लिख कर दे दो। गवाह ने स्पष्ट किया है कि उसने यह कहा था कि आसाराम

(295)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जी ने मेरे से बदतमीजी की है, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, तब उसको डी. ओ. रूम के सामने समकरण कक्ष में बिठाया, कागज और पेन दे दी और कहा कि आपको जो कुछ कहना है, उसे Written में लिख कर दे दो। फिर "सु" ने Written में लिखना चालू किया। इससे स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा पुष्पलता को सम्पूर्ण घटना का विवरण मौखिक नहीं दिया गया था वरन् मात्र इतना बताया कि आसाराम ने उसके साथ बदतमीजी की है, वह कुछ कहना चाहती है। उक्त कथन को मौखिक प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसके तत्काल पश्चात् पीड़िता ने सारी घटना प्रदर्श-पी-4 के रूप में लिख कर दे दी। पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने भी अपने मुख्य परीक्षण में महिला अधिकारी को सारी बात बताने पर उसके द्वारा यह कहना कि जो कहना है लिख कर दे दो, कहा है। अर्थात् उसी स्थल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख दी गई थी। अतः पीड़िता द्वारा पी. डब्ल्यू-1 पुष्पलता को कहे गये कथन मौखिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं।

262— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि पी. डब्ल्यू-1 पुष्पलता ने एस.एच.ओ. के कहने पर अभियोक्त्री द्वारा लिखे जाने की रिकार्डिंग एस. एच. ओ. के रीडर द्वारा मोबाईल फोन से करना कहा है। वह रिकार्डिंग साक्ष्य में पेश नहीं की गई है, छुपाई गई है। मेरे विनम्र मत में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 26 (4) में बालक का बयान Audio Video साधन द्वारा लेखबद्ध किये जाने का प्रावधान करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते समय यदि कोई रिकार्डिंग की जाती है तो चूंकि उस समय बालक द्वारा बोला नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति में उसे बयान नहीं कहा जा सकता है एवं ऐसी रिकार्डिंग कर भी ली गई है तो उसका कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है व ऐसा कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है।

263— जहां तक पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह एवं पी. डब्ल्यू-1 पुष्पलता के कथनों में इस विरोधाभास का प्रश्न है कि पुष्पलता ओटोरिक्शा से पीड़ित परिवार को मेडिकल हेतु हॉस्पिटल ले जाना कहती है जबकि पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह ने लोगान कार से जाना कहा है। मेरे विनम्र मत में उक्त

(296)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

विरोधाभास का कोई तात्विक महत्व नहीं है कि वे हॉस्पिटल किस साधन से गये थे। घटना के काफी समय पश्चात् बयानों में इस तरह के मामूली विरोधाभास स्वाभाविक हैं।

264— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोक्त्री की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 पर एफ. आई. आर. प्रदर्श-पी-11 दर्ज किये जाने से पूर्व ही पीड़िता को मेडिकल के लिये ले जाया गया। यह दर्शाता है कि किसी षड्यन्त्र के तहत पीड़िता का परिवार पुलिस थाना कमला मार्केट गया था जहां उन्हें पुलिस अधिकारियों की इतनी त्वरित सेवा अन्जान कारणों से उपलब्ध थी।

265— धारा 27 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बालक की चिकित्सा जांच के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। धारा 27 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इस प्रकार है :-

"27. (1) The medical examination of a child in respect of whom any offence has been committed under this Act, shall, notwithstanding that a First Information Report or complaint has not been registered for the offences under this Act, be conducted in accordance with section 164A of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(2) In case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor.

(3) The medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence.

(4) Where, in case the parent of the child or other person referred to in sub-section (3) cannot be present, for any reason, during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution."

(297)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

266— उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के बावजूद बालक की चिकित्सा जांच की जायेगी। अतः यदि पुष्पलता बिना मुकदमा दर्ज किये सर्वप्रथम बालिका को मेडिकल जांच के लिये ले गई तो उसने अधिनियम के प्रावधानों की पालना ही की है और इसके लिये वह आलोचना की पात्र नहीं है।

267— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने हेल्पडेस्क रजिस्टर आर्टिकल-3 में प्रदर्श-डी-1 स्थान पर पीड़िता व उसके माता पिता के हस्ताक्षर नहीं होना स्वीकार किया है, किन्तु उसने यह स्पष्टीकरण दे दिया है कि उक्त रजिस्टर में पीड़िता के हस्ताक्षर के लिये कालम नहीं है। जहां तक थाने के रोजनामचा रजिस्टर की प्रति प्रदर्श-पी-8 में गलत काम करने वाले व्यक्ति के रूप में अभियुक्त आसाराम का नाम नहीं होने का प्रश्न है, मेरे विनम्र मत में इससे प्रकरण की तात्विकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि एक नाम के अतिरिक्त सभी विवरण उक्त रोजनामचा में दर्ज हैं।

268— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि एफ. आई. आर. प्रदर्श-पी-11 Manual है जबकि यह सम्भव नहीं है कि सन् 2013 में उक्त थाने में कम्प्यूटर की व्यवस्था न हो। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रदर्श-डी-14 का हवाला देते हुए बताया है कि उक्त दस्तावेज उसी कमला मार्केट थाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 121/2013 है। उक्त रिपोर्ट Computerised है। ऐसी स्थिति में Manual रिपोर्ट प्रदर्श-पी-11, जिस पर एफ आई आर पर सफेद रंग का तरल पदार्थ लगा गया है और नम्बर छुपाने का प्रयास किया गया है, वह सन्देहास्पद है। पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर ने प्रदर्श-डी-4 में एफ. आई. आर. के नम्बर पूछ कर लिखना बताया है जो 121/2013 है। मेरे विनम्र मत में इस बात का स्पष्टीकरण पी. डब्ल्यू-2 निरपालसिंह, जिसके द्वारा जीरो नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट काटी गई, ने जिरह में दे दिया है। उसने जिरह में स्पष्ट कर दिया है कि प्रदर्श-पी-11 को 19 अगस्त व 20 अगस्त 2013 की दरम्यानी रात्रि को 2.50 पर लिखी थी और उसी समय वाईटनर लगा कर एफ.आई.आर. नम्बर 0/13 लिखा था। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल-2 रजिस्टर जब कम्प्यूटर खराब

(298)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

होता है तब Manual में दर्ज किया जाता है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क मेरे विनम्र मत में प्रकरण की स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं क्योंकि उक्त प्रकरण का अनुसन्धान कमला मार्केट पुलिस थाने में नहीं हुआ है।

269— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-11 दिनांक 20-8-2013 को 2.50 ए.एम. पर दर्ज हुई है किन्तु इसकी प्रति प्रदर्श-पी-11-बी सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिनांक 21-8-2013 को 9 ए.एम. पर प्रेषित की गई है जबकि इसे दिनांक 20-8-2013 को ही प्रेषित किया जाना चाहिये था। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किये हैं :-

(1)- “जलाल बनाम राजस्थान राज्य, आर. सी. सी. अगस्त 1984 पेज 274”

:- उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि रिपोर्ट 27 व 28 जुलाई 1978 की रात्रि करीब साढ़े नौ बजे दर्ज हो गई थी। अतः इसे 28 जुलाई 1978 को ही सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना था किन्तु इसे 29 जुलाई 1978 को प्रेषित किया गया जो सन्देह को जन्म देता है।

निश्चित रूप से हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21-8-2013 को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रातः 9 बजे प्रेषित की गई है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-11 19 व 20 अगस्त 2013 की मध्य रात्रि को दर्ज हो चुकी थी। लेकिन उक्त देरी से हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा, यह दर्शा पाने में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण असफल रहे हैं। साक्ष्य के अनुसार दिनांक 20-8-2013 को ही धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् पीड़िता व उसके परिवार को जोधपुर जाबते के साथ मूल एफ. आई. आर. के साथ भेज दिया गया। प्रदर्श-पी-4 व प्रदर्श-पी-11 की अन्तर्वस्तु में कोई भिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चयों में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

(1)- Pala Singh & Anr vs State Of Punjab

(299)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

1972 AIR 2679

No doubt, the report reached the magistrate at about 6 p.m. Section 157, Cr. P.C. requires such report to be sent forthwith by the police officer concerned to a magistrate empowered to take cognisance of such offence. This is really designed to keep the magistrate informed of the investigation of such cognizable offence so as to be able to control the investigation and if necessary to give appropriate direction under s. 159. But when we find in this case that the F.I.R. was actually recorded without delay and the investigation started on the basis of that F.I.R. and there is no other infirmity brought to our notice, then, however improper or objectionable the delayed receipt of the report by the magistrate concerned it cannot by itself justify the conclusion that the investigation was tainted and the prosecution insupportable. It is not the appellants case that they have been prejudiced by this delay.

(2)- Gurpreet Singh vs State Of Punjab

(2006) AIR (SC) 191

That apart, it is well settled that even if there is any delay in sending the special report to a magistrate that alone cannot affect the prosecution case if the same is otherwise found to be trustworthy.

(3)- Bijoy Singh & Anr vs State Of Bihar

(2002) AIR (SC) 1949

Sending the copy of the special report to the Magistrate as required under Section 157 of the Criminal Procedure Code is the only external check on the working of the police agency, imposed by law which is required to be strictly followed. The delay in sending the copy of the FIR

(300)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

may by itself not render the whole of the case of the prosecution as doubtful but shall put the court on guard to find out as to whether the version as stated in the Court was the same version as earlier reported in the FIR or was the result of deliberations involving some other persons who were actually not involved in the commission of the crime. Immediate sending of the report mentioned in Section 157 Cr.P.C. is the mandate of law. Delay wherever found is required to be explained by the prosecution. If the delay is reasonably explained, no adverse inference can be drawn but failure to explain the delay would require the court to minutely examine the prosecution version for ensuring itself as to whether any innocent person has been implicated in the crime or not.

(4)- Amar Singh vs The State

1996 Cri. L. J. 3848

22. The Hon'ble Supreme Court faced with the same situation observed in Sarwan Singh v. State of Punjab," Apart from this, it is well settled that mere delay in despatch of the FIR is not a circumstance which can throw out the prosecution case in its entirety. The matter was considered by this court in Pala Singh v. State of Punjab, where this Court observed as follows :

"But when we find in this case that the FIR was actually recorded without delay and the investigation started on the basis of that FIR and there is no other infirmity brought to our notice, then, however, improper or objectionable the delayed receipt of the report by the Magistrate concerned, it cannot by itself justify the conclusion that the investigation was tainted and

(301)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

the prosecution insupportable."

270— उक्त सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष देरी से भेजने का अभियोजन पक्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है यदि शेष अभियोजन कहानी विश्वास योग्य प्रकट हो। हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन की देरी से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को भेजने मात्र से शेष अभियोजन कहानी में कोई शंका उत्पन्न होती हो, ऐसा बचाव पक्ष प्रकट नहीं कर पाया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20-8-2013 को शाम को ही परिवादी पक्ष को पुलिस जाबते के साथ जोधपुर भेजना पत्रावली पर आई साक्ष्य से प्रकट होता है। परिवादी पक्ष के साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 जोधपुर भेज दी गई है। उक्त रिपोर्ट एवं प्रदर्श-पी-11 में कोई अन्तर प्रकट नहीं होता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-11 में कोई नया तथ्य जोड़ा गया, इसकी सम्भावना नजर नहीं आती है। अतः उक्त तर्क बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं देता है।

271— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि चक्कर खाकर गिरने की दिनांक के बारे में विरोधाभास है। बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना की शुरुआत पीड़िता के होस्टल में चक्कर खा कर गिरने से होती है। एन. जी. ओ पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर की रिपोर्ट प्रदर्श-डी-4 में "सु" को चक्कर आ कर गिरने की दिनांक 7-8-2013 बताई गई है जबकि आरोप पत्र में दिनांक 2 - 3-8-2013 बताई गई है। डी. डब्ल्यू-9 रीना को यह सुझाव दिया गया है कि पीड़िता को दिनांक 6-8-2013 को चक्कर आ गया था। अतः स्वयं अभियोजन पक्ष इस बिन्दु पर एकमत नहीं है कि पीड़िता को चक्कर किस दिनांक को आया था। पीड़िता बाथरूम में चक्कर आना कहती है तथा बाथरूम की साईज चार फुट लम्बी व चार फुट चौड़ी बताती है और स्वयं की हाईट पांच फिट दो इंच होना कहती है तथा वह चक्कर आने पर फर्श पर गिरना बताती है। इसके बावजूद वह स्वयं को कोई चोट नहीं लगना कहती है। ऐसी स्थिति में उसके कथन विश्वसनीय नहीं है। डी. डब्ल्यू-9 रीना द्वारा छात्राओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, स्वयं पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने स्वीकार किया है। डी. डब्ल्यू-9 रीना ने इस बात से स्पष्ट इनकार

(302)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

किया है कि पीड़िता को कभी चक्कर आया हो अथवा वह बाथरूम में गिरी हो। डी. डब्ल्यू.-1 चारूल अरोड़ा, डी. डब्ल्यू.-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू.-11 विद्या ने भी अपने कथनों में पीड़िता को एकदम स्वस्थ बताया है व उसको चक्कर आ कर गिरने के तथ्य से इनकार किया है।

272— यह सही है कि बचाव पक्ष के गवाह डी. डब्ल्यू.-1 चारूल अरोड़ा, डी. डब्ल्यू.-7 मेघा शर्मा व डी. डब्ल्यू.-11 विद्या ने अपने कथनों में पीड़िता को एकदम स्वस्थ बताया है। डी. डब्ल्यू.-9 रीना ने भी उसे पूर्ण स्वस्थ बताया है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से ही पी. डब्ल्यू.-5 "सु" को यह सुझाव दिया गया है कि उसके दिनांक 27-7-2013 को सिर दर्द हुआ हो, उसे Disprin Tablet दी गई हो। उसे यह भी सुझाव दिया गया है कि दिनांक 4-8-2013 को भी उसे सिर दर्द हुआ हो, उसे बाम दिया गया हो। गवाह ने स्पष्ट कथन किया है कि उसे 2 या 3 अगस्त 2013 को चक्कर आया था, वह चक्कर बाथरूम में आया था जिससे वह नीचे गिर गई। गवाह 2 या 3 तारीख में से निश्चित तारीख नहीं बता पाई है। यदि गवाह बनावटी व झूठी होती तो वह निश्चित तारीख बताती कि किस दिन उसको चक्कर आये तथा वह गिरी थी। यहां तक कि वह चक्कर आने का सही समय भी ध्यान नहीं होना कहती है किन्तु शाम की पूजा के बाद चक्कर आये थे। वह यह भी नहीं बता पाई है कि सिर फर्श से उसका टकराया था या नहीं। यदि गवाह झूठ बोल रही होती तो चक्कर खाकर गिरने का निश्चित दिन व निश्चित समय बताती किन्तु गवाह के उपरोक्त कथन विश्वास पैदा करते हैं कि वास्तव में उसको चक्कर आये थे, वह गिरी थी। स्वयं बचाव पक्ष यह मानता है कि दिनांक 27-7-2013 को व 4-8-2013 को उसके सिर दर्द हुआ था और उसे दवाईयां दी गई थी। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के होस्टल में मौजूद साक्षीगण का यह कहना कि वह पूर्णतः स्वस्थ थी, उसे कभी कुछ नहीं हुआ, स्वयं बचाव पक्ष की कहानी को कमजोर बनाता है।

273— जहां तक भव्या के सम्बन्ध में दिये गये तर्कों का प्रश्न है, इनका विवेचन आगामी प्रश्न बिन्दु के निस्तारण के समय किया जायेगा किन्तु विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भव्या व

(303)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

शरद के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर द्वारा लेखबद्ध रिपोर्ट में प्रदर्श-डी-4 में शरद व भव्या का हवाला नहीं है, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में भी भव्या व शरद द्वारा यह बताने का जिक्र नहीं है कि उस पर भूत का साया है, अतः सम्पूर्ण अभियोजन कहानी गलत सिद्ध हो जाती है।

274- मेरे विनम्र मत में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई Encyclopedia नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत प्रकट किये हैं :-

(1)- Latesh @ Dadu Baburao Karlekar vs The State Of Maharashtra Home ... on 30 January, 2018 Criminal Appeal 1301 of 2015 (Supreme Court of India)

33. The value to be attached to the FIR depends upon facts and circumstances of each case. When a person gives a statement to the police officer, basing on which the FIR is registered. The capacity of reproducing the things differs from person to person. Some people may have the ability to reproduce the things as it is, some may lack the ability to do so. Some times in the state of shock, they may miss the important details, because people tend to react differently when they come across a violent act. Merely because the names of the accused are not stated and their names are not specified in the FIR that may not be a ground to doubt the contents of the FIR and the case of the prosecution cannot be thrown out on this count. Coming to the facts of the case, it is nobody's case that P.W.2 was not injured and was not hospitalized for sometime due to the injuries caused to him by the assailants and also lost his brother. It is most probable that he might have given a general statement for the purpose of registering the complaint which was recorded by police few hours after the incident has taken

place. Later, when once he was out of shock, the supplementary statement was recorded, then he has disclosed the names of the accused and has attributed specific overt acts to each of the accused. It is settled law that FIR need not be an encyclopedia of the incident laying out miniscule details and instances of how the crime was committed. Hence, in view of the above discussion we do not find force in the contention put forth on behalf of the accused which is rightly rejected by both the Courts.

(2)- Mukesh & Anr vs State For Nct Of Delhi & Ors.

(2017) 2 SCC (Criminal) 673

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उद्धृत करते हुए यह मत प्रतिपादित किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के समस्त तथ्य अंकित हों एवं समस्त अभियुक्तगण का नाम शामिल हो पाये। उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अवधारित किया है कि :-

NON-MENTIONING OF ASSAILANTS IN THE FIR

54. An argument was advanced assailing the FIR to the effect that the FIR does not contain: (i) the names of the assailants either in the MLC, Ex.PW- 51/A, or in the complaint, Ex.PW-1/A, (ii) the description of the bus and (iii) the use of iron rods.

55. As far as the argument that the FIR does not contain the names of all the accused persons is concerned, it has to be kept in mind that it is settled law that FIR is not an encyclopedia of facts and it is not expected from a victim to give details of the incident either in the FIR or in the brief history given to the doctors. FIR is not an

encyclopedia which is expected to contain all the details of the prosecution case; it may be sufficient if the broad facts of the prosecution case alone appear. If any overt act is attributed to a particular accused among the assailants, it must be given greater assurance. In this context, reference to certain authorities would be fruitful.

56. In *Rattan Singh v. State of H.P.*[3], the Court, while repelling the submission for accepting the view of the trial court took note of the fact that there had been omission of the details and observed that the criminal courts should not be fastidious with mere omissions in the first information statement since such statements can neither be expected to be a chronicle of every detail of what happened nor expected to contain an exhaustive catalogue of the events which took place. The person who furnishes the first information to the authorities might be fresh with the facts but he need not necessarily have the skill or ability to reproduce details of the entire story without anything missing therefrom. Some may miss even important details in a narration. Quite often, the police officer, who takes down the first information, would record what the informant conveys to him without resorting to any elicitory exercise. It is voluntary narrative of the informant without interrogation which usually goes into such statement and hence, any omission therein has to be considered along with the other evidence to determine whether the fact so omitted never happened at all. The Court also referred to the principles stated in *Pedda Narayana v. State of A.P.*[4]; *Sone Lal v. State of U.P.*[5]; *Gurnam Kaur v. Bakshish Singh*[6].

57. In *State of Uttar Pradesh v. Naresh and others*[7], reiterating the principle, the Court opined that it is settled

legal proposition that FIR is not an encyclopedia of the entire case. It may not and need not contain all the details. Naming of the accused therein may be important but not naming of the accused in FIR may not be a ground to doubt the contents thereof in case the statement of the witness is found to be trustworthy. The court has to determine after examining the entire factual scenario whether a person has participated in the crime or has been falsely implicated. The informant fully acquainted with the facts may lack necessary skill or ability to reproduce details of the entire incident without anything missing from the same. Some people may miss even the most important details in narration. Therefore, in case the informant fails to name a particular accused in the FIR, this ground alone cannot tilt the balance of the case in favour of the accused. For the aforesaid purpose reliance was placed upon [Rotash v. State of Rajasthan](#)[8] and [Ranjit Singh v. State of M.P.](#) [9]

58. In Rotash (supra) this Court while dealing with the omission of naming an accused in the FIR opined that:

“14. We, however, although did not intend to ignore the importance of naming of an accused in the first information report, but herein we have seen that he had been named in the earliest possible opportunity. Even assuming that PW 1 did not name him in the first information report, we do not find any reason to disbelieve the statement of Mooli Devi, PW 6. The question is as to whether a person was implicated by way of an afterthought or not must be judged having regard to the entire factual scenario obtaining in the case. PW 6 received as many as four injuries.”

59. While dealing with a similar issue in [Animireddy](#)

Venkata Ramana v. Public Prosecutor[10], the Court held as under:

“13. ... While considering the effect of some omissions in the first information report on the part of the informant, a court cannot fail to take into consideration the probable physical and mental condition of the first informant. One of the important factors which may weigh with the court is as to whether there was a possibility of false implication of the appellants. Only with a view to test the veracity of the correctness of the contents of the report, the court applies certain well-known principles of caution.”” Thus, apart from other aspects what is required to be scrutinized is that there is no attempt for false implication, application of principle of caution and evaluation of the testimonies of the witnesses as regards their trustworthiness.

275— भव्या, शरद व भूत की कहानी घटना से करीब 9-10 दिवस पुरानी है। उक्त तथ्यों से निश्चित रूप से पीड़िता को इतनी पीड़ा नहीं पहुंच सकती, जितनी पीड़ा उसे अभियुक्त आसाराम द्वारा किये गये कृत्य से पहुंची होगी। अतः यह विश्वास किया जा सकता है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य रूप से अपना ध्यान अपराध पर केन्द्रित किया। अपराध से पूर्व की पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से नहीं लिख पाई। हालांकि उसने शिल्पी द्वारा डराना स्पष्ट रूप से लिखा है। पीड़िता ने प्रदर्श-पी-4 में यह स्पष्ट कथन किया है कि एक दिन उसे चक्कर आये थे तो होस्टल वार्डन शिल्पी ने उसे बताया कि उस पर भूत प्रेत का साया है। यहां हम पीड़िता की मनःस्थिति को समझ सकते हैं। दिनांक 15-8-2013 वह रात्रि के समय घटना होना बताती है, 16 तारीख को प्रातः से ही वह सफर में है, शाम को जयपुर, अगले दिन प्रातः दिल्ली व उसके बाद दिनांक 17-8-2013 को शाम को शाहजहांपुर पहुंची है। तत्पश्चात् एक दिन आराम करने के बाद 19 तारीख को सुबह ही परिवार शाहजहांपुर से दिल्ली के लिये निकल पड़ता है, जहां देर रात वे दिल्ली पहुंचते

(308)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

हैं। तत्पश्चात् पीड़िता को मेडिकल के लिये ले जाया जाता है, जहां से करीब 5.50 पी.एम. पर लौटने के बाद उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। अगले दिन प्रातः ही पी. डब्ल्यू.-7 किरण झा ठाकुर द्वारा उससे पूछताछ कर रिपोर्ट प्रदर्श-डी-2 बनाई जाती है। तत्पश्चात् उसे मजिस्ट्रेट के पास धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों के लिये ले जाया जाता है। अर्थात् इस पूरे वक्त पीड़िता सफर किया है। ऐसी स्थिति में घटना के पश्चात् उसकी मानसिक स्थिति फोटोजेनिक मेमोरी वाली नहीं हो सकती है कि वह अपराध से पूर्ववर्ती समस्त घटनाओं के बारे में अक्षरशः विवरण दे सके। इस सम्बन्ध में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है और उसकी मानसिक स्थिति, याददाश्त के बारे में विचार करना भी महत्वपूर्ण है। अतः मेरे विनम्र मत में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में शरद व भव्या का हवाला नहीं होना सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को सन्देह के घेरे में नहीं ला देता है।

276— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसे दिनांक 14-8-2013 को आसाराम ने कहा कि तुम यहां 11 दिन अनुष्ठान करो, बेटी को अहमदाबाद भेज दो और पत्नी को घर भेज दो। फिर भी कर्मवीरसिंह जानबूझ कर वहां रुका रहा कि आरोप लगा सके। मेरे विनम्र मत में उक्त तर्क में कोई सार नहीं है। जो सुझाव कर्मवीरसिंह, उसकी पत्नी व बेटी को दिया गया, वह इतना अव्यावहारिक था कि उसको तत्काल मानना सामान्य व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अभियोजन कहानी के मुताबिक कर्मवीरसिंह अपनी पुत्री की भूत प्रेत बाधा का इलाज करवाने आसाराम के पास आया था और वह विश्वास लेकर आया था कि अभियुक्त आसाराम उसकी पुत्री के भूत प्रेत का इलाज कर देगा क्योंकि आसाराम ने उसे बोला है। ऐसी स्थिति में आसाराम की संगति को छोड़ कर जाने का सुझाव स्वीकार करना उस के लिये सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है। एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के लिये अपने काम धन्धे से दूर 11 दिवस तक रुकना वैसे भी व्यावहारिक नहीं है। पुत्री को अकेले अहमदाबाद भेज देना व पत्नी को अकेले शाहजहांपुर भेज देना भी हरेक के लिये सम्भव

(309)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

नहीं हो सकता है। अतः उक्त सुझाव को नहीं मान कर इलाज हेतु एक दिन के लिये वहीं रूकना सन्देहजनक व्यवहार नहीं है।

277— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि इस बिन्दु पर विरोधाभास है कि जोधपुर से मणाई आने के बाद दिनांक 14-8-2013 को दोपहर में परिवादी के परिवार के किस सदस्य ने अभियुक्त आसाराम से सर्वप्रथम बात की।

278— हमने इस सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया। पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह ने यह कथन किया है कि वे गेट खुलने के बाद अन्दर चले गये। अन्दर एक मकान बना हुआ था। उसके पास नीम के पेड़ के नीचे आसाराम बापू सत्संग कर रहे थे, वहां पर 40-50 लोग थे और 10-15 लोग साथ आये थे। बाकी लोग जहां बैठे थे, वहां बैठ गये। वहां पर आसाराम ने मेरी बेटी को पूछा कि कहां से आये हो तो बेटी ने बताया कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आये हैं। तब बापू ने पूछा कि वो भूत वाली लड़की हो और कहा कि आगे आ जाओ तुम्हारा भूत उतारते हैं। इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू-5 "सु" का कथन है कि हम भी वहां जाकर बैठ गये। बापू ने पूछा कि कहां से आये तो मैंने कहा कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आये हैं तो बापू ने कहा कि अच्छा छिन्दवाड़ा गुरुकुल भूत वाली लड़की हो, आओ तुम्हारा भूत निकालता हूं। पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वे अन्दर चले गये तो नीम के पेड़ के नीचे आसाराम बैठा था, सत्संग कर रहा था। 40-50 लोग और भी बैठे थे, हम भी वहां जाकर बैठ गये। आसाराम ने मेरी बेटी से पूछा कि कहां से आये हो। उस समय मैं भी खड़ा हो गया। पहले मेरी बेटी खड़ी हुई थी। मैंने खड़े होकर मेरी बेटी की प्रोब्लम बताई तो मेरी बेटी ने बताया कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आये हैं तो बापू ने कहा कि भूत वाली लड़की हो, आओ तुम्हारा भूत निकालता हूं। मेरे विनम्र मत में उक्त तीनों के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह व पी. डब्ल्यू-5 "सु" का कर्मवीरसिंह के भी खड़े होकर बोलने के बारे में नहीं कहना, विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि उनके द्वारा इस बाबत इन्कार नहीं किया गया है कि कर्मवीरसिंह उठ कर खड़ा नहीं हुआ हो। अतः इसे विरोधाभास नहीं कहा

(310)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जा सकता है। अधिक से अधिक इसे लोप कह सकते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण "सु" का स्वयं का छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आना बताना था तथा बापू का यह बताना कि वही भूत वाली लड़की हो। अतः मेरे विनम्र मत में उक्त तर्क में कोई सार दृष्टिगोचर नहीं होता है।

279— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने अगला तर्क Alibi का दिया है अर्थात् अन्यत्र उपस्थिति का दिया है। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का तर्क है कि सर्वप्रथम तो बापू की कुटिया में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, वे मात्र एकान्तवास के लिये जाते हैं। कुटिया के बाहर चौकीदार पहरा देता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर आई साक्ष्य से सिद्ध है कि उक्त दिवस सर्वप्रथम 9 बजे से साढ़े दस बजे तक सत्संग किया गया। तत्पश्चात् लड़का लड़की के रोका की रस्म की गई। उसके पश्चात् उन्होंने बहराणा साहब की झांकी निकाली। उसके बाद अभियुक्त आसाराम ने डी. डब्ल्यू.-2 चणणाराम कुमावत से रात 12 बजे तक बात की, तत्पश्चात् कुटिया में चले गये। तब तक परिवादी परिवार पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत के मकान में सोने के लिये जा चुका था। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को बचाव पक्ष के गवाहों के ऊपर अधिक तवज्जो नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में हमारे समक्ष निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय भी प्रस्तुत किये गये हैं :-

(1)- आदम भाई सुलेमान भाई अजमेरी बनाम गुजरात राज्य

(2014) 7 एस सी सी 716 :-

CrI.A.Nos.2295-2296 of 2010 -

It has been held by this Court in a catena of cases that while examining the witnesses on record, equal weightage shall be given to the defence witnesses as that of the prosecution witnesses. In the case of Munshi Prasad & Ors. v. State of Bihar, this Court held as under: "3.....Before drawing the curtain on this score however, we wish to clarify that the evidence tendered by the defence witnesses cannot always be termed to be a tainted one by reason of the factum of the witnesses

being examined by the defence. The defence witnesses are entitled to equal respect and treatment as that of the prosecution. The issue of credibility and the trustworthiness ought also to be attributed to the defence witnesses on a par with that of the prosecution - a lapse on the part of the defence witness cannot be differentiated and be treated differently than that of the prosecutors' witnesses.”

Further, it has been held in the case of State of Haryana v. Ram Singh as under:

“19.Incidentally, be it noted that the evidence tendered by defence witnesses cannot always be termed to be a tainted one — the defence witnesses are entitled to equal treatment and equal respect as that of the prosecution. The issue of credibility and the trustworthiness ought also to be attributed to the defence witnesses on a par with that of the prosecution. Rejection of the defence case on the basis of the evidence tendered by the defence witness has been effected rather casually by the High Court. Suggestion was there to the prosecution witnesses, in particular PW 10 Dholu Ram that his father Manphool was missing for about 2/3 days prior to the day of the occurrence itself — what more is expected of the defence case: a doubt or a certainty — jurisprudentially a doubt would be enough: when such a suggestion has been made the prosecution has to bring on record the availability of the deceased during those 2/3 days with some independent evidence. Rejection of the defence case only by reason thereof is far too strict and rigid a requirement for the defence to meet — it is the prosecutor’s duty to prove beyond all reasonable doubts and not the defence to

(312)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

prove its innocence — this itself is a circumstance,
which cannot but be termed to be suspicious in nature.”

(2)- Anand Kumar vs. State of U. P. & Ors.

2013 (4) Criminal Court Cases 512 (Allahabad)

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

It is trite law that witnesses of the defence should not and can not be looked with a prejudicial eye and they have to be treated on the same footing as witnesses of the prosecution. Their testimony has to be adjudged impartially and due weight has to be accorded to them if their testimonies qualify the known and accepted norms of credibility.

(3)- State of Haryana vs. Ram Singh

(2002) 2 SCC 426

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त सम्माननीय विनिश्चय में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

Incidentally be it noted that the evidence tendered by defence witnesses cannot always be termed to be a tainted one – the defence witnesses are entitled to equal treatment and equal respect as that of the prosecution. The issue of credibility and the trustworthiness ought also to be attributed to the defence witnesses at par with that of the prosecution. Rejection of the defence case on the basis of the evidence tendered by defence witness has been effected rather casually by the High Court.

(4)- Bholal Pal vs. State

2016 (1) Criminal Court Cases 142 (Allahabad) (DB)

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

(313)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

19. Law is settled on the point that evidence of defence witness has to be considered in the same manner as the evidence of a prosecution witness and the evidence of a defence witness cannot be brushed aside without assigning any reason.

280— मैंने उक्त सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों व प्रकरण में आई साक्ष्य पर मनन किया। निर्विवाद रूप से बचाव पक्ष के साक्षीगण की साक्ष्य का वही महत्व है जो अभियोजन पक्ष के साक्षियों की साक्ष्य का है, बशर्ते कि उनकी साक्ष्य Tainted न हो।

281— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने यह भी तर्क दिया है कि पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत व पी. डब्ल्यू.-22 रामकिशोर को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं करवाया गया है, अतः उनके कथनों से अभियोजन पक्ष बाध्य है। उनका तर्क है कि यदि अभियोजन पक्ष के साक्षी पक्षद्रोही घोषित नहीं करवाये जाते हैं और उनसे जिरह नहीं की जाती है तो उनके कथनों से अभियोजन पक्ष बाध्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किये हैं :-

(1)- Assoo vs State Of M.P.

(2011) 14 SCC 448

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

PW 3 None Lal, a neighbour, and one of the first to arrive at the spot. He gave a story which completely dislodges the statements of PWs 1 and 2. He deposed in his cross-examination that Shri Bai, a neighbour of the appellant, had made allegations against the deceased in the presence of Ghaffoor and Ishaq that she was involved in illicit activities while her husband was away and that she would reveal all to her husband when he returned home and that immediately after these remarks the appellant had returned

(314)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

home on which the deceased had gone inside and set herself ablaze. We take it, therefore, as if the prosecution had accepted the statement of PW3 as true, as the witness had not been declared hostile.

(2)- Javed Masood & Anr vs State of Rajasthan

(2010) 3 SCC 538

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

This witness did not support the prosecution case. He was not subjected to any cross-examination by the prosecution. His evidence remained unimpeached.

It is not known as to why the public prosecutor in the trial court failed to seek permission of the court to declare him "hostile". His evidence is binding on the prosecution as it is. No reason, much less valid reason has been stated by the Division Bench as to how evidence of PW-6 can be ignored.

13. In the present case the prosecution never declared PWs 6,18, 29 and 30 "hostile". Their evidence did not support the prosecution. Instead, it supported the defence. There is nothing in law that precludes the defence to rely on their evidence.

(3)- Mukhtiar Ahmed Ansari vs State (N.C.T. Of Delhi)

(2005) 5 SCC 258

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

29. The learned counsel for the appellant also urged that it was the case of the prosecution that the police had requisitioned a Maruti car from Ved Prakash Goel. Ved Prakash Goel had been examined as a prosecution witness

in this case as PW 1. He, however, did not support the prosecution. The prosecution never declared PW1 "hostile". His evidence did not support the prosecution. Instead, it supported the defence. The accused hence can rely on that evidence.

30. A similar question came up for consideration before this Court in Raja Ram v. State of Rajasthan, JT (2000) 7 SC 549. In that case, the evidence of the Doctor who was examined as a prosecution witness showed that the deceased was being told by one K that she should implicate the accused or else she might have to face prosecution. The Doctor was not declared "hostile". The High Court, however, convicted the accused. This Court held that it was open to the defence to rely on the evidence of the Doctor and it was binding on the prosecution.

31. In the present case, evidence of PW1 Ved Prakash Goel destroyed the genesis of the prosecution that he had given his Maruti car to police in which police had gone to Bahai Temple and apprehended the accused. When Goel did not support that case, accused can rely on that evidence.

282— मैंने उपरोक्त सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में पत्रावली पर आई साक्ष्य पर मनन किया। इस सम्बन्ध में परिवादी पक्ष के अतिरिक्त गवाह पी. डब्ल्यू-6 रणजीत है। यह गवाह स्वीकार करता है कि उसने व उसके भाई के लड़के रामदयाल ने मिल कर फार्म हाउस पर बापू जी की कुटिया बनवाई थी। उसने व उसके पूरे परिवार ने बापू जी से दीक्षा ले रखी है। उसका लड़का किशोर बापू जी के साथ रहता है, पूजा पाठ करता है। किशोर करीब 13-14 सालों से बापू जी को समर्पित है। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि जो कुटिया बनी हुई है, वह सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबिल ट्रस्ट, पुष्कर, अजमेर जरिये ट्रस्टी

(316)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ओमप्रकाश पुत्र श्री गागनदास को जरिये बखशीश दी हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि वह पूरे परिवार सहित आसाराम का साधक है, उनसे दीक्षा ले रखी है। मुख्य परीक्षण में इसने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिसके आधार पर इसे अभियोजन पक्ष के विपरीत माना जा सके। इस गवाह ने इस बात की ताईद की है कि यू. पी. से एक आदमी, एक औरत व एक बच्ची आये थे। उनके लिये बापू ने कहा था कि इनकी व्यवस्था करो तब हमने मकान में ऊपर कमरे में इनको रूकवाया था। इसके विपरीत डी. डब्ल्यू.-10 मनीषा, जो कि इस गवाह के पुत्र विष्णु की पत्नी है, यह कथन करती है कि दिनांक 14-8-2013 को दोपहर के समय शाहजहांपुर के कर्मवीरसिंह, उनकी पत्नी सुनीता व पुत्री "सु" आये थे। दिनांक 14-8-2013 को शाम को पूना से बलराम जी, उनकी पत्नी गीता व पुत्र हरीश आये थे। "सु", सुनीता व कर्मवीरसिंह व पूना वाले बलराम, गीता व हरीश सभी जेठ जी के पहचान वाले थे, इसलिये इनको हमारे घर में ही ठहराया था। यह गवाह जिरह में कथन करती है कि कर्मवीरसिंह के परिवार वाले आते ही आसाराम बापू से मिलने नहीं गये थे बल्कि वे हमारे घर आये तब जेठ जी किशोर जी खड़े थे, उनसे मिले, फिर वे लोग जेठ जी के साथ अन्दर आये तथा वह "सु" व सुनीता को अपने साथ कमरे में ऊपर सामान बैग रखवाने के लिये अन्दर गई और कर्मवीरसिंह का बैग जेठ जी ने नीचे रखवाया। इससे स्पष्ट है कि बचाव पक्ष की यह साक्षी अभियुक्त को बचाने के लिये अपने ससुर के विपरीत कथन कर रही है। हमें यहां पर यह नहीं भूलना है कि अभियुक्त एक प्रसिद्ध सन्त है। डी. डब्ल्यू.-13 योगेश भाटी अभियुक्त आसाराम का अनन्य भक्त है, जैसा कि उसके बयानों से प्रकट होता है। उसे उसके जन्म स्थान व जन्म दिवस आदि के बारे में, पूरे परिवार के बारे में पूरी जानकारी है। गवाह ने प्रदर्श-डी-145 से प्रदर्श-डी-155 प्रशस्ति पत्र साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। अर्थात् अभियुक्त को प्राप्त प्रशस्ति पत्र इस गवाह के संरक्षण में रहते हैं। हमने उक्त प्रशस्ति पत्रों का अवलोकन किया। उक्त प्रशस्ति पत्रों, माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन का प्रशस्ति पत्र प्रदर्श-डी-142, माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का प्रशस्ति पत्र प्रदर्श-डी-145, पूर्व मुख्य मन्त्री श्री भैरोसिंह शेखावत का पत्र प्रदर्श-डी-146, प्रदर्श-डी-147 व

(317)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रदर्श-डी-148, पूर्व मुख्य मन्त्री श्री बंशीलाल का प्रशस्ति पत्र प्रदर्श-डी-149, पूर्व मुख्य मन्त्री एवं केबिनेट मन्त्री भारत सरकार श्री दिग्विजयसिंह का सन्देश प्रदर्श-डी-150, माननीय पूर्व राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल का पत्र प्रदर्श-डी-151 व प्रदर्श-डी-152, पूर्व राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ का सन्देश प्रदर्श-डी-153, श्री कपिल सिब्बल व श्री कमलनाथ के पत्र प्रदर्श-डी-154 व प्रदर्श-डी-155 का हमने अवलोकन किया। उक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त आसाराम एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। गवाहों की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त आसाराम के देश भर में आश्रम हैं एवं इनके साधकों ने जगह जगह पर एकान्तवास हेतु कटिया बना रखी है। स्वयं कर्मवीरसिंह पी. डब्ल्यू-21 की साक्ष्य से भी प्रकट होता है कि उसके द्वारा भी अभियुक्त आसाराम के लिये शाहजहांपुर में आश्रम व कुटिया का निर्माण करवाया गया था। उसने यह कथन किया है कि वह अपनी आय का दस प्रतिशत अभियुक्त आसाराम के लिये दिया करता था, कभी कभी ज्यादा भी दिया करता था। इससे स्पष्ट है कि जहां एक ओर अभियुक्त आसाराम बेहद शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद है तो दूसरी ओर कर्मवीरसिंह एक साधारण व्यापारी है। ऐसी स्थिति में हमें न सिर्फ अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की साक्ष्य को सूक्ष्मता से परखना होगा बल्कि बचाव पक्ष की साक्ष्य को भी सूक्ष्मता से परखना होगा कि उनके कथनों में कितनी सच्चाई है तथा कहीं वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत तो नहीं कर रहे हैं।

283— गवाह डी. डब्ल्यू-10 मनीषा के पूर्व वर्णित कथनों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि वह इस तथ्य को छुपाने के लिये कथन कर रही है कि अभियुक्त आसाराम ने परिवादी परिवार को ठहराने के लिये कहा हो, वह किशोर से निकटता के कारण परिवादी के परिवार को ठहराने की बात कह रही है, जबकि उसके ससुर पी. डब्ल्यू-6 रणजीत ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि बापे ने कहा कि इनको ले जाकर ठहराओ। पी. डब्ल्यू-22 रामकिशोर उर्फ किशोर, पी. डब्ल्यू-6 रणजीत का पुत्र है। इस गवाह ने सत्संग के दौरान ही कर्मवीर व उसके परिवार का आना व सत्संग के दौरान ही कर्मवीरसिंह द्वारा बापू को अपने परिवार की समस्या बताना कहा है। यह गवाह अभी भी बापू का

(318)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

साधक होना बताता है। ऐसी स्थिति में पी. डब्ल्यू.-10 मनीषा के बयान सन्देह के घेरे में आ जाते हैं कि वह सत्यता नहीं बता रही हो वरन् अभियुक्त को बचाने का प्रयास कर रही हो। पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत ने मुख्य परीक्षण में दिनांक 15-8-2013 की घटना के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं किन्तु उससे हुई जिरह में वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। जहां मुख्य परीक्षण में यह गवाह सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट, पुष्कर, अजमेर को कुटिया बख्शीशनामे में देना व उसका नामान्तरणकरण भी ट्रस्ट के नाम खुल जाना बताता है तो यह स्पष्ट है कि उक्त कुटिया पर इसका कोई स्वामित्व शेष नहीं रह जाता है। इस गवाह को जिरह में यह सुझाव दिया गया है कि 14 अगस्त को बापू ने उसे यह कहा था कि जो लोग यू. पी. से आये हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है इसलिये रहने की व्यवस्था कर दो और यह भी कहा था कि ये लोग अगले दिन सुबह चले जायेंगे, इस सुझाव को इस गवाह ने सही बताया है। अर्थात् बचाव पक्ष स्वयं यह मानता है कि अभियुक्त आसाराम ने ही पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत को यह कहा था कि यू. पी. से आने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था करो। यह उल्लेखनीय है कि अन्य गवाहों के अतिरिक्त हरिओम फार्म आउस के निवासीगण चार गवाह इस प्रकरण में साक्ष्य में परीक्षित हुए हैं। पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत, पी. डब्ल्यू.-22 रामकिशोर उर्फ किशोर अभियोजन की ओर से साक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। वहीं डी. डब्ल्यू.-6 विष्णु, रणजीत का पुत्र व डी. डब्ल्यू.-10 मनीषा विष्णु की पत्नी व रणजीत की पुत्रवधू बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। यह पूरा परिवार आज भी अभियुक्त आसाराम का साधक है। ऐसे में उक्त गवाहों के बयानों का सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह प्रकट होगा कि क्या यह गवाह सत्य कह रहे हैं अथवा पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह, पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह एवं पी. डब्ल्यू.-5 "सु" सही कह रहे हैं।

284- पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत, पी. डब्ल्यू.-22 रामकिशोर, डी. डब्ल्यू.-6 विष्णु व डी. डब्ल्यू.-10 मनीषा के बयानों में आये विरोधाभास यह दर्शित करेंगे कि बचाव पक्ष की कहानी में कितनी सत्यता है। जहां डी. डब्ल्यू.-6 विशनाराम उर्फ विष्णु का यह कथन है कि उसकी धर्मपत्नी मनीषा, उसकी बहन गीता व जसोदा, उसके दो बच्चे कृष्णा उम्र 8 वर्ष व हरी उम्र 2 वर्ष आदि कर्मवीरसिंह

(319)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

की पत्नी सुनीता व पुत्री "सु" के साथ ऊपर के कमरे में ठहरे थे। वह कर्मवीर को घर में नीचे के कमरे में ठहराना बताता है। डी. डब्ल्यू.-10 मनीषा का भी यही कथन है कि कर्मवीर, विष्णु, जेठ किशोर, ससुर रणजीतसिंह और परिवार वाले नीचे बरामदे में सोये थे जबकि ऊपर के कमरे में "सु", सुनीता, ननद गीता, यशोदा, दो बच्चे कृष्णा व हरी रूके थे। इसके विपरीत पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत ने स्पष्ट कथन किया है कि यू. पी. से आये आदमी, औरत व बच्ची को मकान के ऊपर के कमरे में रूकवाया था। जिरह में गवाह स्पष्ट करता है कि सगाई कार्यक्रम के बाद यू. पी. से जो लोग आये थे वे जब ऊपर के कमरे में चले गये तो दो अलग अलग दरवाजों को बन्द कर दिया। इस गवाह को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि यू. पी. से जो परिवार आया था, उसमें माता पिता व बेटी तीनों ऊपर के कमरे में चले गये और फिर सारे दरवाजे बन्द कर दिये, उक्त सुझाव को गवाह ने सही बताया है। अर्थात् स्वयं बचाव पक्ष का प्रतिरक्षा में यह सुझाव रहा है कि कर्मवीर, सुनीता व पीड़िता "सु" ऊपर के कमरे में चले गये थे और ऊपर के कमरे में उन तीनों के अतिरिक्त कोई नहीं था। जिरह में पुनः इस गवाह को यह सुझाव दिया गया है कि बापू ने जब यू. पी. के परिवार के रूकने की व्यवस्था करने के लिये कहा तो किशोर ने यह कहा था कि व्यक्तिगत जानकारी का परिवार है इसलिये हमारे यहां रूकवा लेते हैं। अतः इस गवाह के बयानों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि परिवादी पक्ष को आश्रम में ही रूकवाने केलिये अभियुक्त आसाराम ने कहा था तथा उन्हें रणजीत ने अपने मकान के ऊपर के कमरे में रूकवाया था, जहां उक्त तीनों के अलावा कोई नहीं था। पी. डब्ल्यू.-22 रामकिशोर साक्ष्य देने के रोज भी स्वयं को अभियुक्त आसाराम का साधक बताता है। अतः इस गवाह से कतई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह एक शब्द भी अभियुक्त आसाराम के विरुद्ध गलत कहेगा, हां यह सन्देह हो सकता है कि अभियुक्त आसाराम के पक्ष में शिष्य होने के नाते कथन करे। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कहा है कि कर्मवीर जी उसके परिचित थे इसलिये उसने इन्हें अपने घर के ऊपर वाले कमरे में रूकवाया था। वह ऊपर वाले कमरे में आकर रूकना कहता है। गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि 14 व 15 अगस्त को भी कर्मवीर

(320)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

जी का परिवार जब ऊपर चला गया था तो कुण्डी लगा दी थी। यदि कर्मवीर अपनी पत्नी व बच्ची के साथ ऊपर के कमरे में था तो ऐसी स्थिति में उसके साथ मनीषा, ननद गीता व यशोदा तथा बच्चों का भी रूकरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह, पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह एवं पी. डब्ल्यू. 5 "सु" को जिरह में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि कर्मवीरसिंह नीचे रूका हो एवं उसकी पत्नी व बेटी ऊपर कमरे में मनीषा, उसकी ननदों व बच्चों के साथ रूकी हों। अतः स्पष्ट है कि डी. डब्ल्यू.-6 विशनाराम व डी. डब्ल्यू.-10 मनीषा अभियुक्त को बचाने के लिये सही कथन नहीं कर रही है।

285— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि चूंकि पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत व पी. डब्ल्यू.-22 रामकिशोर ने जिरह में बताया है कि दिनांक 15-8-2013 की रात सत्संग के बाद करीब साढे दस बजे सुमेरपुर की सोनिया व पूना के हरीश की सगाई का कार्यक्रम हुआ था जो सवा ग्यारह बजे तक चला था। सगाई कार्यक्रम के बाद कर्मवीर का परिवार घर में आकर सो गये थे। उक्त गवाहों को पक्षद्रोही घोषित नहीं करवाया गया है व जिरह नहीं की गई है। अतः उनकी साक्ष्य अखण्डित रही है। अतः अभियोजन पक्ष को उसे मानना होगा।

286— हमने इस सम्बन्ध में दोनों गवाहों की साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू.-6 रणजीत की जिरह पूर्ण होने के पश्चात् अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह से पुनः परीक्षण करने की अनुमति चाही गई क्योंकि 15 अगस्त को सगाई कार्यक्रम के बारे में जो तथ्य कहे थे, वे नये तथ्य थे। तत्पश्चात् अनुमति दिये जाने पर गवाह को पुनः परीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि दिनांक 15-8-2013 को रात को दस से साढे ग्यारह बजे के बीच कोई सगाई कार्यक्रम नहीं हुआ हो और ऐसे कार्यक्रम की फोटोग्राफी नहीं हुई। वह स्वीकार करता है कि पूना के लड़के व सुमेरपुर की लड़की को पहले से नहीं जानता है। उसे सुझाव दिया गया है कि बेहराणा साहब की कोई झांकी नहीं निकाली हो तथा वह तथा उसका पुत्र रामकिशोर बापू के भक्त होने के कारण सगाई कार्यक्रम के झूठे बयान दे रहे हैं और उस दिन दस बजे बापू ने सुनीता व उसकी बेटी "सु" को कुटिया में बुला

(321)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लिया हो।

287— इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. 22 रामकिशोर से भी अभियोजन पक्ष द्वारा पुनः परीक्षण की अनुमति चाही गई। न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जिरह में आये हुए कथनों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि गवाहों ने अभियोजन के हितों के विरुद्ध कथन किये हैं इसलिये न्याय हित में अभियोजन को पुनः परीक्षण की अनुमति दी जाती है। इस गवाह को पुनः परीक्षण में उसके पुलिस बयान प्रदर्श-पी-52 से Confront करवाया गया है कि दिनांक 15-8-2013 को रात को सत्संग के बाद सुमेरपुर की सोनिया व पूना के हरीश की सगाई के कार्यक्रम व उक्त कार्यक्रम सवा ग्यारह बजे हुआ हो और इसके पश्चात् कर्मवीरसिंह का परिवार घर आकर सो गया हो, के बारे में अपने पुलिस बयान प्रदर्श-पी-52 में कोई बात नहीं लिखाई। उसने स्वीकार किया है कि सोनिया व हरीश की सगाई के बारे में आपस में माला पहनाते हुए व अंगूठी पहनाते हुए फोटो नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श-पी-52 में बेहराणा साहब की झांकी निकालने की बात नहीं है। जिरह में उसके द्वारा किये गये कथनों के बारे में गवाह से पुनः परीक्षण में सवाल पूछा गया है तथा उसे सुझाव दिया गया है कि वह आसाराम बापू को मानने के कारण झूठे बयान दे रहा है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 6 रणजीत, पी. डब्ल्यू. 22 रामकिशोर के कथनों को चुनौती नहीं दी हो तथा अभियोजन पक्ष उन्हें मानने के लिये बाध्य हो।

288— उक्त दोनों गवाहों के बयानों के अतिरिक्त पूना व सुमेरपुर से आये परिवारों के सगाई सम्बन्ध एवं उसके पश्चात् बेहराणा साहब झांकी होने व अभियुक्त आसाराम के रात 12 बजे कुटिया में जाने अर्थात् घटना के समय, जो दस साढे दस बजे बताया जाता है, अभियुक्त आसाराम का कुटिया में उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में डी. डब्ल्यू. 3 अर्जुन कुमार टेकवानी, डी. डब्ल्यू. 4 सुशीला चेलानी, डी. डब्ल्यू. 2 चनणाराम कुमावत, डी. डब्ल्यू. 6 विशनाराम, डी. डब्ल्यू. 10 श्रीमती मनीषा के मौखिक बयान बचाव पक्ष की ओर से लेखबद्ध करवाये गये हैं। जैसा कि हमने पूर्व में विवेचित किया है कि डी. डब्ल्यू. 6 विशनाराम एवं डी. डब्ल्यू. 10 श्रीमती मनीषा के कथन उनके पारिवारिक सदस्य

(322)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पी. डब्ल्यू. 6 रणजीत व पी. डब्ल्यू. 22 रामकिशोर के कथनों से नितान्त भिन्न होने के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श-डी-21 लगायत प्रदर्श-डी-26 फोटोग्राफ्स को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। पीड़िता ने प्रदर्श-डी-23, प्रदर्श-डी-25 में स्वयं का फोटोग्राफ होना माना है। बचाव पक्ष का अन्य गवाह डी. डब्ल्यू. 3 अर्जुन कुमार टेकवानी अपने बयानों में कथन करता है कि उसने दिनांक 15-8-2013 को शिवगंज से मणाई गांव हरिओम कृषि फार्म आकर पूना के बलराम जी के पुत्र हरीश से अपनी पुत्री सोनिया का रोका (सगाई का दस्तूर) किया था। तत्पश्चात् उन्होंने झूलेलाल की झांकी सवा ग्यारह बजे रात को निकाली थी। यह गवाह फोटोग्राफ प्रदर्श-डी-26 में स्वयं, पूना वाले बलराम जी, अपने छोटे भाई मेहर, बेटी व बलराम जी की धर्मपत्नी का होना बताता है। यदि इन फोटोग्राफ प्रदर्श-डी-21 से प्रदर्श-डी-26 के आधार पर उक्त गवाहान की मौके पर उपस्थिति मान भी ली जाये तो भी इन फोटोग्राफ्स में लड़के व लड़की का रोका होने जैसी कोई रस्म दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उक्त फोटोग्राफ्स का समय भी अंकित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त फोटोग्राफ्स का अस्तित्व यह बताता है कि मौके पर मोबाईल से अथवा कैमरे से फोटोग्राफ खींचने की व्यवस्था उपलब्ध थी। इसके बावजूद सगाई जैसे कार्यक्रम व बेहराणा साहब की झांकी जैसे बड़े कार्यक्रम का कोई फोटो न होना यह दर्शाता है कि उक्त गवाह सिर्फ अभियुक्त आसाराम के भक्त होने के कारण उन्हें बचाने के लिये झूठे कथन करते हैं।

289- डी. डब्ल्यू. 4 सुशीला चेलानी मौके पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिये प्रदर्श-डी-21 फोटोग्राफ में स्वयं का बैठना बताती है। उसका कथन है कि उसकी पीठ का भाग आ रहा है। जिरह में वह स्वीकार करती है कि उक्त फोटोग्राफ में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। इस गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि यह कथन किया है कि हरीश व सोनिया के रोका (सिन्धी में जिसे कच्ची मिश्री कहते हैं) के दौरान फोटोग्राफी हुई थी और आशीर्वाद लेते हुए भी फोटोग्राफी हुई थी।

290- चूंकि न्यायालय सिन्धी समाज के रीति रिवाजों से व्यक्तिगत रूप

(323)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

से परिचित नहीं है, अतः हमारे द्वारा Sindhi wedding rituals से सम्बन्धित कई Websites खोल कर "कच्ची मिश्री" व "बेहराणा साहब" के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। www.sindhibysurnames.wordpress.com सिन्धी समाज की site है। इसके अनुसार "कच्ची मिश्री" का अर्थ कच्ची सगाई से है, जब विवाह योग्य लड़का लड़की के परिवारों की सहमति हो जाती है तो पहले औपचारिक सहमति होती है जिसे कच्ची मिश्री कहते हैं। लड़का/लड़की को मिश्री व नारियल दिया जाता है। "पक्की मिश्री" की रस्म शादी से पहले की जाती है जहां लड़का व लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। बेहराणा साहब विवाह से 10 दिन पूर्व झूलेलाल के नाम से किया जाने वाला सत्संग है। यह आने वाली शादी की तैयारियों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई sites पर देखने से यह स्पष्ट हुआ कि बेहराणा साहब शादी के पूर्व की जाने वाली रस्म है। "कच्ची मिश्री" के बाद "पक्की मिश्री" होती है, तत्पश्चात् बेहराणा साहब होता है। प्रदर्श-डी-21 से प्रदर्श-डी-26 फोटोग्राफ्स में न तो लड़का व लड़की साथ खड़े नजर आ रहे हैं और न ही मिश्री व नारियल का आदान प्रदान ही हो रहा है, न ही लड़के की बहन ने लड़की के सिर पर लाल चुनरी ओढ़ाई है एवं बेहराणा साहब एक बड़ा सत्संग है जो बिना झूलेलाल जी की मूर्ति के नहीं हो सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि दिनांक 15-8-2013 को न तो कोई कच्ची मिश्री का कार्यक्रम हुआ था, न ही बेहराणा साहब की झांकी निकाली थी। डी. डब्ल्यू 3 अर्जुन कुमार टेकवानी ने स्वीकार किया है कि वह आसाराम जी में श्रद्धा रखने के कारण सत्संग में जाता था। डी. डब्ल्यू 4 सुशीला चेलानी ने जिरह में स्वीकार किया है कि वह आसाराम जी को करीब 5-6 वर्षों से जानती है। आसाराम का सत्संग सुनने अपने परिवार के साथ गई थी। अतः स्पष्ट है कि उक्त दोनों गवाह अभियुक्त आसाराम में श्रद्धा रखने के कारण मात्र उसे बचाने के लिये कच्ची मिश्री/रोका एवं बेहराणा साहब की झांकी आदि की बातें कर रहे हैं।

291- डी. डब्ल्यू 2 चनणाराम ने भी स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त आसाराम का सत्संग सुनने के लिये 2010 में गया था, उसके बाद 2011 में भी गया था। गवाह ने दिनांक 4-8-2013 व 5-8-2013 को आसाराम के सुमेरपुर

(324)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

स्थित सत्संग में भी जाना कहा है। वह 8-8-2013 को भी बाड़मेर में सत्संग सुनने के लिये जाना कहता है। अर्थात् यह गवाह अभियुक्त आसाराम का अनन्य भक्त है एवं उसमें बेहद आस्था रखता है। वह गौशाला के सम्बन्ध में बात करने मणार्ई आश्रम में आना कहता है लेकिन गौशाला के सम्बन्ध में उसे क्या बात करनी थी, यह उसने स्पष्ट नहीं किया है। वह जिरह में स्वीकार करता है कि आलम गौशाला बाड़मेर में सन् 2009 से जुगराज जी सेठिया की देखरेख चल रही है जो गौशाला के संस्थापक हैं। इस गवाह ने भी झूलेलाल की झांकी, लड़का लड़की का रोका इत्यादि का कथन किया है। पूर्ववर्ती विवेचन के अनुसार झूलेलाल की झांकी व रोका (कच्ची मिश्री) के सम्बन्ध में इस गवाह के कथन कतई विश्वसनीय नहीं है तथा ऐसा प्रकट होता है कि मात्र पुराना भक्त होने के कारण अत्यधिक श्रद्धा रखने के कारण यह गवाह अभियुक्त के पक्ष में कथन कर रहा है।

292— अन्यत्र उपस्थिति (Alibi) के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं :-

(1)- Dudh Nath Pandey vs The State Of U.P.

1981 AIR 911,

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

The plea of alibi postulates the physical impossibility of the presence of the accused at the scene of offence by reason of his presence at another place. The plea can therefore succeed only if it is shown that the accused was so far away at the relevant time that he could not be present at the place where the crime was committed. The evidence of the defence witnesses, accepting it at its face value, is consistent with the appellant's presence at the Naini factory at 8-30 A.M. and at the scene of offence at 9.00 A.M. So short is the distance between the two points.

(325)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

293— उपरोक्त सम्माननीय विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार Alibi के अभिवाक् के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त घटनास्थल से घटना के समय इतनी दूर हो कि वह घटनास्थल पर जहां अपराध घटित हुआ, उपस्थित न हो सके। हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं है। जिस जगह अभियुक्त की उपस्थिति बताई जा रही है वहां से कुटिया मात्र 200-250 फीट दूर होना साक्ष्य में आया है। अतः अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् अभियुक्त को प्राप्त नहीं है।

294— यहां हम अभियुक्त के एकान्तवास के सम्बन्ध में गवाह पी. डब्ल्यू. 14 मदनसिंह की साक्ष्य पर विचार करना उचित समझते हैं। यह गवाह मोरजा तहसील चौमू जिला जयपुर का निवासी है जो अपना पेशा चौकीदारी बताता है। उक्त गवाह ने दिनांक 11-8-2013 को दिन के 3 बजे से दिनांक 16-8-2013 को सुबह 10 बजे तक कुटिया के परिसर की बाउण्डरी के गेट पर चौकीदारी करना कहा है व उक्त अवधि में आसाराम के अलावा अन्य किसी का अन्दर नहीं जाना कहता है। वह अपने साथ राजेन्द्र कुमार जाट व अरूणसिंह शेखावत का चौकीदारी में होना कहता है। जिरह में इस गवाह ने अपने साथ आनन्दसिंह शेखावत व राजेन्द्र कुमार जाट का होना बताया है। सर्वप्रथम तो यही बात अविश्वसनीय लगती है कि उसे उसके गांव से चौकीदारी के लिये जोधपुर के मणाई गांव में भेजा गया हो क्योंकि चौकीदारी के लिये स्थानीय व्यक्तियों की कमी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पीड़िता को या उसके माता पिता को जिरह में दिया गया ऐसा कोई सुझाव हमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि दरवाजे पर मदनसिंह चौकीदार खड़ा हो या अन्य कोई चौकीदार खड़ा हो। इसके अतिरिक्त पी. डब्ल्यू. 6 रणजीत को जिरह में कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि उक्त कुटिया के लिये चौकीदार बाहर से आये हों तथा उन्होंने चौकीदारी की हो। पी. डब्ल्यू. 22 रामकिशोर को भी जिरह में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि अभियुक्त आसाराम जिस कुटिया में ठहरा था, उसके बाहर कोई चौकीदार हो। अतः डी. डब्ल्यू. 2 चनणाराम कुमावत व डी. डब्ल्यू. 14 मदनसिंह के कथन पश्चात्पूर्वी सोच का परिणाम प्रकट होते हैं।

295— यहां यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू. 22 रामकिशोर उर्फ

(326)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

किशोर, जिसका अभियुक्त आसाराम के साथ रहना व उसका साधक होना उसके पिता पी. डब्ल्यू. 6 रणजीत ने कहा है, तथा इसकी पुष्टि डी. डब्ल्यू. 6 विशनाराम भी करता है तथा स्वयं गवाह भी बयान देने के वक्त भी स्वयं को बापू का साधक बताता है, ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि सत्संग करीब दो सवा दो घन्टे चला। सत्संग के बाद जब लोग जाने लगे तो बापू ने कर्मवीर को आओ जाटों कह कर बुलाया। फिर बापू जी आश्रम में चले गये। कर्मवीर जी व उनके परिवार वाले हमारे घर के आगे बापू जी के पीछे जाते दिखे थे। उसके आगे नहीं देखा था। फिर बाद में यह हमारे ऊपर वाले कमरे में रूके थे। यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि 15 अगस्त की शाम को वह, उसकी पत्नी तथा बेटी सत्संग में गये थे। सत्संग के बाद बाकी लोग बाहर जाने लगे, वे भी वहां से जाने लगे तो बापू ने कहा कि जाटों यहां आ जाओ। आसाराम जी शुरू से ही जाट कह कर बुलाते थे। फिर वे बापू के पीछे पीछे गये। यही कथन पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह के हैं और यही कथन पी. डब्ल्यू. 5 पीड़िता "सु" के हैं अर्थात् परिवादी पक्ष के कथनों की पुष्टि पी. डब्ल्यू. 22 रामकिशोर उर्फ किशोर, जो बरवक्त बयान भी आसाराम का साधक था, ने भी की है। हालांकि यह गवाह जिरह में सम्भलने का प्रयास कर रहा है, जिरह में उसका कथन है कि जाटों आ जाओ, बापू ने केवल कर्मवीर के लिये नहीं, और जाटों के लिये भी कहा था। सिन्धियों को भी सिन्धियों आ जाओ कहा था। किन्तु इस गवाह के कथनों से यह स्पष्ट है कि परिवादी पक्ष के कथन सत्य हैं कि उन्हें अभियुक्त आसाराम द्वारा सत्संग खतम होने के बाद जाटों आ जाओ कह कर बुलाया गया, साथ ही साथ कुटिया में ले जाया गया। उक्त कथनों पर अविश्वास का कोई कारण हमें प्रतीत नहीं होता है।

296— बचाव पक्ष की यह दलील रही है कि बापू के एकान्तवास में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बाहर चौकीदार होने के कारण कोई अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता था। अतः पीड़िता व उसके माता पिता कुटिया में प्रवेश कर पाये हों, यह सम्भव नहीं है।

297— मेरे विनम्र मत में गवाहों से अधिक परिस्थितियां बयान करती हैं।

(327)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू.-43 चंचल मिश्रा अनुसन्धान अधिकारी ने अपने बयानों में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द मौका निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श-पी-13 फर्द मौका निरीक्षण व नक्शा मौका घटनास्थल व प्रदर्श-पी-14 फर्द हालात मौका पीड़िता की निशांदेही पर मुर्तीब करना कहा है। वह घटनास्थल की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाना कहती है व फोटोग्राफ्स प्रदर्श-पी-16 से प्रदर्श-पी-32 साक्ष्य में साबित करती है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन सी.डी. आर्टिकल-16 गवाह ने तैयार करवाना कहा है। पी. डब्ल्यू.-30 पप्पाराम स्वयं के समक्ष उक्त पीड़िता द्वारा बताये गये हालात की वीडियोग्राफी की सी.डी. बनाना कहता है। उक्त सी.डी. को लैपटॉप पर चला कर पीड़िता द्वारा बताये गये हालात को कम्प्यूटर पर टाईप करना कहता है। सी. डी. को सीलचेपा कर उसकी फर्द ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श-पी-69 व प्रिन्ट आउट प्रदर्श-पी-70 साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित करता है। गवाह पी. डब्ल्यू.-30 रामदेव ने भी उक्त गवाह के कथनों की ताईद की है। बचाव पक्ष ने इस सम्बन्ध में प्रदर्श-डी-103 व प्रदर्श-डी-104 पर जोर देते हुए यह तर्क दिया है कि सूरसागर थाने के थानाधिकारी श्री मदन बेनीवाल व उनका जाब्ता मौके पर पहुंच गया था। उन्होंने मौके की वीडियोग्राफी कर पीड़िता को अगले दिन दिखा दी। अतः पीड़िता ने कुटिया के अन्दर की परिस्थितियां स्पष्ट बयान कर दी। मेरे विनम्र मत में इन तर्कों में कोई सार नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श-डी-103 व प्रदर्श-डी-104 से प्रकट होता है कि सूरसागर थाने का जाब्ता एवं थानाधिकारी मदन बेनीवाल मौके पर गये थे लेकिन उन्होंने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की हो या घटनास्थल का अवलोकन किया हो, ऐसा उक्त दोनों दस्तावेजों से प्रकट नहीं होता है।

298— हमने प्रदर्श-पी-69 फर्द ट्रांसक्रिप्शन, जिसका भाग फर्द प्रदर्श-पी-70 प्रिन्ट आउट है, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

299— उक्त फर्द के मुताबिक दिनांक 22-8-2013 को घटनास्थल के निरीक्षण के समय मुस्तगीसा से घटनास्थल पर कुटिया के कमरे बाथरूम आदि के बारे में वीडियोग्राफी करवाई एवं पीड़िता द्वारा बताये गये घटनास्थल के हालात का विवरण कम्प्यूटर में टाईप करवा कर प्रिन्ट आउट कर विवरण

(328)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

दस्तावेज ट्रांसक्रिप्शन शामिल पत्रावली किया है। हमने प्रदर्श-पी-70 ट्रांसक्रिप्शन (प्रिन्ट आउट आफ ट्रांसक्रिप्शन) का अवलोकन किया।

300— यह स्पष्ट है कि अनुसन्धान अधिकारी ने सावधानी बरतते हुए पीड़िता को हरिओम फार्म आउस पर ले जाकर कुटिया के अन्दर जाये बिना उसका विवरण पूछा है तथा उसकी वीडियोग्राफी करवाई है। अन्दर जाये बिना दिये गये विवरण का उक्त वीडियोग्राफी का ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श-पी-70 है। हमने उक्त ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श-पी-70 में पीड़ित द्वारा कुटिया के अन्दर के बारे में बताये गये तथ्यों का मिलान प्रदर्श-पी-13, प्रदर्श-पी-14 व फोटोग्राफ्स प्रदर्श-पी-16 से प्रदर्श-पी-32 से किया। पीड़िता द्वारा बिना कुटिया के अन्दर जाये कुटिया के भीतर का जो विवरण बताया गया है, वही हालात नक्शा मौका व हालात मौका तथा फोटोग्राफ्स से दर्शित होते हैं तथा उससे मेल खाते हैं। मेरे विनम्र मत में इस साक्ष्य से यह सिद्ध है कि पीड़िता कुटिया के अन्दर कमरे में गई थी एवं बाथरूम में भी गई थी। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह कथन विश्वास करने योग्य नहीं है कि पीड़िता ने कुटिया में प्रवेश ही नहीं किया हो।

301— बचाव पक्ष ने दिनांक 22-8-2013 को दैनिक भास्कर में कमरे की फोटो छपना बताया है तथा पीड़िता से जिरह में पूछा है कि उसे इस कारण कमरे के अन्दर की जानकारी थी। पीड़िता का यह स्पष्ट कथन है कि यह कहना गलत है कि अखबार में फोटो छप जाने से उसे कमरे की जानकारी हुई हो। उसे यह सुझाव दिया गया है कि रूम में क्या क्या वस्तुएं थी और कहां कहां स्थित थी, उनका विवरण एफ. आई. आर., एन. जी. ओ. की रिपोर्ट व धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अंकित नहीं है। गवाह का कथन है कि एन.जी.ओ. की रिपोर्ट में बिस्तर व लाईट के बारे में लिखा है तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बारे में रूम की लाईट व बेड का बताया है तथा रूम का लॉक का विवरण है। इस प्रकार गवाह ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि रूम के अन्दर की वस्तुओं का पता, अखबार में फोटो छपने से चला हो।

302— बचाव पक्ष का यह कथन है कि कुटिया के भीतर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी जबकि उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि पीड़िता

(329)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ने कुटिया के भीतर जाये बिना ही, कुटिया के भीतर का सारा विवरण पुलिस को बताया है जो बिल्कुल सही पाया गया है। पीड़िता को जिरह में यह सुझाव दिये हैं कि उसने हरिद्वार, शाहजहांपुर आदि की अभियुक्त आसाराम की कुटिया को पहले देखा हो, जिससे उसने इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में अब यह स्पष्टीकरण देने का भार (Onus) बचाव पक्ष पर चला जाता है कि वह यह बताये कि पीड़िता को कुटिया के भीतर के वास्तविक व सही सही हालात उसके अन्दर जाये बिना कैसे पता चले ? विधि का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति न्यायालय के समक्ष यह सत्य प्रकट कर रही है कि पीड़िता उक्त कुटिया के भीतर गई थी जिसमें कि बचाव पक्ष के अनुसार किसी को जाने की अनुमति नहीं थी।

303— अतः अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि पीड़िता घटनास्थल पर स्थित उक्त वर्णित कुटिया के कमरे में गई थी अर्थात् पीड़िता का उक्त कमरे में जाना साक्ष्य से सिद्ध हुआ है।

304— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि दिनांक 15-8-2013 को पीड़िता का मासिक धर्म चल रहा था तथा उसने डी. डब्ल्यू. -10 मनीषा से पैड भी मांगा था। ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं था कि अभियुक्त द्वारा उसके प्राईवेट पार्ट्स को टच किया जाता। इसके अतिरिक्त यदि प्राईवेट पार्ट्स को टच किया गया तो यह सम्भव नहीं था कि एक डेढ घन्टे तक अभियुक्त नंगी हालत में रहा तथा पीड़िता का Blood व अभियुक्त का सीमन फर्श पर नहीं गिरा हो। अनुसन्धान अधिकारी ने घटनास्थल से ऐसी कोई वस्तु कलेक्ट करने व एफ.एस.एल. को भेजने का कोई प्रयास नहीं किया है। अनुसन्धान अधिकारी जिरह में स्वीकार करती है कि उसके द्वारा मौके से कोई वस्तु नहीं उठाई गई। उनका यह भी तर्क है कि यह सही है कि प्रदर्श-पी-1 मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की पिछला मासिक धर्म आने की दिनांक 7-8-2015 अंकित है किन्तु 8 दिन तक Blood आना सामान्य बात है। इस हेतु उन्होंने हमारे समक्ष Clinical Gynecologic पुस्तक, जो Markafritz की लिखी हुई है, का हवाला भी दिया।

(330)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

305- मैंने उक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर आई साक्ष्य पर मनन किया।

306- प्रदर्श-पी-1 में पीड़िता की पिछली बार मासिक धर्म आने की तिथि 7-8-2013 अंकित है। पीड़िता को जिरह में यह सुझाव भी दिया गया है कि उसे पिछली बार मासिक धर्म दिनांक 7-8-2013 को आया था। यह भी सही है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत उक्त पुस्तक Clinical Gynecologic में सामान्य मासिक धर्म की अवधि 4 से 8 दिवस तक अंकित है। किन्तु इस विषय की अन्य पुस्तक Handbook of Gynecology में यह अवधि 4 से 7 दिवस अंकित है। यदि यह मान भी लिया जाये कि उसका मासिक स्त्राव अधिकतम अवधि तक था तो भी 7 तारीख से शुरू होकर 14-8-2013 को समाप्त हो जाना चाहिये था, जबकि पी. डब्ल्यू-10 मनीषा का यह कथन है कि दिनांक 14-8-2013 को रात 9 बजे सत्संग हुआ, सत्संग के बाद करीब साढ़े दस पौने ग्यारह बजे सोने के लिये ऊपर गये तो "सु" ने उसे कहा कि भाभी आपके पास पैड है क्या मुझे मासिक धर्म शुरू हो गये हैं, तब हामी भरी और "सु" को पैड दे दिया और शतावरी पाउडर दिया और कहा कि इससे तुझे आराम रहेगा। मेरे विनम्र मत में इस गवाह के कथनों पर विश्वास किया जाए तो पीड़िता "सु" को मासिक धर्म 14 तारीख को शुरू हुआ जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसका पिछला मासिक धर्म दिनांक 7-8-2013 को प्रारम्भ हुआ था। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि डी. डब्ल्यू-10 मनीषा नितान्त गलत कथन कर रही है जो बाद में बनाई हुई कहानी है। यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू-5 पीड़िता "सु" को जिरह में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि दिनांक 14-8-2013 को उसका मासिक धर्म प्रारम्भ हुआ हो, वरन् उसे यही सुझाव दिया गया है कि पिछले मासिक धर्म की दिनांक 7-8-2013 थी।

307- जहां तक अनुसन्धान अधिकारी पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा द्वारा घटनास्थल से अपराध सम्बन्धी कोई अलामात नहीं उठाने का प्रश्न है, न तो पीड़िता ने यह कहा है कि उसकी Vagina में अभियुक्त द्वारा लिंग प्रविष्ट किया गया हो, न ही उसने यह कहा है कि अभियुक्त का सीमन स्वलित हो गया हो। ऐसी स्थिति में घटनास्थल से एफ.एस.एल. टीम द्वारा उठाने वाली कोई

(331)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

वस्तु थी ही नहीं। लिहाजा पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने एफ.एस.एल. टीम को न बुला कर कोई त्रुटि नहीं की है।

308— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि अनुसन्धान अधिकारी ने इस प्रकरण के अनुसन्धान के दौरान बेहद कमियां छोड़ी हैं एवं अभियुक्त के पक्ष की साक्ष्य को पत्रावली पर नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने हमारे समक्ष निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किया है :-

(1)- Babubhai Versus State of Gujarat & Ors.

(2010) 12 SCC 254

The investigation into a criminal offence must be free from objectionable features or infirmities which may legitimately lead to a grievance on the part of the accused that investigation was unfair and carried out with an ulterior motive. It is also the duty of the Investigating Officer to conduct the investigation avoiding any kind of mischief and harassment to any of the accused. The Investigating Officer should be fair and conscious so as to rule out any possibility of fabrication of evidence and his impartial conduct must dispel any suspicion as to its genuineness. The Investigating Officer "is not to bolster up a prosecution case with such evidence as may enable the court to record conviction but to bring out the real unvarnished truth".

सर्वप्रथम तो हमें इस प्रकरण में अनुसन्धान अधिकारी द्वारा अनुसन्धान में कोई कमी छोड़ी गई हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है। लेकिन यदि ऐसा भी हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में यह मत प्रतिपादित किया है :-

(1)- State Of U.P vs Jagdeo And Others

(2003) AIR (SC) 660

Coming to the aspect of the investigation being allegedly faulty, we would like to say that we do not agree with the view taken by the High Court. We would rather like to say that assuming the investigation was faulty, for that reason alone the accused persons cannot be let off or acquitted. For the fault of the prosecution, the perpetrators of such a ghastly crime cannot be allowed to go scot free.

(2)- State Of Madhya Pradesh vs Mansingh and Ors.
(2003) 10 SCC 414

12. Even if it is accepted that there was deficiencies in investigation as pointed out by the High Court, that cannot be a ground to discard the prosecution version which is authentic, credible and cogent. Non-examination of Hiral Lal is also not a factor to cast doubt on the prosecution version. He was not an eye-witness, and according to the version of PW 8 he arrived after PW 8. When PW8 has been examined, the non-examination of Hir Lal is of no consequence.

15. Merely because there was some change in time of the lodging of the FIR, that does not per se render prosecution version vulnerable. At the most the requirement was a careful analysis of the evidence, which has been done by the Trial Court. One material factor which the High Court missed not notice is that the spot map was prepared at 13.30 p.m. and PW 8 is the witness to the map.

309— उपरोक्त सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार

(333)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

यदि अनुसन्धान में कोई कमी रही भी है तो इसके आधार पर अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है।

310— माननीय उच्चतम न्यायालय ने “पंजाब राज्य बनाम गुरमीतसिंह व अन्य, (1996) एस. सी. सी. (किमिनल) 316” के सम्माननीय विनिश्चय में यह अवधारित किया है कि मात्र अनुसन्धान ढंग से सम्पन्न नहीं किये जाने के आधार पर ही अभियोक्त्री की साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है।

311— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध यह प्रकरण दर्ज होने का कारण पीड़िता “सु”, उसके पिता व अन्य व्यक्तियों के मध्य षडयंत्र बताया है एवं षडयंत्र के कारण ही यह मुकदमा दर्ज करना बताया है। प्रश्न यह है कि क्या बचाव पक्ष पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध षडयंत्र बाबत सम्भावना उत्पन्न कर पाने में सफल रहा है? बचाव पक्ष के साक्षीगण की साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष के साक्षीगण को दिये गये सुझावों से यह स्पष्ट होता है कि बचाव पक्ष द्वारा करमवीर सिंह द्वारा अपनी पुत्री पीड़िता “सु” के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज करवाने अथवा स्वयं पीड़िता “सु” द्वारा पंकज दूबे से मिलकर यह मुकदमा दर्ज करवाने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार से सुझाव दिये गये हैं एवं मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश की गई है।

312— पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह से विस्तृत जिरह की गई है। जिरह में पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह को दिये गये सुझावों से यह प्रकट होता है कि बचाव पक्ष का एक बचाव यह है कि करमवीर सिंह ने संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सीनियर हायर सैकण्डरी छिन्दवाडा के पूर्व डायरेक्टर ओमप्रकाश प्रजापति एवं गुरुकुल हॉस्टल की वार्डन सीमा आहुजा से मिलकर षडयंत्र रचा तथा सीमा आहुजा के होने वाले बच्चे को कल्की के अवतार के रूप में प्रोजेक्ट किया। इस सम्बन्ध में कई मीटिंगे की एवं रूपये इकट्ठे किये। जब अभियुक्त आशाराम को इस बात का पता चला तो ओमप्रकाश प्रजापति व सीमा आहुजा को गुरुकुल से निकाल दिया गया। उक्त षडयंत्र को ही आगे बढ़ाते हुए करमवीर सिंह ने अपनी पुत्री पीड़िता “सु” के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज करवाया।

(334)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

313— इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों को भी सुझाव दिये गये हैं। पी. डब्ल्यू-37 श्रीराम कश्यप वह गवाह है, जिसने आशाराम की ओर से शरदचन्द्र के हक में निष्पादित किया गया आम मुख्तयारनामा प्रदर्श-पी-11, गुरुकुल की ओर से बैंक एकाउन्ट संचालित करने बाबत पत्र प्रदर्श-पी-63, प्रदर्श-पी-64, संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-पी-67 पुलिस को जरिऐ फर्द प्रदर्श-पी-57 पेश किये हैं। जिरह में यह गवाह स्वयं को आश्रम का संचालक बताता है। गवाह ने ओमप्रकाश प्रजापति और सीमा आहुजा द्वारा कल्की अवतार को ले कर देश में कई जगह मीटिंग करना कहा है। गवाह ने फोटो प्रदर्श-डी-89 से लगायत प्रदर्श-डी-93 में कल्की अवतार की मीटिंग और सीमा आहुजा का सम्मान करना होना बताया है। गवाह मीटिंग में ओमप्रकाश प्रजापति, सीमा आहुजा, करमवीर सिंह और संजय द्वारा मुख्य रूप से संबोधित करना कहता है और यह कहना बताता है कि सीमा आहुजा की कोख से कल्की अवतार होगा, जिसे आप भेंट दें और सम्मान करें। भेंट में आभूषण और पैसे दिलवाये थे। गवाह छिंदवाडा आश्रम में ऐसी तीन मीटिंगे होना और बाहर भी मीटिंगे होना बताया, जिसमें स्वयं को जाना भी बताया है। मीटिंगों में काफी चढावा आना कहता है एवं ऐसी स्थिति में महेन्द्र, उदयभाई और ट्रस्टी सतीश झा को इस सम्बन्ध में सूचना देना कहता है। गवाह ने अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तीन सीडी आर्टिकल-डी-1, आर्टिकल-डी-2, आर्टिकल-डी-3 न्यायालय में चलाकर सुना है। उक्त सीडी में आवाज व वीडियो अभियुक्त आशाराम की बताता है एवं आशाराम द्वारा यह कहना कहता है कि कल्की अवतार की अफवाह गलत फैलाई जा रही है। यह षडयंत्र गुरुकुल के संचालक व स्कूल में काम करने वाली वार्डन का है।

314— पी. डब्ल्यू-40 उदय सांगाणी ने जिरह में कथन किया है कि उसे श्रीराम कश्यप ने कल्की अवतार के बारे में सूचना दी थी। उसके बाद ओम प्रकाश प्रजापति को डायरेक्टर के पद से हटाया गया और फिर छिन्दवाडा जा कर बापूजी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि कल्की अवतार कुछ भी नहीं है।

315— उक्त दोनों गवाहों के बयानों से यह प्रकट होता है कि जहाँ पी.

(335)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

डब्ल्यू-37 श्रीराम कश्यप ने यह कहा है कि ओम प्रकाश प्रजापति व सीमा आहुजा ने मिल कर कल्की अवतार की बात कह कर मीटिंग कर काफी चढावा लिया था एवं उक्त षडयंत्र में करमवीर सिंह भी शामिल था तथा उसने इसकी सूचना उदय, योगेश भाटी व अजय शाह को दे दी थी। इसके विपरीत पी. डब्ल्यू-40 उदय ने छिन्दवाडा में हुए ऐसे किसी षडयंत्र में करमवीर सिंह शामिल हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर डी. डब्ल्यू-13 योगेश भाटी भी साक्ष्य में उपस्थित हुआ है, जिसका ऐसा कोई कथन नहीं है कि पी. डब्ल्यू-37 श्रीराम कश्यप ने उससे सीमा आहुजा व ओम प्रकाश प्रजापति से कल्की अवतार के सम्बन्ध में रूपये एंठने की बात की हो। पी. डब्ल्यू-37 श्रीराम कश्यप ने फोटो प्रदर्श-डी-89 से लगायत प्रदर्श-डी-93 कल्की अवतार की मीटिंगों के सम्बन्ध में फोटो बताए है। किन्तु उसने अभियोजन पक्ष द्वारा किये गये पुनः परीक्षण में बताया है कि फोटो प्रदर्श-डी-89 से लगायत प्रदर्श-डी-93 में करमवीर सिंह का फोटो नहीं है तथा उसका स्वयं का भी फोटो नहीं है। वह यह स्वीकार करता है कि उक्त फोटो में कल्की अवतार के सम्बन्ध में सम्मान समारोह होना नहीं लिखा है, न ही रूपये व आभूषण भेंट करते दिखाई दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह को जिरह में सुझाव दिया गया है। उसने स्वीकार किया है कि शरद से पहले गुरुकुल का डायरेक्टर ओम प्रकाश प्रजापति था जब बच्चों को छोड़ने या लाने जाते या फीस जमा कराने जाते तब कभी कभी मुलाकात होती। सीमा से अपनी मुलाकात कभी नहीं होना कहता है। गवाह को प्रदर्श-डी-27, प्रदर्श-डी-28, प्रदर्श-डी-29, प्रदर्श-डी-30 व प्रदर्श-डी-31 फार्म दिखाए गए है। गवाह ने फार्म प्रदर्श-डी-27 पर पत्नी के, प्रदर्श-डी-28 पर स्वयं के, प्रदर्श-डी-29 पर अपने बेटे सोमवीर के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रदर्श-डी-30 बबीता व प्रदर्श-डी-31 पर सुजाता के हस्ताक्षर हो तो गवाह कह नहीं सकता। गवाह को यह सुझाव दिया गया कि उसने, ओम प्रकाश प्रजापति व सीमा आहुजा ने सीमा आहुजा के होने वाले बच्चे को कल्की के अवतार के रूप में प्रोजेक्ट किया हो और इस षडयंत्र का हिस्सा होते हुए इस सम्बन्ध में सदस्यता अभियान चलाया हो और इसके लिए प्रदर्श-डी-27 से

(336)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लगायत प्रदर्श-डी-31 फार्म भरे हों। गवाह ने उक्त सुझाव से इनकार किया तथा उक्त हस्ताक्षर ऋषि प्रसाद की सेवादारी के सम्मेलन में जाने का बताया है।

316- हमने प्रदर्श-डी-27 लगायत प्रदर्श-डी-31 का अवलोकन किया। उक्त प्रदर्श-डी-27 फार्म सुनीता देवी का है, जिसमें सेवाकार्य का नाम बाल संस्कार बताया है। पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह का जिरह में यह कथन है कि उसने आश्रम में बाल संस्कार केन्द्र चलाया था। प्रदर्श-डी-28 में करमवीर सिंह ने सेवा कार्य का नाम ऋषि प्रसाद सेवादारी बताया है। प्रदर्श-डी-29 में सोमवीर ने सेवा कार्य का नाम युवा सेवा संघ बताया है। उक्त दस्तावेजात से यह कहीं प्रकट नहीं होता है कि वे कल्की अवतार के सम्बन्ध में बनाई किसी समिति के फार्म हो। पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्श-डी-28 पर हस्ताक्षर ऋषि प्रसाद की सेवादारी के सम्मेलन में गए तब किये थे।

317- मेरे विनम्र मत में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष ओम प्रकाश प्रजापति व सीमा आहुजा के तथाकथित कल्की अवतार के षडयंत्र से परिवादी करमवीर सिंह का कोई रिश्ता जोड़ पाने में नितान्त असफल रहा है। प्रदर्श-डी-27 से लगायत प्रदर्श-डी-31 फार्म अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं। इससे यह प्रकट होता है कि उक्त फार्म उनके कब्जे में थे। उक्त फार्म ओम प्रकाश प्रजापति से उनको किस प्रकार से प्राप्त हुए, यह कतई स्पष्ट नहीं है। इससे जाहिर है कि पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह के कथनों में सत्यता है कि उक्त फार्म अभियुक्त आशाराम के कार्यक्रमों के सम्मेलन में ही उसके व उसके परिवार द्वारा भरे गये थे। मेरे विनम्र मत में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं कि ओम प्रकाश प्रजापति व सीमा आहुजा के साथ मिलकर पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह ने कोई षडयंत्र किया हो, जिसकी परिणति हस्तगत प्रकरण रहा हो।

318- पी. डब्ल्यू-40 उदय ने जिरह में यह कथन किया है कि शारहजहाँपुर की योग वेदान्त समिति का पहले करमवीर सिंह अध्यक्ष था, शिकायत मिली थी कि करमवीर सिंह ने बापू जी का झूठा कार्यक्रम बना कर

(337)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रकम हडप ली थी। उसे अध्यक्ष पद से 2010 में निकाला था। फिर एक वर्ष बाद करमवीर सिंह द्वारा समिति के लोगों से क्षमा माँगने पर वापिस लिया गया था। करमवीर सिंह ने दोबारा 2012 में शाहजहाँपुर में बापूजी का कार्यक्रम बता कर रुपये इकट्ठे किये। इस बार करमवीर सिंह को फोन पर डांटा तो उसने क्षमा माँग ली। इस गवाह से अभियोजन पक्ष द्वारा पुनः परीक्षण किया गया। पुनः परीक्षण में वह स्वीकार करता है कि करमवीर सिंह के विरुद्ध कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वयं करमवीर सिंह की जिरह में यह सुझाव नहीं दिया गया कि उसे समिति से पैसों का घपला करने के कारण निकाला गया हो। वरन उसे यह सुझाव दिया गया कि घटना के पहले वह शाहजहाँपुर आश्रम का अध्यक्ष था, जिसे उसने सही बताया। अतः करमवीर सिंह द्वारा शाहजहाँपुर आश्रम में रूपयों का घोटाला करने व उसे हटा देने पर नाराज हो कर यह मुकदमा करने बाबत तर्क कतई स्वीकार योग्य नहीं है।

319— डी. डब्ल्यू-18 राकेश कुमार सिंह ने बापू के सेवा कार्यों से धर्मान्तरण पर रोक लगाये जाने मिशनरी का अपने कार्यों में फेल हो जाने के कारण मीडिया द्वारा बापू के चरित्र हनन करने को कहा है, किन्तु स्वयं बचाव पक्ष की ओर से पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह को यह सुझाव दिया गया है कि उसका सम्बन्ध आर एस एस से है। अतः विदेशी मिशनरी के षडयंत्र बाबत बचाव विश्वास योग्य नहीं है।

320— बचाव पक्ष की ओर से दौराने बहस सर्वाधिक जोर इस बिन्दु पर डाला गया है कि परिवादी करमवीर सिंह, अमृत प्रजापति, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, ओमप्रकाश प्रजापति, पंकज दूबे, भोलानन्द, दीपक चोरसिया, सतीष वाघवानी आदि ने मिल कर अभियुक्त आशाराम से पचास करोड रुपये वसूलने के लिए सन् 2008 से ही लगातार षडयंत्र किये। इस सम्बन्ध में उनके मध्य मीटिंग्स भी हुई। भोलानन्द ने जम्मू के आश्रम में कंकाल गाड़ना का दायित्व उठाया एवं पंकज दूबे ने अभियोक्त्री "सु" को अभियुक्त आशाराम पर आरोप लगाये जाने के लिए तैयार किये जाने का दायित्व उठाया। भोलानन्द ने डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त शर्मा को जम्मू के आश्रम में कंकाल गाड़ने व टीवी पर बोलने वाली लडकी तैयार करने का दायित्व दिया। इधर पंकज दूबे ने

(338)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अभियोक्त्री "सु" द्वारा आशाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाये जाने के लिए तैयार किया। इस सम्बन्ध में दिये गये तर्कों का पूर्व में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। अब हम इस सम्बन्ध में विचार करते हैं कि क्या बचाव पक्ष अपनी साक्ष्य से उक्त षडयंत्र के अस्तित्व को संभाव्य (Probable) सिद्ध कर पाया है?

321— सर्वप्रथम हम दिनांक 08-08-2008 को अमृत प्रजापति के घर पर मीटिंग तथा मीटिंग के पश्चात संत श्री आशाराम के आश्रम में धमकी भरा दस्तावेज प्रदर्श-डी-185 के सम्बन्ध में आई साक्ष्य पर विचार करते हैं। डी. डब्ल्यू-19 जिज्ञासा भावसार ने इस आशय के कथन किये हैं कि वर्ष 1994 में उसके पिताजी को शुगर की बीमारी हो गई थी और इस कारण वर्ष 1995 में उन्हें गेगरीन हो गया था और साथ ही साथ उनकी दोनों किडनियों भी गम्भीर रूप से प्रभावित हो गई थी। उसके पिताजी ने अपनी बीमारियों का ईलाज वैद्य अमृत प्रजापति से करवाया था। बीमारी के कारण उसके पिताजी को वर्ष 2001 में नौकरी से निकाल दिया था तथा वैद्य अमृत प्रजापति ने उसे अपनी क्लीनिक क्लीनिक पर काम पर रख लिया था। वह क्लीनिक पर सुबह शाम जाती थी तथा अमृत प्रजापति गवाह को छोटी बहन की तरह मानता था व विश्वास करता था। गवाह ने दिनांक 08-08-2008 को वैद्य अमृत प्रजापति के घर शाम को पांच बजे एक क्लीनिक रखना, जिसमें सतीष वाधवानी, राजू चण्डक, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, देवेन्द्र प्रजापति का आना व धमकी भरा दस्तावेज लिख कर उसे संत श्री आशाराम आश्रम, अहमदाबाद में वैद्य श्री अमृत प्रजापति द्वारा फैक्स करना कहा है। यह उल्लेखनीय है कि गवाह ने आपत्ति के अधीन प्रदर्शडी-185 को साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। उक्त आपत्ति के निस्तारण के दौरान उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना गया है। उक्त दिनांक 08-08-2008 की मीटिंग में परिवादी करमवीर सिंह का आना भी नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 08-08-2008 की तथाकथित क्लीनिक से परिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता है। गवाह ने तत्पश्चात मई, 2013 में भोपाल में सागर एवेन्यू अपार्टमेंट, अयोध्या बाई पास रोड, भोपाल के एक फ्लेट में करमवीर सिंह, भोलानन्द, दीपक चौरसिया, सतीष वाधवानी, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, देवेन्द्र प्रजापति, उषा, सुमन, भावना व अमृत

(339)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रजापति का शामिल होना बताया है। उक्त मीटिंग में सतीष वाधवानी का भोलानन्द को जम्मू कब्रिस्तान से कंकाल निकाल कर जम्मू में आशाराम के आश्रम में गाढने व दुष्कर्म हेतु झूठा आरोप लगा सकने वाली लडकियों की खोज करने के काम दिये तथा पंकज दूबे ने स्वयं व करमवीर सिंह द्वारा मिलकर उसकी बेटी पीड़िता "सु" को बापू आशाराम पर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिए तैयार कर लेना बताया है। दीपक चोरसिया को सतीष वाधवानी ने सारी बाते मीडिया में फैलाने का काम सौंपा। तत्पश्चात गवाह ने इसी बाबत अन्य मीटिंग दिनांक 26-6-2013 को दिल्ली के बदरपुर में रखना बताया। दिनांक 28-7-2013 को वैद्य अमृत प्रजापति के घर पर पंकज दूबे, सतीष वाधवानी, राजू का आना व पंकज दूबे का यह कहना कि उसने करमवीर सिंह की बेटी पीड़िता "सु" को बापू पर झूठा आरोप लगाने के लिए अच्छी तरह समझा दिया गया तथा अगस्त की 15 तारीख को पीड़िता "सु" व उसकी माता इस काम को अंजाम दे देंगे इसके बाद एफआईआर हम करवायेंगे अगर पचास करोड रुपये आशाराम नहीं देंगे तो आगे बढ़ कर बापू व उसके परिवार को जैल भेज देंगे। तत्पश्चात पी. डब्ल्यू-19 जिज्ञासा भावसार का यह कहना है कि दिनांक 21-8-2013 को टीवी पर यह देखा कि शाहजहाँपुर की एक लडकी "सु" ने बापू पर झूठा मुकदमा जोधपुर में कर दिया है तब उसको समझ में आ गया कि ये लोग अपने कार्य में सफल हो गए। दिनांक 29-8-2013 को जोधपुर के महिला पश्चिम पुलिस थाने में वह गई एवं सारी घटना बताई तो उसे जोधपुर के महिला पुलिस थाने में बन्द कर दिया। ढाई दिन की पुलिस अभिरक्षा में उसे खूब प्रताड़ित किया। उसके बाद 22 दिन तक जैल में रही। उस मुकदमे में दिनांक 20-1-2015 को उसे निर्दोष पा कर बरी कर दिया।

322— सर्वप्रथम तो हमें यह विचार करना है कि क्या उक्त गवाह के बयान विश्वास जगाते हैं ? जब दिनांक 08-08-2008 को इस गवाह को अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध हुई साजिश का पता था तो वह उस वक्त क्यों खामोश रही। वह जिरह में स्वीकार करती है कि साजिश के विषय में पहली बार उसने दिनांक 29-8-2013 को बताया। उससे पहले उसने किसी को नहीं बताया था। सर्वप्रथम तो यदि कोई व्यक्ति इतनी गम्भीर साजिश करें, तो उसमें

(340)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ऐसे व्यक्ति, जो साजिश का भाग नहीं है, का मौजूद रहना ही अविश्वसनीय है। इसके अतिरिक्त जिज्ञासा भावसार, जो कि न्यायालय में दिये नाम पते से अविवाहित प्रतीत होती है, का अमृत प्रजापति के साथ अकेले भोपाल व दिल्ली जाना ही व्यावहारिक प्रकट नहीं होता है। यदि जिज्ञासा उक्त साजिश का भाग नहीं थी, तो फिर किस कारण से अमृत प्रजापति उसे साथ ले गया, यह सहज बुद्धि से परे है। मेरे विनम्र मत में इस गवाह के बयान रटे रटाये हैं, जैसा कि इसके द्वारा बयान में प्रयुक्त शब्दों से भी प्रकट होता है। यदि यह गवाह अमृत प्रजापति के इतने करीब थी कि उसके द्वारा किये गये तथाकथित भयानक षडयंत्र के बारे में शान्त रही तो फिर बाद में इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वह जोधपुर आ कर अमृत प्रजापति के खिलाफ कुछ बताने का साहस 29-8-13 को कर पाई। इसके अतिरिक्त इस गवाह ने कथन किया है कि उसने 21-8-2013 को टीवी में न्यूज में देखा कि शाहजहाँपुर की लडकी "सु" ने बापू पर दुष्कर्म का मुकदमा कर दिया, जबकि टीवी पर कभी भी पीड़िता का नाम जाहिर नहीं किया जाता, तो गवाह को कैसे पता चला। मेरे विनम्र मत में इस गवाह के बयान अभियुक्त आशाराम को बचाने के लिए रटे रटाए दिये जा रहे हैं, जिनके पीछे कोई आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त पी. डब्ल्यू-21 करमवीरसिंह को जिरह में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि उसने बडोदा, भोपाल व दिल्ली में अमृत प्रजापति व अन्य के साथ कोई मीटिंग की हो, जिसमें जिज्ञासा भावसार भी शामिल रही हो।

323— पंकज दूबे एवं पीड़िता "सु" के सम्बन्धों के बारे में बचाव पक्ष की ओर से डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोडा, डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू-8 प्रियासिंह, डी. डब्ल्यू-9 कुमारी रीना व डी. डब्ल्यू-11 विद्या खेरनार के मौखिक बयान करवाये गये हैं। उक्त पाँचों गवाहों की साक्ष्य का विवरण पूर्व में दिया जा चुका है। अतः दोहराव से बचने के लिए मात्र उनके साक्ष्यिक मूल्य को ही परखा जा रहा है।

324— यह उल्लेखनीय है कि उक्त पाँचों गवाहों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वे अभियुक्तगण शिल्पी व शरद चन्द को नहीं जानते। डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोडा मुख्य परीक्षण एवं जिरह में स्पष्टतया इनकार करती है कि

(341)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

वर्ष, 2013 में उनके होस्टल की वार्डन हाजिर अदालत अभियुक्त शिल्पी हो तथा हाजिर अदालत अभियुक्त शरद चन्द स्कूल व होस्टल का डायरेक्टर रहे हों। गवाह उन्हें वहाँ कभी नहीं देखना कहती है। डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा भी यही कथन करती है। डी. डब्ल्यू-8 प्रियासिंह अध्यापिका है तथा स्वयं को बालिका छात्रावास की रूम वार्डन बताती है। उक्त दोनों गवाहों ने भी अभियुक्तगण शिल्पी व शरद चन्द को नहीं जानना कहा है। डी. डब्ल्यू-9 कुमारी रीना भी रूम वार्डन है। इसने भी किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचानना कहा है व स्पष्टतया कथन करती है कि यह कहना गलत है कि अगरस्त, 2013 में हाजिर अदालत मुलजिमा शिल्पी उर्फ संचिता उनकी होस्टल की वार्डन हो। वह अभियुक्त शरदचन्द को भी होस्टल का डायरेक्टर होने से इनकार करती है। डी. डब्ल्यू-11 विद्या का भी यही कथन है।

325— इसके विपरीत पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, जो यह सिद्ध करती है कि अभियुक्ता शिल्पी दिनांक 01-04-2013 से बालिका छात्रावास की अधीक्षिका/संचालिका नियुक्त थी, जिसे डायरेक्टर अभियुक्त शरद चन्द ने नियुक्त किया था। पी. डब्ल्यू-37 श्रीराम कश्यप ने, जो कि आश्रम का संचालक है, ने संत श्री आशाराम गुरुकुल छिन्दवाडा की प्रबन्ध संचालक शरद चन्द द्वारा बालिका छात्रावास की नियुक्ति का पत्र प्रदर्शनी-67 पेश करना कहा है। गवाह ने आम मुख्यारनामा संत श्री आशाराम की तरफ से शरद चन्द के पक्ष में निष्पादित किया हुआ प्रदर्शनी-52 देना कहा है। बचाव पक्ष की ओर से इस गवाह को यह सुझाव दिया गया कि संचिता गुप्ता ने छात्रावास अधीक्षिका के पद पर जुलाई, 2013 में छात्रावास खुलने पर कार्य शुरू किया था अर्थात् बचाव पक्ष स्वयं शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता का बालिका छात्रावास के वार्डन के पद पर तथा शरद चन्द का गुरुकुल के डायरेक्टर के पद पर कार्य करना स्वीकार करता है। यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह व पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह को शिल्पी के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं। पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह को यह सुझाव दिया गया है कि शिल्पी ने उन्हें उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए मना किया हो इस सुझाव को गवाह ने गलत बताया है। पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह

(342)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

को बचाव पक्ष द्वारा यहाँ तक सुझाव दिये गये हैं कि उसकी बेटी ने जब प्रदर्श-डी-3 लिखा तब हॉस्टल संचालिका शिल्पी ने इस बाबत उससे फोन पर बात की हो तथा उसने फोन पर बदतमिजी से जबाब दिया हो। यह भी सुझाव दिया गया है कि उनके द्वारा छुट्टी माँगने पर शिल्पी ने कहा हो कि उसे छुट्टी मत दिलाईये, क्योंकि यह पढाई में कमजोर हो गई है। यह सुझाव भी दिया गया है कि आपकी बेटी और नियम तोड रही है। बचाव पक्ष के उक्त सुझावों से यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में बचाव पक्ष की यह कहानी नहीं थी कि शरद चन्द व शिल्पी क्रमशः गुरुकुल के डायरेक्टर एवं बालिका हॉस्टल की संचालिका के पद पर कार्यरत न हों, किन्तु तत्पश्चात् बचाव पक्ष की साक्ष्य में परीक्षित डी. डब्ल्यू-1 चारुल अरोडा, डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू-8 प्रियासिंह, डी. डब्ल्यू-9 कुमारी रीना व डी. डब्ल्यू-11 विद्या खेरनार ने आ कर इस तथ्य से ही इनकार कर दिया कि उनके विद्यालय का डायरेक्टर शरद चन्द हो और बालिका छात्रावास की संचालिका अभियुक्ता शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता हो। इसी से प्रकट हो जाता है कि उक्त पांचों गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर अभियुक्तगण को बचाने के लिए शपथ पर कोई भी कथन कर सकते हैं।

326- उक्त पांचों गवाहों ने पंकज दूबे एवं पीड़िता "सु" के घनिष्ठ सम्बन्धों के बारे में बयान दिये हैं। कहानी यह बताई गई है कि पंकज दूबे ने पीड़िता "सु" को मोबाईल फोन दिया व दो हजार रुपये दिये, जिसमें से 1600/- रुपये पीड़िता "सु" की अलमारी से बरामद हुए तथा उसने इस बाबत प्रदर्श-डी-3 लिख कर दिया। पीड़िता ने इस बाबत जिरह में स्वीकार किया कि प्रदर्श-डी-3 उसकी हैण्डराईटिंग में है तथा उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका यह कथन है कि वार्डन शिल्पी दीदी ने सभी लडकियों से ऐसे पत्र लिखवाए थे। हमने प्रदर्श-डी-3 का अवलोकन किया। इसमें यह अंकित है कि वह अपनी निजी प्रयोग हेतु 1600/- रुपये की राशि लाई थी, जो कि गुरुकुल के नियमों के विरुद्ध है। प्रदर्श-डी-3 में यह कहीं अंकित नहीं है कि पीड़िता "सु" की अलमारी की तलाशी ली गई हो तथा उसमें से 1600/- रुपये मिले हों एवं उसने स्वीकार किया हो कि उक्त रुपये उसे पंकज दूबे

(343)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

द्वारा दिये गये हों। अतः पंकज दूबे द्वारा 2000/- रुपये देने और उसमें से 400/- रुपये पीड़िता "सु" द्वारा खर्च कर देने तथा शेष 1600/- रुपये उसकी अलमारी से प्राप्त होने की कहानी स्पष्टतया बचाव पक्ष द्वारा बाद में गढ़ी हुई प्रकट होती है, क्योंकि पीड़िता "सु" को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उसे पंकज दूबे ने उक्त दो हजार रुपये दिये हों, जिनमें से उसने 400/- रुपये खर्च कर दिये हों तथा शेष राशि उसने अपनी अलमारी में रख दिये हों और जो शेष 1600/- रुपये विद्या द्वारा की गई उसकी अलमारी की चैकिंग में प्राप्त हुए हो।

327- उक्त पांचों गवाहों द्वारा एक कहानी यह बताई गई है कि मेघा शर्मा ने एक्स्ट्रा क्लास के दौरान पंकज दूबे व पीड़िता "सु" को आपत्तिजनक अवस्था में षडयंत्र के बारे में बात करते देखा व सुना तो उसने आ कर इस बारे में हॉस्टल वार्डन नेहा तोतलानी व प्रिया सिसोदिया को बताया। इस तथ्य की पुष्टि डी. डब्ल्यू.-1 चारूल अरोडा, डी. डब्ल्यू.-9 कुमारी रीना व डी. डब्ल्यू.-11 विद्या खेरनार ने की है। उक्त चारों गवाहों के कथनों से प्रकट होता है कि नेहा का यह कहना था कि वह सब सम्भाल लेगी, किन्तु यह आश्चर्यजनक है कि पी. डब्ल्यू.-36 नेहा तोतलानी से की गई विस्तृत जिरह में बचाव पक्ष के द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि मेघा शर्मा ने आ कर उसे पंकज दूबे व पीड़िता "सु" के षडयंत्र के बारे में बात करने का बताया हो। स्वयं पीड़िता "सु" पी. डब्ल्यू.-5 को भी ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि वह तथा पंकज दूबे एक्स्ट्रा क्लास के बाद इस तरह की बातें कर रहे हों। लिहाजा इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा उक्त सभी कहानी बाद में गढ़ी गई प्रतीत होती है।

328- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि डी. डब्ल्यू.-1 चारूल अरोडा दिनांक 21-8-2013 को अपनी पीड़िता "सु" से स्वयं की बात होना बताती है तथा उसके द्वारा यह कहना कहती है कि वह बापू आशाराम की कुटिया में नहीं गई तथा उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया उसने अपने मम्मी-पापा व अन्य के साथ मिलकर पचास करोड रुपये के लिए व बापू आशाराम के चरित्र हनन के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जबकि उक्त आशय का

(344)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कोई सुझाव बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता "सु" पी. डब्ल्यू-5 को नहीं दिया गया कि दिनांक 21-8-2013 को उसकी टेलीफोन पर चारूल अरोडा से बात हुई हो, जबकि चारूल अरोडा के उसकी स्कूल में पढने व उसके रूम में रहने के सुझाव दिये गये है। अतः यह ऐसा तथ्य नहीं था जो यदि सच होता तो बचाव पक्ष के ध्यान में पहले नहीं होता।

329- यहाँ हम भव्या के सम्बन्ध में कहे गये कथनों के आधार पर भी उक्त गवाहों के कथनों को परखते है। इस सम्बन्ध में उक्त पॉचों गवाहों ने एक स्वर में कहा है कि भव्या पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी। उसकी टी.सी. जमा नहीं होने के कारण उसके पिता उसे ले गए थे। पी. डब्ल्यू-41 मुक्ता पारीक ने जिरह में स्वीकार किया है कि आर्टिकल-16 में पेज नंबर 17 पर दूसरे नम्बर के कॉलम में भव्या शुक्ला का मूल टी.सी. जमा नहीं होने के कारण नाम खारिज करना अंकित है।

330- प्रदर्श-पी-79 भव्या का संत श्री आशाराम गुरुकुल का प्रवेश पत्र है। उक्त प्रवेश पत्र के अवलोकन से यह कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है कि भव्या का एडमिशन प्रोविजनल आधार पर हुआ हो तथा उसने टी.सी. जमा नहीं करवाई हो। उक्त प्रवेश पत्र में पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, जिसके अनुसार उसे ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश दिया गया है। प्रदर्श-पी-86 भव्या शुक्ला का प्रधानाचार्य के नाम प्रार्थना पत्र है, जिसके मुताबिक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उसके पिताजी उसे घर ले जाना चाहते है। अतः उसे दिनांक 07-08-2013 से 18-08-2013 तक का अवकाश देने का कष्ट करें। उक्त प्रवेश फार्म व पत्र उपरोक्त पॉचों बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों की आधारशिला को ही नष्ट कर देता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श-डी-99 दस्तावेज शपथ पत्र शैलेश कुमार व न्यायालय के नाम पत्र साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। उक्त दस्तावेज में माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय को शैलेश कुमार के द्वारा लिखे पत्र की प्रति भी सम्मिलित है, जिसके मुताबिक शैलेश कुमार स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपनी पुत्री को ले कर आया था। जब पुत्री ठीक हुई तब पुनः दिनांक 25-8-2013 को छिन्दवाडा पहुंचा जहाँ गुरुकुल के बाहर काफी

(345)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लोग इकट्ठे थे, इसलिए पुनः पुत्री को ले कर मेरठ आ गया। उपरोक्त साक्ष्य से यही प्रकट होता है कि बचाव पक्ष द्वारा अपनी पूर्व के स्टेटमेंट्स से हट कर डी. डब्ल्यू.-1 चारूल अरोडा, डी. डब्ल्यू.-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू.-8 प्रियासिंह, डी. डब्ल्यू.-9 कुमारी रीना व डी. डब्ल्यू.-11 विद्या खेरनार के माध्यम से नवीन कहानी बनाने का प्रयास किया है। जहाँ तक पी. डब्ल्यू.-41 मुक्ता पारीक द्वारा जिरह में आर्टिकल-16 प्रदर्श-पी-78 के पृष्ठ 17 पर भव्या शुक्ला की टी.सी. की मूल प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण नाम खारिज करने की इबारत लिखी होने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि आर्टिकल-16 के पृष्ठ संख्या-16 पर 15 नम्बर प्रविष्टि में भव्या शुक्ला का नाम अंकित है। अन्तिम उपस्थिति दिनांक 06-08-2013 की है तत्पश्चात पूरे माह अनुपस्थिति है। आगामी माह में पृष्ठ संख्या-17 पर भी 23 तारीख तक अनुपस्थिति दर्शाई गई है, तत्पश्चात दिनांक 23-9-2013 को नोट लगाया गया है कि टी.सी. की मूल प्रति प्राप्त न होने के कारण नाम खारिज। यह नोट हस्तगत प्रकरण दर्ज होने के एक माह से भी अधिक पश्चात का है। यदि मूल टी.सी. के अभाव में नाम काटा जाता तो वह अगस्त माह की 7 तारीख के पश्चात ही कट जाता जैसा बचाव साक्षीगण उपरोक्त का कथन है। किन्तु यह सम्भावित है कि दिनांक 23-9-2013 को भव्या शुक्ला के सम्बन्ध में लगाया गया नोट अभियुक्तगण को बचाने के लिए सोच समझ कर बाद में लगाया गया हो।

331- बचाव पक्ष के एक अन्य साक्षी राममेहर डी. डब्ल्यू.-15 ने भी करमवीर सिंह को अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर षडयंत्र कर बापू आशाराम को फंसा कर पचास करोड रूपये वसूलने का षडयंत्र करते हुए एक होटल में सुनना कहा है। यदि उक्त गवाह द्वारा ऐसी कोई बात सुनी गई तो उसने इस बाबत आगे कार्यवाही क्यों नहीं की, जिसका पर्याप्त स्पष्टीकरण वह नहीं दे पाया है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा पी. डब्ल्यू.-21 करमवीर सिंह, पी. डब्ल्यू.-19 राहुल सचान व पी. डब्ल्यू.-23 महेन्द्र सिंह (चावला) को किसी होटल में साथ बैठ कर इस प्रकार की योजना बनाते व राम मेहर द्वारा उन्हीं की बगल में बैठकर सुनने का सुझाव नहीं दिया। जबकि राम मेहर का यह कथन है कि उसने करमवीर सिंह वगैरा से बात की उन्होंने उसे खाना खाने के लिए कहा,

(346)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लेकिन उसने मना कर दिया कि वह नॉनवेज नहीं खाता है और बगल की टेबल पर वेज खाना मंगा कर खाना खाने बैठ गया।

332— उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि परिवादी कर्मवीर सिंह, पंकज दूबे, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, देवेन्द्र प्रजापति, अमृत प्रजापति आदि द्वारा षडयंत्र कर अभियुक्त आसाराम से पचास करोड रुपये वसूलने के षडयंत्र के सम्बन्ध में उपरोक्त जो भी मौखिक साक्ष्य आई है वह लेशमात्र भी विश्वास नहीं जगाती है वरन बाद में सोची हुई होना प्रकट होती है।

333— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा डी. डब्ल्यू. 21 बृजेन्द्र शर्मा पत्रकार एवं डी. डब्ल्यू. 24 सुरेश कुमार अधिवक्ता की साक्ष्य पर भी दौराने बहस अत्यधिक जोर डाला गया है। उनका तर्क रहा है कि उक्त दोनों गवाहों के बयानों से साबित है कि परिवादी कर्मवीरसिंह द्वारा सर्वप्रथम जयपुर में अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया गया। इसमें सफलता नहीं मिलने पर दिल्ली में प्रकरण दर्ज करवाया गया। मेरे विनम्र मत में उक्त दोनों गवाहों के बयान कतई विश्वसनीय नहीं हैं। सर्वप्रथम तो परिवादी को अभियुक्त आसाराम के विरुद्ध षडयंत्र करने वाले एक बड़े नेटवर्क से सम्बन्धित बताया गया है। ऐसी स्थिति में उसे एक अन्जान अधिवक्ता के पास आकर जयपुर में मुकदमा दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने सूत्रों से जहां चाहता वहीं मुकदमा दर्ज करवा सकता था। जयपुर में मुकदमा दर्ज न होने पर उसके पास अवसर था कि दिनांक 17-8-2013 को दिल्ली जाकर वह मुकदमा दर्ज करवाता लेकिन ऐसा न करना, यह बताता है कि उक्त दोनों गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त दोनों गवाहों ने कर्मवीर द्वारा उन्हें घटना के बारे में बताने व मुकदमा दर्ज करवाने के लिये कहने के बावजूद किसी सक्षम अधिकारी को सूचित नहीं किया। यह उनके कथनों को अविश्वसनीय बनाता है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 5 "सु", पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह व पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह को जिरह में यह सुझाव नहीं दिया है कि वे जयपुर में बृजेन्द्र शर्मा पत्रकार के माध्यम से अधिवक्ता सुरेश के पास मुकदमा दर्ज करवाने गये थे और वहां उन्हें सफलता नहीं मिली इसलिये उन्होंने नई दिल्ली जाकर मुकदमा दर्ज करवाया।

(347)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

334- बचाव पक्ष की साक्ष्य का अगला सेट जम्मू में षडयंत्र के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में डी. डब्ल्यू.-22 विक्रान्त शर्मा, डी. डब्ल्यू.-23 पूजा, डी. डब्ल्यू.-27 अंग्रेजसिंह, डी. डब्ल्यू.-29 सुरेश शर्मा व डी. डब्ल्यू.-31 दीपक गण्डोतरा ने मौखिक बयान दिये हैं एवं दस्तावेजों को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये हैं। उपरोक्त पांचों गवाहों की साक्ष्य का उल्लेख हमारे द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। उपरोक्त पांचों गवाहों के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के तर्कों को भी पूर्व में उद्धृत किये जा चुका है। पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह तो सिद्ध होता है कि डी. डब्ल्यू.-22 विक्रान्त शर्मा ने एक परिवाद पत्र प्रदर्श-डी-203 दिनांक 15-10-2013 को भोलानन्द उर्फ विनोद गुप्ता उर्फ बृज मोहन गुप्ता के विरुद्ध विद्वान डियुटी मजिस्ट्रेट, जम्मू के न्यायालय में पेश किया। उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना, नवाबाद में तफ्तीश हेतु भवाया गया जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-डी-114 दर्ज हुई। परिवादी ने पुलिस को स्वयं व भोलानन्द के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की स्क्रिप्ट व सीडी बना कर दी। स्क्रिप्ट की प्रति प्रदर्श-डी-204 है। गवाह ने पंकज दूबे को वर्ष 2009 से जानना कहा है। करमवीरसिंह की भोलानन्द से दोस्ती के बारे में कहता है। भोलानन्द के पास पंकज दूबे, राहुल सचान, महेन्द्र चावला, देवेन्द्र प्रजापति, पूजादेवी आदि का आना बताता है। गवाह ने पंकज के वाट्सअप नंबर 8657157050 अगस्त में चालू होना बताया है। वह पंकज दूबे द्वारा पीड़िता "सु" के फोन नंबर 7398489855 भी देना कहता है। गवाह ने मौखिक साक्ष्य में बहुत सारी बातें कही हैं। वह करमवीर सिंह, भोलानन्द, पंकज दूबे, अमृत प्रजापति आदि के साथ दिनांक 29-12-12 को पटनीटोप जाना बताता है एवं पटनीटोप में उनके द्वारा आसाराम की जम्मू की समिति से पैसा हड़पने की योजना बनाना कहता है। मेरे विनम्र मत में साक्षी के कथनों पर तभी विश्वास किया जा सकता है जब दस्तावेजी साक्ष्य से उसके कथनों की पुष्टि होती हो। इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श-डी-203 परिवाद पत्र व स्क्रिप्ट प्रदर्श-डी-204 है। हमें यह देखना है कि उक्त दोनों दस्तावेजों में परिवादी करमवीर सिंह के विरुद्ध कोई कथन है अथवा नहीं। प्रदर्श-डी-203 जो कि हस्तगत प्रकरण की घटना के करीब दो माह

(348)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पश्चात पेश किया है, के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त आशाराम के गिरफ्तार होने के पश्चात भोलानन्द उर्फ विनोद गुप्ता सितम्बर, 2013 में परिवादी से टेलीफोन पर सम्पर्क करने लगा तथा अभियुक्त आशाराम को फंसाने के लिए साक्ष्य हेतु उसकी हैल्प मांगने लगा। भोलानन्द ने उक्त प्रकरण के परिवादी डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त शर्मा से प्रजापति के टेलीफोन नंबर माँगे एवं लडकियों का व कंकाल का इंतजाम करने के लिए कहा। परिवादी ने स्वयं व भोलानन्द के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड किया एवं अन्ततः न्यायालय में उक्त परिवाद प्रदर्श-डी-203 पेश किया।

335- सर्वप्रथम तो उक्त परिवाद प्रदर्श-डी-203 हस्तगत प्रकरण की घटना के दो माह पश्चात एवं अभियुक्त आशाराम की गिरफ्तारी के लगभग डेढ माह पश्चात पेश किया गया है। उक्त परिवाद में अभियुक्त भोलानन्द के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम अभियुक्त आशाराम को फंसाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं है। यदि डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त शर्मा के बयान सच्चे होते तो निश्चित रूप से परिवाद प्रदर्श-डी-203 में उनका विवरण भी आता। क्योंकि यह सम्भव नहीं था कि जहाँ परिवादी भोलानन्द द्वारा आशाराम को फंसाने के लिए उसे फोन कर लडकियों व कंकाल एकत्रित करने का कह रहा है एवं परिवादी ने उक्त बात अपने परिवाद पत्र में लिखी है तो वह पूर्व में हुई उक्त बात कि भोलानन्द, महेन्द्र चावला, करमवीर सिंह, पंकज दूबे, अमृत प्रजापति आदि के साथ पटनीटोप जाना एवं अभियुक्त आशाराम को फंसाने के लिए कंकाल व लडकियों एकत्रित करने के लिए उसे पंकज दूबे का कहना आदि प्रकट नहीं करता।

336- हमने इस सम्बन्ध में प्रदर्श-डी-204 का सम्पूर्ण अध्ययन किया। उक्त सम्पूर्ण स्क्रिप्ट में न तो पंकज दूबे का कोई जिक्र है, न ही करमवीर सिंह का। इस स्क्रिप्ट को पढने से प्रथमदृष्टया यही प्रकट होता है कि अभियुक्त आशाराम के गिरफ्तार होने के पश्चात डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त व भोलानन्द ने आपस में योजनाएं बनाई कि किस तरह से आशाराम की समिति से पैसे वसूल किये जाए। यहाँ तक कि कब्रिस्तान से कंकाल निकालने का आईडिया भी डी. डब्ल्यू-22 द्वारा दिया हुआ है। उक्त समस्त स्क्रिप्ट को पढने से इस गवाह का

(349)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

चरित्र स्पष्टतया प्रकट होता है कि यह कितना विश्वास काबिल है। सम्पूर्ण स्क्रिप्ट को पढ़ने से यह नहीं लगता है कि यह गवाह पंकज दूबे व करमवीर सिंह को जानता भी है। न्यायालय में आ कर जो कथन किये हैं उनके पीछे उसकी पश्चातवर्ती सोच प्रकट होती है। अन्यथा प्रदर्श-डी-203 परिवाद पत्र प्रदर्श-डी-204 स्क्रिप्ट में उन सभी घटनाओं का वर्णन आता, जो उसने अपने बयानों में बताया है। वह मोबाईल नंबर 8657157050 पंकज दूबे के नम्बर बताता है तथा 9303848555 नंबर भी पंकज दूबे के बताता है। उसने पीड़िता "सु" के मोबाईल नंबर 7398489885 बताया है। पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह ने स्वीकार किया है कि ये नंबर उसके हैं, लेकिन इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की है कि पंकज दूबे के उपरोक्त फोन नंबर हो। गवाह विक्रान्त शर्मा डी. डब्ल्यू-22 ने प्रदर्श-डी-107 लगायत प्रदर्श-डी-110 पर पंकज व पीड़िता "सु" के नंबर दर्शाए हैं। हमने उक्त कॉल डिटेल का अध्ययन किया। डी. डब्ल्यू-31 दीपक गण्डोतरा ने सीडीआर प्रदर्श-डी-221, प्रदर्श-डी-224 को साक्ष्य में प्रदर्शित व साबित किया है व जिन्हें प्रदर्श-डी-223 के साथ जम्मू भेजना कहता है। गवाह ने प्रदर्श-डी-225 मोबाईल नंबर 930384855 के CAF की प्रति होना बताया, जो पंकज दूबे के नाम से है। धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श-डी-222 इस सम्बन्ध में देना कहता है। बचाव पक्ष का मामला यह है कि पंकज के मोबाईल फोन 8657157050 से 15 अगस्त की रात्रि में हस्तगत प्रकरण की तथाकथित घटना के बाद पीड़िता "सु" की माता के फोन नंबर से पीड़िता "सु" व पंकज दूबे के मध्य पॉच एसएमएस का आदान प्रदान हुआ, जो पीड़िता "सु" ने अपने माता के मोबाईल फोन से पंकज दूबे, जिसके साथ वह षडयंत्र में शामिल थी, को यह बताने के लिए कि उनकी योजना सफल हो गई है, किये गये। डी. डब्ल्यू-22 विक्रान्त शर्मा दिनांक 16-8-2013 को सुबह अपने वाट्सअप पर पंकज दूबे के मेसेज आना कहता है, जिनमें लिखा था कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था उसका क्या हुआ। पीड़िता "सु" का जबाब आया कि योजना सफल उसके आगे लिखा कि वैलडन मिलते हैं। जब गवाह ने पंकज दूबे को यह मेसेज किया कि तूने ये क्या मेसेज भेजा, तो पंकज दूबे ने कहा कि हमने अपना काम कर दिया अगला काम जम्मू

(350)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

में तुम्हें करना है। मेरे विनम्र मत में उक्त कथन नितान्त अविश्वसनीय है कि कोई व्यक्ति इतने बड़े षडयंत्र की गोपनीय बात परिवादी को मेसेज दे कर बताएगा। परिवाद पत्र प्रदर्श-डी-203 के मुताबिक विक्रान्त शर्मा के पास सितम्बर, 2013 के मध्य से भोलानन्द के मेसेज आने लगे थे और उसके पश्चात भी दोनों के मध्य लडकियों तैयार करने व कंकाल गाडने की बातें हुई। ऐसी स्थिति में पंकज दूबे द्वारा विक्रान्त शर्मा को उक्त आशय के मेसेज फोरवर्ड करना कतई विश्वास योग्य नहीं है। इस गवाह का चरित्र भोलानन्द से हुई उसकी वार्तालाप के रिकॉर्डिंग ट्रान्सक्रिप्शन प्रदर्श-डी-204 के अवलोकन से होता है। जहाँ उसके द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो इस निर्णय में लिखने के काबिल नहीं है। इसके अतिरिक्त इस गवाह द्वारा पंकज दूबे के बारे में किये गये कथनों को मान भी लिया जाए तो भी न तो यह गवाह कभी पीड़िता "सु" से मिला है, न ही इसने उससे कभी बात की है। ऐसी स्थिति में इसके द्वारा अभियोक्त्री "सु" के सम्बन्ध में किये गये कथन अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं।

337— यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डी. डब्ल्यू-31 दीपक गण्डोतरा ने प्रदर्श-डी-225 मोबाईल नंबर 9303848555 के CAF की प्रति साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित की है, जो पंकज दूबे के नाम से है। गवाह ने 8657157050 मोबाईल नंबर के CAF की प्रति साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं की है। जिस नंबर पर रात्रि में पीड़िता "सु" द्वारा एसएमएस प्रेषित किया जाना बताया जा रहा है निश्चित रूप से प्रदर्श-डी-110/9 से दिनांक 15-08-2013 को रात्रि से 16-8-13 की रात्रि के मध्य समय 23:44:29 से 04:42 वक्त तक 8657157050 से 7398489885 मोबाईल नंबर जो कि पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह ने अपना होना स्वीकार किया पर छह एसएमएस मेसेज भेजे गए हैं तथा एक एसएमएस मेसेज 7398489885 से 8657157050 को भेजा गया है। उक्त 8657157050 फोन नंबर पंकज दूबे का बताया गया है। यह उल्लेखनीय है कि डी. डब्ल्यू-31 दीपक गण्डोतरा ने प्रदर्श-डी-223 पुलिस अधीक्षक उत्तर जम्मू को फोरवर्डिंग लेटर को भेजना कहा है। उक्त फोरवर्डिंग लेटर में 8657157050 का CAF भेजने का भी हवाला है, जिसे पंकज दूबे का बताया जा रहा है, किन्तु

(351)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उक्त दस्तावेज पत्रावली पर होने के बावजूद साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया एवं अभियोजन पक्ष द्वारा भी उक्त दस्तावेज डी. डब्ल्यू-31 दीपक गण्डोतरा को दिखा कर जिरह नहीं की गई, किन्तु जम्मू से आई आरोप पत्र की पत्रावली में मौजूद होने के कारण हमें उसका अवलोकन करने का मौका मिला है। मोबाईल नंबर 8657157050 किसी अनिल रामदास मेसराम निवासी नागपुर को ऐलोट किया गया है, न कि पंकज दूबे को। हालाँकि हम उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में नहीं पढ सकते, किन्तु बचाव पक्ष की साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि उक्त मोबाईल नंबर 8657157050 पंकज दूबे का रहा हो। डी. डब्ल्यू-27 अंग्रेजसिंह ने विक्रान्त शर्मा द्वारा दर्ज करवाये प्रकरण संख्या 168/2013 का आंशिक अनुसंधान किया गया है। यह गवाह अभियुक्त पंकज दूबे को गिरफ्तार करना, उसके फिंगर प्रिंट लेना, गवाहों के बयान लेना आदि कथन करता है। इस गवाह के बयानों के सम्बन्ध में इतना ही कह सकते हैं कि इसने मात्र विनोद गुप्ता व पंकज गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रदर्श-डी-212 पेश करना कहा है। करमवीर सिंह के विरुद्ध कोई आरोप पत्र पेश हुआ हो, ऐसा इसका कथन नहीं है। इस गवाह का यह भी कथन है कि पंकज दूबे के मोबाईल की कॉल डिटेल् प्राप्त करने पर पाया गया कि पंकज दूबे अक्सर लडकियों से बातें करता है। वह छिन्दवाडा आश्रम स्कूल में अध्यापक रहा है, जिसका पीड़िता "सु" नामक लडकी से अफेयर है। मेरे विनम्र मत में कॉल डिटेल् देखकर यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि मोबाईल फोन लडकियों के है या लडकों के। अतः यह स्पष्ट है कि यह गवाह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। जिरह में स्वीकार करता है कि उसने पीड़िता "सु" या अन्य लडकियों, जिनसे पंकज दूबे से बात होती थी, उनके बयान नहीं लिए। गवाह ने इस प्रकरण की गवाह पी. डब्ल्यू-33 नेहा तोतलानी के बयान लेखबद्ध करना कहा है, किन्तु उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह संत श्री आशाराम आश्रम छिन्दवाडा की कर्मचारी हो। यह गवाह मार्च, 2015 में अर्थात् हस्तगत प्रकरण दर्ज होने के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात प्रकरण की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त होना कहता है। जिरह में उसका कथन है कि उसने विक्रान्त शर्मा के तितम्बा बयान इसलिए लिए थे कि पूर्व बयानों में आरोपित व्यक्तियों के पूर्ण नाम पत्ते

(352)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

नहीं थे, जबकि यह स्पष्ट है कि परिवाद पत्र प्रदर्श-डी-203 में भोलानन्द के अतिरिक्त किसी अन्य का नाम नहीं है, न ही विक्रान्त के पूर्व बयानों से किसी अन्य व्यक्ति के नाम प्रकट होते हैं। लिहाजा इस गवाह के बयान स्पष्टतया विश्वसनीय नहीं है।

338— डी. डब्ल्यू-29 सुरेश शर्मा दिनांक 23-12-2015 को एडिशनल सेशन जज जम्मू के आदेश से एफआईआर नंबर 168/2013 पुलिस थाना नवाबाद में फर्दर अनुसंधान टीम का सदस्य रहा है, जिसने स्वयं का एसआई अंग्रेजसिंह व अन्य के साथ मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अहमदाबाद, इन्दोर जाना कहा है। गवाह पहली चार्जशीट व कॉल डिटेल एवं अपनी टीम की मीटिंग में आये तथ्यों के अनुसार कहता है कि पीड़िता "सु" व पंकज दूबे के मध्य बातचीत होती थी व मेसेज होते थे। गवाह यह भी निष्कर्ष निकालता है कि मुकदमा चल रहा था किसी साजिश के तहत आशाराम के जम्मू वाले आश्रम में नर कंकाल व झूठी लडकियों, जो संत श्री आशाराम पर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए और पैसे भी वसूले जाए। मेरे विनम्र मत में न तो परिवादी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश हुआ है, न ही यह प्रकट होता है कि घटना के पश्चात पीड़िता "सु" के पास पंकज दूबे के एसएमएस आये हों अथवा पीड़िता "सु" ने पंकज दूबे को एसएमएस किये हों, ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष षडयंत्र की सम्भावना सिद्ध नहीं कर पाया है।

339— डी. डब्ल्यू-10 मनीषा ने रात्रि में अपने घर के ऊपर कमरे में पीड़िता "सु" के साथ स्वयं का सोना कहा है एवं पीड़िता द्वारा एसएमएस करना कहा है, लेकिन जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है कि इस गवाह के कथनों का खण्डन उसके ससुर पी. डब्ल्यू-6 रणजीत व जेठ पी. डब्ल्यू-22 रामकिशोर के कथनों से हो चुका है कि ऊपर के कमरे में करमवीर सिंह, उसकी पत्नी व बेटी को ठहराया था। अतः यह गवाह इस विषय पर सही बयान नहीं दे रही है कि उसके सामने पीड़िता "सु" रात में एसएमएस कर रही थी एवं उसके पास एसएमएस आ रहे थे। यह सही है कि प्रदर्श-डी-110 से यह सिद्ध होता है कि पीड़िता की माता सुनीता सिंह के फोन पर रात्रि में पौने बारह बजे से एसएमएस का आदान प्रदान हुआ था, किन्तु उक्त एसएमएस

(353)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पंकज दूबे द्वारा दिये गये हों, ऐसी लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं है। ऐसी भी साक्ष्य नहीं है कि उक्त एसएमएस के माध्यम से षडयंत्र के पूर्ण हो जाने की सूचना दी गई हो। यदि बिना कुटिया में गए ही बिना किसी आधार के अभियोग लगाना था तो इसके लिए दिनांक 14-08-2013 अधिक उपयुक्त होती, क्योंकि उस रात बड़ा सत्संग भी नहीं था, न ही बाहर से लोगों का आना साक्ष्य में आया है।

340— अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार बचाव पक्ष के यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि पंकज दूबे, करमवीरसिंह, पीड़िता “सु”, भोलानन्द व अन्य लोगों द्वारा षडयंत्र कर पचास करोड रुपये एंठने के लिए आशाराम को झूठे मुकदमे में फंसाया गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अभियुक्त आसाराम को पूर्व रचित षडयंत्र के तहत फंसाया गया होता तो परिवादी को जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली एवं वहां से शाहजहांपुर जाकर के पुनः दिल्ली आकर दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं थी वरन् वह दिनांक 16-8-2013 को मणाई आश्रम से निकलते ही जोधपुर में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता था। रिपोर्ट का दिल्ली में दर्ज करवाना एवं रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी स्वतः दर्शाते हैं कि परिवादी का अभियुक्त आसाराम को मुकदमा में फंसाने का पूर्व नियोजित षडयंत्र नहीं था, वरन् परिवादी पक्ष द्वारा मानवीय स्वभाव के अनुक्रम में परिस्थितियों के अनुसार रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

341— बहस के दौरान विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने यह तर्क भी दिया है कि अनुसन्धान अधिकारी द्वारा छिन्दवाड़ा में पीड़िता की स्कूल के गवाहों के बयान एवं मेरठ में भव्या शुक्ला के पड़ौसीगण के बयान साक्ष्य में पेश नहीं किये हैं। अतः उन्होंने महत्वपूर्ण साक्ष्य को जानबूझ कर छुपाया है, जिसका लाभ बचाव पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है।

342— मेरे विनम्र मत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने “रोहितास कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (2014) 4 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 238” के सम्माननीय विनिश्चय में यह अवधारित किया है कि अभियोजन पक्ष समस्त गवाहों के बयान करवाने के लिये बाध्य नहीं है। वह गवाहों को गणनात्मक स्थिति से बढ़ने से

(354)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बचने के लिये छोड़ सकता है।

343— दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने तर्क दिया है कि पीड़िता पी. डब्ल्यू.-5 "सु", उसकी माता पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह व पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह के बयानों में गम्भीर विरोधाभास हैं। पी. डब्ल्यू.-5 "सु" ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4, एन.जी.ओ. रिपोर्ट प्रदर्श-डी-4, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श-पी-7 तथा पुलिस बयान प्रदर्श-डी-2 से बिल्कुल अलग हट कर बयान दिये हैं, अपने कथनों को बार बार पलटा है। उसके बयानों में तात्त्विक तथ्यों के लोप है जो विरोधाभास की श्रेणी में आते हैं तथा उसके बयानों में अत्यधिक मात्रा में विरोधाभास आये हैं। पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह ने भी अपने पुलिस बयान प्रदर्श-डी-17 में काफी सुधार करते हुए न्यायालय के समक्ष बयान दिये हैं। प्रदर्श-पी-21 कर्मवीरसिंह ने भी अपने पुलिस बयान प्रदर्श-डी-82 में सुधार करते हुए न्यायालय के समक्ष बयान दिये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त गवाहों ने महत्वपूर्ण सवालों से मुकरने का प्रयास किया है। स्वयं के दस्तावेज होते हुए भी उनके बारे में अनभिज्ञता जताई है। उक्त गवाहों के बयानों में परस्पर विरोधाभास भी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहों के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मेडिकल साक्ष्य से भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किये हैं :-

(1)- मौसम सिंह राय विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य

2003 ए. आई. आर किमिनल 698

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस सम्माननीय विनिश्चय में यह अवधारित किया है कि मॉरल कन्विक्शन या संदेह अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता। यह तथ्य कि घिनौने अपराधों के अदण्डित रह जाने का तथ्य आम समाज व विशेष रूप से पीड़ित के परिवारों में दुख व कुंठा का कारण बनेगा, न्यायालय को अभियुक्त को मॉरल कन्विक्शन या संदेह का आधार पर दण्डित करने की अनुज्ञा नहीं देता।

(355)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

- (2)- कृष्ण कुमार मलिक विरुद्ध हरियाणा राज्य
2011 (7) ए.एस.सी.सी. 130
उक्त सम्माननीय विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने अभियोक्त्री के बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी पुलिस बयानों से पहले करवाने का अर्थ यह माना कि स्वयं अभियोजन को अभियोक्त्री की सत्यता पर संदेह था।
- (3)- राजा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य
2016-10, एएससीसी पेज 506
उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियोक्त्री के बयानों में विसंगतियों के कारण उसे अविश्वसनीय माना। अभियोक्त्री अपहरण के समय मदद के लिए नहीं चिल्लाई उसका यह आक्षेप भी नहीं था कि अपहरणकर्त्ताओं ने उसे किसी हथियार के दम पर शारीरिक चोट पहुंचाने के डर में डाला। घटना के बाद का आचरण भी सामान्य नहीं था। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियोजन कहानी को उचित संदेह से परे साबित नहीं माना।
- (4)- मोहम्मद अली विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य
(2015) 7 एस. सी. सी. 272
उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि अभियोक्त्री की साक्ष्य विश्वास नहीं जगाती एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसे दूर तक भी सपोर्ट नहीं करती। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया।
- (5)- राजू विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य
(2008) 15 एस. सी. सी. 133
माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त सम्माननीय विनिश्चय में यह अवधारित किया कि यद्यपि अभियोक्त्री की साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य क्षतिग्रस्त साक्ष्य के बराबर होता है किन्तु

(356)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उसकी गवाही हमेशा अकाट्य सत्य नहीं समझी जा सकती। जहां एक के अधिक अभियुक्त हो वहां पर बड़ा चढाकर कहने या झूठा फंसाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यही मत माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजेश पटेल विरुद्ध झारखण्ड राज्य (2013) 3 सी. आर. जे. 20 में प्रतिपादित किया है।

(6)- राजस्थान राज्य विरुद्ध राजेन्द्रसिंह

(2009) एस. सी. सी. 106

पुलिस बयान में किसी महत्वपूर्ण तथ्य के लोप को जो न्यायालय के समक्ष बयान में बताया गया को माननीय उच्चतम न्यायालय ने विरोधाभास की श्रेणी में माना तथा इसे गवाह की सच्चाई पर गम्भीर संदेह उत्पन्न करने वाला माना।

(7)- मुरुगेशन विरुद्ध राज्य

(2013) 2 एस. आर. जे. 147

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि प्रमुख गवाहों के बयानों में सुधार उनकी सच्चाई पर गम्भीर संदेह पैदा करते हैं।

(8)- विमल सुरेश कामले बनाम चल्लूवर विनाके अपल एस. पी. (2003) 3 ए.

सी. सी. 175

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि गवाह किसी विशिष्ट तथ्य को अनुसंधान के समय नहीं बताते हैं और अभियोजन उक्त तथ्य को गवाह के माध्यम से साबित करवाना चाहता है तो उस गवाह की उक्त तथ्य के बारे में साक्ष्य कोई महत्व नहीं रखती।

(9)- अलील मुल्ला व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(1996) 5 ए. सी. सी. 369

एक मात्र साक्ष्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय

(357)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ने यह अभिनिर्धारित किया कि अकेले चश्मदीद गवाह के आधार पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है यदि वह पूरी तरह भरोसेमन्द हो। पुष्टि की आवश्यकता तब पडती है जब वह आंशिक रूप से भरोसेमन्द हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हत्या के बारे में अकेले गवाह का अगले दिन तक किसी का न बताना अप्राकृतिक माना जो यह छवि जगाता था कि वह घटना का गवाह नहीं है। गांव में अनुसंधान अधिकारी के कैम्प करने के बावजूद गवाह उसके समक्ष उपस्थित नहीं होना और उसका यह कहना कि वह डरा हुआ था और उसे किसी को घटना के बारे में सूचना देने की हिम्मत नहीं थी मानने योग्य नहीं है।

(10)- खजानसिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य

2013 डब्ल्यू. एल. सी. 533

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बलात्कार के मामले में अभियोक्त्री की साक्ष्य स्वीकार की जाती है एवं उसके आधार पर दोषसिद्धि भी की जा सकती है किन्तु यदि ऐसी साक्ष्य सारभूत विरोधाभास एवं विसंगतियों के कारण विश्वसनीय न हो इसे डिस्कार्ड किया जा सकता है।

(11)- संदीप तमांग विरुद्ध सिक्किम राज्य,

2016 क्रिमिनल लॉ जनरल 4706

उक्त सम्माननीय विनिश्चय में अन्तर्ग्रस्त तथ्यों के अनुसार पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा। घटना के समय पीड़िता ने कोई शोर शराबा नहीं किया। अनुसंधान अधिकारी यह दर्शा न पाया कि पूरी रात पीड़िता बाहर क्यों रही जबकि अभियुक्त उसके साथ नहीं था। पीड़िता के शरीर पर कोई दिखती हुई चोटें नहीं थी

(358)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

और न ही संघर्ष के चिन्ह थे। रासायनिक परीक्षक ने उसके कपडों पर वीर्य की उपस्थिति नहीं पाई। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।

(12)- सुभाष विरूद्ध हरियाणा राज्य

(2011) 2 ए. सी. सी. 715

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लोप होता है जो न्यायालय के समक्ष कथनों में कहा जाता है तो उसे विरोधाभासी श्रेणी में माना जायेगा।

(13)- राजस्थान राज्य विरूद्ध मुखराम

(2017) 2 आर. सी. आर. डी. 546 (राज.)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि यह विश्वसनीय नहीं है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जवान अभियोक्त्री पर उसके सारे परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में यौन हमला करेगा।

344— इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि गवाहों के बयानों में कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है। गवाहों को अपने जिन पूर्ववर्ती बयानों से Confront करवाया गया है, उनमें और न्यायालय में कही गई बातों में मात्र शब्दों का अन्तर है। शब्दों में अन्तर मात्र को लोप या विरोधाभास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त गवाहों के बयानों में परस्पर कोई विरोधाभास नहीं है। घटना के इतने समय बाद बयान होने एवं इतनी लम्बी जिरह होने के बाद मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक है जो तात्त्विक नहीं हैं। अतः गवाहों के बयानों को मात्र इस आधार पर Discard नहीं किया जा सकता है।

345— उनका यह भी तर्क है कि बिना सम्पुष्टि के भी पीड़िता की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि उसकी साक्ष्य विश्वास जगाती हो। हस्तगत प्रकरण में पीड़िता 94 पेज लम्बे बयानों के बाद

(359)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

भी अपने कथनों पर स्थिर रही है। उसके कथनों में किसी प्रकार की कोई विसंगति या विरोधाभास नहीं है। अतः उसके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किये :-

- (1)- Mukesh vs State Of Chhattisgarh on 25 September, 2014 Criminal Appeal No. 1114 of 2011 (Supreme Court)

15. Further, as has been repeatedly held by this Court in a catena of cases, the sole testimony of the witness is sufficient to establish the commission of rape even in the absence of corroborative evidence. Reliance has been placed on the decision of this Court in the case of [Mohd. Iqbal v. State of Jharkhand](#)[1], which states as under :-

“17. There is no prohibition in law to convict the accused of rape on the basis of sole testimony of the prosecutrix and the law does not require that her statement be corroborated by the statements of other witnesses.

- (2)- Sudhansu Sekhar Sahoo vs State Of Orissa on 18 December, 2002, Appeal (crl.) 646 of 1994 (Supreme Court of India)

A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with accomplice. She is in fact a victim of the crime. [The Evidence Act](#) nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under [Section 118](#) and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured

(360)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the [Evidence Act](#) similar to illustration (b) to [Section 114](#) which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix, it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction on her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence. We have, therefore, no doubt in our minds that ordinarily the evidence of a prosecutrix who does not lack understanding must be accepted. The degree of proof required must not be higher than is expected of an injured witness."

346— निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि गवाह की साक्ष्य को टुकड़ों में उठा कर नहीं पढ़ना चाहिये, उसे समग्र रूप में पढ़ना चाहिये। इस सन्दर्भ में माननीय

(361)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :-

(1)- State of U.P. Vs. M.K. Anthony

AIR 1985 SC 48

"While appreciating the evidence of a witness, the approach must be whether the evidence of the witness read as a whole appears to have a ring of truth. Once that impression is formed, it is undoubtedly necessary for the court to scrutinise the evidence more particularly keeping in view the deficiencies, draw-backs and infirmities pointed out in the evidence as a whole and evaluate them to find out whether it is against the general tenor of the evidence given by the witness and whether the earlier evaluation of the evidence is shaken as to render it unworthy of belief. Minor discrepancies on trivial matters not touching the core of the case, hyper-technical approach by taking sentences torn out of context here or there from the evidence, attaching importance to some technical error committed by the investigating officer not going to the root of the matter would not ordinarily permit rejection of the evidence as a whole. If the court before whom the witness gives evidence had the opportunity to form the opinion about the general tenor of evidence given by the witness, the appellate court which had not this benefit will have to attach due weight to the appreciation of evidence by the trial court and unless there are reasons weighty and formidable it would not be proper to reject the evidence on the ground of minor variations or infirmities in the matter of trivial details. Even honest and truthful witnesses may differ in some details unrelated to the main incident because power of observation, retention and reproduction differ with individuals. Cross examination is an unequal duel between a rustic and refined lawyer."

(362)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

347— निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि तुच्छ मामलों पर छोटे मोटे विरोधाभास, जो अभियोजन मामले की आत्मा को प्रभावित नहीं करते हों, पर न्यायालय को पूरी साक्ष्य को खारिज नहीं करना चाहिये।

(1)- State Vs. Saravanan & Anr.

AIR 2009 SC 152

".....while appreciating the evidence of a witness, minor discrepancies on trivial matters without affecting the core of the prosecution case, ought not to prompt the court to reject evidence in its entirety. Further, on the general tenor of the evidence given by the witness, the trial court upon appreciation of evidence forms an opinion about the credibility thereof, in the normal circumstances the appellate court would not be justified to review it once again without justifiable reasons. It is the totality of the situation, which has to be taken note of. Difference in some minor detail, which does not otherwise affect the core of the prosecution case, even if present, that itself would not prompt the court to reject the evidence on minor variations and discrepancies."

(2)- Vijay @ Chinee vs State Of M.P on 27 July, 2010, Criminal Appeal No. 660 of 2008 (Supreme Court of India)

It is settled proposition of law that even if there are some omissions, contradictions and discrepancies, the entire evidence cannot be disregarded. After exercising care and caution and sifting the evidence to separate truth from untruth, exaggeration and improvements, the court comes to a conclusion as to whether the residuary evidence is

(363)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

sufficient to convict the accused. Thus, an undue importance should not be attached to omissions, contradictions and discrepancies which do not go to the heart of the matter and shake the basic version of the prosecution witness. As the mental capabilities of a human being cannot be expected to be attuned to absorb all the details, minor discrepancies are bound to occur in the statements of witnesses.

Thus, in view of the above, the law on the point can be summarised to be that the evidence of the witnesses must be read as a whole and the cases are to be considered in totality of the circumstances and while appreciating the evidence of a witness, minor discrepancies on trivial matters, which do not affect the core of the prosecution case, should not be taken into consideration as they cannot form grounds to reject the evidence as a whole.

348— मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

349— यहां यह उल्लेखनीय है कि जब पीड़िता पी. डब्ल्यू-5 "सु" को एन.जी.ओ. की रिपोर्ट प्रदर्श-डी-4 से Confront करवाया जा रहा था तब अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति पेश की गई कि उक्त रिपोर्ट पीड़िता के स्टेटमेन्ट नहीं हैं, अतः उसे उक्त रिपोर्ट से Confront नहीं करवाया जा सकता है। उक्त आपत्ति का निस्तारण निर्णय की स्टेज पर किया जाना था। हमने उक्त आपत्ति का निस्तारण करते हुए प्रदर्श-डी-4 एन.जी.ओ. रिपोर्ट को पीड़िता का पूर्व स्टेटमेन्ट नहीं मानते हुए पीड़िता से Confront करवाने की सीमा तक साक्ष्य में अग्राह्य किया है। अतः उक्त एन.जी.ओ. रिपोर्ट से Confront करवाने सम्बन्धी प्रश्न नहीं पढ़े जायेंगे।

350— गवाह पी. डब्ल्यू-5 "सु" को उसके पुलिस बयान प्रदर्श-डी-2

(364)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

से Confront करवाया गया है। हमने घटना के सम्बन्ध में पीड़िता के बयानों का प्रदर्श-पी-4 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श-पी-7 धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान व का निम्नलिखित Comparative chart तैयार किया है :-

Comparative Chart

प्रदर्श-पी-4 प्रथम सूचना रिपोर्ट :-

“उस रात बापू ने हमें कुटिया में बुलवाया। हम लोग वहां गये तो बापू ने पहले तो पापा मम्मी से बात की फिर उन्हें गेट के पास बिठा दिया और कहा कि यहां बैठ कर जप करना, ध्यान करना और थोड़ी देर में चले जाना और बापू ने मुझे कुटिया के पीछे चबूतरे पर बिठा दिया फिर उसने मुझे एक गिलास दूध दिया उसे पीने के बाद बापू ने मेरे मां पापा को जाने को कहा पर वो गये नहीं। थोड़ी देर में पापा चले गये पर मम्मी वहीं बैठी रही। बापू सामने वाले दरवाजे के दरवाजे अपने रूम में गया और थोड़ी देर में उसने रूम की लाईट बन्द कर दी और पीछे के दरवाजे से मुझे अन्दर बुलाया। मैं अन्दर गई तो उसने मुझे अपने पास बिठाया और मुझसे बातें करने लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि अपने मां बाप को देख कर आओ कि वो क्या कर रहे हैं ? मैंने उसे आकर बताया कि मां बैठी है और पापा चले गये। फिर उसने रूम लॉक कर दिया और मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैं चिल्लाने लगी तो उसने कहा कि वो मेरे मां बाप को मरवा देगा और मुझे डरा धमका कर मेरा मुंह बन्द कर दिया। उसने मुझे Kiss किया, मुझ गलत स्पर्श किया, मेरे पूरे शरीर पर अपने हाथों को फेरा फिर जबरदस्ती उसने मुझे हर जगह Kiss किया और अपना Ling चूसने को कहा वो बिगर कपड़ों के था उसने जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारने लगा मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी तो उसने मेरा मुंह दबा कर बन्द कर दिया। करीब 1

(365)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

से 1 1/2 घन्टे तक उसने मुझे मेरे साथ छेड़ छाड़ की। Room के बाहर उसके 2 या 3 सेवक भी थे जैसे भी मैं बाहर आई उसने मुझे फिर धमकी दी कि इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। फिर मैं वापस अपनी मां के साथ जिस Room पर हम रुके थे वहां आ गई।”

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध बयान :-

“15 अगस्त 2013 को रात में फिर हम तीनों को अपनी कुटिया में बापू ने बुलाया। वो हमसे कुटिया के चक्कर लगवा रहे थे अपने साथ साथ। फिर मम्मी पापा को लॉन के गेट पे बैठा दिया और कहा जाप करने को। फिर मुझे कुटिया के पीछे एक बरामदा टाईप का है वहाँ बैठा दिया। उन्होंने अपने नौकर को बोल कर हम तीनों को एक एक गिलास दूध पिलाया। फिर उन्होंने मम्मी पापा को बोला चले जाने को। लेकिन मम्मी-पापा ने कहा कि बेटी को लेकर जायेंगे। फिर बापू ने कहा कि थोड़ी देर जाप करना और फिर चले जाना। फिर वो अपनी कुटिया के अन्दर चले गए और रूम की लाईट बन्द कर दी। थोड़ी देर बाद पापा चले गए थे और मम्मी वहीं बैठी हुई थी। फिर बापू ने पीछे के दरवाजे से मुझे अन्दर बुलाया। वो बेड पे लेटा हुआ था और उसने मुझे साईड में बैठाया। फिर मेरा हाथ पकड कर मुझसे बातें करने लग गया। फिर उसने मुझसे कहा कि जाओ देख कर आओ कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? मैं बाहर देखने गई। फिर आ कर मैंने बताया कि पापा चले गये हैं और मम्मी बैठी हुई है। फिर उसने मुझे अन्दर बुला कर रूम लॉक कर लिया। फिर उसने अपने पूरे कपडे खोल दिये थे। फिर उसने मेरी पूरी बाडी टच की, उसने मेरे कपडे उतारने चाहे। जब मैं चिल्लाने लगी तो उसने

(366)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मेरा मुँह बन्द कर दिया। फिर उसने मुझे डराया कि मैं तुम्हारे पेरेन्ट्स को मरवा दूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसने मेरे कपड़ों में हाथ डाला। मेरे साथ वो जबरदस्ती करने लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि मेरे लिंग को चूसो। फिर मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी तो उसने मेरा मुँह दबा दिया। एक डेढ घंटे तक मैं उसी रूम में लॉक रही। वो बार बार मुझे छू रहा था, मेरी पूरी बॉडी टच कर रहा था। मुझे किस कर रहा था वो। एक डेढ घंटे में उसने मुझे छोडा। फिर मुझसे कहा कि इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ रूम पर आ गई। मम्मी बहुत पूछ रही थी कि क्या हुआ लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, मैं बहुत डर गई थी।”

न्यायालय में गवाह पी. डब्ल्यू. 5 “सु” ने

घटना के बारे में निम्नलिखित कथन दिये हैं :-

“रात को जब उन्होंने हमें बुलाया था, उस समय दस साढे दस बजे होंगे, पूरा ध्यान नहीं है। फिर मम्मी पापा और मैं बापू के पीछे पीछे उनकी कुटिया पर गये थे। कुटिया पर पहुंच कर हमें गार्डन के बीच वाले रास्ते पर बैठा दिया और खुद चेयर पर बैठ गये थे। फिर बापू ने अपने रसोईये को बुला कर कहा कि इनको दूध पिलाओ। रसोईया प्रकाश था। फिर उन्होंने थोड़ी देर बातें की फिर मम्मी पापा को गार्डन के मेन गेट पर बैठा दिया। फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को कहा कि यहां बैठ कर थोड़ी देर जप करो, फिर चले जाना। फिर उन्होंने मुझे कुटिया के पीछे एक गैलेरी जैसा था, वहां पर सीढ़ियों के पास बैठा दिया। उसके पहले प्रकाश ने जब हम गार्डन में बैठे थे, तब हमें दूध लाकर पिलाया था। मैं सीढ़ियों के पास जब बैठी हुई थी,

तो बापू ने पीछे वाले दरवाजे से इशारा करके मुझे बुलाया। पहले मैं वाशरूम गई जो वहां रूम के पास में ही था। फिर मैं रूम के अन्दर गई तो बापू ने कहा कि जाओ देख कर आओ कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। फिर मैं वहां देखने गई तो देखा कि पापा चले गये थे और मम्मी वहां पर बैठी थी। मम्मी गार्डन के गेट पर बैठी थी। फिर मैंने वापस जाकर बापू को बताया कि मम्मी बैठी है और पापा चले गये हैं। उस समय बापू ने पहले से ही रूम की लाईट बन्द कर रखी थी और वे बेड पर लेटे हुए थे। फिर उन्होंने मेरे को बेड पर अपनी साईड में बैठा लिया, फिर वो मेरा हाथ सहलाने लगे और मेरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरे को कहा कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी तुम्हें मैं वक्ता बना देता हूं। तुम समर्पित हो जाओ, हमारे साथ ही रहना, मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा। फिर वो ये बातें कर रहे थे, फिर उठ कर दरवाजा बन्द कर दिया। फिर वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। पहले तो उन्होंने अपने कपड़े उतार दिये तो मैं चिल्लाई कि बापू ये क्या कर रहे हो तो उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। फिर उन्होंने मेरे को धमकाया कि जरा सी भी आवाज की तो देखना मैं क्या करता हूं। तुम्हारे मां बाप को मरवा दूंगा। तुम्हारा खानदान गायब हो जायेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर वो बदतमीजी करने लग गये, अपने हाथ से मेरे पूरे शरीर को छू रहे थे। मेरे शरीर को छू रहे थे। मेरे प्राईवेट पार्ट को टच कर रहे थे और मेरे को किस कर रहे थे और मेरे को हग किया। मेरे कपड़ों में हाथ डाल कर मेरे साथ बदतमीजी की थी। फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे कि मेरे प्राईवेट पार्ट को छुओ और सक करो। उन्होंने मेरे प्राईवेट पार्ट पर मुंह पर और सभी जगह किस किया था। मैं रो रही थी, और कह

(368)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रही थी कि मुझे छोड़ दो हम तो आपको भगवान मानते हैं आप यह क्या कर रहे हो। फिर वो मेरे से बदतमीजी करते रहे, और करीब एक सवा एक घन्टे बाद मेरे को छोड़ा। छोड़ते टाइम उन्होंने कहा कि किसी को बताया तो देख लेना। मेरे को कहा कि अपने बाल और कपड़े ठीक कर लो, फिर जाना और किसी को कुछ मत बताना। फिर मैं पीछे वाले कमरे से ही बाहर आई थी जहां से अन्दर गई थी। बाहर कमरे के सामने वाले गेट पर एक बरामदा था जहां पर प्रकाश बैठा था।

प्रश्न : कुटिया के अन्दर आपके साथ जो हुआ इन सब बातों से आपको क्या हुआ ?

उत्तर : मैं इस घटना से शौकड रह गई थी कि जिस आदमी को मैं भगवान समझती थी उसने मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत की मेरे कपड़े खोलने की कोशिश की, मेरी सलवार उतार दी थी, मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी।

जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी माता गार्डन के गेट पर बैठी हुई थी। फिर मैं मेरी माता के साथ रूम पर आई, मेरे को मेरी माता ने पूछा भी था कि क्या हुआ तो मैंने कहा कि अभी तो यहां से चलो, बापू अच्छे इन्सान नहीं हैं।

351— पीड़िता के न्यायालय के समक्ष हुए कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 की अन्तर्वस्तु एवं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श-पी-7 के बयान का मिलान करने पर स्पष्ट होता है कि पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष घटना क्रमवार वही बताई है जो उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 में अंकित की है एवं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में पीड़िता को उसके पुलिस बयान प्रदर्श-डी-2 से एवं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के

(369)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बयान प्रदर्श-पी-7 से लगभग हर बिन्दु पर Confront करवाया गया है। मेरे विनम्र मत में या तो शब्दों का अन्तर सामने आया है या भाषा शैली का अन्तर सामने आया है या तथ्यों के क्रम में अन्तर आया है मगर पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 व पुलिस बयान प्रदर्श-डी-2 तथा न्यायालय के बयानों में कोई सारवान अन्तर नहीं है। पीड़िता ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श-पी-1, प्रदर्श-पी-2 व प्रदर्श-पी-3 में Kiss करना व प्राइवेट पार्ट पर Kiss करना व मेरी सलवार उतारना नहीं लिखा है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श-पी-1, प्रदर्श-पी-2 व प्रदर्श-पी-3 में यह नहीं लिखा है कि दिनांक 2 - 3 अगस्त को उसे चक्कर आये। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श-पी-1, प्रदर्श-पी-2 व प्रदर्श-पी-3 पी. डब्ल्यू. 3 डा. शैलजा द्वारा की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट है। प्रदर्श-पी-1 में निम्नलिखित इबारत अंकित है :-

"She was studying at accused (Asharam Bapu) Gurukul.
She was called at Jodhpur, went there with her parents.
She was made to sit alone, away from her parents then
accused attempted sexual assault without
penetration/bitimg. Her mouth was forcefully closed and
touched her breast and genitals by hands. She is brought
to here by parents for examination.

352- पी. डब्ल्यू. 3 डा. शैलजा ने जिरह में स्पष्ट किया है कि प्रदर्श-पी-1 में जो हिस्टरी लिखी है, वह लड़की के द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में बताई गई थी, उसको मैंने अंग्रेजी में अनुवाद करके लिख दिया क्योंकि अंग्रेजी में आसानी से लिख सकती थी। अतः यह स्पष्ट है कि प्रदर्श-पी-1 मेडिकल रिपोर्ट पर इबारत डाक्टर द्वारा लिखी गई है तथा पीड़िता के कहे कथनों को अनुवाद करके लिखा गया है। डाक्टर द्वारा लिखे गये Sexual assault में पीड़िता द्वारा कहे गये शब्द आ जाते हैं। चूंकि पीड़िता की भाषा में उक्त वर्णन डाक्टर ने नहीं लिखा अतः पीड़िता का यह स्वीकार करना स्वाभाविक है कि उसके मुख्य परीक्षण में लिखी बात प्रदर्श-पी-1, प्रदर्श-पी-2

(370)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

व प्रदर्श-पी-3 में नहीं आई है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श-पी-1 में मात्र मेडिकल हिस्टरी लिखी गई है, पीड़िता के कथन नहीं लिखे गये हैं।

353— पीड़िता ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसकी मुख्य परीक्षा में लिखी यह बात कि उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट व मुंह पर Kiss किया, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 में नहीं लिखी है लेकिन गवाह स्वयं यह स्पष्ट करती है कि यह लिखा है कि हर जगह किस किया। मजिस्ट्रेट साहब के बयान प्रदर्श-पी-7 में यह बात नहीं होने के जवाब में गवाह ने कहा है कि यह लिखा है कि उसे Kiss कर रहा था। गवाह को उसके पुलिस बयान प्रदर्श-डी-2 से भी Confront करवाया गया। गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श-डी-2 में प्राइवेट पार्ट पर Kiss करना और मुंह पर Kiss करना व सभी जगह Kiss करना नहीं लिखा है किन्तु गवाह स्पष्ट करती है कि यह लिखा है कि उसने लगभग एक डेढ़ घन्टे जबरदस्ती छेड़छाड़ की और Kiss करने व हग करने का लिखा है। गवाह ने जिरह में स्पष्ट किया है कि जब बापू ने कमरे का दरवाजा बन्द किया तो पीछे से जाकर रोका नहीं था क्योंकि सोचा कोई अनुष्ठान होगा। कमरे में बापू बदतमीजी करने लगे तो उसने दरवाजा खोलने या लात मारने का प्रयास नहीं किया था क्योंकि उसे डरा दिया था, मुंह बन्द कर दिया था और वह छूटने का प्रयास कर रही थी। वह काफी डर गई थी और रो रही थी और छोड़ने का कह रही थी। गवाह ने इस बात गलत बताया कि जब वह रो रही थी तो आवाज बाहर जा रही थी क्योंकि कमरे का दरवाजा बन्द था और ए. सी. चल रहा था। इससे स्पष्ट है कि गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श-डी-2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श-पी-7 में आये शब्दों के अन्तर को समझाने का पूर्ण प्रयास किया है।

354— गवाह पी. डब्ल्यू. 5 पीड़िता "सु" के बयान दिनांक 11-4-2014 को प्रारम्भ हुए, उसके बयान दिनांक 13-6-2014 को समाप्त हुए हैं। उससे 81 पेज लम्बी जिरह हुई है। ऐसी स्थिति में मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक है किन्तु गवाह अन्त तक स्थिर रही है, उसने हर परिस्थिति को अपने बयानों में स्पष्ट किया है। उसके कथनों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

(371)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

355- माननीय उच्चतम न्यायालय ने "उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटेलाल, 2011 ए आई आर (एस. सी.) क्रिमिनल 371" सम्माननीय विनिश्चय में यह अवधारित किया है कि न्यायालय को यह महत्वपूर्ण चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिये कि बलात्कार से पीड़ित अपना चेहरा खो देता है। वह एक व्यक्ति के रूप में अपनी कीमत खो देता है। हमारा समाज एक रूढ़िवादी समाज है एवं इसलिये एक महिला और इससे अधिक एक जवान अविवाहित महिला अपने सम्मान को जबरदस्ती यौन हमले के बारे में झूठा अभियोग लगा कर भंवर में नहीं डालेगी। अभियोक्त्री की साक्ष्य का परीक्षण करते समय न्यायालय को हमारे भारतीय समाज की परिस्थिति के बारे में सोचना चाहिये और अन्य देशों के विश्वासों से बहना नहीं चाहिये। न्यायालय को यौन हमले की महिला पीड़ित के सम्बन्ध में संवेदनशील व उत्तरदायी होना होगा। समाज का विश्वास व Value System मस्तिष्क में रखना चाहिये क्योंकि बलात्कार महिला को दबाने का सबसे बुरा तरीका है। एक जबरदस्ती यौन हमला निरादर, घृणा करने की Feelings, जबरदस्त अपमान, शर्म और जिन्दगी भर का भावनात्मक एहसास पीड़ित को देता है इसलिये सम्भव नहीं है कि एक महिला और वह भी जवान महिला किसी को बलात्कार के झूठ अपराध में फंसायेगी। भारतीय समाज में बलात्कार की पीड़िता पर लगने वाला कलंक झूठे आरोप लगाने को सामान्य तौर पर अपवर्जित कर देता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने "आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम गांगुला सत्यमूर्ति (1997) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 325" के सम्माननीय विनिश्चय में यह अवधारित किया है कि मामले से अलग होने से पूर्व हम यह निर्देशित करना उचित समझते हैं कि न्यायालयों से अभियुक्त का बलात्कार के आरोप के लिये विचारण करते समय बड़ा उत्तरदायित्व दिखाने की आशा करते हैं। उन्हें इन मामलों को सम्पूर्ण संवेदनशीलता के साथ Deal करना चाहिये। न्यायालयों को मामले की विस्तृत सम्भावनाओं को परीक्षित करना चाहिये एवं गवाह के बयानों में मामूली विरोधाभासों और विसंगतियों जो बलात्कार के आरोप को खत्म करने लायक नहीं हो, के साथ नहीं बहना चाहिये। यह इसलिये महत्वपूर्ण हो गया है कि सामान्य रूप से महिलाओं के प्रति अपराध और विशेष रूप से बलात्कार बढ़

(372)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रहा है। यह एक विरोधाभास है कि जहां हम हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की खुशियां मनाते हैं, वहीं हम उसके सम्मान के लिये कोई चिन्ता व्यक्त नहीं करते।

356— यह सही है कि पीड़िता के शरीर पर मेडिकल जांच के दौरान कोई बाहरी चोट आना प्रकट नहीं हुआ है। उसका हाईमन Intact पाया गया है, किन्तु पीड़िता ने यह कथन नहीं किया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में कोई वस्तु डाली गई हो। वह मात्र अपने प्राइवेट पार्ट्स अभियुक्त आसाराम द्वारा Kiss करना एवं स्वयं का प्राइवेट पार्ट उसे चुसाने का प्रयास करना कहती है। अतः पीड़िता के शरीर पर कोई चोट न आना उसके कथनों को अविश्वसनीय नहीं बना देता है।

357— पी. डब्ल्यू. 8 डा. शुभकरण, पी. डब्ल्यू. 9 डा. महावीर कुमार छाबड़ा व पी. डब्ल्यू. 10 डा. अरविन्द जैन ने आदेश प्रदर्श-पी-33 की पालना में आर.ए.सी. गेस्ट हाउस जाकर अभियुक्त आसाराम का मेडिकल परीक्षण करना कहा है एवं मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी-34 साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित की है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभियुक्त आसाराम के शारीरिक परीक्षण से यह नहीं पाया गया है कि वह सम्भोग करने में अक्षम हो।

358— जहां तक पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह का प्रश्न है, इस गवाह को भी उसके पुलिस बयान प्रदर्श-डी-17 से Confront करवाया गया है, किन्तु उसके पुलिस बयान व न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में मात्र शब्दों का मामूली हेरफेर ही सामने आया है। सामान्य तौर पर कोई इन्सान एक ही बात को बार बार एक प्रकार के शब्दों में नहीं दोहरा सकता है, शब्दों का कुछ अन्तर आ ही जाता है। गवाह के कथनों में यदि कोई विरोधाभास आया भी है तो भी घटना के सम्बन्ध में उसके कथनों में कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है।

359— पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह पीड़िता का पिता है। इसके कथन भी नितान्त स्वाभाविक हैं। उससे की गई जिरह घटना के सम्बन्ध में कम होकर घटना के पूर्व पृष्ठभूमि पर अधिक है जिससे घटना के सम्बन्ध में उसकी साक्ष्य खण्डित नहीं होती है।

360— मेरे विनम्र मत में उक्त गवाहान के कथनों में ऐसा कोई

(373)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

विरोधाभास या विसंगति सामने नहीं आई है जिससे यह प्रकट हो कि वास्तव में कोई घटना घटित नहीं हुई एवं मात्र अभियुक्त आसाराम को बदनाम करने के लिये झूठा आरोप लगाया गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू. 11 कृपालसिंह के बयानों के अनुसार शाहजहांपुर से लौटने के बाद 1-8-2013 को कर्मवीरसिंह बरेली में अन्य साधकों के साथ बाल संस्कार कार्यक्रम में गया था। यह तथ्य परिवादी का अभियुक्त के प्रति श्रद्धा को बताता है कि अपनी पुत्री की परेशानी के बावजूद वह अन्य साधकों को लेकर बरेली जाता है तथा जिस डी.सी.एम. गाड़ी में साधकों को लेकर बरेली जाता है, उसका भाड़ा भी खुद ही देता है। मेरे विनम्र मत में उक्त गवाह पी. डब्ल्यू. 11 के बयानों से इस बात की पुष्टि होती है कि परिवादी कर्मवीरसिंह का कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से घटना के तत्काल पूर्व भी आसाराम में श्रद्धा रखता था तथा अन्य साधकों को लेकर बरेली गया था।

361— उपरोक्त विवेचनानुसार मेरे विनम्र मत में पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित है कि दिनांक 15-8-2013 को रात्रि दस साढ़े दस बजे के लगभग अभियुक्त आसाराम ने स्थान मणाई आश्रम में स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका “सु” का कुटिया को भीतर से लॉक कर सदोष अवरोध कारित कर निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर सदोष परिरोध कारित किया एवं उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसका लैंगिक उत्पीड़न कर उसके प्राइवेट पार्ट्स को एवं पूरे शरीर को मुंह से हाथ से छुआ, Kiss किया, पीड़िता के विरोध करने पर उसे डराया धमकाया व उसके माता पिता को, परिवार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया। जहां तक अश्लील शब्द बोलने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर साक्ष्य नहीं आई है।

362— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि पी. डब्ल्यू. 5 “सु” के आक्षेप अधिक से अधिक प्राइवेट पार्ट्स को छूने व Kiss करने की सीमा तक है, उसके द्वारा यह आक्षेप नहीं लगाया गया है कि उसके मुंह या योनि में अभियुक्त आसाराम द्वारा अपने लिंग का प्रवेशन (Penetration) किया गया हो अथवा उसकी योनि में शरीर का लिंग से अतिरिक्त कोई हिस्सा डाला

(374)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गया हो, अतः उक्त कृत्य धारा 3 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। अधिक से अधिक धारा 7 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

363— मैंने इस बिन्दु पर सम्बन्धित विधि का अध्ययन किया। धारा 3 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इस प्रकार है :-

"3. A person is said to commit "penetrative sexual assault"

if—

- (a) he penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person; or
- (b) he inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person; or
- (c) he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of the child or makes the child to do so with him or any other person; or
- (d) he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or any other person."

364— धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता निम्न प्रकार है :-

"Sec 375 Of the IPC

A man is said to commit "rape" if he—

- (a). penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or
- (b). inserts, to any extent, any object or a part of the

(375)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(c). manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person; or

(d). applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person,

under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:

.....
....."

365— मैं विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण के इन तर्कों से सहमत नहीं हूँ। धारा 3 (C) स्पष्ट करती है कि यदि अभियुक्त किसी बालक के शरीर के किसी भाग को छलसाधित करता है ताकि योनि, मूत्रवाहिका, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी भाग में प्रवेश करवाया जा सके तो वह प्रवेशन यौन हमले की श्रेणी में आयेगा। इसी प्रकार धारा 375 (ग) भारतीय दण्ड संहिता यह स्पष्ट करती है कि यदि अभियुक्त किसी महिला के शरीर के किसी भाग को छलसाधित करता है ताकि योनि, मूत्रवाहिका, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी भाग में प्रवेश करवाया जा सके तो वह बलात्संग की श्रेणी में आयेगा। इसी प्रकार धारा 3 (D) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यह स्पष्ट करती है कि यदि अभियुक्त बालक के लिंग योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपने मुँह को प्रयुक्त करता है तो भेदन यौन हमला की श्रेणी में आयेगा। इसी प्रकार धारा 375 (D) भारतीय दण्ड संहिता यह स्पष्ट करती है कि यदि अभियुक्त अपने मुँह को महिला की योनि, गुदा, या मूत्र मार्ग पर Apply करता है तो बलात्संग की श्रेणी में आयेगा।

366— वहीं धारा 7 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

(376)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

2012 निम्नलिखित प्रावधान करती है :-

"7. Whoever, with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault."

367— उक्त धारा में यौन आशय से किसी बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूना अथवा बगैर अनुमति के यौन आशय से कोई ऐसा कार्य करना जो बिना प्रवेशन के शारीरिक सम्पर्क की श्रेणी में आता हो, को दण्डनीय बनाया गया है।

368— हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त ने न सिर्फ बालिका को पकड़े रखा वरन् अपने सारे कपड़े उतार कर उसके मुंह में लिंग डालने का प्रयास किया अर्थात् उसके शरीर को इस प्रकार से छलसाधित किया कि वह उसके मुंह में प्रवेशन करा सके एवं बालिका के प्राइवेट पार्ट्स पर Kiss भी किया अर्थात् अपने मुंह को बालिका की योनि पर Apply किया। अभियुक्त ने मात्र हाथों से ही पीड़िता के शरीर को नहीं छुआ है, वरन् मुंह से भी उसकी योनि को Kiss किया है। अतः अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री "सु" पर भेदन यौन हमला एवं बलात्संग किया जाना सन्देह से परे साबित है। साथ ही अभियुक्त पर बालिका का सदोष परिरोध करना, उसका लैंगिक उत्पीड़न करना, उसे आपराधिक अभित्रास कारित करना, तथा उसकी लज्जा का अनादर करने के प्रयोजन से उसके सामने अपने लिंग का प्रदर्शन करना सन्देह से परे साबित है।

प्रश्न बिन्दु संख्या 2 (ए) :-

369— अभियुक्त आसाराम को धारा 5(एफ)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप भी

(377)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सुनाया गया है। धारा 5 (एफ) निम्न प्रकार है :-

Whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution, commits penetrative sexual assault on a child in that institution.

370— पीड़ित बालिका के साथ अपराध हरिओम कृषि फार्म मणाई में स्थित कुटिया में किया गया है। यह आवश्यक था कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करता कि उक्त कुटिया किसी धार्मिक संस्था या शैक्षणिक संस्था का भाग है एवं अभियुक्त उस शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबन्धन या स्टाफ है।

371— पी. डब्ल्यू. 6 रणजीत ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी 40 बीघा जमीन है, जो मणाई गांव में है। उसने मणाई में फार्म हाउस में ही मकान बना रखा है और परिवार सहित वहां रहता है। फार्म हाउस पा बापू जी की कुटिया भी बनी हुई है। बापू जी का पूरा नाम आसाराम जी बापू है। यह कुटिया गवाह व उसके भाई के लड़के रामदयाल ने शामिल होकर 5 साल पहले बनवाई थी जो लगभग 2 बीघा जमीन पर बनी हुई है। गवाह ने अपने फार्म हाउस का खसरा नं. शायद 254 बताया है जो उसके नाम से है। जो कुटिया बनी हुई है, वह सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर, अजमेर जरिये ट्रस्टी ओमप्रकाश पुत्र गागनदास जाति सिन्धी को जरिये बख्शीशनामा दी थी, इसका नामान्तरणकरण भी ट्रस्ट के नाम से खुल गया है।

372— पी. डब्ल्यू. 43 चंचल मिश्रा ने दौराने अनुसन्धान घटनास्थल देवड़ा कृषि फार्म का रेवेन्यू रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस मय जमाबन्दी तहसीलदार जोधपुर से हल्का पटवारी के माध्यम से प्राप्त करना कहा है एवं जमाबन्दी प्रदर्श-पी-118, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-पी-119 व गिरदावरी की सही प्रति प्रदर्श-पी-120 साक्ष्य में प्रदर्शित की है एवं उसके मुताबिक संत श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर अजमेर को जरिये ओमप्रकाश के बख्शीश किया गया।

373— सर्वप्रथम तो यह आवश्यक था कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करता कि सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर, अजमेर एक धार्मिक अथवा शैक्षणिक संस्था है, तत्पश्चात् यह सिद्ध करना था कि अभियुक्त

(378)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आसाराम उक्त संस्था का प्रबन्धन या स्टाफ है।

374— लेकिन पत्रावली पर सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर, अजमेर से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रदर्शित अथवा साबित नहीं करवाया गया है। पी. डब्ल्यू. 43 चंचल मिश्रा ने जिरह में कथन किया है कि उसने पुष्कर (अजमेर) राज. की कोई ट्रस्ट डीड नहीं देखी थी। ट्रस्टी किसी ओमप्रकाश के उसने बयान नहीं लिये थे। सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर अजमेर की कोई ट्रस्ट डीड उसने अनुसन्धान के दौरान जब्त नहीं की। किसी अन्य ट्रस्टी के भी बयान उसने नहीं लिये। इससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष न तो यह सिद्ध कर पाया है कि सन्त श्री आसाराम बापू चेरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर अजमेर कोई शैक्षणिक अथवा धार्मिक संस्था हो। इसके अतिरिक्त अभियुक्त आसाराम के उक्त कुटिया में ठहरने मात्र से यह साबित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त उस कुटिया के स्वामित्व वाली संस्था का प्रबन्धन या स्टाफ हो। अतः यह प्रश्न बिन्दु सिद्ध करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है।

प्रश्न बिन्दु संख्या 2 (बी) :-

375— धारा 376 (2) (एफ) भारतीय दण्ड संहिता निम्न प्रकार है :-

"376 (1)

(2) जो कोई भी

(एफ) महिला के रिश्तेदार अभिभावक या शिक्षक या भरोसे की स्थिति में मौजूद व्यक्ति या प्राधिकार सौंपा गया व्यक्ति होते हुए ऐसी महिला के साथ बलात्संग कारित करता है"

376— अभियुक्त आसाराम पर धारा 376 (2) (एफ) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप भी लगाया गया है। उक्त आरोप के अनुसार "उक्त दिनांक, समय व स्थान पर (दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के लगभग दस बजे स्थाई मणार्ई आश्रम स्थित कुटिया में) आपने अभियोक्त्री

(379)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बालिका के प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में होते हुए अभियोक्त्री बालिका की इच्छा के विरुद्ध उसे डरा धमका कर उसके साथ बलात्संग किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) के अधीन दण्डनीय अपराध है तथा जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।”

377— अब प्रश्न यह उठता है कि घटना के वक्त क्या अभियुक्त अभियोक्त्री “सु” के प्रति भरोसे अथवा प्राधिकार की हैसियत में था। इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली पर आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह पीड़िता “सु” का पिता है। उसने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह आसाराम को सन् 2001 से जानता है। 2001 में उसने बरेली में उनका सत्संग सुना था। सत्संग सुनने के बाद उनसे प्रभावित हुआ और वर्ष 2002 में अहमदाबाद में उनसे मन्त्र दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद हरिद्वार में उनका सत्संग सुना जिसमें आसाराम ने कहा था कि जो बच्चे उसके गुरुकुल में पढ़ेंगे वह उन्नति करेंगे। फिर उसने अपने छोटे बेटे यशवीर व बेटी का एडमीशन छिन्दवाड़ा के गुरुकुल में करवाया।

378— पी. डब्ल्यू.—40 उदय जिरह में यह स्वीकार करता है कि शाहजहांपुर की योग वेदान्त समिति का कर्मवीरसिंह अध्यक्ष था।

379— पी. डब्ल्यू.—12 सुनीतासिंह ने इस आशय के कथन किये हैं कि वह आसाराम बापू को जानती है क्योंकि उसने 2002 में अहमदाबाद में उनसे दीक्षा ली थी। पूरा परिवार, पति व तीनों बच्चों ने आसाराम बापू से दीक्षा ले रखी है। बापू का शाहजहांपुर में आश्रम उसके पति ने बनवाया था जिसमें काफी लोगों ने सहयोग किया था। उसकी बेटी व छोटे बेटे को छिन्दवाड़ा गुरुकुल में एडमीशन इसलिये दिलाया ताकि अच्छे संस्कार पड़ सकें। गवाह आसाराम बापू के प्रवचन अहमदाबाद, सूरत, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, बरेली व रोहतक में सुनना कहती है। गवाह ने जिरह में भी स्पष्ट किया है कि वह आसाराम को सन् 2002 से जानती है। उनके कार्यक्रमों में महीने दो महीने में एक बार जाती थी। जहां जहां उनके कार्यक्रम होते थे, वहां वहां जाती थी।

380— पी. डब्ल्यू.—11 कृपालसिंह का कथन है कि कर्मवीरसिंह ने भी

(380)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आसाराम बापू से दीक्षा गवाह से पहले ले रखी थी। शाहजहांपुर में बापू जी का आश्रम जो 2010 में बना था, उस आश्रम को बनवाने में कर्मवीर जी मुख्य रूप से थे, बाकी लोगों का भी सहयोग था। आश्रम नहीं बना, उससे पहले सत्संग कार्यक्रम शाहजहांपुर में कुछ साधकों के यहां होते थे, ज्यादातर कर्मवीर के यहां होते थे। इन कार्यक्रमों की व्यवस्था मुख्य रूप से कर्मवीर जी करते थे।

381— उपरोक्त गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि परिवादी कर्मवीरसिंह व उसका पूरा परिवार अभियुक्त आसाराम से दीक्षित था एवं पूरी तरह से अभियुक्त आसाराम के लिये समर्पित था। पी. डब्ल्यू-12 कर्मवीरसिंह ने यह भी कहा है कि वह अपनी आय का दस प्रतिशत अभियुक्त आसाराम के लिये देता था, कभी कभी ज्यादा भी देता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस परिवार की पूर्ण निष्ठा अभियुक्त आसाराम में थी। पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने जिरह में कथन किया है कि जब उसने गुरुकुल में सातवीं कक्षा में प्रवेश लिया तब बापू से गुरु मन्त्र लिया था। उसके दो साल पहले बापू से सरस्वती मन्त्र लिया था, जो अहमदाबाद में लिया था। उसके घर में बापू की शुरु से पूजा होती थी। मन्त्र दिलाने उसके माता पिता अहमदाबाद लेकर गये थे। दीपावली, शिव रात्रि व रामनवमी इत्यादि पर उसके घर पर केवल बापू की ही पूजा होती थी तथा यह कहा जाता था कि बापू सभी ईश्वरों के रूप हैं। उसके पेरेन्ट्स केवल इसकी ही पूजा करते थे इसलिये गवाह भी ऐसा ही करती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस गवाह के घर में बचपन से ही बापू आसाराम का प्रभाव था एवं यह गवाह घर पर बापू आसाराम की ही पूजा होते देखती थी तथा उसके बारे में यह बताया गया था कि वह भगवान का रूप हैं। ऐसी स्थिति में पीड़िता का अभियुक्त आसाराम में पूर्ण रूपेण विश्वास था तथा धर्म गुरु होने के नाते अभियुक्त उस पर पूर्ण प्राधिकार रखता था। पी. डब्ल्यू-5 "सु" के अनुसार जब वह 14 तारीख को परिवार के साथ अभियुक्त के बुलाने पर कुटिया में गये तो अभियुक्त ने पूछा कि क्या बनना चाहती हो तो उसने कहा कि सी. ए. बनना है तो बापू ने कहा कि सी. ए. बन कर क्या करोगी बड़े बड़े अफसर तो मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं, बी. एड. कर लो तुम्हे अपने गुरुकुल में टीचर बना देंगे, फिर बाद में प्रिन्सिपल बना देंगे। गवाह का कथन है कि अभियुक्त ने पहले उसके

(381)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मम्मी पापा का गार्डन के गेट पर बिठा दिया व जप करने के लिये कहा व उसे कुटिया के पीछे गैलेरी में सीढ़ियों के पास बिठा दिया। तब बापू ने इशारा करके उसे बुलाया। पहले वह वाशरूम में गई, फिर रूम के अन्दर गई। निश्चित रूप से गवाह, अभियुक्त आसाराम एक धर्म गुरु होने के नाते, भरोसे के कारण अभियुक्त के कमरे में अकेली गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ अभियुक्त का क्या आचरण होगा किन्तु गवाह के मुताबिक अभियुक्त ने उसे बेड पर साईड में बिठा दिया और उसका हाथ सहलाने लगे और बातें करने लगे, फिर उठ कर दरवाजा बन्द कर दिया। गवाह ने जिरह में स्पष्ट किया है कि दरवाजा बन्द करने पर वह इसलिये नहीं बोली कि उसने सोचा कोई अनुष्ठान होगा। इससे प्रकट है कि पीड़िता का अभियुक्त पर कितना भरोसा था एवं अभियुक्त ने विश्वास व प्राधिकार की स्थिति में होते हुए पीड़िता के साथ बलात्संग किया है।

382— अतः उक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के लगभग 10 बजे मणाई आश्रम स्थित कुटिया में अभियुक्त आसाराम ने अभियोक्त्री "सु" के साथ बलात्कार, उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में होते हुए, उसकी इच्छा के विरुद्ध डरा धमका कर किया। लिहाजा इस प्रश्न बिन्दु को सिद्ध करने में अभियोजन पक्ष पूर्ण रूपेण सफल रहा है।

प्रश्न बिन्दु संख्या-3 :-

(3)— क्या अभियुक्तगण शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र, सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी, प्रकाश एवं शिवा उर्फ सवाराम ने दिनांक 15-8-2013 से पूर्व किसी समय अभियुक्त आसाराम के साथ मिल कर एक आपराधिक षड्यन्त्र का गठन किया जिसका उद्देश्य यह था कि अभियुक्त आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका का लैंगिक शोषण किया जा सके व इसके साथ बलात्कार किया जा सके और इस हेतु उक्त

(382)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अभियुक्तगण द्वारा समूह का गठन किया व उक्त अपराधिक षड्यन्त्र, समूह के सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए उसे सहयोग प्रदान किया एवं अभियोक्त्री बालिका के शोषण के प्रयोजन से उसके साथ कपट, प्रवंचना, उत्प्रेरणा इत्यादि का प्रयोग कर उसका दुर्व्यापार किया, परिणामस्वरूप अभियुक्त आसाराम ने प्रश्न बिन्दु संख्या 2 में वर्णित अपराध अभियोक्त्री/बालिका के साथ कारित किया ?

383— विद्वान विशेष लोक अभियोजक और परिवादी के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से बहस के दौरान यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त आशाराम एक धर्म गुरु है, जिसके देश भर में सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थान हैं। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सीनियर सैकण्डरी स्कूल छिंदवाडा उनमें से एक है। अभियुक्त शरद चन्द उर्फ शरत चन्द उक्त संस्था का अभियुक्त आशाराम द्वारा नियुक्त डायरेक्टर है। सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी उक्त संस्था के बालिका हॉस्टल की वार्डन थी। अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम अभियुक्त आशाराम का सर्वाधिक करीबी साधक है। आशाराम से मिलने के लिए अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम से ही समय लेना होता है। अभियुक्त प्रकाश अभियुक्त आशाराम का निजी रसोईया है, जो आशाराम का फोन भी अपने पास रखता है। अतः उक्त पाचों व्यक्ति एक दूसरे से निजी सम्पर्क में हैं। गवाह राहुल सचान व महेन्द्र सिंह की साक्ष्य यह प्रकट करती है कि अभियुक्त आशाराम द्वारा अपनी यौन पिपासा शान्त करने के लिए अपनी निकटवर्ती साधिकाओं व महिलाओं का उपयोग किया जाता था। वे कम उम्र की बालिकाओं व अन्य महिलाओं को झांसे में डाल कर एवं बहला फुसला कर आशाराम के पास भेजती थी। आशाराम के निकटवर्ती अन्य व्यक्ति भी उन महिलाओं का सहयोग करते थे। हस्तगत प्रकरण में यह भूमिका अभियुक्त शरद चन्द, शिल्पी एवं शिवा ने निभाई। अभियुक्त प्रकाश ने पीड़िता को आशाराम द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर दरवाजा बन्द कर लेने के बाद उसके माता पिता को घटना स्थल से दूर भेजने का प्रयास कर तथा बाहर पहरेदारी कर सहयोग

(383)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आशाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

किया है। अतः उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा गठित आपराधिक षडयंत्र के परिणाम स्वरूप अभियुक्त आशाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका का लैंगिक शोषण किया गया है।

384— पीड़िता संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सीनियर सैकण्डरी स्कूल छिंदवाडा में बारहवीं कक्षा में पढ़ती थी। वह गुरुकुल द्वारा ही संचालित बालिका छात्रावास में निवास करती थी। जहाँ उसकी हॉस्टल वार्डन अभियुक्ता शिल्पी थी एवं अभियुक्त शरद चन्द्र संस्था का डायरेक्टर था। दिनांक 02/03-08-2013 को पीड़िता को हॉस्टल में चक्कर आया तथा वह बाथरूम में गिर गई, किन्तु उसे चिकित्सा सुविधा दिलाने का कोई प्रयास हॉस्टल वार्डन अभियुक्ता शिल्पी ने नहीं किया। उस समय हॉस्टल में एक नई आई हुई छात्रा भव्या के बारे में प्रसिद्ध था कि उस पर भूत आते हैं। अभियुक्त शिल्पी एवं शरद चन्द्र ने मिलकर पीड़िता को चक्कर आने का फायदा उठाने की सोची। इसी वर्ष पीड़िता हरिद्वार जा कर अभियुक्त आशाराम के आश्रम में चार पांच दिन रुक कर आई थी तथा वह आशाराम से भी मिली थी, जिसने उसके शरीर पर हाथ भी फेरा था। अतः अभियुक्तगण आशाराम, शिल्पी, शरदचन्द्र व शिवा ने यह आपराधिक षडयंत्र रचा कि पीड़िता व उसके परिवार को भूत का भय दिखाया जाए एवं उसे भूत प्रेत के ईलाज के बहाने अभियुक्त आशाराम के पास भेजा जाए। इस षडयंत्र के अग्रसरण में पीड़िता को शरद चन्द्र व शिल्पी ने मिलकर शरद के ऑफिस में बुलाया जहाँ उनके साथ भव्या भी बैठी थी। शरद चन्द्र व शिल्पी ने पीड़िता को कहा कि उस पर भूत प्रेत का साया है, जिसकी पुष्टि भव्या ने भी की। शिल्पी ने परिवार को भयग्रस्त करने की शुरुआत दिनांक 06-08-2013 को पीड़िता के घर पर फोन कर महामृत्युन्ज्य मंत्र का जाप करने को कह कर की। तत्पश्चात अगले दिवस पीड़िता के गम्भीर बीमार होने की सूचना देते हुए उन्हें छिंदवाडा बुलवाया जहाँ उन्हें अभियुक्त शरद चन्द्र व शिल्पी द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री पर भूत का साया है, लेकिन उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है उनकी आशाराम से बात हो चुकी है, सीधे उन्हीं के पास ले जाओ। आशाराम का पता जानने के लिए पीड़िता के पिता को अभियुक्त शिवा से सम्पर्क करने की सलाह दी थी। अभियुक्त शिवा के बताए

(384)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अनुसार पीड़िता व उसके माता पिता पहले दिल्ली फिर जोधपुर, वहाँ से मणाई गाँव हरिओम कृषि फार्म दिनांक 14-08-2013 को पहुँचे जहाँ उन्हें पी. डब्ल्यू-6 रणजीत के उक्त कृषि फार्म स्थित निवास पर ठहराया गया। उक्त फार्म हाउस में स्थित अभियुक्त आशाराम की कुटिया में दिनांक 15-8-2013 की रात्रि में दस साढ़े दस बजे पीड़िता के साथ अभियुक्त आशाराम द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसमें अभियुक्त प्रकाश ने सहायता की।

385— पीड़िता पी. डब्ल्यू-5 "सु" के बयानों से उसे अभियुक्त शरद व शिल्पी द्वारा भव्या के माध्यम से भूत की बात कह कर डराना साबित है। पी. डब्ल्यू-21 करमवीर सिंह एवं पी. डब्ल्यू-12 सुनिता सिंह के बयानों से यह साबित है कि शिल्पी का फोन आने पर तथा पीड़िता को बीमार बताने पर वे बालिका छात्रावास छिंदवाडा गए जहाँ उन्हें अभियुक्त शरद व शिल्पी द्वारा पीड़िता में भूत होना बताते हुए यह कहा गया कि बापू आसाराम से बात हो गई है और बापू ने उन्हें बुलाया है। अभियुक्तगण की परस्पर कॉल डिटेल् से साबित है कि उनके मध्य दिनांक 6-8-2013 से 15-8-2013 के मध्य लगातार बात हुई जबकि इससे पहले की कॉल डिटेल् से उनके मध्य बात होना प्रकट नहीं होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध सन्देह से परे यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि उन्होंने आपराधिक षडयन्त्र का गठन किया और उक्त आपराधिक षडयन्त्र के तहत कार्य करते हुए अभियोक्त्री बालिका के यौन शोषण के प्रयोजन से पीड़िता का दुर्व्यापार किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने सम्माननीय विनिश्चय प्रस्तुत किये हैं जिनका अवलम्बन विवेचन के दौरान लिया जायेगा।

386— विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अभियुक्त आसाराम एवं शिल्पी का तर्क रहा है कि अभियुक्त आसाराम द्वारा पीड़िता के साथ कोई अपराध कारित नहीं किया गया, अतः आपराधिक षडयन्त्र का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अभियुक्त आसाराम द्वारा किसी भी अन्य अभियुक्त से कोई मोबाईल कॉल नहीं की गई। जिस मोबाईल फोन नम्बर 9321933400 को प्रकाश के कब्जे में रहना तथा उसके द्वारा अभियुक्त आसाराम द्वारा अभियुक्तगण से बात करना बताया जा रहा है, न तो वह मोबाईल फोन बरामद हुआ है और न ही उक्त फोन की

(385)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सिम ही बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त उक्त मोबाईल फोन नम्बर पी. डब्ल्यू. 24 ज्ञानसिंह भदौरिया के नाम से जारी था। पी. डब्ल्यू. 24 ज्ञानसिंह भदौरिया ने साक्ष्य में उपस्थित होकर यह बताया है कि उक्त मोबाईल फोन उसके पास ही रहता था, उसका पेमेन्ट भी वह ही करता था। इस गवाह को पक्षद्रोही करवा कर अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में उसने इस बात को गलत बताया है कि उसने मोबाईल खरीद कर आसाराम बापू को दिया हो। पी. डब्ल्यू. 6 रणजीत अभियोजन पक्ष का गवाह है, उसने स्पष्ट कथन किया है कि 14 अगस्त को यू. पी. से जो एक आदमी, एक औरत व एक बच्ची आये थे, बच्ची की बापू जी से कोई बात नहीं हुई। इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही भी नहीं करवाया गया है। अतः अभियोजन उस गवाह के बयानों से बाध्य है। पी. डब्ल्यू. 22 रामकिशोर उर्फ किशोर भी अभियोजन साक्षी है। उक्त गवाह ने भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि कर्मवीर की बेटी ने 14 अगस्त को आने के बाद अभियुक्त आसाराम से कोई बात की हो। उक्त गवाह के कथनों से भी अभियोजन पक्ष बाध्य है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध से अभियुक्त आसाराम को जोड़ पाने में नितान्त असफल रहा है।

387— जहां तक अभियुक्त शिल्पी का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित है कि शिल्पी ने पीड़िता को यह कहा कि वह अपने परिवार वालों को कहे कि उसे किसी अच्छे अस्पताल में दिखायें। उसके द्वारा पीड़िता के माता पिता को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि वे किसी विशिष्ट स्थल पर ले जाकर पीड़िता को अभियुक्त आसाराम को दिखाया। दिनांक 9-8-2013 को प्रदर्श-डी-18 देकर पीड़िता के माता पिता उसे अपने साथ ले गये थे। तब से लगातार पीड़िता उनकी कस्टडी में ही रही है। जिस समय पीड़िता ने होस्टल छोड़ा, उसके पश्चात् शिल्पी की कस्टडी में वह नहीं रही। शिल्पी को मोबाईल नम्बर 9303752153 से जोड़ा गया है। उक्त मोबाईल पी. डब्ल्यू. 31 देवेन्द्र पंवार के स्वामित्व का है। गवाह पी. डब्ल्यू. 31 देवेन्द्र पंवार ने न्यायालय में उपस्थित होकर आश्रम के काम के लिये गुरुकुल आश्रम छिन्दवाड़ा में दे देना कहा है। इस गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित करवा कर जिरह की गई है। जिरह में गवाह ने स्पष्ट मना किया है कि उसने यह सिम 9303752153 गुरुकुल

(386)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

छिन्दवाड़ा में एक डायरेक्टर महिला को दी हो। वह बच्चों के उपयोग के लिये उक्त मोबाईल देना कहता है। दिनांक 9-8-2013 के पश्चात् कर्मवीर या उसके परिवार का शिल्पी से कोई सम्पर्क हुआ हो अथवा शिल्पी ने कर्मवीर को फोन कर कोई निर्देश दिया हो अथवा यह जानकारी चाही हो कि वह अभियुक्त आसाराम तक गया या नहीं। ऐसी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष न तो यह साबित कर पाया है कि उक्त वर्णित दोनों मोबाईल फोन का उपयोग आरोपित अपराध कारित करने के लिये आपराधिक षड्यन्त्र के तहत अभियुक्तगण द्वारा किया गया था और न ही अभियोजन पक्ष यह साबित कर पाया है कि दिनांक 9-6-2013 के पश्चात् अभियुक्ता शिल्पी ने कोई ओवर एक्ट करते हुए कोई आपराधिक कृत्य किया हो और न ही अभियोजन पक्ष यह साबित कर पाया है कि अभियुक्त आसाराम ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिल कर आपराधिक षड्यन्त्र करके पीड़िता का यौन शोषण किया।

388— अभियुक्त प्रकाश के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4, पीड़िता के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श-डी-2, एन.जी.ओ. रिपोर्ट प्रदर्श-डी-4 एवं पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श-पी-7 में प्रकाश का नाम नहीं है। जिस मोबाईल फोन नं. 9321933400 से प्रकाश द्वारा आसाराम को अन्य अभियुक्तगण से बात करना बताया जा रहा है, वह फोन बरामद नहीं हुआ है। प्रकाश की शिनाख्तगी कार्यवाही भी नहीं करवाई गई है कि वह रसोईये के रूप में कार्यरत था भी या नहीं। पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह के मुख्य परीक्षण (पेज नं. 6) एवं जिरह (पेज नं. 72) में इस बाबत् विरोधाभास है कि रसोईये के उसे व उसके पति को सोने के लिये कहने पर उसके पति रूक कर गये या तत्काल चले गये। जबकि पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह ने मुख्य परीक्षण में ही स्वयं को नींद आने के कारण कमरे में जाकर सोना कहा है। सर्वप्रथम तो जिस समय की घटना बताई जा रही है, उस समय सगाई का कार्यक्रम चल रहा था और पीड़िता व उसका परिवार अभियुक्त आसाराम की कुटिया की तरफ नहीं गये। अतः ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी। यदि कोई घटना मान भी ली जाये तो

(387)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अभियुक्त प्रकाश का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः अभियुक्त प्रकाश की आरोपित अपराध में संलिप्तता पूर्णतः निराधार है बल्कि उसे कृत्रिम रूप से संलिप्त करने का प्रयास किया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई अपराध साबित नहीं है।

389— अभियुक्त शिवा के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश बोड़ा मय सहयोगी अधिवक्ता श्री निशान्त बोड़ा ने यह तर्क दिया है कि यदि अभियोजन कहानी पर विश्वास कर भी लिया जाये तो भी स्वयं अनुसन्धान अधिकारी के अनुसार शेष अभियुक्तगण में से सिर्फ प्रकाश के फोन पर अभियुक्त शिवा की बात हुई। प्रकाश का फोन बरामद नहीं हुआ है। पी. डब्ल्यू. 24 ज्ञानसिंह भदौरिया ने उक्त फोन नम्बर 9321933400 स्वयं काम में लेना बताया है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण साक्ष्य से प्रकट है कि इस घटनाक्रम में शिवा की भूमिका मात्र इतनी है कि उसे पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह ने फोन कर अभियुक्त आसाराम की लोकेशन मालूम की एवं उसने लोकेशन बताई। अभियुक्त शिवा की ओर से कर्मवीरसिंह को एक भी कॉल नहीं की गई है। यदि अभियुक्त शिवा की रुचि परिवादी कर्मवीरसिंह को उसकी पुत्री के साथ बुलवा कर आसाराम से मिलवाने की होती तो वह स्वयं फोन कर परिवादी परिवार की लोकेशन मालूम करता। किसी भी गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि दिनांक 14 व 15-8-2013 को अभियुक्त शिवा मणार्ई आश्रम में मौजूद हो। ऐसी स्थिति में शिवा के विरुद्ध कोई अपराध साबित नहीं हुआ है।

390— अभियुक्त शरद् के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा मय सहयोगी अधिवक्ता श्री भावित शर्मा एवं अधिवक्ता श्री वेदप्रकाश मंगला का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 में अभियुक्त शरद् के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श-पी-7 में भी शरद् के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। एन. जी. ओ. रिपोर्ट प्रदर्श-डी-4 में भी शरद् के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में सोच विचार कर धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अभियुक्त शरदचन्द्र का नाम जोड़ा गया है। अभियुक्त शरदचन्द्र का फोन नम्बर 9354719340 होना बताया गया है। उक्त फोन पी. डब्ल्यू. 32 नितिन भल्ला का

(388)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

है, जो पक्षद्रोही हो गया है तथा इस बात से इन्कार करता है कि उसने उक्त फोन शरद् को दिया हो, वरन् फोन सुशील को देना कहता है।

391— अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने सम्माननीय विनिश्चय पेश किये हैं जिनका विवेचन के दौरान अवलम्बन लिया जायेगा।

392— मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

393— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120—क इस प्रकार है:—

120—क. आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा— जबकि दो या अधिक व्यक्ति—

(1) कोई अवैध कार्य, अथवा

(2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं। तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है:

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है।

394— माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक षडयंत्र के लिए यह आवश्यक बताया है कि वो व्यक्ति जिन पर षडयंत्र करने का अभियोग है, के मध्य सहमति होनी चाहिए एवं उक्त सहमति किसी अवैध कृत्य को करने के लिए हो या किसी कृत्य को जो स्वयं अवैध नहीं है किन्तु अवैध साधनों से करने के लिए हो एवं ऐसी सहमति को या तो सीधी साक्ष्य से या परिस्थिति जन्य साक्ष्य से अथवा दोनों से साबित की जा सकती है।

395— माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि यह सामान्य अनुभव का मामला है कि षडयंत्र को साबित करने के लिए सीधी साक्ष्य

(389)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

शायद ही उपलब्ध हो। अतः घटना के समय उससे पहले व बाद की साबित की गई परिस्थितियों को अभियुक्त की सहअपराधिता तय करते समय ध्यान में रखना होगा।

396— माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अवधारित किया है कि यदि उक्त परिस्थितियों से अभियुक्त व्यक्तियों की निर्दोषिता भी प्रकट होती हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन ने मामला सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यदि अभियुक्त का कुछ कृत्य किया जाना साबित भी है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वो कृत्य आरोपित षडयंत्र के पक्षकारों के मध्य हुई सहमति के अनुसरण में किए गए हैं। उक्त साबित परिस्थितियों से अपराध के सम्बन्ध में निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब उक्त परिस्थितियों से कोई अन्य उचित स्पष्टीकरण न निकल सके।

397— माननीय उच्चतम न्यायालय ने "P K. Narayanan vs State Of Kerala, 1995 SCC (1) 142" के सम्माननीय विनिश्चय में उपरोक्त मत प्रकट किया है।

10. The ingredients of this offence are that there should be an agreement between the persons who are alleged to conspire and the said agreement should be for doing of an illegal act or for doing by illegal means an act which by itself may not be illegal. Therefore the essence of criminal conspiracy is an agreement to do an illegal act and such an agreement can be proved either by direct evidence or by circumstantial evidence or by both and it is a matter of common experience that direct evidence to prove conspiracy is rarely available. Therefore the circumstances proved before, during and after the occurrence have to be considered to decide about the complicity of the accused. But if those circumstances are compatible also with the innocence of the accused persons then it cannot be held that the prosecution has

(390)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

successfully established its case. Even if some acts are proved to have been committed it must be clear that they were so committed in pursuance of an agreement made between the accused who were parties to the alleged conspiracy. Inferences from such proved circumstances regarding the guilt may be drawn only when such circumstances are incapable of any other reasonable explanation.

398— माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में यह मत प्रतिपादित किया है कि यह सुस्थापित है कि एक षडयंत्र सामान्य तौर पर गोपनीय तरीके से गठित किया जाता है। न्यायालय को परिस्थितिजन्य साक्ष्य को विचार में लेना पड़ सकता है लेकिन ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक है। मात्र ज्ञान या विचार—विमर्श नहीं।

(1)- Baldev Singh vs State Of Punjab
(2009) 6 SCC 564

It is now, however, well settled that a conspiracy ordinarily is hatched in secrecy. The court for the purpose of arriving at a finding as to whether the said offence has been committed or not may take into consideration the circumstantial evidence. While however doing so, it must be borne in mind that meeting of the mind is essential; mere knowledge or discussion would not be.

399— माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में यह आवश्यक बताया है कि धारा 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए न्यायालय के पास यह विश्वास करने का उचित आधार होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध कारित करने के लिए साथ—साथ षडयंत्र किया है।

(391)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

(1)- Saju vs State Of Kerala

(2001) 1 SCC 378

In a criminal case the onus lies on the prosecution to prove affirmatively that the accused was directly and personally connected with the acts or omissions attributable to the crime committed by him. It is settled position of law that act or action of one of the accused cannot be used as evidence against other. However, an exception has been carved out under [Section 10](#) of the Evidence Act in the case of conspiracy. To attract the applicability of [Section 10](#) of the Evidence Act, the Court must have reasonable ground to believe that two or more persons had conspired together for committing an offence. It is only then that the evidence of action or statement made by one of the accused could be used as evidence against the other.

.....

.....

.....

To prove the charge of abetment, the prosecution is required to prove that the abettor had instigated for the doing of a particular thing or engaged with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing or intentionally aided by an act of illegal omission, doing of that thing.

400— माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया है कि धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों के मध्य किसी अवैध कृत्य को करने के लिए सहमति हो। यह सत्य है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य से षडयंत्र को स्थापित कर पाना मुश्किल है। अतः स्थापित तथ्यों से ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किन्तु ऐसी कोई सामग्री होनी चाहिए जो षडयंत्र एवं षडयंत्र के

(392)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अनुसरण में किए गए कृत्य के मध्य सम्बन्ध स्थापित करती हो।

(1)- Vijayan Rajan vs State Of Kerala
1999 Cr. L. R. (SC) 259

So far as the circumstances for bringing home the charge of conspiracy under [Section 120B](#) against accused Sadanandan is concerned less said the better. To bring home the charge of conspiracy within the ambit of [Section 120B](#) of the Indian Penal Code it is necessary to establish that there was an agreement between the parties for doing an unlawful act. It is no doubt true that it is difficult to establish conspiracy by direct evidence and, therefore, from established facts inference could be drawn but there must be some material from which it would be reasonable to establish a connection between the alleged conspiracy and the act done pursuant to the said conspiracy.

401— माननीय उच्चतम न्यायालय ने “भगवान स्वरूप बनाम महाराष्ट्र राज्य 1965 (1) क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज-608” के सम्माननीय विनिश्चय में धारा 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को उद्धरित करते हुए यह प्रतिपादित किया कि यह धारा तभी प्रयुक्त की जा सकती है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि दो या अधिक व्यक्तियों ने साथ-साथ कोई अपराध कारित करने के लिए षडयंत्र किया है अर्थात् किसी व्यक्ति के कृत्यों को सह-षडयंत्र कर्त्ताओं के विरुद्ध प्रयुक्त करने से पूर्व प्रथम दृष्टया साक्ष्य होनी चाहिए कि वह व्यक्ति षडयंत्र का पक्षकार था।

402— माननीय उच्चतम न्यायालय ने “चन्द्रप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य (2014) 3 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 457” में यह मत प्रतिपादित किया है कि आपराधिक षडयन्त्र से डील करते समय यह मस्तिष्क में रखना चाहिये कि षडयन्त्र के मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकती। पक्षकारों के मध्य अभिव्यक्त सहमति साबित नहीं की जा सकती। अभियुक्त की अपराध में सहभागिता को

(393)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

तय करने के लिये घटना के पूर्व, घटना के समय व पश्चात् की साबित परिस्थितियां विचार में लाई जानी चाहिये। ऐसा षड्यन्त्र कभी खुले में नहीं किया जाता है इसलिये साबित परिस्थितियों का आंकलन आपराधिक षड्यन्त्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

403— माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं :-

(1)- Mohd. Khalid vs State Of West Bengal

(2002) 7 SCC 334

17. It would be appropriate to deal with the question of conspiracy. [Section 120B](#) of IPC is the provision which provides for punishment for criminal conspiracy. Definition of 'criminal conspiracy' given in [Section 120A](#) reads as follows:

"120A-When two or more persons agree to do, or cause to be done,-

(1) all illegal act, or

(2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy;

Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof.' The elements of a criminal conspiracy have been stated to be:

(a) an object to be accomplished,

(b) a plan or scheme embodying means to accomplish that object,

(c) an agreement or understanding between two or more of the accused persons whereby, they become definitely committed to co-operate for the accomplishment of the object by the means embodied in the agreement, or by any

effectual means,

(d) in the jurisdiction where the statute required an overt act. The essence of a criminal conspiracy is the unlawful combination and ordinarily the offence is complete when the combination is framed. From this, it necessarily follows that unless the statute so requires, no overt act need be done in furtherance of the conspiracy, and that the object of the combination need not be accomplished, in order to constitute an indictable offence. Law making conspiracy a crime, is designed to curb immoderate power to do mischief which is gained by a combination of the means. The encouragement and support which co-conspirators give to one another rendering enterprises possible which, if left to individual effort, would have been impossible, furnish the ground for visiting conspirators and abettors with condign punishment. The conspiracy is held to be continued and renewed as to all its members wherever and whenever any member of the conspiracy acts in furtherance of the common design.

- (2)- State of Tamil Nadu through Superintendent of Police, CBI/SIT vs. Nalini and 25 others
(1999) SCC (Cri.) 691

इस सम्माननीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती विनिश्चयों का सार वर्णित करते हुए षड्यन्त्र की विधि को शासित करने वाले कुछ सिद्धान्तों को इस प्रकार संक्षेप में वर्णित किया है :-

Some of the broad principles governing the law of conspiracy may be summarized though, as the name implies, a summary cannot be exhaustive of the principles.

1. Under [Section 120A](#) IPC offence of criminal conspiracy

is committed when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or legal act by illegal means. When it is legal act by illegal means overt act is necessary. Offence of criminal conspiracy is exception to the general law where intent alone does not constitute crime. It is intention to commit crime and joining hands with persons having the same intention. Not only the intention but there has to be agreement to carry out the object of the intention, which is an offence. The question for consideration in a case is did all the accused had the intention and did they agree that the crime be committed. It would not be enough for the offence of conspiracy when some of the accused merely entertained a wish, howsoever, horrendous it may be, that offence be committed.

2. Acts subsequent to the achieving of object of conspiracy may tend to prove that a particular accused was party to the conspiracy. Once the object of conspiracy has been achieved, any subsequent act, which may be unlawful, would not make the accused a part of the conspiracy like giving shelter to an absconder.

3. Conspiracy is hatched in private or in secrecy. It is rarely possible to establish a conspiracy by direct evidence. Usually, both the existence of the conspiracy and its objects have to be inferred from the circumstances and the conduct of the accused.

4. Conspirators may, for example, be enrolled in a chain A enrolling B, B enrolling C, and so on; and all will be members of a single conspiracy if they so intend and agree, even though each member knows only the person who enrolled him and the person whom he enrolls. There may be a kind of umbrella-spoke enrollment, where a single

person at the centre doing the enrolling and all the other members being unknown to each other, though they know that there are to be other members. These are theories and in practice it may be difficult to tell whether the conspiracy in a particular case falls into which category. It may, however, even overlap. But then there has to be present mutual interest. Persons may be members of single conspiracy even though each is ignorant of the identity of many others who may have diverse role to play. It is not a part of the crime of conspiracy that all the conspirators need to agree to play the same or an active role.

5. When two or more persons agree to commit a crime of conspiracy, then regardless of making or considering any plans for its commission, and despite the fact that no step is taken by any such person to carry out their common purpose, a crime is committed by each and every one who joins in the agreement. There has thus to be two conspirators and there may be more than that. To prove the charge of conspiracy it is not necessary that intended crime was committed or not. If committed it may further help prosecution to prove the charge of conspiracy.

6. It is not necessary that all conspirators should agree to the common purpose at the same time. They may join with other conspirators at any time before the consummation of the intended objective, and all are equally responsible. What part each conspirator is to play may not be known to everyone or the fact as to when a conspirator joined the conspiracy and when he left.

7. A charge of conspiracy may prejudice the accused because it is forced them into a joint trial and the court may consider the entire mass of evidence against every

accused. Prosecution has to produce evidence not only to show that each of the accused has knowledge of object of conspiracy but also of the agreement. In the charge of conspiracy court has to guard itself against the danger of unfairness to the accused. Introduction of evidence against some may result in the conviction of all, which is to be avoided. By means of evidence in conspiracy, which is otherwise inadmissible in the trial of any other substantive offence prosecution tries to implicate the accused not only in the conspiracy itself but also in the substantive crime of the alleged conspirators. There is always difficulty in tracing the precise contribution of each member of the conspiracy but then there has to be cogent and convincing evidence against each one of the accused charged with the offence of conspiracy. As observed by Judge Learned Hand that "this distinction is important today when many prosecutors seek to sweep within the dragnet of conspiracy all those who have been associated in any degree whatever with the main offenders".

8. As stated above it is the unlawful agreement and not its accomplishment, which is the gist or essence of the crime of conspiracy. Offence of criminal conspiracy is complete even though there is no agreement as to the means by which the purpose is to be accomplished. It is the unlawful agreement, which is the gravaman of the crime of conspiracy. The unlawful agreement which amounts to a conspiracy need not be formal or express, but may be inherent in and inferred from the circumstances, especially declarations, acts, and conduct of the conspirators. The agreement need not be entered into by all the parties to it at the same time, but may be reached by successive actions

evidencing their joining of the conspiracy.

9. It has been said that a criminal conspiracy is a partnership in crime, and that there is in each conspiracy a joint or mutual agency for the prosecution of a common plan. Thus, if two or more persons enter into a conspiracy, any act done by any of them pursuant to the agreement is, in contemplation of law, the act of each of them and they are jointly responsible therefor. This means that everything said, written or done by any of the conspirators in execution or furtherance of the common purpose is deemed to have been said, done, or written by each of them. And this joint responsibility extends not only to what is done by any of the conspirators pursuant to the original agreement but also to collateral acts incident to and growing out of the original purpose. A conspirator is not responsible, however, for acts done by a co-conspirator after termination of the conspiracy. The joinder of a conspiracy by a new member does not create a new conspiracy nor does it change the status of the other conspirators, and the mere fact that conspirators individually or in groups perform different tasks to a common end does not split up a conspiracy into several different conspiracies.

10. A man may join a conspiracy by word or by deed. However, criminal responsibility for a conspiracy requires more than a merely passive attitude towards an existing conspiracy. One who commits an overt act with knowledge of the conspiracy is guilty. And one who tacitly consents to the object of a conspiracy and goes along with other conspirators, actually standing by while the others put the conspiracy into effect, is guilty though he intends to take no active part in the crime.

(399)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

404- उपरोक्त समस्त सम्माननीय विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में हम अब इस बिन्दु पर विचार करते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष पीड़िता को अभियुक्त आसाराम के पास यौन शोषण के लिये दुर्व्यापार करने एवं इस हेतु आपराधिक षड्यन्त्र गठित करने का आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध सिद्ध कर पाया है अथवा नहीं ?

405- अभियुक्तगण के मध्य पीड़िता को अभियुक्त आशाराम के पास पहुंचाने की सहमति को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण की कॉल डिटेल् प्रदर्श-पी-141 लगायत प्रदर्श-पी-149 पेश की गई है। पी. डब्ल्यू-44 विनय कुमार शर्मा, नोडल ऑफिसर रिलायंस ने साक्ष्य में उपस्थित हो कर उक्त कॉल डिटेल् देना व धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रदर्श-पी-140 जारी करना कहा है। उक्त पत्र के माध्यम से मोबाईल नंबर 9321933400 की दिनांक 1 मई 2013 से 30 अगस्त, 2013 की एवं मोबाईल नंबर 9303752153, 9329836250, 9354719340, 9303805181, 9329993499, 9321354965, 7804907062 की दिनांक 1 अगस्त, 2013 से 30 अगस्त, 2013 तक की कॉल डिटेल् पेश करना कहा गया है। पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा अनुसंधान अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मोबाईल नंबर 9121933400 अभियुक्त आशाराम के रसोईया प्रकाश के पास होता था, जिसे अभियुक्त आशाराम उपभोग करता था। उक्त नम्बर की सिम श्री ज्ञानसिंह भदोरिया के नाम की थी। मोबाईल नम्बर 9354719340 और मोबाईल नम्बर 9303805181, 9329993499 अभियुक्त शरद उपयोग में लेता था। सिमधारक नितीन एवं लल्लू वंशी थे, मोबाईल नम्बर 7804907062, 9329836250, 9303752153 अभियुक्त शिल्पी उर्फ संचिता उपयोग में लेती थी जिसके सिम धारक देवन्द्र पंवार से अनुसंधान किया गया। मोबाईल नम्बर 7804907062 की सिम अभियुक्ता शिल्पी की जामा तलाशी में प्राप्त ब्लैकबेरी मोबाईल से प्राप्त हुई थी, जिसे वजह सबूत जब्त किया गया था। मोबाईल नम्बर 9321354965, अभियुक्त शिवा उपयोग करता था, जो सिम महादेव अहीर के नाम की थी। मोबाईल 78765502251 पीड़िता के भाई कर्मवीरसिंह, मोबाईल नम्बर 9415035839 पीड़िता के भाई सोमवीर के नम्बर मोबाईल नम्बर

(400)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

7398489885 पीड़िता की माता सुनिता सिंह के थे।

406— अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्तानुसार मोबाईल नम्बरों को उनके उपयोग कर्ताओं से जोड़ पाने में समर्थ रहा है ?

407— पी.डब्लू-43 चंचल मिश्रा ने अभियुक्त आशाराम को जरिए फर्द प्रदर्श पी-52 गिरफ्तार करना कहा है, जिसकी पुष्टि पी. डब्लू-41 मुक्ता पारिख एवं पी. डब्लू-27 सत्यप्रकाश करते हैं। इस अभियुक्त से कोई मोबाईल फोन या सिम बरामद नहीं हुई है।

408— पी.डब्लू-43 चंचल मिश्रा अनुसंधान अधिकारी ने दिनांक 2-9-2013 को अभियुक्त शिवा उर्फ शिवराम को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-68 गिरफ्तार करना एवं उसकी जामा तलाशी से आरोपी से दो मोबाईल फोन एक काला रंग का वेरीजोन कम्पनी (वर्जन) का एवं एक नोकिया का मोबाईल मय सिम जब्त करना कहा है। उसके कथनों की ताईद पी. डब्ल्यू-29 पप्पाराम व पी. डब्ल्यू-30 राम देव करते हैं। फर्द प्रदर्श-पी-68 में वर्णित है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में एक मोबाईल ब्लैक वेरीजोन कम्पनी का सिम नम्बर 09321344965 एवं मोबाईल नोकिया मोडल 112 सिम नम्बर 09017810664 प्राप्त हुए हैं। पी. डब्ल्यू-15 कुशाल राम ने दिनांक 2-9-2013 को महिला पुलिस थाना पश्चिम, जोधपुर में मालखाना इन्चार्ज के पद पर पदस्थापित रहते हुए एसीपी चंचल मिश्रा ने अभियुक्त शिवा की जामा तलाशी में लिए दो मोबाईल जमा करवाए थे, जिन्हें मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 3 में जमा किया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श-पी-37 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श-पी-37ए है। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण द्वारा यह आक्षेप लगाया गया है कि असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श-पी-37 में सम्बन्धित पुलिस अधिकारीगण द्वारा टेम्परिंग की गई है। न्यायालय में प्रमाणित प्रति प्रदर्श-पी-37-ए पेश होने के बाद उक्त रजिस्टर की प्रविष्टियों में छेड़छाड़ कर तब्दीली की गई है। अतः उक्त रजिस्टर न सिर्फ साक्ष्य में अपठन योग्य है वरन् उक्त रजिस्टर में छेड़छाड़ करने वाले पुलिस अधिकारीगण के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाये। हमने बचाव पक्ष के उक्त कथनों पर मनन किया तथा कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना महिला पश्चिम महानगर के मालखाना

(401)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रजिस्टर वर्ष 2013 व 2014 की सम्बन्धित प्रविष्टियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

हमारे द्वारा उक्त प्रविष्टियों प्रदर्श-पी-37 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि क्रम संख्या 3 इस प्रकरण के माल की प्रविष्टि की गई थी। इस प्रकरण में बरामद माल दिनांक 2-9-2013, 6-9-2013, 6-9-2013, 26-9-2013, 25-9-2013, 29-9-2013, 3-10-2013 व 5-11-2013 को जमा मालखाना करवाया गया। हर बार पृथक प्रविष्टि की गई जिसे क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नम्बर दिया गया। तत्पश्चात् 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को काट कर उनके स्थान पर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, अंकित किया गया। उक्त भूल सुधार को रजिस्टर में टेम्परिंग की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अतः इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं।

409- उक्त साक्ष्य से सिद्ध है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि मोबाईल नम्बर 9321354965 एवं 9017810664 अभियुक्त शिव उर्फ सवाराम द्वारा प्रयोग किया जा रहा था।

410- पी.डब्लू-43 चंचल मिश्रा ने अभियुक्त प्रकाश द्विवेदी को दिनांक 20.09.2013 को जरिए फर्द प्रदर्श-पी-71 गिरफ्तार करना कहा है। जिसकी ताईद पी. डब्ल्यू-29 पप्पाराम और पी. डब्ल्यू-38 बाबूसिंह ने अपने बयानों में कही है। अनुसंधान अधिकारी पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा का कथन है कि अभियुक्त प्रकाश ने स्वेच्छा से उसे बताया कि अभियुक्त आशाराम का मोबाईल जिसका नम्बर 9321933400 है, मणार्ई में उसके पास था, जो अहमदाबाद आश्रम में उसके कक्ष में रखा हुआ है, जिसे चलकर बरामद करवा सकता है। उक्त सूचना के आधार पर फर्द सूचना प्रदर्श-पी-123 अन्तर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुर्तीब की गई एवं बरामदगी के लिए रामदेव एसआई को मय टीम मय अभियुक्त के कहे अनुसार अहमदाबाद रवाना किया गया जहां एसआई रामदेव द्वारा अभियुक्त प्रकाश के आवासीय स्थल की तलाशी ली गई। परन्तु अभियुक्त के बताए अनुसार स्थान पर मोबाईल नहीं मिला। फर्द खाना तलाशी एसआई रामदेव द्वारा बनाई गई, जो फर्द प्रदर्श-पी-73 है। पी.डब्लू-30

(402)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

रामेदव ने अपने बयान में इस तथ्य की ताईद की है। अतः स्पष्ट है कि वह मोबाईल तथा सिम नम्बर 9321933400 बरामद नहीं हुआ। अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त मोबाईल व सिम के स्वामी ज्ञानसिंह भदोरिया के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए। जिसके अनुसार अनुसंधान अधिकारी को कहना बताया कि उसने अभियुक्त आशाराम के कहने से उक्त सिम 9321933400 खरीद कर प्रयोग करने के लिए उसे दी थी। किन्तु उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू-24 ज्ञानसिंह भदोरिया पक्षद्रोही हो गया है तथा न्यायालय में इस तथ्य की ताईद नहीं करता है कि उसने उक्त सिम खरीद कर अभियुक्त आशाराम को दी। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाकर जिरह की गई है। जिरह में गवाह कथन करता है कि मोबाईल नम्बर 9321933400 उसके पास ही रहता था और किसी के पास नहीं रहता था। जिरह में गवाह इस बात को गलत बताता है कि उसने यह मोबाईल खरीदकर बापू को दिया है और अगस्त, 2013 तक मोबाईल प्रकाश रसोईये के पास रहा हो और वही इस फोन से बापू की बात करवाता हो। उसने इस बात को भी गलत बताया है कि दिनांक 27.08.2013 को प्रकाश ने उसे यह कहा हो कि पुलिस केस हो गया है, इसलिए यह सिम बदलवा दो। यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी-146 कॉल डिटेल जिसे पी. डब्ल्यू-44 विनय कुमार शर्मा ने साबित किया है कि उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि 9321933400 की लोकेशन दिनांक 05.08.2013 को सुमेरपुर एवं शिवगंज, दिनांक 06.08.2013 को शिवगंज, सिरोही तथा जालोर, दिनांक 07.08.2013 को जालोर, दिनांक 08.08.2013 को बाडमेर, दिनांक 09.08.2013 को बालोतरा व पचपदरा तत्पश्चात् रात्रि में जोधपुर, दिनांक 10.08.2013 को जोधपुर, 10.08.2013 व 11.08.2013 को जोधपुर एवं शाम से कालीबेरी, रूपवतों का बेरा, सूरसागर की आ रही है जो दिनांक 16-8-2013 तक 10.30 बजे तक उस स्थान या आस पास की है। तत्पश्चात् दिनांक 16-8-2013 को लगभग 2-30 से यह कॉल डिटेल के अनुसार यह मोबाईल फोन चलना शुरू हुआ, जो पावटा सी रोड, बीजेएस कॉलोनी, बिलाडा, जैतारण, सेन्द्रा, ब्यावर, दूदू, जयपुर, भाखरोटा, जयपुर से होते हुए दिनांक 17-8-2013 को सुबह चलकर विलेज राजकोरी पहुंचा है। दिनांक

(403)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

18-8-2013, 19-8-2013 तथा 20-08-2013 प्रातः 9 बजे तक की लोकेशन दिल्ली तक की आ रही है तत्पश्चात् 6 बजे से उक्त मोबाईल की लोकेशन अहमदाबाद की है। यदि हम बचाव पक्ष के साक्षी डीडब्लू-2 चनणाराम कुमावत के बयान का अवलोकन करें तो उसका कथन है कि वह 04.08.13 व 05-08-2013 को अभियुक्त आशाराम के सुमेरपुर में हुए सत्संग में गया था। वह बाडमेर में दिनांक 08.08.2013 को बापू आशाराम का सत्संग होना कहता है। वह दिनांक 07.08.2013 को बापू आशाराम का भीनमाल (जालोर) से बाडमेर आना कहता है। बचाव पक्ष के साक्षीगण अभियुक्त आशाराम का दिनांक 11-8-2013 से दिनांक 16.08.2013 तक मणाई आश्रम में रहना बताते हैं। अतः यह सन्देह उत्पन्न होता है कि उक्त मोबाईल नम्बर 9321933400 अभियुक्त आशाराम के ही साथ रहा हो। किन्तु सन्देह कितना भी प्रबल हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। पी. डब्ल्यू-24 ज्ञानसिंह भदोरिया ने अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया है कि दिनांक 10.08.13 से लेकर 16-8-13 तक वह बापू जी के कार्यक्रम के दौरान साथ था। अभियुक्त दिनांक 16-8-13 को जोधपुर से चला गया था एवं गवाह वही रहा था। वह दिनांक 16-8-2013 को जोधपुर से दिल्ली सडक मार्ग से निकलने का कहता है। गवाह दिनांक 7-8-13 से 10-8-2013 तक छिन्दवाडा गर्ल्स होस्टल से नैहा तोतलानी से बात होना कहता है तथा दिनांक 6-8-13 से 15-8-13 तक छिन्दवाडा बॉयज होस्टल में रहने वाले सुशील से भी बात होना कहता है। पी. डब्ल्यू-36 नैहा तोतलानी ने इस गवाह के कथनों की पुष्टि की है। अतः मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष सन्देह से परे यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि मोबाईल नम्बर 9321933400 अभियुक्त प्रकाश के पास रहता हो। जिसे अभियुक्त आशाराम काम में लेता हो।

411- अनुसंधान अधिकारी पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने दिनांक 20-09-2013 को अभियुक्त शरदचन्द्र को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श-पी-72 गिरफ्तार करना कहा है। उक्त फर्द गिरफ्तारी की ताईद पी. डब्ल्यू-29 पप्पाराम एवं पी. डब्ल्यू-38 बाबूसिंह ने की है। पी. डब्ल्यू-43 अनुसंधान अधिकारी चंचल मिश्रा ने अभियुक्त शरदचन्द्र का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड प्राप्त

(404)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कर दौराने अनुसंधान उसके द्वारा स्वेच्छा से यह कहना बताया कि उसके दो मोबाईल नम्बर 9329993499 और 9354719340 गुरुकुल छिन्दवाडा बालक छात्रावास के निजी कमरे की दराज में रखे है जो चलकर बरामद करवा सकता है। जिस पर फर्द इतला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श-पी-124 तैयार की। उक्त सूचना पर बरामदगी हेतु एवं अन्य अनुसंधान हेतु थानाधिकारी महिला थाना पश्चिम सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारिख को मय अभियुक्त छिन्दवाडा मध्यप्रदेश रवाना किया गया। जिसने संत श्री आशाराम गुरुकुल के बालक छात्रावास से अभियुक्त के कथानुसार एक मोबाईल सैमसंग रिलायन्स और 8 सिम रिलायंस, एक सिम एयरटेल, एक सिम डोकेमो कुल 10 सिम जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श-पी-59 है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श-पी-60 है। पी. डब्ल्यू-41 मुक्ता पारिख ने अनुसंधान अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 24.09.2013 को अभियुक्त शरदचन्द्र की सूचना पर बरामदगी हेतु छिन्दवाडा स्थित संत श्री आशाराम गुरुकुल, परासिया रोड होना कहा है। अभियुक्त शरदचन्द्र की सूचना के अनुसार उसके सामने एक मोबाईल मय बैटरी व सिम तथा 10 अन्य सिम पेश की, उक्त सभी को उसके द्वारा मौतबिरान मोतीराम व राजेन्द्र के समक्ष जरिए फर्द जब्त किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श-पी-59 है गवाह ने न्यायालय के समक्ष उक्त फर्द के माध्यम से बरामदशुदा मोबाईल आर्टिकल-20 व बरामद शुदा सिम आर्टिकल-21 लगायत आर्टिकल-30 न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रदर्शित किया है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श-पी-60 बनाना कहती है। उक्त गवाहों के कथनों की ताईद पी. डब्ल्यू-28 मोतीराम ने की है। पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने उक्त अभियुक्त से मिली रिलायंस की सिमों की डिटेल के बारे में पता लगाने के लिए रिलायंस कम्पनी के नोडल ऑफिसर को पत्र लिखना एवं इस बाबत रिपोर्ट प्रदर्श-पी-129 प्राप्त होना कहा है।

412- हमने प्रदर्श-पी-59 द्वारा जब्त सिमों के नम्बरों का मिलना प्रदर्श-पी-129 रिलायंस के नोडल ऑफिसर की रिपोर्ट से किया। प्रदर्श-पी-59 में बरामदशुदा रिलायंस की सिमों में नम्बर 008806763 का हवाला है, जिसका मोबाईल नम्बर प्रदर्श-पी-129 में 9373976316 बताया गया है। इसी प्रकार

(405)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रदर्श-पी-59 में बरामदशुदा रिलायंस की सिमों में नम्बर 031907033 का हवाला है, जिसका मोबाईल नम्बर प्रदर्श-पी-129 में 9310229635 बताया गया है। अतः अभियोजन पक्ष मोबाईल नम्बर 9373976316 एवं 9310229635 का सम्बन्ध अभियुक्त शरदचन्द्र से जोड़ने में सफल रहा है।

413— यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू-40 उदय ने दिनांक 23-09-2013 को एक मोबाईल सैमसंग का एवं एक मोबाईल रिलायंस का क्रमशः आर्टिकल-4 व आर्टिकल-5 पेश करना कहा है एवं इसकी फर्द प्रदर्श-पी-35 पर अपना हस्ताक्षर होना बताता है। इस गवाह ने दिनांक 27-09-2013 को कार्बन का मोबाईल जिसमें रिलायंस की सिम थी, पेश करना बताया है। मोबाईल आर्टिकल-6 व फर्द प्रदर्श-पी-36 बताई है। पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने अपने बयान में एक मोबाईल रिलायंस कार्बन उदय छंगाणी द्वारा सब-इंस्पेक्टर रामदेव को महिला थाना में पेश करना कहा है, जिसकी फर्द पेशकर्ता प्रदर्श-पी-36 एवं मोबाईल आर्टिकल-6 है। आर्टिकल-6 स्वयं का एसआई रामदेव द्वारा कहना कहती है। पी. डब्ल्यू-30 रामदेव ने दिनांक 27-9-2013 महिला थाना पश्चिम पर उदय पुत्र श्री नवीन चन्द्र सामलानी द्वारा एक मोबाईल रिलायंस कम्पनी का शरदचन्द्र का होना बताते हुए पेश किया है, जिसे कब्जे लिया जाकर फर्द प्रदर्श-पी-36 बनाना गवाह कहता है। अभियोजन पक्ष द्वारा पी. डब्ल्यू-32 नितिन भल्ला के बयान लेखबद्ध करवाए गए हैं। गवाह ने मोबाईल नम्बर 9354719340 स्वयं का होना बताया है, जो वह वर्ष 2010-11 में लेना कहता है। यह गवाह पक्षद्रोही हो गया है और इस तथ्य से इन्कार करता है कि उसने उपरोक्त मोबाईल अपने भाई विवेक के कहने से खरीदा हो और विवेक ने वह मोबाईल शरदचन्द्र को दे दिया है। गवाह उक्त मोबाईल सुशील को देना कहता है। इस गवाह से अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह से भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे यह प्रकट होता हो कि मोबाईल नम्बर 9354719340 गवाह द्वारा अभियुक्त शरद को दिया गया हो तथा उसके द्वारा इस मोबाईल को प्रयुक्त किया गया हो। अतः मेरे विनम्र मत में पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने अभियुक्त शरदचन्द्र से सम्बन्धित जो मोबाईल शरदचन्द्र द्वारा प्रयोग किए गए मोबाईल बताए हैं, उनमें से किसी भी मोबाईल

(406)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

का सम्बन्ध अभियोजन पक्ष शरदचन्द्र से जोड पाने में असफल रहा है।

414— पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने दिनांक 25.09.2013 को अभियुक्ता शिल्पी को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-125 गिरफ्तार करना कहा है तथा उसकी जमा तलाशी में एक मोबाईल रंग काला ब्लैकबेरी कम्पनी का मय सिम नम्बर 7804907062 जब्त करना कहा है। हालांकि पी. डब्ल्यू-36 नैहा तोतलानी ने जिरह में उक्त नम्बर अपने हॉस्टल का नम्बर बताया है तथा पुलिस वालों के द्वारा मंगवाने के कारण शिल्पी का उक्त सिम को लेकर जोधपुर आना बताया है किन्तु मेरे विनम्र मत में उक्त सिम नम्बर 7804907062 मय मोबाईल अभियुक्ता शिल्पी से बरामद हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त मोबाईल नम्बर से अभियुक्ता शिल्पी का सम्बन्ध जोडने में अभियोजन पक्ष सफल हुआ है। पी. डब्ल्यू-36 नैहा तोतलानी ने स्वीकार किया है कि उक्त नम्बर के अतिरिक्त 9303752153 तथा 9329836250 उनके हॉस्टल के नम्बर है। वह स्वीकार करती है कि 9303752153 देवेन्द्र पंवार ने दिए थे। पी. डब्ल्यू-31 देवेन्द्र पंवार हालांकि पक्षद्रोही हो गया है किन्तु वह यह स्वीकार करता है कि मोबाईल नम्बर 9303752153 उसका है, जो उसने गुरुकुल आश्रम छिन्दवाडा में आश्रम के कार्य के लिए दे दिया था। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में उसने स्पष्ट किया है कि उसकी बच्ची उस समय गुरुकुल में पढती थी, इसलिए बच्चों के उपयोग हेतु दिया था। वह अपनी बच्ची का छिन्दवाडा हॉस्टल में पढना बताता है। नैहा तोतलानी को अभियोजन पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया है कि 9329836250 उसके हॉस्टल के नम्बर है, जिसे उसने स्वीकार किया। वह बचाव पक्ष की ओर से दिए गए इस सुझाव को भी स्वीकार करती है कि हॉस्टल में हर कक्षा की अलग-अलग वार्डन है और अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग इन्चार्ज है और इनके ऊपर संचालिका का पद है। पी. डब्ल्यू-40 उदय ने संचिता गुप्ता का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-पी-67 पेश किया है। पी. डब्ल्यू-37 श्रीराम कश्यप जोधपुर पुलिस को संत आशाराम गुरुगुल छिन्दवाडा की प्रबन्ध समिति द्वारा संचालक श्री शरदचन्द्र द्वारा संचिता गुप्ता को बालिका छात्रावास की अधिका/ संचालिका की नियुक्ति का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-पी-67 पेश करना कहता है और उस पर शरदचन्द्र के हस्ताक्षर होना बताता है। चूंकि घटना के

(407)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

समय अभियुक्ता शिल्पी का बालिका छात्रावास छिन्दवाडा की संचालिका होना साबित है अतः यह उपधारित किया जायेगा कि छात्रावास के मोबाईल नम्बर भी उसी के कब्जे में थे। उपरोक्त विवेचना के अनुसार मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष मोबाईल नम्बर 7804907062, 9329836250 एवं 9303752153 से अभियुक्त शिल्पी का सम्बन्ध जोड़ने में सफल रहा है।

415- पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह ने फोन नम्बर 9415035839 स्वयं के नाम से होना व अपने बेटे सोमवीर को दे रखा होना कहा है। पी. डब्ल्यू-12 सुनीता सिंह स्वयं का फोन नं. 7398489885 होना बताती है। पी. डब्ल्यू. 5 "सु" स्वीकार करती है कि 8765502251 उसके पिता कर्मवीरसिंह के नम्बर हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष निम्न प्रकार से मोबाईल फोन नम्बरों का सम्बन्धित व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करने में सफल रहा है।

क्रमांक	धारक का नाम	मोबाईल नम्बर
1-	कर्मवीरसिंह	8765502251
2-	सुनीतासिंह	7398489885
3-	सोमवीरसिंह	9415035839
4-	शिवा उर्फ सवाराम	9321344965 9017810664
5-	शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता	7804907062 9329836250 9303752153

416- अब हम पी. डब्ल्यू. 44 विनय कुमार शर्मा नोडल आफिसर रिलायन्स कम्युनिकेशन द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित एवं धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम के सर्टिफिकेट प्रदर्श-पी-140 से प्रमाणित कॉल डिटेल् प्रदर्श-पी-141 लगायत प्रदर्श-पी-148 के आधार पर यह देखते हैं कि दिनांक 6-8-2013 से 15-8-2013 के मध्य उक्त व्यक्तियों में किस किस व्यक्ति

(408)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मोबाईल फोन से किस व्यक्ति के मोबाईल फोन पर किस समय वार्ता हुई।

417- यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली में नोडल आफिसर पी. डब्ल्यू. 44 विनय कुमार शर्मा द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित कॉल डिटेल् प्रदर्श-पी-141 से प्रदर्श-पी-148 के अनुसार उपरोक्त चार्ट में वर्णित नम्बरों के मध्य सिर्फ यही वार्ता हुई है।

दिनांक 6-8-2013

(सुनीतासिंह) - 7398489885 to शिल्पी 9303752153 - 13.21.44 अवधि 5 सैकिण्ड

(सुनीतासिंह) - 7398489885 to शिल्पी 9303752153 - 13.22.19 अवधि 6 सैकिण्ड

(सुनीतासिंह) - 7398489885 to शिल्पी 9303752153 - 13.22.52 अवधि 5 सैकिण्ड

(सुनीतासिंह) - 7398489885 to शिल्पी 9303752153 - 13.23.11 अवधि 4 सैकिण्ड

(सोमवीरसिंह) - 9415035839 to शिल्पी 9303752153 - 20.5.33 - 33 सैकिण्ड

(सोमवीरसिंह) - 9415035839 to शिल्पी 9303752153 - 20.10.44 - 9 सैकिण्ड

(सोमवीरसिंह) - 9415035839 to शिल्पी 9303752153 - 20.11.38 - 12 सैकिण्ड

(सोमवीरसिंह) - 9415035839 to शिल्पी 9303752153 - 20.12.17 - 1155 सैकिण्ड

दिनांक 7-8-2013

(सोमवीरसिंह) - 9415035839 to शिल्पी 9303752153 - 10.15.09 - 2 सैकिण्ड

(सोमवीरसिंह) - 9415035839 to शिल्पी 7804907062 - 20.24.23 - 33 सैकिण्ड

(सोमवीरसिंह) - 9415035839 to शिल्पी 7804907062 - 20.27.31 - 51 सैकिण्ड

(सोमवीरसिंह) - 9415035839 to शिल्पी 7804907062 - 20.41.10 - 257 सैकिण्ड

418- अब हम उपरोक्त वर्णित कॉल डिटेल् एवं पत्रावली पर आई अन्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक अभियुक्त के सम्बन्ध में पृथक पृथक विवेचन करेंगे कि अभियोजन पक्ष इस प्रश्न बिन्दु में दण्डनीय अपराध किस अभियुक्त के विरुद्ध सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

(409)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

शिवा उर्फ सवाराम :-

419— अभियुक्त शिवा को आपराधिक षड्यन्त्र से जोड़ने के लिये यह साक्ष्य दी गई है कि पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह के अभियुक्त आसाराम के बारे में अभियुक्त शरद से पूछने पर उसने कहा कि शिवा बतायेगा, उससे बात करो, उसे ही पता है कि आसाराम बापू अभी कहां है। तत्पश्चात् पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह द्वारा शिवा से बात की गई तो शिवा ने बताया कि दिनांक 12-8-2013 को दिल्ली के राजोरिया आश्रम में आयेंगे और वहां पहुंचने के लिये कहा। फिर शिवा से 11-8-2013 को कन्फर्म करने के लिये बात हुई तो शिवा ने कहा कि जल्दी आ जाओ। कर्मवीरसिंह दिनांक 11-8-2013 को अपनी पत्नी व बेटी के साथ रवाना होकर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच कर पुनः शिवा से बात करता है तो शिवा उसे बताता है कि बापू अभी जोधपुर में है, आप जोधपुर आ जाओ। शिवा से पूछा कि जोधपुर कैसे आयेंगे तो शिवा ने कहा कि मण्डोर एक्सप्रेस या जैसलमेर एक्सप्रेस से आ जाओ। 12 तारीख का रिजर्वेशन नहीं मिलने पर 13 अगस्त का टिकट करवा कर 14 अगस्त को जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और तो शिवा का फोन आया व पूछा कि कहां हो तो कहा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। फिर जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच कर तैयार होकर मणाई का रास्ता पूछा तो कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर शिवा से रास्ता पूछ कर ओटो मणाई पहुंचे। गेट बन्द होने के कारण पुनः शिवा से फोन पर बात की तो उसने गेट खुलवाया। इस प्रकार पूरे घटनाक्रम में शिवा का रोल कर्मवीरसिंह द्वारा पूछने पर उसे अभियुक्त आसाराम का पता बताने का रहा है। यह उल्लेखनीय है कि शिवा का कॉल डिटेल रिकार्ड साबित नहीं हुआ है। शिवा द्वारा खुद फोन कर पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह को अभियुक्त आसाराम का पता समझाया गया हो, ऐसा भी अभियोजन का कथन नहीं है। स्वयं अनुसन्धान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मध्य परस्पर कॉल्स के बारे में जो चार्ट प्रदर्श-पी-139 में प्रदर्श-पी-139/1 से प्रदर्श-पी-139/11 बनाया गया है, उसमें भी शिल्पी अथवा शरद से शिवा का वार्तालाप नहीं दर्शाया गया है। शिवा का वार्तालाप अभियुक्त आसाराम से मार्फत प्रकाश दर्शाया गया है किन्तु पूर्वोक्त विवेचनानुसार यह सिद्ध नहीं हुआ

(410)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

है कि मोबाईल नम्बर 9321933400 प्रकाश के पास रहता हो जिसे आसाराम अभियुक्त प्रयोग करता हो। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में पत्रावली पर शिवा को आरोपित अपराध से जोड़ने बाबत लेश मात्र भी साक्ष्य नहीं है।

420— यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शिवा को आरोपित अपराध से जोड़ने के लिये उसके मोबाईल से मिली क्लिपिंग का सहारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्ष्य पेश की गई है :-

421— पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त को शिवा को गिरफ्तार करने के बाद उसकी जामा तलाशी में दो मोबाईल फोन जब्त करना बताया है। दौराने अनुसन्धान अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम ने गवाह को बताया कि उसके मोबाईल में आसाराम द्वारा औरतों पर झाड़फूंक करने व महिलाओं पर हाथ फेरने सम्बन्धी क्लिपिंग है जिन्हें वह मोबाईल खोल कर बता सकता है। गवाह ने इस सम्बन्ध में फर्द इत्तिला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श-पी-122 मुर्तीब करना कहा है तथा अभियुक्त शिवा द्वारा स्वयं का मोबाईल खोल कर औरतों पर झाड़फूंक करने व हाथ फेरने सम्बन्धी क्लिपिंग दिखाई जिन्हें सी.डी. में डाउनलोड किया गया तथा फर्द डाउनलोड प्रदर्श-पी-38 मुर्तीब की गई।

422— पी. डब्ल्यू-15 कुशलाराम व पी. डब्ल्यू-30 रामदेव ने ने अनुसन्धान अधिकारी के कथनों की ताईद की है। तत्पश्चात् पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने उक्त मोबाईल वर्जन कम्पनी का, एक सिम व एक मेमोरी कार्ड एफ.एस.एल. में अग्रेषित करना कहा है व अग्रेषण पत्र प्रदर्श-पी-42 तथा जमा करवाने की रसीद प्रदर्श-पी-39 साक्ष्य में प्रदर्शित की है। तत्पश्चात् गवाह ने न्यायालय में अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम के मोबाईल के मेमोरी कार्ड में लोड क्लिप्स, जो डी.वी.डी. व सी.डी. में डाउनलोड की हुई बताई गई है, को आर्टिकल-9 लगायत आर्टिकल-14 पेश किया, एफ. एस. एल. की रिपोर्ट प्रदर्श-पी-40 साक्ष्य में प्रदर्शित की है।

423— यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू-30 रामदेव की साक्ष्य के दौरान उक्त आर्टिकल-9 से आर्टिकल-14 को न्यायालय के समक्ष पेश किया

(411)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

गया, उन आर्टिकल सी. डी. व डी.वी.डी. को न्यायालय के समक्ष गवाह पी. डब्ल्यू.-30 रामदेव को दिखाया गया। आर्टिकल-9 में केवल दस्तावेज थे, आर्टिकल-10 में पेम्पलेट थे, आर्टिकल-11, आर्टिकल-12 व आर्टिकल-13 में झांसी की रानी सीरियल के एपीसोड थे। आर्टिकल-14 डी.वी.डी. को देख कर गवाह ने स्वीकार किया कि इसमें जो दृश्य दिखाये गये हैं, उसमें आसाराम बापू द्वारा कन्धे पर हाथ फेरने का दृश्य है, गाल पर हाथ फेरने के दृश्य हैं। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि बच्ची के साथ दो महिलायें व एक आदमी भी दिखाई दे रहे हैं। डी.वी.डी. के एक दृश्य में बापू पानी को हाथ से फैंक रहा है और जो आदमी और औरतें पास में खड़े हैं, वे मुंह खोले हुए हैं। गवाह ने स्वीकार किया है कि इन दृश्यों में केवल महिलायें नहीं हैं, पुरुष भी हैं। गवाह ने यह भी स्पष्ट किया है कि "मैं यह नहीं बता सकता कि फर्द प्रदर्श-पी-41 में आई. ओ. ने आचरण को असमान्य और दूषित किस कारण से लिखा है इस बारे में आई. ओ. ही खुलासा कर सकते हैं।"

424— इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम के मोबाईल से मिली अभियुक्त आसाराम की क्लिपिंग में इस गवाह को दूषितता नजर नहीं आई।

425— बचाव पक्ष की ओर से डी. डब्ल्यू.-17 संजय कुमार पटेल साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है एवं उसने अपने बयानों में स्पष्ट किया है कि आर्टिकल-13 डी.वी.डी. में अभियुक्त आसाराम के जो फोटोग्राफ हैं, वे उसके, उसकी पत्नी, उसके साले की पत्नी, साले की बेटी के हैं। उसने अभियुक्त आसाराम को अपने नये मकान में पगफेरे के लिये बुलाया था। गवाह ने फोटोग्राफ प्रदर्श-डी-158, प्रदर्श-डी-159 व प्रदर्श-डी-160 साक्ष्य में प्रदर्शित किये हैं। उक्त तीनों फोटोग्राफ आर्टिकल-13 डी.वी.डी. के वीडियो संख्या 28 से ही लिया जाना प्रकट होते हैं।

426— उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम के मोबाईल से अभियुक्त आसाराम के ऐसे कोई फोटोग्राफ या वीडियो नहीं निकले हैं जिनको देख कर कहा जा सके कि अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम, अभियुक्त आसाराम की महिलाओं से दूषित प्रयोजन से मुलाकात करवाता हो।

(412)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

427— अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम ने दिनांक 15-8-2013 से पूर्व किसी समय अभियुक्त आसाराम के साथ मिल कर, आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका का लैंगिक शोषण करने के प्रयोजन से किसी आपराधिक षड्यन्त्र का गठन किया व समूह का गठन किया और आपराधिक षड्यन्त्र व समूह के सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई सहयोग प्रदान किया और अभियोक्त्री बालिका के शोषण के प्रयोजन से उसके साथ कपट, प्रवंचना, उत्प्रेरणा इत्यादि का प्रयोग कर उसका दुर्व्यापार किया। अतः अभियुक्त शिवा उर्फ सवाराम के विरुद्ध यह प्रश्न बिन्दु साबित नहीं है।

अभियुक्त प्रकाश

428— पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा के अनुसार अभियुक्त प्रकाश, मुल्जिम आसाराम का व्यक्तिगत सेवक व रसोईया था और मुल्जिम आसाराम का मोबाईल नं. 9321933400 रखता था। उसने आसाराम, शिल्पी, शरद के षड्यन्त्र में सहभागी रहते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाई, बरवक्त घटना, घटनास्थल पर उपस्थित था। पीड़िता के माता पिता को घटनास्थल से भेज कर पीड़िता के अकेले रहने की स्थिति पैदा की और गैंग के सदस्य रह कर सामान्य आशय की पूर्ति में अपनी भूमिका निभाई।

429— पूर्व विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि मोबाईल नम्बर 9321933400 अभियुक्त प्रकाश की कस्टडी में हो तथा उसे अभियुक्त आसाराम उपयोग में लेता हो। अब अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध निम्नलिखित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है :-

430— पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त प्रकाश के बारे में यह कथन किया है कि जब उसके मम्मी पापा तथा वह बापू के पीछे पीछे कुटिया पर गये तो उन्हें गार्डन के बीच वाले रास्ते पर बिठा कर खुद चेयर पर बैठ गये। फिर बापू ने अपने रसोईये को बुला कर कहा कि इनको दूध पिलाओ। रसोईया प्रकाश था। जब वह स्वयं के साथ हुई घटना के बाद बाहर निकलना कहती है तो सामने वाले गेट पर बरामदे में प्रकाश का बैठा होना

(413)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बताती है।

431— पी. डब्ल्यू.—12 सुनीतासिंह ने अभियुक्त प्रकाश के सम्बन्ध में यह कथन किया है कि बापू ने अपने रसोईये को बुला कर दूध पिलाया। रसोईये का नाम प्रकाश था। तत्पश्चात् बेटी को कुटिया के पीछे बरामदे में बिठा दिया था तथा गवाह व उसके पति को कुटिया के गेट की बाउण्ड्री के पास बिठा दिया था। गवाह का यह कथन है कि जिस समय उसका पति वहां पर बैठा था, उस समय रसोईये ने हम दोनों को कहा कि आप दोनों सो सकते हो तो उन्होंने कहा कि यहीं बैठे हैं, अपनी बेटी को लेकर जायेंगे। फिर बाद में पति वहां से चले गये।

432— पी. डब्ल्यू.—21 कर्मवीरसिंह ने अभियुक्त प्रकाश के सम्बन्ध में इस आशय के कथन किये हैं कि बापू ने उन्हें कंक्रीट के रास्ते पर बिठा दिया, बापू वहीं पूजास्थल के पास कुर्सी लगा कर बैठ गये। फिर वहां थोड़ी देर बातें की। फिर रसोईये प्रकाश को दूध लाने के लिये कहा। बेटी को कमरे के पीछे बिठा दिया तथा गवाह व उसकी पत्नी को मैन गेट के पास बिठा दिया और बापू कुटिया के अन्दर चले गये। गवाह की पत्नी, बेटी को एक बार देखने गई तो वह पीछे बैठी जप कर रही थी। पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि बेटी जप कर रही है। फिर प्रकाश ने आकर कहा कि अंकल जी आन्टी जी सब सो गये हैं, 10 बज गये हैं, आप भी जाकर सो जाओ। तब पत्नी ने कहा कि बेटी को लेकर जायेंगे। फिर वह अपने कमरे पर आकर सो गया।

433— इस प्रकार उपरोक्त तीनों गवाहों की साक्ष्य में अभियुक्त प्रकाश के दो कृत्य सामने आये हैं। सर्वप्रथम उसके द्वारा अभियुक्त आसाराम के कहने पर पीड़िता व उसके परिवार को दूध पिलाया गया। इसे आपराधिक कृत्य नहीं कहा जा सकता है। द्वितीय कृत्य उसका पी. डब्ल्यू.—21 कर्मवीरसिंह व पी. डब्ल्यू.—12 सुनीतासिंह को यह आकर कहना है कि अब आप लोग जाकर सो जाओ। यहां परिवादी कर्मवीरसिंह व उसकी पत्नी सुनीतासिंह के कथनों में अभियुक्त प्रकाश द्वारा कहे गये शब्दों को लेकर थोड़ा अन्तर सामने आता है। जहां पी. डब्ल्यू.—21 कर्मवीरसिंह का कहना है कि प्रकाश ने कहा कि सब सो गये हैं आप भी जाकर सो जाओ तो वहीं पी. डब्ल्यू.—12 सुनीतासिंह का कहना

(414)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

है कि रसोईये ने दोनों को कहा कि आप जाकर सो सकते हो। मेरे विनम्र मत में "सो जाओ" और "सो सकते हो" में थोड़ा फर्क है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू-5 "सु" ने जिरह में यह कथन किया है कि बापू ने जब उसे कहा कि जाकर देख कर आओ कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, तो मैं देखने गई तो प्रकाश ने, जो रसोईया था, उसने पूछा था कि कहां जा रही हो तो मैंने कहा कि मम्मी पापा को देखने जा रही हूं तो रसोईये ने मुझे कहा कि बापू ने कहा था इसलिये मैंने मम्मी पापा को जाने के लिये कह दिया तो फिर देखा कि पापा चले गये थे, मम्मी रूकी हुई थी। पी. डब्ल्यू-5 "सु" के उपरोक्त कथनों से यह प्रकट होता है कि प्रकाश ने अभियुक्त आसाराम के कहने पर ही पीड़िता के माता पिता को जाकर सोने के लिये कहा। इसमें अभियुक्त प्रकाश का कोई दुराशय हो, यह प्रकट नहीं होता है। जब पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह नहीं गई तब उसके द्वारा सुनीता को भेजने का प्रयास किया गया हो, ऐसा भी साक्ष्य में नहीं है। अभियुक्त प्रकाश के कहते ही कर्मवीरसिंह चला गया हो, ऐसा भी साक्ष्य में प्रकट नहीं होता है। कर्मवीरसिंह खुद को नींद आने के कारण कमरे में जाकर सोने की बात कहता है। अर्थात् वह भी अभियुक्त प्रकाश के कहने से नहीं गया। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में अभियुक्त प्रकाश को अभियुक्त आसाराम द्वारा पीड़िता का यौन शोषण करने के षड्यन्त्र से जोड़ने लायक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त प्रकाश को अभियुक्त आसाराम ने कहा कि परिवादी पक्ष को दूध पिलाओ तो उसने दूध पिला दिया। अभियुक्त आसाराम ने प्रकाश से कहा कि जाकर "सु" के माता पिता को सोने के लिये बोलो तो उसने जाकर बोल दिया। उसने अपनी तरफ से पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह व पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह को कुटिया से दूर भेजने का प्रयास किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है।

434- अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अभियुक्त प्रकाश ने दिनांक 15-8-2013 से पूर्व किसी समय अभियुक्त आसाराम के साथ मिल कर, आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका का लैंगिक शोषण करने के प्रयोजन से किसी आपराधिक षड्यन्त्र का गठन किया व समूह का गठन किया

(415)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

और आपराधिक षड्यन्त्र व समूह के सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई सहयोग प्रदान किया और अभियोक्त्री बालिका के शोषण के प्रयोजन से उसके साथ कपट, प्रवंचना, उत्प्रेरणा इत्यादि का प्रयोग कर उसका दुर्व्यापार किया। अतः अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध यह प्रश्न बिन्दु साबित नहीं है।

अभियुक्तगण आसाराम, शिल्पी उर्फ संचिता एवं शरदचन्द्र

435— अभियुक्ता शिल्पी उर्फ संचिता एवं शरदचन्द्र, अभियुक्तगण के विरुद्ध आई साक्ष्य लगभग समान प्रकृति की है, उक्त दोनों पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने पीड़िता को भूत का डर दिखा कर उसके माता पिता को बुलाया एवं उसके माता पिता के आने पर उसे माता पिता के साथ यह कहते हुए रवाना कर दिया कि बापू के पास जाओ, पीड़िता की बीमारी का इलाज बापू के पास ही है, बापू ने उन्हें बुलाया है एवं जब पीड़िता व उसका परिवार अभियुक्त आसाराम के पास पहुंचा तो अभियुक्त आसाराम ने देखते ही कहा कि अच्छा वो ही गुरुकुल वाली भूतों वाली लड़की हो। अर्थात् अभियुक्त शिल्पी व शरद ने पहले ही यह सूचना अभियुक्त आसाराम तक पहुंचा दी थी कि पीड़िता व उसका आसाराम के पास आ रहा है। अर्थात् इन अभियुक्तगण ने अभियुक्त आसाराम के साथ मिल कर आपराधिक षड्यन्त्र गठित किया एवं अभियोक्त्री बालिका का शोषण के प्रयोजन से कपट, प्रवंचना, उत्प्रेरणा इत्यादि का प्रयोग कर बालिका का दुर्व्यापार किया।

436— सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में दुर्व्यापार सम्बन्धी विधि पर मनन करते हैं। धारा 370 भारतीय दण्ड संहिता निम्न प्रकार है :-

Section 370 Trafficking of person :-

(1). Whoever, for the purpose of exploitation, (a) recruits, (b) transports, (c) harbours, (d) transfers, or (e) receives, a person or persons, by—

First- using threats, or

Secondly- using force, or any other form of coercion, or

Thirdly- by abduction, or

(416)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

Fourthly- by practising fraud, or deception, or

Fifthly - by abuse of power, or

Sixthly- by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits, in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harboured, transferred or received, commits the offence of trafficking.

Explanation 1. - The expression “exploitation” shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the forced removal of organs.

Explanation 2. - The consent of the victim is immaterial in determination of the offence of trafficking.

(2). Whoever commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

(3). Where the offence involves the trafficking of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(4). Where the offence involves the trafficking of a minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(5). Where the offence involves the trafficking of more than one minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(417)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

(6). If a person is convicted of the offence of trafficking of minor on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

(7). When a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person then, such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

437— इस सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य इस प्रकार है :- पी. डब्ल्यू-5 पीड़िता "सु" ने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किये हैं कि अगस्त 2013 में वह छिन्दवाड़ा गुरुकुल में थी, उस समय 12वीं क्लास में थी। छोटा भाई यशवीर भी उसी स्कूल में पढ़ता था, बॉयज होस्टल में रहता था। गवाह ने आगे कथन किया है कि पिछली 2 - 3 अगस्त 2013 को उसे होस्टल में चक्कर आये थे। शिल्पी दीदी उस होस्टल की वार्डन थी, जिनको उसकी बीमारी का पता चला परन्तु कुछ नहीं किया। डाक्टर को भी नहीं दिखाया। उसके 1 - 2 दिन बाद उसे शरद सर के आफिस में बुलाया। वहां अभियुक्त शरद सर और अभियुक्ता शिल्पी, भव्या के साथ बैठे थे। दोनों ने कहा कि भूत प्रेत का साया है, अच्छी तरह जप किया करो। फिर भव्या ने भी यही बात कही कि तुम पर भूत प्रेत का साया है और सभी ने भूत का कह कर डराया। उस दिन तो चली गई, अगले दिन शिल्पी वार्डन ने कहा कि अपने माता पिता को फोन करके कहो तुम्हारी तबियत खराब है, सीरियस है और किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाओ। यह भी कहा था कि अपने घर पर यह मत बोलना कि भूत प्रेत का साया है क्योंकि अभी वे डर जायेंगे। दिनांक 7-8-2013 को शिल्पी ने घर पर फोन किया, माता पिता से बात करवाई। माता पिता को जैसा शिल्पी दीदी ने कहा था वैसा ही बताया कि तबियत बहुत खराब है लेने आ जाओ, किसी अच्छे अस्पताल में बताओ। फिर 8 अगस्त को

(418)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

मम्मी पापा छिन्दवाड़ा आ गये और बॉयज होस्टल में रूके। अगले दिन 9 अगस्त को सब मिले। जब मिलने आये तो शिल्पी से उसके आफिस में मिले। फिर शिल्पी ने माता पिता को कहा कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, बापू से बात हो गई है, तुरन्त लेकर उनके पास जाओ, उन्होंने बुलाया है तथा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर गवाह अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल जाना व पापा का शरद से मिलना कहती है। शरद ने भी कहा कि बापू से बात हो गई है, इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उन्होंने बुलाया है तथा और कहीं लेकर मत जाओ। फिर पापा ने शरद से पूछा कि बापू कहां हैं तो शरद ने बताया कि शिवा से पूछो, वह बतायेगा कि बापू कहां हैं क्योंकि बापू के सत्संग का उसे पता है। तत्पश्चात् 9 तारीख को रवाना होकर 10 तारीख को शाहजहांपुर पहुंचना कहती है। तत्पश्चात् संक्षेप में गवाह के बयान इस प्रकार हैं कि उसके पिता ने शिवा से बात की, शिवा ने दिल्ली बुलाया, दिल्ली पहुंच कर फोन किया तो जोधपुर बुलाया एवं जोधपुर में मणार्ई आश्रम में बुलाते हुए गेट बन्द होने पर शिवा ने गेट खुलवाया। तत्पश्चात् गवाह का यह कथन है कि आश्रम के अन्दर गेट से थोड़ा आगे चलकर नीम का पेड़ था जिसके नीचे बापू बैठे सत्संग कर रहे थे और कुछ लोग वहां पहले से ही थे। हम भी उसी जगह पहुंचे और बैठ गये। बापू ने पूछा कि कहां से आये हो तो कहा कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आई हूं तो बापू ने कहा अच्छा छिन्दवाड़ा गुरुकुल की भूत वाली लड़की हो, आओ तुम्हारा भूत निकालते हैं। फिर बापू ने पानी `कर कुछ मन्त्र बोला, हमें पिलाया व हम लोगों को छिंटे दिये। तत्पश्चात् पीड़िता के साथ जो हुआ उसका वर्णन व विवेचन प्रश्न बिन्दु संख्या 2 में किया जा चुका है।

438— पी. डब्ल्यू.—21 कर्मवीरसिंह के इस प्रश्न बिन्दु के सम्बन्ध में इस आशय के कथन हैं कि उसने अपने पुत्र व पुत्री का एडमिशन छिन्दवाड़ा के गुरुकुल में करवाया था। बेटा बॉयज होस्टल में व बेटी गर्ल्स होस्टल में रहते थे। गर्ल्स होस्टल की वार्डन शिल्पी थी। उसका बेटे सोमवीर के फोन नम्बर 9415035839 है जिस पर 6 अगस्त 2013 को शिल्पी का फोन आया कि सब काम छोड़ कर महामृत्युंजय मन्त्र का जप करो। एक घन्टे तक लगातार मन्त्र का जप किया। शिल्पी ने कारण बताने में टालमटोली की। अगले दिन फिर

(419)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

शिल्पी का फोन बेटे के फोन पर आया तथा उसने यह बताया कि आपकी बेटी "सु" की हालत गम्भीर है जिसे लेने के लिये आ जाओ। फिर अगले दिन 8 अगस्त 2013 को गवाह अपनी पत्नी के साथ कार से शाहजहांपुर से छिन्दवाड़ा के लिये रवाना होकर शाम 9 बजे छिन्दवाड़ा पहुंचना कहता है। छिन्दवाड़ा में गुरुकुल के गेट पर जाकर बेटी के बारे में पूछा तो लगभग 10 बजे फोन पर बेटी से बात करवाई। बेटी ने कहा चक्कर आ गये थे, गिर गई थी, अब ठीक हूं। फिर वहां पर बॉयज होस्टल में रुके व सुबह गर्ल्स होस्टल में गये जहां शिल्पी ने कहा कि आपकी बेटी को चक्कर आ गये थे, अब ठीक है, बुला देती हूं। फिर बेटी भी वहां आ गई। फिर शिल्पी ने कहा कि होस्टल पर प्रेतों का साया है और वह साया ही "सु" पर आ गया था इसलिये बाथरूम में चक्कर खाकर गिर गई थी। पत्नी ने शिल्पी से पूछा कि आपको कैसे पता कि इस पर भूतों का साया है। शिल्पी ने बताया कि भव्या नाम की एक लड़की है, उस पर भूत आते हैं, उसी लड़की ने बताया है कि "सु" पर भूत प्रेत का साया है। शिल्पी ने कहा कि बापू से हमारी बात हो गई है, बापू को बता दिया है और बापू ने एक मन्त्र बताया है जिसके प्रभाव से ही अभी यह ठीक है। बापू ने कहा है कि "सु" को उसके पास भेज दो, कहीं ले लाने और दिखाने की जरूरत नहीं है। पूछा कि बापू कहां मिलेंगे तो शिल्पी ने कहा कि शरद सर बता देंगे। फिर गुरुकुल में आकर शरद जो गुरुकुल का डायरेक्टर है, से मिला जिसने बताया कि आपकी बेटी पर प्रेतों का साया है और बापू ने आपको परिवार सहित बुलाया है। शरद से पूछा कि बापू कहां मिलेंगे तो बताया कि 12 या 13 तारीख को शायद दिल्ली आयेंगे, बाकी आपको शिवा बता देगा। तत्पश्चात् गवाह ने शिवा से बात कर दिल्ली पहुंचना, दिल्ली से जोधपुर व जोधपुर से मणाई आश्रम पहुंचना कहा है। शिवा से फोन कर गेट खुलवाना कहता है। तत्पश्चात् गवाह के कथन हैं कि जब अन्दर गये तो नीम के पेड़ के नीचे आसाराम बैठा हुआ था और सत्संग कर रहा था, वहीं जाकर बैठ गये। आसाराम ने बेटी से पूछा कि कहां से आये हो। उस समय पहले बेटी खड़ी हुई फिर गवाह खड़ा हुआ और बेटी की प्रोब्लम बताई तो बेटी ने बताया कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आये हैं तो बापू ने कहा कि अच्छा भूतों वाली लड़की हो,

(420)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आओ अभी भूत उतारता हूं। फिर बापू ने पवित्र जल हाथ में लेकर मन्त्र बोला, फिर वह जल बेटी को पिलाया, उसके ऊपर छिड़का, फिर हमें भी पिलाया व हम पर भी छिड़का। प्रसाद देकर किशोर से कहा कि तुम्हारे घर के ऊपर कमरे में इनको ठहरा दो। इसके आगे की साक्ष्य का विवेचन प्रश्न बिन्दु संख्या 2 की साक्ष्य के विवेचन के समय किया जा चुका है।

439- पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह ने इस प्रश्न बिन्दु के सम्बन्ध में कथन किया है कि पिछले साल 2013 अगस्त में उसकी बेटी 12वीं कक्षा में छिन्दवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती थी। बेटी गर्ल्स होस्टल में व बेटा बॉयज होस्टल में रहते थे। गर्ल्स होस्टल में वार्डन शिल्पी थी, जो अगस्त 2013 में वार्डन थी। दिनांक 6-8-2013 को शिल्पी वार्डन से बात हुई। दिनांक 6-8-2013 को शिल्पी वार्डन ने करीब साढ़े दस ग्यारह बजे सोमवीर के फोन नम्बर 9415035839 पर फोन किया था। वापस दिन में 2-3 बार फोन किया था लेकिन बात नहीं हो पाई। खाली हैलो हैलो तक बात हुई। फिर रात को वार्डन का मिस कॉल आया। गवाह ने बात की। फोन पर शिल्पी वार्डन ने कहा था कि परिवार में जितने लोग हैं, सभी महामृत्युंजय का पाठ करो। दिनांक 7-8-2013 को शिल्पी का फिर फोन आया कि बेटी की तबियत बहुत खराब है, जल्दी से छिन्दवाड़ा आ जाओ। गवाह ने बेटी से भी अपनी बात होना कहा है। बेटी ने कहा कि तबियत बहुत खराब है, अच्छे से डाक्टर को दिखाना है, जल्दी आ जाओ। फिर 8 अगस्त को सुबह चार साढ़े चार बजे छिन्दवाड़ा के लिये रवाना हो गये जहां आठ साढ़े आठ बजे पहुंचे, बॉयज होस्टल में रुके, रात को दस साढ़े दस बजे बच्ची से फोन पर बात हुई, उसने कहा अभी ठीक हूं। फिर 9 अगस्त को सुबह गर्ल्स होस्टल में गये, वहां पहले शिल्पी से मिले, पूछा कि बेटी की तबियत कैसी है तो कहा कि अभी ठीक है, बात करवा देती हूं। फिर बेटी की उपस्थिति में शिल्पी ने कहा कि उस पर भूत प्रेतों का साया है। जब पूछा कि आपको कैसे पता कि भूत प्रेत का साया है तो शिल्पी ने कहा कि भव्या नाम की लड़की है जिस पर भूत आता है और उसी ने यह कहा है कि आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है। शिल्पी ने यह भी कहा कि बापू से बात हो गई है, उन्होंने बुलाया है और बापू जहां कहीं भी हों, "सु" को वहां ले जाओ, और

(421)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कहीं नहीं ले जाना, बापू के पास ले जाना। गवाह अपने पति की मुलाकात शरद जी से होना कहती है। शरदचन्द्र द्वारा उसके पति को यह बताना कि बापू 12 या 13 अगस्त को दिल्ली में हैं, आप जाकर मिल लेना, बात हो गई है, आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है। तत्पश्चात् गवाह ने दिल्ली होते हुए जोधपुर मणार्ई आश्रम पहुंचने के बारे में बयान दिये हैं। तत्पश्चात् गवाह इस आशय के कथन करती है कि जब वे मणार्ई आश्रम में अन्दर गये तो एक मकान के पास एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे आसाराम बापू बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, वहां करीब 40-50 लोग थे और 10-15 लोग बाहर से अन्दर आये। फिर बाकी लोगों के साथ बैठ गये। वहां आसाराम ने बेटी से पूछा कि कहां से आये हो तो बेटी ने उन्हें बताया कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आई हूं। तब बापू ने कहा कि अच्छा वो भेत वाली लड़की हो और कहा कि आगे आ जाओ, तुम्हारा भूत उतारता हूं। फिर बापू ने एक गिलास में पानी लेकर मन्त्र पढ़ा और वह पानी बेटी, गवाह व उसके पति को पिलाया, छींटे भी डाले व प्रसाद खाने के लिये दिया। फिर जिसका मकान था, उसको बुला कर कहा कि कमरे में ठहरा दो। इसके आगे इस गवाह की साक्ष्य का विवेचन प्रश्न बिन्दु संख्या 2 में किया जा चुका है।

440— विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं परिवादी पक्ष के अधिवक्तागण का यह तर्क है कि अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी ने पीड़िता को चक्कर आने का फायदा उठाया, उसे भव्या के माध्यम से डराया, धमकाया, उसके माता पिता को भय में डाला एवं उन्हें छिन्दवाड़ा गुरुकुल के गर्ल्स होस्टल में बुला कर उन्हें कपट व प्रवंचना करके पीड़िता को अभियुक्त आसाराम तक पहुंचाने के लिये उत्प्रेरित किया। यह अभियुक्तगण के किये गये आपराधिक षड्यन्त्र का हिस्सा था जिसका उद्देश्य अभियुक्त आसाराम द्वारा पीड़िता का दुष्कर्म करवाना था। भव्या की गुरुकुल व होस्टल में उपस्थिति साबित है। पीड़िता ने जिरह में स्पष्ट किया है कि सभी जगह अफवाह थी कि भव्या में भूत आता है। ऐसे में भव्या का पीड़िता को यह कहना कि उसमें भूत है, उसे डराने व अभियुक्तगण द्वय की बात मानने के लिये पर्याप्त है।

441— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि प्रथम

(422)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध बयान प्रदर्श-पी-7 एच पी. डब्ल्यू-7 किरण झा ठाकुर को पीड़िता द्वारा दिया गया स्टेटमेन्ट प्रदर्श-डी-4 में पीड़िता को भव्या द्वारा डराने का कोई उल्लेख नहीं है, न ही शरद का नाम ही लिया गया है। अतः उक्त दोनों का नाम जानबूझ कर भूत प्रेत की कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिये लिया गया है। बचाव पक्ष के गवाह डी. डब्ल्यू-1 चारूल अरोड़ा, डी. डब्ल्यू-7 मेघा शर्मा, डी. डब्ल्यू-8 प्रियासिंह, डी. डब्ल्यू-9 रीना व डी. डब्ल्यू-11 विद्या के बयानों से सिद्ध है कि भव्या एकदम स्वस्थ लड़की थी, होस्टल में कोई भूत प्रेत का वातावरण नहीं था। पी. डब्ल्यू-36 नेहा तोतलानी ने भी इस बात से इन्कार किया है कि होस्टल में कोई भूत वगैरा आता हो। यही कथन पी. डब्ल्यू-33 विवेक शर्मा के भी हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि शिल्पी द्वारा पीड़िता को यह कहा गया कि वह मम्मी पापा को यह कहे कि वे आकर उसे ले जायें और किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवायें। दिनांक 9-8-2013 को पीड़िता की कस्टडी उसके माता पिता को सुपुर्द की जा चुकी थी। उसके पश्चात् उसके माता पिता की मर्जी थी कि वे उसे किसी अच्छे अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाते। चूंकि वे साधक रहे हैं तो यह उनकी खुद की सोच थी कि वे अपनी बच्ची का इलाज अभियुक्त आसाराम से करवाना चाहते थे। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कॉल डिटेल् से यह नहीं प्रकट होता है कि अभियुक्त शरद व शिल्पी के बीच टेलीफोनिक सम्पर्क था अथवा उक्त दोनों का अभियुक्त आसाराम से कोई सम्पर्क ही हुआ है। अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू-37 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि यदि बापू जी को कोई सन्देश देना होता तो गुरुकुल व आश्रम से पहले अहमदाबाद को सन्देश भेजते थे, वहां से बापू जी के पास जाता था। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि शरदचन्द्र व संचिता बापू जी से डायरेक्ट सम्पर्क नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त पी. डब्ल्यू-6 रणजीत, पी. डब्ल्यू-22 किशोर उर्फ रामकिशोर, डी. डब्ल्यू-6 विष्णु व डी. डब्ल्यू-10 मनीषा देवड़ा ने इस तथ्य की ताईद नहीं की है कि परिवादी पक्ष के मणार्ई आश्रम पहुंचने के बाद आसाराम ने पीड़िता को भूतों वाली लड़की कहा हो। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि भूतों की कहानी

(423)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

में भव्या शुक्ला की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। अनुसन्धान अधिकारी ने भव्या शुक्ला के बयान लेने का प्रयास ही नहीं किया, न उससे सम्पर्क कर यह जानने की कोशिश की कि उसे कोई बीमारी भी है या नहीं।

442— मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

443— सर्वप्रथम भव्या शुक्ला के सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करते हैं। पीड़िता का कथन यह है कि चक्कर आकर बाथरूम में गिरने की घटना के बाद उसे अभियुक्ता शिल्पी व शरद ने आफिस में बुलाया जहां भव्या भी बैठी थी। जहां उसने पीड़िता "सु" को उसमें भूत आने की बात कही। यह सही है कि प्रदर्श-पी-4 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श-पी-7 धारा 164 दं.प्र. सं. के के बयान एवं प्रदर्श-डी-4 एन.जी.ओ. किरण झा ठाकुर पी. डब्ल्यू-7 की रिपोर्ट में भव्या का उल्लेख नहीं है किन्तु स्कूल में भव्या का अस्तित्व साक्ष्य से पूर्ण रूपेण साबित हुआ है। पीड़िता को इस तथ्य से Confront किया गया है कि उसकी पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4, एन.जी.ओ. पूछताछ प्रदर्श-डी-4 व धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान प्रदर्श-पी-7 में शरद व शिल्पी का आफिस में बुलाना, जहां शरद व शिल्पी का उसे कहना कि उस पर भूत प्रेत का साया है जप किया करो और भव्या का भी यही बात कहना, नहीं है। गवाह ने इस बात को सही माना है किन्तु उसने स्पष्ट किया है कि वह मानसिक रूप से घटना से परेशान थी इसलिये जितना ध्यान आया उतना लिखा दिया था।

444— होस्टल में भव्या शुक्ला ने एडमीशन लिया था, यह तथ्य बचाव पक्ष भी स्वीकार करता है, लेकिन जहां बचाव पक्ष का यह कथन है कि भव्या एकदम स्वस्थ थी तथा उसकी टी.सी. जमा नहीं होने के कारण उसे स्कूल से जाना पड़ा था, वहीं यह तथ्य पत्रावली पर आई साक्ष्य से खण्डित होता है। प्रदर्श-पी-79 भव्या शुक्ला का प्रवेश पत्र है जिससे प्रकट होता है कि भव्या शुक्ला को कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया गया था तथा उसमें टी. सी. जमा करवाने की शर्त नहीं लिखी गई है। प्रदर्श-पी-86 भव्या शुक्ला का प्रधानाचार्य के नाम प्रार्थना पत्र है जिसके मुताबिक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के

(424)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

कारण उसके पिताजी लेकर घर ले जाना चाहते हैं, कृपया 7-8-2013 से 18-8-2013 तक का अवकाश देने का कष्ट करें। प्रदर्श-डी-99 बचाव पक्ष का ही दस्तावेज है। हालांकि उक्त दस्तावेज फोटो प्रति है किन्तु स्वयं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष के पक्ष में पढ़े जाने योग्य है। प्रदर्श-डी-99 तीन अलग अलग दस्तावेजों का समूह है। प्रथम दस्तावेज भव्या शुक्ला के पिता शैलेश शुक्ला का शपथ पत्र है, द्वितीय दस्तावेज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री मनोज व्यास को दिनांक 29-9-2013 को लिखा हुआ पत्र है, तृतीय दस्तावेज माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय New Delhi को लिखा गया पत्र है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति नई दिल्ली को लिखे पत्र में यह अंकित है कि दिनांक 6-8-2013 को वह छिन्दवाड़ा इसलिये पहुंचा क्योंकि उसकी पुत्री ठीक नहीं थी, जब उसकी पुत्री ठीक हुई तो वह अपनी पुत्री के साथ 25-8-2013 को छिन्दवाड़ा पहुंचा, वहां गुरुकुल के बाहर उपद्रव देखा तो वापस मेरठ को लौट गये। स्वयं बचाव पक्ष का उक्त पत्र सिद्ध करता है कि भव्या शुक्ला की तबियत ठीक नहीं होने के कारण उसके पिता द्वारा उसे मेरठ ले जाया गया, न कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थी एवं मूल टी. सी. न आने के कारण उसे गुरुकुल छोड़ना पड़ा हो। जहां तक पी. डब्ल्यू. 41 मुक्ता पारीक द्वारा जिरह में यह स्वीकार करने का प्रश्न है कि आर्टिकल-16 में पेज नम्बर 17 पर भव्या शुक्ला के नाम के आगे मूल टी. सी. जमा न करवाने के कारण "नाम खारिज" लिखा हुआ है, मेरे विनम्र मत में उक्त प्रविष्टि से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रश्न बिन्दु में स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त प्रविष्टि यह प्रकरण दर्ज होने के एक माह से अधिक समय पश्चात् 23 सितम्बर 2013 की है, जबकि भव्या शुक्ला दिनांक 7-8-2013 से अनुपस्थित चल रही थी। यदि मूल टी.सी. जमा न होने के कारण उसका नाम काटा जाता तो उक्त प्रविष्टि 7-8-2013 माह अगस्त के पृष्ठ पर होनी चाहिये।

445- जहां तक विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण के इन तर्कों का सम्बन्ध है कि अनुसन्धान अधिकारी द्वारा भव्या शुक्ला, उसके परिवार अथवा पड़ोसियों से पूछताछ का कोई प्रयास नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में पी.

(425)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा ने प्रश्न पूछे जाने पर कथन किया है कि उन्होंने इस प्रकरण में भव्या पुत्री शैलेश शुक्ला के बारे में पूछताछ करने व अनुसन्धान करने के काफी प्रयास किये थे किन्तु इनसे अनुसन्धान नहीं हो पाया। गवाह ने पेज 167 पर यह कथन किया है कि भूत के साये के सम्बन्ध में व महामृत्युंजय जप के सम्बन्ध में भव्या शुक्ला से पूछताछ करने का प्रयास किया था परन्तु वह उपलब्ध नहीं हुई थी इसलिये उसके बयान नहीं लिया जा सके। गवाह ने भव्या के नाबालिग होने के कारण उसके पिता के मार्फत् नोटिस भेजना कहा है, नोटिस उसके चाचा को दिया था। गवाह, भव्या शुक्ला के पड़ौसियों के बयान लेना भी कहती है। पी. डब्ल्यू-43 चंचल मिश्रा के इन कथनों की पुष्टि प्रदर्श-डी-99 से पूर्णतः होती है। प्रदर्श-डी-99 के प्रथम भाग शपथ पत्र में यह स्पष्ट हवाला है कि जोधपुर पुलिस इन्सपेक्टर जिसमें मुक्ता पारीक (पी. डब्ल्यू-41) जो स्वयं को महिला थाना West की एस. एच. ओ. बताती है तथा चंचल मिश्रा ए.सी.पी. की नजदीकी सहायक है, ने भी उसे कई बार बुलाया और धमकी दी कि यदि वह अपनी पुत्री को जोधपुर नहीं लाया और उनकी Choice के बयान नहीं दिये तो उन्हें भी फंसा देगी। माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय New Delhi को लिखे पत्र दिनांक 29-9-2013 में भी यह अंकित है कि मुक्ता पारीक व चंचल मिश्रा उसे Regular call कर रही है तथा जोधपुर पहुंचने के लिये कह रही है। डर के मारे उसे अपने व अपने परिवार को बचाने के लिये मेरठ छोड़ना पड़ा है, उसे जानकारी मिली है कि ए.सी.पी. चंचल मिश्रा उसके घर मेरठ में 6-7 व्यक्तियों के साथ आई एवं उसके Tenant से बात की तथा Enquiry की। अतः स्पष्ट है कि भव्या शुक्ला का पिता पूछताछ के डर से अपनी पुत्री को लेकर मेरठ छोड़ कर चला गया, ए.सी.पी. चंचल मिश्रा पी. डब्ल्यू-43 व एस. एच. ओ. महिला थाना West मुक्ता पारीक पी. डब्ल्यू-41 ने भव्या के बयान लेने का पूरा प्रयास किया तथा उसके घर मेरठ गये। उक्त दस्तावेज की फोटो प्रति बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत होना यह सम्भावना दर्शाता है कि भव्या शुक्ला का पिता श्री शैलेश कुमार बचाव पक्ष के सम्पर्क में था तभी उक्त पत्रों की प्रति बचाव पक्ष को उपलब्ध हो सकी।

446- पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह ने दिनांक 6-8-2013 को शिल्पी की

(426)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ओर से मिस कॉल आने के बाद दोपहर में 3-4 बार उसे ट्राई करना कहा है लेकिन बात नहीं हो पाना बताया है। इस तथ्य की पुष्टि सुनीतासिंह व शिल्पी की कॉल डिटेल से होती है जिसके अनुसार दिनांक 6-8-2013 को सुनीतासिंह द्वारा समय 13:21:44 से 13:23:11 तक चार कॉल किये गये जिनकी अवधि क्रमशः 5 सैकिण्ड, 6 सैकिण्ड, 5 सैकिण्ड, 4 सैकिण्ड थी। पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह ने रात को पुनः प्रयास करना कहा है तब शिल्पी द्वारा उसे यह बताना कहा है कि महामृत्युंजय जप का जाप करो। इस बात की पुष्टि कॉल डिटेल से होती है, जिसके मुताबिक वक्त 8 बज कर 5 मिनट से 8 बज कर 12 मिनट के मध्य 4 बार बात की। सोमबीरसिंह के फोन से चार बार बात हुई। पहली कॉल 33 सैकिण्ड, दूसरी कॉल 9 सैकिण्ड, तीसरी कॉल 12 सैकिण्ड, चौथी कॉल 1155 सैकिण्ड की थी। सुनीतासिंह दिनांक 7-8-2013 को शिल्पी से बात होना बताती है। कॉल डिटेल रिकार्ड के मुताबिक सोमबीरसिंह के फोन से 4 बार शिल्पी से बात हुई है। अतः पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह के यह कथन विश्वास जगाते हैं कि दिनांक 6-8-2013 को अभियुक्ता शिल्पी ने उसे फोन करके घन्टे भर के लिये महामृत्युंजय जप का जाप करने को कहा और अगले दिन फोन करके स्वयं भी बात की और पी. डब्ल्यू-5 "सु" से भी कहलवाया कि उसकी तबियत खराब है, जल्दी आ जाओ। यह तथ्य इसलिये विश्वसनीय प्रतीत होता है कि अगले दिन दिनांक 8-8-2013 की रात्रि में पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह एवं पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह के शाहजहांपुर से छिन्दवाड़ा बॉयज होस्टल पहुंचने की पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। यहां तक कि बचाव पक्ष के गवाह भी इसकी पुष्टि करते हैं। फर्द पेशकर्ता प्रदर्श-पी-56 के साथ संलग्न आगन्तुक रजिस्टर से इसकी पुष्टि होती है, जो बॉयज होस्टल का आगन्तुक रजिस्टर है।

447- प्रदर्श-पी-64 से एवं पी. डब्ल्यू-37 श्री राम कश्यप को बचाव पक्ष की ओर से दिये गये इस सुझाव से यह तथ्य साबित होता है कि घटना के वक्त अभियुक्त शरद सन्त श्री आसाराम गुरुकुल छिन्दवाड़ा का डायरेक्टर था तथा प्रदर्श-पी-67 नियुक्ति पत्र सुश्री संचिता गुप्ता से इस तथ्य की ताईद होती है कि संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी होस्टल की संचालिका अधीक्षिका थी।

(427)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

पीड़िता को चक्कर आने की घटना के सम्बन्ध में उसे बार बार सुझाव दिये गये हैं किन्तु वह अपने कथनों से बिल्कुल भी नहीं डिगी है। हालांकि वह चक्कर आने की घटना की कोई निश्चित दिनांक नहीं बता पाई है, 2 अथवा 3 अगस्त बताती है। प्रदर्श-डी-4 में दिनांक 7-8-2013 को जो चक्कर आना लिखा है, उसके बारे में उसका कथन है कि उसने 7-8-2013 को चक्कर आना नहीं बताया था। पी. डब्ल्यू. 5 "सु" ने स्पष्ट कथन किया है कि उसे शरद सर ने आफिस में बुलाया है व वहां जाने पर शरद व शिल्पी का पहले से वहां बैठा होना, साथ में भव्या का भी होना तथा शरद व शिल्पा दोनों का यह कहना कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है और तुम अच्छी तरह जप किया करो। गवाह उसके माता पिता के आने के बाद उनके साथ स्कूल जाना कहती है। आगे उसने स्पष्ट कथन किया है कि उसके पापा शरद सर से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है तथा बापू से बात हो गई है, उन्होंने बुलाया है तथा और कहीं और लेकर मत जाओ। फिर उसके पापा ने शरद सर से पूछा था कि बापू कहां है तो उन्होंने कहा कि शिवा से बात करो वो बतायेगा कि बापू कहां हैं। पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह भी शरदचन्द्र से अपने पति के मिलने की पुष्टि करती है। पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह ने स्पष्ट कथन किया है कि जब शिल्पी से पूछा कि बापू कहां मिलेंगे तो शिल्पी ने कहा कि शरद सर बता देंगे। फिर गुरुकुल में आकर शरद सर से मिले जो गुरुकुल का डायरेक्टर है। शरद ने बताया कि आपकी बेटा पर प्रेतों का साया है और बापू ने आपको परिवार सहित बुलाया है। शरद से पूछा कि बापू कहां मिलेंगे तो उसने बताया कि 12 या 13 तारीख को शायद दिल्ली आयेंगे, बाकी आपको शिवा बता देगा।

448— पी. डब्ल्यू. 5 "सु" ने जिरह में भव्या के बारे में स्पष्ट किया है कि भव्या चिल्लाती थी, शोर मचाती थी और उसे कमरे में बन्द कर देते थे और हमें उसके पास जाने नहीं देते थे। गवाह ने 1 - 2 बार उसे उत्पात मचाते व कमरे में बन्द करते देखा था। गवाह ने और स्पष्ट किया है कि वह रोने जैसा चिल्ला रही थी। पहली बार चिल्लाने का देखने पर उत्सुकता हुई कि बाहर जाकर देखें कि क्या हो रहा है किन्तु उसके पहले ही शिल्पी दीदी ने इसके

(428)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

बारे में बता दिया था कि भव्या के साथ ऐसा ऐसा होता है, उसके पास नहीं जाना। गवाह शिल्पी दीदी पर इसलिये भरोसा कर लेना कहती है क्योंकि वह होस्टल की वार्डन थी और बड़ी थी इसलिये झूठ नहीं बोल सकती थी। गवाह से पूछा गया कि भूत होता है या नहीं होता है ? गवाह ने यह जवाब दिया कि भगवान होता है तो भूत भी होते होंगे। भगवान अच्छा करते हैं और भूत बुरा करते होंगे क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वे ही मर कर शायद भूत बनते होंगे। इससे स्पष्ट है कि गवाह बयान देने के रोज तक भूत प्रेत में विश्वास करती है। उसका अभियुक्ता शिल्पी पर विश्वास था कि वह बड़ी है, झूठ नहीं बोल सकती। ऐसे में अभियुक्ता शिल्पी की बातों में आकर परिवार वालों को फोन करना व शिल्पी के कहे अनुसार बताना, अविश्वसनीय व अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है।

449— पी. डब्ल्यू.-11 कृपालसिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 11-8-2013 को कर्मवीर व अन्य साधक लोगों के साथ गया था। कर्मवीर से उसकी बात हुई थी, वह परेशान लग रहा था व बताया था कि छिन्दवाड़ा गुरुकुल से उसकी वार्डन शिल्पी का फोन आया था और शिल्पी ने कहा था कि उसकी बेटी की तबियत खराब है। तब कर्मवीर वहां गया, वहां "सु" की तबियत खराब नहीं थी लेकिन भूत प्रेत का कोई चक्कर बताया। कर्मवीर ने यह भी बताया था कि शिल्पी ने उन्हें यह कहा था कि उसकी बापू जी से बात हुई है और वहां जाने से वह ठीक हो जायेगी। शिजरह में गवाह ने स्पष्ट किया है कि वे डी.सी.एम. ट्रक में बरेली गये थे। उसने भूत प्रेत वाली बात किसी अन्य को इसलिये नहीं बताई क्योंकि उसने भूत प्रेत की बात को सही नहीं माना।

450— मेरे विनम्र मत में पी. डब्ल्यू.-11 कृपालसिंह, पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह, पी. डब्ल्यू.-5 "सु" व पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह के कथनों से यह पूरी तरह सिद्ध है कि अभियुक्ता शिल्पी ने सर्वप्रथम परिवादी के निवास पर फोन कर महामृत्युंजय मन्त्र का जाप करने का कह कर डराया क्योंकि यह सुविदित है कि घोर संकट आने पर महामृत्युंजय मन्त्र का जाप किया जाता है। तत्पश्चात् स्वयं ने व "सु" से भी पीड़िता के परिवार को यह कहलवाया कि

(429)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

उसकी तबियत बहुत खराब है, तुरन्त आ जाओ। तब पीड़िता के माता पिता उसे लेने पहुंचे तो यह कहा कि कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है, इस पर भूत प्रेत का साया है, बापू जी से बात हो गई है, सीधे वहीं ले जाओ। उक्त तथ्यों की ताईद दिनांक 11-8-2013 को कर्मवीरसिंह द्वारा कृपालसिंह को बताने से होती है। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क है कि पीड़िता की कस्टडी माता पिता के हाथ में सौंप दी गई थी, मेरे विनम्र मत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि धारा 370 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित अपराध को पूर्ण करने के लिये कस्टडी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, मात्र धारा 370 (1) (सी) के Fourth व Sixth तरीके के अनुसार कपट व प्रवंचना करके या स्थानान्तरित व्यक्ति पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करने के क्रम में उत्प्रेरणा से भी यह अपराध पूर्ण हो जाता है। हस्तगत प्रकरण में भूत का भय दिखा कर अभियुक्ता शिल्पी द्वारा पी. डब्ल्यू.-21 कर्मवीरसिंह व पी. डब्ल्यू.-12 सुनीतासिंह से कपट व प्रवंचना की गई तथा उन्हें उत्प्रेरित किया गया कि वे अपनी पुत्री जिस पर वे नियन्त्रण रखते थे, को अभियुक्त आसाराम के पास स्थानान्तरित करें।

451- यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त आसाराम व अभियुक्ता संचिता के मध्य कोई Communication होना अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त आसाराम एवं संचिता के मध्य पीड़िता को अभियुक्त आसाराम के पास स्थानान्तरित करने की सहमति सिद्ध नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त दिनांक 9-8-2013 के पश्चात् अभियुक्ता शिल्पी द्वारा परिवादी पक्ष के साथ कोई सम्पर्क नहीं रखा गया, न ही फोन करके पूछने का प्रयास किया गया कि वे अभियुक्त आसाराम के पास ले गये या नहीं। यह भी सिद्ध करता है कि अभियुक्त आसाराम व अभियुक्ता शिल्पी के मध्य मस्तिष्कों का सम्मेलन नहीं था।

452- मैंने इस सम्बन्ध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

453- माननीय उच्चतम न्यायालय का यह मत है कि आपराधिक षड्यन्त्र के मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का मिलना अत्यन्त कठिन होता है।

(430)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आपराधिक षड्यन्त्र का अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्य से ही सामान्य तौर पर सिद्ध किया जा सकता है।

454— माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चयों में स्पष्टतः यह अवधारित किया है कि आपराधिक षड्यन्त्र खुले में नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य से षड्यन्त्र को साबित करना सम्भव नहीं है।

(1)- State of Tamil Nadu through Superintendent of Police, CBI/SIT vs. Nalini and 25 others (1999) SCC (Cri.) 691

3. Conspiracy is hatched in private or in secrecy. It is rarely possible to establish a conspiracy by direct evidence. Usually, both the existence of the conspiracy and its objects have to be inferred from the circumstances and the conduct of the accused.

455— माननीय उच्चतम न्यायालय ने "Bhagwandas Keshwani and another vs. State of Rajasthan (1974) (4) SCC 611 at 613)", में यह अवधारित किया है कि :- in cases of conspiracy better evidence than acts and statements of coconspirators in pursuance of the conspiracy is hardly ever available.

456— पूर्वोक्त विवेचन द्वारा यह साबित माना गया है कि अभियुक्ता शिल्पी ने पीड़िता में भूत आने का कथन करके पीड़िता व उसके परिवार को डराया तथा उन्हें कहा कि बापू से बात हो गई है, सीधे उन्हीं के पास लेकर जाओ। यहां कड़ी इस प्रकार जुड़ती है कि पीड़ित परिवार जब अभियुक्त आसाराम के पास पहुंचा और अभियुक्त आसाराम के पास पहुंचने पर पीड़िता ने बताया कि वह छिन्दवाड़ा गुरुकुल से आई है तो अभियुक्त आसाराम ने कहा कि अच्छा भूतों वाली लड़की हो। यदि अभियुक्ता संचिता एवं अभियुक्त आसाराम के बीच मस्तिष्कों का सम्मेलन नहीं होता कि अभियुक्ता शिल्पी पीड़िता को उसके पास भूत प्रेत का डर दिखा कर भेज रही है तो वह छिन्दवाड़ा गुरुकुल का नाम लेते ही पीड़िता को भूतों वाली लड़की से सम्बोधित कैसे करता। पीड़िता के साथ दिनांक 15-8-2013 को जप करवाने के बहाने

(431)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

से घटना कारित की गई है, उसके एक दिवस पूर्व ही पीड़िता को बुला कर इस बाबत फुसलाने की साक्ष्य है कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, समर्पित हो जाओ, तुम्हारी जिन्दगी बना दूंगा, बड़े बड़े अफसर मेरे चरणों में पड़े रहते हैं। परिवारी परिवार के अभियुक्त आसाराम से मिलने के वक्त भूतों के सम्बन्ध में बात होने की साक्ष्य मात्र पी. डब्ल्यू-21 कर्मवीरसिंह, पी. डब्ल्यू-12 सुनीतासिंह व पी. डब्ल्यू-5 "सु" की ही नहीं है। आसाराम व कर्मवीरसिंह के परिवार के मध्य, पहुंचते ही बात हुई, इसकी ताईद पी. डब्ल्यू-6 रणजीत के बयानों से होती है जिसके पूरे परिवार ने अभियुक्त आसाराम से दीक्षा ले रखी है एवं जो उस फार्म हाउस का मालिक है जिसमें स्थित कुटिया में यह घटना हुई है। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में ही कथन किया है कि यू. पी. से जो लोग आये थे, उनमें एक आदमी, एक औरत व एक बच्ची थी, उनके लिये बापू ने कहा था कि इनकी व्यवस्था करो तब इन्हें मकान के ऊपर कमरे में रूकवाया था। अर्थात् यह गवाह कर्मवीरसिंह, सुनीतासिंह व उसकी पुत्री के बारे में बात करता है। इस गवाह ने आगे स्पष्ट किया है कि जो यू. पी. से आये थे, उनमें से जो आदमी था, उसने बापू जी को कहा था कि भूत प्रेत मेरा गला दबा रहे हैं, औरत आई थी, उसने बापू जी को कहा था कि मुझे 3 - 4 साल से औरतें दिखती हैं। अर्थात् यह स्पष्ट है कि अभियुक्त व परिवारी के परिवार के बीच भूत प्रेतों के सम्बन्ध में बात हुई थी जिसका गवाह पी. डब्ल्यू-6 रणजीत है। पी. डब्ल्यू-22 रामकिशोर भी कर्मवीरसिंह द्वारा बापू को अपने परिवार की समस्या बताना कहता है। अर्थात् यह गवाह जो बयान देने के दिन भी अभियुक्त आसाराम का साधक है, भी स्वीकार करता है कि कर्मवीरसिंह व अभियुक्त आसाराम के मध्य समस्याओं के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी। अतः यह तथ्य सिद्ध होता है कि अभियुक्त आसाराम को, परिवारी व उसके परिवार के उस तक पहुंचने से पूर्व ही, यह ज्ञात था कि परिवारिया को भूत प्रेत का डर दिखा कर उसके पास भेजा गया है।

457- जहां तक अभियुक्ता शिल्पी व शरदचन्द्र द्वारा दिनांक 9-8-2013 के पश्चात् पीड़ित परिवार से कोई सम्पर्क नहीं करने का प्रश्न है, मेरे विनम्र मत में अभियुक्ता शिल्पी व अभियुक्त शरदचन्द्र द्वारा आपराधिक षड्यन्त्र का स्वयं

(432)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

का हिस्सा पूर्ण कर लिया गया था, अतः उसे पुनः परिवादी पक्ष से सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं थी। धारा 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निम्नलिखित दृष्टान्त यह स्पष्ट करता है :-

Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the 1[Government of India]. The facts that B procured arms in Europe for the purpose of the conspiracy, C collected money in Calcutta for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C had collected at Calcutta, and the contents of a letter written by H giving an account of the conspiracy, are each relevant, both to prove the existence of the conspiracy, and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it. Comments Existence of conspiracy If prima facie evidence of existence of a conspiracy is given and accepted, the evidence of acts and statements made by anyone of the conspirators in furtherance of the common object is admissible against all.

458— हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण शरद व शिल्पी के विरुद्ध इस आशय की प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने पीड़िता को अभियुक्त आसाराम के पास इसलिये भेजा हो कि अभियुक्त आसाराम पीड़िता का यौन शोषण कर सके किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह सिद्ध करती है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ पीड़िता को दोनों अभियुक्तगण

(433)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

ने भूत प्रेत का डर दिखाया एवं उसके परिवार को भी प्रवंचित कर उत्प्रेरित किया कि भूत के इलाज के लिये उनकी बात अभियुक्त आसाराम से हो गई है, वे पीड़िता को कहीं नहीं ले जायें, सीधे अभियुक्त आसाराम के पास ले जायें। उक्त तथ्य यह सिद्ध करता है कि वे अभियुक्त आसाराम के साथ इस षड्यन्त्र में शामिल थे कि पीड़िता को किसी तरह अभियुक्त आसाराम के पास भेज दिया जाये ताकि वह अनुष्ठान के नाम पर पीड़िता को उसके मां बाप से अलग कर दुष्कर्म कर सके।

459— उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्ता संचिता उर्फ शिल्पी व अभियुक्त शरदचन्द्र के विरुद्ध यह प्रश्न बिन्दु सिद्ध करने में सफल रहा है।

प्रश्न बिन्दु संख्या 4 :-

(4)— क्या अभियुक्तगण शरदचन्द्र उर्फ शरदचन्द्र, संचिता उर्फ शिल्पी एवं अभियुक्त आसाराम उर्फ आशुमल ने अभियोक्त्री बालिका पर वास्तविक प्रभाव एवं नियन्त्रण रखते हुए उस पर हमला किया तथा उसे अनावश्यक मानसिक व शारीरिक कष्ट पहुंचाया ?

460— अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मणाई आश्रम की कुटिया में घटना के वक्त बालिका अभियुक्त आसाराम के नियन्त्रण में साँपी गई थी एवं उसके द्वारा बालिका पर यौन हमला किया गया। अभियुक्ता शिल्पी उर्फ संचिता के वास्तविक नियन्त्रण में रहते हुए उसके चक्कर खाकर गिरने के बावजूद उसे चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं अभियुक्त शरदचन्द्र द्वारा उसे Neglect होने दिया गया। अतः तीनों अभियुक्तगण इस अपराध के लिये दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

461— यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शरदचन्द्र उर्फ शरदचन्द्र, अभियुक्ता शिल्पी उर्फ संचिता एवं अभियुक्त आसाराम पर धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के दण्डनीय अपराध

(434)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

का आरोप भी लगाया गया है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि यह धारा उन मामलों में लगानी होती है जहां पर बालक पर स्थाई रूप से वास्तविक प्रभार अथवा नियन्त्रण हो एवं बालक पर हमला Abandance या उसे जानबूझ कर Neglect किया जाये। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त आसाराम के पास बालिका का वास्तविक प्रभार या कन्ट्रोल नहीं था। अभियोजन पक्ष के समस्त अभियोग को सही मान लिया तो भी अधिक से अधिक एक घन्टे तक पीड़िता आसाराम के पास रही थी। इसे वास्तविक प्रभार या नियन्त्रण नहीं कहा जा सकता है। जहां तक अभियुक्त शरदचन्द्र का प्रश्न है, वह गुरुकुल का संचालक मात्र था, बालिका उसके पास उसके नियन्त्रण में नहीं रहती थी एवं उसके द्वारा इस अपराध की परिभाषा में बताया गया कोई भी कृत्य बालिका के साथ नहीं किया गया है, न ही होने दिया गया है। जहां तक अभियुक्ता शिल्पी का प्रश्न है, जिस समय तथाकथित घटना घटी, बालिका शिल्पी के वास्तविक प्रभार या नियन्त्रण से दूर जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में उक्त धारा की आवश्यकतायें पूर्ण नहीं होती हैं।

462— मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

463— धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 निम्न प्रकार है :-

"23. Punishment for cruelty to juvenil or child --
Whoever, having the actual charge of or control over, a juvenile or the child, assaults, abandons, exposes qwilfully neglects the juvenile or causes or procures him to be assaulted, abandoned, exposed or neglected in a manner likely to cause such juvenile or the child unnecessary mental or physical suffering shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or fine or with both.

464— अभियुक्तगण पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिनांक

(435)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

15-8-2013 को रात्रि के लगभग 10 बजे स्थान मणाई आश्रम में स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका पर वास्तविक प्रभार या नियन्त्रण रखते हुए अभियोक्त्री बालिका पर हमला किया तथा उसे अनावश्यक मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाया और इसके द्वारा उन्होंने ऐसा कार्य किया जो धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को है।

465— उक्त आरोप से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर दिनांक 15-8-2013 की रात लगभग 10 बजे मणाई आश्रम स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका पर वास्तविक प्रभार या नियन्त्रण रखते हुए हमला कर व अनावश्यक मानसिक व शारीरिक कष्ट पहुंचाने का आरोप है। दिनांक 15-8-2013 को अभियुक्तगण शरदचन्द एवं शिल्पी उर्फ संचिता की उपस्थिति उक्त कुटिया में रही हो, ऐसा अभियोजन का मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त दिनांक 9-8-2013 को ही बालिका का वास्तविक प्रभार व नियन्त्रण उसके माता पिता पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह व पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह को सौंप दिया गया। अतः उक्त दोनों अभियुक्तगण शरद व शिल्पी के विरुद्ध यह आरोप साबित होना नहीं पाया जाता है।

466— जहां तक अभियुक्त आसाराम का प्रश्न है, पी. डब्ल्यू. 21 कर्मवीरसिंह व पी. डब्ल्यू. 12 सुनीतासिंह एवं पी. डब्ल्यू. 5 "सु" ने अपने बयानों में स्पष्टतः कहा है कि अभियुक्त आसाराम ने पीड़िता को कुटिया के पीछे बरामदे में बिठा कर जप करने को कहा एवं उसके माता पिता को मैन गेट के पास बिठा कर जप करने को कहा। आसाराम के कहने से पीड़िता कुटिया के पीछे बरामदे में आकर बैठ गई। अर्थात् उस वक्त वह अभियुक्त आसाराम के नियन्त्रण में आ चुकी थी। तत्पश्चात् आसाराम ने उसे इशारा करके कुटिया में बुलाया तो वह कुटिया में चली गई। जिस समय आसाराम ने कुटिया का दरवाजा बन्द किया उस समय, माता पिता द्वारा छोड़ी गई पीड़िता, पूर्ण रूप से आसाराम के नियन्त्रण में आ गई थी। उक्त स्थिति में अभियुक्त आसाराम ने पीड़िता पर यौन हमला कारित किया, जो कि प्रश्न बिन्दु संख्या 2 के विवेचन

(436)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

में साबित माना जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष इस प्रश्न बिन्दु को अभियुक्त आसाराम के विरुद्ध साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

—: निष्कर्ष :—

467— न्यायालय द्वारा प्रथम चार प्रश्न बिन्दुओं में किये गये विवेचन के पश्चात् निकाले गये निष्कर्ष के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को निम्नप्रकार साबित करने में सफल रहा है :—

(1)- **अभियुक्तगण शिवा व प्रकाश :-**

अभियोजन पक्ष उक्त दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोपित अपराध साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः उक्त दोनों अभियुक्तगण उन पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

(2)- **अभियुक्त आसाराम :-**

प्रश्न बिन्दु संख्या 1 से 4 के विवेचन के दौरान अभियुक्त आसाराम के विरुद्ध साक्ष्य से साबित परिस्थितियों व तथ्यों से उसके विरुद्ध निम्नलिखित अपराधों के आरोप साबित पाये जाते हैं :-

(1)- **धारा 342 भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री बालिका को 15-8-2013 को रात्रि लगभग 10 बजे मणाई आश्रम में स्थित कुटिया में कमरे का दरवाजा बन्द कर सदोष अवरोध कारित कर निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित किया, एतद्द्वारा बालिका का सदोष परिरोध किया।

(2)- **धारा 370 (4) भारतीय दण्ड संहिता** – दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के लगभग 10 बजे से पूर्व किसी समय अभियुक्त आसाराम ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिल कर अभियोक्त्री बालिका का यौन शोषण के प्रयोजन से उसके व उसके परिवार के साथ कपट, प्रवंचना, उत्प्रेरणा इत्यादि का प्रयोग कर उसका दुर्व्यापार किया एवं उसे यौन शोषण हेतु प्राप्त किया।

(437)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

- (3)– **धारा 120–बी भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 से अन्य अभियुक्तगण के साथ मिल कर एक आपराधिक षड्यन्त्र का गठन किया जिसका उद्देश्य यह था कि अभियुक्त आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका का लैंगिक शोषण/बलात्कार किया जा सके।
- (4)– **धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि में 10 बजे के लगभग अभियोक्त्री बालिका “सु” को उसके माता पिता को शारीरिक क्षति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी इस आशय से दी कि उसे सन्त्रास कारित किया जा सके। अतः उसका आपराधिक अभित्रास किया।
- (5)– **धारा 354–ए भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के 10 बजे मणाई आश्रम स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका “सु” का लैंगिक उत्पीड़न कर उसके द्वारा मना करने पर उसके माता पिता को मारने की धमकी देकर धमकाया।
- (6)– **धारा 376–डी भारतीय दण्ड संहिता / धारा 5(जी)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 से पूर्व अन्य अभियुक्तगण शरद् व शिल्पी के साथ मिल कर समूह का गठन किया तथा उक्त समूह के सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए अभियोक्त्री बालिका “सु” के साथ बलात्संग/सामूहिक उत्तेजक भेदन यौन हमला कारित किया।
- (7)– **धारा 376 (2) (एफ) भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के लगभग दस बजे मणाई आश्रम में स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका “सु” के प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में होते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे डरा धमका कर उसके साथ बलात्संग किया।

(438)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

- (8)– **धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि लगभग 10 बजे मणाई आश्रम स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका “सु” को अपना लिंग इस आशय से दिखाया कि अभियोक्त्री द्वारा वो लिंग देखा जाये।
- (9)– **धारा 7/8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** – उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त आसाराम ने यौन आशय से अभियोक्त्री बालिका “सु” की योनि, मूत्रमार्ग व छाती को अपने हाथों से छुआ।
- (10)– **धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000** – उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त आसाराम ने 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री बालिका “सु” पर वास्तविक प्रभार व नियन्त्रण रखते हुए हमला कर अनावश्यक मानसिक व शारीरिक कष्ट पहुंचाया।

उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त आसाराम के विरुद्ध धारा 342, 370 (4), 120-बी, 506, 354-ए, धारा 376-डी, धारा 376 (2) (एफ), धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता / धारा 5(जी)/6 व धारा 7/8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है, अतः अभियुक्त आसाराम उक्त अपराधों के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। एतद्द्वारा अभियुक्त आसाराम को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है।

प्रश्न यह है कि उपरोक्त में से किन अपराधों के लिये अभियुक्त आसाराम दण्डित किये जाने योग्य है।

(439)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

चूंकि धारा 354-ए का गुरुतर रूप धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता है एवं धारा 7/8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का गुरुतर रूप धारा 5/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। अतः अभियुक्त आसाराम को धारा 354-ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7/8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के लिये दण्डित किया जाना न्यायालय उचित नहीं पाता है।

अभियुक्त आसाराम को भारतीय दण्ड संहिता एवं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में एक ही कृत्य के लिये पृथक पृथक धारा 376-डी भा. दं. सं. व धारा 5(जी)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के लिये दोषसिद्ध किया गया है, अतः वह धारा 42 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत उस दण्ड का भागी होगा जो दोनों में से अधीन गुरुतर दण्ड है।

धारा 6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत निर्धारित दण्ड कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना नियत है। वही धारा 376 (2) भा. दं. सं. के तहत अपराधी को कम से कम 10 के कठोर कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का होगा जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के जीवन के शेष भाग तक कारावास, एवं जुर्माना, के लिये दायी ठहराया गया है।

धारा 376-डी भारतीय दण्ड संहिता में अपराधी को कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के जीवन के शेष भाग तक का कारावास एवं जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा, का प्रावधान है।

(440)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से गुरुतर मात्रा में दण्ड के प्रावधान हैं। अतः अभियुक्त आसाराम धारा 342, 370 (4), 120-बी, 376-डी, धारा 376 (2) (एफ), धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के लिये दण्डित किये जाने योग्य है।

(3)- **अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी उर्फ संचिता :-**

प्रश्न बिन्दु संख्या 1 से 4 के विवेचन के दौरान अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी उर्फ संचिता के विरुद्ध साक्ष्य से साबित परिस्थितियों व तथ्यों से उनके विरुद्ध निम्नलिखित अपराधों के आरोप के सम्बन्ध में विवेचन किया जा रहा है।

(1)- **धारा 342/34 भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका को 15-8-2013 को रात्रि लगभग 10 बजे मणार्ई आश्रम में स्थित कुटिया में कमरे का दरवाजा बन्द कर सदोष अवरोध कारित कर निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित किया, एतद्वारा बालिका का सदोष परिरोध किया, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 15-8-2013 को शिल्पी व शरदचन्द्र मणार्ई में उपस्थित नहीं थे। अतः उक्त अपराध में उनकी सहभागिता सिद्ध नहीं हो पाई है। अतः अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी के विरुद्ध उक्त आरोप अभियोजन पक्ष प्रमाणित नहीं कर पाया है।

(2)- **धारा 370 (4) भारतीय दण्ड संहिता** – दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के लगभग 10 बजे से पूर्व किसी समय अभियुक्त आसाराम ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिल कर अभियोक्त्री बालिका का यौन शोषण के प्रयोजन से उसके व उसके परिवार के साथ कपट, प्रवंचना, उत्प्रेरणा इत्यादि का प्रयोग कर उसका दुर्व्यापार किया एवं उसे यौन शोषण हेतु प्राप्त किया। उक्त आरोप

(441)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी के विरुद्ध सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

- (3)– **धारा 120–बी भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 से अन्य अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी के साथ मिल कर एक आपराधिक षड्यन्त्र का गठन किया जिसका उद्देश्य यह था कि अभियुक्त आसाराम द्वारा अभियोक्त्री बालिका का लैंगिक शोषण/बलात्कार किया जा सके। उक्त आरोप अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी के विरुद्ध सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।
- (4)– **धारा 506/34 भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि में 10 बजे के लगभग अभियोक्त्री बालिका “सु” को उसके माता पिता को शारीरिक क्षति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी इस आशय से दी कि उसे सन्त्रास कारित किया जा सके। अतः उसका आपराधिक अभित्रास किया, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 15-8-2013 को शिल्पी व शरदचन्द्र मणार्ई में उपस्थित नहीं थे। अतः उक्त अपराध में उनकी सहभागिता सिद्ध नहीं हो पाई है। अतः अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी के विरुद्ध उक्त आरोप अभियोजन पक्ष प्रमाणित नहीं कर पाया है।
- (5)– **धारा 354–ए/34 भारतीय दण्ड संहिता** – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि के 10 बजे मणार्ई आश्रम स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका “सु” का लैंगिक उत्पीड़न कर उसके द्वारा मना करने पर उसके माता पिता को मारने की धमकी देकर धमकाया। अतः उसका आपराधिक अभित्रास किया, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 15-8-2013 को शिल्पी व शरदचन्द्र मणार्ई में उपस्थित नहीं थे। अतः उक्त अपराध में उनकी सहभागिता सिद्ध नहीं हो पाई है। अतः अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी के विरुद्ध उक्त आरोप अभियोजन पक्ष

(442)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

प्रमाणित नहीं कर पाया है।

- (6)– धारा 376–डी भारतीय दण्ड संहिता / धारा 5(जी)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 से पूर्व अन्य अभियुक्तगण शरद व शिल्पी के साथ मिल कर समूह का गठन किया तथा उक्त समूह के सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए अभियोक्त्री बालिका “सु” के साथ बलात्संग/सामूहिक उत्तेजक भेदन यौन हमला कारित किया। धारा 16 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिये धमकी या बलप्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता, या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियन्त्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिये फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी उर्फ संचिता द्वारा परिवादिया को कपट व प्रवंचना द्वारा अभियुक्त आसाराम के पास भेजने में सहायता की गई है, अतः उक्त दोनों अभियुक्तगण धारा 376–डी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5(जी)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

- (7)– धारा 509/34 भारतीय दण्ड संहिता – अभियुक्त आसाराम ने दिनांक 15-8-2013 को रात्रि लगभग 10 बजे मणाई आश्रम स्थित कुटिया में अभियोक्त्री बालिका “सु” को अपना लिंग इस आशय से दिखाया कि अभियोक्त्री द्वारा वो लिंग देखा जाये,

(443)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

लेकिन उक्त कृत्य में अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी उर्फ संचिता की सहभागिता प्रकट नहीं होती है। अतः अपराध के लिये लगाये गये आरोपों से अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी उर्फ संचिता दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(8)– धारा 7/8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

– उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त आसाराम ने यौन आशय से अभियोक्त्री बालिका “सु” की योनि, मूत्रमार्ग व छाती को अपने हाथों से छुआ। उक्त अपराध के लिये धारा 17 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी का दुष्प्रेरण पत्रावली पर आई साक्ष्य से सिद्ध है। किन्तु उक्त अपराध से गुरुतर अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्ववर्ती विवेचन के अनुसार साबित हो चुका है, अतः इस अपराध के लिये अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी को दण्डादिष्ट किया जाना मैं उचित नहीं पाता हूँ।

468– उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त आसाराम उर्फ आसुमल धारा 370 (4), 342, 506, 120–बी, 354–ए, 376–डी, 376 (2) (एफ), 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5(जी)/6, 7/8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के लिये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। किन्तु वह धारा 370 (4), 342, 506, 120–बी, 376–डी, 376 (2) (एफ) भा. दं. सं. एवं धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत दण्डित किये जाने योग्य है।

469– अभियुक्तगण शरदचन्द्र व शिल्पी उर्फ संचिता धारा 370 (4), 120–बी, 376–डी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(जी)/6, धारा 7/8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है, किन्तु वे धारा 370 (4), 120–बी, 376–डी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डित किये जाने योग्य हैं।

(444)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

470— एतद् द्वारा अभियुक्तगण प्रकाश व शिवा को उन पर लगाये गये समस्त आरोपों से एवं अभियुक्तगण आसाराम, शरदचन्द्र एवं संचिता उर्फ शिल्पी को उपरोक्त से भिन्न शेष समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(मधुसूदन शर्मा)

न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय,
यौन अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम, 2012
जोधपुर।

471— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अन्तर्गत D. B. Writ Miscellaneous Application No. 99/2016 दिनांक 17-4-2018 की अनुपालना में उक्त निर्णय आज दिनांक 25-4-2018 को केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में अभियुक्तगण को उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनाया गया।

(मधुसूदन शर्मा)

न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय,
यौन अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम, 2012
जोधपुर।

(445)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

न्यायालय : न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी:- मधुसूदन शर्मा (D.J.Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या:- 116/2016 (152/13)
सी आर नंबर:- 122/2013
(पुलिस थाना, महिला पश्चिम, जोधपुर)

राजस्थान राज्य बनाम आसाराम व अन्य
अभियुक्तगण

उपस्थित:

- 1- विशेष लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
- 2- श्री पी.सी. सोलंकी अधिवक्ता परिवादिया की ओर से।
- 3- श्री सज्जनराज सुराणा वरिष्ठ अधिवक्ता मय सहयोगी अधिवक्तागण सर्व श्री शौकत आलम, अजय तिवारी, आर.एन. नायक अभियुक्तगण आसाराम व सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी
- 4- श्री भावित शर्मा व श्री वेदप्रकाश मंगला अधिवक्ता अभियुक्त शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र

दण्डादेश

दिनांक: 25-4-2018

- 1- विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त आसाराम उर्फ आशुमल, सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरद चन्द उर्फ शरत चन्द को दण्ड के विषय पर सुना गया।
- 2- दौराने बहस विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जनराज सुराणा ने अभियुक्त आसाराम उर्फ आशुमल की ओर से यह तर्क दिया कि अभियुक्त ने समाज के हित में अनेक काम किये हैं उसने आदिवासी ईलाकों में जा कर के धर्मान्तरण को रूकवाने व गरीबों की सेवा का कार्य किया है, जिसके लिए उसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री आर. के. नारायण एवं श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से प्रशस्ति पत्र मिल है, जो साक्ष्य में प्रदर्शित भी हुए हैं। अभियुक्त को महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय श्री भैरोसिंह

(446)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

शेखावत, मुख्य मंत्री श्री बंशीलाल, गर्वनर महोदय श्री सुदर्शन से प्रशस्ति पत्र मिले है। अभियुक्त आसाराम की उम्र 82 वर्ष है। अतः उसके प्रति सजा में नरमी बरती जाए।

3— विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जनराज सुराणा ने अभियुक्ता सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी की ओर से यह तर्क दिया है कि वह कम उम्र की महिला है, जिसके सामने अभी पूरी जिन्दगी पडी है। उसका अपराध में रोल बेहद सीमित है। उसके प्रति भी सजा में नरमी का रूख अपनाया जाए।

4— अभियुक्त शरद चन्द उर्फ शरत चन्द की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भावित शर्मा व वेद प्रकाश मंगला ने यह तर्क दिया है कि अभियुक्त शरद चन्द के विरुद्ध नरमी का रूख अपनाया जाए।

5— विशेष लोक अभियोजक श्री पोककरराम बिश्नोई ने यह तर्क दिया है कि अभियुक्तगण के आचरण को देखते हुए उन्हें कठोर से कठोर दण्ड से दण्डादिष्ट किया जाना चाहिए।

6— परिवादिया की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. सोलंकी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिकर पेश किया एवं यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डादिष्ट किया जाए।

7— मैंने दण्ड के विषय पर उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8— अभियुक्त आसाराम संत कहलाते हैं। पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि न सिर्फ भारत में वरन विदेशों में भी उनके लाखों की तादाद में शिष्य है। 400 से अधिक आश्रम भी अभियुक्त आसाराम के नाम से चलना साक्ष्य से प्रकट हुआ है। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि पीडिता "सु" का पिता भी अभियुक्त आसाराम का शिष्य था। उसने आसाराम के लिए शाहजहाँपुर में आश्रम बनवाने में महत्ति भूमिका निभाई एवं वहाँ भी अभियुक्त आसाराम की कुटिया का निर्माण करवाया। उसकी अभियुक्त आसाराम के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसने अपनी पुत्री पीडिता "सु" व पुत्र यशवीरसिंह को शाहजहाँपुर से दूर छिंदवाडा गुरुकुल में पढने भेजा। घटना के

(447)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अनुसार अभियुक्त आसाराम ने जप करवाने का बहाना कर पीडिता "सु" को उसके माता पिता से अलग किया एवं तत्पश्चात उसे अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मेरे विनम्र मत में अभियुक्त आसाराम द्वारा न सिर्फ परिवारिया का विश्वास तोडा है वरन आम जनता में संतों की छवि को भी नुकसान पहुँचाया है।

9- माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम (2005) 5 एस सी सी 554 के सम्माननीय विनिश्चय में यह मत प्रकट किया है कि सजा देने का उद्देश्य समाज को सुरक्षित करना है एवं अभियुक्त को रोकना है।

10- माननीय उच्चतम न्यायालय ने रविजी उर्फ रामचन्द्र बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1996 एस सी 787 में यह प्रतिपादित किया है कि यदि अपराध के लिए जो कि न सिर्फ पीडित वरन उस समाज के विरुद्ध भी है, जिससे अपराधी व पीडित सम्बन्ध रखते हैं, उचित दण्ड नहीं दिया जाता है तो न्यायालय अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो जाएगी।

11- माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेवका पेरूमल बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1991 एस सी 1463 में यह प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त के प्रति अवांछित सहानुभूति न्याय व्यवस्था को अधिक हानि पहुँचाएगी, क्योंकि इससे जनता का विधि की व्यवस्था में विश्वास कम होगा। यदि न्यायालय क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो क्षतिग्रस्त व्यक्ति स्वयं बदला लेने के मार्ग पर चलेगा। अतः प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि उसे अपराध की प्रकृति व उसे कारित करने के अनुसार उचित दण्ड दे।

12- माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सम्माननीय विनिश्चय में यह मत प्रतिपादित किये है कि

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Ved Prakash vs State Of Haryana 1981 AIR 643 में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

70. Sentencing is an important task in the matters of crime. One of the prime objectives of the criminal law is imposition of appropriate, adequate, just and proportionate sentence commensurate with the nature

and gravity of crime and the manner in which the crime is done. There is no straitjacket formula for sentencing an accused on proof of crime. The courts have evolved certain principles: twin objective of the sentencing policy is deterrence and correction. What sentence would meet the ends of justice depends on the facts and circumstances of each case and the court must keep in mind the gravity of the crime, motive for the crime, nature of the offence and all other attendant circumstances.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Alister Anthony Pareira vs State Of Maharashtra CRIMINAL APPEAL NOS. 1318-1320 OF 2007** में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है:-

As a matter of law, proportion between crime and punishment bears most relevant influence in determination of sentencing the crime doer. The court has to take into consideration all aspects including social interest and consciousness of the society for award of appropriate sentence.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **: -Dhananjay Chaterjee vs State Of W.B on 11 January, 1994 1994 (2) S.C.C.220** में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है:-

The measure of punishment in a given case must be depend upon the atrocity of the crime; the conduct of criminal and the defenseless and unprotected state of victim. Imposition of appropriate punishment is the manner in which the courts respond to the society's cry for justice against the criminals.

Justice demands that court should impose punishment befitting the crime, so that the courts reflect public abhorrence of the crime. The court must not only keep the view of the criminals but also the rights of the victim of crime and the society at large while considering imposition of appropriate punishment.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **State of U.P. V/S Shrikishan 2005 Cr.L.R.(S.C.)127** में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है:-

The court will be failing in its duty if appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual victim but also against the society to which the criminal and victim belongs. The punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant but it should conform to and be consistent with the atrocity and brutality with

(449)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorrence and it should "respond to the society's cry for justice against the criminals."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of U.P. V/S Shrikishan 2005 Cr.L.R.(S.C.)127 में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है:—

The court will be failing in its duty if appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual victim but also against the society to which the criminal and victim belongs. The punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant but it should conform to and be consistent with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorrence and it should "respond to the society's cry for justice against the criminals."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Adu Ram V/S Mukna & Ors. 2005 Cr.L.R. (S.C.)122 में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है :-

Imposition of sentence without considering its effect on the social order in many cases may be in reality a futile exercise. The social impact of crime which has great impact on social order and public interest, cannot be lost sight of and per se require exemplary treatment any liberal attitude by imposing meager sentence or taking too sympathetic view merely on account of lapse of time in respect of such crime will be result-wise counter productive in the longer run and against societal interest which needs to be cared for and strengthened by string of deterrence inbuilt in the sentencing system.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of M.P. V/S Saleem & Ors. 2005 Cr.L.R. (S.C.)575 में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया है:—

The object should be to protect the society and to deter the criminal in achieving the avowed object of law by imposing appropriate sentence. It is expected that the courts would operate the sentencing system so as to impose such sentence which reflects the conscience of the society and the sentencing process has to be stern where it should be.

The courts will be failing in its duty if appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual victim but also against the society to which the criminal and

(450)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

victim belong. The punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant but it should conform to and be consistent with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorance and it should " respond to the society cry for justice against the criminal."

13— उपरोक्त सम्माननीय विनिश्चयों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए मेरे विनम्र मत में अभियुक्तगण उनके विरुद्ध प्रमाणित अपराध के लिए निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

दण्डादेश

14— अतः अभियुक्त **आसाराम उर्फ आसूमल** पुत्र श्री थेवरदास उर्फ थेउमल जी, निवासी संत श्री आसाराम बापू आश्रम, मोटेरा साबरमती, जिला अहमदाबाद, राज्य गुजरात को साबित अपराध अन्तर्गत धारा 370(4), 342, 506, 376—डी, 376 (2) (एफ) सपठित धारा 120—बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 23 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के दण्डनीय अपराध के लिए निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:—

1— **अपराध अन्तर्गत धारा 370(4) भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर **कारावास** की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे।

2— **अपराध अन्तर्गत धारा 342, भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000/— रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को **एक माह** के कठोर **कारावास** की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे।

3— **अपराध अन्तर्गत धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000/— रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना

(451)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

अभियुक्त को एक माह के कठोर **कारावास** की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे।

4- **अपराध अन्तर्गत धारा 376 (2) (एफ) भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिए आजीवन कारावास, जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगा तथा एक लाख रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को एक **वर्ष** के कठोर **कारावास** की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे।

5- **अपराध अन्तर्गत धारा 376-डी भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिए आजीवन कारावास, जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगा तथा एक लाख रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को एक **वर्ष** के कठोर **कारावास** की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे।

6- **अपराध अन्तर्गत धारा 23** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के लिए छह माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

15- अभियुक्तगण सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी पुत्री श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, जाति वैश्य, निवासी 35 मोलश्री विहार वी.आई.पी. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र पुत्र जयन्तराव, जाति ब्राह्मण, निवासी 2-2-1130/22, फ्लेट 102, कुसुम मैन्सन, न्यू नलाकुण्ठा, थाना अमरपेट, हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश को साबित अपराध अन्तर्गत धारा 370(4)/120-बी, 376-डी भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध के लिए निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

(452)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

1— अपराध अन्तर्गत धारा 370(4) सपठित धारा 120—बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए प्रत्येक अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000/— रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे।

2— अपराध अन्तर्गत धारा 376—डी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए प्रत्येक अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000/— रूपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे।

16— तदनुसार अभियुक्तगण का सजा वारंट मुर्तिब किया जाए। सजा वारंट में अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान व अन्वीक्षा के दौरान इस प्रकरण में बिताई गई पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा की अवधि अंकित की जाए, जो मूल सजा से मुजरा हो।

17— उक्त जुर्माने की राशि वसूल होने की सूरत में अभियोक्त्री—बालिका “सु” को सम्पूर्ण राशि अदा की जाए।

18— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर को अभियोक्त्री—बालिका को पर्याप्त प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा की जाती है। निर्णय की प्रति अभियुक्तगण आसाराम उर्फ आशुमल, सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरद चन्द उर्फ शरत चन्द को निशुल्क दिलाई जावे। एक प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

19— हस्तगत प्रकरण में प्राप्त हुए मूल रजिस्टर एवं जम्मु न्यायालय से प्राप्त आरोप पत्र बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार लौटाए जाए। प्रकरण में अभियुक्त शिवा से जब्तशुदा मोबाईल आर्टिकल—7 व 8 मय सिम बाद गुजरने मियाद अपील अभियुक्त शिवा को लौटाये जाएं। अभियुक्त शरद चन्द से जब्तशुदा मोबाईल आर्टिकल—20 एवं आठ रिलायंस की सिम, एक एयर टेल की सिम एवं एक डोकोमो की सिम

(453)

सेशन प्रकरण संख्या 116/2016 राज. राज्य बनाम आसाराम वगैरा, निर्णय दिनांक 25-4-2018

आर्टिकल-21 लगायत आर्टिकल-30 बाद गुजरने मियाद अपील अभियुक्त शरद चन्द को लौटाये जाएं। ब्लेक बेरी कम्पनी का मोबाईल आर्टिकल-32 बाद गुजरने मियाद अपील अभियुक्त सुश्री संचिता उर्फ शिल्पी को लौटाया जाए।

20- अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वे धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस हजार रुपये की राशि के मुचलके व इसी राशि की जमानत प्रस्तुत करें, जो छः माह पश्चात् अपील नहीं होने की सूरत में निरस्त समझे जायेंगे।

(मधुसूदन शर्मा)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
यौन अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम, 2012 जोधपुर

21- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अन्तर्गत D.B. Writ Miscellaneous Application No. 99/2016 दिनांक 17.04.2018 की अनुपालना में उक्त दण्डादेश आज दिनांक 25.04.2018 को केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में उक्त अभियुक्तगण को उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनाया गया।

(मधुसूदन शर्मा)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
यौन अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम, 2012 जोधपुर

.....